

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

अर्ज़े मुरत्तब

“बयानुल कुरान” के क्रारर्डइन (पाठक) इस अम्र से वाक्रिफ हैं कि यह तफ़सीरी काविश (प्रयास) मोहतरम डॉक्टर इसरार अहमद की तसनीफ़ या तालीफ़ नहीं है, बल्कि आँजनाब के शहरह-ए-आफ़ाक़ (विश्व प्रसिद्ध) दौरा-ए-तर्जुमा कुरान को तरतीब व तस्वीद के मराहिल से गुज़ार कर जुज़अन-जुज़अन किताबी सूरत में पेश किया जा रहा है। नवम्बर 2008 ई० में बयानुल कुरान (हिस्सा अब्वल) तबअ (प्रिन्ट) होकर आयी तो उसे इल्मी हल्कों में बहुत पज़ीराई (सराहना) हासिल हुई और उसके तीन एडिशन हाथों-हाथ फ़रोख़्त हो गये। हिस्सा अब्वल के मंज़रे आम पर आने के साथ ही हिस्सा दौम की इशाअत (प्रकाशन) का तक्राज़ा और मुतालबा ज़ोर पकड़ने लगा। उन्हीं दिनों डिस्ट्रिक्ट जिन्नाह पब्लिक स्कूल मंडी बहाउद्दीन के प्रिंसिपल लेफ़्टिनेंट कर्नल (रिटायर्ड) आशिक़ हुसैन साहब (एजुकेशन कोर) ने मोहतरम डॉक्टर साहब (रहि०) से मुलाक़ात करके “बयानुल कुरान” की तरतीब व तस्वीद के काम में मुआवनत (मदद) की पेशकश की। इस पेशकश की हैसियत बिलाशुबा ताईद गैबी की थी। मोहतरम कर्नल साहब ने खालिसतन रज़ा-ए-इलाही के हुसूल की खातिर दावते कुरानी की नशरो इशाअत के इस काम में कमाहक़ मुआवनत फ़रमायी। अल्लाह तआला उन्हें दुनिया व आख़िरत में इसकी भरपूर जज़ा अता फ़रमाये।

मोहतरम डॉक्टर इसरार अहमद की शदीद ख्वाहिश थी कि यह किताब जल्द ज़ेवरे तबअ से आरास्ता हो, चुनाँचे राक्रिमुल हुरूफ़ से गाहे-ब-गाहे इसकी पेशरफ़्त (प्रगति) के बारे में इस्तफ़सार (जाँच) फ़रमाते रहते। इन्तेक़ाल से एक रोज़ क़ब्ल भी इसके प्रेस भिजवाये जाने का दरयाफ़्त फ़रमाया। मोहतरम डॉक्टर साहब (रहि०) आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं, लेकिन आप (रहि०) इन्तहाई खुशकिस्मत हैं कि अपनी हयाते मुस्तआर कुरान हकीम के उलूम व मआरुफ़ की नशरो इशाअत में गुज़ार गये। आप (रहि०) के हाथों दावत रुजूअ इलल कुरान का लगाया हुआ पौधा आप (रहि०) की ज़िन्दगी ही में एक तनावर दरख़्त बन चुका था, जो अब सदक़ा-

बयानुल कुरान

हिस्सा दौम (दूसरा)
तर्जुमा व मुख्तसर तफ़सीर
सूरह आले इमरान
से
सूरतुल मायदा तक

अज़
डॉक्टर इसरार अहमद

सूरह आले इमरान

तम्हीदी कलिमात

कुरान हकीम के आगाज़ में वाक़ेअ मक्की और मदनी सूरतों के पहले ग्रुप में मदनी सूरतों के जो दो जोड़े आये हैं, उनमें से पहले जोड़े की पहली सूरत “सूरतुल बक्ररह” के तर्जुमे और मुख्तसर तशरीह की हम तकमील कर चुके हैं, और अब हमें इस जोड़े की दूसरी सूरत “आले इमरान” का मुताअला करना है। यह बात पहले बयान हो चुकी है कि दो चीज़ों के माबैन जोड़ा होने की निस्वत यह है कि उन दोनों चीज़ों में गहरी मुशाबहत भी हो लेकिन कुछ फ़र्क भी हो, और यह फ़र्क ऐसा हो जो एक-दूसरे के लिये तकमीली (complementary) नौइयत का हो, यानि एक-दूसरे से मिल कर किसी मक़सद की तकमील होती हो। यह निस्वते ज़ौजियत की हक़ीक़त है।

सूरतुल बक्ररह और सूरह आले इमरान में मुशाबहत के नुमाया पहलु यह हैं की दोनों हुरूफे मुक़त्तआत “الم” से शुरू होती हैं। दोनों के आगाज़ में कुरान मजीद की अज़मत का बयान है, अगरचे सूरह आले इमरान में इसके साथ ही तौरात और इन्जील का बयान भी है। फिर यह कि दोनों के इख़तताम पर बड़ी अज़ीम आयात आयी हैं। सूरतुल बक्ररह के इख़तताम पर वारिद आयात हम पढ़ चुके हैं। उसकी आखरी आयत को कुरान हकीम की अज़ीम तरीन दुआओं में से शुमार किया जा सकता है: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} सूरह आले इमरान के आखरी रुकूअ में भी एक निहायत जामेअ दुआ आयी है जो तीन-चार आयतों में फैली हुई है। फिर जैसे मैंने आपको बताया, सूरतुल बक्ररह भी सूरतुल उम्मातैन है, दो उम्मतों से ख़िताब और गुफ्तगू कर रही है, और यही मामला सूरह आले इमरान का भी है। फ़र्क यह है कि सूरतुल बक्ररह में ज़्यादा गुफ्तगू यहूद के बारे में है और सूरह आले इमरान में नसारा के बारे में। तो गोया इस तरह अहले किताब से गुफ्तगू की तकमील हो रही है। अहले किताब में से “यहूद” अहमतर तबक्रा था और दीनी ऐतबार से उनकी अहमियत ज़्यादा थी, ख्वाह तादाद में वह कम थे और कम हैं। दूसरा तबक्रा ईसाईयों का

ए-जारिया की सूरत इख्तियार कर चुका है और उसके बरगो बार (फल-पत्ती) से एक आलम मुस्तफ़ीद व मुस्तफ़ीज़ (लाभान्वित) हो रहा है। मोहतरम डॉक्टर साहब (रहि०) यकीनन अपने हिस्से का काम मुकम्मल कर गये, लेकिन इस ज़िम्न में हमें अपने हिस्से का काम करते रहना है। मोहतरम डॉक्टर साहब (रहि०) ने बयानुल कुरान (हिस्सा अब्वल) के तबअ सानी के मौक़े पर अपनी “तक़दीम” में तहरीफ़ फ़रमाया था:

“इस ज़िल्द में अभी सिर्फ़ सूरतुल फ़ातिहा और सूरतुल बकरह की तर्जुमानी हुई है, गोया कि अभी पहाड़ जैसा भारी काम बाक़ी है। ताहम अल्लाह तआला के फ़ज़लो करम से तवक्को है कि जैसे उसने, मेरे किसी इरादे या मंसूबाबंदी के बग़ैर और मेरी खालिस लाइल्मी में पेशे नज़र जिल्द शाय़ा करा दी, वैसे ही बाक़ी भी शाय़ा करा देगा। ख्वाह खुद मेरी इस दुनिया से दारे आख़िरत की जानिब रवानगी के बाद ही सही---”

बयानुल कुरान (हिस्सा दौम) सूरह आले इमरान, सूरतुन्निसा और सूरतुल मायदा की तर्जुमानी पर मुश्तमिल है। अल्लाह तआला इस खिदमते कुरानी को शर्फ़े कुबूल अता फ़रमा कर इसे हमारे लिये दुनयवी व उखरवी फौज़ो फ़लाह का बाइस बनाये और हमें वह हिम्मत व इस्तक्रामत अता फ़रमाये जो इस अज़ीम काम की तकमील के लिये दरकार है। आमीन!

18 मई, 2010

हाफ़िज़ ख़ालिद महमूद ख़िज़र
मुदीर शौबा मतबुआत, कुरान अकेडमी लाहौर

नजरान के ईसाईयों से खिताब के तौर पर नाज़िल हुई। सूरतुल बक्ररह के बारे में एक बात बयान होने से रह गयी थी कि उसके रकूअ 38 की आयात जिनमें सूद से मुताल्लिक आखरी अहकाम हैं, यह भी तकरीबन 9 हिजरी में नाज़िल हुई है। गोया मुशाबहत का यह पहलु भी दोनों सूरतों में मौजूद है। सूरतुल बक्ररह का अक्सरो बेशतर हिस्सा अगरचे गज़वा-ए-बद्र से कब्ल नाज़िल हुआ, लेकिन उसकी कुछ आयात 9 हिजरी में नाज़िल हुई। इसी तरह सूरह आले इमरान का अक्सरो बेशतर हिस्सा अगरचे गज़वा-ए-ओहद के बाद 3 हिजरी में नाज़िल हुआ, लेकिन नजरान के ईसाईयों से खिताब के ज़िमन में आयात 9 हिजरी में नाज़िल हुई। फिर जैसे सूरतुल बक्ररह के निस्फ़े अब्वल के आखरी हिस्से (रकूअ 15, 16, 17, 18) में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और खाना काबा का ज़िक्र था इस तरह से यह बात आपको यहाँ भी मिलेगी। यहाँ भी अहले किताब को उसी अंदाज़ में दावत दी गयी है जैसे सूरतुल बक्ररह के सौलहवें रकूअ में दी गयी है। सूरह आले इमरान के निस्फ़े अब्वल का यह तीसरा हिस्सा 38 आयात पर मुश्तमिल है, जो बहुत अहम और जामेअ आयात हैं।

सूरतुल बक्ररह और सूरह आले इमरान दोनों के निस्फ़े सानी का आगाज़ “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا” के अल्फ़ाज़ से होता है। जैसे सूरतुल बक्ररह के उन्नीसवें रकूअ से निस्फ़े सानी का आगाज़ होता है:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٣٠﴾

इस तरह सूरह आले इमरान के ग्याहरवें रकूअ से इसके निस्फ़े सानी का आगाज़ होता है:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٣١﴾

सूरह आले इमरान का निस्फ़े सानी दस रकूओं पर मुश्तमिल है और इनकी तकसीम उमूदी है, उफ़ुकी नहीं है। पहले दो रकूओं में खिताब ज़्यादातर मुस्लमानों से है, फिर अगरचे एए सुखन अहले किताब की तरफ़ भी है। इसके बाद मुसलसल छः रकूअ गज़वा-ए-ओहद के हालात पर मुश्तमिल हैं। यानि इस ज़िमन में जो मसाइल सामने आये उन पर तबसिरा, मुस्लमानों से जो गलतियाँ हुई उन पर गिरफ्त और आइन्दा के लिये हिदायात। यह तकरीबन 60 आयात हैं जो छः रकूओं पर फैली हुई हैं। यह गोया “गज़वा-ए-ओहद” के उन्वान से कुरान मजीद का एक मुस्तक़िल बाब (chapter) है। लेकिन कुरान

है, जिनका तज़क़िरा सूरतुल बक्ररह में बहुत कम आया है, लेकिन सूरह आले इमरान में ज़्यादा ख़िताब उनसे है। फिर जैसे सूरतुल बक्ररह के दो तक्ररीबन मसावी हिस्से हैं, पहला निस्फ़ 18 रूकूओं और 152 आयात पर मुश्तमिल है और निस्फ़े सानी 22 रूकूओं लेकिन 134 आयात पर मुश्तमिल है, वही कैफ़ियत सूरह आले इमरान में ब-तमामो-कमाल मिलती है। सूरह आले इमरान के भी दो हिस्से हैं, जो बहुत मसावी हैं। इसके कुल 20 रूकूअ हैं, 10 रूकूअ निस्फ़े अब्वल में हैं और 10 रूकूअ ही निस्फ़े सानी में। पहले 10 रूकूओं में 101 आयात और दूसरे 10 रूकूओं में 99 आयात हैं। यानि सिर्फ़ एक आयत का फ़र्क़ है। फिर जैसे सूरतुल बक्ररह में निस्फ़े अब्वल के तीन हिस्से हैं वैसे ही यहाँ भी निस्फ़े अब्वल के तीन हिस्से हैं, लेकिन यहाँ तक्रसीम रूकूओं के ऐतबार से नहीं बल्कि आयात के ऐतबार से है। इस सूरह मुबारका की इब्तदाई 32 आयात इसी तरह तम्हीदी कलाम पर मुश्तमिल हैं जैसे सूरतुल बक्ररह के इब्तदाई चार रूकूअ हैं। सूरतुल बक्ररह में रुए सुखन इब्तदा ही से यहूद की तरफ़ हो गया है, जबकि यहाँ रुए सुखन इब्तदा ही से नसारा की तरफ़ है।

इब्तदाई 32 आयात के बाद 31 आयात में ख़ास तौर पर नसारा से बराहे रास्त ख़िताब है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत किन हालात में हुई, उनका मक़ाम और मरतबा क्या था, उनकी असल हैसियत क्या थी, और फिर यह कि उनके साथ क्या मामला हुआ, इस हिस्से में यह मज़ामीन शामिल हैं। इस सूरह मुबारका का अक्सरो बेशतर हिस्सा 3 हिजरी में ग़ज़वा-ए-ओहद के बाद नाज़िल हुआ है, लेकिन 31 आयात पर मुश्तमिल यह हिस्सा 9 हिजरी में नाज़िल हुआ। “नजरान” अरब के जुनूब में यमन की जानिब एक बस्ती थी और वहाँ ईसाई आबाद थे। वहाँ के ईसाईयों के सरदार और पादरी कोई सत्तर आदमियों का एक वफ़द लेकर रसूल अल्लाह ﷺ की ख़िदमत में यह बात समझने-समझाने के लिये कि आप ﷺ किस बात की दावत दे रहे हैं, मदीना मुनव्वरा हाज़िर हुए और वह लोग कई दिन वहाँ मुक़ीम रहे। उन्होंने बात पूरी तरह समझ भी ली और ख़ामोश भी हो गये, लेकिन फिर भी बात नहीं मानी तो आँहुज़ूर ﷺ ने उन्हें मुबाहिले की दावत दी, लेकिन वह इस चैलेंज को कुबूल किये बग़ैर वहाँ से चले गये। उन्होंने रसूल अल्लाह ﷺ की दावत की शिद्दत के साथ तरदीद (इन्कार) नहीं की और उसे कुबूल भी नहीं किया। सूरह आले इमरान की यह 31 आयात

तकमील हो रही होती है। जैसा कि आपको मालूम है, मर्द और औरत एक-दूसरे से मुशाबेह हैं, लेकिन जिन्स के ऐतबार से मर्द और औरत के जिस्म में फ़र्क है। अलबत्ता दोनों के मिलाप से मक़सदे तनासुल यानि पैदाइशे औलाद और अफ़ज़ाइशे नस्ल (नस्ल में वृद्धि) हासिल हो रहा है, जो एक तरफ़ा तौर पर हासिल नहीं हो सकता। यह निस्बते ज़ौजियत कुरान मजीद की सूरतों में अक्सरो बेशतर ब-तमाम-ओ-कमाल मौजूद है। अलबत्ता इस ज़िमन में गहरे तदब्बुर की ज़रूरत है। कुरान में गौरो फ़िक्र किया जाये, सोच-विचार किया जाये तो फिर इस नज़म कुरान के हवाले से इज़ाफ़ी मायने, इज़ाफ़ी इल्म, इज़ाफ़ी मार्फ़त और इज़ाफ़ी हिकमत के खज़ाने खुलते हैं। मैं सूरतुल बकरह की तम्हीद में यह बता चुका हूँ कि नबी अकरम عليه وسلم ने इन दोनों सूरतों को “अज़्ज़ाहरावैन” का नाम दिया है, यानि दो निहायत ताबनाक और रोशन सूरतें। जैसे कुरान मजीद की आखरी दो सूरतों सूरतुल फ़लक़ और सूरतुन्नास को “अल मुअव्वज़ातैन” का नाम दिया गया है इसी तरह कुरान हकीम के आगाज़ में वारिद इन दोनों सूरतों को “अज़्ज़ाहरावैन” का नाम दिया गया है।

में इस तरह से अबवाब नहीं बनाये गये हैं, बल्कि इसकी सूरतें हैं। जैसा कि इब्तदा में “तआरुफ़े कुरान” के ज़िम्न में अर्ज़ किया जा चुका है, कुरान खुत्वाते इलाहिया का मजमुआ है। एक खुत्वा नाज़िल हो रहा है और इसके अन्दर मुख्तलिफ़ मज़ामीन बयान हो रहे हैं, लेकिन इनमें एक रब्त और तरतीब है। अब तक इस रब्त और तरतीब पर तवज्जो कम हुई है, लेकिन इस दौर में कुरान हकीम के इल्म व मारफ़त का यह पहलु ज़्यादा नुमाया हुआ है कि इसमें बड़ा नज़म है, इसके अन्दर तंज़ीम है, इसमें आयात का आपस में रब्त है, सूरतों का सूरतों से रब्त है। यह ऐसे ही बेरब्त और अलल टप कलाम नहीं है।

इस सूरह मुबारका के आख़री दो रकूअ बहुत अहम हैं। उनमें से भी आख़री रकूअ तो बहुत ही जामेअ है। इसमें वह अज़ीम दुआ भी आयी है जिसका ज़िक्र मैंने अभी किया, और फ़लसफ़ा-ए-ईमान के बारे में अहम तरीन बहस भी उस मक़ाम पर आयी है। और उससे पहले का रकूअ यानि उन्नीसवा रकूअ भी बड़े जामेअ मज़ामीन पर मुश्तमिल है और उसमें दर हकीकत पूरी सूरह मुबारका के मज़ामीन को sum-up किया गया है।

इन दोनों सूरतों के माबैन निस्बते ज़ौजियत के हवाले से आप देखेंगे कि बाज़ मक़ामात पर तो अल्फ़ाज़ भी वही आ रहे हैं, वही अंदाज़ है। जैसे सूरतुल बक्ररह की आयत 136 में फ़रमाया गया: “(ऐ मुस्लमानों!) तुम कहो हम ईमान रखते हैं अल्लाह पर और जो कुछ हम पर नाज़िल किया गया और जो कुछ इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम और औलादे याकूब पर नाज़िल किया गया.....।” बिल्कुल यही मज़मून सूरह आले इमरान की आयत 84 में आया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र भी दोनों सूरतों में मिलता है। यहूद के बारे में {... وَالسَّكَّنَةُ وَاللَّيْلَةُ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالسَّكَّنَةُ} वाली आयत सूरह आले इमरान में भी है, ज़रा तरतीब का फ़र्क़ है। [कुरान मजीद में ऐसे मक़ामात “मुतशाबाह” कहलाते हैं और यह हुप्फ़ाज़ के लिये मुश्किल तरीन मक़ाम होते हैं कि तेज़ी और रवानी में वह इससे मुशाबेह दूसरे मक़ाम पर मुन्तक़िल हो जाते हैं।] इन दोनों सूरतों के मज़ामीन के अन्दर आपको इतनी गहरी मुनास्बत नज़र आयेगी जिसको मैंने ज़ौजियत से तशबीह दी है। ज़ाहिर बात है कि हर हैवान का जोड़ा जो होता है वह तक़रीबन नब्बे फ़ीसद तो एक-दूसरे से मुशाबेह होता है लेकिन उसमें कोई दस फ़ीसद का फ़र्क़ भी होता है, और वह फ़र्क़ भी ऐसा होता है कि दोनों के जमा होने से किसी मक़सद की

यह अल्फ़ाज़ सूरतुल बक्ररह में आयतुल कुरसी के आगाज़ में आ चुके हैं। एक हदीस में आता है कि अल्लाह तआला का एक इस्मे आज़म है, जिसके हवाले से अगर अल्लाह से कोई दुआ माँगी जाये तो वह ज़रूर कुबूल होती है। यह तीन सूरतों अल बक्ररह, आले इमरान और ताहा में है।⁽¹⁾

आँहुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم ने तअय्युन के साथ नहीं बताया कि वह इस्मे आज़म कौन सा है, अलबत्ता कुछ इशारे किये हैं। जैसे रमज़ानुल मुबारक की एक शब “लयलतुल कद्र” जो हज़ार महीनों से अफ़ज़ल है, उसके बारे में तअय्युन के साथ नहीं बताया कि वह कौनसी है, बल्कि फ़रमाया:

فَالْتَبَسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي الْوَيْثِ

“उसे आखरी अशरे की ताक़ रातों में तलाश करो।”⁽²⁾

ताकि ज़्यादा ज़ोक्र व शौक्र का मामला हो। इसी तरह इस्मे आज़म के बारे में आप صلی اللہ علیہ وسلم ने इशारात फ़रमाये हैं। आप صلی اللہ علیہ وسلم ने फ़रमाया कि यह तीन सूरतों सूरतुल बक्ररह, सूरह आले इमरान और सूरह ताहा में है। इन तीन सूरतों में जो अल्फ़ाज़ मुशतरक (common) हैं वह “अल हय्युल कय्यूम” हैं। सूरतुल बक्ररह में यह अल्फ़ाज़ आयतुल कुरसी में आये हैं, सूरह आले इमरान में यहाँ दूसरी आयत में और सूरह ताहा की आयत 111 में मौजूद हैं।

आयत 3

“उसने नाज़िल फ़रमायी है आप पर (ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم) यह किताब हक़ के साथ”

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ

उस अल्लाह ने जिसके सिवा कोई मअबूद नहीं, जो अलहय्य है, अल कय्यूम है। इसमें इस कलाम की अज़मत की तरफ़ इशारा हो रहा है कि जान लो यह कलाम किसका है, किसने उतारा है। और यहाँ नोट कीजिये, लफ़ज़ नजज़ला आया है, अन्ज़ला नहीं आया।

“यह तसदीक़ करते हुए आयी है उसकी जो इसके सामने मौजूद है”

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

यानि तौरात और इन्ज़ील की जो इससे पहले नाज़िल हो चुकी हैं। कुरान हकीम साबक़ा कुतबे समाविया की दो ऐतबार से तसदीक़ करता है। एक यह कि वह अल्लाह की किताबें थीं जिनमे तहरीफ़ हो गयी। दूसरे यह कि कुरान

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

आयात 1 से 9 तक

الْم ۝ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۝ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۝ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ۝ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۝ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝ إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝

आयत 1

“अलिफ़ा लामा मीमा”

الْم

यह हुरूफ़े मुक़त्तआत हैं जिनके बारे में इज्जाली गुफ्तगू हम सूरतुल बक्ररह के आगाज़ में कर चुके हैं।

आयत 2

“अल्लाह वह मअबूदे बरहक़ है जिसके सिवा कोई इलाह नहीं, वह जिन्दा है, सबका कायम रखने वाला है।”

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۝

आयत 5

“यक्रीनन अल्लाह पर कोई शय भी मखफ़ी नहीं है, ना आसमान में ना ज़मीन में।”

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝

आयत 6

“वही है जो तुम्हारी सूरतगरी करता है (तुम्हारी माँओ के) रहमों में जिस तरह चाहता है।”

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ

पहली चीज़ अल्लाह के इल्म से मुताल्लिक थी और यह अल्लाह की कुदरत से मुताल्लिक है। वही है जो तुम्हारी नक़शाकशी कर देता है, सूरत बना देता है तुम्हारी माँओ के रहमों में जैसे चाहता है। किसी के पास कोई इख्तियार (choice) नहीं है कि वह अपना नक़शा खुद बनाये।

“उसके सिवा कोई मअबूद नहीं, वह ग़ालिब और हकीम है।”

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ①

आयत 7

“वही है जिसने आप صلی اللہ علیہ وسلم पर यह किताब नाज़िल फ़रमायी”

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ

किसी-किसी जगह नज़ज़ला के बजाय अन्ज़ज़ला का लफ़ज़ भी आ जाता है, और यह आहंग (rhythm) के ऐतबार से होता है, क्योंकि कुरान मजीद का अपना एक मलाकूती गिना (Divine Music) है, इसमें अगर आहंग के हवाले से ज़रूरत हो तो यह अल्फ़ाज़ एक-दूसरे की जगह आ जाते हैं।

“इसमें मोहकम आयात हैं और वही असल किताब हैं”

مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ

“मोहकम” और पुख्ता आयात वह हैं जिनका मफ़हूम बिल्कुल वाज़ेह हो और जिन्हें इधर से उधर करने की कोई गुंजाइश ना हो। इस किताब की जड़, बुनियाद और असास वही हैं।

और मुहम्मद रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم उन पेशनगोइयों का मिस्दाक़ बन कर आये हैं जो उन किताबों में मौजूद थीं।

“और उसने तौरात और इन्जील नाज़िल फ़रमायी थीं”

وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۝

आयत 4

“इससे पहले लोगों की हिदायत के लिये”

مِنْ قَبْلُ هَدَى لِلنَّاسِ

“और अल्लाह ने फ़ुरक़ान उतारा।”

وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۝

“फ़ुरक़ान” का मिस्दाक़ कुरान मजीद भी है, तौरात भी है और मौज्जात भी हैं। सूरतुल अन्फ़ाल में “यौमुल फ़ुरक़ान” ग़ज़वा-ए-बद्र के दिन को कहा गया है। हर वह शय जो हक़ को बिल्कुल मुबरहन कर दे और हक़ व बातिल के माबैन इम्तियाज़ पैदा कर दे वह फ़ुरक़ान है।

“बेशक जिन लोगों ने अल्लाह की आयात का इन्कार किया उनके लिये सख़्त अज़ाब है।”

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ

यहाँ अब तहदीद और धमकी का अंदाज़ है कि इस कुरान का मामला दुनिया की दूसरी किताबों की तरह ना समझो कि मान लिया तब भी कोई हर्ज नहीं, ना माना तब भी कोई हर्ज नहीं। अगर पढ़ने पर तबीयत रागिब हुई तो भी कोई बात नहीं, तबियत रागिब नहीं है तो मत पढ़ो, कोई इल्ज़ाम नहीं। यह किताब वैसी नहीं है, बल्कि यह वह किताब है कि जो इस पर ईमान नहीं लायेंगे तो उनके लिये बहुत सख़्त सज़ा होगी।

“और अल्लाह तआला ज़बरदस्त है, इन्तेक़ाम लेने वाला है।”

وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝

यह लफ़्ज़ इस ऐतबार से बहुत अहम है कि अल्लाह तआला बेशक रऊफ़ है, रहीम है, शफ़ीक़ है, गफ़ूर है, सत्तार है, लेकिन साथ ही “عزيز ذوانتقام” भी है, “شديد العقاب” भी है। अल्लाह तआला की यह दोनों शानें क़ल्ब व ज़हन में रहनी चाहिये।

“फ़ितने की तलाश में”

ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ

वह चाहते हैं कि कोई ख़ास नयी बात निकाली जाये ताकि अपनी ज़हानत और फ़तानत का डंका बजाया जा सके या कोई फ़ितना उठाया जाये, कोई फ़साद पैदा किया जाये। जिनका अपना ज़हन टेढ़ा हो चुका है वह उस टेढ़े ज़हन के लिये कुरान से कोई दलील चाहते हैं। चुनाँचे अब वह मुतशाबेहात के पीछे पड़ते हैं कि इनमें से किसी के मफ़हूम को अपने मनपसंद मफ़हूम की तरफ मोड़ सकें। यह उससे फ़ितना उठाना चाहते हैं।

“और उनकी हक़ीक़त व माहियत मालूम करने के लियो।”

وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ

वह तलाश करते हैं कि इन आयात की असल हक़ीक़त, असल मंशा और असल मुराद क्या है। यानि यह भी हो सकता है कि किसी का इल्मी ज़ोक्र ही ऐसा हो और यह भी हो सकता है कि एक शख्स की फ़ितरत में कजी हो।

“हालाँकि उनका हक़ीक़ी मफ़हूम अल्लाह अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता।”

وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ

“और जो लोग इल्म में रासिख हैं वह यूँ कहते हैं कि हम ईमान लाये इस किताब पर, यह कुल का कुल हमारे रब की तरफ़ से है।”

وَالرُّسُخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا

जिन लोगों को रुसूख़ फ़िल इल्म हासिल हो गया है, जिनकी जड़ें इल्म में गहरी हो चुकी हैं उनका तर्ज़े अमल यह होता है कि जो बात साफ़ समझ में आ गयी है उस पर अमल करेंगे और जो बात पूरी तरह समझ में नहीं आ रही है उसके लिये इन्तेज़ार करेंगे, लेकिन यह इज्माली यक़ीन रखेंगे कि यह अल्लाह की किताब है।

“और यह नसीहत हासिल नहीं कर सकते मगर वही जो होशमन्द हैं।”

وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ٥

और सबसे बड़ी होशमन्दी यह है कि इन्सान अपनी अक़्ल की हुदूद (limitations) को जान ले कि मेरी अक़्ल कहाँ तक जा सकती है। अगर इन्सान यह नहीं जानता तो फिर वह ऊलुल अलबाब में से नहीं है। बिलाशुबा

“और कुछ दूसरी आयतें ऐसी हैं जो सुतशाबेह हैं।”

وَأَحْرَمْتَشَيْئًا

जिनका हकीकती और सही-सही मफ़हूम मुअय्यन करना बहुत मुश्किल बल्कि आम हालात में नामुमकिन है। इसकी तफ़सील तआरुफ़े कुरान के ज़िम्न में अर्ज़ की जा चुकी है। आयतुल अहकाम जितनी भी हैं वह सब मोहकम हैं, कि यह करो यह ना करो, यह हलाल है यह हराम! जैसा कि हमने सूरतुल बक्ररह में देखा कि बार-बार “كُتِبَ عَلَيْكُمُ” के अल्फ़ाज़ आते रहे। मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि किताब दरहकीकत है ही मजमुआ-ए-अहकाम। लेकिन जिन आयात में अल्लाह तआला की ज़ात व सिफ़ात की बहस है उनका फ़हम आसान नहीं है। अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात का हम क्या तसव्वुर कर सकते हैं? अल्लाह का हाथ, अल्लाह का चेहरा, अल्लाह की कुरसी, अल्लाह का अर्श, इनका हम क्या तसव्वुर करेंगे? इसी तरह फ़रिश्ते आलमे ग़ैब की शय हैं। आलमे बरज़ख की क्या कैफ़ियत है? क़ब्र में क्या होता है? हम नहीं समझ सकते। आलमे आख़िरत, जन्नत और दोज़ख की असल हकीकतें हम नहीं समझ सकते। चुनाँचे हमारी ज़हनी सतह के क़रीब लाकर कुछ बातें हमें बता दी गयी हैं कि لا يَدْرِكُ كَلِمًا يَدْرِكُ كَلِمًا चुनाँचे इनका एक इज्माली तसव्वुर कायम हो जाना चाहिये, इसके बग़ैर आदमी का रास्ता सीधा नहीं रहेगा। लेकिन इनकी तफ़ासील में नहीं जाना चाहिये। दूसरे दर्जे में मैंने आपको बताया था कि कुछ तबीअयाती मज़ाहिर (Physical Phenomena) भी एक वक़्त तक आयाते सुतशाबेहात में से रहे हैं, लेकिन जैसे-जैसे साइंस का इल्म बढ़ता चला जा रहा है, रफ़ता-रफ़ता इनकी हकीकत से पर्दा उठता चला जा रहा है और अब बहुत सी चीज़ें मोहकम होकर हमारे सामने आ रही हैं। ताहम अब भी बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी हकीकत से हम बेखबर हैं। जैसे हम अभी तक नहीं जानते कि सात आसमान से मुराद क्या है? हमारा यक़ीन है कि इन्शा अल्लाह वह वक़्त आयेगा कि इन्सान समझ लेगा कि हाँ यही बात सही थी और यही ताबीर सही थी जो कुरान ने बयान की थी।

“तो वह लोग जिनके दिलों में कज़ी होती है वह पीछे लगते हैं उन आयात के जो उनमें से सुतशाबेह हैं”

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا

تَشَابَهَ مِنْهُ

आयात 10 से 20 तक

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ⑩ كَذَابِ الْفِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ⑪ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَعْلَبُونَ وَنُحْشُرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبُنُسِ الْبِهَادِ ⑫ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِتْنَةِ الْعَقَبَاءِ فِتْنَةٌ تَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ تَيْرُونَهُمْ مُّغْلَبِينَ رَأَىٰ الْعَيْنُ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ⑬ زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْبِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاِبِ ⑭ قُلْ أَوْتَيْنَاكُمْ بَحْرًا مِّنْ ذِكْرِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ⑮ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا أَمْنَا فَأَغْرِبْنَا دُنُوبَنَا وَفَنَّا عَذَابِ النَّارِ ⑯ الظُّبَيْرِينَ وَالصُّدَيْرِينَ وَالْقَبِيرِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ⑰ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَابِئًا بِالْقَسِطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑱ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْإِسْلَامِ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْيَا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ⑲ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ⑳

आयात 10

“यक्रिनन जिन लोगों ने कुफ़र की रविश इख्तियार की हरगिज़ ना बचा सकेंगे उन्हें

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ
 وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا

अक़ल बड़ी शय है लेकिन उसकी अपनी हुदूद हैं। एक हद से आगे अक़ल तजावुज़ नहीं कर सकती:

गुज़र जा अक़ल से आगे कि यह नूर
चिरागे राह है मंज़िल नहीं है!

यानि मंज़िल तक पहुँचाने वाली शय अक़ल नहीं, बल्कि क़ल्ब है। लेकिन अक़ल बहरहाल एक रोशनी देती है, हक़ीक़त की तरफ़ इशारे करती है।

आयत 8

“(और उन ऊलुल अलबाब का यह क़ौल होता है) ऐ रब हमारे! हमारे दिलों को क़ज ना होने दीजियो इसके बाद कि तूने हमें हिदायत दे दी है”

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا

“और हमें तू ख़ास अपने खज़ाना-ए-फ़ज़ल से रहमत अता फरमा।”

وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً

“यक़ीनन तू ही सब कुछ देने वाला है।”

إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ⑧

हमें जो भी मिलेगा तेरी ही बारगाह से मिलेगा। तू ही फ़याज़े हक़ीक़ी है।

आयत 9

“ऐ रब हमारे! यक़ीनन तू जमा करने वाला है लोगों को एक ऐसे दिन के लिये जिस (के आने) में कोई शक नहीं है।”

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ أَرَىٰ فِيهِ

“यक़ीनन अल्लाह तआला उस वादे के खिलाफ़ नहीं करेगा।”

إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ⑨

अल्लाह तआला अपने वादे की खिलाफ़वर्ज़ी नहीं करता। लिहाज़ा जो उसने बताया है वह होकर रहेगा और क़यामत का दिन आकर रहेगा।

“उन्होंने भी हमारी आयात को झुठलाया था।”

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

“तो अल्लाह ने पकड़ा उनको उनके गुनाहों की पादाश में।”

فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ

“और अल्लाह सज़ा देने में बहुत सख्त है।”

وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ①

आयत 12

“(ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم!) कह दीजिये उन लोगों से जो कुफ़्र की रविश इख्तियार कर रहे हैं कि तुम सबके सब (दुनिया में) मग़्लूब होकर रहोगे और (फिर आखिरत में) जहन्नम की तरफ घेर कर ले जाये जाओगे।”

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتْغَلِبُونَ وَمُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ

“और वह बहुत बुरा ठिकाना है।”

وَيَبْسُ إِلَيْهِمُ ②

आयत 13

“तुम्हारे लिये एक निशानी आ चुकी है उन दो गिरोहों में जिन्होंने आपस में जंग की।”

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الَّذِينَ تَنَافَتَا

यानि बद्र की जंग में एक तरफ़ मुस्लमान थे और दूसरी तरफ मुशरिकीने मक्का थे। इसमें तुम्हारे लिये निशानी मौजूद है।

“एक गिरोह अल्लाह की राह में जंग कर रहा था और दूसरा काफ़िर था”

فِيئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ

“वह उन्हें देख रहे थे अपनी आँखों से कि उनसे दो गुने हैं।”

يَرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَأَى الْعَيْنِ

इसके कई मायने किये गये हैं। एक यह कि मुस्लमानों को तो खुल्लम-खुल्ला नज़र आ रहा था कि हमारे मुक्काबिल हमसे दोगुनी फ़ौज है, जबकि वह तिगुनी थी। बाज़ रिवायात में यह भी आता है कि अल्लाह तआला ने गज़वा-

उनके माल और ना उनकी औलाद अल्लाह से कुछ भी।”

अब यह ज़रा तहदीदी और चैलेंज का अंदाज़ है। ज़माना-ए-नुज़ूल के ऐतबार से आपने नोट कर लिया कि यह सूरह मुबारका 3 हिजरी में गज़वा-ए-ओहद के बाद नाज़िल हो रही है, लेकिन यह रूकूअ जो ज़ेरे मुताअला है इसके बारे में गुमाने ग़ालिब है कि यह गज़वा-ए-बद्र के बाद नाज़िल हुआ। गज़वा-ए-बद्र में मुस्लमानों को बड़ी ज़बरदस्त फ़तह हासिल हुई थी तो मुस्लमानों का morale बहुत बुलन्द था। लेकिन ऐसी रिवायात भी मिलती हैं कि जब मुस्लमान बद्र से गाज़ी बन कर, फ़तहयाब होकर वापस आये तो मदीना मुनव्वरा में जो यहूदी कबीले थे उनमें से बाज़ लोगों ने कहा कि मुस्लमानों! इतना ना इतराओ। यह तो कुरैश के कुछ नातजुर्वेकार छोकरे थे जिनसे तुम्हारा मुक्काबला पेश आया है, अगर कभी हमसे मुक्काबला पेश आया तो दिन में तारे नज़र आ जायेंगे, वगैरह-वगैरह। तो इस पसमंज़र में यह अल्फ़ाज़ कहे जा रहे हैं कि सिर्फ़ मुशरिकीने मक्का पर मौकूफ़ (विश्राम) नहीं, आख़िरकार तमाम कुफ़्कार इसी तरह से ज़ेर होंगे और अल्लाह का दीन ग़ालिब होकर रहेगा। { وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرِ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ } (सूरह युसुफ:21)

“और वह तो सबके सब आग का ईंधन बनेंगे।”

وَأُولَٰئِكَ هُمُ وَقُودُ النَّارِ

आयत 11

“(उनके साथ भी वैसा ही मामला होगा) जैसा कि आले फ़िरऔन और उन लोगों के साथ हुआ जो उनसे पहले गुज़रे।”

كَذَٰبِ الْفِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

तुम्हारी तो हैसियत ही क्या है! क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। आले फ़िरऔन का मामला याद करो, उनके साथ क्या हुआ था? फ़िरऔन बहुत बड़ा शहंशाह और बड़े लाव लश्कर वाला था, लेकिन उसका क्या हाल हुआ? और उससे पहले आद व समूद जैसी ज़बरदस्त क्रौमें इसी जज़ीरा नुमाये अरब में रही हैं।

आयत 14

“मुज़य्यन कर (संवार) दी गयी है लोगों के लिये मरगूबाते (आकर्षक) दुनिया की मोहब्बत जैसे औरतों और बेटों”

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ
وَالْبَنِينَ

मरगूबाते दुनिया में से पहली मोहब्बत औरतों की गिनवायी गयी है। फ़ाईड के नज़दीक भी इंसानी मुहर्रिकात में सबसे क़वी और ज़बरदस्त मुहर्रिक (potent motive) जिंसी ज़ब्बा है और यहाँ अल्लाह तआला ने भी सबसे पहले उसी का ज़िक्र किया है। अगरचे बाज़ लोगों के लिये पेट का मसला फ़ौक्रियत इख़्तियार कर जाता है और मआशी ज़रूरत जिंसी ज़ब्बे से भी शदीदतर हो जाती है, लेकिन वाक्रिया यह है कि मर्द व औरत के माबैन कशिश इंसानी फ़ितरत का लाज़िमा है। चुनाँचे रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ने भी फ़रमाया है:

مَا تَرَكَتُ بَعْدِي فِتْنَةٌ أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

“मैंने अपने बाद मर्दों के लिये औरतों के फ़ितने से ज़्यादा ज़रर रसाँ (हानिकारक) फ़ितना और कोई नहीं छोडा।”

उनकी मोहब्बत इन्सान को कहाँ से कहाँ ले जाती है। बिलआम बिन बाऊरा यहूद में से एक बहुत बडा आलिम और फ़ाज़िल शख्स था, मगर एक औरत के चक्कर में आकर वह शैतान का पैरो बन गया। उसका क्रिस्सा सूरतुल आराफ़ में बयान हुआ है। बहरहाल औरतों की मोहब्बत इंसानी फ़ितरत के अन्दर रख दी गयी है। फिर इन्सान को बेटे बहुत पसंद हैं कि उसकी नस्ल और उसका नाम चलता रहे, वह बुढापे का सहारा बनें।

“और जमा किये हुए खज़ाने सोने के और चांदी के”

وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

“और निशानज़दा घोडे”

وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ

उम्दा नस्ल के घोडे जिन्हें चुन कर उन पर निशान लगाये जाते हैं।

“और माल मवेशी और खेती।”

وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ

पंजाब और सराइकी इलाक़े में चौपायों को माल कहा जाता है। यह जानवर उनके मालिकों के लिये माल की हैसियत रखते हैं।

ए-बद्र में कुफ़ार पर ऐसा रौब तारी कर दिया था कि उन्हें नज़र आ रहा था कि मुस्लमान हमसे दोगुने हैं।

“और अल्लाह तआला ताईद (समर्थन) फ़रमाता है अपनी नुसरत से जिसकी चाहता है।”

وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِہٖ مَنۢ يَّشَآءُ

“इसमें यक़ीनन एक इबरत है आँखें रखने वालों के लिये।”

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿١٠﴾

यह इबरत और सबक़ आमूज़ी सिर्फ़ उनके लिये होती है जो आँखें रखते हों, जिनके अन्दर देखने की सलाहियत मौजूद हो।

अगली आयत फ़ितरते इंसानी के ऐतबार से बड़ी अहम है। बाज़ लोगों में ख़ास तौर पर दुनिया और अलाइक़ दुनयवी (दुनिया की दिलचस्पी) की मोहब्बत ज़्यादा शदीद होती है। यहाँ उसका असल सबब बताया जा रहा है कि अल्लाह तआला ने वाक़िअतन यह शय फ़ितरते इंसानी में रखी है। इसलिये कि अल्लाह तआला ने इस दुनिया को क़यामत तक आबाद रखना है और इसकी रौनक़े बहाल रखनी हैं। चुनाँचे मर्द और औरत की एक-दूसरे के लिये कशिश होगी तो औलाद पैदा होगी और दुनिया की आबादी में इज़ाफ़ा होता रहेगा और इस तरह दुनिया कायम रहेगी। दौलत की कोई तलब होगी तो आदमी मेहनत व मशक्क़त करेगा और दौलत कमायेगा। इसलिये यह चीज़ें फ़ितरते इंसानी में basic animal instincts के तौर पर रख दी गयी हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि इन जिबिल्ली (स्वाभाविक) तक्राज़ों को दबा कर रखा जाये, अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की शरीअत को इससे बालातर रखा जाये। यह मतलूब नहीं है कि इनको ख़त्म कर दिया जाये। ताअज़ीबे नफ्स और नफ्सकशी (self annihilation) इस्लाम में नहीं है। यह तो रहबानियत है कि अपने नफ्स को कुचल दो, ख़त्म कर दो। जबकि इस्लाम तज़किया-ए-नफ्स और self control का दर्स देता है कि अपने आपको क़ाबू में रखो। नफ़से इंसानी एक मुँहज़ोर घोड़ा है। घोड़ा जितना ताक़तवर होता है उतना ही सवार के लिये तेज़ दौड़ना आसान होता है। लेकिन मुँहज़ोर और ताक़तवर घोड़े को क़ाबू में रखने की ज़रूरत भी है। वरना सवार अगर उसके रहमो करम पर आ गया तो वह जहाँ चाहेगा उसे पटखनी दे देगा।

इन सबके हुक्क अदा करो, लेकिन अल्लाह से ऊपर किसी हक्क को फ़ाइक़ ना कर देना। बस यह है असल बात। “गर हिफ़ज़े मरातिब ना कुनी ज़िन्दीक़ी!” अगर यह हिफ़ज़े मरातिब नहीं होगा तो गोया आपका दीन भी गया और दुनिया भी गयी।

“उनमें वह हमेशा रहेंगे”

خُلِدِينَ فِيهَا

“और उनके लिये बड़ी ही पाक औरतें होंगी”

وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ

“और (सबसे बढ कर) अल्लाह की खुशनुदी होगी।”

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ

“और अल्लाह अपने बन्दों को देख रहा है।”

وَاللَّهُ بِصِبْرِهِمُ بِالْعِبَادِ ۝۱۶

आयत 16

“जो यह कहते रहते हैं परवरदिगार! हम ईमान ले आये”

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا أَمْنَا

“पस हमारे गुनाहों को बख़्श दे”

فَاعْفُزْ لَنَا ذُنُوبَنَا

“और हमें आग के अज़ाब से बचा ले।”

وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝۱۷

आगे उनकी मदाह (तारीफ़) में अल्फ़ाज़ इस्तेमाल हो रहे हैं कि जो यह दुआएँ करते हैं उनके यह औसाफ़ हैं। इसमें गोया तलक़ीन है कि अगर अल्लाह से यह दुआ करना चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारे गुनाह बख़्श दे और तुम्हें जहन्नम के अज़ाब से बचा ले तो अपने अन्दर यह औसाफ़ पैदा करो।

आयत 17

“सब्र करने वाले और रास्तबाज़ (सच्चे)”

الصّٰبِرِينَ وَالصّٰدِقِينَ

“यह सब दुनयवी ज़िन्दगी का साज़ो सामान है।”

ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

बस नुक्ता-ए-ऐतदाल यह है कि जान लो यह सारी चीज़ें इस दुनिया की चंद रोज़ा ज़िन्दगी का साज़ो सामान हैं। इस ज़िन्दगी के लिये ज़रूरियात की हद तक इनसे फ़ायदा उठाना कोई बुरी बात नहीं है।

“लेकिन अल्लाह के पास है अच्छा लौटना।”

وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ ۝

वह जो अल्लाह के पास है उसके मुक्काबले में यह कुछ भी नहीं है। अगर ईमान बिलआख़िरत मौजूद है तो फिर इन्सान इन तमाम मरगूबात को, अपने तमाम ज़ब्बात और मीलानात को एक हद के अन्दर रखेगा, उससे आगे नहीं बढ़ने देगा। लेकिन अगर इनमें से किसी एक शय की मोहब्बत भी इतनी ज़ोरदार हो गयी कि आपके दिल के ऊपर उसका क़ब्ज़ा हो गया तो बस आप उसके गुलाम हो गये, अब वही आपका मअबूद है, चाहे वह दौलत हो या कोई और शय हो।

आयत 15

“इनसे कहिये कि क्या मैं तुम्हें बताऊँ इन तमाम चीज़ों से बहतर शय कौनसी है?”

قُلْ أَوْ تَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ

“जो लोग तक्रवा इख़्तियार करते हैं उनके लिये उनके रब के पास ऐसे बागात हैं जिनके दामन में नदियाँ बहती होंगी।”

لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

तक्रवा यही है कि तुम पर अपने नफ्स का भी हक़ है जो तुम्हें अदा करना है, लेकिन नाजायज़ रास्ते से नहीं। तुम्हारे पेट का भी हक़ है, वह भी अदा करो, लेकिन अकले हलाल से। तुम्हारी बीवियों और तुम्हारी औलाद के भी तुम पर हुकूक हैं, जो तुम्हें जायज़ तरीक़ों से अदा करने हैं। तुम्हारे जो मुलाक़ाती आने वाले हैं उनका भी तुम पर हक़ है। रसूल अल्लाह ﷺ ने हज़रत अबदुल्लाह बिन अम्र बिन आस رضى الله عنه से इशारा फ़रमाया था:

فَإِنَّ لِحَسَبِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِرُؤُوجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِرُؤُوكِ عَلَيْكَ حَقًّا

आयाते आफ़ाक़ी के हवाले से अल्लाह को पहचान लेते हैं और मान लेते हैं कि वही मअबूदे बरकरह है। सूरतुल बकररह के बीसवें रकूअ की पहली आयत हमने पढ़ी थी जिसे मैं “आयतुल आयात” करार देता हूँ। उसमें बहुत से मज़ाहिरे फ़ितरत बयान करके फ़रमाया गया: {لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ} (आयत:164) “(इनमें) यक़ीनन निशानियाँ हैं उन लोगों के लिये जो अक़ल से काम लेते हैं।” तो यह जो “قَوْمٌ يَعْلَمُونَ” हैं, जो ऊलुल अलबाब हैं, ऊलुल इल्म हैं, वह भी गवाह हैं कि अल्लाह के सिवा कोई मअबूद नहीं है।

“वह अद्ल व क़िस्त (परिणाम) का क़ायम करने वाला है।”

فَأَيُّهَا بِالْقِسْطِ

यह इस आयत मुबारका के अहम तरीन अल्फ़ाज़ हैं। क़ब्ल अज़ अर्ज़ किया जा चुका है कि हम यह समझते हैं कि अल्लाह अद्ल क़ायम करता है और अद्ल करेगा, अलबत्ता अहले सुन्नत के नज़दीक यह कहना सूए अदब है कि अल्लाह पर अद्ल करना वाजिब है। अल्लाह पर किसी शय का वजूब नहीं है। अल्लाह को अद्ल पसंद है और वह अद्ल करने वालों से मोहब्बत रखता है। (अल हुजरात:9) {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} और अल्लाह खुद भी अद्ल फ़रमायेगा।

“उसके सिवा कोई मअबूद नहीं, वह ज़बरदस्त है, कमाले हिकमत वाला है।”

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑤

आयत 19

“यक़ीनन दीन तो अल्लाह के नज़दीक सिर्फ़ इस्लाम ही है।”

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

अल्लाह का पसन्दीदा और अल्लाह के यहाँ मंज़ूरशुदा दीन एक ही है और वह “इस्लाम” है। सूरतुल बकररह और सूरह आले इमरान की निस्वते ज़ौजियत के हवाले से यह बात समझ लीजिये कि सूरतुल बकररह में ईमान पर ज़्यादा ज़ोर है और सूरह आले इमरान में इस्लाम पर। सूरतुल बकररह के आगाज़ में भी ईमानियात का तज़क़िरा है, दरमियान में आयतुल बिर् में भी ईमानियात का बयान है और आखरी आयात (आयत:285) में भी ईमानियात का ज़िक्र है: {أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ} जबकि इस सूरह मुबारका में इस्लाम को

रास्तबाज़ी में रास्तगोयी भी शामिल है और रास्त किरदारी भी। यानि आपका अमल भी सही और दुरुस्त हो और क्रौल भी सही और दुरुस्त हो।

“और फ़रमाबरदार और अल्लाह की राह में खर्च करने वाले”

وَالْقَائِمِينَ وَالْمُنْفِقِينَ

“और अवक्राते सहर में मगफ़िरत चाहने वाले।”

وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ⑫

वह जो सहर का वक़्त है (small hours of the morning) उस वक़्त अल्लाह के हुज़ूर इस्तग़फ़ार करने वाले। एक तो पंच वक़ता नमाज़े हैं, और एक ख़ास वक़्त है जिसके बारे में फ़रमाया गया है कि हर रात जब रात का आख़री एक तिहाई हिस्सा बाक़ी रह जाता है तो अल्लाह तआला समाये दुनिया तक नुज़ूल फ़रमाता है और कहता है:

هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى؛ هَلْ مِنْ دَاعٍ يُسْتَجَابُ لَهُ؛ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يُغْفَرُ لَهُ؟

“है कोई माँगने वाला कि उसे अता किया जाये? है कोई दुआ करने वाला कि उसकी दुआ कुबूल की जाये? है कोई इस्तग़फ़ार करने वाला कि उसे माफ़ किया जाये?” गोया:

हम तो माइल बा करम हैं कोई साइल ही नहीं
राह दिखलायें किसे राह रवे मंज़िल ही नहीं!

आयत 18

“अल्लाह खुद गवाह है कि उसके सिवा कोई मअबूद नहीं है”

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

सबसे बड़ी गवाही तो अल्लाह तबारक व तआला की है, जो कुतुबे समाविया से भी ज़ाहिर है और मज़ाहिरे फ़ितरत से भी।

“और सारे फ़रिशते (गवाह हैं)”

وَالْمَلَائِكَةُ

“और अहले इल्म भी (इस पर गवाह हैं)”

وَأُولُوا الْعِلْمِ

ऊलुल इल्म वही लोग हैं जिन्हें कुरान कहीं ऊलुल अलबाब करार देता है और कहीं उनके लिये “الَّذِينَ يَتَّقُونَ” जैसे अल्फ़ाज़ आते हैं। यह वह लोग हैं जो

हो मुड़ जाओ, जिस खाई में गिरना चाहते हो गिर जाओ। {لَكُمْ دِينُكُمْ وَرَى دِينِ} (अलकाफिरून:6)

“और (ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم!) आप कह दीजिये उनसे भी कि जिन्हें किताब दी गयी थी (यानि यहूद और नसारा) और उम्मिय्यीन से भी कि क्या तुम भी इसी तरह इस्लाम लाते हो?”

وَقُلْ لِلدِّينِ اَوْتُو الْكِتَابِ وَالْاُمِّيْنَ
ءَاَسَلْتُمْ

क्या तुम भी सरे तस्लीम खम करते हो या नहीं? ताबेअ होते हो या नहीं? अपने आपको अल्लाह के सुपुर्द करते हो या नहीं?

“पस अगर वह भी इसी तरह इस्लाम ले आयें तो हिदायत पर हो जायेंगे।”

فَاِنْ اَسَلْتُمْوَا فَقَدِ اهْتَدَوْا

“और अगर वह मुँह मोड़ लें तो (ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم!) आप صلی اللہ علیہ وسلم पर ज़िम्मेदारी सिर्फ पहुँचा देने की है।”

وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ

आप صلی اللہ علیہ وسلم ने हमारा पैगाम उन तक पहुँचा दिया, हमारी दावत उन तक पहुँचा दी, हमारी आयात उन्हें पढ़ कर सुना दीं, अब कुबूल करना या ना करना उनका अपना इख्तियार (choice) है। आप صلی اللہ علیہ وسلم पर ज़िम्मेदारी नहीं है कि यह लोग ईमान क्यों नहीं लाये। सूरतुल बकरह में हम यह अल्फ़ाज़ पढ़ आये हैं: {وَلَا تُسْئَلُ عَنْ اَصْحَابِ الْجَحِيْمِ} (आयत:119)

“और अल्लाह अपने बन्दों के हाल को देख रहा है।”

وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ

वह उनसे हिसाब-किताब कर लेगा और उनसे निबट लेगा। आप صلی اللہ علیہ وسلم के ज़िम्मे जो फ़र्ज़ है आप उसको अदा करते रहिये।

आयात 21 से 32 तक

إِنَّ الدِّينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ
بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَيِّضْهُمْ بَعْدَآبِ اٰلِيْمٍ ۝ اُولٰٓئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي
الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّصِرِيْنَ ۝ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِينَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنْ

emphasize किया गया है। यहाँ फ़रमाया: { إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ } आगे जाकर आयत आयेगी: { وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ } (आयत:85) “और जो कोई इस्लाम के सिवा किसी और दीन को कुबूल करेगा वह उसकी जानिव से अल्लाह के यहाँ मंज़ूर नहीं किया जायेगा।”

“और अहले किताब ने इख़्तिलाफ़ नहीं किया
इसके बाद कि उनके पास इल्म आ चुका था
मगर बाहमी ज़िद्दम-ज़िद्दा के सबब से।”

وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ
بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًّا بَيْنَهُمْ

यह गोया सूरतुल बकरह की आयत 213 (आयतुल इख़्तिलाफ़) का खुलासा है। दीने इस्लाम तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चला आ रहा है। जिन लोगों ने इसमें इख़्तिलाफ़ किया, पगडंडियाँ निकालीं और गलत रास्तों पर मुड़ गये, इसके बाद कि उनके पास इल्म आ चुका था, उनका असली रोग वही ज़िद्दम-ज़िद्दा की रविश और ग़ालिब आने की उमंग (the urge to dominate) थी।

“और जो कोई अल्लाह की आयात का इन्कार करता है तो (वह याद रखे कि) अल्लाह बहुत जल्द हिसाब चुका देने वाला है।”

وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ
الْحِسَابِ ⑩

अल्लाह तआला को हिसाब लेते देर नहीं लगेगी, वह बड़ी तेज़ी के साथ हिसाब ले लेगा।

आयत 20

“फिर (ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم!) अगर वह आप صلی اللہ علیہ وسلم से हुज्जत बाज़ी करें”

فَإِنْ حَاجُّوكَ

दलील बाज़ी और मुनाज़रे की रविश इख़्तियार करें।

“तो आप कह दें कि मैंने तो अपना चेहरा अल्लाह के सामने झुका दिया है और उन्होंने भी जो मेरा इत्तेबाअ कर रहे हैं।”

فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعْتُ

आप صلی اللہ علیہ وسلم उनसे दो टूक अंदाज़ में यह आखरी बात कह दें कि हमने तो अल्लाह के आगे सरइताअत ख़म कर दिया है। हमने एक रास्ता इख़्तियार कर लिया है। तुम जिधर जाना चाहते हो जाओ, जिस पगडण्डी पर मुड़ना चाहते

हक़गोई की पादाश में अपनी जान से भी हाथ धोने पड़ते हैं। यहाँ फिर अद्ल व क्रिस्त का मामला आया है। अल्लाह खुद “فَأَمَّا بِالْقِسْطِ” है और अल्लाह के महबूब बन्दे वही हैं जो अद्ल का हुक्म दें, इन्साफ़ का डंका बजाने की कोशिश करें। तो फ़रमाया कि जो ऐसे लोगों को क़त्ल करें...

“तो (ऐ नबी ﷺ!) उन्हें बशारत सुना दीजिये दर्दनाक अज़ाब की।”

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ①

लफ़्ज़ बशारत यहाँ तंज़ के तौर पर इस्तेमाल किया गया है।

आयत 22

“यह वह लोग हैं जिनके तमाम आमाल दुनिया और आख़िरत में अकारत हो गये।”

أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ

कुरैश को यह ज़अम था कि हम खुद्दामे काबा हैं और हमारे पास जो यह लोग हज़ करने आते हैं हम उनको खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, हमारी इन खिदमात के एवज़ हमें बख़्श दिया जायेगा। फ़रमाया वह सारे आमाल हब्त हो जायेंगे। अगर तो सही-सही पूरे दीन को इख़्तियार करोगे तो ठीक है, वरना चाहे खैरात और भलाई के बड़े से बड़े काम किये हों, लोगों की फ़लाह व बहबूद (कल्याण) के इदारे क़ायम कर दिये हों, अल्लाह की निगाह में उनकी कोई हैसियत नहीं।

“और उनका फिर कोई मददगार नहीं होगा।”

وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ②

आयत 23

“क्या तुमने गौर नहीं किया उन लोगों की हालत पर जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया था?”

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ

أُولَئِكَ مَجْهُولُونَ ③
वहाँ मजहूल का सीगा है और याद रहे कि जहाँ मज़हम्मत का पहलु होता है वहाँ मजहूल का सीगा आता है।

الْكِنْبِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِنْبِ اللَّهِ لِيَحْكَمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿١٧﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَعَرَّهَمُ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٨﴾ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾ قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۗ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۗ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾ تُوَجِّعُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوَجِّعُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢١﴾ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٢﴾ قُلْ إِن تَخَفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْذَرُوا يُعَلِّمَهُ اللَّهُ ۗ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٣﴾ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۗ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهَا أَمَدًا بَعِيدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٤﴾ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾ قُلِ اطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْكُفْرِينَ ﴿٢٦﴾

आयत 21

“यक़ीनन वह लोग जो अल्लाह की आयात का क़फ़र करते हैं और अम्बिया अलै० को नाहक़ क़त्ल करते रहे हैं”

“और उन लोगों को क़त्ल करते रहे हैं (या क़त्ल करते हैं) जो इन्सानों में से अद्ल व क़िस्त का हुक्म देते हैं”

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ
النَّبِيَّيْنَ بِغَيْرِ حَقٍّ

وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ
النَّاسِ

इसलिये कि इन्साफ़ की बात तो बिलउमूम किसी को पसंद नहीं होती। “أَلْحَقُ” (हक़ बात कड़वी होती है)। बहुत से मौक़ों पर किसी हक़गोह इन्सान को

है। यह तो तुम्हारा मनघडन्त अक्रीदा है और इसी की वजह से अब तुम दीन के अन्दर बददीन या बेदीन हो गये हो।

आयत 25

“तो क्या हाल होगा जब हम उन्हें इकट्ठा करेंगे उस दिन जिसके बारे में कोई शक नहीं!”

فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ

इस वक़्त तो यह बढ-चढ कर बातें बना रहे हैं, ज़बान दराज़ियाँ कर रहे हैं। लेकिन जब हम इन्हें एक ऐसे दिन में जमा करेंगे जिसके आने में ज़रा शक नहीं, तो उस दिन इनका क्या हाल होगा!

“और हर जान को पूरा-पूरा दे दिया जायेगा जो कुछ उसने कमाई की होगी”

وَوَفَّيْتُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ

“और उन पर कोई ज़्यादती नहीं होगी।”

وَهُمْ لَا يَظُنُّونَ ﴿٢٥﴾

इसके बाद अब फिर एक बहुत अज़ीम दुआ आ रही है। इस सूरह मुबारका में बहुत सी दुआएँ हैं। यह भी एक अज़ीम दुआ है, जिसकी बाक्रायदा तलक़ीन करके कहा गया है कि यूँ कहा करो।

आयत 26

“कहो ऐ अल्लाह! तमाम बादशाहत के मालिक!”

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ

कुल मुल्क तेरे इख़्तियार में है।

“तू हुकूमत और इख़्तियार देता है जिसको चाहता है”

تُوْفِّي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ

“और सलतनत छीन लेता है जिससे चाहता है”

وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ

“और तू इज़ज़त देता है जिसको चाहता है”

وَتُعِزُّ مِمَّنْ تَشَاءُ

“अब उन्हें बुलाया जाता है अल्लाह की किताब की तरफ कि वह उनके माबैन फ़ैसला करे”

يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ

“फिर उनमें से एक गिरोह पीठ फेर लेता है एराज़ करते हुए।”

ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ وَآخَرُ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٧﴾

यानि किताब को मानते भी हैं लेकिन उसके फ़ैसले को तस्लीम करने के लिये तैयार नहीं हैं।

आयत 24

“यह इस वजह से है कि यह कहते हैं कि हमें तो जहन्नम की आग छू ही नहीं सकती मगर गिनती के चंद दिन।”

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا

مَعْدُودَاتٍ

यह मज़मून सूरतुल बकरह में आ चुका है। उनकी ढिठाई का असल सबब उनके मनघडन्त ख्यालात हैं। जब उनसे कहा जाता है कि तुम किताब पर ईमान रखते हो तो उस पर अमल क्यों नहीं कर रहे? उसमें तो लिखा है कि सूद हराम है और तुम सूदखोरी पर कमरबस्ता हो, उसके हलाल को हलाल और उसके हराम को हराम क्यों नहीं जानते? तो इसके जवाब में वह अपना यह मनघडन्त अक्रीदा बयान करते हैं कि “हमें तो जहन्नम की आग छू ही नहीं सकती मगर गिनती के चंद दिन।” जब यह अक्रीदा है तो फिर इन्सान काहे को दुनिया का नुकसान बर्दाश्त करे। “बाबर बईश कोश कि आलम दोबारा नीस्त।” फिर तो हलाल से, हराम से, जायज़ से, नाजायज़ से, जैसे भी ऐश दुनिया हासिल किया जा सकता हो हासिल करना चाहिये। यह अक्रीदा दरहक्रीकत ईमान बिलआखिरत की नफ़ी कर देता है।

“और उन्हें धोखे में मुब्तला कर दिया है उनके दीन के बारे में उन चीज़ों ने जो यह घडते रहे हैं।”

وَعَزَّوهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٨﴾

इस तरह के जो अक्काइद व नज़रियात उन्होंने घड लिये हैं उनके बाइस यह दीन के मामले में गुमराही का शिकार हो गये हैं। अल्लाह ने तो ऐसी कोई ज़मानत नहीं दी थी। तौरात लाओ, इन्जील लाओ, कहीं ऐसी ज़मानत नहीं

دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

“औलिया” ऐसे क़ल्बी दोस्त होते हैं जो एक-दूसरे के राज़दार भी बन जायें और एक-दूसरे के पुश्त पनाह भी हों। यह ताल्लुक़ कुफ़्कार के साथ इख़्तियार करने की इजाज़त नहीं है। उनके साथ अच्छा रवैय्या, ज़ाहिरी मदारात और तहज़ीब व शाइस्तगी से बात-चीत तो और बात है, लेकिन दिली मोहब्बत, क़ल्बी रिश्ता, जज़्वाती ताल्लुक़, बाहमी नुसरत और तआवुन और एक-दूसरे के पुश्त पनाह होने का रिश्ता क़ायम कर लेने की इजाज़त नहीं है। कुफ़्कार के साथ इस तरह के ताल्लुकात अल्लाह तआला को हरगिज़ पसंद नहीं हैं।

“और जो कोई भी यह हरकत करेगा तो फिर अल्लाह के साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा”

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ

अगर अल्लाह के दुश्मनों के साथ तुम्हारी दोस्ती है तो ज़ाहिर है फिर तुम्हारा अल्लाह के साथ कोई रिश्ता व ताल्लुक़ नहीं रहा है।

“सिवाये यह कि तुम उनसे बचने के लिये अपना बचाव करना चाहो।”

إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً

बाज़ अवकात ऐसे हालात होते हैं कि खुले मुक़ाबले का अभी मौक़ा नहीं होता तो आप दुश्मन को तरह (उपाय) देते हैं और इस तरह गोया वक़्त हासिल करते हैं (you are buying time) तो इस दौरान अगर ज़ाहिरी खातिर मदारात का मामला भी हो जाये तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मुस्तक़िल तौर पर कुफ़्कार से क़ल्बी मोहब्बत क़ायम कर लेना हरगिज़ जायज़ नहीं है। क़ुरान के इन्ही अल्फ़ाज़ को हमारे यहाँ अहले तशय्यो ने तक़िये की बुनियाद बना लिया है। लेकिन उन्होंने इसे इस हद तक पहुँचा दिया है की झूठ बोलना और अपने अक्काइद को छुपा लेना भी रवा समझते हैं और उसके लिये दलील यहाँ से लाते हैं। लेकिन यह एक बिल्कुल दूसरी शक़ल है और यह सिर्फ़ ज़ाहिरी मदारात की हद तक है। जैसे की हम सूरतुल बक्ररह में पढ़ चुके हैं कि अगरचे तुम्हारे खिलाफ़ यहूद के दिलों में हसद की आग भरी हुई है लेकिन { فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا } (आयत:109) अभी ज़रा दरगुज़र करते रहो और चश्मपोशी से काम लो। अभी फ़ौरी तौर पर इनके साथ मुक़ाबला शुरू करना मुनासिब

“और तू ज़लील कर देता है जिसको चाहता है।”

وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ

“तेरे ही हाथ में सब खैर है।”

بِيَدِكَ الْخَيْرُ

इसके दोनों मायने हैं। एक यह कि कुल खैर व खूबी तेरे हाथ में है और दूसरे यह कि तेरे हाथ में खैर ही खैर है। बसा अवक़ात इन्सान जिसे अपने लिये शर समझ बैठता है वह भी उसके लिये खैर होता है। सूरतुल बक्ररह (आयत 216) में हम पढ़ चुके हैं: {وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ}

“यक़ीनन तू हर चीज़ पर क़ादिर है।”

إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢١﴾

आयत 27

“तू रात को ले आता है दिन में पिरो कर”

تَوَجَّعَ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ

“और फिर दिन को निकाल लाता है रात में से पिरो कर।”

وَتَوَجَّعَ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ

“और तू निकालता है ज़िन्दा को मुर्दे से”

وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ

“और तू निकालता है मुर्दे को ज़िन्दा से।”

وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ

इसकी बेहतरीन मिसाल मुर्गी और अंडा है। अंडे में जान नहीं है लेकिन उसी में से ज़िन्दा चूज़ा बरामद होता है और मुर्गी से अंडा बरामद होता है।

“और तू देता है जिसको चाहता है बेहद व बेहिसाबा।”

وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٢﴾

आयत 28

“अहले ईमान ना बनायें काफ़िरों को अपने दोस्त अहले ईमान को छोड़ कर।”

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ

“और हर बुराई जो उसने कमाई होगी।”

وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ

इसका नक्शा सूरतुल ज़िलज़ाल में बाअल्फ़ाज़ खींचा गया है:

“तो जिसने एक ज़र्रे के हमवज़न नेकी की होगी वह उसको (बचश्म खुद) देख लेगा। और जिसने एक ज़र्रे के हमवज़न बुराई की होगी वह उसको (बचश्म खुद) देख लेगा।”

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۗ وَمَنْ

يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۗ

“और (हर जान) यह चाहेगी कि काश उसके और उस (के नामाये आमाल) के दरमियान एक ज़माना-ए-दराज़ हाईल होता।”

تَوَدُّ أَنْ يَبْدُلَهَا وَبَيْنَهُمَا أَمَدًا أَبَعِيدًا ۗ

उस वक़्त हर इन्सान यह चाहेगा कि काश मेरे और मेरे आमाल नामे के दरमियान बड़ा फ़ासला आ जाये और मेरी निगाह भी उस पर ना पड़े।

“और अल्लाह डरा रहा है तुम्हें अपने आपसे।”

وَيُحَدِّثُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ

यानि तक्रवा इख़्तियार करना है तो उसका करो, डरना है तो उससे डरो, खौफ़ खाना है तो उससे खाओ।

“और अल्लाह तआला अपने बन्दों के हक़ में बहुत शफ़ीक़ है।”

وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ۝

यह तम्बिहात (warnings) वह तुम्हें बार-बार इसी लिये दे रहा है ताकि तुम्हारी आक़बत ख़राब ना हो।

आयत 31

“(ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم!) कह दीजिये कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो”

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي

यह आयत बहुत मारुफ़ है और मुस्लमानों को बहुत पसंद भी है। हमारे यहाँ मवाइज़ और खिताबात में यह बहुत कसरत से बयान होती है। फ़रमाया कि ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم अहले ईमान से कह दीजिये कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत

नहीं है। इस हद तक मसलहत बीनी तो सही है, लेकिन यह नहीं कि झूठ बोला जाये, माज़ अल्लाह!

“और अल्लाह तुम्हें डराता है अपने आप से।”

وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ

अल्लाह से डरो। यानि किसी और से ख्वाह मा ख्वाह डर कर सिर्फ़ खातिर मदारात कर लेना भी सही नहीं है। किसी वक़्त मसलहत का तक्राज़ा हो तो ऐसा कर लो, लेकिन तुम्हारे दिल में खौफ़ सिर्फ़ अल्लाह का रहना चाहिये।

“और अल्लाह ही की तरफ़ (तुम्हें) लौट कर जाना है।”

وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ⑩

आयत 29

“कह दीजिये (ऐ नबी ﷺ!) कि अगर तुम छुपाओ जो कुछ कि तुम्हारे सीनों में है या उसे ज़ाहिर कर दो अल्लाह उसे जानता है।”

قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ
يَعْلَمَهُ اللَّهُ

तुम अपने सीनों में मख़फ़ी बातें एक-दूसरे से तो छुपा सकते हो, अल्लाह तआला से नहीं। सूरतुल बकररह (आयत 284) में हम पढ़ चुके हैं: { وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ } “और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है ख्वाह तुम उसे ज़ाहिर करो ख्वाह छुपाओ अल्लाह तुमसे उसका मुहासबा कर लेगा।”

“और वह जानता है जो कुछ कि आसमानों में है और जो ज़मीन में है।”

وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

“और अल्लाह तआला हर चीज़ पर क़ादिर है।”

وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑪

आयत 30

“(उस दिन का तसव्वुर करो) जिस दिन हर जान अपने सामने मौजूद पायेगी हर नेकी जो उसने की होगी”

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ
مُحْضَرًا ⑫

सहाबी رضی اللہ عنہ نے फिर सारी उम्र अपने कुरते के बटन नहीं लगाये। हालाँकि हुज़ूर ﷺ ने तो उन्हें इसका हुक्म नहीं दिया था। यह सहाबी رضی اللہ عنہ कहीं दूर-दराज़ से आये होंगे और एक ही मरतबा खिदमते अक्रदस में हाज़िर हुए होंगे, लेकिन उन्होंने उस वक़्त मुहम्मदुन रसूल अल्लाह ﷺ को जिस शान में देखा उसको फिर अपने ऊपर लाज़िम कर लिया।

इत्तेबाअ के ज़िमन में यह बात भी लायक़ तवज्जो है कि अगरचे दीन के कुछ तक्राज़े ऐसे हैं कि उन्हें जिस दर्जे में मुहम्मदुन रसूल अल्लाह ﷺ ने पूरा फ़रमाया उस दर्जे में पूरा करना किसी इन्सान के बस में नहीं है, फिर भी इसकी कोशिश करते रहना इत्तेबाअ का तक्राज़ा है। मसलन रसूल अल्लाह ﷺ ने कोई मकान नहीं बनाया, कोई जायदाद नहीं बनाई, जैसे ही वही का आगाज़ हुआ, उसके बाद आप ﷺ ने कोई दुनयवी काम नहीं किया, कोई तिजारत नहीं की। आप ﷺ ने अपने वक़्त का एक-एक लम्हा और अपनी तवानाई की एक-एक रमक़ अल्लाह के दीन की दावत और उसकी अक्रामत में लगा दी। सबके लिये तो इस मक़ाम तक पहुँचना यक़ीनन मुश्किल है, लेकिन बहरहाल बंदा-ए-मोमिन का आईडियल यह रहे और वह इसी की तरफ़ चलने की कोशिश करता रहे, अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त और ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल फ़ारिग़ करे और इस काम के अन्दर लगाये तो “इत्तेबाअ” का कम से कम तक्राज़ा पूरा होगा। अलबत्ता जहाँ तक “इताअत” का ताल्लुक़ है उसमें कोताही क़ाबिले कुबूल नहीं। जहाँ हुक्म दे दिया गया कि यह हलाल है, यह हराम है, यह फ़र्ज़ है, यह वाजिब है, वहाँ हुक्म अदूली (उल्लंघन) की गुंजाइश नहीं। अगर इताअत ही से इन्कार है तो इसे कुरान कुफ़र करार दे रहा है।

इत्तेबाअ का मामला यह है कि नबी ﷺ का इत्तेबाअ करने वाला अल्लाह का महबूब बन जाता है। यहाँ इरशाद फ़रमाया कि ऐ नबी ﷺ! अहले ईमान से कह दीजिये कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरा इत्तेबाअ करो, मेरी पैरवी करो। देखो, मेरे शबो रोज़ क्या हैं? मेरी तवानईयाँ किन कामों पर लग रही हैं? दुनिया के अन्दर मेरी दिलचस्पियाँ क्या हैं? इन मामलात में तुम मेरी पैरवी करो। इसके नतीजे में तुम अल्लाह तआला के “मुहिब्ब” से बढ़ कर “महबूब” बन जाओगे और अल्लाह तुम्हारे गुनाह बख़्श देगा। वह यक़ीनन ग़फ़ूर और रहीम है। बाक़ी इताअत तो अल्लाह और उसके रसूल ﷺ की हर सूरत करनी है। अगर यह इस इताअत

करते हो तो मेरी पैरवी करो, मेरा इत्तेबाअ करो! उसका नतीजा यह निकलेगा कि:

“अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा”

يُحِبُّكُمْ اللَّهُ

“और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा।”

وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

“और अल्लाह बख्शने वाला, रहम फ़रमाने वाला है।”

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ①

आयत 32

“कह दीजिये इताअत करो अल्लाह की और रसूल صلی اللہ علیہ وسلم की।”

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ

“फिर अगर वह पीठ मोड़ लें तो (याद रखें कि) अल्लाह को ऐसे काफ़िर पसंद नहीं हैं।”

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ②

यह दो आयतें इस ऐतबार से बहुत अहम हैं कि इनमें रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم के लिये दो अल्फ़ाज़ आये हैं “इताअत” और “इत्तेबाअ”। इताअत अगर नहीं है तो यह कुफ़्र है। चुनाँचे इताअत तो लाज़िम है और वह भी दिली आमदगी से, मारे-बांधे की इताअत नहीं। लेकिन इताअत किस चीज़ में होती है? जो हुक्म दिया गया है कि यह करो वह आपको करना है। इत्तेबाअ इससे बुलन्दतर शय है। इन्सान खुद तलाश करे कि आँहुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم के आमाल क्या थे और उन पर अमल पैरा हो जाये, ख्वाह आप صلی اللہ علیہ وسلم ने उनका हुक्म ना दिया हो। गोया इत्तेबाअ का दायरा इताअत से वसीतर है। इन्सान को जिस किसी से मोहब्बत होती है वह उससे हर तरह से एक मुनास्बत पैदा करना चाहता है। चुनाँचे वह उसके लिबास जैसा लिबास पहनना पसंद करता है, जो चीज़ें उसको खाने में पसंद है वही चीज़ें खुद भी खाना पसंद करता है। यह ऐसी चीज़ें हैं जिनका हुक्म नहीं दिया गया लेकिन इनका इल्तेज़ाम (प्रावधान) पसन्दीदा है। एक सहाबी رضی اللہ عنہ का वाक़िया आता है कि वह एक मरतबा रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم की ख़िदमत में हाज़िर हुए तो उन्होंने देखा कि आप صلی اللہ علیہ وسلم के कुरते के बटन नहीं लगे हुए थे और आप صلی اللہ علیہ وسلم का गिरेबान खुला था। उसके बाद उन

गया है कि यह जो तुमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मअबूद बना लिया है और तस्लीस (Trinity) का अक्रीदा गढ़ लिया है यह सब बातिल है। ईसाईयों के यहाँ दो तरह की तस्लीस राइज रही है: 1) खुदा, मरयम और ईसा अलैहिस्सलाम और 2) खुदा, रूहुल कुदुस और ईसा अलैहिस्सलाम। यहाँ पर वाज़ेह कर दिया गया कि यह जो तस्लीसों तुमने ईजाद कर ली हैं इनकी कोई बुनियाद नहीं है, यह तुम्हारी कज रवी है। तुमने गलत शक़ल इख़्तियार की है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बहुत बुरगज़ीदा पैगम्बर थे। हाँ उनकी विलादत मौज्ज़ाना तरीक़े पर हुई है। लेकिन उनसे मुत्तसालन क़ब्ल हज़रत याहया अलैहिस्सलाम की विलादत भी तो मौज्ज़ाना हुई थी। वह भी कोई कम मौज्ज़ा नहीं है। और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की विलादत भी तो बहुत बड़ा मौज्ज़ा है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उनसे नस्ले इंसानी का आगाज़ हुआ। चुनाँचे अगर किसी की मौज्ज़ाना विलादत अलुहियत (divinity) की दलील है तो क्या हज़रत आदम अलै० और हज़रत याहया अलै० भी इलाह हैं? तो यह सारी बहस इसी मौजू पर हो रही है।

आयत 33

“यक्रीनन अल्लाह ने चुन लिया आदम अलै० को, नूह अलै० को, आले इब्राहीम अलै० को और आले इमरान को तमाम जहाँ वालों पर।”

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٣٣﴾

इस्तफ़ाअ के मायने मुन्तख़ब करने या चुन लेने (selection) के हैं। ज़ेरे मुताअला आयत से मुतबादर (ज़ाहिर) होता है कि हज़रत आदम अलै० का भी “इस्तफ़ाअ” हुआ है। इसमें उन लोगों के लिये एक दलील मौजूद है जो तख़लीक़े आदम के ज़िमन में यह नज़रिया रखते हैं कि पहले एक नौ (species) वजूद में आयी थी और अल्लाह ने उस नौ के एक फ़र्द को चुन कर उसमें अपनी रूह फूँकी तो वह आदम अलै० बन गये। चुनाँचे वह भी चुनिन्दा (selected) थे। इस्तफ़ाअ के एक आम मायने भी होते हैं, यानि पसंद कर लेना। इन मायनों में आयत का मफ़हूम यह होगा कि अल्लाह तआला ने आदम अलै० को और नूह अलै० को और इब्राहीम अलै० के खानदान को और इमरान के खानदान को तमाम जहान वालों पर तरज़ीह देकर पसंद कर

से भी मुँह मोड़ें तो अल्लाह तआला को ऐसे काफ़िर पसंद नहीं हैं। क्योंकि इताअते रसूल ﷺ का इन्कार तो कुफ़्र हो गया। यहाँ सूरह आले इमरान के निस्फ़े अब्वल का सुलुसे अब्वल मुकम्मल हो गया। मैंने अर्ज़ किया था कि इस सूरह मुबारका की पहली 32 आयात तम्हीदी और उमूमी नौइयत की हैं। इनमें दीन के बड़े गहरे उसूल बयान हुए हैं, निहायत जामेअ दुआएँ तलक़ीन की गई हैं और मोहकमात और मुतशाबेहात का फ़र्क़ वाज़ेह किया गया है।

आयात 33 से 41 तक

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٣٣﴾ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَدَرْتُ لَكَ مَا فِى بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٣٦﴾ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ مَرْيَمُ أَنَّىٰ لِكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الْمِحْرَابِ إِنَّ اللَّهَ يَبْتَخِثُكَ بِبَيْحِبِي مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٣٩﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي يَكُونُ لِي مِنْ غُلْمٍ وَقَدْ بَلَغَتِ الْكِبَرَ وَأَمْرَاتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿٤٠﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْرًا ۖ وَادُّكُرُ رَبَّكَ كَثِيرًا ۖ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ﴿٤١﴾

सूरह आले इमरान के निस्फ़े अब्वल का दूसरा हिस्सा 31 आयात पर मुशतमिल है। इस हिस्से में ख़िताब बराहे रास्त नसारा से है और उन्हें बताया

हुए।” यानि हमारी तरफ़ से इस पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी और इसे हम तेरे लिये खालिस कर देंगे।

“पस तू इसको मेरी तरफ़ से कुबूल फ़रमा!”

فَتَقَبَّلَ مِنِّيْ

ऐ अल्लाह तू मेरी इस नज़र को शर्फ़े कुबूल अता फ़रमा।

“यक्रीनन तू सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है।”

إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٦﴾

आयत 36

“तो जब उसे वज़अ हमल हुआ तो उसने कहा
ऐ मेरे रब! यह तो मैं एक लड़की जन गयी
हूँ।”

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّي وَضَعْتُهَا اُنْثٰى

यानि मेरे यहाँ तो बेटी पैदा हो गयी है। मैं तो सोच रही थी कि बेटा पैदा होगा तो मैं उसको वक्रफ़ कर दूँगी। उस वक़्त तक हैकल के खादिमों में किसी लड़की को कुबूल नहीं किया जाता था।

“और अल्लाह बेहतर जानता था कि उसने
क्या जना है।”

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ

उसे क्या पता था कि उसने कैसी बेटी जनी है!

“और नहीं होगा कोई बेटा इस बेटी जैसा!”

وَلَيْسَ الذَّكَوٰةُ كَالاُنْثٰى

इस जुम्ले के दोनों मायने किये गये। अब्वलन: अगर यह क़ौल माना जाये हज़रत मरयम अलै० की वालिदा का तो तर्जुमा यूँ होगा: “और लड़का, लड़की की मानिंद तो नहीं होता।” अगर लड़का होता तो मैं उसे खिदमत के लिये वक्रफ़ कर देती, यह तो लड़की हो गयी है। सानियन: “अगर इस क़ौल को अल्लाह की तरफ़ से माना जाये तो मफ़हूम यह होगा कि कोई बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता जैसी बेटी तूने जन्म दी है। और अब मरयम अलै० की वालिदा का कलाम शुरू हुआ:

“और मैंने इसका नाम मरयम रखा है”

وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ

लिया। तारीख बनी इसराइल में “इमरान” दो अज़ीम दो शख्सियतों के नाम हैं। हज़रत मूसा अलै० के वालिद का नाम भी इमरान था और हज़रत मरयम अलै० के वालिद यानि हज़रत ईसा अलै० के नाना का नाम भी इमरान था। यहाँ पर गालिबन हज़रत मूसा अलै० के वालिद मुराद हैं। लेकिन आगे चूँकि हज़रत मरयम अलै० और ईसा अलै० का तज़क़िरा आ रहा है, लिहाज़ा ऐन मुमकिन है कि यहाँ पर हज़रत मरयम अलै० के वालिद की तरफ़ इशारा हो।

आयत 34

“यह एक-दूसरे की औलाद से हैं।”

دُرِّيَّةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ

हज़रत नूह अलै० हज़रत आदम अलै० की औलाद से हैं, हज़रत इब्राहीम अलै० हज़रत नूह अलै० की औलाद से हैं, और फिर हज़रत इब्राहीम अलै० का पूरा खानदान बनी इस्माइल, बनी इसराइल और आले इमरान उनकी औलाद में से हैं।

“और अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला है।”

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾

आयत 35

“जब कहा इमरान की बीवी ने कि ऐ मेरे रब! जो बच्चा मेरे पेट में है इसको मैं तेरी ही नज़र करती हूँ, हर ज़िम्मेदारी से छुड़ा कर”

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَدَرْتُ لَكَ

مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا

इमरान की बीवी यानि हज़रत मरयम अलै० की वालिदा बहुत ही नेक, मुत्तक़ी और ज़ाहिदा थीं। जब उनको हमल हुआ तो उन्होंने अल्लाह तआला के हुज़ूर यह अर्ज़ किया कि परवरदिगार! जो बच्चा मेरे पेट में है, जिसे तू पैदा फ़रमा रहा है, इसे मैं तेरी ही नज़र करती हूँ। हम इस पर दुनयवी ज़िम्मेदारियों का कोई बोझ नहीं डालेंगे और इसको खालिसतन हैकल की खिदमत के लिये, दीन की खिदमत के लिये, तौरात की खिदमत के लिये वक्फ़ कर देंगे। हम अपना भी कोई बोझ इस पर नहीं डालेंगे। उन्हें यह तवक्क़ो थी कि अल्लाह तआला बेटा अता फ़रमायेगा। ۱۵۱ के मायने हैं “इसे आज़ाद करते

खाना नहीं, बल्कि इल्म व हिकमत है कि जब हज़रत ज़करिया अलै० उनसे बात करते थे तो हैरान रह जाते थे कि इस लड़की को इस क़दर हिकमत और इतनी मार्फ़त कहाँ से हासिल हो गयी है?

“वह पूछते ऐ मरयम अलै०! तुम्हें यह चीज़ें कहाँ से मिलती हैं?”

قَالَ يَمْزِيْمُ اَنْى لِكَ هٰذَا

यह अन्वा व अक़साम के खाने और बेमौसमी फ़ल तुम्हारे पास कहाँ से आ जाते हैं? या यह इल्म व हिकमत और मार्फ़त की बातें तुम्हें कहाँ से मालूम होती हैं?

“वह कहती थीं कि यह सब अल्लाह की तरफ़ से है।”

قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ

यह सब उसका फ़ज़ल और और उसका करम है।

“यक़ीनन अल्लाह तआला जिसको चाहता है बेहिसाब अता करता है।”

اِنَّ اللّٰهَ يَزُوْدُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

आयत 38

“(हज़रत ज़करिया अलै० को यह मुशाहिदा हुआ तो उन्होंने) उसी वक़्त अपने परवरदिगार से एक दुआ की।

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ

“उन्होंने कहा: ऐ मेरे रब! तू मुझे भी अपनी जनाब से कोई पाकीज़ा औलाद अता फ़रमा दे।”

قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً

हज़रत ज़करिया अलै० बहुत बूढ़े हो चुके थे, उनकी अहलिया भी बहुत बूढ़ी हो चुकी थीं और सारी उम्र बाँझ रही थी और उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी। यह मज़ामीन सूरह मरयम में ज़्यादा तफ़सील के साथ बयान हुए हैं। मक्की दौर में जबकि मुस्लमान हिजरते हब्शा के लिये गये थे, तो वहाँ जाकर नाज्जाशी के दरबार में हज़रत जाफ़र رضى الله عن बिन अबी तालिब ने सूरह मरयम की आयात पढ़ कर सुनाई थीं। इस मुनास्बत से यह मज़ामीन सूरह मरयम में भी मिलते हैं। हज़रत ज़करिया अलै० सारी उम्र बेऔलाद रहे थे,

“और (ऐ परवरदिगार!) मैं इसको और इसकी औलाद को तेरी पनाह में देती हूँ शैताने मरदूद (के हमलों) से।”

وَإِنِّي أَعِذُّهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٥١﴾

ऐ अल्लाह! तू इस लड़की (मरयम अलै०) को भी और इसकी आने वाली औलाद को भी शैतान के शर से अपनी हिफ़ाज़त में रखियो!

आयत 37

“तो कुबूल फ़रमा लिया उसको (यानि हज़रत मरयम अलै० को) उसके रब ने बड़ी ही उम्दगी के साथ”

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ ﴿٣٧﴾

शर्फ़े कुबूल अता फ़रमाया बड़े ही ख़ूबसूरत अंदाज़ में।

“और उसको परवान चढ़ाया बहुत आला तरीक़े पर”

وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ﴿٣٨﴾

“और उसको ज़करिया अलै० की कफ़ालत में दे दिया।”

وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ﴿٣٩﴾

हज़रत ज़करिया अलै० उनके सरपरस्त मुक़रर हुए और उन्होंने हज़रत मरयम अलै० की कफ़ालत व तरबियत की ज़िम्मेदारी उठाई। वह हज़रत मरयम अलै० के खालू थे। आप अलै० वक़्त के नबी थे और इस्राइली इस्तलाह में हैकले सुलेमानी के काहिने आज़म (Chief Priest) भी थे।

“जब कभी भी ज़करिया अलै० उनके पास जाते थे मेहराब में”

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ﴿٤٠﴾

“तो उनके पास रिज़क़ पाते।”

وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ﴿٤١﴾

“मेहराब” से मुराद वह गोशा या हुजरा है जो हज़रत मरयम अलै० के लिये मख़सूस कर दिया गया था। हज़रत ज़करिया अलै० उनकी देख-भाल के लिये अक्सर उनके हुजरे में जाते थे। आप अलै० जब भी हुजरे में जाते तो देखते कि हज़रत मरयम अलै० के पास खाने-पीने की चीज़ें और बग़ैर मौसम के फ़ल मौजूद होते। बाज़ लोगों की राय यह भी है कि यहाँ रिज़क़ से मुराद मादी

अभी खुद दुआ कर रहे थे, लेकिन अल्लाह की तरफ से बेटे की बशारत मिलने पर गालिबन उसकी तौसीक और re-assurance चाह रहे हैं कि मेरे यहाँ कैसे बेटा हो जायेगा?

“जबकि मैं इन्तहाई बूढा हो चुका हूँ”

وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ

“और मेरी बीवी बाँझ रही है।”

وَأَمْرَاتِي عَاقِرٌ

“(अल्लाह ने) फ़रमाया: इसी तरह अल्लाह जो चाहता है करता है।”

قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۝

उसे असबाब की अहतियाज नहीं है। असबाब उसके मोहताज हैं, अल्लाह असबाब का मोहताज नहीं है।

आयत 41

“उन्होंने अज़्र किया: परवरदिगार! मेरे (इत्मिनान के) लिये कोई निशानी मुकर्रर कर दे।”

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً

मुझे मालूम हो जाये कि वाक़ई ऐसा होना है और यह कलाम जो मैं सुन रहा हूँ वाक़िअतन तेरी तरफ़ से है।

“(अल्लाह ने) फ़रमाया: तुम्हारे लिये निशानी यह है कि अब तुम तीन दिन तक लोगों से गुफ्तगू नहीं कर सकोगे सिवाये इशारे-किनारे के।”

قَالَ آيَتُكَ إِلَّا تَكَلَّمَ النَّاسُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمَزًا

यानि उनकी कुव्वते गोयाई सलब (बोलने की क्षमता बन्द) हो गयी और अब वह तीन दिन किसी से बात नहीं कर सकते थे।

“और (अपने दिल में) अपने रब को कसरत से याद करते रहो”

وَادْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا

“और तस्वीह किया करो शाम के वक़्त भी और सुबह के वक़्त भी।”

وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ۝

लेकिन हज़रत मरयम अलै० के पास अल्लाह तआला की कुदरत का मुशाहिदा करने के बाद औलाद की जो ख्वाहिश उनके अन्दर दबी हुई थी वह चिंगारी दफ़्तन भड़क उठी। उन्होंने अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह! तू इस बच्ची को यह सब कुछ दे सकता है तो अपनी कुदरत से मुझे भी पाकीज़ा औलाद अता फ़रमा दे!

“यक़ीनन तू दुआ का सुनने वाला है।”

إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ①

आयत 39

“तो फ़रिश्तों ने उन्हें निदा (आवाज़) दी जबकि वह अपने हुजरे में खड़े हुए नमाज़ पढ़ रहे थे”

فَتَادَّتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمَحْرَابِ

“कि अल्लाह तआला तुम्हें बशारत देता है याहया अलै० की”

أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بَيْحَى

“जो तस्दीक करेगा अल्लाह की तरफ़ से एक कलिमे की”

مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ

इससे मुराद हज़रत ईसा अलै० हैं, जिनके लिये आयत 44 में “بِكَلِمَةٍ مِنْهُ” का लफ़्ज़ आ रहा है।

“और सरदार होगा और तजरूद (अविवाहित) की जिन्दगी गुज़ारेगा और नबी होगा सालेहीन में से।”

وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ②

यहाँ नोट कर लीजिये कि आखरी लफ़्ज़ जो हज़रत याहया अलै० की मदह के लिये आया है वह “नबी” है।

आयत 40

“(ज़करिया अलै० ने) कहा: परवरदिगार! मेरे यहाँ लड़का कैसे हो जायेगा?”

قَالَ رَبِّ اَنْتِىْ يَكُوْنُ لِىْ غُلْمٌ

तरह इससे ज़रा बढ़ कर एक मौज्जा हज़रते मसीह अलै० की पैदाइश है कि उन्हें बगैर बाप के पैदा फ़रमा दिया। अब इसका ज़िक्र आ रहा है।

आयत 42

“और याद करो जबकि कहा फ़रिश्तों ने ऐ मरयम अलै०”

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَا مَرْيَمُ

“यक्रीनन अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है और तुम्हें खूब पाक कर दिया है और तुम्हें तमाम जहान की ख्वातीन पर तरजीह दी है।”

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ﴿٤٢﴾

आयत 43

“ऐ मरयम अलै०! अपने रब की फ़रमा-बरदारी करती रहो”

يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ

“और सज्दा करती रहो और रूकूअ करती रहो रूकूअ करने वालों के साथ।”

وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

यानि नमाज़े बा-जमाअत के अन्दर शरीक हो जाया करो।

आयत 44

“यह ग़ैब की ख़बरों में से है जो (ऐ मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم) हम आपको वही कर रहे हैं।”

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ

“और आप तो उनके पास मौजूद नहीं थे जबकि वह अपने क़लम फेंक रहे थे (यह तय करने के लिये) कि उनमें से कौन मरयम का कफ़ील होगा।”

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُونَ أَفَلَا مَعَهُمْ آيَاتُهُمْ يَكْفُلْ مَرْيَمَ

जब हज़रत मरयम अलै० को उनकी वालिदा ने हैकल की ख़िदमत के लिये वक़फ़ किया तो हैकल के काहिनों में से हर एक यह चाहता था कि यह बच्ची मेरी तहवील में हो, इसकी तरबियत और परवरिश की सआदत मुझे हासिल

आयात 42 से 54 तक

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَمْرُؤُا إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ﴿٤٢﴾
 يَمْرُؤُا أَقْبَتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ
 نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ
 لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٤﴾ إِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَمْرُؤُا إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ
 الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٥﴾ وَيُكَلِّمُ
 النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٤٦﴾ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ
 يَمَسْسَنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ
 فَيَكُونُ ﴿٤٧﴾ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿٤٨﴾ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي
 إِسْرَائِيلَ إِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ إِنِّي أَخْلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ
 فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ
 اللَّهِ وَأَنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنْتُمْ
 مُؤْمِنِينَ ﴿٤٩﴾ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْ مِنَ التَّوْرَةِ وَإِلَّا جَلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ
 عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَإِنِ اللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ
 فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٥٠﴾ فَلَمَّا أَحْسَسَ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ
 أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ
 ﴿٥١﴾ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٢﴾ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ
 اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴿٥٣﴾

हज़रत ज़करिया और हज़रत याहया अलैहिस्सलाम का क्रिस्ता बयान हो गया कि अल्लाह तआला ने हज़रत ज़करिया अलै० को शदीद ज़ईफी की उम्र में एक बाँझ और बूढ़ी औरत से हज़रत याहया अलै० जैसा बेटा दे दिया। तो क्या यह आम क़ानून के मुताबिक है? ज़ाहिर है यह भी तो मौज्जा था। इसी

इशारा क्यों किया गया? इसलिये ताकि हमें मालूम हो जाये की हज़रत मसीह अलै० पर मौत अभी वारिद नहीं हुई, बल्कि वह वापस आयेंगे, दुनिया में दोबारा उतरेंगे, फिर उनकी कहलत की उम्र भी होगी। वह शादी भी करेंगे, उनकी औलाद भी होगी और उनके ज़रिये से अल्लाह तआला निज़ामे ख़िलाफ़त अला मिन्हाजन्नबुवा को पूरी दुनिया में क़ायम करेगा।

“और वह हमारे नेकोकार बन्दों में से होगा।”

وَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٥٦﴾

आयत 47

“(हज़रत मरयम अलै० ने यह बात सुनी तो तअज़ुब से) बोली: ऐ अल्लाह! मेरे औलाद कैसे हो जायेगी जबकि मुझे तो किसी मर्द ने हाथ तक नहीं लगाया!”

قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ يَكُوْنُ لِيْ وَلَدٌ وَّلَا لَمْ يَمَسِّنِيْ
بَشْرٌ

“फ़रमाया: इसी तरह अल्लाह तआला तख़लीक़ फ़रमाता है जो कुछ चाहता है।”

قَالَ كَذٰلِكَ اَللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ

वह अपने बनाये हुए क़वानीने फ़ितरत का पाबन्द नहीं है। अगरचे आम विलादत इसी तरह होती है कि उसमें बाप का भी हिस्सा होता है और माँ का भी, लेकिन अल्लाह तआला इन असबाब और वसाइल व ज़राये का मोहताज नहीं है, वह जैसे चाहे पैदा करता है।

“वह तो जब किसी अम्र का फ़ैसला कर लेता है तो उससे कहता है हो जा तो वह हो जाता है।”

اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِمَّا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٥٧﴾

आयत 48

“और अल्लाह तआला उसको सिखायेगा किताब और हिकमत भी और तौरात और इन्जील भी।”

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰةَ
وَالْاِنْجِيْلَ ﴿٥٨﴾

हो जाये जिसे अल्लाह के नाम पर वक्रफ़ कर दिया गया है। चुनाँचे इसके लिये वह अपने क़लम फेंक कर किसी तरह कुरा अंदाज़ी कर रहे थे। इसमें अल्लाह ने हज़रत ज़करिया अलै० का नाम निकाल दिया। यहाँ अस्नाये कलाम में नबी अकरम صلی اللہ علیہ وسلم को मुख़ातिब करके फ़रमाया जा रहा है कि आप صلی اللہ علیہ وسلم तो उस वक़्त वहाँ नहीं थे जब वह कुरा अंदाज़ी से यह मामला तय कर रहे थे।

“और ना आप उस वक़्त उनके पास मौजूद थे जबकि वह आपस में झगड़ रहे थे।”

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿۳۹﴾

आयत 45

“याद करो जबकि फ़रिश्तों ने कहा ऐ मरयम अलै०! यक़ीनन अल्लाह तआला तुम्हें बशारत दे रहा है अपनी तरफ़ से एक कलिमे की”

إِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ
بِكَلِمَةٍ مِنْهُ ۗ

तुम्हें अल्लाह तआला एक ऐसी हस्ती की विलादत की खुशखबरी दे रहा है जो उसकी जानिब से एक ख़ास कलिमा होगा।

“उसका नाम होगा अल-मसीह, ईसा, मरयम का बेटा”

اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ

“मरतबे वाला होगा दुनिया में भी और आख़िरत में भी और अल्लाह के बहुत ही मुक़र्रबीन बारगाह में से होगा।”

وَجِيئًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿۴۰﴾

आयत 46

“और वह लोगों से गुफ्तगू करेगा गोद में भी और पूरी उम्र का होकर भी”

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا

कहलत चालीस बरस के बाद आती है और हज़रत मसीह अलै० का रफ़ा-ए-समावी 33 बरस की उम्र में हो गया था। गोया इस आयत का तक्राज़ा अभी पूरा नहीं हुआ है। और इससे अंदाज़ा कर लीजिये कि यह बात कहने की ज़रूरत क्या थी? पूरी उम्र को पहुँच कर तो सभी बोलते हैं, यहाँ इसका

मुख्तसर, उनकी विलादत हुई, वह पले-बढ़े, यह सारी तारीख बीच में से हज़रत करके नक्शा खींचा जा रहा है कि अब हज़रत मसीह अलै० ने अपनी दावत का आगाज़ कर दिया। आप अलै० ने बनी इसराइल से कहा कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ़ से निशानी लेकर आया हूँ।

“कि मैं तुम्हारे लिये मिट्टी से परिन्दे की मानिंद सूरत बनाता हूँ”

إِنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ

“फिर मैं उसमें फूँक मरता हूँ तो वह बन जाता है उड़ता हुआ परिन्दा अल्लाह के हुक्म से।”

فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ

यहाँ आप नोट करते जाइये कि हर मौज्जे के बाद ”يَأْذِنُ اللَّهُ“ फ़रमाया। यानि यह मेरा कोई दावा नहीं है, मेरा कोई कमाल नहीं है। यह जो कुछ है वह अल्लाह के हुक्म से है।

“और मैं शिफ़ा दे देता हूँ मादरज़ाद अंधे को भी और कोढ़ी को भी, और मैं मुर्दे को ज़िन्दा कर देता हूँ अल्लाह के हुक्म से।”

وَأُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ

“और मैं तुम्हें बता सकता हूँ जो कुछ तुम खाते हो और जो कुछ तुम अपने घरों में ज़खीरा करके रखते हो।”

وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ

“यक्रीनन उन तमाम चीज़ों में तुम्हारे लिये निशानी है अगर तुम ईमान लाने वाले हो।”

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٥٠﴾

हज़रत मसीह अलै० ने अपनी रिसालत की सदाक़त और दलील के तौर पर यह तमाम मौज्जात पेश फ़रमाये।

आयत 50

“और मैं तस्दीक़ करते हुए आया हूँ उसकी जो मेरे सामने मौजूद है तौरात में से”

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيِّ مِنَ التَّوْرَةِ

यहाँ पर चार चीज़ों का ज़िक्र आया है जिनकी अल्लाह तआला ने हज़रत मसीह अलै० को तालीम दी: किताब और हिकमत और तौरात और इन्जीला। इन चार चीज़ों के माबैन जो तीन “, ” आये हैं उनमें से दो वावे अतफ़ हैं, जबकि दरमियानी “, ” वावे तफ़सीर है। इस तरह आयत का मफ़हूम यह होगा कि “अल्लाह आपको सिखायेगा किताब और हिकमत यानि तौरात और इन्जीला” इसलिये कि तौरात में सिर्फ़ अहकाम थे, हिकमत नहीं थी और इन्जील में सिर्फ़ हिकमत है, अहकाम नहीं हैं। यही वह नुक्ता है जिसको समझ लेने से यह गुल्थी हल होती है और इसे समझे बगैर लोगों के ज़हनों में उलझनें रहती हैं।

आयत 49

“और उसको रसूल बना कर भेजेगा बनी इसराइल की तरफ़”

وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ

अब यह जो दो ब-यक वक़्त आने वाली (contemporary) इस्तलाहात हैं इनको नोट कर लीजिये। हज़रत याहया अलै० के बारे में तमाम तौसीफ़ी कलिमात के बाद आखरी बात यह फ़रमायी: {وَنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ} (आयत:39) “नबी होंगे सालिहीन में से।” जबकि हज़रत ईसा अलै० के बारे में फ़रमाया: {وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ} यानि बनी इसराइल की तरफ़ रसूल बन कर आयेंगे। नबी और रसूल में यह फ़र्क़ नोट कर लीजिये कि हज़रत याहया अलै० सिर्फ़ नबी थे इसलिये वह क़त्ल भी कर दिये गये, जबकि हज़रत ईसा अलै० रसूल थे और रसूल क़त्ल नहीं हो सकते, इसलिये उन्हें ज़िन्दा आसमान पर उठा लिया गया। यह बहुत अहम मज़मून है। मुताअला कुराने हकीम के दौरान इसके और भी हवाले आयेंगे।

“(चुनाँचे हज़रत मसीह अलै० बनी इसराइल को दावत दी) कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ़ से निशानी लेकर आया हूँ”

إِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ

अभी तक गुफ्तगू हो रही थी कि हज़रत मरयम अलै० को अल्लाह तआला की तरफ़ से यह सारी खुशखबरियाँ दी गयीं। अब यूँ समझिये कि किस्सा

“तो उन्होंने पुकार लगायी कि कौन है मेरा मददगार अल्लाह की राह में?”

قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ

यहाँ फिर दरमियानी अरसे का ज़िक्र छोड़ दिया गया है। बनी इसराइल को दावत देते हुए हज़रत मसीह अलै० को कई साल बीत चुके थे। इस दावत से जब उलमा-ए-यहूद की मसनदों को खतरा लाहक़ हो गया और उनकी चौधराहटें खतरे में पड़ गयीं तो उन्होंने हज़रत मसीह अलै० की शदीद मुखालफ़त की। उस वक़्त तक यहूदियों पर उनके उलमा का असर व रसूख बहुत ज़्यादा था। जब आप अलै० ने उनकी तरफ़ से कुफ़्र की शिद्दत को महसूस किया कि अब यह ज़िद और मुखालफ़त पर तुल गये हैं, तो आप अलै० ने एक पुकार लगायी, एक निदा दी, एक दावते आम दी कि कौन है जो अल्लाह की राह में मेरे मददगार हैं? यानि अब जो कशाकश होने वाली है, जो तसादुम होने वाला है उसमें एक “हिज़बुल्लाह” बनेगी और एक “हिज़बुशैतान” होगी। अब कौन है जो मेरा मददगार हो अल्लाह की राह में इस जद्दो-जहद और कशाकश में? दीन का काम करने के लिये यही असल असास है। इसी बुनियाद पर कोई शख्स उठे कि मैं दीन का काम करना चाहता हूँ, कौन है कि जो मेरा साथ दे? यह जमात साज़ी का एक बिल्कुल तबई तरीक़ा होता है। एक दाई उठता है और उस दाई पर ऐतमाद करने वाले, उससे इत्तेफ़ाक़ करने वाले लोग उसके साथी बन जाते हैं। यह लोग ज़ाती ऐतबार से उसके साथी नहीं होते, उसकी हुकूमत और सरदारी क़ायम करने के लिये नहीं, बल्कि अल्लाह की हुकूमत क़ायम करने के लिये और अल्लाह तआला के दीन के गलबे के लिये उसका साथ देते हैं।

“कहा हवारियों ने कि हम हैं अल्लाह के मददगार!”

قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ

“हवारी” के असल मायने धोबी के हैं जो कपड़े को धो कर साफ़ कर देता है। यह लफ़ज़ फिर आगे बढ़ कर अपने अख़लाक़ और किरदार को साफ़ करने वालों के लिये इस्तेमाल होने लगा। हज़रत मसीह अलै० की तब्लीग़ ज़्यादातर गलैली झील के किनारों पर होती थी, जो समुन्दर की तरह बहुत बड़ी झील है। आप अलै० कभी वहाँ कपड़े धोने वाले धोबियों में तब्लीग़ करते थे और कभी मछलियाँ पकड़ने वाले मछियारों को दावत देते थे। आप अलै० उनसे फ़रमाया करते थे कि ऐ मछलियों का शिकार करने वालों! आओ मैं

“और (इसलिये आया हूँ) ताकि मैं हलाल
ठहरा दूँ तुम पर उनमें से बाज़ चीज़ें जो तुम
पर हराम कर दी गयी हैं।”

وَأَلْجَلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ

यह असल में “सब्त” के हुक्म के बारे में इशारा है। जैसे हमारे यहाँ भी बाज़ मज़हबी मिज़ाज के लोगों में बड़ी सख्ती पैदा हो जाती है और वह दीन के अहकाम में गुलू करते चले जाते हैं, इसी तरह सब्त के हुक्म में यहूदियों ने इस हद तक गुलू कर लिया था कि उस रोज़ किसी मरीज़ के लिये दुआ कि अल्लाह उसे शिफ़ा दे दे, यह भी जायज़ नहीं समझते थे। वह कहते थे कि यह भी दुनिया का काम है। चुनाँचे वह इस मामले में एक इन्तहा तक पहुँच गये थे। हज़रत मसीह अलै० ने आकर उसकी वज़ाहत की कि इस तरह की चीज़ें सब्त के तक्राज़ों में शामिल नहीं हैं।

“और मैं तुम्हारे पास लेकर आया हूँ निशानी
तुम्हारे रब की तरफ से।”

وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ

“पस अल्लाह का तक्रवा इख़्तियार करो और
मेरी इताअत करो।”

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝

आयत 51

“यक़ीनन अल्लाह ही मेरा भी रब है और
तुम्हारा भी रब है, पस उसी की बन्दगी
करो।”

إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ

“यही सीधा रास्ता है।”

هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝

यही अल्फ़ाज़ सूरह मरयम (आयत 36) में भी वारिद हुए हैं।

आयत 52

“पस जब ईसा अलै० ने उनकी तरफ़ से कुफ़्र
को भाँप लिया”

فَلَمَّا أَحْسَسَ عَيْسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ

आयत 54

“अब उन्होंने भी चालें चलीं और अल्लाह ने भी चाल चली।”

وَمَكْرُؤًا وَّمَكْرًا لِلَّهِ

यहूद के उलमा और फ़रेसी हज़रत मसीह अलै० के खिलाफ़ मुख्तलिफ़ चालें चल रहे थे कि किसी तरह यह क़ानून की गिरफ्त में आ जायें और उनका काम तमाम कर दिया जाये। उन लोगों ने आँजनाब अलै० को मुरतद और वाजिबुल क़ल्ल करार दे दिया था, लेकिन मुल्क पर सियासी इक़तदार चूँकि रूमियों का था लिहाज़ा रूमी गवर्नर की तौसीक़ (sanction) के बगैर किसी को सज़ाए मौत नहीं दी जा सकती थी। मुल्क का बादशाह अगरचे एक यहूदी था लेकिन उसकी हैसियत कठपुतली बादशाह की थी, जैसे अंग्रेज़ी हुकूमत के तहत मिस्र के शाह फ़ारूक़ होते थे। यहूद की मज़हबी अदालतें मौजूद थीं जहाँ उनके उलमा, मुफ़्ती और फ़रेसी बैठ कर फ़ैसले करते थे, और अगर वह सज़ाए मौत का फ़ैसला दे देते थे तो उस फ़ैसले की तन्फीद (execution) रूमी गवर्नर के ज़रिये होती थी। इस सूरते हाल में उलमाये यहूद के हाथ बंधे हुए थे और वह हज़रत मसीह अलै० को रूमी क़ानून की ज़द में लाने के लिये अपनी सी चालें चल रहे थे। वह आँजनाब अलै० से इस तरह के उल्टे-सीधे सवालात करते कि आप अलै० के जवाबात से यह साबित किया जा सके कि यह शख्स रूमी हुकूमत का बागी है।

यहूद की इन चालों का तोड़ करने के लिये अल्लाह ने अपनी चाल चली। अब अल्लाह की क्या चाल क्या थी? इसकी तफ़सील क़ुरान या हदीस में नहीं है, बल्कि “इन्ज़ील बरनबास” में है जो पाँप की लाइब्रेरी से बरामद हुई थी। हज़रत मसीह अलै० के हवारियों में से एक हवारी यहूदा को यहूद ने रिश्वत देकर इस बात पर राज़ी कर लिया था कि वह आप अलै० की मुखबरी करके गिरफ्तार करायें। अल्लाह तआला ने उसी गद्दार हवारी की शक़ल हज़रत मसीह अलै० की सी बदल दी और वह खुद गिरफ्तार होकर सूली चढ़ गया। हज़रत मसीह अलै० पर वह हाथ डाल ही नहीं सके। हज़रत मसीह अलै० एक बाग़ में रूपोश थे और बाग़ के अन्दर बनी हुई एक कोठरी में रात के वक़्त इबादत में मशगूल थे, जबकि आप अलै० के बारह हवारी बहार मौजूद थे। उस वक़्त वह शख्स वहाँ से चुपके से सटक लिया गया और जाकर सिपाहियों को ले आया ताकि आप अलै० को गिरफ्तार करा सके। यह रूमी सिपाही थे

तुम्हें इन्सानों का शिकार करना सिखाऊँ।” आप अलै० ने धोबियों में तब्लीग की तो उनमें से कुछ लोगों ने अपने आप को पेश कर दिया कि हम आपकी जद्दो-जहद में अल्लाह के मददगार बनने को तैयार हैं। यह आप अलै० के अब्वलीन साथी थे जो “हवारी” कहलाते थे। इस तरह हवारी का लफज़ साथी के मायने में इस्तेमाल होने लगा।

“हम ईमान लाये अल्लाह पर।”

أَمَّا بِاللَّهِ

“और आप अलै० भी गवाह रहियेगा कि हम अल्लाह के फ़रमावरदार हैं।”

وَأَشْهَدُ بِأَنَّ مُسْلِمُونَ ﴿٥٣﴾

आयत 53

“ऐ रब हमारे! हम ईमान ले आये उस पर जो तुने नाज़िल फ़रमाया”

رَبِّنَا أَمَّا بِمَا أَنْزَلْتَ

“और हम इत्तेबाअ कर रहे हैं तेरे रसूल का”

وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ

“पस तू हमारा नाम गवाहों में लिख ले।”

فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٣﴾

यही लफज़ “गवाह” अब ईसाईयों के एक ख़ास फ़िरक़े की तरफ़ (Jehova's Witnesses) से इख़्तियार किया गया है। लफज़ यहवा (Jehova) इब्रानी में खुदा के लिये आता है। यानि यह लोग अपने आप को “खुदा के गवाह” कहते हैं। सूरतुल बक्ररह की आयत 143 हम पढ़ आये हैं:

“और (ऐ मुस्लमानों!) इसी तरह तो हमने तुम्हें एक उम्मत बस्त बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाह हो और रसूल صلی اللہ علیہ وسلم तुम पर गवाह हो।”

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

तो यह लफज़ “शाहिद” (गवाह) क़दीम है और इस्लामी हिकमत और इस्लाम की मुस्तलाहात में इसकी एक हैसियत है।

الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٥٥﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٥٦﴾

आयत 55

“याद करो जब अल्लाह ने कहा ऐ ईसा अलै०
अब मैं तुम्हें ले जाने वाला हूँ और अपनी
तरफ उठा लेने वाला हूँ”

إِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعْقُوبَ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ
إِلَىٰ

लफज़ “مُتَوَفِّيكَ” को क़ादयानियों ने अपने उस गलत अक़ीदे के लिये बहुत बड़ी बुनियाद बनाया है कि हज़रत मसीह अलै० की वफ़ात हो चुकी है। लिहाज़ा इस लफज़ को अच्छी तरह समझ लीजिये। वफ़ा के मायने हैं पूरा करना। उर्दू में भी कहा जाता है वादा वफ़ा करो। इसी से बाब तफ़ैल में تَوْفِيَّةٌ में تَوْفَىٰ का मतलब है किसी को पूरा देना। जैसा कि आयत 25 में हम पढ़ आये हैं: { فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْتَهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ } “तो क्या हाल होगा जब हम उन्हें इकठ्ठा करेंगे उस दिन जिसके बारे में कोई शक नहीं! और हर जान को पूरा-पूरा बदला उसके आमाल का दे दिया जायेगा और उन पर कोई ज़्यादती नहीं होगी।” बाब तफ़ैल में تَوْفَىٰ - يَتَوَفَّىٰ में तَفَعَّل का मायना होगा किसी को पूरा-पूरा ले लेना। और यह लफज़ गोया ब-तमामो कमाल मुन्तबिक़ होता है हज़रत मसीह अलै० पर कि जिनको अल्लाह तआला उनके जिस्म और जान समेत दुनिया से ले गया। हम जब कहते हैं कि कोई शख्स वफ़ात पा गया तो यह इस्तआरतन कहते हैं। इसलिये कि उसका जिस्म तो यहीं रह गया सिर्फ़ जान गयी है। और यही लफज़ क़ुरान (अज़ जुमर:42) में नींद के लिये भी आया है: { اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَمْلُوكِهَا } “वह अल्लाह ही है जो मौत के वक़्त रूहें क़ब्ज़ कर लेता है और जो अभी नहीं मरा उसकी रूह नींद में क़ब्ज़ कर लेता है।” इसलिये कि नींद में भी इन्सान से खुदशऊरी निकल जाती है, अगरचे वह ज़िन्दा होता है। रूह का ताल्लुक़ खुदशऊरी के साथ है। फिर जब इन्सान मरता है तो रूह और जान दोनों चली जाती हैं और सिर्फ़ जिस्म रह जाता है। क़ुरान हकीम ने इन दोनों हालतों (नींद और मौत) के लिये تَوْفَىٰ का लफज़ इस्तेमाल किया है। और सबसे ज़्यादा मुकम्मल تَوْفَىٰ यह है

और क्रन्दीलें (लालटेन) लेकर आये थे। उसने सिपाहियों से कहा था कि मैं अन्दर जाऊँगा, जिस शख्स को मैं कहूँ “ऐ हमारे उस्ताद” बस उसी को पकड़ लेना, वही मसीह अलै० हैं। इसलिये कि रूमियों को क्या पता था कि मसीह अलै० कौन हैं? यह शख्स जैसे ही कोठरी के अन्दर दाखिल हुआ उसी वक़्त कोठरी की छत फटी और चार फ़रिशतें नाज़िल हुए, जो हज़रत मसीह अलै० को लेकर चले गये। अल्लाह तआला ने उस शख्स की शक़ल तब्दील कर दी और हज़रत मसीह अलै० वाली शक़ल बना दी। अब यह घबरा कर बाहर निकला तो दूसरे हवारियों ने उससे कहा “ऐ हमारे उस्ताद!” यह सुनते ही सिपाहियों ने उसे क़ाबू कर लिया और असल में यही शख्स सूली चढ़ा है, ना कि हज़रत मसीह अलै०। यह सारी तफ़ासील इन्जील बरनबास में मौजूद हैं। यह शहादत दरहक़ीक़त नसारा ही के घर से हमें मिली है और कुरान का जो बयान है उसमें यह पूरी तरह फिट बैठती है कि “उन्होंने अपनी सी चालें चलीं और अल्लाह ने अपनी चाल चली।”

“और अल्लाह तआला बेहतरीन चाल चलने वाला है।”

وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمُبْرِكِيْنَ ﴿٥٥﴾

आयात 55 से 63 तक

إِذْ قَالَ اللّٰهُ لِيَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ إِنِّي فَاعِكَ إِلَىٰ وَ مَطَهَّرِكَ مِنَ الذّٰلِيْنَ كَفَرُوْا وَ جَاعِلٌ
 الذّٰلِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الذّٰلِيْنَ كَفَرُوْا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۗ ثُمَّ إِنِّي مَرَجَعَكُمْ فَاحْكُم بَيْنَكُمْ
 بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿٥٥﴾ فَأَمَّا الذّٰلِيْنَ كَفَرُوْا فَاعْدِبْهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِي
 الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ ۗ وَ مَا لَهُمْ مِّن نّٰصِرِيْنَ ﴿٥٦﴾ وَ أَمَّا الذّٰلِيْنَ آمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
 فَيُوَفِّيهِمْ أُجُوْرَهُمْ ۗ وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٧﴾ ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيٰتِ وَ الذّٰكِرِ
 الْحَكِيْمِ ﴿٥٨﴾ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ
 فَيَكُوْنُ ﴿٥٩﴾ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُهْتَرِيْنَ ﴿٦٠﴾ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَا
 جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ آبْنَآءَنَا وَ آبْنَآءَكُمْ وَ نِسَآءَنَا وَ نِسَآءَكُمْ
 وَ أَنْفُسَنَا وَ أَنْفُسَكُمْ ۗ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لّعْنَتِ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ﴿٦١﴾ إِنَّ هٰذَا لَهُوْ

किया था, जो 70 ई० में मुन्हदिम कर दिया गया और उन्हें फ़लस्तीन से निकाल दिया गया। चुनाँचे यह मुख्तलिफ़ मुल्कों में मुन्तशिर हो गये। कोई रूस, कोई हिन्दुस्तान, कोई मिस्र और कोई यूरोप चला गया। इस तरह यह पूरी दुनिया में फ़ैल गये। यह उनका दौरे इन्तशार (Diaspora) कहलाता है। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ि० के दौर में जब ईसाईयों ने एक मुआहिदे के तहत येरुशलम मुस्लमानों के हवाले कर दिया तो हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ि० ने उसे खुला शहर (open city) करार दे दिया कि यहाँ मुस्लमान, ईसाई और यहूदी सब आ सकते हैं। इस तरह उनकी येरुशलम में आमद-ओ-रफ्त शुरू हो गयी। अलबत्ता ईसाईयों ने इस मुआहिदे में यह शर्त लिखवाई थी कि यहूदियों को यहाँ आबाद होने या जायदाद खरीदने की इजाज़त नहीं होगी। चुनाँचे हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ि० के ज़माने से ख़िलाफ़ते उस्मानिया के दौर तक इस मुआहिदे पर अमल दरामद होता रहा और यहूदियों को फ़लस्तीन में आबाद होने की इजाज़त नहीं दी गयी। यहूदियों ने उस्मानी खुलफ़ा को बड़ी से बड़ी रिश्वतों की पेशकश की, लेकिन उन्हें इसमें कामयाबी ना हुई। चुनाँचे उन्होंने साज़िशों कीं और ख़िलाफ़ते उस्मानिया का ख़ात्मा करवा दिया। इसलिये कि उन्हें यह नज़र आता था कि इस ख़िलाफ़त के होते हुए यह मुमकिन नहीं होगा कि हम किसी तरह भी फ़लस्तीन में दोबारा आबाद हो सकें। उन्होंने 1917 ई० में बरतानवी वज़ीर बालफ़ोर (Balfor) के ज़रिये “बालफ़ोर डिक्लेरेशन” मंज़ूर कराया, जिसमें उनको यह हक़ दिया गया कि वह फ़लस्तीन में आकर जायदाद भी खरीद सकते हैं और आबाद भी हो सकते हैं। इस डिक्लेरेशन की मंज़ूरी के 31 बरस बाद इसराइल की रियासत वजूद में आ गयी। यह तारीख़ ज़हन में रहनी चाहिये।

अब एक तरह से महसूस होता है कि यहूदी दुनिया भर में सियासत और इक़तदार पर छाये हुए हैं, तादाद में डेढ़ करोड़ से भी कम होने के बावजूद इस वक़्त दुनिया की मईशत का बड़ा हिस्सा उनके कंट्रोल में है। लेकिन मालूम होना चाहिये कि यह सब कुछ ईसाईयों की पुशतपनाही की वजह से है। अगर ईसाई उनकी मदद ना करें तो अरब एक दिन में उनके टुकड़े उड़ा कर रख दें। इस वक़्त पूरी अमेरिकी हुकूमत उनकी पुशत पर है, बल्कि White Anglo Saxon Protestants यानि अमेरिका और बिरतानिया तो गोया उनके ज़ेरे खरीद हैं। दूसरे ईसाई मुमालिक भी उनके इशारों पर नाचते हैं।

कि अल्लाह तआला हज़रत मसीह अलै० को उनके जिस्म, जान और रूह तीनों समेत, ज्यों का त्यों, ज़िन्दा सलामत ले गया। हज़रत मसीह अलै० के रफ़ा-ए-समावी का यह अक्रीदा मुस्लमानों का है, और जहाँ तक लफज़ "تَوْتِي" का ताल्लुक है उसमें क़तअन कोई ऐसी पेचीदा बात नहीं है जिससे कोई शख्स आप अलै० की मौत की दलील पकड़ सके, सिवाय इसके कि उन लोगों को बहकाना आसान है जिन्हें अरबी ज़बान की ग्रामर से वाक़फ़ियत नहीं है और वह एक ही वफ़ात जानते हैं, जबकि अज़रूए कुरान तीन किस्म की "वफ़ात" साबित होती है, जिसकी मैंने वज़ाहत की है। आयत ज़ेरे मुताअला के मुतज़क्किर बाला टुकड़े का तर्जुमा फिर कर लीजिये: "याद करो जब अल्लाह ने कहा कि ऐ ईसा अलै० मैं तुम्हें ले जाने वाला हूँ और तुम्हें अपनी तरफ़ उठा लेने वाला हूँ।"

"और तुम्हें पाक करने वाला हूँ उन लोगों से जिन्होंने (तुम्हारे साथ) कुफ़ किया है"

وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الذِّمَنِ كَفَرُوا

"और ग़ालिब करने वाला हूँ उन लोगों को जो तुम्हारी पैरवी करेंगे क़यामत तक उन लोगों पर जो तुम्हारा इन्कार कर रहे हैं।"

وَجَاعِلُ الذِّمَنِ اتَّبِعُوكَ فَوْقَ الذِّمَنِ كَفَرُوا
إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

यहूद जिन्होंने हज़रत मसीह अलै० का इन्कार किया था उस वक़्त से लेकर मौजूदा ज़माने तक हज़रत मसीह अलै० के पैरोकारों से मार खाते रहे हैं। हज़रत मसीह अलै० 30 या 33 ईस्वी में आसमान पर उठा लिये गये थे और उसके बाद से यहूद पर ईसाईयों के हाथों मुसलसल अज़ाब के कोड़े बरसते रहे हैं। हज़रत मसीह अलै० के रफ़ा-ए-समावी के 40 बरस बाद 70 ईस्वी में टाइटस रूमी के हाथों हैकल सुलेमानी मस्मार हुआ और येरुशलम में एक लाख बीस हज़ार या एक लाख तैंतीस हज़ार यहूदी एक दिन में क़त्ल किये गये। गोया दो हज़ार बरस होने को हैं कि उनका काबा गिरा पड़ा है। उसकी सिर्फ़ एक दीवार (दीवारे गिरया) बाक़ी है जिस पर जाकर यह रो-धो लेते हैं।

हैकल सुलेमानी अब्वलन बख़्तनसर ने छठी सदी क़ब्ल मसीह में मस्मार किया था और पूरे येरुशलम की ईट से ईट बजा दी थी। उसने लाखों यहूदी तहे तैग़ कर कर दिये थे और लाखों को क़ैदी बना कर अपने साथ बाबुल ले गया था। यह उनका असारत (captivity) का दौर कहलाता है। हज़रत उज़ैर अलै० के ज़माने में यह फ़लस्तीन वापस आये थे और "मअबूदे सानी" तामीर

आयत 59

“बेशक ईसा अलै० की मिसाल अल्लाह के नज़दीक आदम अलै० की सी है।”

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ

“उसको मिट्टी से बनाया फिर कहा हो जा तो वह हो गया।”

خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾

कुरान मजीद की यह आयत उन लोगों के हक़ में दलील है जो हज़रत आदम अलै० की खुसूसी तख़लीक़ (special creation) के कायल हैं। उनके नज़दीक हज़रत आदम अलै० का चुनाव इरतका (evolution) के नतीजे में किसी नौ (species) के वजूद में आने के बाद उसके एक फ़र्द की हैसियत से नहीं हुआ बल्कि बराबरे रास्त मिट्टी से तख़लीक़ किये गये। तख़लीके आदम अलै० के ज़िमान में यह दोनों नज़रिये मिलते हैं और दोनों के बारे में दलाइल भी मौजूद हैं। अभी यह कोई तयशुदा हक़ाइक़ नहीं हैं। हम ग़ौरो फ़िक़र कर सकते हैं कि कुरान मजीद के किस मक़ाम पर किस नज़रिये के लिये कोई ताइद या तौसीक़ मिलती है। यहाँ फ़रमाया कि “अल्लाह के नज़दीक ईसा अलै० की मिसाल ऐसे ही है जैसे आदम अलै० की। उसे मिट्टी से बनाया और कहा हो जा तो वह हो गया।” तो अब अगर आदम अलै० का मामला खुसूसी तख़लीक़ का है कि बग़ैर बाप के और बग़ैर माँ के पैदा हो गये तो क्या वह “इलाह” बन गये? उनका ख़ालिक़ तो अल्लाह है। इसी तरह हज़रत ईसा अलै० बग़ैर बाप के पैदा हुए तो खुदा कैसे बन गये? उनकी वालिदा को हमल हुआ है, नौ महीने माँ के पेट में रहे हैं, फिर उनकी पैदाइश हुई है। तो तख़लीक़ में उनका मामला ऐजाज़ के ऐतबार से हज़रत आदम अलै० से तो कम ही रहा है। और इससे कमतर मामला हज़रत याहया अलै० का है कि इन्तहाई बुढ़ापे को पहुँचे हुए हज़रत ज़करिया अलै० और उनकी अहलिया जो सारी उम्र बाँझ रहीं, अल्लाह ने उनको औलाद दे दी। तो यह सारे मौज़ज़ात हैं, अल्लाह को इख़्तियार है जो चाहे करे। इसमें किसी की अलुहियत की दलील नहीं निकलती।

आयत 60

“यह हक़ है आप ﷺ के रब की तरफ़ से, तो हरगिज़ ना हो जाना शक़ करने वालों में से।”

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُبْتَدِرِينَ ﴿٦٠﴾

बहरहाल अब भी सूरते हाल यह है कि ऊपर तो ईसाई ही हैं और यह मानवी तौर पर साज़िश अंदाज़ में नीचे से उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं।

“फिर मेरी तरफ़ ही तुम सबका लौटना होगा और मैं फ़ैसला कर दूँगा तुम्हारे माबैन उन बातों में जिनमें तुम इख्तिलाफ़ कर रहे थे।”

ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَحْكُم بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٥﴾

आयत 56

“तो वह लोग जो कुफ़ की रविश इख्तियार करेंगे मैं उन्हें अज़ाब दूँगा बहुत सख्त अज़ाब दुनिया में भी और आख़िरत में भी।”

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذِّبُهُمُ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

“और नहीं होंगे उनके लिये कोई मददगार।”

وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٥٦﴾

आयत 57

“और जो ईमान लायेंगे और नेक अमल करेंगे”

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

“तो वह उनको उनका पूरा अज़ देगा।”

فِيَوْمٍ فِيهِمْ أَجُورُهُمْ

देखिये यहाँ फिर **وَفِي يَوْمٍ** आया है। यानि पूरा-पूरा दे देना।

“और अल्लाह ज़ालिमों को पसंद नहीं करता।”

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾

आयत 58

“यह हम आपको पढ़ कर सुना रहे हैं आयाते इलाहिया और पुर हिकमत याद दिहानी में से।”

ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ﴿٥٨﴾

यहाँ भी गोया पसमंज़र में हज़रत जिब्राईल अलै० हैं जो अल्लाह की आयात और ज़िक्रे हकीम नबी अकरम صلی اللہ علیہ وسلم को पढ़ कर सुना रहे हैं।

हम सब जमा होकर अल्लाह से गिडगिड़ा कर दुआ करें और कहें कि ऐ अल्लाह! जो हममें से झूठा हो, उस पर लानत कर दे। यह मुबाहला है। और यह मुबाहला उस वक़्त होता है जबकि अहक़ाक़े हक़ हो चुके, बात पूरी वाज़ेह कर दी जाये। आपको यक़ीन हो कि मेरा मुख़ातिब बात पूरी तरह समझ गया है, सिर्फ़ ज़िद पर अड़ा हुआ है। फिर उस वक़्त यह मुबाहला आख़री शय होती है ताकि हक़ का हक़ होना ज़ाहिर हो जाये। अगर तो मुख़ालिफ़ को अपने मौक़फ़ की सदाक़त का यक़ीन है तो वह मुबाहला का चैलेंज कुबूल कर लेगा, और अगर उसके दिल में चोर है और वह जानता है कि हक़ बात तो यही है जो वाज़ेह हो चुकी है तो फिर वह मुबाहला से राहे फ़रार इख़्तियार करेगा। चुनाँचे यही हुआ। मुबाहला की दावत सुन कर वफ़द नजरान ने मोहलत माँगी कि हम मशवरा करके जवाब देंगे। मजलिसे मशावरत में उनके बड़ों ने होशमन्दी का मुज़ाहिरा करते हुए उनसे कहा: “ऐ ग़िरोह नसारा! तुम यक़ीनन दिलों में समझ चुके हो कि मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم नबी मुरसल हैं और हज़रत मसीह अलै० के मुताल्लिक़ उन्होंने साफ़-साफ़ फ़ैसलाकुन बातें कही हैं। तुमको मालूम है कि अल्लाह ने बनी इस्माइल में नबी भेजने का वादा किया था। कुछ बर्डेद नहीं यह वही नबी हों। पस एक नबी से मुबाहला व मुलाअना का नतीजा किसी क़ौम के हक़ में यही निकल सकता है कि उनका कोई छोटा-बड़ा हलाकत या अज़ाबे इलाही से ना बचे और पैगम्बर की लानत का असर नस्लों तक पहुँच कर रहे। बेहतर यही है कि हम इनसे सुलह करके अपनी बस्तियों की तरफ़ रवाना हो जायें, क्योंकि सारे अरब से लड़ाई मोल लेने की ताक़त हममें नहीं। चुनाँचे उन्होंने मुक़ाबला छोड़ कर सालाना जिज़या देना कुबूल किया और सुलह करके वापस चले गये।

आयत 62

“यक़ीनन यही बिल्कुल सही सरगुज़शत है।”

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ

“और नहीं है कोई मअबूद अल्लाह के सिवा।”

وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ

“और यक़ीनन अल्लाह तआला ही ज़बरदस्त
और कमाले हिक्मत वाला है।”

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٢﴾

यानि हज़रत मसीह अलै० के बारे में असल हकीकत यही है जो कुरान ने वाज़ेह कर दी है, बाक़ी सब नसारा की अफ़साना तराज़ी है। और यह जो फ़रमाया: {فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُنْكَرِينَ} इसमें ख़िताब बज़ाहिर रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم से है मगर रुए सुखन मुखातबीन से है।

आयत 61

“तो (ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم) जो भी इस मामले में आप صلی اللہ علیہ وسلم से हुज्जतबाज़ी करे इसके बाद कि आपके पास सही इल्म आ चुका है”

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ

आप صلی اللہ علیہ وسلم के पास तो “अल-इल्म” आ चुका है, आप صلی اللہ علیہ وسلم जो बात कह रहे हैं अला वजहल बसीरा कह रहे हैं। इस सारी वज़ाहत के बाद भी अगर नसारा आप صلی اللہ علیہ وسلم से हुज्जतबाज़ी कर रहे हैं और बहस व मुनाज़रा से किनाराकश होने को तैयार नहीं हैं तो उनको आखरी चैलेंज दे दीजिये कि यह आप صلی اللہ علیہ وسلم के साथ “मुबाहला” कर लें। नजरान से नसारा का जो 70 अफ़राद पर मुशतमिल वफ़द अबु हारसा और इब्रे अलक्रमा जैसे बड़े-बड़े पादरियों की सरकरदगी में मदीना आया था, उससे दावत व तब्लीग और तज़कीर व तफ़हीम का मामला कई दिन तक चलता रहा और फिर आखिर में रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم से कहा गया कि अगर यह इस क़दर समझाने पर भी कायल नहीं होते तो इन्हें मुबाहिले की दावत दे दीजिये।

“पस आप इनसे कह दीजिये कि आओ, हम बुलाते हैं अपने बेटों को और तुम बुलाओ अपने बेटों को”

فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ

“और हम (बुलाते हैं) अपनी औरतों को और तुम (बुलाओ) अपनी औरतों को”

وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ

“और हम भी आ जाते हैं और तुम भी आ जाओ!”

وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ

“फिर हम सब मिल कर दुआ करें और लानत करें अल्लाह की उन पर कि जो झूठे हैं।”

ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكٰذِبِينَ ﴿٦١﴾

आयत 64

“(ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم) कह दीजिये: ऐ अहले किताब! आओ एक ऐसी बात की तरफ़ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बिल्कुल बराबर है”

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ

यहाँ “अहले किताब” के सीगा-ए-खिताब में यहूद व नसारा दोनों को जमा कर लिया गया, जबकि सूरतुल बकरह में “يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا” के सीगा-ए-खिताब में ज़्यादातर गुफ्तगू यहूद से थी। यहाँ अभी तक हज़रत ईसा अलै० का तज़किरा था और गोया सिर्फ़ नस्त्रानियों से खिताब था, अब अहले किताब दोनों के दोनों मुखातिब हैं कि एक ऐसी बात की तरफ़ आओ जो हमारे और तुम्हारे माबैन यक्साँ मुशतरक और मुत्तफ़िक़ अलै है। वह क्या है?

“कि हम अल्लाह के सिवा किसी की बन्दगी ना करें”

اَلَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ

“और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक ना ठहरायें”

وَلَا تُشْرِكْ بِهٖ شَيْئًا

“और ना हम में से कोई एक दूसरे को अल्लाह के सिवा रब ठहराये।”

وَلَا يَتَّخِذْ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

यहूद व नसारा ने अपने अहबार व रुहबान का यह इखितयार तस्लीम कर लिया था कि वह जिस चीज़ को चाहें हलाल करार दे दें और जिस चीज़ को चाहें हराम ठहरा दें। यह गोया उनको रब मान लेने के मुतरादिफ़ है। जैसा कि सूरतुत्तौबा में फ़रमाया गया: {اِتَّخِذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ} (आयत:31)। मशहूर सखी हातिम ताई के बेटे अदी बिन हातिम रज़ि० (जो पहले ईसाई थे) एक मरतबा रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि कुरान कहता है: “उन्होंने अपने अहबार व रुहबान को अल्लाह के सिवा अपना रब बना लिया।” हालाँकि हमने तो उन्हें रब का दर्जा नहीं दिया। इस पर रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ने फ़रमाया:

اَمَّا اِيْتُهُمْ لَمْ يَكُوْنُوْا يَعْبُدُوْنَهُمْ وَلٰكِنَّهُمْ اِذَا اَحْلَوْا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحْلَوْهُ وَاِذَا حَرَمُوْا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَمُوْهُ

आयात 63

“फिर अगर वह पीठ मोड़ लें तो अल्लाह فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٦٣﴾
तआला खूब जानता है मुफ्सिदों को।”

यहाँ आकर इस सूरह मुबारका के निस्फ्रे अब्वल का पहला और दूसरा हिस्सा मुकम्मल हो गया, जो 32+31=63 आयात पर मुश्तमिल है।

आयात 64 से 71 तक

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٥﴾ هَآئِنْتُمْ هَآءِ حَآجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٦٧﴾ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلدِّينِ أَتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٨﴾ وَذَت ظَآئِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٩﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٧٠﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبَسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٧١﴾

सूरह आले इमरान के निस्फ्रे अब्वल का तीसरा हिस्सा 38 आयात (64 से 101) पर मुश्तमिल है और यह सूरतुल बकररह के निस्फ्रे अब्वल के तीसरे हिस्से (रुकूअ 15 से 18) से बहुत मुशाबेह है जिनमें हज़रत इब्राहीम अलै० का ज़िक्र, बैतुल्लाह का ज़िक्र, अहले किताब को दावते ईमान और तहवीले क़िब्ला का हुकम है। कम व बेश वही कैफ़ियत यहाँ मिलती है। फ़रमाया:

यह बात तुम भी जानते और मानते हो कि तौरात भी हज़रत इब्राहीम अलै० के बाद नाज़िल हुई और इन्ज़ील भी। यहूदियत भी हज़रत इब्राहीम अलै० के बाद की पैदावार है और नस्रानियत भी। वह तो मुस्लमान थे, अल्लाह के फ़रमावरदार थे, यहूदी या नसरानी तो नहीं थे!

“तो क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते?”

﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾

आयत 66

“देखो तुम लोग अब तक जो भी बहस मुबाहिसा करते रहे हो वह उन चीज़ों के बारे में है जिनका तुम्हें कुछ इल्म है”

هَآأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَآجَجْتُمْ فِيمَآ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ

“तो अब तुम ऐसी चीज़ों के ज़िम्न में हुज्जत बाज़ी क्यों करते हो जिनके बारे में तुम्हारे पास कुछ भी इल्म नहीं है?”

فَلِمَ تَحَآجُونَ فِيمَآ لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ

इन चीज़ों के बारे में तो तुम्हारे पास कोई दलील नहीं, कोई इल्मी बुनियाद नहीं।

“अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते।”

﴿وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

आयत 67

“(तुम्हें भी अच्छी तरह मालूम है कि) इब्राहीम अलै० ना तो यहूदी थे ना नसरानी”

مَا كَانَ إِبْرٰهِيْمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا

“बल्कि वह तो बिल्कुल यक्सु होकर अल्लाह के फ़रमावरदार थे।”

وَلٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا

“और ना वह मुशरिकों में से थे।”

﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ﴾

नज़ूले कुरान के वक़्त अरबों में जो तीन तबक़ात मौजूद थे, यानि मुशरिकीने अरब, यहूदी और नसरानी, वह तीनों अपने आप को हज़रत इब्राहीम अलै०

“वह उनकी इबादत तो नहीं करते थे, लेकिन जब वह उनके लिये किसी शय को हलाल करार देते तो वह उसे हलाल मान लेते और जब वह किसी शय को हराम करार दे देते तो वह उसे हराम मान लेते।”

चुनाँचे हलत व हुरमत का इख्तियार सिर्फ़ अल्लाह का है, और जो कोई इस हक़ को इख्तियार करता है वह गोया रब होने का दावा करता है। अब यह सारी क़ानून साज़ी जो शरीअत के खिलाफ़ की जा रही है यह हकीकत के ऐतबार से उन लोगों की जानिब से खुदाई का दावा है जो इन क़ानून साज़ इदारों में बैठे हुए हैं, और जो वहाँ पहुँचने के लिये बेताब होते हैं और उसके लिये करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। अगर तो पहले से यह तय हो जाये कि कोई क़ानून साज़ी किताब व सुन्नत के मनाफ़ी नहीं हो सकती तो फिर आप जायें और वहाँ जाकर कुरान व सुन्नत के दायरे के अन्दर-अन्दर क़ानून साज़ी कीजिये। लेकिन अगर यह तहदीद नहीं है और महज़ अक्सरियत की बुनियाद पर क़ानून साज़ी हो रही है तो यह शिर्क है।

अहले किताब से कहा गया कि तौहीद हमारे और तुम्हारे दरमियान मुशतरक अक़ीदा है। इस तरह उन्हें गौर-ओ-फ़िक़्र की दावत दी गयी कि वह मवाज़ ना करें कि इस क़द्रे मुशतरक के मैयार पर इस्लाम पूरा उतरता है या यहूदियत और नस्रानियत?

“फिर अगर वह मुँह मोड़ लें तो (ऐ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا الشَّهْدُ وَأَبَاتَا مُسْلِمُونَ ⑩ मुस्लमानों!) तुम कहो आप लोग गवाह रहें कि हम तो मुस्लमान हैं।”

हमने तो अल्लाह की इताअत कुबूल कर ली है और हम मुतज़क्किर बाला तीनों बातों पर कायम रहेंगे। आपको अगर यह पसंद नहीं तो आपकी मज़्ज़ी!

आयत 65

“ऐ किताब वालों! तुम इब्राहीम अलै० के बारे में क्यों झगड़ते हो हालाँकि तौरात और इन्ज़ील नहीं नाज़िल की गयी मगर उसके बाद?”

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي أُمُورِكُمْ وَمَا
أُنزِلَتْ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهَا

तुम कुरान और साहिबे कुरान صلی اللہ علیہ وسلم की हक्कानियत के कायल हो, उनको पहचान चुके हो, दिल में जान चुके हो!

आयत 71

“ऐ अहले किताब! तुम क्यों हक के ऊपर बातिल का मलमा (पोलिश) चढाते हो और हक को छुपाते हो जानते-बूझते?”

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ
وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٧١﴾

सूरतुल बकरह के पाँचवे रकूअ (आयत:42) में यह मज़मून बाअल्फ़ाज़ आया था: { يَا أَهْلَ الْكِتَابِ } وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ: ख़िताब के साथ इन आयत में उसी तरह का दाईयाना अंदाज़ है जो सूरतुल बकरह के पाँचवे रकूअ में है।

आयात 72 से 80 तक

وَقَالَتْ طَآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اٰمِنُوْا بِالَّذِيْٓ اُنزِلَ عَلٰى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجِهَ النَّهَارِ
وَاکْفُرُوْا الْاٰخِرَةَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٧٢﴾ وَلَا تُوْمِنُوْا اِلَّا لِهٰن تَبِعَ دِيْنََكُمْ قُلْ اِنَّ الْهُدٰى
هُدٰى اللّٰهِ اَنْ يُؤْتٰى اَحَدٌ مِّثْلَ مَا اُوْتِيْتُمْ اَوْ يُحَاجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ
اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَن يَّشَآءُ وَاللّٰهُ وَاَسِعَ عَلِيْمٌ ﴿٧٣﴾ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَن يَّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُو
الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٧٤﴾ وَمِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مَن اِنْ تَاْمَنٰهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهٖ اِلَيْكَ وَمِنْهُمْ
مَّن اِنْ تَاْمَنٰهُ بِدِيْنَارٍ لَا يُؤَدِّهٖ اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَاٰبِا ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا
لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْاٰمِيْنِ سَبِيْلٌ وَيَقُوْلُوْنَ عَلٰى اللّٰهِ الْكٰذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٥﴾ بَلٰى
مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاَتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٧٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ
وَآيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ
اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٧﴾ وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَلُوْنَ
الْسِّنْتَہُمْ بِالْكِتٰبِ لِتَحْسَبُوْہُ مِنْ الْكِتٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ

से मंसूब करते थे। मुशरिकीने अरब हज़रत इस्माइल अलै० की नस्ल से होने की निस्वत से कहते थे कि हमारा रिश्ता इब्राहीम अलै० से है। इसी तरह यहूदी और नसरानी भी मिल्लते इब्राहिमी अलै० होने के दावेदार थे। लेकिन कुरान ने दो टूक अंदाज़ में फ़रमाया कि इब्राहीम अलै० ना तो यहूदी थी, ना नसरानी थे और ना ही मुशरिकीन में से थे, बल्कि मुस्लमान थे।

आयत 68

“यक़ीनन इब्राहीम अलै० से सबसे ज़्यादा कुरबत रखने वाले लोग तो वह हैं जिन्होंने उनकी पैरवी की”

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ

“और अब यह नबी (हज़रत मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم) और जो इन पर ईमान लाये (इस निस्वत के ज़्यादा हक़दार हैं)।”

وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا

“और अल्लाह इन मोमिनों का साथी है।”

وَاللَّهُ وَبِئِ الْمُؤْمِنِينَ ۝

वह अहले ईमान का हामी व मददगार है, पुश्तपनाह है, हिमायती है।

आयत 69

“अहले किताब का एक गिरोह आरज़ूमन्द है कि (ऐ मुस्लमानों!) तुम्हें किसी तरह गुमराह कर दें।”

وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ

“और वह नहीं गुमराह कर सकेंगे मगर अपने आप को, लेकिन उन्हें इसका शऊर नहीं है।”

وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝

आयत 70

“ऐ अहले किताब! तुम क्यों अल्लाह तआला की आयात का इन्कार करते हो जबकि तुम खुद गवाह हो?”

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ نَشْهَدُونَ ۝

वापस जा रहे हैं, हमें यहाँ से कुछ नहीं मिला। इससे मुस्लमानों में से कुछ लोग तो समझेंगे कि इन्होंने साज़िश की होगी, लेकिन यकीनन कुछ लोग यह भी समझेंगे कि भई बड़े मुत्तक़ी लोग थे, मुत्ला श्याने हक़ (हक़ को चाहने वाले) थे, बड़े जज़्बे और बड़ी शान के साथ इन्होंने कलमा पढ़ा था और ईमान कुबूल किया था, फिर सारा दिन रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم की महफ़िल में बैठे रहे हैं, आख़िर इन्होंने कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा जो वापस पलट गये। इस अंदाज़ से आम लोगों के दिलों में वस्वसा अंदाज़ी करना बहुत आसान काम है। चुनाँचे उन्होंने मुनाफ़िक़ाना शरारत की यह साज़िश तैयार की। इस्लाम में क़त्ले मुर्तद की सज़ा का ताल्लुक़ इसी से जुड़ता है। इस्लामी रियासत में इस तरह की साज़िशों का रास्ता रोकने के लिये यह सज़ा तजवीज़ की गयी है कि जो शख्स ईमान लाने के बाद फिर कुफ़्र में जायेगा तो क़त्ल कर दिया जायेगा, क्योंकि इस्लामी रियासत एक नज़रियाती (ideological) रियासत है, ईमान और इस्लाम ही तो उसकी बुनियादें हैं। चुनाँचे उसकी बुनियादों को कमज़ोर करने और उसकी जड़ों को खोदने वाली जो चीज़ भी हो सकती है उसका सद्दे बाब पूरी कुव्वत से करना चाहिये।

आयत 73

“और देखो किसी की बात ना मानना मगर
उसी की जो तुम्हारे दीन की पैरवी करे।”

وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا بِالَّذِينَ تَبِعَ دِينَكُمْ

यानि इस साज़िशी गिरोह को यह ख़तरा भी था कि अगर हम जाकर चंद घंटे अल्लाह के रसूल صلی اللہ علیہ وسلم के पास गुज़ारेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हममें से वाक़ई किसी को इंशाराहे सद्र हो जाये और वह दिल से ईमान ले आये। लिहाज़ा वह तय करके गये कि देखो, उन पर ईमान नहीं लाना है, सिर्फ़ ईमान का ऐलान करना है। क़ुरान मजीद में यह शऊरी निफ़ाक़ की मिसाल है। यानि जो वक़्त उन्होंने अपने ईमान का ऐलान करने के बाद मुस्लमानों के साथ गुज़ारा उसमें वह क़ानूनन तो मुस्लमान थे, अगर इस दौरान कोई उनमें से मर जाता तो उसकी नमाज़े जनाज़ा भी पढ़ी जाती, लेकिन खुद उन्हें मालूम था कि हम मुस्लमान नहीं है। यह शऊरी निफ़ाक़ है, जबकि एक ग़ैर शऊरी निफ़ाक़ है कि अन्दर ईमान ख़त्म हो चुका होता है मगर इन्सान समझता है कि मैं तो मोमिन हूँ, हालाँकि उसका किरदार और अमल

عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٢﴾ مَا كَانَ
لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ
دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبِّينِيَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٣﴾
وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَالِيكَ وَالنَّسَبَينَ أَرْبَابًا أَيَاْمُرُكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ
مُسْلِمُونَ ﴿٧٤﴾

आयत 72

“और अहले किताब के एक गिरोह ने कहा कि इन अहले ईमान पर जो चीज़ नाज़िल की गयी है, उस पर ईमान लाओ सुबह के वक़्त और उसका इन्कार कर दो दिन के आख़िर में”

وَقَالَتْ طَآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا
بِالدِّينِ أَنْزَلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَاجْهَ النَّهَارِ
وَآكْفُرُوا الْآخِرَةَ

“शायद (इस तदवीर से) उनमें से भी कुछ फिर जायें।”

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٧٥﴾

यहाँ यहूद की एक बहुत बड़ी साज़िश का ज़िक्र हो रहा है जो उनके एक गिरोह ने मुहम्मद रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم की दावत को नाकाम बनाने के लिये मुस्लिमानों के खिलाफ़ तैयार की थी। इस साज़िश का पसमंज़र यह था कि दुनिया के सामने यह बात आ चुकी थी कि जो कोई एक मर्तबा दायरा-ए-इस्लाम में दाख़िल हो जाता था वह वापस नहीं आता था, चाहे उसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाये, भूखा-प्यासा रखा जाये, हत्ता कि जान से मार दिया जाये। इस तरह इस्लाम की एक धाक बैठ गयी थी कि इसके अन्दर कोई ऐसी कशिश, ऐसी हक्कानियत और ऐसी मिठास है कि आदमी एक मर्तबा इस्लाम कुबूल कर लेने के बाद बड़ी से बड़ी कुरबानी देने को तैयार हो जाता है, लेकिन इस्लाम से दस्तबरदार होने (त्याग करने) को तैयार नहीं होता। इस्लाम की यह जो साख बन गयी थी इसको तोड़ने का तरीक़ा उन्होंने यह सोचा कि ऐसा करो सुबह के वक़्त ऐलान करो कि हम ईमान ले आये। सारा दिन मुहम्मद (صلی اللہ علیہ وسلم) की सोहबत में रहो और शाम को कह दो हमने देख लिया, यहाँ कुछ नहीं है, यह दूर के ढोल सुहाने हैं, हम तो अपने कुफ़्र में

आयत 74

“वह मुख्तस (खास) कर लेता है अपनी रहमत के लिये जिसको चाहता है।”

يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ

“और अल्लाह बड़े फ़ज़ल का मालिक है।”

وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

अगली आयत में हिकमते दावत के ऐतबार से बहुत अहम नुक्ता मौजूद है कि बुरे से बुरे गिरोह के अन्दर भी कहीं ना कहीं कोई अच्छे अफ़राद लाज़िमन होते हैं। दाई के लिये ज़रूरी है कि वह उनका तज़क़िरा भी करता रहे कि उनमें अच्छे लोग भी हैं, ताकि ऐसे लोगों के दिलों के अन्दर नरमी पैदा हो। इसी तरह फ़र्द का मामला है कि बुरे से बुरे आदमी के अन्दर कोई अच्छाई भी मौजूद होती है। आप अगर उसे हक़ की दावत दे रहे हैं तो उसमें जो अच्छाई है उसको मानिये, ताकि उसे मालूम हो कि इसे मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी जो बात वाक़ई अच्छी है उसको यह तस्लीम कर रहा है, लेकिन जो बात ग़लत है उसको रद्द कर रहा है। इस तरह उसके दिल में कुशादगी पैदा होगी और वह आपकी बात सुनने पर आमादा होगा। फ़रमाया:

आयत 75

“और अहले किताब में से ऐसे लोग भी हैं कि अगर तुम उनके पास अमानत रखवा दो ढ़ेरो माल तो वह तुम्हें पूरा-पूरा वापस लौटा देंगे।”

وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ

يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ

यानि उनमें अमानतदार लोग भी मौजूद हैं।

“और उनमें ऐसे भी हैं कि अगर तुम उनके पास एक दीनार भी अमानत रखवा दो तो वह तुम्हें वापस नहीं करेंगे।”

وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَتَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ

“मगर जब तक कि तुम उसके सर पर खड़े रहो।”

إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا

अगर तुम उसके सर पर सवार हो जाओ और उसको अदायगी पर मजबूर कर दो तब तो तुम्हारी अमानत वापस कर देगा, वरना नहीं देगा। उनमें से

मुनाफ़िक़ाना है और उसके अन्दर से ईमान की पूंजी ख़त्म हो चुकी है, जैसे दीमक किसी शहतीर (लकड़ी की कड़ी) को चट कर चुकी होती है लेकिन उसके ऊपर एक पर्दा (veneer) बहरहाल बरकरार रहता है। शऊरी निफ़ाक़ और गैर शऊरी निफ़ाक़ के इस फ़र्क़ को समझ लेना चाहिये।

“*(ऐ नबी ﷺ! इनसे) कह दीजिये कि असल हिदायत तो अल्लाह ही की हिदायत है*” قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ

आगे यहूद के साज़िशी टोले के क़ौल का तसल्लुल है कि देखो ईमान मत लाना!

“*मबादा किसी को वह शय दे दी जाये जो तुम्हें दी गयी थी*” أَنْ يُؤْتِيَ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيْتُمْ

यानि यह रिसालत व नबुवत और मज़हबी पेशवाई तो हमारी मीरास थी, हम अगर इन पर ईमान ले आयेंगे तो वह चीज़ हमसे इनको मुन्तक़िल हो जायेगी। लिहाज़ा मानना तो हरगिज़ नहीं है, लेकिन किसी तरह से इनकी हवा उखेड़ने के लिये हमें यह काम करना है।

“*या तुम्हारे खिलाफ़ हुज्जत कायम करें तुम्हारे परवरदिगार के हज़ूर!*” أَوْ يُخَاجُوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ

“*कह दीजिये कि फ़ज़ल तो कुल का कुल अल्लाह के हाथ में है*” قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ

“*वह जिसको चाहता है दे देता है।*” يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

उसने दो हज़ार बरस तक तुम्हें एक मंसब पर फाइज़ रखा, अब तुम उस मंसब के नाअहल साबित हो चुके हो, लिहाज़ा तुम्हें माज़ूल कर दिया गया है, और अब एक नयी उम्मत (उम्मते मुहम्मद ﷺ) को उस मक़ाम पर फाइज़ कर दिया गया है।

“*और अल्लाह बहुत वुसअत वाला और जानने वाला है।*” وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“और वह झूठ घड कर अल्लाह की तरफ़ मंसूब कर रहे हैं हालाँकि वह जानते हैं (कि अल्लाह ने ऐसी कोई बात नहीं फ़रमायी)।”

وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾

आयत 76

“क्यों नहीं! जो कोई भी अल्लाह तआला से किये हुए अपने अहद को पूरा करेगा और तक्रवा की रविश इख्तियार करेगा तो बेशक अल्लाह तआला को अहले तक्रवा पसंद हैं।”

بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُتَّقِينَ ﴿٥٧﴾

आयत 77

“यक्रीनन वह लोग जो अल्लाह तआला के अहद और अपनी क़समों को फ़रोख्त करते हैं हक़ीर सी क़ीमत पर”

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ
ثَمَنًا قَلِيلًا

यानि जब वह देखते हैं कि लोग हमारी बात में कुछ शक कर रहे हैं तो खुदा की क़सम खा कर कहते हैं कि ऐसा ही है।

“यह वह लोग हैं कि जिनके लिये कोई हिस्सा नहीं है आख़िरत में”

أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ

“और ना अल्लाह उनसे कलाम करेगा”

وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ

“और ना उनकी तरफ़ निगाह करेगा क़यामत के दिन”

وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“और ना उनको पाक करेगा”

وَلَا يُزَكِّيهِمْ

“और उनके लिये दर्दनाक अज़ाब है।”

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥٨﴾

यह मज़मून भी तक्ररीबन पूरा सूरतुल बक्ररह (आयत 174) में आ चुका है।

अक्सर का किरदार तो यही है, लेकिन अहले किताब में से जो थोड़े बहुत दयानतदार थे उनकी अच्छाई का ज़िक्र भी कर दिया गया। बिलफ़अल इस क्रिस्म के किरदार के हामिल लोग ईसाईयों में तो मौजूद थे, यहूदियों में ना होने के बराबर थे, लेकिन “अहले किताब” के उन्वान से उनका ज़िक्र मुश्तरक तौर पर कर दिया गया। आगे ख़ास तौर पर यहूद का तज़किरा है कि उनमें यह बद-दियानती, बेईमानी और खयानत क्यों आ गयी है।

“यह इसलिये कि वह कहते हैं कि इन उम्मिय्यीन के मामले में हम पर कोई मलामत नहीं है।”

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْاُمَمِيْنَ
سَبِيْلٌ

यहूदियों का यह अक्रीदा तौरात में नहीं है, लेकिन उनकी असल मज़हबी किताब का दर्जा तौरात की बजाये तालमूद को हासिल है। यूँ समझिये कि तौरात तो उनके लिये “उम्मुल किताब” है, जबकि उनकी सारी शरीअत, क़वानीन वज़ाबत (मापदंड) और इबादात की सारी तफ़ासील तालमूद में हैं। और तालमूद में यह बात मौजूद है कि यहूदी के लिये यहूदी से झूठ बोलना हराम है, लेकिन ग़ैर यहूदी से जैसे चाहो झूठ बोलो। यहूदी के लिये किसी यहूदी का माल हड़प करना हराम और नाजायज़ है, लेकिन ग़ैर यहूदी का माल जिस तरह चाहो, धोखा, फ़रेब और बद-दियानती से हड़प करो। हम पर उसका कोई मुआख़ज़ा नहीं है। उनके नज़दीक इंसानियत का शर्फ़ सिर्फ़ यहूदियों को हासिल है और ग़ैर यहूदी इन्सान हैं ही नहीं, यह असल में इन्सान नुमा हैवान (Goyems & Gentiles) हैं और इनसे फ़ायदा उठाना हमारा हक़ है, जैसा कि घोड़े को तांगे में जोतना और बेल को हल के अन्दर जोत लेना इन्सान का हक़ है। यहूदी यह अक्रीदा रखते हैं कि इन इन्सान नुमा हैवानों से हम जिस तरह चाहें लूट-खसोट का मामला करें और जिस तरह चाहें इन पर जुल्मो-सितम करें, इस पर हमारी कोई पकड़ नहीं होगी, कोई मुआख़ज़ा नहीं होगा। अमेरिका में इस पर एक मूवी भी बनाई गयी है: “The Other Side of Israel” यह दस्तावेज़ी फिल्म वहाँ के ईसाईयों ने बनाई है और इसमें एक शख्स ने एक यहूदी कुतुबखाने में जाकर वहाँ उनकी किताबें निकाल-निकाल कर उनके हवाले से यहूदियों के नज़रियात को वाज़ेह किया है और यहूदियत का असल चेहरा दुनिया को दिखाया है। (अब इसी उन्वान से किताब भी शायद [पब्लिश] हो चुकी है।)

“फिर वह लोगों से कहने लगे कि मेरे बन्दे बन जाओ अल्लाह को द्रोड़ कर”

ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ

यह अब नस्रानियों की तरफ़ इशारा हो रहा है कि हमने तुम्हारी तरफ़ रसूल भेजे, फिर ईसा अलै० इब्रे मरयम को भेजा, उन्हें किताब दी, हिकमत दी, नबुवत दी, मौज्जात दिये। और इसका तो कोई इम्कान नहीं कि वह अलै० कहते कि मुझे अल्लाह के सिवा अपना मअबूद बना लो!

“बल्कि (वह तो यही दावत देगा कि) अल्लाह वाले बन जाओ इस वजह से कि तुम लोगों को किताब की तालीम देते हो और तुम खुद भी उसको पढ़ते हो।”

وَلَكِنْ كُونُوا رَبِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ
الْكِتَابَ وَمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٥﴾

किताबे इलाही की तालीम व तअल्लम का यही तक्राज़ा है। दीन का सीखना, सिखाना, कुरान का पढ़ना-पढ़ाना और हदीस व फ़िक्रह का दर्स व तदरीस इसलिये होना चाहिये कि लोगों को अल्लाह वाले बनाया जाये, ना यह कि अपने बन्दे बना कर और उनसे नज़राने वसूल करके उनका इस्तेहसाल किया जाये।

आयत 80

“और ना कभी वह तुम्हें इस बात का हुक्म देगा कि तुम फ़रिश्तों को और अम्बिया को रब बना लो।”

وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ
أَرْبَابًا

मुशरिकीने मक्का ने फ़रिश्तों को रब बनाया और उनके नाम पर लात, मनात और उज्ज़ा जैसी मूर्तियाँ बना लीं, जबकि नसारा ने अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलै० को अपना रब बना लिया।

“तो क्या वह तुम्हें कुफ़्र का हुक्म देगा इसके बाद कि तुम मुस्लिम हो चुके हो?”

أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٥﴾

अल्लाह का वह बंदा जिसे ने किताब, हिकमत व नबुवत अता की हो, क्या तुम्हें कुफ़्र का हुक्म दे सकता है जबकि तुम फ़रमाबरदारी इख़्तियार कर चुके हो?

आयत 78

“और उनमें एक गिरोह ऐसा भी है जो अपनी ज़बान को तोड़ता-मरोड़ता है किताब को पढ़ते हुए, ताकि तुम समझो कि (जो कुछ वह पढ़ रहे हैं) वह किताब में से है, हालाँकि वह किताब में से नहीं होता।”

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُ السِّنْتَهُمْ بِالْكِتَابِ
لِيَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ

उलमाए यहूद अल्फ़ाज़ को ज़रा सा इधर से उधर मरोड़ कर और मायने पैदा कर लेते थे। हम सूरतुल बक्ररह में पढ़ चुके हैं कि यहूद से कहा गया “حِطَّةٌ” कहो तो “حِطَّةٌ” कहने लगे। यानि बजाय इसके कि “ऐ अल्लाह हमारे गुनाह झाड़ दे” उन्होंने कहना शुरू कर दिया “हमें गेहूँ दे।” उन्हें तलक्कीन की गयी कि तुम कहो: “سَمِعْنَا وَاطَعْنَا” मगर उन्होंने कहा: “سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا” इसी तरह का मामला वह तौरात को पढ़ते हुए भी करते थे। जब वह देखते कि जो साइल फ़तवा माँगने आया है उसकी पसंद कुछ और है जबकि तौरात का हुक्म कुछ और है तो वह अल्फ़ाज़ को तोड़-मरोड़ कर पढ़ देते कि देखो यह किताब के अन्दर मौजूद है, और इस तरह साइल को खुश करके उससे कुछ रक़म हासिल कर लेते।

“और वह कहते हैं यह अल्लाह की तरफ़ से है जबकि वह अल्लाह की तरफ़ से नहीं होता।”

وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ
اللَّهِ

हम यह मज़मून सूरतुल बक्ररह (आयत 79) में भी पढ़ चुके हैं।

“और वह अल्लाह पर झूठ बाँधते हैं जानते-बूझते।”

وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٩﴾

आयत 79

“किसी इन्सान के शायाने-शान नहीं है कि अल्लाह तआला तो उसको किताब, हिकमत और नबुवत अता फ़रमाये”

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَالنَّبُوءَةَ

पास (पहले से) मौजूद है तो तुम्हें लाज़िमन उस पर ईमान लाना होगा और उसकी मदद करनी होगी।”

وَلَتَنْصُرُنَّهُ

इसलिये कि अम्बिया और रुसुल का एक तवील सिलसिला चल रहा था, और हर नबी ने आइन्दा आने वाले नबी صلی اللہ علیہ وسلم की पेशनगोई की है और अपनी उम्मत को उसका साथ देने की हिदायत की है। और यह भी ख़त्मे नबुवत के बारे में बहुत बड़ी दलील है कि ऐसी किसी शय का ज़िक्र कुरान या हदीस में नहीं है कि मुहम्मदुन रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم से ऐसा कोई अहद लिया गया हो या आप صلی اللہ علیہ وسلم ने अपनी उम्मत को किसी बाद में आने वाले नबी की ख़बर देकर उस पर ईमान लाने की हिदायत फ़रमायी हो, बल्कि इसके बरअक्स कुरान में सराहत के साथ आँहुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم को खातमुन्न नबिय्यीन फ़रमाया गया है और मुतअद्दिद अहादीस में आप صلی اللہ علیہ وسلم ने फ़रमाया है कि आप صلی اللہ علیہ وسلم के बाद कोई नबी नहीं आयेगा। हज़रत मसीह अलै० मुहम्मद रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم की बशारत देकर गये हैं और दीगर अम्बिया की किताबों में भी बशारतें मौजूद हैं। इन्जील बरनबास का तो कोई सफ़ा खाली नहीं है जिसमें आँहुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم की बशारत ना हो, लेकिन बाक़ी इन्जीलों में से यह बशारतें निकाल दी गयी हैं।

“अल्लाह ने फ़रमाया क्या तुमने इक्रार कर लिया है और इस पर मेरी डाली हुई ज़िम्मेदारी कुबूल कर ली है?”

قَالَ أَقْرَرْتُكُمْ وَأَخَذْتُكُمْ عَلَىٰ ذٰلِكُمْ اٰصْرِي

“उन्होंने कहा हाँ हमने इक्रार किया।”

قَالُوْا اَقْرَرْنَا

अम्बिया व रुसुल से यह अहद आलमे अरवाह में लिया गया। जिस तरह तमाम अरवाहे इंसानिया से “अहदे अलस्त” लिया गया था اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى } इसी तरह जिन्हें नबुवत से सरफ़राज़ होना था उनकी अरवाह से अल्लाह तआला ने यह इज़ाफ़ी अहद लिया कि मैं तुम्हें नबी बना कर भेजूँगा, तुम अपनी उम्मत को यह हिदायत करके जाना कि तुम्हारे बाद जो नबी भी आये उस पर ईमान लाना और उसकी मदद और नुसरत करना।

“अल्लाह तआला ने कहा अच्छा अब तुम भी

قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ۝۱۱

आयात 81 से 91 तक

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَضُكُمْ وَأَخَذْتُكُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ اصْرِي قَالُوا أَقْرَضْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨١﴾ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٨٢﴾ أَفَغَيَّرَ دِينَ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾ قُلْ أَمَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نَفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٨٤﴾ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٨٥﴾ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٦﴾ أُولَٰئِكَ جَزَاءُهُمْ أَنْ عَلَيْنَهُمُ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْحَالِكَةُ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٨٧﴾ خُلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ۗ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٨٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفْرًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَىٰ بِهِ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٩١﴾

आयात 81

“और याद करो जबकि अल्लाह ने तमाम अम्बिया से एक अहद लिया था कि”

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ

“जो कुछ भी मैं तुम्हें किताब और हिकमत अता करूँ, फिर तुम्हारे पास आये कोई और रसूल जो तस्दीक करता हो उसकी जो तुम्हारे

لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ

“हम उनमें से किसी एक के माबैन भी कोई तफ़रीक़ नहीं करते, और हम तो अल्लाह ही के फ़रमाबरदार हैं।”

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

۞

आयत 85

“और जो कोई इस्लाम के सिवा कोई और दीन इख़्तियार करना चाहेगा तो वह उसकी जानिब से कुबूल नहीं किया जायेगा।”

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ

“और फिर आखिरत में वह खसारा पाने वालों में से होकर रहेगा।”

وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ۞

आयत 86

“कैसे हिदायत देगा अल्लाह उन लोगों को जो ईमान के बाद काफ़िर हो गये?”

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ

यानि उनके दिल ईमान ले आये थे, उन पर हक़ीक़त मुन्कशिफ़ हो गयी थी, लेकिन दुनियवी मसलहतें आड़े आ गयीं और ज़बान से इन्कार कर दिया। जैसे सूरतुल नमल में हम पढ़ेंगे: { وَخَلَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا } (आयत:14) “उन्होंने जुल्म और तकब्वुर के मारे उन मौज्ज़ात का इन्कार किया हालाँकि उनके दिल उनके क़ायल हो चुके थे।”

“और उन्होंने गवाही दी कि यह रसूल हक़ हैं”

وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ

अहले किताब जब आपस में बातें करते थे तो कहते थे कि यह वाक़िअतन नबी आखिरुज्ज़मान हैं जो हमारी किताबों में बयान करदा पेशनगोइयों का मिस्दाक़ हैं। चुनाँचे रिवायात में आता है कि अलक़्रमा के दो बेटे अबु हारसा और कर्ज़ जब जब नजरान से मदीना मुनव्वरा चले आ रहे थे तो रास्ते में कर्ज़ के घोड़े को कहीं ठोकर लगी तो उसने कहा “تَوَسَّ الْأُكْبَدُ” (हलाक हो जाये वह दूर वाला यानी जिसकी तरफ़ हम जा रहे हैं)। उसका इशारा मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ की तरफ़ था। इस पर उसके बड़े भाई अबु हारसा ने कहा

गवाह रहो और मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूँ।

आयत 82

“तो जिसने भी मुँह मोड़ लिया इसके बाद तो यकीनन वही लोग सरकश (और नाहंजार) हैं।”

فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ

۴۲

आयत 83

“तो क्या यह अल्लाह के दीन के सिवा कोई और दीन चाहते हैं?”

أَفَعَيِّرْ دِينَ اللّٰهِ يَتَّبِعُونَ

“जबकि आसमानों और ज़मीन में जो भी है वह अल्लाह के सामने सरे तस्लीम ख़म किये हुए है, चाहे खुशी से और चाहे मजबूरन, और उसी की तरफ़ उन सबको लौटा दिया जायेगा।”

وَلَا أَسْلَمَ مِنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا

وَكَرْهًا وَالْيَهُودُ يَجْعُونَ ۴۳

आयत 84

“कहिये हम ईमान लाये अल्लाह पर और जो नाज़िल किया गया हम पर”

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنزِلَ عَلَيْنَا

याद रहे कि सूरतुल बक्ररह की आयत 136 में थोड़े से लफ़्ज़ी फ़र्क के साथ यही मज़मून बयान हुआ है।

“और जो कुछ नाज़िल किया गया इब्राहीम अलै०, इस्माइल अलै०, इसहाक़ अलै०, याक़ूब अलै० और उनकी औलाद पर”

وَمَا اُنزِلَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ

وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبٰاطِ

“और जो भी मूसा अलै०, ईसा अलै० और तमाम अम्बिया अलै० को दिया गया उनके रब की तरफ़ से।”

وَمَا اُوْتِيَ مُوسٰى وَعِيسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ

رَبِّهِمْ

मिलेगी।”

۞

यह अल्फ़ाज़ भी सूरतुल बक्ररह (आयात 161-162) में आ चुके हैं।

आयत 89

“सिवाये उनके जो इसके बाद तौबा कर लें और इस्लाह कर लें”

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ۝

यानि सच्चे दिल से ईमान लाकर अमले सालेह की रविश पर गामज़न हो जायें।

“तो यक्रीनन अल्लाह तआला बख़्शने वाला, रहम फ़रमाने वाला है।”

فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

तौबा का दरवाज़ा अभी बंद नहीं है।

आयत 90

“बेशक जिन लोगों ने कुफ़्र किया अपने ईमान के बाद, फिर वह अपने कुफ़्र में बढ़ते चले गये”

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا ۝

यानि हक़ को पहचान लेने के बाद, चाहे ज़बान से माना हो या ना माना हो, फिर अगर वह कुफ़्र करते हैं या ज़बान से मानने के बाद मुर्तद हो जाते हैं, और फिर वह अपने कुफ़्र में बढ़ते चले जाते हैं।

“उनकी तौबा कभी कुबूल नहीं होगी।”

لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ۝

“और वह यक्रीनन गुमराहों में से हैं।”

وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ۝

आयत 91

“यक्रीनन वह लोग जिन्होंने कुफ़्र किया और मर गये इसी हाल में कि वह काफ़िर थे”

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ ۝

“بَلْ تَعَسَتْ أُنْثَىٰ” (बल्कि तेरी माँ हलाक हो जाये!) उसने कहा मेरे भाई! तुम्हें मेरी बात इस क्रदर बुरी क्यों लगी? अबु हारसा ने कहा: अल्लाह की क्रसम! यकीनन वह वही नबी उम्मी हैं जिसके हम मुन्तज़िर थे। कर्ज़ ने कहा: जब आप यह सब जानते हैं तो उन पर ईमान क्यों नहीं ले आते? अबु हारसा कहने लगा: उन बादशाहों ने हमें बड़ा मक्राम व मरतबा अता कर रखा है, अगर हम ईमान ले आये तो वह हमसे यह सब कुछ छीन लेंगे। यह लोग सलतनते रोमा के तहत थे और उन्हें मिस्र की हुकूमत की तरफ़ से बड़ी मराआत हासिल थीं, उन्हें माल व दौलत और इज़्ज़त व वजाहत हासिल थी। अभी यह लोग मुहम्मदे अरबी صلی اللہ علیہ وسلم से मुलाक़ात के लिये जा रहे थे तो यह हाल था, इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि आँहुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم की ख़िदमत में कई रोज़ गुज़ारने के बाद मुबाहला से राहे फ़रार इख़्तियार करके वापस जाते हुए उन्हें किस क्रदर यकीन हासिल हो गया होगा कि यही वह नबी आखिरुज़्ज़मान صلی اللہ علیہ وسلم हैं जिनके वह मुन्तज़िर थे। उनके दिल गवाही दे चुके थे कि यह रसूल बरहक़ صلی اللہ علیہ وسلم हैं।

“और उनके पास खुली-खुली निशानियाँ भी आ चुकी हैं।”

وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ

“और अल्लाह ऐसे ज़ालिमों को हिदायत नहीं देता।”

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾

आयत 87

“यही वह लोग हैं कि जिनका बदला यह है कि उन पर अल्लाह की, फ़रिशतों की और तमाम इंसानों की लानत है।”

أُولَٰئِكَ جَزَاءُ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٥٨﴾
وَاللَّيْلُ لَكُمْ وَالنَّجْمُ لِلْكَافِرِينَ ﴿٥٩﴾

आयत 88

“उसी (लानत) में वह हमेशा रहेंगे।”

خَالِدِينَ فِيهَا

“उनके अज़ाब में कोई तख़फ़ीफ़ नहीं की जायेगी और ना ही उनको कोई मोहलत

لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ

الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفْرِينَ ۝ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ
تُتلى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ۚ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ ۝

आयत 92

“तुम हरगिज़ नहीं पहुँच सकते नेकी के मक़ाम को जब तक कि खर्च ना करो उसमें से जो तुम्हें पसंद है।”

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

आयतुल बिर (सूरतुल बकरह:177) के ज़िमान में इस आयत का हवाला भी आया था कि नेकी के मज़ाहिर में से सबसे बड़ी और सबसे मुक़द्दम शय इंसानी हमदर्दी है, और इंसानी हमदर्दी में अपना वह माल खर्च करना मतलूब है जो खुद अपने आपको महबूब हो। ऐसा माल जो रद्दी हो, दिल से उतर गया हो, बोसीदा हो गया हो वह किसी को देकर समझा जाये कि हमने हातिम ताई की क़ब्र पर लात मार दी है तो यह बजाये खुद हिमाक़त है।

“और जो कुछ भी तुम खर्च करोगे अल्लाह उससे बाख़बर है।”

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝

आयत 93

“खाने की सारी चीज़ें (जो शरीअते मुहम्मदी صلی اللہ علیہ وسلم में हलाल हैं) बनी इसराइल के लिये भी हलाल थीं”

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ

“सिवाय उन चीज़ों के जिन्हें इसराइल (हज़रत याकूब अलै०) ने हराम ठहरा लिया था अपनी जान पर, इस से पहले कि तौरात नाज़िल हो।”

إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ

यहूदी शरीअते मुहम्मदी صلی اللہ علیہ وسلم पर ऐतराज़ करते थे कि इसमें बाज़ ऐसी चीज़ें हलाल करार दी गयी हैं जो शरीअते मूसवी अलै० में हराम थीं। मसलन उनके

“तो उनमें से किसी से ज़मीन की मिक़दार के बराबर सोना भी फ़िदये में कुबूल नहीं किया जायेगा अगर वह पेश कर सके।”

فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِثْلُ الْأَرْضِ ذَهَبًا
وَأَوْ أَفْتَدَى بِهِ

ज़ाहिर है कि यह महाल है, नामुमकिन है, लेकिन यह बात समझाने के लिये कि वहाँ पर कोई फ़िदया नहीं है फ़रमाया कि अगर कोई ज़मीन के हुजम के बराबर सोना देकर भी छुटना चाहेगा तो नहीं छुट सकेगा। यह वही बात है जो सूरतुल बकरह की आयत 48 और आयत 123 में फ़रमायी गयी कि उस दिन किसी से कोई फ़िदया नहीं लिया जायेगा।

“यह वह लोग हैं कि जिनके लिये दर्दनाक अज़ाब है”

أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“और नहीं होंगे उनके लिये कोई मदद करने वाले।”

وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿١١﴾

आयात 92 से 101 तक

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾
كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاَّ لِيَبْنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنزَّلَ التَّوْرَةُ ۗ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٣﴾ فَمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩٤﴾ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ ۖ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٥﴾ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾ قُلْ يَا هَلْ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٨﴾ قُلْ يَا هَلْ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ مَنْ آمَنَ تَبَعُوا نَهَا عِوَجًا ۖ وَأَنْتُمْ سُهَدَاءُ ۖ وَمَا لِلَّهِ بِعَاقِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٩﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِّن

“पस पैरवी करो मिल्लते इब्राहीम की जो
यक्सु थे (या यक्सु होकर!)”

فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا

“حَنِيفًا” इब्राहीम का हाल है। अगर इसे “إِبْرَاهِيمًا” का हाल (बा-माअनी حَنِيفِيَّيْنِ) माना जाये तो दूसरा तर्जुमा होगा। यानि यक्सु होकर, बाद की तमाम तकसीमात से बुलन्दतर होकर, इब्राहीम अलै० के तरीके की पैरवी करो!

“और वह मुशरिकीन में से नहीं थे।”

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٥٠﴾

आयत 96

“यक्रीनन पहला घर जो लोगों के लिये बनाया
गया (अल्लाह की इबादत के लिये) वही है
जो मक्का में है”

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ

“بَكَّةَ” और “مَكَّةَ” दरहक्रीकत एक ही लफ्ज़ के लिये दो तलफ्फुज़ (pronunciations) हैं।

“बरकत वाला है और हिदायत का मरकज़ है
तमाम जहान वालों के लिये।”

مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿٥١﴾

आयत 97

“इसमें बड़ी वाज़ेह निशानियाँ हैं, जैसे मक्कामे
इब्राहीम अलै०।”

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ

सूरतुल बक्ररह के निस्फ़े अब्वल के आखरी चार रकूओं (15,16,17,18) में पहले हज़रत इब्राहीम अलै० और खाना काबा का ज़िक्र है, फिर बाक़ी सारी गुफ्तगू है। यहाँ सूरह आले इमरान के निस्फ़े अब्वल के तीसरे हिस्से में हज़रत इब्राहीम अलै० और खाना काबा का तज़क़िरा आख़िर में आया है। गोया मज़ामीन वही हैं, तरतीब बदल गयी है।

“और जो भी उसमें दाख़िल हो जाता है अमन
में आ जाता है।”

وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا

यहाँ ऊँट का गोशत हराम था, लेकिन शरीअते मुहम्मदी صلی اللہ علیہ وسلم में यह हराम नहीं है। अगर यह भी आसमानी शरीअत है तो यह तगय्युर कैसे हो गया? यहाँ उसकी हकीकत बताई जा रही है कि तौरात के नुज़ूल से क़ब्ल हज़रत याक़ूब अलै० ने तबई कराहत या किसी मर्ज़ के बाइस बाअज़ चीज़ें अपने लिये ममनूअ करार दे ली थीं जिनमें ऊँट का गोशत भी शामिल था। जैसे नबी अकरम صلی اللہ علیہ وسلم ने अपनी दो अज़वाज की दिलजोई की खातिर शहद ना खाने की क़सम खा ली थी, जिस पर यह आयत नाज़िल हुई (सूरह तहरीम:1): {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ} हज़रत याक़ूब अलै० की औलाद ने बाद में इन चीज़ों को हराम समझ लिया, और यह चीज़ उनके यहाँ रिवाज के तौर पर चली आ रही थी। तो अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि इन चीज़ों की हु़रमत तौरात में नाज़िल नहीं हुई। खाने-पीने की वह तमाम चीज़ें जो इस्लाम ने हलाल की हैं वह बनी इसराइल के लिये भी हलाल थीं, सिवाय उन चीज़ों के जिन्हें हज़रत याक़ूब अलै० ने अपनी ज़ाती नापसंद के बाइस अपने ऊपर हराम ठहरा लिया था, और यह बात तौरात के नुज़ूल से बहुत पहले की है। इसलिये कि हज़रत याक़ूब अलै० में और नुज़ूले तौरात में चार-पाँच सौ साल का फ़सल है।

“(ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم! इनसे) कहिये लाओ तौरात और उसको पढो अगर तुम (अपने ऐतराज़ में) सच्चे हो।”

قُلْ فَأْتُوا بِالْبَيِّنَاتِ فَاَتْلُوْهَا اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣٠﴾

तौरात के अन्दर तो कहीं भी ऊँट के गोशत की हु़रमत मज़कूर नहीं है।

आयत 94

“पस जो लोग इसके बाद भी अल्लाह की तरफ़ झूठ मंसूब करते रहें तो वही लोग ज़ालिम हैं।”

فَمَنْ افْتَرٰى عَلٰى اللّٰهِ الْكٰذِبَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٩٤﴾

आयत 95

“कह दीजिये अल्लाह ने जो कुछ फ़रमाया है सच फ़रमाया है”

قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ

तुम चाहते हो कि जो अहले ईमान हैं वह भी टेढ़े रास्ते पर चलें। चुनाँचे तुम साज़िशें करते हो कि सुबह को ईमान लाओ और शाम को काफ़िर हो जाओ ताकि अहले ईमान के दिलों में भी वस्वसे और दगदगे पैदा हो जायें।

“हालाँकि तुम खुद गवाह हो!”

وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ

तुम राहे रास्त को पहचानते हो और जो कुछ कर रहे हो जानते-बूझते कर रहे हो।

“और अल्लाह गाफिल नहीं है उससे जो तुम कर रहे हो।”

وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

लेकिन इन तमाम साज़िशों के जवाब में अहले ईमान से फ़रमाया गया है:

आयत 100

“ऐ वह लोगों जो ईमान लाये हो! अगर तुम इन अहले किताब के किसी गिरोह की बात मान लोगे तो यह तुमको तुम्हारे ईमान के बाद फिर कुफ़्र की हालत में लौटा कर ले जायेंगे।”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ
الَّذِينَ آؤُوا إِلَيْكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ
كُفْرِينَ ۝

आयत 101

“और (ज़रा सोचो तो सही) यह कैसे हो सकता है कि तुम फिर कुफ़्र करने लगो जबकि तुम्हें अल्लाह की आयात पढ़ कर सुनाई जा रही हैं और तुम्हारे अन्दर उसका रसूल मौजूद है।”

وَكَيفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ
اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ

तुम्हारे दरमियान मुहम्मद रसूल صلی اللہ علیہ وسلم ब-नफ़से-नफ़ीस तुम्हारी रहनुमाई के लिये मौजूद हैं और तुम्हें अल्लाह तआला की आयात पढ़-पढ़ कर सुना रहे हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मदीना में उलमाये यहूद का कितना असर था। औस और खजरज के लोग उनसे मरऊब थे क्योंकि यह अनपढ़ लोग थे, इनके पास कोई किताब, कोई शरीअत और कोई क़ानून नहीं

जाहिलियत के बदतरिन दौर में भी बैतुल्लाह अमन का गहवारा था। पूरे अरब के अन्दर खूँरेज़ी होती थी, लेकिन हरमे काबा में अगर कोई अपने बाप के क्रातिल को भी देख लेता था तो उसे कुछ नहीं कहता था। हरम की यह रिवायात हमेशा से रही हैं और आज तक यह अल्लाह के फ़ज़लो करम से दारुल अमन है कि वहाँ पर अमन ही अमन है।

“और अल्लाह का हक़ है लोगों पर कि वह हज करें उसके घर का, जो भी इस्तताअत रखता हो उसके सफ़र की।”

وَاللّٰهُ عَلَى النَّاسِ حَاجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ
إِلَيْهِ سَبِيْلًا

“और जिसने कुफ़्र किया तो (वह जान ले कि) अल्लाह बे नियाज़ है तमाम जहान वालों से।”

وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَنِّيْ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۝۷

नोट कीजिये की यहाँ लफज़ “कफ़्र” आया है। इसके मायने यह हैं कि जो कोई इस्तताअत के बावजूद हज नहीं करता वह गोया कुफ़्र करता है।

अगली आयत में अहले किताब को बड़े तीखे और झिंझोड़ने के से अंदाज़ में मुखातिब किया जा रहा है, जैसे किसी पर निगाहें गाड़ कर उससे बात की जाये।

आयत 98

“कह दीजिये ऐ अहले किताब! तुम क्यों अल्लाह की आयात का इन्कार कर रहे हो?”

قُلْ يَاْ هَلْ اَلْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِآيٰتِ اللّٰهِ

“जबकि जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उसे देख रहा है।”

وَاللّٰهُ شٰهِيْدٌ عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ ۝۷۸

आयत 99

“कह दीजिये ऐ किताब वालो! तुम क्यों रोकते हो अल्लाह के रास्ते से उसको जो ईमान ले आता है”

قُلْ يَاْ هَلْ اَلْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَن سَبِيْلِ
اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ

“तुम उसमें कजी पैदा करना चाहते हो”

تَبْعُوْنَهَا عَوْجًا

الْحَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥٠﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٥١﴾ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٥٢﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٥٣﴾ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾ وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٥٥﴾

अब सूरह आले इमरान का निस्फे सानी शुरू हो रहा है, जिसका पहला हिस्सा दो रूकूओं पर मुश्तमिल है। आपने यह मुशाबेहत भी नोट कर ली होगी कि सूरतुल बकरह के निस्फे अब्वल में भी एक मरतबा { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا } से खिताब था: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا } इमरान के निस्फे अब्वल में भी एक आयत ऊपर आ चुकी है (आयत:100): { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ تَطِيعُوا فَرِيضًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفْرِينَ } लेकिन मुस्लमानों से असल खिताब ग्याहरवे रूकूअ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर असल में उम्मत को एक सह निकालती लाहिया (three pronged strategy) अमल दिया जा रहा है। ज़ाहिर है कि यह उम्मत अब क़ायामत तक क़ायम रहने वाली है, और इसमें ज़वाल भी आयेगा और अल्लाह तआला ऊलूल अज़म और बा-हिम्मत लोगों को भी पैदा करेगा, जैसा कि हमें मालूम है कि मुजद्दिदे दीने उम्मत हर सदी के अन्दर उठते रहे। लेकिन जब भी तजदीदे दीन का कोई काम हो, दीन को अज़सरे नौ तरो-ताज़ा करने की कोशिश हो, दीन को क़ायम करने की जद्दो-जहद हो तो उसका एक लाहिया अमल होगा। वह लाहिया अमल सूरह आले इमरान की इन तीन आयात (102,103,104) में निहायत जामियत के साथ सामने आया है। यह हुस्ते इत्तेफ़ाक़ है कि यह भी तीन आयात हैं जैसे सूरतुल अस्त्र की तीन आयात हैं, जो निहायत जामेअ हैं। इन आयात के मज़ामीन पर मेरी एक किताब भी मौजूद है “उम्मते मुस्लिमा के लिये सह निकालती लाहिया अमल” और उसका अंग्रेज़ी में भी तर्जुमा हो

था, जबकि यहूद साहिबे किताब और साहिबे शरीअत थे, उनके यहाँ उलमा थे। लिहाज़ा औस और खजरज के जो लोग इस्लाम ले आये थे उनके बारे में अन्देशा होता था कि कहीं यहूदी की रेशा दवानियों का शिकार ना हो जायें। इस क्रिस्म के खतरे से बचने की तदबीर भी बता दी गयी:

“और जो कोई अल्लाह से चिमट जाये उसको तो हिदायत हो गयी सिराते मुस्तक़ीम की तरफ़ा”

وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝

जो कोई अल्लाह की पनाह में आ जाये, अल्लाह का दामन मज़बूती से थाम ले उसे तो ज़रूर सिराते मुस्तक़ीम की हिदायत मिलेगी और वह ज़लालत व गुमराही के खतरात से महफूज़ हो जायेगा। जैसे शीर ख्वार बच्चे को कोई खतरा महसूस हो तो वह दौड़ कर आयेगा और अपनी माँ के साथ चिमट जायेगा। अब वह यह समझेगा कि मैं मज़बूत किले में आ गया हूँ, अब मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। वह नहीं जानता कि माँ बेचारी तमाम खतरात से उसकी हिफ़ाज़त नहीं कर सकती। उसे क्या पता कि कब कोई दरिन्दा सिफ्त इन्सान उसे माँ की गौद से खींच कर उछाले और किसी बल्लम या नेज़े की आनी में पिरो दे। बहरहाल बच्चा तो यही समझता है कि अब मैं माँ की गौद में आ गया हूँ तो महफूज़ पनाह में आ गया हूँ। अल्लाह का दामन वाक़िअतन महफूज़ पनाहगाह है, और जो कोई उसके साथ चिमट जाता है वह गुमराही की ठोकरों से महफूज़ हो जाता है और जादेह मुस्तक़ीम पर गामज़न हो जाता है।

اللهم ربنا اجعلنا منهم! آمين يارب العالمين!!

आयात 102 से 109 तक

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝ ۱۰۲ وَعَاتَصِبُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝ ۱۰۳ وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى

चिमट जाये (अल्लाह की हिफ़ाज़त में आ जाये) उसको तो हिदायत हो गई सिराते मुस्तक़ीम की तरफ़।” सूरतुल हज़ की आख़री आयत में भी यह अल्फ़ाज़ आया है: {وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ} “और अल्लाह से चिमट जाओ!” अब अल्लाह की हिफ़ाज़त में कैसे आया जाये? अल्लाह से कैसे चिमटें? उसके लिये फ़रमाया: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ} कि अल्लाह की रस्सी से चिमट जाओ, अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थाम लो। और यह अल्लाह की रस्सी कौनसी है? मुतअद्दिद अहादीस से वाज़ेह होता है कि यह “कुरान” है। एक तरफ़ इन्सान में तक्वा पैदा हो, और दूसरी तरफ़ उसमें इल्म आना चाहिये, कुरान का फ़हम पैदा होना चाहिये, कुरान के नज़रियात को समझना चाहिये, कुरान की हिकमत को समझना चाहिये। इंसानों में इज्तमाइयत जानवरों के गल्लों की तरह नहीं हो सकती कि भेड़-बकरियों का एक बड़ा रेवड़ है और एक चरवाहा एक लकड़ी लेकर सबको हाँक रहा है। इंसानों को जमा करना है तो उनके ज़हन एक जैसे बनाने होंगे, उनकी सोच एक बनानी होगी। यह हैवाने आक़िल हैं, बाशऊर लोग हैं। इनकी सोच एक हो, नज़रियात एक हो, मक्कासिद एक हों, हम-आहंगी हो, नुक्ता-ए-नज़रिया एक हो तभी तो यह जमा होंगे। इसके लिये वह चीज़ चाहिये जो उनमें यकरंगी ख्याल, यकरंगी नज़र, यकजहती और मक्कासिद की हम-आहंगी पैदा कर दे, और वह कुरान है, जो “हब्लुल्लाह” है।

हज़रत अली رضى الله عنه से मरवी तवील हदीस में कुरान हकीम के बारे में रसूल अल्लाह صلی الله علیه وسلم के अल्फ़ाज़ नक़ल हुए हैं: ((وَهُوَ حَبْلُ اللهِ الْمَتِينُ))⁽¹⁾ हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद رضى الله عنه से रिवायत है कि आँहुज़ूर صلی الله علیه وسلم ने फ़रमाया:

كِتَابُ اللهِ حَبْلٌ مَّخْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ

“अल्लाह की किताब (को थामे रखना), यही वह मज़बूत रस्सी है जो आसमान से ज़मीन तक तनी हुई है।”

एक और हदीस में फ़रमाया:

ابْشِرُوا الْبَشَرُ وَأَبْشِرُوا ----- فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ طَرَفُهُ بِيَدِ اللهِ وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ

“खुश हो जाओ, खुशियाँ मनाओ..... यह कुरान एक वास्ता है, जिसका एक सीरा अल्लाह के हाथ में है और एक सीरा तुम्हारे हाथ में है।”

चुका है। इस लाहिया अमल का पहला नुक्ता यह है कि जब भी कोई काम करना है तो सबसे पहले अफ़राद की शख्सियत साज़ी, किरदार साज़ी करना होगी। चुनाँचे फ़रमाया:

आयत 102

“ऐ अहले ईमान! अल्लाह का तक्रवा इख्तियार करो जितना कि उसके तक्रवे का हक़ है”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ

“और तुम्हें हरगिज़ मौत ना आने पाये मगर फ़रमाबरदारी की हालत में।”

وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾

कुरान मजीद में तक्रवे की तलक़ीन के लिये यह सबसे गाढी आयत है। इस पर सहाबा رضی اللہ عنہم घबरा गये कि या रसूल अल्लाह ﷺ! अल्लाह के तक्रवे का हक़ कौन अदा कर सकता है? फिर जब सूरह तगाबुन की यह आयत नाज़िल हुई कि { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (आयत:16) “अपनी इस्कानी हद तक अल्लाह का तक्रवा इख्तियार करो” तब उनकी जान में जान आयी। तक्रवे के हुक़म के साथ ही यह फ़रमाया कि “मत मरना मगर हालते फ़रमाबरदारी में।” इसके मायने यह हैं कि कोई पता नहीं किस लम्हे मौत आ जाये, लिहाज़ा तुम्हारा कोई लम्हा नाफ़रमानी में ना गुज़रे, मबादा मौत का हाथ उसी वक़्त आकर तुम्हें दबोच ले। अगर पहले इस तरह की शख्सियतें ना बनी हो तो इज्तमाई इस्लाह का कोई काम नहीं हो सकता। इसलिये पहले अफ़राद की किरदार साज़ी पर ज़ोर दिया गया। उसके बाद दूसरा मरहला यह है कि एक इज्तमाइयत इख्तियार करो।

आयत 103

“अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थाम लो मिल-जुल कर और तफ़रक़े में ना पड़ो।”

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ

याद रहे कि इससे पहले आयत 101 इन अल्फ़ाज़ पर ख़त्म हुई है: { وَمَنْ يَعْصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ } “और जो कोई अल्लाह तआला से

“और तुम तो आग के गड्ढे के किनारे तक पहुँच गये थे” (बस उसमें गिरने ही वाले थे)

وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ

“तो अल्लाह ने तुम्हें उससे बचा लिया।”

فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا

“इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिये अपनी आयात वाज़ेह कर रहा है ताकि तुम राह पाओ (और सही राह पर कायम रहो)।”

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

①

उम्मत मुस्लिमा के लिये सह निकालती लाहिया अमल के यह दो नुक्ते बयान हो गये। सबसे पहले अफ़राद के किरदार की तामीर, उन्हें तक्रवा और फरमाबरदारी जैसे औसाफ़ से मुत्तसिफ़ (तैयार) करना---और फिर उनको एक जमीअत, तंज़ीम या जमाअत की सूरत में मुनज्ज़म करना, और उस तंज़ीम का मानवी महवर कुरान मजीद होना चाहिये, जो हब्लुल्लाह है। बक्रौल अल्लामा इक्रबाल: “अ-तसा मश कुन कि हब्लुल्लाह ऊस्त!” इसको मज़बूती से थामो कि यह हब्लुल्लाह है! इस जमाअत साज़ी का फ़ितरी तरीक़ा भी हम इसी सूरत की आयत 52 के ज़ेल में पढ़ चुके हैं कि कोई अल्लाह का बंदा दाई बन कर खड़ा हो और { مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ } की आवाज़ लगाये कि मैं तो इस रास्ते पर चल रहा हूँ, अब कौन है जो मेरे साथ इस रास्ते पर आता है और अल्लाह की राह में मेरा मददगार बनता है? ऐसी जमीअत जब वजूद में आयेगी तो वह क्या करेगी? इस ज़िमन में यह तीसरी आयत अहमतरिन है:

आयत 104

“और तुम में से एक जमाअत ऐसी ज़रूर होनी चाहिये जो खैर की तरफ़ दावत दे, नेकी का हुक्म देती रहे और बदी से रोकती रहे।”

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

उस जमाअत के करने के तीन काम बताये गये हैं, जिनमें अब्वलीन दावत इलल खैर है, और वाज़ेह रहे कि सबसे बड़ा खैर यह कुरान है।

“और यही लोग फ़लाह पाने वाले हैं।”

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْبَاقِيُونَ

चुनाँचे तक्ररुब इलल्लाह का ज़रिया भी कुरान है, और मुस्लमानों को आपस में जोड़ कर रखने का ज़रिया भी कुरान है। यही वजह है कि हमारी दावत व तहरीक का मिम्बा व सरचश्मा और मन्ना (आधार) व मदार (क्षेत्र) कुरान है। इसका उन्वान ही “दावत रुजूअ इलल कुरान” है। मैंने अपनी पूरी ज़िन्दगी अल्हम्दुलिल्लाह इसी काम में खपाई है, और इसी के ज़रिये से अंजुमन हाय खुद्दामुल कुरान और कुरान अकेडमीज़ का सिलसिला कायम हुआ। इन अकेडमीज़ में “एक साला रुजूअ इलल कुरान कोर्स” बरसहा बरस से जारी है। इस कोर्स में जदीद तालीम याफ़ता लोग दाखिला लेते हैं, जो एम.ए./ एम.एस.सी. होते हैं, बाज़ पी.एच.डी. कर चुके होते हैं, डॉक्टर और इंजिनियर भी आते हैं। वह एक साल लगा कर अरबी सीखते हैं ताकि कुरान को समझ सकें। ज़ाहिर है जब कुरान मजीद के साथ आपकी वाबस्तगी होगी तो फिर आप दीन के उस रुख पर आगे चलेंगे। तो यह दूसरा नुक्ता हुआ कि अल्लाह की रस्सी को मिल-जुल कर मज़बूती से थाम लो और तफ़रके में ना पड़ो।

“और ज़रा याद करो अल्लाह का जो ईनाम जो तुम पर हुआ जबकि तुम एक-दूसरे के दुश्मन थे”

وَأذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً

“तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों के अन्दर उल्फ़त पैदा कर दी”

فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ

“पस तुम अल्लाह के फज़लो करम से भाई-भाई बन गयो”

فَأَصْبَحْتُمْ بَيْنِعَيْنِهِ إِخْوَانًا

यहाँ अब्बलीन मुखातिब अन्सार हैं। उनके जो दो क़बीले थे औस और खज़रज वह आपस में लड़ते आ रहे थे। सौ बरस से खानदानी दुश्मनियाँ चली आ रही थीं और क़त्ल के बाद क़त्ल का सिलसिला जारी था। लेकिन जब ईमान आ गया, इस्लाम आ गया, अल्लाह की किताब आ गयी, मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ आ गये तो अब वह शेर ओ शुक्र हो गये, उनके झगड़े ख़त्म हो गये। इसी तरह पूरे अरब के अन्दर ग़ारतगरी होती थी, लेकिन अब अल्लाह ने उसे दारुल अमन बना दिया।

बनाओ, कुव्वत मुज्तामअ करो। जब वह ताक़त जमा हो जाये तो फिर खड़े हो जाओ कि अब हम यह गलत काम नहीं करने देंगे। फिर वह होगा “नहीं अनिल मुन्कर बिल यद” यानि ताक़त के साथ बुराई को रोक देना। और यह होगा इन्क़लाब का आखरी मरहला।

तो इन तीन आयात के अन्दर अज़ीम हिदायत है, इन्क़लाब का पूरा लाहिया अमल मौजूद है, बल्कि इसी में मन्हेजे इन्क़लाबे नबवी صلی اللہ علیہ وسلم का जो आखरी अक़दामी अमल है वह भी पोशीदा है।

आयत 105

“और उन लोगों की तरह ना हो जाना जो फिरक़ो में बंट गये और उन्होंने इख़्तिलाफ़ पैदा कर लिये इसके बाद कि उनके पास वाज़ेह तालीमात आ गयी थीं।”

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ
بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ

“और उन्हीं लोगों के लिये बहुत बड़ा अज़ाब है।”

وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾

आयत 106

“(क़यामत के दिन) जिस दिन बाज़ चेहरे बड़े रोशन और ताबनाक होंगे और बाज़ चेहरे सियाह होंगे।”

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ

“तो जिन लोगों के चेहरे सियाह होंगे (उनसे पूछा जायेगा)”

فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ

“क्या तुम अपने ईमान के बाद क़ुफ़्र में लौट गये थे?”

أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

हिदायत के आने के बाद तुम लोग तफ़रक़े में पड़ गये थे और हब्लुल्लाह को छोड़ दिया था।

“तो अब अज़ाब का मज़ा चखो उस क़ुफ़्र के

فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٠٦﴾

यहाँ लफज़ "مِنْكُمْ" बड़ा मायने खेज़ है कि तुम में से एक ऐसी उम्मत वजूद में आनी चाहिये। गोया एक तो बड़ी उम्मत है उम्मते मुस्लिमा, वह तो एक सौ पचास करोड़ नफूस पर मुश्तमिल है, जो ख्वाबे गफ़लत में मदहोश है, अपने मंसब को भूले हुए हैं, दीन से दूर हैं। लिहाज़ा इस उम्मत के अन्दर एक छोटी उम्मत यानि एक जमाअत वजूद में आये जो "जागो और जगाओ" का फ़रीज़ा सर अंजाम दे। अल्लाह ने तुम्हें जागने की सलाहियत दे दी है, अब औरों को जगाओ और उसके लिये ताक़त फ़राहम करो, एक मुनज्ज़म जमाअत बनाओ! फ़रमाया कि यही लोग फ़लाह पाने वाले हैं। वह बड़ी उम्मत जो करोड़ों अफ़राद पर मुश्तमिल है और यह काम नहीं करती वह अगर फ़लाह और निजात की उम्मीद रखती है तो यह एक उम्मीद मौहूम है। फ़लाह पाने वाले सिर्फ़ यह लोग होंगे जो तीन काम करेंगे: (1) दावत इलल ख़ैर (2) अम्र बिल मारूफ़ (3) नही अनिल मुन्कर। मैंने "मन्हजे इन्क़लाबे नबवी صلی اللہ علیہ وسلم" के मराहिल व मदारिज (स्तिथि) के ज़िमन में भी यह बात वाज़ेह की है कि इस्लामी इन्क़लाब के लिये आखरी अक़दाम भी "नही अनिल मुन्कर बिल यद" होगा। इसलिये कि हदीस में रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ने नही अनिल मुन्कर के तीन मरातिब बयान किये हैं। हज़रत अबु सईद खुदरी रज़ि० से रिवायत है कि रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ने इरशाद फ़रमाया:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ،
وَذَلِكَ أضعف الإيمان.

"तुम में से जो कोई किसी मुन्कर को देखे उसका फ़र्ज़ है कि उसे ज़ोरे बाजू से रोक दे। पस अगर इसकी ताक़त नहीं है तो ज़बान से रोके। फिर अगर इसकी भी हिम्मत नहीं है तो दिल में बुराई से नफ़रत ज़रूर रखे। और यह ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है।"

अगर दिल में नफ़रत भी ख़त्म हो गई है तो समझ लो कि मता-ए-ईमान रुख़सत हो गयी है। बक़ौल इक़बाल:

वाये नाकामी मता-ए-कारवाँ जाता रहा

कारवाँ के दिल से अहसास-ए-ज़ियाँ जाता रहा!

हाँ, दिल में नफ़रत है तो अगला क़दम उठाओ। ज़बान से कहना शुरू करो कि भाई यह चीज़ ग़लत है, अल्लाह ने इसको हराम ठहराया है, यह काम मत करो। लेकिन इसके साथ-साथ अपनी एक ताक़त बनाते जाओ। एक जमाअत

आयात 110 से 120 तक

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ
 بِاللَّهِ وَلَوْ أَمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ
 ⑩ لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُؤَلُّوكُمْ الْإِدْبَارَ ۗ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ⑪
 ضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلَّةَ أَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا
 بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةَ ۗ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ
 وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ۗ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ⑫ لَيْسُوا سَوَاءً ۗ مِنْ
 أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتَّخِذُونَ آيَاتِ اللَّهِ آتَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ⑬ يُؤْمِنُونَ
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي
 الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ⑭ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 بِالْمُتَّقِينَ ⑮ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا أَوْلَادَهُمْ مِنَ اللَّهِ
 شَيْئًا ۗ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ⑯ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ ۗ وَمَا
 ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ⑰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ
 دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا ۗ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۗ وَمَا
 تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۗ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ⑱ هَاتَمُوا أَوْلَاءَ
 تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا
 عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَمَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
 ⑳ إِنَّ تَمَسَّسَكُمْ حَسَنَةً تَسْؤُهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصَابَرُوا
 وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ㉑

बाइस जो तुम करते रहे थे।”

आयत 107

“और जिनके चेहरे रोशन और ताबनाक होंगे तो वह अल्लाह की रहमत में होंगे।”

وَأَمَّا الَّذِينَ ابْتَيْضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ

“वह उसी में हमेशा-हमेश रहेंगे।”

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٠٧﴾

आयत 108

“यह अल्लाह की आयात हैं जो हम आपको पढ़ कर सुना रहे हैं हक के साथ।”

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَنْزَلُهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ

“और अल्लाह तआला तो जहान वालों के लिये जुल्म का इरादा नहीं रखता।”

وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٨﴾

लोग अपने ऊपर खुद जुल्म करते हैं, खुद गलत रास्ते पर पड़ते हैं और फिर उसकी सज़ा उन्हें दुनिया और आखिरत में भुगतनी पड़ती है।

आयत 109

“और अल्लाह ही के लिये है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है।”

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

“और बिल आखिर सारे मामलात अल्लाह ही की तरफ़ लौटाये जायेंगे।”

وَالِلَّهِ تُرْجَعُ الْاُمُورُ ﴿١٠٩﴾

कुरान हकीम में अहम मबाहिस के बाद अक्सर इस तरह की आयात आती हैं। यह गोया concluding remarks होते हैं।

“और तुम ईमान रखते हो अल्लाह पर।”

وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

नबी अकरम صلی اللہ علیہ وسلم के दौर में पूरी उम्मत मुस्लिमा की यह कैफ़ियत थी। और वह जो पहले बताया गया है कि एक जमाअत वजूद में आये (आयत 104) वह उस वक़्त के लिये है जब उम्मत अपने मक़सदे वजूद को भूल गयी हो। तो ज़ाहिर बात है जिनको होश आ जाये वह लोगों को जगायें और एक जमीअत फ़राहम करें।

“और अगर अहले किताब भी ईमान ले आते तो यह उनके हक़ में बेहतर था।”

وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ

“उनमें से कुछ तो ईमान वाले हैं”

مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ

इससे मुराद वह लोग भी हो सकते हैं जो उस वक़्त तक यहूदियों या नस्रानियों में से ईमान ला चुके थे, और वह भी जिनके अन्दर बिल कुव्वा (potentially) ईमान मौजूद था और अल्लाह को मालूम था कि वह कुछ अर्से के बाद ईमान ले आयेंगे।

“लेकिन उनकी अक्सरियत नाफ़रमानों पर मुश्तमिल है।”

وَكَثُرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٠٥﴾

वही मामला जो आज उम्मत मुस्लिमा का हो चुका है। आज उम्मत की अक्सरियत का जो हाल है वह सबको मालूम है।

आयत 111

“(ऐ मुस्लमानों!) यह तुम्हें कोई नुक़सान नहीं पहुँचा सकेंगे सिवाय थोड़ी सी कोफ़्त के।”

لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى

यह तुम्हारे लिये थोड़ी सी ज़बान दराज़ी और कोफ़्त का सबब तो बनते रहेंगे, लेकिन यह बिल फ़अल तुम्हें कोई ज़रर नहीं पहुँचा सकेंगे।

“और अगर यह तुमसे जंग करेंगे तो पीठ दिखा देंगे।”

وَإِنْ يُقَاتِلُواكُمْ يُولُوْكُمْ الْاَدْبَارَ

इनमें जुरात नहीं है, यह बुज़दिल हैं, तुम्हारा मुक़ाबला नहीं कर सकेंगे।

आयत 110

“तुम वह बेहतरीन उम्मत हो जिसे लोगों के लिये बरपा किया गया है”

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

यहाँ उम्मते मुस्लिमा की ग़ज़े तासीस (reason to establish) बयान की जा रही है। यानि यह पूरी उम्मते मुस्लिमा इस मक़सद के लिये बनायी गयी थी। यह दूसरी बात है कि उम्मते मुस्लिमा अपना मक़सदे हयात भूल जाये। ऐसी सूरत में उम्मत में से जो भी जाग जायें वह दूसरों को जगा कर “उम्मत के अन्दर एक उम्मत” (Ummah within Ummah) बनायें और मज़क़ूरा बाला तीन काम करें। लेकिन हक़ीक़त में तो मज्मुई तौर पर इस उम्मते मुस्लिमा का फ़ज़े मंसबी ही यही है।

क़ब्ल अज़ हम सूरतुल बकररह की आयत 143 में उम्मते मुस्लिमा का फ़ज़े मंसबी बाअल्फ़ाज़ पढ़ चुके हैं:

{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا}

सूरह आले इमरान की आयत ज़ेरे मुताअला इसी के हमवज़न और हमपल्ला आयत है। फ़रमाया: “तुम बेहतरीन उम्मत हो जिसे लोगों के लिये निकाला गया है।” दुनिया की दीगर क़ौमों अपने लिये ज़िन्दा रहती हैं। उनके पेशे नज़र अपनी तरक्की, अपनी बेहतरी, अपनी बहबूद (कल्याण) और दुनिया में अपनी इज़ज़त व अज़मत होती है, लेकिन तुम वह बेहतरीन उम्मत हो जिसे लोगों की रहनुमाई के लिये मबऊस किया गया है:

हम तो जीते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे

कहीं मुमकिन है कि साक़ी ना रहे ज़ाम रहे!

मुस्लमान की ज़िन्दगी का मक़सद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हिदायत की तरफ़ बुलाना और लोगों को जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश करना है। तुम्हें जीना है उनके लिये, वह जीते हैं अपने लिये। तुम्हें निकाला गया है, बरपा किया गया है लोगों के लिये।

“तुम हुक्म करते हो नेकी का”

تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

“और तुम रोकते हो बदी से”

وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

याद रहे कि यह आयत थोड़े से लफज़ी फ़र्क के साथ सूरतुल बकरह में भी गुज़र चुकी है। (आयत 61)

आयत 113

“यह सबके सब बराबर नहीं हैं।”

لَيْسُوا سَوَاءً

इनमें अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं।

“अहले किताब में ऐसे लोग भी हैं जो (सीधे रास्ते पर) कायम हैं, रात के अवकाश में अल्लाह की आयत की तिलावत करते हैं और सज्दा करते हैं।”

مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ
آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿١١٣﴾

रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم के ज़माने में खास तौर पर ईसाई राहियों की एक कसीर तादाद इस किरदार की हामिल थी। उन्हीं में से एक बहीरा राहिब था जिसने बचपन में आँहुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم को पहचान लिया था। यहूद में भी इक्का-दुक्का लोग इस तरह के बाक़ी होंगे, लेकिन अक्सरो बेशतर यहूद में से यह किरदार ख़त्म हो चुका था, अलबत्ता ईसाईयों में ऐसे लोग बकसरत मौजूद थे।

आयत 114

“वह ईमान रखते हैं अल्लाह पर और यौमे आख़िर पर”

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

“और नेकी का हुक़्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं”

وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

“और नेकियों में एक-दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं।”

وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ

“और यक़ीनन यह लोग सालेहीन में से हैं।”

وَأُولَئِكَ مِنَ الصّٰلِحِينَ ﴿١١٤﴾

“फिर उनकी मदद नहीं की जायेगी।”

ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴿١١٠﴾

यह ऐसे बेबस होंगे कि इनको कहीं से मदद भी नहीं मिल सकेगी।

आयत 112

“उनके ऊपर ज़िल्लत थोप दी गयी है जहाँ कहीं भी पाये जायें”

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا تَفَقَّوْا

“सिवाये यह कि (उन्हें किसी वक्त) अल्लाह का कोई सहारा हासिल हो जाये या लोगों की तरफ़ से कोई सहारा मिल जाये”

إِلَّا يَجِبُلُ مِنَ اللَّهِ وَحِبُلٍ مِنَ النَّاسِ

जैसे आज पूरी ईसाई दुनिया उनका सहारा बनी हुई है। इसराइल अपने बल पर नहीं, बल्कि पूरी ईसाई दुनिया की पुशतपनाही पर कायम है। खलीज की जंग में इत्तेहादी अफ़वाज के कमान्डर एंड चीफ़ ने साफ़ कह दिया था कि यह सारी जंग हमने इसराइल के तहफ़फ़ुज़ के लिये लड़ी है। गोया इस क्रदर ख़ूरेज़ी से सिर्फ़ इसराइल का तहफ़फ़ुज़ पेशे नज़र था।

“और यह अल्लाह तआला के गज़ब के मुस्तहिक़ हो गये”

وَبَأْؤُ وَبِعَصَبٍ مِنَ اللَّهِ

“और इनके ऊपर कम हिम्मती मुसल्लत कर दी गयी।”

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ

“यह इसलिये हुआ कि यह अल्लाह तआला की आयात का इन्कार करते रहे”

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ

“और अम्बिया को नाहक़ क़त्ल करते रहे।”

وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ

“और यह इसलिये हुआ कि इन्होंने नाफ़रमानी की रविश इख़्तियार की और हूद से तजावुज़ करते रहे।”

ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١١١﴾

“कि जैसे एक ज़ोरदार आँधी जिसमें पाला हो”

كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ

“वह किसी ऐसी क्रौम की खेती को आ पड़े जिसने अपनी जानों पर जुल्म किया हो, फिर वह उस (खेती) को तबाह व बर्बाद और तहस-नहस करके रख दे।”

أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ
فَأَهْلَكَتْهُ

यानि उनकी यह नेकियाँ, यह इन्फ़ाक़, यह जद्दो-जहद और दौड़-धूप सबकी सब बिल्कुल ज़ाया हो जाने वाली है।

“और उन पर अल्लाह ने कोई जुल्म नहीं किया, बल्कि वह अपनी जानों पर खुद जुल्म ढा रहे हैं।”

وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٥٠﴾

आयत 118

“ऐ अहले ईमान! अपने सिवा किसी को अपना राज़दार ना बनाओ”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِيٰطَانَةً مِّنْ
دُونِكُمْ

यानि जिस शख्स के बारे में इत्मिनान हो कि साहिबे ईमान है, मुस्लमान है, उसके अलावा किसी और शख्स को अपना भेदी और महरमे राज़ ना बनाओ। यहूदी एक अर्से से मदीने में रहते थे और औस व खज़रज के लोगों की उनसे दोस्तियाँ थीं, पुराने ताल्लुक्कात और रवाबित थे। इसकी वजह से बाज़ अवक्कात सादा लौ मुस्लमान अपनी सादगी में राज़ की बातें भी उन्हें बता देते थे। इससे उन्हें रोका गया।

“वह तुम्हारे लिये किसी खराबी में कोई कसर नहीं छोड़ते।”

لَا يَأْلُو نَكُمْ حَبَالًا

“उन्हें पसंद है वह चीज़ जो तुम्हें तकलीफ़ और मशक्कत में डाले।”

وَدُوَامًا عَنِتُّمْ

“उनकी दुश्मनी उनके मुँह से भी ज़ाहिर हो

فَدَبَدَبَتِ الْبَعْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ

आयत 115

“जो खैर भी यह करेंगे तो उसकी नाक़द्री नहीं की जायेगी।”

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا

“और अल्लाह ऐसे मुत्तक़ी लोगों से खूब वाक़िफ़ है।”

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ⑩

आयत 116

“(इसके बरअक्स) जो लोग कुफ़्र पर अड गये, उनके काम नहीं आ सकेंगे ना उनके अमवाल ना उनकी औलाद अल्लाह से बचाने में कुछ भी।”

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ
وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا

“यही लोग जहन्नमी हैं।”

وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ

“उसी में हमेशा रहेंगे।”

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ⑪

आयत 117

“दुनिया की इस ज़िन्दगी में यह लोग जो भी खर्च करते हैं उसकी मिसाल ऐसी है”

مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

कुरेशे मक्का अहले अहले ईमान के खिलाफ़ जो जंगी तैयारियाँ कर रहे थे तो उसके लिये माल खर्च करते थे। फ़ौज तैयार करनी हो तो उसके लिये ऊँट और दीगर सवारियों की ज़रूरत है, सामाने हर्बों ज़र्ब की ज़रूरत है, तो ज़ाहिर है उसके लिये माल तो खर्च होगा। यह इस इन्फ़ाके माल की तरफ़ इशारा है कि यह लोग दुनिया की ज़िन्दगी में जो कुछ खर्च करते हैं या तो दीन की मुखालफ़त के लिये या अपने जी को ज़रा झूठी तसल्ली देने के लिये करते हैं कि हम कुछ सदक्का व खैरात भी करते हैं, चाहे हमारा किरदार कितना ही गिर गया हो। तो उनके इन्फ़ाक़ की मिसाल ऐसी है:

इन्जील आयी और फिर यह कुरान मजीद आया है, जो हिदायते कामिला पर मुशतमिल है। तो तुम तो पूरी की पूरी किताब को मानते हो।

“और जब वह तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं हम भी मोमिन हैं।”

وَإِذَا لَقُّوْكُمْ قَالُوْا آمَنَّا

“और जब वह खलवत में होते हैं तो अब तुम पर गुस्से की वजह से अपनी उँगलियाँ चबाते हैं।”

وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوْا عَلَيْكُمْ الْاَنَامِلَ مِنَ الْعَيْظِ

जब वह देखते हैं कि अब उनकी कुछ पेश नहीं जा रही और इस्लाम का मामला और आगे से आगे बढ़ता जा रहा है तो गुस्से में पेच व ताब खाते हैं और अपनी उँगलियाँ चबाते हैं।

“उनसे कहो मर जाओ अपने इस गम व गुस्से में।”

قُلْ مُوتُوْا بِعَيْظِكُمْ

“यक्रीनन अल्लाह तआला जो कुछ सीनों के अन्दर मुज़मर है उससे भी वाक्रिफ है।”

إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذٰاتِ الصُّدُوْرِ ﴿١٠﴾

आयत 120

“(ऐ मुस्लमानों!) अगर तुम्हें कोई भलाई पहुँच जाये तो उनको बुरी लगती है।”

إِنْ تَمَسَّسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ

अगर तुम्हें कोई कामयाबी हासिल हो जाये, कहीं फ़तह नसीब हो जाये तो उनको इससे तकलीफ़ पहुँचती है।

“और अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँचे तो इससे वह खुश होते हैं।”

وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوْا بِهَا

अगर तुम्हें कोई गज़न्द (चोट) पहुँच जाये, कहीं आरज़ी तौर पर शिकस्त हो जाये, जैसे ओहद में हो गयी थी, तो बड़े खुश होते हैं, शादयाने बजाते हैं।

“लेकिन अगर तुम सब्र करते रहो और तक़वा की रविश इख्तियार किये रहो तो उनकी यह सारी चालें तुम्हें कोई मुस्तक्रिल नुक़सान नहीं

وَإِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ

شَيْئًا

चुकी है।”

उनका कलाम ऐसा ज़हर आलूदा होता है कि उससे इस्लाम और मुस्लिमानों की दुश्मनी टपकती पड़ती है। यह अपनी ज़बानों से आतिश बरसाते हैं।

“और जो कुछ उनके सीने छुपाये हुए हैं वह इससे भी बढ़ कर है।”

وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ

जो कुछ उनकी ज़बानों से ज़ाहिर होता है वह तो फिर भी कम है, उनके दिलों के अन्दर दुश्मनी और हसद की जो आग भड़क रही है वह इससे कहीं बढ़ कर है।

“हमने तुम्हारे लिये अपनी आयात को वाज़ेह कर दिया है अगर तुम अक्ल से काम लो।”

قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ⑩

यानि अपने तर्ज़े अमल पर गौर करो और इससे बाज़ आ जाओ!

आयत 119

“यह तुम्ही हो कि उनको दोस्त रखते हो”

هَآأَنْتُمْ أَوْلَاءُ تُحِبُّونَهُمْ

यह तुम्हारी शराफ़त और सादालोई है कि तुम उनसे मोहब्बत करते हो और पुराने ताल्लुकात और दोस्तियों को निभाना चाहते हो।

“लेकिन (जान लो कि) वह तो तुमसे मोहब्बत नहीं करते”

وَلَا يُحِبُّونَكُمْ

वह तुमसे दोस्ती नहीं रखते।

“हालाँकि (तुम्हारी शान यह है कि) तुम पूरी किताब को मानते हो।”

وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ

तुम तौरात को भी मानते हो, इन्ज़ील को भी मानते हो। सूरतुन्निसा में अल्फ़ाज़ आये हैं: { اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ... } (आयत:44) क्या तुमने उन लोगों को देखा जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया था....” चुनाँचे तमाम आसमानी किताबें अल्लाह तआला की उस क़दीम किताब “उम्मुल किताब” ही के हिस्से हैं। उसी “उम्मुल किताब” में से पहले तौरात आयी, फिर

यहाँ से सूरह आले इमरान के निस्फ्रे सानी के दूसरे हिस्से का आगाज़ हो रहा है, जो छः रकूआत पर मुहीत है। यह छः रकूअ मुसलसल गज़वा-ए-ओहद के हालात व वाक़िआत और उन पर तबसिरे पर मुशतमिल हैं। गज़वा-ए-ओहद शवाल 3 हिजरी में पेश आया था। इससे पहले रमज़ान 2 हिजरी में गज़वा-ए-बद्र पेश आ चुका था, जिसका तज़क़िरा हम सूरतुल अन्फ़ाल में पढ़ेंगे। इसलिये कि तरतीबे मुसहफ़ ना तो तरतीबे ज़मानी के ऐतबार से है और ना ही तरतीबे नुज़ूली के मुताबिक़। गज़वा-ए-बद्र में अल्लाह तआला ने मुस्लमानों को बहुत ज़बरदस्त फ़तह दी थी और कुफ़ारे मक्का को बड़ी ज़क (चोट) पहुँची थी। उनके सत्तर (70) सरबरावरदा लोग मारे गये थे, जिनमें कुरैश के तक्ररीबन सारे बड़े-बड़े सरदार भी शामिल थे। अहले मक्का के सीनों में इन्तेक़ाम की आग भड़क रही थी और उनके इन्तक़ामी जज़्बात लावे की तरह खोल रहे थे। चुनाँचे एक साल के अन्दर-अन्दर उन्होंने पूरी तैयारी की और तमाम साज़ो सामान जो वह जमा कर सकते थे जमा कर लिया। अब जहल गज़वा-ए-बद्र में मारा जा चुका था और अब कुरैश के सबसे बड़े सरदार अबु सुफ़ियान थे। (अबु सुफ़ियान चूँकि बाद में ईमान ले आये थे और सहाबियत के मरतबे से सरफ़राज़ हुए थे लिहाज़ा हम उनका नाम अहतराम से लेते हैं।) अबु सुफ़ियान तीन हज़ार जंगजुओं का लश्कर लेकर मदीना पर चढ़ दौड़े। अहले मक्का अपनी फ़तह यक़ीनी बनाने के लिये इस दफ़ा अपने बच्चों और ख़ास तौर पर ख्वातीन को भी साथ लेकर आये थे ताकि उनकी ग़ैरत बेदार रहे कि अगर कहीं मैदान से हमारे क़दम उखड गये तो हमारी औरतें मुस्लमानों के कब्ज़े में चली जायेंगी। अबु सुफ़ियान की बीवी हिन्दा बिनते उत्वा भी लश्कर के हमराह थी। (वह भी बाद में फ़तह मक्का के मौके पर ईमान ले आयी थीं।) गज़वा-ए-बद्र में हिन्दा का बाप, भाई और चचा मुस्लमानों के हाथों वासिल-ए-जहन्नम हो चुके थे, लिहाज़ा उसके सीने के अन्दर भी इन्तेक़ाम की आग भड़क रही थी। मक्का का शायद ही कोई घर बचा हो जिसका कोई फ़र्द गज़वा-ए-बद्र में मारा ना गया हो।

इस मौके पर नबी अकरम صلی اللہ علیہ وسلم ने मदीना मुनव्वरा में एक मुशावरत मुनअक्किद फ़रमायी कि अब क्या हिकमते अमली इख़्तियार करनी चाहिये, जबकि तीन हज़ार का लश्कर मदीना पर चढ़ाई करने आ रहा है। रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم का अपना रुज़ान इस तरफ़ था कि इस सूरते हाल में हम अगर मदीना में महसूर होकर मुक्काबला करें तो बेहतर रहेगा। अजीब इत्तेफ़ाक़ है

पहुँचा सकेंगी।

सूरतुल बक्ररह में सब्र और सलाह (नमाज़) से मदद लेने की तलक़ीन की गयी थी, यहाँ सलाह की जगह लफ़्ज़ तक्रवा आ गया है कि अगर तुम यह करते रहोगे तो फिर बिलआखिर उनकी सारी साज़िशें नाकाम होंगी।

“जो कुछ यह कर रहे हैं यक़ीनन अल्लाह
तआला उसका इहाता किये हुए है।”

إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢١﴾

यह अल्लाह तआला के दायरे से और उसकी खींची हुई हद से आगे नहीं निकल सकते। यह उसके अन्दर-अन्दर उछल-कूद कर रहे हैं और साज़िशें कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह तआला तुम्हें यह ज़मानत दे रहा है कि यह तुम्हें कोई मुस्तक़िल नुक़सान नहीं पहुँचा सकेंगे।

आयात 121 से 129 तक

وَإِذْ غَدَوْتُ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢١﴾ إِذْ
هَمَّتْ طَّائِفَتَيْنِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢٢﴾
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ تَقُولُ
لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنَزَّلِينَ ﴿١٢٤﴾
بَلَى إِنْ تَصَبَرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فُورِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آفٍ مِنَ
الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿١٢٥﴾ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا
النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١٢٦﴾ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ
فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ ﴿١٢٧﴾ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ
فَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٢٨﴾ وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يُعْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ
مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢٩﴾

गया। उनमें से अक्सर ने कहा कि रसूल صلی اللہ علیہ وسلم ने हमें जो इतनी ताकीद फ़रमायी थी वह तो शिकस्त की सूरत में थी, अब तो फ़तह हो गयी है, लिहाज़ा अब हमें भी चल कर माले गनीमत जमा करने में बाक़ी सब लोगों का साथ देना चाहिये। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ि० वहाँ के लोकल कमांडर थे, वह उन्हें मना करते रहे कि यहाँ से हरगिज़ मत हटो, रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم का हुक्म याद रखो। लेकिन वह तो हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم के हुक्म की तावील कर चुके थे। उनमें से 35 अफ़राद दर्रा छोड़ कर चले गये और सिर्फ़ 15 बाक़ी रह गये।

खालिद बिन वलीद (जो उस वक़्त तक ईमान नहीं लाये थे) मुशरिकीन की घुड़सवार फ़ौज (cavalry) के कमांडर थे। उनकी उक्काबी निगाह ने देख लिया कि वह दर्रा खाली है। उनकी पैदल फ़ौज (infantry) शिकस्त खा चुकी थी और भगदड़ मच चुकी थी। ऐसे में वह अपने दो सौ घुड़सवारों के दस्ते के साथ ओहद का चक्कर काट कर पुश्त से उस दर्रे के रास्ते मुस्लमानों पर हमलावर हो गये। दर्रे पर सिर्फ़ 15 तीर अंदाज़ बाक़ी थे, उनके लिये दो सौ घुड़सवारों की यलगार को रोकना मुमकिन नहीं था और वह मज़ाहमत (प्रतिरोध) करते हुए शहीद हो गये। इस अचानक हमले से यकायक जंग का पांसा पलट गया और मुस्लमानों की फ़तह शिकस्त में बदल गयी। सत्तर सहाबा किराम रज़ि० शहीद हो गये। रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم खुद भी ज़ख़मी हो गये। खौद की कड़ियाँ आप صلی اللہ علیہ وسلم के रुख़सार में घुस गयीं और दन्दाने मुबारक शहीद हो गये। खून इतना बहा कि आप صلی اللہ علیہ وسلم पर बेहोशी तारी हो गयी, और यह भी मशहूर हो गया कि हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم का इन्तेक़ाल हो गया है। इससे मुस्लमानों के हाँसले पस्त हो गये। लेकिन फिर जब रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ने लोगों को पुकारा तो लोग हिम्मत करके जमा हुए। तब आप صلی اللہ علیہ وسلم ने यह फ़ैसला किया कि इस वक़्त पहाड़ पर चढ़ कर बचाव कर लिया जाये, और आप صلی اللہ علیہ وسلم तमाम मुस्लमानों को लेकर कोहे ओहद पर चढ़ गये। इस मौक़े पर अबु सुफ़ियान और खालिद बिन वलीद के माबैन इख़्तलाफ़े राय हो गया। खालिद बिन वलीद का कहना था कि हमें उनके पीछे पहाड़ पर चढ़ना चाहिये और उन्हें ख़त्म करके ही दम लेना चाहिये। लेकिन अबु सुफ़ियान बड़े हक़ीक़त पसंद और ज़रीक़ शख्स थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मुस्लमान ऊँचाई पर हैं, वह ऊपर से पत्थर फेंकेगे और तीर बरसायेंगे तो हमारे लिये शदीद जानी नुक़सान का अन्देशा है। हमने बद्र का बदला ले लिया है, यही बहुत है।

कि रईसुल मुनाफ़िकीन अब्दुल्लाह बिन उबई की भी यही राय थी। लेकिन वह लोग जो बद्र के बाद ईमान लाये थे और वह जो गज़वा-ए-बद्र में शरीक नहीं हो पाये थे उनमें से ख़ास तौर पर नौजवानों की तरफ़ से खुसूसी जोशो खरोश का मुज़ाहिरा हो रहा था कि हमें मैदान में निकल कर दुश्मन का डट कर मुक्काबला करना चाहिये, हमें तो शहादत दरकार है, हमें आख़िर मौत से क्या डर है?

शहादत है मतलूब-ओ-मक़सूदे मोमिन

ना माले गनीमत ना किशवर कुशाई!

चुनाँचे रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ने उनके जज़्बात का लिहाज़ करते हुए फ़ैसला फ़रमा दिया कि दुश्मन का खुले मैदान में मुक्काबला किया जायेगा। नबी अकरम صلی اللہ علیہ وسلم ने एक हज़ार की नफ़री लेकर मदीना से जबल-ए-ओहद की जानिब कूच फ़रमाया, लेकिन रास्ते ही में अब्दुल्लाह बिन उबई अपने तीन सौ आदमियों को साथ लेकर यह कह कर वापस चला गया कि जब हमारे मशवरे पर अमल नहीं होता और हमारी बात नहीं मानी जाती तो हम ख्वाहमा ख्वाह अपनी जानें जोखिम में क्यों डालें? तीन सौ मुनाफ़िकीन के चले जाने के बाद इस्लामी लश्कर में सिर्फ़ सात सौ अफ़राद बाक़ी रह गये थे, जिनमें कमज़ोर ईमान वाले भी थे। चुनाँचे दामने ओहद में पहुँच कर मदीना के दो खानदानों बनु हारसा और बनु सलमा के क़दम भी थोड़ी देर के लिये डगमगाये और उन्होंने वापस लौटना चाहा, लेकिन फिर अल्लाह तआला ने उनको हौसला दिया और उनके क़दम जमा दिये।

इसके बाद जंग हुई तो अल्लाह की तरफ़ से मदद आयी। अल्लाह ने लश्करे इस्लाम को फ़तह दे दी और मुशरिकीन के क़दम उखड़ गये। नबी अकरम صلی اللہ علیہ وسلم ने ओहद पहाड़ को अपनी पुश्त पर रखा था और उसके दामन में सफ़बंदी की थी। सामने दुश्मन का लश्कर था। पहाड़ में एक दर्रा था और हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم को अन्देशा था कि ऐसा ना हो कि वहाँ से हम पर हमला हो जाये और हम दो तरफ़ से चक्की के दो पाटों के दरमियान आ जायें। लिहाज़ा आप صلی اللہ علیہ وسلم ने उस दर्रे पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ि० की इमारत में पचास तीर अंदाज़ तैनात फ़रमा दिये थे और उन्हें ताकीद फ़रमायी थी यहाँ से मत हिलना। चाहे तुम देखो कि हम सब मारे गये हैं और हमारा गोश्त चीलें और कव्वे नोच रहे हैं तब भी यह जगह मत छोड़ना! लेकिन जब मुस्लमानों को फ़तह हो गयी तो दर्रे पर मामूर हज़रात में इख़्तलाफ़े राये हो

फ़ख़र करते थे कि हम वह लोग हैं जिनका ज़िक्र अल्लाह तआला ने कुरान में {مِنْكُمْ} और {وَاللَّهُ وَلِيُّبِغْيَاءِ} के अल्फ़ाज़ में किया है। गौरतलब बात यह है कि तीन सौ मुनाफ़िक़ीन जो मैदाने जंग से चले गये थे अल्लाह तआला ने उनका ज़िक्र तक नहीं किया। गोया वह इस लायक़ भी नहीं हैं कि उनका बराहे रास्त ज़िक्र किया जाये। अलबत्ता आख़िर में उनका ज़िक्र बिल्वास्ता तौर पर (indirectly) आयेगा।

आयत 123

“और अल्लाह ने तो तुम्हारी मदद बद्र में भी की थी जबकि तुम बहुत कमज़ोर थे।”

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

गज़वा-ए-बद्र में एक हज़ार मुशरिकीन के मुक़ाबले में अहले ईमान सिर्फ़ तीन सौ तेरह थे, जबकि सबके पास तलवारें भी नहीं थीं। कुल आठ तलवारें थीं। कुफ़ारे मक्का एक सौ घोड़ों का रिसाला लेकर आये थे और इधर सिर्फ़ दो घोड़े थे। उधर सात सौ ऊँट थे और इधर सत्तर ऊँट थे। इस सबके बावजूद अल्लाह ने तुम्हारी मदद की थी और तुम्हें अपने से ताक़तवर दुश्मन पर ग़लबा अता फ़रमाया था।

“तो अल्लाह का तक्रवा इख़्तियार करो ताकि तुम अल्लाह का (सही मायने में) शुक्र अदा कर सको।”

فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ ﴿٣٣﴾

आयत 124

“(ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم!) जब आप कह रहे थे अहले ईमान से कि क्या तुम्हारे लिये यह काफ़ी नहीं है कि तुम्हारा रब तुम्हारी मदद करे तीन हज़ार फ़रिश्तों से जो आसमान से उतरने वाले होंगे?”

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ
يُمَدِّدَكُمْ رَبُّكُمْ بِغَلَّةٍ مِنَ السَّمَاءِ
مُزَلَّلِينَ ﴿٣٤﴾

यानि ऐ मुस्लमानों! अगर मुक़ाबले में तीन हज़ार का लश्कर आ गया है तो क्या ग़म है। मैं तुम्हें खुशख़बरी देता हूँ कि अल्लाह तआला तुम्हारी मदद को तीन हज़ार फ़रिश्ते भेजेगा जो आसमान से उतरेंगे। अल्लाह तआला ने अपने

चुनाँचे मुशरिकीन वहाँ से चले गये। मुताअला-ए-आयात से कब्ल गज़वा-ए-ओहद के सिलसिला-ए-वाक़िआत का यह इज्माली ख़ाका ज़हन में रहना चाहिये।

आयत 121

“(और ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم!) याद कीजिये जबकि सुबह को आप صلی اللہ علیہ وسلم अपने घर से निकले थे और मुस्लमानों को जंग के मोर्चों में मामूर कर रहे थे।”

وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ
مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ

गज़वा-ए-ओहद की सुबह आप صلی اللہ علیہ وسلم हज़रत आयशा के हुजरे से बरामद हुए थे और जंग के मैदान में सफ़्रबंदी कर रहे थे, वहाँ मोर्चे मुअय्यन कर रहे थे और उनमें सहाबा किराम رضی اللہ عنہم को मामूर कर रहे थे

“जबकि अल्लाह सब कुछ सुनने वाला जानने वाला है।”

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢١﴾

आयत 122

“जबकि तुम में से दो गिरोह बुज़दिली दिखाते पर आमादा हो गये थे”

إِذْ هَمَّتْ طَلِيفَتَيْنِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا

उन्होंने कुछ कमज़ोरी दिखाई, हौसला छोड़ने लगे और उनके पाँव लड़खड़ाये।

“हालाँकि अल्लाह उनका पुश्त पनाह था।”

وَاللَّهُ وَابِعُهُمَا

“और अल्लाह ही पर तवक्कुल करना चाहिये अहले ईमान को।”

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢٢﴾

जंग के आगाज़ से पहले अन्सार के दो घरानों बनु हारसा और बनु सलमा के क़दम वक़ती तौर पर डगमगा गये थे, बर-बनाये तबा-ए-बशरी उनके हौसले पस्त होने लगे थे और उन्होंने वापसी का इरादा कर लिया था, लेकिन अल्लाह तआला ने उनके दिलों को साबित अता फ़रमाया और उनके क़दमों को जमा दिया। फिर उनका ज़िक्र कुरान में कर दिया गया। और वह इस पर

आयत 127

“(और यह मदद वह तुम्हें इसलिये देगा)
ताकि काफ़िरों का एक बाजू काट दे”

لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا

“या उन्हें ज़लील कर दे कि वह खाइव
(असफल) व खासिर (हारे हुए) होकर लौट
जायें।”

أَوْ يَكْبِتُهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ ﴿١٢٧﴾

यह बात ज़हन में रहे कि यहाँ गज़वा-ए-ओहद के हालात व वाक़िआत और उन पर तबसिरा ज़मानी तरतीब से नहीं है। सबसे पहले रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم का अपने घर से निकल कर मैदाने जंग में मोर्चाबंदी का ज़िक्र हुआ। फिर उससे पहले का ज़िक्र हो रहा है जब ख़बरें पहुँची होंगी कि तीन हज़ार का लश्कर मदीना पर हमलावर होने के लिये आ रहा है और रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ने अहले ईमान को अल्लाह तआला की मदद व नुसरत की खुशखबरी दी होगी। अब इस जंग के दौरान मुस्लमानों से जो कुछ खताएँ और गलतियाँ हुईं उनकी निशानदेही की जा रही है। खुद आँहुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم से भी ख़ता का एक मामला हुआ, उस पर भी गिरफ्त है, बल्कि सबसे पहले उसी मामले को लाया जा रहा है। जब आप صلی اللہ علیہ وسلم शदीद ज़ख़मी हो गये और आप صلی اللہ علیہ وسلم पर बेहोशी तारी हो गयी, फिर जब होश आया तो आप صلی اللہ علیہ وسلم की ज़बान पर यह अल्फ़ाज़ आ गये:

كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ خَضَبُوا وَجْهَ نَبِيِّهِمْ بِالْدمِ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللّٰهِ

“यह क्रौम कैसे फ़लाह पायेगी जिसने अपने नबी के चेहरे को खून से रंग दिया जबकि वह उन्हें अल्लाह की तरफ़ बुला रहा था!”

तलवार का वार आँहुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم के रुख़सार की हड्डी पर पड़ा था और उससे आप صلی اللہ علیہ وسلم के दो दाँत भी शहीद हो गये थे। ज़ख़म से खून का फ़व्वारा छूटा था जिससे आप صلی اللہ علیہ وسلم का पूरा चेहरा मुबारक लहलुहान हो गया था। खून इतनी मिक़दार में बह गया था कि आप صلی اللہ علیہ وسلم पर बेहोशी तारी हो गयी। आप صلی اللہ علیہ وسلم होश में आये तो ज़बाने मुबारक से यह अल्फ़ाज़ अदा हो गये। इस पर यह आयत नाज़िल हुई: { لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ... } ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم इस मामले में आप صلی اللہ علیہ وسلم का कोई इख़्तियार नहीं है, आप صلی اللہ علیہ وسلم का काम दावत देना और तबलीग करना है। लोगों की हिदायत और ज़लालत के फ़ैसले हम करते हैं।

नबी صلى الله عليه وسلم की इस खुशखबरी को, जो एक तरह से इस्तदआ (इच्छा) भी हो सकती थी, फ़ौरी तौर पर शर्फ़े कुबूलियत अता फ़रमाया और इसकी मंजूरी का ऐलान फ़रमा दिया।

आयत 125

“क्यों नहीं (ऐ मुस्लमानों!) अगर तुम सब करोगे और तक़वा की रविश पर रहोगे और अगर वह फ़ौरी तौर पर तुम पर हमलावर हो जायें”

بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن
قَوْمِهِمْ هَذَا

“तो तुम्हारा रब तुम्हारी मदद करेगा पाँच हज़ार फ़रिश्तों के ज़रिये से जो निशानज़दा घोड़ों पर आएँगे।”

يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ
مُسَوِّمِينَ ﴿١٢٥﴾

आयत 126

“और अल्लाह ने इसको नहीं बनाया मगर तुम्हारे लिये बशारत”

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا لَّكُمْ

“और ताकि तुम्हारे दिल इससे मुत्मईन हो जायें।”

وَلِيُظهِرَنَّ قُلُوبَكُمْ بِهِ

“वरना मदद तो होनी ही अल्लाह की तरफ़ से है जो ग़ालिब और हिकमत वाला है।”

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١٢٦﴾

यह तो अल्लाह तआला की तरफ़ से बशारत के तौर पर तुम्हारे दिलों के इत्मिनान के लिये तुम्हें बता दिया गया है, वरना अल्लाह फ़रिश्तों को भेजे बग़ैर भी तुम्हारी मदद कर सकता है, वह “कुन-फ़-यकून” की शान रखता है। तुम्हें यह बशारत तुम्हारी तबअ बशरी के हवाले से दी गयी है कि अगर तीन हज़ार की तादाद में दुश्मन सामने हुआ तो तुम्हारी मदद को तीन हज़ार फ़रिश्ते उतार आएँगे, और अगर वह फ़ौरी तौर पर हमलावर हो गये तो हम पाँच हज़ार फ़रिश्ते भेज देंगे।

आयत 129

“अल्लाह ही के लिये है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है।”

وَاللَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

“वह जिसको चाहता है बख्श देता है और जिसको चाहता है अज़ाब देता है।”

يَغْفِرُ لِمَن يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَّشَاءُ

“और अल्लाह गफ़ूर व रहीम है।”

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

आयत 130 से 143 तक

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبٰوَ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝
 وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْٓ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ ۝۱۳۱ ۗ وَاَطِيعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝
 وَسَارِعُوْا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ ۗ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ
 ۝۱۳۲ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّاءِ وَالصَّرَّاءِ وَالْكُظَيِّمِْنَ الْعَيْظِ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ
 وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝۱۳۳ وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاِحْسَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ
 فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ۗ وَمَنْ يَّغْفِرِ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۗ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ
 يَعْلَمُوْنَ ۝۱۳۴ اُولٰٓئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنَّتْ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
 خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ۝۱۳۵ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ۗ فَسِيِّرُوْا فِي الْاَرْضِ
 فَانظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِيْنَ ۝۱۳۶ هٰذَا بَيٰنٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ
 لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝۱۳۷ وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا ۗ وَاَنْتُمْ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝۱۳۸ اِنْ
 يَّمْسَسْكُمُ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ ۗ وَتِلْكَ الْاَيّٰمُ نَدَاوْهَا بَيْنَ النَّاسِ
 وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِيْنَ ۝
 وَلِيَمْحِصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ ۝۱۳۹ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ وَلٰمَّا

और देखिये अल्लाह ने क्या शान दिखाई? जिस शख्स की वजह से मुस्लिमानों को हज़ीमत (हार) उठाना पड़ी, यानि खालिद बिन वलीद, अल्लाह तआला ने हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم ही की ज़बाने मुबारक से उसे “سَيِّفٌ مِنْ سَيِّوفِ اللَّهِ” (अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार) का खिताब दिलवा दिया।

आयत 128

“(ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم!) इस मामले में आपको कोई इख्तियार नहीं”

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ

“अल्लाह उनकी तौबा कुबूल करे या उन्हें अज़ाब दे”

أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ

यह अल्लाह के इख्तियार में है, वह चाहेगा तो उनको तौबा की तौफ़ीक़ दे देगा, वह ईमान ले आएँगे, या अल्लाह चाहेगा तो उन्हें अज़ाब देगा।

“इसलिये कि वह ज़ालिम हैं।”

فَأَنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٢٨﴾

उनके ज़ालिम होने में कोई शुबह नहीं, लिहाज़ा वह सज़ा के हक़दार तो हो चुके हैं। लेकिन हो सकता है अल्लाह उन्हें हिदायत दे दे। देखिये, यह वक़्त-वक़्त की बात होती है। चंद साल पहले ताइफ़ में रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم से जिस तरह बदसलूकी का मुज़ाहिरा किया गया वह आप صلی اللہ علیہ وسلم की ज़िन्दगी का शदीद-तरीन दिन था। इस पर जिब्राइल अलै० ने आकर कहा कि यह मलाकुल जिबाल (पहाड़ों का फ़रिश्ता) हाज़िर है। यह कहता है कि मुझे अल्लाह ने भेजा है, आप صلی اللہ علیہ وسلم फ़रमायें तो इन दोनों पहाड़ों को टकरा दूँ जिनके माबैन वादी के अन्दर यह शहर ताइफ़ आबाद है, ताकि यह सब पिस जायें, इनका सुरमा बन जाये। आप صلی اللہ علیہ وسلم ने फ़रमाया कि नहीं, क्या अजब कि अल्लाह तआला उनकी आइन्दा नस्लों को हिदायत दे दे। लेकिन यह वक़्त कुछ ऐसा था कि बरबनाये तबअ बशरी ज़बान मुबारक से वह जुमला निकल गया। इसलिये कि:

وَالْعَبْدُ عَبْدٌ وَإِنْ تَرَفَى وَالرَّبُّ رَبٌّ وَإِنْ تَنَزَّلَ

“बंदा, बंदा ही रहता है चाहे कितना ही बुलन्द हो जाये, और रब, रब ही है चाहे कितना ही नुज़ूल फ़रमा ले!”

भी इन्सान के अन्दर माल व दौलत से ऐसी मोहब्बत पैदा कर देती है जिसकी वजह से उसके किरदार में बड़े-बड़े खला पैदा हो सकते हैं।

“और अल्लाह का तक्रवा इख्तियार करो ताकि तुम फ़लाह पाओ।”

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣١﴾

आयत 131

“और उस आग से बचो जो काफ़िरों के लिये तैयार की गयी है।”

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٣٢﴾

आयत 132

“और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाये।”

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٣٣﴾

आयत 133

“और मुसाबकत (competition) करो अपने रब की मगफ़िरत के हुसूल के लिये और उस जन्नत को हासिल करने के लिये जिसका फैलाव आसमानों और ज़मीन जितना है।”

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ
عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ

“वह तैयार की गयी है (और सँवारी गयी है) अहले तक्रवा के लिये।”

أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٤﴾

आयत 134

“वो लोग जो खर्च करते हैं कुशादगी में भी और तंगी में भी।”

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ

यहाँ भी तक्राबुल मुलाहिज़ा कीजिये कि सूद के मुक्राबले में इन्फ़ाक़ का ज़िक्र हो रहा है।

يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَهِدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴿١٣٠﴾ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿١٣١﴾

आयत 130

“ऐ अहले ईमान! सूद मत खाओ दोगुना-
चौगुना बढ़ता हुआ”

مُضَعَّفَةٌ

यहाँ पर सूद मुर्क़ब (compound interest) का ज़िक्र आया है जो बढ़ता-चढ़ता रहता है। वाज़ेह रहे कि शराब और जुए की तरह सूद की हुरमत के अहकाम भी तदरीजन (धीरे-धीरे) नाज़िल हुए हैं। सबसे पहले एक मक्की सूरत, सूरह रूम में इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह और सूद को एक-दूसरे के मक्काबिल रख कर सूद की क़बाहत और शनाअत को वाज़ेह कर दिया गया:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَعَّفُونَ ﴿١٣١﴾

जैसे कि शराब और जुए की खराबी को सूरतुल बक्ररह (आयत 219) में बयान कर दिया गया था। इसके बाद आयत ज़ेरे मुताअला में दूसरे क़दम के तौर पर महाजनी सूद (usury) से रोक दिया गया। हमारे यहाँ आज-कल भी ऐसे सूदखोर मौजूद हैं जो बहुत ज़्यादा शरह सूद पर लोगों को क़र्ज़ देते हैं और उनका खून चूस जाते हैं। तो यहाँ उस सूद की मज़म्मत आयी है। सूद के बारे में आखरी और हत्मी हुक़म 9 हिजरी में नाज़िल हुआ, लेकिन तरतीबे मुसहफ़ में वह सूरतुल बक्ररह में है। वह पूरा रुकूअ (नम्बर 38) हम मुताअला कर चुके हैं। वहाँ पर सूद को दो टूक अंदाज़ में हराम करार दे दिया गया और सूदखोरी से बाज़ ना आने पर अल्लाह और उसके रसूल ﷺ की तरफ़ से जंग का अल्टीमेटम दे दिया गया।

सवाल पैदा होता है कि गज़वा-ए-ओहद के हालत व वाक़िआत के दरमियान सूदखोरी की मज़म्मत क्यों बयान हुई? ऐसा महसूस होता है कि दर्रे पर मामूर पचास तीर अंदाज़ों में से पैँतीस अपनी जगह छोड़ कर जो चले गये थे तो उनके तहतुल शऊर में माले गनीमत की कोई तलब थी, जो नहीं होनी चाहिये थी। इस हवाले से सूदखोरी की मज़म्मत बयान की गयी कि यह

आयत 136

“यह हैं वह लोग कि जिनका बदला हैं उनके रब की तरफ़ से मगफ़िरत”

أُولَٰئِكَ جَزَاءُ وَّهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ

“और वह बागात कि जिनके दामन में नदियाँ बहती होंगी और वह उनमें हमेशा-हमेश रहेंगे।”

وَجَدْتُمْ تَجْرِي مِّن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

“और क्या ही अच्छा बदला है अमल करने वालों के लिये।”

وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿١٣٦﴾

आयत 137

“तुमसे पहले भी बहुत से हालात व वाक़िआत गुज़र चुके हैं”

فَدَاخَلْتُمْ مِّن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ

“तो ज़मीन में घूमो-फिरो”

فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ

“और देखो कि कैसा अंजाम हुआ झुठलाने वालों का!”

فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْكَاذِبِينَ ﴿١٣٧﴾

कुरैश के तिजारती काफ़िले शाम (सीरिया) की तरफ़ जाते थे तो रास्ते में क्रौमे समूद का मसकन भी आता था और वह बस्तियाँ भी आती थीं जिनमें कभी हज़रत लूत अलै० ने तब्लीग की थी। उनके खण्डरात से इबरत हासिल करो कि उनके साथ क्या कुछ हुआ।

आयत 138

“यह वज़ाहत है लोगों के लिये और हिदायत और नसीहत है मुत्तक़ीन के हक़ में।”

هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ

لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٨﴾

आयत 139

“और ना कमज़ोर पड़ो और ना गम खाओ”

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا

“और वह अपने गुस्से को पी जाने वाले और लोगों की खताओं से दरगुज़र करने वाले हैं।”

وَالْكٰظِمِيْنَ الْعَيْظِ وَالْعَٰفِيْنَ عَنِ النَّاسِ

“और अल्लाह तआला ऐसे मोहसिनीन को पसंद करता है।”

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

यह दर्जा-ए-अहसान है, जो इस्लाम और ईमान के बाद का दर्जा है।

आयत 135

“और जिनका हाल यह है कि अगर कभी उनसे किसी बेहयाई का इरतकाब हो जाये या अपने ऊपर कोई और जुल्म कर बैठें तो फ़ौरन उन्हें अल्लाह याद आ जाता है”

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاٰحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا
اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ

“पस वह उससे अपने गुनाहों की बख़्शीश माँगते हैं।”

فَاَسْتَغْفَرُوْا لِلذُّنُوْبِ بِهٖمْ

यह मज़मून सूरतुन्निसा में आयेगा कि किसी मुस्लमान शख्स से अगर कोई खता हो जाये और वह फ़ौरन तौबा कर ले तो अल्लाह तआला ने अपने ऊपर वाजिब ठहरा लिया है कि उसकी तौबा ज़रूर कुबूल फ़रमायेगा।

“और कौन है जो माफ़ कर सके गुनाहों को सिवाय अल्लाह के?”

وَمَنْ يَّغْفِرِ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ

“और वह अपने उस गलत फ़अल (काम) पर जानते-बूझते इसरार नहीं करते।”

وَلَمْ يَصِرُوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَّعْلَمُوْنَ ۝

यानि ऐसा नहीं कि गुनाह पर गुनाह करते चले जा रहे हैं कि मौत आने पर तौबा कर लेंगे। उस वक़्त की तौबा तौबा नहीं है। एक मुस्लमान से अगर जज़्बात की रू में बह कर या भूल-चूक में कोई गुनाह सरज़द हो जाये और वह होश आने पर अल्लाह के हुज़ूर गिड़गिड़ाये, अज़मे मुसम्मम (वादा) करे कि दोबारा ऐसा नहीं करेगा, और पूरी पशेमानी के साथ समीम क़ल्ब से अल्लाह की जनाब में तौबा करे तो अल्लाह तआला उसकी तौबा कुबूल करने की ज़मानत देता है।

है। आखिर आप ﷺ के सीने के अन्दर एक हस्सास दिल था, पत्थर का कोई टुकड़ा तो नहीं था। यहाँ अल्लाह तआला अहले ईमान की दिलजोई के लिये फ़रमा रहा है कि इतने ग़मगीन ना हो, इतने मलूल ना हो, इतने दिल गिरफ़ता ना हो। इस वक़्त अगर तुम्हें कोई चरका लगा है तो तुम्हारे दुश्मन को इस जैसा चरका इससे पहले लग चुका है। एक साल पहले उनके भी सत्तर अफ़राद मारे गये थे।

“यह तो दिन हैं जिनको हम लोगों में उलट-फेर करते रहते हैं”

وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نَدَاوُهَا بَيْنَ النَّاسِ

यह ज़माने के नशेबो फ़राज़ हैं जिन्हें हम लोगों के दरमियान गर्दिश देते रहते हैं। किसी क्रौम को हम एक सी कैफ़ियत में नहीं रखते।

“और यह इसलिये होता है कि अल्लाह देख ले कि कौन हक़ीक़तन मोमिन हैं”

وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا

अगर इम्तिहान और आज़माइश ना आये, तकलीफ़ ना आये कुर्बानी ना देनी पड़े, कोई ज़क ना पहुँचे तो कैसे पता चले कि हक़ीक़ी मोमिन कौन है? इम्तिहान व आज़माइश से तो पता चलता है कि कौन साबित क़दम रहा। अल्लाह तआला जानना चाहता है, देखना चाहता है, ज़ाहिर करना चाहता है कि किसने अपना सब कुछ लगा दिया? किसने सब्र किया?

“और वह चाहता है कि तुम में से कुछ को मक़ामे शहादत अता करे।”

وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ

उन्हें अपनी गवाही के लिये कुबूल कर ले।

“अल्लाह ज़ालिमों को पसंद नहीं करता।”

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۝

अगर तुम्हें तकलीफ़ पहुँची है तो इसका यह मतलब नहीं है कि अल्लाह ने कुफ़र की मदद की है और उनको पसंद किया है (माज़ अल्लाह!)

आयत 141

“और यह इसलिये हुआ है कि अल्लाह अहले ईमान को बिल्कुल पाक पाक-साफ़ कर दे और

وَلِيُخَيِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ

الْكَافِرِينَ ۝

“और तुम ही सर बुलन्द रहोगे अगर तुम मोमिन हुए।”

وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

यह आयत बहुत अहम है। यह अल्लाह तआला का पुख्ता वादा है कि तुम ही ग़ालिब व सरबुलन्द होगे, आखरी फ़तह तुम्हारी होगी, बशर्ते कि तुम मोमिन हुए। यह आयत हमें दावते फ़िक्र देती है कि आज दुनिया में जो हम ज़लील हैं, ग़ालिब व सरबुलन्द नहीं हैं, तो नतीजा क्या निकलता है? यह कि हमारे अन्दर ईमान नहीं है, हम हक़ीक़ी ईमान से महरूम हैं। हम जिस ईमान के मुद्दई हैं वह महज़ एक मौरूसी अक़ीदा है, यक़ीने क़ल्बी और conviction वाला ईमान नहीं है। यह हो नहीं सकता कि उम्मत के अन्दर हक़ीक़ी ईमान मौजूद हो और फिर भी वह दुनिया में ज़लील व ख़वार हो।

आयत 140

“अगर तुम्हें अब चरका लगा है तो तुम्हारे दुश्मन को भी ऐसा ही चरका इससे पहले लग चुका है।”

إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ

अहले ईमान को गज़वा-ए-ओहद में इतनी बड़ी चोट पहुँची थी कि सत्तर सहाबा रज़ि० शहीद हो गये। उनमें हज़रत हमज़ा रज़ि० भी थे और मुसअब बिन उमैर रज़ि० भी। अन्सार का कोई घराना ऐसा नहीं था जिसका कोई फ़र्द शहीद ना हुआ हो। रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم और मुस्लमान जब मदीना वापस आये तो हर घर में कोहराम मचा हुआ था। उस वक़्त तक मय्यत पर बैन करने की मुमानियत नहीं हुई थी। औरतें मरसिये कह रही थीं, बैन (नौहा) कर रही थीं, मातम कर रही थीं। इस हालत में खुद आँहुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم की ज़बाने मुबारक से अल्फ़ाज़ निकल गये: ⁽¹⁾لَا يَأْتِيَنَّكُمْ حَزَنَةٌ لَّا يَأْتِيَنَّكُمْ لَهٗ! “हाय हमज़ा के लिये तो कोई रोने वालियाँ भी नहीं है!” क्योंकि मदीना में हज़रत हमज़ा रज़ि० की कोई रिश्तेदार ख्वातीन नहीं थीं। हमज़ा रज़ि० तो मुहाजिर थे। अन्सार के घरानों की ख्वातीन अपने-अपने मकतूलों पर आँसू बहा रही थीं और बैन (नौहा) कर रही थीं। फिर अन्सार ने अपने घरों से जाकर ख्वातीन को हज़रत हमज़ा रज़ि० की हमशीरा हज़रत सफ़िया रज़ि० के घर भेजा कि वहाँ जाकर ताज़ियत करें। बहरहाल दुःख तो मुहम्मद रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم को भी पहुँचा

पहले कि उससे मुलाकात होती।”

تَلَقَّوْهُ

“सो अब तुमने उसको देख लिया है अपनी आँखों से।”

فَقَدَرْنَا يَنْبُؤُهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿١٤٧﴾

यहाँ रुए सुखन उन लोगों की तरफ़ है जो नये-नये ईमान लाये थे और उनमें से खास तौर पर नौजवानों ने कहा था कि हमें तो शहादत चाहिये और हम तो खुले मैदान में जाकर मुकाबला करेंगे। उनके जज़्बात पर थोड़ा सा तबसिरा हो रहा है कि उस वक़्त तो जोशे क़िताल और ज़ोके शहादत का इज़हार हो रहा था, अब तुमने मौत देख ली है ना! तो यह है मौत जिसे इन्सान इतनी आसानी के साथ कुबूल नहीं करता।

आयात 144 से 148 तक

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَأَيْنِ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۗ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَصُرَ اللَّهُ شَيْئًا ۖ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾
 وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ۗ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ۗ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٥﴾ ۖ وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيِّ قُتِلَ مَعَهُ رَبِّيُونَ كَثِيرٌ ۖ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٦﴾ ۖ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿١٤٧﴾ ۖ فَاتَّخَذَهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤٨﴾

आयात 144

“मुहम्मद (صلی اللہ علیہ وسلم) इसके सिवा कुछ नहीं कि बस एक रसूल हैं।”

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

गज़वा-ए-ओहद के दौरान जब यह अफ़वाह उड़ गई कि मुहम्मद रसूल अल्लाह (صلی اللہ علیہ وسلم) का इन्तेक़ाल हो गया है तो बाज़ लोग बहुत दिल गिरफ़ता हो

काफिरों को मिटा दे।”

मुस्लमानों में से ख़ास तौर पर अन्सारे मदीना की आज़माइश मतलूब है जो अभी ईमान लाये हैं, उनमें कुछ पुख़्ता ईमान वाले हैं, कुछ कमज़ोर ईमान वाले हैं और कुछ मुनाफ़िक़ भी हैं। अल्लाह चाहता है कि वह पूरे तरीक़े से पुख़्ता हो जायें, और अगर कोई कच्चा ही रहता है तो वह अहले ईमान से कट जाये, ताकि बहैसियते मज्मुई जमाती कुव्वत को कोई ज़ौफ़ (नुक़सान) ना पहुँचे। तो यह जो तुम्हारे अन्दर हर तरह के लोग गडमड हो गये हैं कि कुछ मोमिन सादिक़ हैं, पुख़्ता ईमान वाले हैं, कुछ कमज़ोर ईमान वाले हैं और कुछ मुनाफ़िक़ भी हैं, तो अल्लाह तआला ने यह तम्हीस की है कि सबको छॉट कर अलग कर दिया है। चुनाँचे अब्दुल्लाह बिन उबइ और उसके तीन सौ साथियों के निफ़ाक़ का पर्दा चाक हो गया, वरना उनकी असलियत तुम पर कैसे ज़ाहिर होती? “बहस व तम्हीस” हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। बहस के मायने हैं कुरेदना और तम्हीस अलग-अलग करना।

आयत 142

“क्या तुमने समझा था कि जन्नत में यूँ ही दाख़िल हो जाओगे?”

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ

“हालाँकि अभी तो अल्लाह ने देखा ही नहीं है तुम में से कौन वाक़िअतन (अल्लाह की राह में) जिहाद करने वाले हैं और सब्र व इस्तक्रामत का मुज़ाहिरा करने वाले हैं।”

وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ
الضَّالِّينَ ۝

गोया ~ “अभी इश्क़ के इम्तिहान और भी हैं!” अभी तो तुम्हारे लिये इस रास्ते में कड़ी से कड़ी मंज़िलें आने वाली हैं। याद रहे कि यह मज़मून हम सूरतुल बक्ररह की आयत 214 में पढ आये हैं। नोट कीजिये कि ज़ेरे मुताअला आयत का नम्बर 142 है, यानि हंदसों की सिर्फ़ तरतीब बदली है।

आयत 143

“और तुम तो मौत की तमन्ना कर रहे थे इससे

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ

के रसूल, मेरे माँ-बाप आप صلی اللہ علیہ وسلم पर कुर्बान! अल्लाह तआला आप صلی اللہ علیہ وسلم पर दो मौतें जमा नहीं करेगा। यानि अब दोबारा आप صلی اللہ علیہ وسلم पर मौत वारिद नहीं होगी, अब तो आप صلی اللہ علیہ وسلم को हयाते जावेदानी हासिल हो चुकी है। हज़रत अबु बक्र रज़ि० बाहर आये और लोगों से खिताब शुरू किया तो हज़रत उमर रज़ि० बैठ गये। हज़रत अबु बक्र रज़ि० ने अल्लाह तआला की हम्दो सना के बाद फ़रमाया: "مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ" जो कोई मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم की इबादत करता था वह जान ले कि मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم का इन्तेकाल हो चुका है, और जो कोई अल्लाह की इबादत करता था उसे मालूम हो कि अल्लाह तो ज़िन्दा है, जिसे मौत नहीं आयेगी।" इसके बाद आप रज़ि० ने यह आयत तिलावत फ़रमायी:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَأَبَيْنَ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَصُرَ اللَّهُ شَيْئًا ۚ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿٥٠﴾

हज़रत अबु बक्र रज़ि० की ज़बानी यह आयत सुन कर लोगों को ऐसे महसूस होता था कि जैसे यह आयत उसी वक़्त नाज़िल हुई हो।(1)

आयत 145

"और किसी जान के लिये यह मुमकिन नहीं है कि वह मर सके मगर अल्लाह के हुकम से"

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

"(हर एक की मौत का) वक़्त मुक़रर लिखा हुआ है।"

كَيْتَبًا مَوْجَلًّا

अज्ले मुअय्यन के साथ हर एक का वक़्त तय है। लिहाज़ा इन्सान की बेहतरीन मुहाफ़िज़ खुद मौत है। आपकी मौत का जो वक़्त मुक़रर है उससे पहले कोई आपके लिये मौत नहीं ला सकता।

"जो कोई दुनिया का अज़्र व सवाब चाहता है हम उसे उसमें से दे देते हैं।"

وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ۖ

"और जो वाक़िअतन आख़िरत का अज़्र चाहता है हम उसे उसमें से देंगे।"

وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ۖ

गये कि अब किस लिये जंग करनी है? हज़रत उमर रज़ि० भी उनमें से थे। आप रज़ि० ने रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم की वफ़ात की ख़बर सुन कर तलवार फेंक दी और दिल बर्दाश्तता होकर बैठ गये कि अब हमने जंग करके क्या लेना है! यहाँ इस तर्ज़े अमल पर गिरफ़्त हो रही है कि तुम्हारा यह रवैय्या गलत था। मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم इसके सिवा कुछ नहीं हैं कि वह अल्लाह के रसूल हैं, वह मअबूद तो नहीं हैं। तुम उनके लिये जिहाद नहीं कर रहे, बल्कि अल्लाह के लिये कर रहे हो, अल्लाह के दीन के गलबे के लिये अपने जान व माल कुर्बान कर रहे हो। मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم तो अल्लाह के रसूल हैं।

“उनसे पहले भी बहुत से रसूल गुज़र चुके हैं।”

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

“तो क्या अगर उनका इन्तेक़ाल हो जाये या क़त्ल कर दिये जायें तो तुम अपनी एडियों के बल लौट जाओगे?”

أَفَأَيْنَ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ

क्या इस सूरत में तुम उल्टे पाँव राहे हक़ से फिर जाओगे? क्या यही तुम्हारे दीन और ईमान की हकीक़त है?

“और जो कोई भी अपनी एडियों के बल लौट जायेगा वह अल्लाह का कुछ भी नुक़सान ना करेगा।”

وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ نُنْظُرَهُ
شَيْئًا

“हाँ अल्लाह बदला देगा शुक्र करने वालों को।”

وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿٢٠﴾

हज़रत उमर रज़ि० चूँकि जज़्बाती इन्सान थे लिहाज़ा रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم की वफ़ात की ख़बर सुन कर हौंसला छोड़ गये। आप रज़ि० की तक्ररीबन यही कैफ़ियत फिर हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم के इन्तेक़ाल पर हो गयी थी। आप रज़ि० तलवार सूत कर बैठ गये थे कि जो कहेगा कि मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم का इन्तेक़ाल हो गया है मैं उसका सर उड़ा दूँगा। हज़रत अबु बक्र रज़ि० “सानी-ए-इस्लाम व गार-ओ-बदर व क़न्न” उस वक़्त मदीना के मज़ाफ़ात में थे। आप रज़ि० आते ही सीधे अपनी बेटी हज़रत आयशा रज़ि० के हुजरे में गये। रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم के चेहरे मुबारक पर चादर थी, आप रज़ि० ने चादर हटाई और झुक कर आँहुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم की पेशानी को बोसा दिया और रो दिये। फिर कहा: ऐ अल्लाह

हमसे अपने किसी मामले में हद से तजावुज़ हो गया हो तो उसे माफ़ फरमा दे”

“और हमारे क़दमों को जमा दे और हमारी मदद फ़रमा काफ़िरों के मुक़ाबले में”

وَوَيْتٌ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٥٠﴾

हज़रत तालूत के साथियों की भी यही दुआ थी और सूरतुल बक्ररह के इख़्तताम पर आने वाली दुआ के अल्फ़ाज़ भी यही थे: {فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ}

आयत 148

“तो उन लोगों को अल्लाह तआला ने दुनिया का सवाब भी अता फ़रमाया और आख़िरत के सवाब का भी बहुत ही उम्दा हिस्सा अता किया।”

فَأْتَهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحَسَنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ

उन्हें दुनिया की सरबुलन्दी भी दी, फ़तुहात से भी नवाज़ा और आख़िरत का बहतरीन अज़्र भी अता फ़रमाया।

“और अल्लाह तआला ऐसे ही मोहसिनीन को पसंद करता है।”

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥١﴾

आयत 149 से 155 तक

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يُرِيدُوا عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَانقَلِبُوا
 حَسْرِينَ ﴿٥١﴾ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴿٥٢﴾ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا
 الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنزلِ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى
 الظَّالِمِينَ ﴿٥٣﴾ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَ
 تَنَارَ غُصْمٌ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِمَّنْ بَعْدَ مَا أَرْسَلَكُمْ مِمَّا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا
 وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَّفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو

यह मज़मून सूरतुल बकररह की आयात 200-202 में हज के सिलसिले में आ चुका है।

“और शुक्र करने वालों को हम भरपूर जज़ा देंगे।”

وَسَنَجْزِي الشُّكْرِيْنَ ۝

आयत 146

“कितने ही नबी ऐसे गुज़रे हैं कि जिनके साथ होकर बहुत से अल्लाह वालों ने जंग की।”

وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ

ऐ मुस्लमानों! तुम्हारे साथ जो यह वाक़िया पेश आया है वह पहला तो नहीं है। अल्लाह के बहुत से नबी ऐसे गुज़रे हैं जिनकी मईयत (साथ) में बहुत सारे अल्लाह वालों ने, अल्लाह के मानने और चाहने वालों ने, अल्लाह के दीवानों और मतवालों ने, अल्लाह के गुलामों और आशिकों ने अल्लाह के दुश्मनों से जंगें की हैं। “رَبِّيُّ” और “رِبِّيُّ” का लफज़ आज भी यहूदियों के यहाँ इस्तेमाल होता है।

“तो अल्लाह की राह में जो भी तकलीफ़ें उन पर आयीं उस पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी”

فَمَا وَهَنُوا لَبِئْسَ مَا صَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“और ना उन्होंने कमज़ोरी दिखाई और ना ही (बातिल के आगे) सर निगो (सर झुकाना) हुए।”

وَمَا صَعَفُوا وَمَا سْتَكَانُوا

“और अल्लाह तआला को ऐसे ही साबिरीयों से मोहब्बत है।”

وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ۝

तो ऐ मुस्लमानों! उनका किरदार अपनाओ और दिल गिरफ़ता ना हो।

आयत 147

“और उनका तो हर मरहले पर यही क़ौल होता था कि वह दुआ करते थे कि ऐ रब हमारे! बख़्श दे हमें हमारे गुनाह और अगर

وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا
ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا

“और वही है जो सबसे अच्छा मददगार है।”

وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ۝

आयत 151

“हम अनक्ररीब काफ़िरों के दिलों में रौब डाल देंगे”

سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ

“इस सबब से कि उन्होंने ऐसी चीज़ों को अल्लाह का शरीक ठहराया जिनके हक़ में उसने कोई सनद नहीं उतारी।”

بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَهُ يُنزَّلُ بِهِ سُلْطَانًا

“और उनका ठिकाना जहन्नम है, और बहुत ही बुरा ठिकाना है उन ज़ालिमों के लिये।”

وَمَا لَهُمُ النَّارُ وَيَأْتِي مَنَئِيهِ الظَّالِمِينَ ۝

इस आयत में दरअसल तौजीह (खुलासा) बयान हो रही है कि गज़वा-ए-ओहद में मुशरिकीन वापस क्यों चले गये, जबकि उनको इस दर्जा खुली फ़तह हासिल हो चुकी थी और मुस्लमानों को हज़ीमत उठाना पड़ी थी। रसूल अल्लाह ﷺ और सहाबा किराम रज़ि० ने पहाड़ के ऊपर चढ़ कर पनाह ले ली थी। खालिद बिन वलीद कह रहे थे कि हमें उनका तअक्कुब करना चाहिये और इस मामले को ख़त्म कर देना चाहिये। लेकिन अबु सुफ़ियान के दिल में अल्लाह ने उस वक़्त ऐसा रौब डाल दिया कि वह लश्कर को लेकर वहाँ से चले गये। वरना वाक़िअतन उस वक़्त सूरते हाल बहुत मख़दूश (बुरी) हो चुकी थी।

आयत 152

“और अल्लाह ने तो तुमसे (ताइद व नुसरत का) जो वादा किया था वह पूरा कर दिया जबकि तुन उनको तहे तैग़ (क़त्ल) कर रहे थे अल्लाह के हुक़म से।”

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدًا إِذْ تَحْسُرُونَهُمْ

بِأَذْنِهِ

गज़वा-ए-ओहद में जो आरज़ी शिकस्त हो गयी थी और मुस्लमानों को ज़क़ पहुँची थी, जिससे उनके दिल ज़ख़मी थे उसके ज़िमन में अब यह आयत एक

فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٤﴾ إِذْ تَصْعَدُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُكُمْ فِي
 أُخْرَاكُمْ فَأَتَابَكُمْ عَمَّا بَعِمَ لِكَيْلًا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ
 خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٥﴾ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَآئِفَةً
 مِنْكُمْ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ
 هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يَبْدُونَ
 لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا ههنا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ
 الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُبَحِّصَ
 مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٥٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى
 الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ
 غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٥٧﴾

आयत 149

“ऐ अहले ईमान! अगर तुम उन लोगों का कहना मानोगे जिन्होंने कुफ्र की रविश इख्तियार की है तो वह तुम्हें तुम्हारी एडियों के बल वापस ले जायेंगे”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا
 يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ

“फिर तुम बिल्कुल नामुराद होकर रह जाओगे।”

فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿٥٨﴾

आयत 150

“हकीकत यह है कि तुम्हारा मौला तो अल्लाह है।”

بَلِ اللَّهِ مَوْلَاكُمْ

तुम्हें यह समझना चाहिये कि तुम्हारा मौला, मददगार, पुश्तपनाह, साथी और हिमायती अल्लाह है।

तक, सिपहसालार से लेकर लोकल कमांडर तक, दर्जा-ब-दर्जा निज़ामे सम-ओ-ताअत की पाबंदी ज़रूरी है। फ़ौज का एक सिपहसालार है, लेकिन फिर पूरी फ़ौज के कई हिस्से होते हैं और हर एक का एक अमीर होता है। मैसरह, मेमना, क़ल्ब और हरावल दस्ते वगैरह, हर एक का एक कमांडर होता है। अब अगर उन कमांडरों के अहकाम से सरताबी होगी तो ऐसी फ़ौज का जो अंजाम होगा वह मालूम है। चुनाँचे एक जमाअत के अन्दर दर्जा-ब-दर्जा जो भी निज़ामे सम-ओ-ताअत है उसकी पूरी-पूरी पाबन्दी ज़रूरी है।

“और तुमने नाफ़रमानी की इसके बाद कि وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا أَرْكُمُ مَا تُحِبُّونَ
तुमने वह चीज़ देख ली जो तुम्हें महबूब है।”

{ عَصَيْتُمْ } के बारे में वज़ाहत हो चुकी है कि इससे मुराद अल्लाह के रसूल صلی اللہ علیہ وسلم की नाफ़रमानी नहीं, बल्कि लोकल कमांडर की नाफ़रमानी है। { وَمِن بَعْدِ مَا أَرْكُمُ مَا تُحِبُّونَ } से अक्सर मुफ़स्सिरीन ने माले ग़नीमत मुराद लिया है, कि दर्रे पर मामूर हज़रात माले ग़नीमत की तलब में दर्रा छोड़ कर चले गये, लेकिन मेरे नज़दीक यह बात दुरुस्त नहीं है। इसलिये कि माले ग़नीमत की तक़सीम का क़ानून तो ग़ज़वा-ए-बद्र के बाद सूरतुल अन्फ़ाल में नाज़िल हो चुका था। उसकी रू से चाहे कोई शख्स कुछ जमा करे या ना करे उसे माले ग़नीमत में से बराबर का हिस्सा मिलेगा। यहाँ { وَمِن بَعْدِ مَا أَرْكُمُ مَا تُحِبُّونَ } से मुराद दरअसल “फ़तह” है और इसके लिये “الْقُرْآنُ يُغَيِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا” की रू से सूरतुस्सफ़ की यह आयत (आयत:13) हमारी रहनुमाई करती है: { وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ } गोया बंदा-ए-मोमिन को दुनिया में फ़तह व नुसरत महबूब होती है, लेकिन उसे इसको अपना मक़सूद नहीं बनाना। उसका मक़सूद अल्लाह की रज़ाजोई और अपने फ़र्ज़ की अदायगी है। बाक़ी कामयाबी या नाकामी अल्लाह की मर्ज़ी और उसकी हिकमत के तहत होती है। अल्लाह कब फ़तह लाना चाहता है वह बेहतर जानता है।

“तुम में से वह भी हैं जो दुनिया चाहते हैं” مِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا

यानि वह ख्वाहिश रखते हैं कि दुनिया में फ़तह व नुसरत और कामयाबी हासिल हो जाये, हमारा बोल-बाला हो जाये, हमारी हुकूमत कायम हो जाये।

क्रौले फ़ैसल के अंदाज़ में आयी है कि देखो मुस्लिमानों! तुम हमसे कोई शिकायत नहीं कर सकते, अल्लाह ने तुमसे ताइद व नुसरत का जो वादा किया था वह पूरा कर दिया था जबकि तुम उन्हें अल्लाह के हुक्म से क़त्ल कर रहे थे, गाजर-मूली की तरह काट रहे थे। तुम्हें फ़तह हासिल हो गयी थी और हमारा वादा पूरा हो चुका था।

“यहाँ तक कि जब तुम ढीले पड़ गये और अम्र में तुमने झगडा किया”

حَتَّىٰ إِذَا فِئَتُكُمْ وَتَنَارًا عُمَرُ فِي الْأَمْرِ

فِئَتُكُمْ का तर्जुमा बाज़ मुतर्जिमीन ने कुछ और भी किया है, लेकिन मेरे नज़दीक यहाँ नज़म (Discipline) को ढीला करना मुराद है। इस्लामी नज़मे जमाअत में सम-ओ-ताअत (Listen & Obey) को बुनियादी अहमियत हासिल है, और ज़ाहिर है कि सम-ओ-ताअत में एक ही शख्स की इताअत मक़सूद नहीं होती। रसूल अल्लाह ﷺ की इताअत भी फ़र्ज़ थी और आप ﷺ अगर किसी को अमीर मुक़र्रर करते तो उसकी इताअत भी फ़र्ज़ थी। हज़रत अबु हुरैरा रज़ि० रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह ﷺ ने इरशाद फ़रमाया:

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي

“जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, और जिसने मेरी नाफ़रमानी की उसने अल्लाह की नाफ़रमानी की। और जिसने मेरे मुक़र्रर करदा अमीर की इताअत की उसने मेरी इताअत की, और जिसने मेरे नामज़दकरदा अमीर की नाफ़रमानी की उसने मेरी नाफ़रमानी की।”

अगरचे रसूल अल्लाह ﷺ के हुक्म की तो उन्होंने तावील कर ली थी कि हुज़ूर ﷺ ने जो यह फ़रमाया था कि अगर हम सब भी अल्लाह की राह में क़त्ल हो जायें और तुम देखो कि चीलें और कव्वे हमारा गोशत खा रहे हैं तब भी यहाँ से ना हटना, तो यह शिकस्त की सूरत में था, लेकिन अब तो फ़तह हो गयी है। चुनाँचे उन्होंने जान-बूझ कर अल्लाह के रसूल ﷺ के हुक्म की खिलाफ़वर्ज़ी नहीं की थी। लेकिन उन्होंने अपने मक़ामी अमीर (लोकल कमांडर) के हुक्म की खिलाफ़वर्ज़ी की थी। मेरे नज़दीक यहाँ “وَعَصَيْتُمْ” से यही हुक्म अदूली मुराद है, इस्लामी नज़मे जमाअत में ऊपर से लेकर नीचे

“तो अल्लाह तआला तुम पर ग़म के बाद ग़म
मुसलसल डालता रहा”

فَأَتَابَكُمْ غَمًّا بَعْدَ غَمٍّ

“ताकि (आइन्दा के लिये तुम्हें यह सबक़ मिले
कि) तुम ग़मगीन ना हुआ करो उस पर कि जो
तुम्हारे हाथ से जाता रहे और ना उस
तकलीफ़ पर कि जो तुम पर आ पड़े।”

لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا
أَصَابَكُمْ

यानि “रन्ज से खूंगर हुआ इन्सान तो मिट जाता है रन्ज!” आदमी को अगर
कभी इत्तेफ़ाक़न ही रन्ज व ग़म का सामना करना पड़े तो उसका असर बहुत
ज़्यादा होता है, लेकिन जब पे-दर-पे रन्ज व ग़म उठाने पड़ें तो उनकी शिद्दत
में कमी वाक़ेअ हो जाती है। दामने ओहद में मुसलमानों को पे-दर-पे
तकालीफ़ बर्दाश्त करना पड़ीं। सबसे बड़ा रन्ज जो पेश आया वह हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم
के इन्तेक़ाल की ख़बर थी, जिस पर किसी को अपने तन-बदन का तो होश ही
नहीं रहा कि खुद उसको क्या ज़ख़म लगा है। इस तरह अल्लाह तआला ने उस
वक़्त की कैफ़ियत में एक तख़फ़ीफ़ पैदा कर दी।

“और अल्लाह बाख़बर है उससे जो तुम कर
रहे थे।”

وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٠﴾

आयत 154

“फिर उस ग़म के बाद अल्लाह तआला ने तुम
पर इत्मिनान नाज़िल फ़रमाया”

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةً

“यानि नींद जो तुम में से एक गिरोह पर
तारी हो गयी”

نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ

इन्सान को नींद जो आती है यह इत्मिनाने क़ल्ब का मज़हर होती है कि जैसे
अब उसने सब कुछ भुला दिया। ऐन हालते जंग में ऐसी कैफ़ियत अल्लाह की
रहमत का मज़हर थी।

“और एक गिरोह ऐसा था कि जिन्हें अपनी
जानों की पड़ी हुई थी”

وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ

“और तुम में से वह भी हैं जो सिर्फ़ आखिरत के तलबगार हैं।”

وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ

“फिर अल्लाह ने तुम्हारा रुख फेर दिया उनकी तरफ़ से ताकि तुम्हारी आज़माइश करो।”

ثُمَّ صَرَّفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ

पहले वह भाग रहे थे और तुम उनका तअक्कुब कर रहे थे, अब मामला उलटा हो गया कि तुम पसपा (पीछे हटना) हो गये और अपनी जानें बचाने के लिये इधर-उधर जाये पनाह (बचने की जगह) ढूँढने लगे। तुम्हारी यह पसपाई तुम्हारे लिये आज़माइश थी।

“और अल्लाह तुम्हें माफ़ कर चुका है।”

وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ

तुम में से जिस किसी से जो भी खता हुई अल्लाह ने उसे माफ़ फ़रमा दिया।

“और अल्लाह तआला अहले ईमान के हक़ में बहुत फ़ज़ल वाला है।”

وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ⑤

आयत 153

“याद करो, जबकि तुम (पहाड़ पर) चढ़े चले जा रहे थे (जान बचाने के लिये) और किसी की तरफ़ मुड़ कर भी नहीं देख रहे थे”

إِذْ تَضَعُدُونَ وَلَا تَأْلَفُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ

“और रसूल (ﷺ) तुम्हें पुकार रहे थे तुम्हारे पीछे से”

وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ

गज़वा-ए-ओहद में खालिद बिन वलीद के अचानक हमले से एक भगदड़ सी मच गयी थी। बाज़ सहाबा रज़ि० ने रसूल अल्लाह (ﷺ) को अपने हिफ़ाज़ती हिसार में ले लिया था और उन्होंने अपने जिस्मों को ढाल बना कर आँहुज़ूर की हिफ़ाज़त की। बहुत से लोग सरासीमा (भौचक्के) होकर अपनी जान बचाने की खातिर भाग खड़े हुए। बाज़ कोहे ओहद पर चढ़े जा रहे थे। अल्लाह के रसूल (ﷺ) उन्हें पुकार-पुकार कर वापस बुला रहे थे।

अगर हमारी राय मानी जाती, हमारे मशवरे पर अमल होता तो हम यहाँ क़त्ल ना होते। यानि हमारे इतने लोग यहाँ पर शहीद ना होते।

“इनसे कहिये अगर तुम सबके सब अपने घरों में होते”

قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ

“तब भी जिन लोगों का क़त्ल होना मुक़द्दर था वह अपनी क़त्लगाहों तक पहुँच कर रहते।”

لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ

अल्लाह की मशीयत (मर्ज़ी) में जिनके लिये तय था कि उन्हें शहादत की खलअत फाखरह (लिबास) पहनाई जायेगी वह खुद-ब-खुद अपने घरों से निकाल आते और कशां-कशां (एक-एक करके) उन जगहों पर पहुँच जाते जहाँ उन्होंने खलअत शहादत ज़ेब तन करनी (पहननी) थी। यह तो अल्लाह तआला के फ़ैसले होते हैं, तुम्हारी तदबीर से उनका कोई ताल्लुक नहीं है।

“और यह (मामला जो पेश आया) इसलिये था कि अल्लाह उसे आज़मा ले जो कुछ तुम्हारे सीनों में था”

وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ

“और ताकि वह बिल्कुल पाक और खालिस कर दे जो कुछ तुम्हारे दिलों में है।”

وَلِيُبَيِّنَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ

“और अल्लाह तआला सीनों के अन्दर मख़फी (छुपी) बातों को भी जानता है।”

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

आयत 155

“तुम में से वह लोग जो मैदाने जंग से चले गये उस दिन जब दो गिरोह एक-दूसरे के मुकाबले में आये”

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَيْنِ

यह ऐसे मुख़्लिस हज़रात का तज़किरा है जो अचानक हमले के बाद जंग की शिद्दत से घबरा कर अपनी जान बचाने के लिये वक्रती तौर पर पीठ फेर गये। उनमें से कुछ लोग कोहे ओहद पर चढ़ गये थे और कुछ उससे ज़रा आगे बढ़ कर मैदान ही से बाहर चले गये थे। उनमें बाज़ कवार (सीनियर) सहाबा का

“वह अल्लाह के बारे में नाहक जहालत वाले गुमान कर रहे थे।”

يَطُّوْنَ بِاللّٰهِ عِبْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ

अब्दुल्लाह बिन उबई और उसके तीन सौ साथी तो मैदाने जंग के रास्ते ही से वापस हो गये थे। उसके बाद भी अगर मुसलमानों की जमात में कुछ मुनाफ़िक़ीन बाक़ी रह गये थे तो उनका हाल यह था कि उस वक़्त उन्हें अपनी जानों के लाले पड़े हुए थे। ऐसी कैफ़ियत में उन्हें ऊँघ कैसे आती? उनका हाल तो यह था कि उनके दिलों में वसवसे आ रहे थे कि अल्लाह ने तो मदद का वादा किया था, लेकिन वह वादा पूरा नहीं हुआ, अल्लाह की बात सच्ची साबित नहीं हुई। इस तरह उनके दिल व दिमाग में ख़िलाफ़े हक़ीक़त ज़माना-ए-जाहिलियत के गुमान पैदा हो रहे थे।

“वह कह रहे थे कि हमारे लिये भी इख़्तियार में कोई हिस्सा है या नहीं?”

يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ

यह वह लोग हो सकते हैं जिन्होंने जंग से क़बूल मशवरा दिया था (जैसे हज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم की अपनी राय भी थी) कि मदीने के अन्दर महसूर (बंद) रह कर जंग की जाये। जब उनके मशवरे पर अमल नहीं हुआ तो वह कहने लगे कि इन मामलात में हमारा भी कोई इख़्तियार है या सारी बात मुहम्मद (صلی اللہ علیہ وسلم) ही की चलेगी? यह भी जमाती ज़िन्दगी की एक ख़राबी है कि हर शख्स चाहता है कि मेरी बात भी मानी जाये, मेरी राय को भी अहमियत दी जाये। आख़िर हम सब अपने अमीर ही की राय क्यों मानते चले जायें? हमारा भी कुछ इख़्तियार है या नहीं?

“कह दीजिये कि सारा मामला अल्लाह के इख़्तियार में है।”

قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلّٰهِ

“(ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم) यह अपने दिल में वह बात छुपा रहे हैं जो आप पर ज़ाहिर नहीं कर रहे।”

يَخْفَوْنَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ

उनके दिल में क्या है, अब अल्लाह खोल कर बता रहा है।

“यह (अपने दिल में) कहते हैं कि अगर इख़्तियार में हमारा भी कुछ हिस्सा होता तो हम यहाँ ना मारे जाते।”

يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا

هَهُنَا

تُحْشِرُونَ ﴿١٥﴾ فِيمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَدَيْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا
 مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ
 عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٦﴾ إِنْ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ
 فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٧﴾ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ
 أَنْ يَعْجَلَ وَمَنْ يَعْجَلْ يَأْتِ بِمَا عَلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوْفَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا
 يُظْلَمُونَ ﴿١٨﴾ أَمَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانِ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطِ مِنَ اللَّهِ وَمَا لَهُ جَهَنَّمَ وَبُنْسِ
 الْمَصِيرِ ﴿١٩﴾ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى
 الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٢١﴾ أَوْلَمَّا أَصَابَتْكُمْ
 مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ
 شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٢﴾ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّقِي الْجَمْعِ فَبَادِنِ اللَّهُ وَيُعَلِّمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾
 وَيُعَلِّمَ الَّذِينَ تَأَقَّفُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ
 نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكَفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ
 بَأُفَوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿٢٤﴾ الَّذِينَ قَالُوا الْإِحْوَانِيهِمْ
 وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُوا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنِ أَنْفُسِكُمْ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
 ﴿٢٥﴾ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿٢٦﴾
 فَرِحِينَ بِمَا أَنْهَمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ
 خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧﴾ يَسْتَبْشِرُونَ بِبِعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلِ
 وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٨﴾ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا
 أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٩﴾ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ
 النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ

नाम भी आता है। दरअसल यह भगदड़ मच जाने के बाद ऐसी अज़तरारी (emergency) कैफ़ियत थी कि उसमें किसी से भी किसी ज़ौफ़ (कमी) और कमज़ोरी का इज़हार हो जाना बिल्कुल करीने क़यास (मुमकिन सी) बात है।

“असल में शैतान ने उनके पाँव फिसला दिये
थे उनके बाज़ अफ़आल (कामों) की वजह से।”

إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا

किसी वक़्त कोई तक़सीर (गलती) हो गयी हो, कोई कोताही हो गयी हो, या किसी कमज़ोरी का इज़हार हो गया हो, यह मुख़लिस मुसलमानों से भी बर्इद (दूर) नहीं। ऐसा मामला हर एक से पेश आ सकता है। मासूम तो सिर्फ़ नबी होते हैं। इंसानी कमज़ोरियों की वजह से शैतान को मौक़ा मिल जाता है कि किसी वक़्त वह अड़ंगा लगा कर उस शख्स को फिसला दे, ख़्वाह वह कितना ही नेक और कितना ही साहिबे रुतबा हो।

“और अल्लाह उन्हें माफ़ कर चुका है।”

وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ

यह अल्फ़ाज़ बहुत अहम हैं। बाज़ गुमराह फिरके इस बात को बहुत उछालते हैं और बाज़ सहाबा किराम रज़ि० की तौहीन करते हैं, उन पर तनक़ीद (आलोचना) करते हैं कि यह मैदाने जंग से पीठ दिखा कर भाग गये थे। लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि अल्लाह तआला उनकी माफ़ी का ऐलान कर चुका है। इसके बाद अब किसी मुस्लमान के लिये जायज़ नहीं है कि उन पर ज़बाने तअन दराज़ (निंदा) करे।

“यक़ीनन अल्लाह तआला माफ़ फ़रमाने
वाला और बुर्दबार है।”

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٥٦﴾

आयात 156 से 180 तक

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا صَرَبُوا فِي
الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غَزًى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً
فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٥٦﴾ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أَوْ مُتُّمْ لَهَافِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْعَلُونَ ﴿١٥٧﴾ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ

तो बच जाते। यह सारी बातें दरहक्रीकत ईमान के मनाफ़ी हैं। एक हदीस में आता है कि रसूल अल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: ((فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ)) (1) “काश का लफ़्ज़ शैतान के अमल का दरवाज़ा खोल देता है।” यानि यह कहना कि काश ऐसे हो जाता तो यूँ हो जाता, इस कलमे ही से शैतान का अमल शुरू हो जाता है। जो हुआ इसलिये हुआ कि अल्लाह तआला को उसका होना मंज़ूर था, उसकी हिकमतें उसे मालूम हैं, हम उसकी हिकमत का इहाता नहीं कर सकते।

“यह बात इसलिये इनकी जुबान पर आती है ताकि अल्लाह इसको उनके दिलों में हसरत का बाइस बना दे।”

لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ

इस क्रिस्म की बातों से अल्लाह तआला उनके दिलों में हसरत की आग जला देता है। यह भी गोया उनके कुफ़्र की सज़ा है।

“और देखो अल्लाह ही ज़िन्दा रखता है और वही मौत वारिद करता है।”

وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ

“और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उसे देख रहा है।”

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

आयत 157

“और अगर तुम अल्लाह की राह में क़त्ल हो जाओ या वैसे ही तुम्हें मौत आ जाये”

وَلَيْنَ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مِتُّم

“तो अल्लाह तआला की तरफ़ से जो मग़फ़िरत और रहमत तुम्हें मिलेगी वह कहीं बेहतर है उन चीज़ों से जो यह जमा कर रहे हैं।”

لَتَغْفِرَ اللَّهُ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۝

अगर दुनिया में 10-15 साल और जी लेते तो क्या कुछ जमा कर लेते? अल्लाह तआला ने तुम्हें शहादत की मौत दे दी, तुम्हारे लिये इससे बड़ी सआदत और क्या होगी!

وَنِعَمَ الْوَكِيلِ ﴿١٥٠﴾ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ آلِهِمْ لِيَأْخُذَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي كَيْدِهِمْ خَيْرٌ ﴿١٥١﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُنزَّلْنَ بِهِمْ فَلِلَّذِينَ كَفَرُوا خِزْيٌ مِنْهُم مُّمْتَسِكٌ ﴿١٥٢﴾ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ عَلَىٰ آلِهِمْ وَارْتَقِبُوا يَوْمَ تَأْتُوا سَكْرَاتٍ مِنْكَ لَا تَسْمَعُونَ ﴿١٥٣﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَيَسَّوُنَّ الْأَرْضَ أجمعًا لِيُخْرِجَهُمُ اللَّهُ مِنْهَا أجمعًا وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٥٤﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَسَّوُنَّ الْأَرْضَ أجمعًا لِيُخْرِجَهُمُ اللَّهُ مِنْهَا أجمعًا وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٥٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَسَّوُنَّ الْأَرْضَ أجمعًا لِيُخْرِجَهُمُ اللَّهُ مِنْهَا أجمعًا وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٥٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَسَّوُنَّ الْأَرْضَ أجمعًا لِيُخْرِجَهُمُ اللَّهُ مِنْهَا أجمعًا وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٥٧﴾

आयत 156

“ऐ अहले ईमान! तुम उन लोगों की मानिंद ना हो जाना जिन्होंने कुफ़र किया”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا

“और जिन्होंने अपने भाइयों के बारे में जबकि वह ज़मीन में सफ़र पर निकले हुए थे या किसी जिहाद में शरीक थे (और वहाँ उनका इन्तेक़ाल हो गया) कहा कि अगर वह हमारे पास होते तो ना मरते, ना क़त्ल होते।”

وَقَالُوا الْإِحْوَانِهِمْ إِذَا صَرُّوا فِي الْأَرْضِ أَوْ
كَانُوا غُرُبَىٰ لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا
قُتِلُوا

हर शख्स की मौत का वक़्त तो मुअय्यन है। वह अगर तुम्हारी गोद में बैठे हो तब भी मौत आ जायेगी। चाहे वह बहुत ही मज़बूत पहरे वाले क़िलों में हों मौत तो वहाँ भी पहुँच जायेगी। तो तुम इस तरह की बातें ना करो। यह तो काफ़िरों के अन्दाज़ की बातें हैं कि अगर हमारे पास होते और जंग में ना जाते

“पस आप उनसे दरगुजर करें”

فَاعْفُ عَنْهُمْ

चूँकि बाज़ सहाबा रज़ि० से इतनी बड़ी गलती हुई थी कि उसके नतीजे में मुसलमानों को बहुत बड़ा चरका लगा था, लिहाज़ा आँहुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم से कहा जा रहा है कि अपने इन साथियों के लिये अपने दिल में मैल मत आने दीजिये। इनकी गलती और कोताही को अल्लाह ने माफ़ कर दिया है तो आप صلی اللہ علیہ وسلم भी इन्हें माफ़ कर दें। आम हालात में भी आप इन्हें माफ़ करते रहा करें।

“और इनके लिये मगफ़िरत तलब करें”

وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ

इनसे जो भी खता हो जाये उस पर इनके लिये इस्तगफ़ार किया करें।

“और मामलात में इनसे मशवरा लेते रहें।”

وَسَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

ऐसा तर्ज़े अमल इख्तियार ना करें कि आइन्दा उनकी कोई बात नहीं सुननी, बल्कि उनको भी मशवरे में शामिल रखिये। इससे भी बाहमी ऐतमाद पैदा होता है कि हमारा अमीर हमसे मशवरा करता है, हमारी बात को भी अहमियत देता है। यह भी दरहक़ीक़त इज्तमाई ज़िन्दगी के लिये बहुत ही ज़रूरी बात है।

“फिर जब आप फ़ैसला कर लें तो अब अल्लाह पर तवक्कुल करें।”

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

मशवरे के बाद जब आप صلی اللہ علیہ وسلم का दिल किसी राय पर मुत्तमईन हो जाये और आप एक फ़ैसला कर लें तो अब किसी शख्स की बात की परवाह ना करें, अब सारा तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पर हो। गज़वा-ए-ओहद से पहले रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ने मशवरा किया था, उस वक़्त कुछ लोगों की राय वही थी जो आँहुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم की राय थी, यानि मदीना में महसूर होकर जंग की जाये। लेकिन कुछ हज़रात ने कहा हम तो खुले मैदान में जंग करना चाहते हैं, हमें तो शहादत की मौत चाहिये तो हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم ने उनकी रिआयत की और बाहर निकलने का फ़ैसला फ़रमा दिया। इसके फ़ौरन बाद जब आप صلی اللہ علیہ وسلم हज़रत आयशा के हुजरे से बरामद हुए तो खिलाफ़े मामूल आप صلی اللہ علیہ وسلم ने ज़िरह पहनी हुई थी और हथियार लगाये हुए थे। इससे लोगों को अंदाज़ा हो गया कि कुछ सख्त मामला पेश आने वाला है। चुनाँचे उन लोगों ने कहा हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم हम

आयत 158

“और चाहे तुम मरो या क़त्ल हो, बहरहाल अल्लाह ही के पास इकट्ठे किये जाओगे” وَلَيْنَ مُتُّمٌ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿١٥٨﴾

चाहे तुम्हें अपने बिस्तरों पर मौत आये और चाहे तुम क़त्ल हो, हर हाल में तुम्हें अल्लाह की जनाब में हाज़िर कर दिया जायेगा। तुम्हारी आखरी मंज़िल तो वही है, ख्वाह तुम बिस्तर पर पड़े हुए दम तोड़ दो या मैदाने जंग के अन्दर जामे शहादत नोश कर लो।

आयत 159

“(ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم!) यह तो अल्लाह की रहमत है कि आप इनके हक़ में बहुत नर्म हैं।” فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ

इस सूरह मुबारका की यह आयत भी बड़ी अहम है। जमाअती ज़िन्दगी में जो भी अमीर हो, साहिबे अम्र हो, जिसके पास ज़िम्मेदारियाँ हों, जिसके गिर्द उसके साथी जमा हों, उसे यह ख्याल रहना चाहिये कि आखिर वह भी इन्सान हैं, उनके भी कोई जज़्बात और अहसासात हैं, उनकी इज़्ज़ते नफ्स भी है, लिहाज़ा उनके साथ नरमी की जानी चाहिये, सख्ती नहीं। वह कोई मुलाज़िम नहीं हैं, बल्कि रज़ाकार (volunteers) हैं। आँहुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم के साथ जो लोग थे वह कोई तनख्वाह याफ़ता सिपाही तो नहीं थे। यह लोग ईमान की बुनियाद पर जमा हुए थे। अब भी कोई दीनी जमाअत वजूद में आती है तो जो लोग उसमें काम कर रहे हैं वह दीनी जज़्बे के तहत जुड़े हुए हैं, लिहाज़ा उनके उमरा को उनके साथ नर्म रवैय्या इख़्तियार करना चाहिये। रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم को मुख़ातिब करके कहा जा रहा है कि यह अल्लाह की रहमत का मज़हर है कि आप صلی اللہ علیہ وسلم इनके हक़ में बहुत नर्म हैं।

“और अगर आप صلی اللہ علیہ وسلم तंदखू और सख्त दिल होते तो यह आप صلی اللہ علیہ وسلم के इर्द-गिर्द से मुन्तशिर हो जाते।” وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

कोई कारवाँ से टूटा, कोई बदगुमाँ हरम से
कि अमीर कारवाँ में नहीं खोये दिल नवाज़ी!

की शान नहीं है कि वह ख्यानत का इरतकाब करे। अलबत्ता मौलाना इस्लाही साहब ने यह राय ज़ाहिर की है कि इस लफज़ को सिर्फ़ माली ख्यानत के साथ मखसूस करने की कोई दलील नहीं। यह दरअसल मुनाफ़िक़ीन के उस इल्ज़ाम की तरदीद (इन्कार) है जो उन्होंने ओहद की शिकस्त के बाद रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم पर लगाया था कि हमने तो इस शख्स पर ऐतमाद किया, इसके हाथ पर बैत की, अपने नेक व बद का इसको मालिक बनाया, लेकिन यह इस ऐतमाद से बिल्कुल गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और हमारे जान व माल को अपने ज़ाती हुसूलों और उमंगों के लिये तबाह कर रहे हैं। यह अरब पर हुकूमत करना चाहते हैं और इस मक़सद के लिये इन्होंने हमारी जानों को तख़्ता-ए-मशक़ बनाया है। यह सरीहन क्रौम की बदख्वाही और उसके साथ गद्दारी व बेवफ़ाई है। कुरान ने उनके इस इल्ज़ाम की तरदीद फ़रमायी है कि तुम्हारा यह इल्ज़ाम बिल्कुल झूठ है, कोई नबी अपनी उम्मत के साथ कभी बेवफ़ाई और बदअहदी नहीं करता। नबी जो क़दम भी उठाता है रज़ा-ए-इलाही की तलब में और उसके अहकाम के तहत उठाता है।

“और जो कोई ख्यानत करेगा तो वह अपनी ख्यानत की हुई चीज़ समेत हाज़िर होगा क़यामत के दिन।”

وَمَنْ يُغْلَلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

अल्लाह तआला के क़ानून-ए-जज़ा-ओ-सज़ा से एक नबी से बढ़ कर कौन बाख़बर होगा?

“फिर हर जान को पूरा-पूरा दे दिया जायेगा जो कुछ उसने कमाया होगा और उन पर कुछ जुल्म ना होगा।”

ثُمَّ نُؤْتِي كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا

يُظْلَمُونَ ﴿١٠﴾

नोट कीजिये लफज़ “نُؤْتِي” यहाँ भी पूरा-पूरा दे दिये जाने के मायने में आया है।

आयत 162

“तो क्या भला वह शख्स जिसने अल्लाह की रज़ा की पैरवी की उसकी मानिंद हो जायेगा जो अल्लाह के ग़ज़ब और गुस्से को कमा कर लौटा?”

أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ

اللَّهِ

अपनी राय वापस लेते हैं, जो आप صلی اللہ علیہ وسلم की राय है आप उसके मुताबिक़ फ़ैसला कीजिये। लेकिन आप صلی اللہ علیہ وسلم ने फ़रमाया कि नहीं, यह फ़ैसला बरकरार रहेगा। नबी को यह ज़ेबा नहीं है कि हथियार बाँधने के बाद जंग किये बग़ैर उन्हें उतार दे। यह आयत गोया नही अकरम صلی اللہ علیہ وسلم के तर्ज़े अमल की तौसीक़ में नाज़िल हुई है कि जब आप एक फ़ैसला कर लें तो अल्लाह पर तवक्कुल कीजिये।

“यक़ीनन अल्लाह तआला तवक्कुल करने वालों को पसंद करता है।”

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿٥٥﴾

आयत 160

“(ऐ मुसलमानों! देखो) अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा तो कोई तुम पर ग़ालिब नही आ सकता।”

إِنْ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ

“और अगर वह तुम्हें छोड़ दे (तुम्हारी मदद से दस्त-कश हो जाये) तो कौन है जो तुम्हारी मदद करेगा इसके बाद?”

وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ

“और अल्लाह ही पर तवक्कुल करना चाहिये ईमान वालों को।”

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥٦﴾

आयत 161

“और किसी नबी की यह शान नहीं है कि वह ख्यानत करे।”

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ

عَلَّ يَغُلُّ غُلُولًا के मायने हैं ख्यानत करना और माले ग़नीमत में से किसी चीज़ का चोरी कर लेना, जबकि عَلَّ يَغُلُّ غُلًّا के मायने दिल में कीना होने के हैं। रिवायात में आता है कि आँहुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم पर मुनाफ़िक़ों ने इल्ज़ाम लगाया था कि आप صلی اللہ علیہ وسلم ने माले ग़नीमत में कोई ख्यानत की है (माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह!) यह उस इल्ज़ाम का जवाब दिया जा रहा है कि किसी नबी صلی اللہ علیہ وسلم

“जो तिलावत करके उन्हें सुनाता है उसकी आयात”

يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ

“और उन्हें पाक करता है”

وَيُزَكِّيهِمْ

“और तालीम देता है उन्हें किताब व हिकमत की।”

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

यह इन्क़लाबे नबवी صلی اللہ علیہ وسلم के असासी मन्हाज के चार अनासिर हैं, जिन्हें कुरान इसी तरतीब से बयान करता है: तिलावते आयात, तज़किया और तालीम किताब व हिकमत। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलै० की दुआ में जो तरतीब थी, अल्लाह ने उसको तब्दील किया है। इस पर सूरतुल बक्ररह आयत 151 के ज़ेल में गुफ्तगू हो चुकी है।

“और यक़ीनन इससे पहले (यानि रसूल صلی اللہ علیہ وسلم की आमद से क़ब्ल) तो वह लाज़िमन खुली गुमराही के अन्दर मुब्तला थे।”

وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ⑤

आयत 165

“और क्या जब तुम पर एक मुसीबत आयी, जबकि तुम उससे दोगुनी मुसीबत उनको पहुँचा चुके हो तो तुम कहने लगे कि यह कहाँ से आ गई?”

أَوَلَمْ آصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا
قُلْتُمْ أَىٰ لِهَذَا

यानि यह क्यों हो गया? अल्लाह ने पहले मदद की थी, अब क्यों नहीं की?

“(ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم) कह दीजिये यह तुम्हारे अपने नफ्सों (की शरारत की वजह) से हुआ है।”

قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ

गलती तुमने की थी, अमीर के हुकम की खिलाफ़वर्ज़ी तुमने की थी, जिसका खामियाज़ा तुमको भुगतना पड़ा।

“यक़ीनन अल्लाह तो हर चीज़ पर क़ादिर है।”

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑥

“और उसका ठिकाना जहन्नम है।”

وَمَا أُوهُ جَهَنَّمَ

“और वह बहुत ही बुरी जगह है पहुँचने की।”

وَبُئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٧﴾

आयत 163

“उनकी भी दर्जाबंदियाँ हैं अल्लाह के यहाँ।”

هُمُ دَرَجَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ

जैसे नेकोकारों के दर्जे हैं इसी तरह वहाँ बदकारों के भी दर्जे हैं। सब बदकार बराबर नहीं और सब नेकोकार बराबर नहीं।

“और जो कुछ यह कर रहे हैं अल्लाह उसे देख रहा है।”

وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

अब आगे जो आयत आ रही है, यह मज़मून सूरतुल बक्ररह में दो मरतबा आ चुका है। पहली मरतबा सूरतुल बक्ररह के पंद्रहवें रूकूअ में हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलै० की दुआ (आयत:129) में यह मज़मून बाअल्फ़ाज़ आया था:

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْنَهُم آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ

फिर अट्टारहवें रूकूअ के आखिर में यह अल्फ़ाज़ आये थे (आयत 151):

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾

अब यह मज़मून तीसरी मरतबा यहाँ आ रहा है:

आयत 164

“दरहक्रीकत अल्लाह ने यह बहुत बड़ा अहसान किया है अहले ईमान पर”

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“जब उनमें उठाया एक रसूल صلی اللہ علیہ وسلم उन्हीं में से”

إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ

यानि उनकी अपनी क्रौम में से।

ज़ाहिर हो गया। अब आइन्दा अहले ईमान उनकी बात पर ऐतबार तो नहीं करेंगे, उनकी चिकनी-चुपड़ी बातें कान लगा कर तो नहीं सुनेंगे। तो अल्लाह तआला ने चाहा कि यह बिल्कुल वाज़ेह हो जाये कि Who is who & What is what?

“और उन (मुनाफ़िकों) से कहा गया कि आओ अल्लाह की राह में जंग करो या (कम से कम शहर का) दिफ़ा (बचाव) करो।”

وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا فِى سَبِيلِ اللّٰهِ
ادْفَعُوا

अब्दुल्लाह बिन उबई जब अपने तीन सौ आदमियों को लेकर वापस जा रहा था तो उस वक़्त उनसे कुछ लोगों ने कहा होगा कि बेवकूफों! कहाँ जा रहे हो? इस वक़्त तो लश्कर सामने है। अगर एक हज़ार में से तीन सौ आदमी निकाल जायेंगे तो बाक़ी लोगों के दिलों में भी कुछ ना कुछ कमज़ोरी पैदा होगी। अगर तुम मैदाने जंग में दुश्मन का मुक़ाबला नहीं कर सकते तो कम से कम मदीने के दिफ़ा के लिये तो कमरबस्ता (तैयार) हो जाओ। अगर मदीने पर हमला हुआ तो क्या होगा? अगर यहाँ पर यह लश्कर शिकस्त खा गया तो क्या दुश्मन तुम्हारी बहू-बेटियों को अपनी बांदियाँ (गुलाम) बना कर नहीं ले जायेंगे?

“उन्होंने कहा कि अगर हम समझते कि जंग होनी है तो हम ज़रूर तुम्हारा साथ देते।”

فَالْوَالُو نَعْلَمُ وَمَا لَآلَا تَبْعُكُمْ

यानि यह तो दरहकीक़त नूराकुशती हो रही है, यह हकीक़त में जंग है ही नहीं। यह जो मक्के से मुहम्मद (ﷺ) के साथी मुहाजिरीन आये हैं और अब यह जो मक्का ही से लश्कर हम पर चढ़ाई करके आया है यह सब एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं और हमारा इनसे कोई सरोकार नहीं।

“यह लोग उस दिन ईमान की निस्वत कुफ़्र से क़रीबतर थे।”

هُمّ لِلْكَفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ

“यह अपने मुँहों से वह बात कह रहे हैं जो इनके दिलों में नहीं है।”

يَقُولُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ

“और अल्लाह उस चीज़ को ख़ूब जानता है जो कुछ वह छुपा रहे हैं।”

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ

गोया उसी मज़मून को यहाँ दोहरा कर लाया गया है जो पीछे आयत 152 में बयान हो चुका है कि अल्लाह तो वादा अपना कर चुका था और तुम दुश्मन पर ग़ालिब आ चुके थे, मगर तुम्हारी अपनी गलती की वजह से जंग का पांसा पलट गया। अल्लाह चाहता तो तुम्हें कोई सज़ा ना देता, बगैर सज़ा दिये माफ़ कर देता, लेकिन अल्लाह की हिकमत का तक्राज़ा यह हुआ कि तुम्हें सज़ा दी जाये। इसलिये कि अभी तो बड़े-बड़े मराहिल आने हैं। अगर इसी तरह तुम नज़म को तोड़ते रहे और अहकाम की खिलाफ़वर्ज़ी करते रहे तो फिर तुम्हारी हैसियत एक जमाअत की तो नहीं होगी, फिर तो एक अनबूह होगा, “हुजूम-ए-मोमिनीन” होगा, जबकि अल्लाह के दीन को ग़ालिब करने के लिये एक मुनज्ज़म जमाअत, लश्कर, फ़ौज, हिज़बुल्लाह दरकार है।

आयत 166

“और जो भी मुसीबत तुम पर आयी है उस दिन जब दोनों लश्कर आपस में भिड गये थे वह अल्लाह के इज़्ज से आयी है”

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّقِي الْجَبْعِ فَبِأَذْنِ
اللّٰهِ

अल्लाह के इज़्ज के बगैर तो यह तकलीफ़ नहीं आ सकती थी।

“और यह इसलिये थी कि अल्लाह ज़ाहिर कर दे ईमान वालों को।”

وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

यह ज़ाहिर हो जाये कि कौन हैं असल मोमिन, हक़ीक़ी मोमिन जो सब्र व इस्तक्रामत का मुज़ाहिरा करते हैं।

आयत 167

“और ताकि उन लोगों को भी ज़ाहिर कर दे जिन्होंने मुनाफ़क़त इख़्तियार की।”

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ تَافَقُوا

“**لِيَعْلَمَ**” के मायने हैं “ताकि जान ले” --- लेकिन चूँकि अल्लाह तआला हर चीज़ का जानने वाला है लिहाज़ा ऐसे मक्रामात पर तर्जुमा किया जाता है: “ताकि अल्लाह ज़ाहिर कर दे।” जैसा की अल्लाह तआला ने वाक़िअतन ज़ाहिर कर दिया कि कौन मोमिन है और कौन मुनाफ़िक़! अब्दुल्लाह बिन उबई अपने तीन सौ साथियों को लेकर चला गया तो सब पर उनका निफ़ाक़

“कि ना उन पर कोई खौफ होगा और ना वह हज़्न से दो-चार होंगे।”

أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٥٠﴾

आयत 171

“वह खुशियाँ मना रहे हैं अल्लाह तआला की नेअमत की वजह से और उसके फ़ज़ल की बिना पर”

يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلٍ

“और इस बात पर कि अल्लाह तआला अहले ईमान के अज़्र को ज़ाया नहीं करता।”

وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥١﴾

अब आगे जो आयात आ रही हैं उनके बारे में तारीख व सीरत की किताबों में दो किस्म की रिवायात आती हैं। एक तो यह कि कुफ़्रार की फ़ौज के वापस चले जाने के बाद रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ने बाज़ ज़रूरी अमूर निबटाये और शुहदा की तद्फ़ीन (दफ़न) की। उसके बाद आप صلی اللہ علیہ وسلم को अचानक ख्याल आया कि यह कुफ़्रार चले तो गये हैं, लेकिन हो सकता है उन्हें अपनी गलती का अहसास हो कि इस वक़्त तो मुस्लमान इस हालत में थे कि हम उन्हें ख़त्म कर सकते थे, लिहाज़ा वह कहीं दोबारा पलट कर हमलावर ना हो जायें। चुनाँचे रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ने मुसलमानों को कुरैश के तअक्कुब के लिये तैयार हो जाने का हुक्म दिया, ताकि उन्हें मालूम हो जाये कि हमने हिम्मत नहीं हार दी। इसके बावजूद कि अहले ईमान के जिस्म ज़ख़मों से चूर-चूर थे, इतना बड़ा सदमा पहुँचा था, वह फिर तैयार हो गये और हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم जाँनिसारों की एक जमाअत के साथ कुफ़्रार के तअक्कुब में हमरा अल असद तक गये जो मदीना से 8 मील के फ़ासले पर है। इधर अबु सुफ़ियान को वाक्रिअतन अपनी गलती का अहसास हो चुका था और वह मक़ामे रव्हा पर रुक कर अपनी फ़ौज की अज़सर नौ तंज़ीम करके वापस पलट कर मदीना पर हमलावर होने का इरादा कर रहा था। उधर से आने वाले एक ताजिर से उसने कहा भी था कि जाकर मुसलमानों को बता दो कि मैं बहुत बड़ा लश्कर लेकर दोबारा आ रहा हूँ। लेकिन जब अबु सुफ़ियान ने देखा कि मुसलमानों के अज़म व हौसले में कोई कमी नहीं आयी है और वह उनके तअक्कुब में आ रहे

आयत 168

“यह वह लोग हैं जो खुद तो बैठे रहे और अपने (शहीद हो जाने वाले) भाइयों की निस्वत कहा कि अगर वह भी हमारे साथ आ गये होते तो क़त्ल ना होते।”

الَّذِينَ قَالُوا لِأَخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قَاتَلُوا ۝۱

“तो (ऐ नबी عليه وسلم) इनसे कहिये अच्छा अगर तुम (अपने इस क़ौल में) सच्चे हो तो अपनी जानों से मौत को हटा कर दिखा दो।”

قُلْ فَأَدْرَأُ عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝۲

क्या तुम अपने आप से मौत को टाल लोगे? खुद मौत से बचे रहोगे? क्या मौत तुम्हें अपने घरों में नहीं आयेगी?

आयत 169

“और हरगिज़ ना समझना उन लोगों को जो अल्लाह की राह में क़त्ल हो जायें कि वह मुर्दा हैं।”

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا

यही मज़मून क़बल अज़ सूरतुल बकररह में आ चुका है:

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ۝

“बल्कि वह तो ज़िन्दा हैं, अपने रब के पास रिज़क़ पा रहे हैं।”

بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ۝

आयत 170

“शादाँ व फ़रहाँ हैं उस पर जो कुछ अल्लाह तआला ने उन्हें अपने फ़ज़ल से अता किया है”

فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

“और बशारत हासिल कर रहे हैं उन लोगों के बारे में जो उनके पीछे (दुनिया में) रह गये हैं और अभी उनसे नहीं मिले”

وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ۝

पस उनसे डरो!”

جَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ

“तो इस बात ने उनके ईमान में और ज़्यादा इज़ाफ़ा कर दिया”

فَزَادَهُمْ إِيمَانًا

“और उन्होंने कहा अल्लाह हमारे लिये काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज़ है।”

وَقَالُوا أَحْسَبُنَا اللَّهَ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۝

उसी का सहारा सबसे अच्छा सहारा है। चुनाँचे यह लोग बेख़ौफ़ होकर मुक्काबले के लिये निकले।

आयत 174

“पस वह लौट आये अल्लाह की नेअमत और उसके फ़ज़ल के साथ”

فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ فَغَدَّ

अबु सुफ़ियान को जब पता चला कि मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم हमारे तअक्कुब में आ रहे हैं तो उसने आफ़्रियत इसी में समझी कि सीधा मक्का मुकर्रमा की तरफ़ रुख कर लिया जाये। “बद्रे सुगरा” की मुहिम में भी यही हुआ कि जब उसने सुना कि मुहम्मद रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم तो अपने पूरे साथियों के साथ मुक्काबले पर आ गये हैं तो वह कन्नौ कतरा कर और तरह देकर निकल गया और मुक्काबले में नहीं आया।

“उनको किसी क़िस्म का भी ज़र्र नहीं पहुँचा”

لَمْ يَمَسَّهُمْ سُوٌّ

उन्हें इस मुहिम में कोई तकलीफ़ नहीं पहुँची। यह अल्लाह की तरफ़ से एक आज़माइश थी जिसमें वह पूरे उतरे।

“और उन्होंने तो अल्लाह की रज़ा की पैरवी की।”

وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ

उन्हें अल्लाह की रज़ा व खुशनुदी पर चलने का शर्फ़ हासिल हो गया।

“और यक़ीनन अल्लाह तआला बड़े फ़ज़ल का मालिक है।”

وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ۝

हैं तो इरादा बदल लिया और लश्कर को मक्का की तरफ़ कूच का हुक्म दे दिया।

इसी तरह का एक और वाक़िया बयान होता है कि अबु सुफ़ियान जाते हुए यह कह गया था कि अब अगले साल बद्र में दोबारा मुलाक़ात होगी। यानि एक साल पहले बद्र में जंग हुई थी, अब ओहद में हमारा मुक़ाबला हो गया। अब अगले साल फिर हमारे और तुम्हारे दरमियान तीसरा मुक़ाबला बद्र में होगा। चुनाँचे अगले साल रसूल अल्लाह ﷺ सहाबा किराम (रज़ि०) को लेकर बद्र तक गये। यह मुहिम “बद्रे सुगरा” कहलाती है। उधर से अबु सुफ़ियान पूरे लाव-लश्कर के साथ आ गया और इस मरतबा भी कुछ लोगों के ज़रिये से अहले ईमान में खौफ़ व हरास फ़ैलाने की कोशिश की कि लोगो क्या कर रहे हो, कुरैश तो बहुत बड़ा लश्कर लेकर आ रहे हैं, तुम उसका मुक़ाबला ना कर पाओगे! तो इसके जवाब में मुसलमानों ने सब्र व तवक्कुल का मुज़ाहिरा किया और वह कलिमात कहे जो आगे आ रहे हैं। तो यह आयात दोनों वाक़िआत पर मुन्तबिक्र हो सकती हैं।

आयत 172

“जिन लोगों ने लब्बैक कही अल्लाह और रसूल ﷺ की पुकार पर इसके बाद कि उनको चरका लग चुका था।”

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا
أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ

यह आयत साबक़ा आयात के तसल्सुल में आयी है। यानि इस अज़्रे अज़ीम के मुस्तहिक्र वह लोग ठहरेंगे जो कि ओहद की शिकस्त का ज़ख़म खाने के बाद भी उनके अज़म व ईमान का यह हाल है कि ज्यों ही अल्लाह और रसूल की जानिब से उन्हें एक ताज़ा मुहिम के लिये पुकारा गया वह फ़ौरन तैयार हो गये।

“उनमें से जो भी मोहसिनीन और मुत्तकीन हैं उनके लिये बहुत बड़ा अज़्र है।”

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٢﴾

आयत 173

“यह वह लोग हैं जिनसे लोगों ने कहा कि तुम्हारे खिलाफ़ बड़ी फ़ौजे जमा हो गयी हैं,

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدِ

यह गोया अल्लाह के इस फैसले का ज़हर है कि इनका आखिरत में कोई हिस्सा ना हो।

“और उनके लिये तो बड़ा अज़ाब है।”

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٦﴾

आयत 177

“यक्रीनन जिन लोगों ने ईमान हाथ से देकर कुफ़्र खरीद लिया वह अल्लाह को कोई नुक़सान नहीं पहुँचा सकते।”

إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا

“और उनके लिये दर्दनाक अज़ाब है।”

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٧﴾

आयत 178

“और मत समझें यह काफ़िर कि हम जो इन्हें मोहलत दे रहे हैं तो यह इनके हक़ में बेहतर है।”

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا أُمِّمُوا لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ

काफ़िरों को मोहलत इसलिये मिलती है कि वह अपने कुफ़्र में और बढ़ जायें ताकि अपने आपको बुरे से बुरे अज़ाब का मुस्तहिक़ बना लें। अल्लाह उनको ढील ज़रूर देता है, लेकिन यह ना समझो कि यह ढील उनके हक़ में अच्छी है।

“हम तो इनको सिर्फ़ इसलिये ढील देते हैं ताकि वह गुनाह में और इज़ाफ़ा कर लें।”

إِنَّمَا أُمِّمُوا لَهُمْ لِيُذَادُوا إِثْمًا

“और उनके लिये अहानत आमेज़ अज़ाब होगा।”

وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٧٨﴾

आयत 179

“अल्लाह वह नहीं कि छोड़े रखे मुसलमानों को इस हालत में जिस पर तुम हो”

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ

“यहाँ तक कि वह ख़बीस को तय्यब से मुमय्यज़ (distinguish) कर दे।”

حَتَّىٰ يُمَيِّزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ

आयत 175

“(ऐ मुसलमानों!) यह शैतान है जो तुम्हें डराता है अपने साथियों से”

إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ

वह तो चाहता है कि अपने साथी कुफ़र यानि हिज्बुशशयतान का खौफ़ तुम पर तारी कर दे। इसके एक मायने यह भी लिये गये हैं कि शैतान अपने दोस्तों को डराता है। यानि शैतान की इस तख्वीफ़ का असर उन्हीं पर होता है जो उसके वली होते हैं, लेकिन जो औलिया अल्लाह हैं उन पर शैतान की तरफ़ से इस क्रिस्म की वस्वसा अंदाज़ी का असर नहीं होता।

“तो तुम उनसे ना डरो, मुझसे डरो”

فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ

“अगर तुम मोमिने सादिक़ हो।”

إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝

आयत 176

“और (ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم) यह लोग आपके लिये बाइसे गम ना बनें जो कुफ़र के मामले में इस क्रदर भाग-दौड कर रहे हैं।”

وَلَا يَخُزُّكَ الَّذِينَ يَسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ

मदीना के यहूद और मक्का के मुशरिकीन मुसलमानों के खिलाफ़ साज़-बाज़ में मसरूफ़ रहते। कभी यहूदियों का कोई वफ़द सरदाराने मक्का के पास जाकर कहता कि तुम मुसलमानों पर चढाई करो, हम अन्दर से तुम्हारी मदद करेंगे। कभी कुरैश यहूदियों से राबता करते। गोया आज-कल की इस्तलाह में बड़ी Diplomatic Activity हो रही थी। इन हालात में रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم और आप صلی اللہ علیہ وسلم की वसातत से अहले ईमान को इत्मिनान दिलाया जा रहा है कि इनकी सरगर्मियों से रंजीदा ना हों, इनकी सारी रेशादवानियों की हैसियत सैलाब के ऊपर आ जाने वाले झाग के सिवा कुछ नहीं है।

“वह अल्लाह को हरगिज़ कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे।”

إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا

“अल्लाह चाहता है कि इनके लिये आखिरत में कोई हिस्सा ना रखे।”

يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حِطًّا فِي الْآخِرَةِ

अज़्र है।”

आयत 180

“और ना ख्याल करें वो लोग जो बुखल कर रहे हैं उस माल में जो अल्लाह ने उन्हें दिया है अपने फ़ज़ल में से कि यह बुखल उनके हक़ में बेहतर है।”

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنَّهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ

ज़ाहिर बात है कि जब जंग-ए-ओहद के लिये तैयारी हो रही होगी तो हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم ने मुसलमानों को इन्फ़ाक़े माल की दावत दी होगी ताकि असबाबे जंग फ़राहम किये जायें। लेकिन जिन लोगों ने दौलतमन्द होने के बावजूद बुखल किया उनकी तरफ़ इशारा हो रहा है कि उन्होंने बुखल करके जो अपना माल बचा लिया वह यह ना समझें कि उन्होंने कोई अच्छा काम किया है। यह माल अल्लाह ने उन्हें अपने फ़ज़ल से अता किया था, इसमें बुखल से काम लेकर उन्होंने अच्छा नहीं किया।

“बल्कि यह उनके हक़ में बहुत बुरा है।”

بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ

“उसी माल के तौक़ बना कर उनकी गर्दनो में पहनाये जाएँगे जिसमें उन्होंने बुखल किया था, क़यामत के दिन।”

سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“और आसमानों और ज़मीन की विरासत बिलआख़िर अल्लाह ही के लिये है।”

وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

दुनिया का माल-ओ-असबाब आज तुम्हारे पास है तो कल किसी और के पास चला जायेगा और बिलआख़िर सब कुछ अल्लाह के लिये रह जायेगा। आसमानों और ज़मीन की मीरास का हक़ीक़ी वारिस अल्लाह तआला ही है।

“और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उससे बाख़बर है।”

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

यहाँ वह छः रुकूअ मुकम्मल हो गये हैं जो गज़वा-ए-ओहद के हालात व वाक़िआत और उन पर तबसिरे पर मुश्तमिल थे। इस सूरह मुबारक के

यह आयत भी फ़लसफ़ा-ए-आज़माइश के ज़िम्न में बहुत अहम है कि अल्लाह तआला अपने नेक और सालेह बन्दों को तकलीफ़ में क्यों डालता है, हालाँकि वह तो क़ादिरे मुतलक़ है, आने वाहिद में जो चाहे कर सकता है। फ़रमाया जा रहा है कि यह बात अल्लाह की हिकमत के मुताबिक़ नहीं है कि वह तुम्हें उसी हाल में छोड़े रखे जिस पर तुम हो। अभी तुम्हारे अन्दर कमज़ोर और पुख़्ता ईमान वाले गडमड हैं, बल्कि अभी तो मुनाफ़िक़ और मोमिन भी गडमड हैं। तो जब तक इन अनासिर को अलग-अलग ना कर दिया जाये और तुम्हारी इज्तमाइयत से यह तमाम नापाक अनासिर निकाल ना दिये जायें उस वक़्त तक तुम आइन्दा पेश आने वाले मुश्किल और कठिन हालात के लिये तैयार नहीं हो सकते। आगे तुम्हें सल्तनत रोमा से टकराना है, तुम्हें सल्तनत किसरा से टक्कर लेने है। अभी तो यह अन्दरून मुल्क अरब तुम्हारी जंगें हो रही हैं। इन आज़माइशों का मक़सद यह है कि तुम्हारी इज्तमाइयत की ततहीर (purge) होती रहे, यहाँ तक कि मुनाफ़िक़ीन और सादिकुल ईमान लोग बिल्कुल निखर कर अलैहदा हो जायें।

“और अल्लाह तआला का यह भी तरीक़ा नहीं है कि तुम्हें ग़ैब की ख़बरें बताये”

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظَلِّعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ

“लेकिन (इस काम के लिये) अल्लाह मुन्तख़ब कर लेता है अपने रसूलों में से जिसको चाहता है।”

وَلَكِنَّ اللَّهَ يُخَيِّرُ مَن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ

वह अपने रसूलों में से जिसको चाहता है ग़ैब के हालात भी बताता है। रसूलों को ग़ैब अज़-ख़ुद मालूम नहीं होता, अल्लाह के बताने से मालूम होता है। यानि इन आज़माइशों में क्या हिकमतें हैं और इनमें तुम्हारे लिये क्या ख़ैर पिन्हा है, हर चीज़ हर एक को नहीं बतायी जायेगी, अलबत्ता यह चीज़ें हम अपने रसूलों को बता देते हैं।

“पस ईमान पुख़्ता रखो अल्लाह पर और उसके रसूलों (अलै०) पर।”

فَأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ

“और अगर तुम (यह दो शर्तें पूरी कर दोगे) ईमान में साबित क़दम रहोगे और तक्रवा पर कारबंद रहोगे तो तुम्हारे लिये बहुत बड़ा

وَإِنْ تُوْمِنُوا وَاتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٤﴾

यह बात कहने वालों में मुनाफ़िक़ीन भी शामिल हो सकते हैं और यहूदी भी। जब रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم मुसलमानों को इन्फ़ाक़े माल की तरफ़ीब देते थे कि अल्लाह को क़र्ज़े हस्ना दो तो यहूदियों और उनके ज़ेरे असर मुनाफ़िक़ों ने इसका मज़ाक उड़ाते हुए कहना शुरू कर दिया कि हाँ अल्लाह फ़क़ीर हो गया है और हमसे क़र्ज़ माँग रहा है, जबकि हम ग़नी हैं, हमारे पास दौलत है।

“हम लिख रखेंगे जो कुछ उन्होंने कहा है”

سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا

इन अल्फ़ाज़ में अल्लाह तआला की शदीद नाराज़गी झलकती है। अल्लाह तआला फ़ौरन तो गिरफ्त नहीं करता लेकिन एक वक़्त आयेगा जिस दिन उन्हें अपने इस क़ौल की पूरी सज़ा मिल जायेगी। और सिर्फ़ यही नहीं:

“और इनके नाहक़ क़त्ल अम्बिया को भी
(लिख रखेंगे)”

وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بَغْيًا حَقًّا

इससे पहले यह जो नबियों को नाहक़ क़त्ल करते रहे हैं इनका यह जुर्म भी इनके नामा-ए-आमाल में सब्त है।

“और हम कहेंगे अब चखो मज़ा इस जला देने
वाली आग़ के अज़ाब का।”

وَنَقُولُ دُفُوعًا عَذَابِ الْحَرِيقِ ۝

आयत 182

“यह सब कुछ तुम्हारे अपने ही हाथों ने आगे
भेजा है”

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيكُمْ

“और अल्लाह तो अपने बन्दों के हक़ में
हरगिज़ ज़ालिम नहीं है।”

وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۝

आयत 183

“जो लोग यह कहते हैं कि अल्लाह ने हमसे
एक अहद ले लिया था”

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عٰهَدَ إِلَيْنَا

“कि हम किसी रसूल पर ईमान ना लायें जब

أَلَّا نُوْمِنَ لِرِسُوْلٍ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبٰنٍ نَّكُلُّهُ

आखिरी दो रकूअ की नौइयत “हासिले कलाम” की है। यह गोया concluding रकूअ हैं।

आयात 181 से 189 तक

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا
وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿١٨١﴾ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ
أَيْدِيَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿١٨٢﴾ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهْدُ الْيَمِينِ إِلَّا
نُؤْمِنُ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بَقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِي
بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالذِّبْنِ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتَهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٨٣﴾ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ
كُذِّبَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿١٨٤﴾ كُلُّ نَفْسٍ
ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ
الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُورِ ﴿١٨٥﴾ لَتَجَلَّوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ
وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذَى
كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٨٦﴾ وَإِذ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ
وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبُئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿١٨٧﴾ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا
آتَوْا وَيَجْهَلُونَ أَن يُجَادُوا بِمَالِهِمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبْتَهُمْ بِمَقَارِفَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨٨﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٨٩﴾

आयत 181

“अल्लाह ने सुन लिया है क़ौल उन लोगों का जिन्होंने कहा कि अल्लाह फ़कीर है और हम गनी हैं।”

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ

आयत 184

“फिर (ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم) अगर वह आप صلی اللہ علیہ وسلم को झुठला दें”

فَإِنْ كَذَّبُوكَ

तो यह कोई तअज्जुब की बात नहीं। यह मामला सिर्फ आप صلی اللہ علیہ وسلم ही के साथ नहीं हुआ।

“तो आप صلی اللہ علیہ وسلم से पहले भी बहुत से रसूलों को झुठलाया जा चुका है”

فَقَدْ كَذَّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ

यह तो इस रास्ते का एक आम तजुर्बा है, जिससे आप صلی اللہ علیہ وسلم को भी गुजरना पड़ेगा।

“जो आये थे वाज़ेह निशानियाँ और सहीफ़े और रोशन किताब लेकर।”

جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿١٨٤﴾

आयत 185

“हर ज़ी नफ्स को मौत का मज़ा चखना है।”

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

मौत तो एक दिन आकर रहनी है।

“और तुमको तुम्हारे आमाल का पूरा-पूरा बदला तो क़यामत ही के दिन दिया जायेगा।”

وَأَمَّا تَوْفَونَ أُجُورَ كُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“तो जो कोई बचा लिया गया जहन्नम से और दाख़िल कर दिया गया जन्नत में तो वह कामयाब हो गया।”

فَمَنْ رُحِزَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ

۔ اللهم ربنا اجعلنا منهم! ऐ अल्लाह! हमें भी उन लोगों में शामिल फरमाना!

“और यह दुनिया की ज़िन्दगी तो इसके सिवा कुछ नहीं की सिर्फ़ धोखे का सामान है।”

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَمَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾

आयत 186

“(मुसलमानों! याद रखो) तुम्हें लाज़िमन आज़माया जायेगा तुम्हारे मालों में भी और

لَتَبْلُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ

तक वह ऐसी कुर्बानी पेश ना करे जिसे आग खा जाये।”

النَّارُ

यहाँ रुए सुखन फिर यहूद की तरफ़ हो गया है। नौए इन्सानी जब अहदे तफूलियत (बचपन के दौर) में थी तो खर्के आदत चीज़ें बहुत हुआ करती थीं। उनमें से एक बात यह भी थी कि अगर कोई शख्स अल्लाह की जनाब में कोई जानवर ज़िबह करके पेश करता तो आसमान से एक आग उतरती जो उसे भस्म कर देती थी और यह इस बात की अलामत होती थी कि यह कुर्बानी कुबूल हो गयी। जैसे हाबील और क़ाबील के क्रिस्से (अल मायदा:27) में आया है कि: { اِذْ قُرْبَا قُرْبَانًا فَتُقْبَلُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ } “जब दोनों ने कुर्बानी पेश की तो एक की कुर्बानी कुबूल हो गयी और दूसरे की कुबूल नहीं हुई।” यह पाता कैसे चला? ईद-उल-अज़हा के मौके पर हम जो कुर्बानियाँ करते हैं उनके बारे में हम नहीं जानते कि किसकी कुर्बानी कुबूल हुई और किसकी कुबूल नहीं हुई। यह तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन पहले ऐसी हिस्सी अलामात होती थीं कि पता चल जाता था कि यह कुर्बानी अल्लाह ने कुबूल कर ली है। बनी इस्राईल के इब्तदाई दौर में भी यह निशानी मौजूद थी कि आसमान से उतरने वाली आग का कुर्बानी को भस्म कर देना उसकी कुबूलियत की अलामत थी। मदीने के यहूद ने कटहुज्जती का मुज़ाहिरा करते हुए कहा कि हमसे तो अल्लाह ने यह अहद ले लिया था कि हम किसी रसूल पर ईमान नहीं लायेंगे जब तक कि वह यह मौज्ज़ा ना दिखाये। तो अगर मौहम्मद (صلی الله علیه وسلم) वाकई रसूल (صلی الله علیه وسلم) हैं तो यह मौज्ज़ा दिखायें। उसका जवाब दिया जा रहा है:

“(ऐ नबी (صلی الله علیه وسلم)! इनसे) कहिये तुम्हारे पास मुझसे पहले बहुत से रसूल आ चुके हैं वाज़ेह मौज्ज़ों के साथ”

قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ

“और वह चीज़ भी लेकर आये जिसके लिये तुम कह रहे हो”

وَالَّذِينَ قُلْتُمْ

उन्होंने सौ ख़तनी कुर्बानी का मौज्ज़ा भी दिखाया जिसका तुम मुतालबा कर रहे हो।

“फिर तुमने उन्हें क्यों क़त्ल किया अगर तुम सच्चे हो?”

فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٥﴾

किये रखोगे तो बेशक यह बड़े हिम्मत के कामों में से है।”

الْمُؤْر ۞

आयत 187

“और याद करो जबकि अल्लाह ने उन लोगों से एक क़ौल व क़रार लिया था जिनको किताब दी गयी थी”

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

“कि तुम लाज़िमन उसे लोगों के सामने वाज़ेह करोगे और उसे छुपाओगे नहीं”

لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ

“तो उन्होंने उस अहद को पसे-पुश्त फ़ेंक दिया”

فَتَبَدُّوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ

“और उसकी बड़ी हक़ीर सी क़ीमत वसूल कर ली”

وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا

“तो बहुत ही बुरी शय है जो वह (उसके बदले में) हासिल कर रहे हैं।”

فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ۞

आयत 188

“आप उनके बारे में ख़याल ना करें जो अपने किये पर खुश होते हैं”

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا

अगर कुछ नेकी कर लेते हैं, किसी को कुछ दे देते हैं तो उस पर बहुत इतराते हैं, अकड़ते हैं कि हमने यह कुछ कर लिया है।

“और (इससे भी बढ कर) चाहते हैं कि उनकी तारीफ़ की जाये ऐसे कामों पर जो उन्होंने किये ही नहीं”

وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا

आज कल इसकी सबसे बड़ी मिसाल स्पासनामे हैं, जो तक़रीबात में मदरु (invited) शख़िसयात को पेश किये जाते हैं। इन स्पासनामों में उन हज़रात के

तुम्हारी जानों में भी।”

यह वही मज़मून है जो सूरतुल बक्ररह के उन्नीसवे रूकूअ में गुज़र चुका है: { وَلَتَنْبَلُوَنَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْعَمَلِ } (आयत:155) “और हम तुम्हें लाज़िमन आज़माएंगे किसी क्रूर खौफ़ से भूख से और मालों, जानों और समरात (फलों) के नुक़सान से।” यहाँ मजहूल का सीगा है कि तुम्हें लाज़िमन आज़माया जायेगा, तुम्हारी आज़माइश की जायेगी तुम्हारे मालों में भी और तुम्हारी जानों में भी। कान खोल कर सुन लो कि यह ईमान का रास्ता फूलों की सेज नहीं है, यह काँटों भरा बिस्तर है। ऐसा नहीं होगा कि ठण्डे-ठण्डे और बगैर तकलीफ़ें उठाये तुम्हें जन्नत मिल जायेगी। सूरतुल बक्ररह (आयत:214) में हम पढ़ चुके हैं कि “क्या तुमने यह समझ रखा है कि यूँही जन्नत में दाख़िल हो जाओगे हालाँकि अभी तो तुम पर वह हालात व वाक़िआत वारिद नहीं हुए जो तुमसे पहलों पर हुए थे.....”

“और तुम्हें लाज़िमन सुननी पड़ेगी उन लोगों से भी जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गयी थी और उनसे भी जिन्होंने शिर्क किया, बड़ी तकलीफ़देह बातें।”

وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَفْرَكُوا أَدْوَى كَثِيرًا

यह सब कुछ सुनों और सब्र करो। जैसे रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم से इब्तदा में कहा गया था: { وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا بَیِّنًا } (अल मुज़म्मिल:10) “और उन बातों पर सब्र कीजिये जो यह लोग कहते हैं और वज़अदारी (गर्व) के साथ इनसे अलग हो जाइये।” आप صلی اللہ علیہ وسلم को क्या कुछ नहीं सुनना पड़ा। किसी ने कह दिया मजनून है, किसी ने कह दिया शायर है, किसी ने कहा साहिर है, किसी ने कहा मसहूर है। सूरतुल हिज़्र के आख़िर में इरशाद है (आयत 97): { وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرَكَ بِمَا يَقُولُونَ } “(ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم) हमें खूब मालूम है कि यह (मुशरिकीन) जो कुछ कह रहे हैं उससे आप صلی اللہ علیہ وسلم का सीना भिंचता है।” इनकी ज़बानों से जो कुछ आप صلی اللہ علیہ وسلم को सुनना पड़ रहा है उससे आप صلی اللہ علیہ وسلم को तकलीफ़ पहुँचती है, लेकिन सब्र कीजिये! वही बात मुसलमानों से कही जा रही है।

“और अगर तुम सब्र करते रहोगे (साबित क़दम रहोगे) और तक्रवा की रविश इख़्तियार

وَإِنْ تَصَبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ

تَقَلُّبِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ﴿١٠٧﴾ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ۖ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٠٨﴾
 لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ
 عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْآبِرَارِ ﴿١٠٩﴾ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا
 أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خُشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا
 أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١١٠﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 اصْبِرُوا وَاصْبِرُوا وَاصْبِرُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١١١﴾

सूरह आले इमरान का आखरी रुकूअ कुरान मजीद के अज़ीम-तरीन मक़ामात में से है। इसकी पहली छः आयात के बारे में रिवायत आती है कि जिस शब में यह नाज़िल हुई तो पूरी रात हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم पर रक्त (संवेदना) तारी रही और आप صلی اللہ علیہ وسلم खड़े, बैठे, लेटे हुए रोते रहे। नमाज़े तहज़ुद के दौरान भी आप صلی اللہ علیہ وسلم पर रक्त तारी रही। फिर आप صلی اللہ علیہ وسلم ने बहुत तवील सज़्दा किया, उसमें भी गिरया तारी रहा और सज़्दागाह आँसूओं से तर हो गयी। फिर आप صلی اللہ علیہ وسلم कुछ देर लेटे रहे लेकिन वह कैफ़ियत बरकरार रही। यहाँ तक कि सुबह सादिक हो गयी। हजरत बिलाल रज़ि० जब फज़्र की नमाज़ की इत्तलाअ देने के लिये हाज़िर हुए और आप صلی اللہ علیہ وسلم को इस कैफ़ियत में देखा तो वजह दरयाफ्त की। आप صلی اللہ علیہ وسلم ने फ़रमाया: “ऐ बिलाल, मैं क्यों ना रोऊँ कि आज की शब मेरे रब ने मुझ पर यह आयात नाज़िल फ़रमायी हैं।” फिर आप صلی اللہ علیہ وسلم ने इन आयात की तिलावत फ़रमायी (इस रिवायत को इमाम राज़ी ने तफ़सीर कबीर में बयान किया है) यानि वह गिरया और रक्त शुक्र के ज़बे के तहत थी।

यह भी नोट कीजिये कि यह सूरह आले इमरान का बीसवाँ रुकूअ शुरू हो रहा है और सूरतुल बक्ररह के बीसवें रुकूअ की पहली आयत के अल्फ़ाज़ यह थे:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْخِلَافِ الْيَلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الْبَيْنِ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ
 وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۗ وَتَصْرِيفِ
 الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾

ऐसे-ऐसे कारहाये नुमाया बयान किये जाते हैं जो उनकी पुशतों में से भी किसी ने ना किये हों। इस तरह उनकी खुशामद और चापलूसी की जाती है और वह उसे पसंद करते हैं।

“तो उनके बारे में यह ख्याल ना करें कि वह अज़ाब से बच जायेंगे।”

فَلَا تَحْسَبَنَّاهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ

“और उनके लिये दर्दनाक अज़ाब है।”

وَالَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨٩﴾

आयत 189

“और अल्लाह ही के लिये है आसमानों और ज़मीन की बादशाही।”

وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

“और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है।”

وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٩٠﴾

आयत 190 से 200 तक

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الْيَلِیْلِ وَالنَّهَارِ لَآیٰتٍ لِّاُولِی الْاَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾
 الَّذِیْنَ یَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِیْمًا وَّفُعُوْدًا وَّعَلٰی جُنُوْبِهِمْ وَیَتَفَكَّرُوْنَ فِی خَلْقِ السَّمٰوٰتِ
 وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾ رَبَّنَا اِنَّكَ مِنْ
 تَدٰخِلِ النَّارِ فَقَدْ اَخْرَجْتَهُ وَا مَا لِلظَّالِمِیْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿١٩٢﴾ رَبَّنَا اِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِیًا
 یُنَادِیْ لِلْاِیْمٰنِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكْفِّرْ عَنَّا سِیِّئَاتِنَا
 وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾ رَبَّنَا وَاِنَّا مَا وَعَدْتَنَا عَلٰی رُسُلِكَ وَلَا تُخٰزِنَا یَوْمَ
 الْقِیٰمَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْوَعْدَ ﴿١٩٤﴾ فَاَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّیْ لَا اُضِیْعُ عَمَلًا عَامِلٍ
 مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰی بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِیْنَ هَاجَرُوْا وَاٰخِرُ جُوٍّ مِنْ دِیَارِهِمْ
 وَاُوْدُوْا فِی سَبِیْلِیْ وَقَتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَا یُكْفِرُنَّ عَنْهُمْ سِیِّئَاتِهِمْ وَلَا دَخَلَتْهُمْ جَهَنَّمُ
 تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا اِلَّا نَهْرٌ تُوَابًا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْعَوَابِ ﴿١٩٥﴾ لَا یَعْرٰثُكَ

और फिर उनका ज़हन अपनी तरफ़ मुन्तक़िल होता है कि मेरी ज़िन्दगी का मक़सद क्या है? मैं किस लिये पैदा किया गया हूँ? क्या मेरी ज़िन्दगी बस यही है कि खाओ-पीओ, औलाद पैदा करो और दुनिया से रुख़सत हो जाओ? मालूम हुआ कि नहीं, कोई ख़ला है। इंसानी आमाल के नतीजे निकलने चाहिये, इन्सान को उसकी नेकी और बदी का बदला मिलना चाहिये, जो इस दुनिया में अक्सर-ओ-बेशतर नहीं मिलता। दुनिया में अक्सर यही देखा गया है कि नेकोकार फ़ाक्रों से रहते हैं और बदकार ऐश करते हैं। चुनाँचे कोई और ज़िन्दगी होनी चाहिये, कोई और दुनिया होनी चाहिये जिसमें अच्छे-बुरे आमाल का भरपूर बदला मिल जाये, मकाफ़ाते अमल (काम का बदला) हो। लिहाज़ा वह कह उठते हैं:

“तू पाक है (इससे कि कोई अबस [बेकार] काम करे), पस तू हमें दोज़ख़ के अज़ाब से बचा!”

سُبْحَانَكَ فَعْتَآ عَذَابِ النَّارِ ۝

तूने यकीनन एक दूसरी दुनिया तैयार कर रखी है, जिसमें जज़ा व सज़ा के लिये जन्नत भी है और जहन्नम भी!

आयत 192

“ऐ हमारे रब! जिसको तूने दाख़िल कर दिया आग में बेशक उसको तूने रुसवा कर दिया।”

رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ

“और ज़ालिमों के लिये कोई मददगार नहीं होंगे।”

وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۝

आयत 193

“ऐ हमारे रब! हमने एक पुकारने वाले को सुना।”

رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا

“जो ईमान की निदा दे रहा था कि ईमान लाओ अपने रब पर, तो हम ईमान ले आये।”

يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا

इसी “अयातुल आयात” का खुलासा यहाँ आ गया है:

आयत 190

“यक्रीनन आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में और रात और दिन के उलट-फेर में”

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاٰخِثٰلِ الْيَلِّ وَالنَّهَارِ

“होशमन्द लोगों के लिये निशानियाँ हैं।”

لَاٰتٍ لِّلَّذِيْنَ اٰلٰتِۢبَ ۙ

सूरतुल बक्ररह की आयत 164 इन अल्फ़ाज़ पर ख़त्म हुई थी: { لَاٰتٍ لِّلَّذِيْنَ اٰلٰتِۢبَ } “उन लोगों के लिये निशानियाँ हैं जो अक़्ल से काम लेते हैं।” यहाँ उन लोगों को “ऊलूल अल्बाब” का नाम दिया गया। यह हिदायत का पहला क़दम है कि क़ायनात को देखो, मज़ाहिरे फ़ितरत का मुशाहिदा करो—

खोल आँख, ज़मीं देख, फ़लक देख, फ़ज़ा देख
मशरि़क़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख!

यह सब आयाते इलाहिया हैं, इनको देखो और अल्लाह को पहचानो। अगला क़दम यह है कि जब अल्लाह को पहचान लिया तो अब उसे याद रखो। यानि—

फ़ि़क़रे कुरान इख़्तलाते ज़ि़क़-ओ-फ़ि़क़
फ़ि़क़ रा कामिल ना दीदम जुज़-बा-ज़ि़क़!

आयत 191

“जो अल्लाह का ज़ि़क़ करते रहते हैं, खड़े भी, बैठे भी और अपने पहलुओं पर भी”

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقٰنُوٰدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ

“और मज़ीद गौर-ओ-फ़ि़क़ करते रहते हैं आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में।”

وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

इस गौर-ओ-फ़ि़क़ से वह एक दूसरे नतीजे पर पहुँचते हैं और वो पुकार उठते हैं:

“ऐ हमारे रब! तूने यह सब कुछ बे-मक़सद तो पैदा नहीं किया है।”

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بٰطِلًا

“और हमें रुसवा ना कीजियो क़यामत के दिन।”

وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“यक्रीनन तू अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करेगा।”

إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝

हमें शक है तो इस बात में कि आया हम तेरे उन वादों के मिस्दाक़ साबित हो सकेंगे या नहीं। लिहाज़ा तू अपनी शाने गफ़फ़ारी से हमारी कोताहियों की पर्दापोशी करना और हमें वह सब-कुछ अता कर देना जो तूने अपने रसूलों के ज़रिये से वादा किया है।

आयत 195

“तो उनके रब ने उनकी दुआ कुबूल फ़रमायी”

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ

यह है दुआ की कुबूलियत की इन्तहा कि इस दुआ के फ़ौरन बाद अल्लाह तआला की तरफ़ से कुबूलियत का ऐलान हो रहा है।

“कि मैं तुम में से किसी अमल करने वाले के किसी अमल को ज़ाया करने वाला नहीं हूँ, ख्वाह वह मर्द हो या औरत।”

إِنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ
أُنْثَىٰ

“तुम सब एक-दूसरे ही में से हो।”

بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ

एक ही बात के नुत्फ़े से बेटा भी है और बेटी भी, और एक ही माँ के रहम में बेटा भी पला है और बेटी भी।

“सो जिन्होंने हिज़रत की और जो अपने घरों से निकाल दिये गये”

فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ

“और जिन्हें मेरी राह में ईज़ायें पहुँचायी गयीं”

وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي

“और जिन्होंने (मेरी राह में) जंग की और जानें भी दे दीं”

وَقَتَّلُوا وَأُتِلُوا

ईमान बिल्लाह और ईमान बिल आखिरत के बाद ऐसे लोगों के कानों में ज्यों ही किसी नबी या रसूल की पुकार आती है तो फ़ौरन लब्बैक कहते हैं, ज़रा भी देर नहीं लगाते। जैसे हज़रत अबु बक्र सिद्दीक़ रज़ि० ने फ़ौरी तौर पर रसूल अल्लाह ﷺ की दावत कुबूल कर ली, इसलिये कि ईमान बिल्लाह और ईमान बिल आखिरत तक तो वह खुद पहुँच चुके थे। सूरतुल फ़ातिहा के मज़ामीन को ज़हन में ताज़ा कर लीजिये कि ऊलूल अल्बाब में से एक शख्स जो अपनी सलामती-ए-तबअ, सलामती-ए-फ़ितरत और सलामती-ए-अक्ल की रहनुमाई में यहाँ तक पहुँच गया कि उसने अल्लाह को पहचान लिया, आखिरत को पहचान लिया, यह भी तय कर लिया कि उसे अल्लाह की बन्दगी ही का रास्ता इख़्तियार करना है, लेकिन इसके बाद वह नबुवत व रिसालत की रहनुमाई का मोहताज है, लिहाज़ा अल्लाह तआला के हुज़ूर दस्ते सवाल दराज़ करता है: {هُدًىٰ الْوَسْطَىٰ الْمُسْتَقِيمِ ۝} यहाँ भी यही मज़मून है कि अब ऐसे शख्स के सामने अगर किसी नबी की दावत आयेगी तो उसका रद्द अमल क्या होगा। अब आगे एक अज़ीम-तरीन दुआ आ रही है। यह उस दुआ से जो सूरतुल बक्ररह के आखिर में आयी थी बाज़ पहलुओं से कहीं ज़्यादा अज़ीमतर है।

“ऐ हमारे रब, हमारे गुनाह बख़्श दे!”

رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا

“और हमारी बुराइयाँ हमसे दूर कर दे!”

وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا

हमारे नामा-ए-आमाल के धब्बे भी धो दे और हमारे दामने किरदार के जो दाग़ हैं वह भी साफ़ कर दे।

“और हमें वफ़ात दीजियो अपने नेकोकार
(और वफ़ादार) बन्दों के साथ।”

وَتَوْفَقْنَا مَعَ الْإِبْرَارِ ۝

आयत 194

“ऐ हमारे रब, हमें बख़्श वह सब-कुछ जिसका तूने वादा किया है हमसे अपने रसूलों के ज़रिये से”

رَبَّنَا وَإِنَّا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ

यह तो महज़ चंद रोज़ा ज़िन्दगी के लिये हमने इन्हें कुछ साज़ो-सामान दे दिया है।

“फिर उनका ठिकाना जहन्नम ही है।”

ثُمَّ مَا لَهُمْ جَهَنَّمَ

“और वह बहुत ही बुरा ठिकाना है।”

وَبئْسَ الْوَيْحَاتُ ۝

आयत 198

“इसके बरअक्स जिन लोगों ने अपने रब का तक्रवा इख्तियार किया”

لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّخَفُوا رَبَّهُمْ

“उनके लिये बागात हैं जिनके दामन में नदियाँ बहती होंगी, जिनमें वह हमेशा-हमेशा रहेंगे”

لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

“यह उनके लिये इब्तदाई मेहमान नवाज़ी होगी अल्लाह की तरफ़ से।”

نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

“और मज़ीद जो अल्लाह के पास है वह कहीं बेहतर है नेकोकारों के लिये।”

وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ۝

जन्नत की असल नेअमतें तो बयान में आ ही नहीं सकतीं। उनके बारे में हज़रत अबु हुऱैरा रज़ि० से मरवी यह मुत्तफ़िक़ अलै हदीस याद रखें कि रसूल अल्लाह عليه وسلم ने इरशाद फ़रमाया:

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ

“अल्लाह तआला का इरशाद है: मैंने अपने सालेह बन्दों के लिये (जन्नत में) वह कुछ तैयार कर रखा है जो ना तो किसी आँख ने देखा और ना किसी कान ने सुना, और ना ही किसी इन्सान के दिल में उसका ख्याल ही गुज़रा।”

कुरान व हदीस में जन्नत की जिन नेअमतों का तज़क़िरा है उनकी हैसियत अहले जन्नत के लिये نُزْلُ (इब्तदाई मेहमान नवाज़ी) की होगी।

“मैं लाज़िमन उनसे उनकी बुराइयों को दूर कर दूँगा”

لَا كُفْرَانَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ

उनके नामा-ए-आमाल में अगर कोई धब्बे होंगे तो उन्हें धो दूँगा।

“और लाज़िमन दाखिल करूँगा उन्हें उन बागात में जिनके नीचे नहरें बहती हैं।”

وَأَدْخَلْنَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

“और यह बदला होगा अल्लाह के पास से।”

ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

यानि अल्लाह तआला के खास खज़ाना-ए-फ़ज़ल से।

“और बेहतरीन बदला तो अल्लाह ही के पास है।”

وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ⑤

अब आखरी पाँच आयात जो आ रही हैं उनकी हैसियत इस सूरह मुबारका के तमाम मुबाहिस् पर “खात्मा-ए-कलाम” की हैं। याद रहे कि इस सूरत में अहले किताब का उमूमी ज़िक्र भी हुआ है और यहूद व नसारा का अलग-अलग भी। फिर इसमें अहले ईमान का ज़िक्र भी है और मुशरिकीन का भी। अब फरमाया:

आयत 196

“(ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم) आपको धोखे में ना डाले इन काफ़िरों की चलत-फिरत शहरों के अन्दर।”

لَا يَغْرِبَنَّكَ قَلْبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ⑥

यह काफ़िर जो इधर से उधर और उधर से इधर भाग-दौड़ कर रहे हैं, और इस्लाम और मुस्लमानों को ख़त्म करने के लिये साज़िशें कर रहे हैं, जमीयतें फ़राहम कर रहे हैं, इससे आप صلی اللہ علیہ وسلم किसी धोखे में ना आयें, किसी मुगालते का शिकार ना हों, उनकी ताक़त के बारे में कहीं आप صلی اللہ علیہ وسلم मरऊब ना हो जायें।

आयत 197

“यह तो बस थोड़ा सा फ़ायदा उठाना है”

مَتَاعٌ قَلِيلٌ

करके क्यों बैठे हुए हो? तुम्हें तो उनसे बढ़ कर सब्र करना है, उनसे बढ़ कर कुर्बानियाँ देनी हैं, तभी तुम हकीकत में अल्लाह के वफ़ादार साबित होंगे।

“और मरबूत रहो।”

وَرَابِطُوا

मुराब्ता पहरे को भी कहते हैं और नज़म व ज़ब्त (discipline) की पाबन्दी करते हुए बाहम जुड़े रहने को भी। गज़वा-ए-ओहद में शिकस्त का सबब नज़म का ढीलापन और समो-ताअत में कमी थी। लिहाज़ा यहाँ सब्र व मुसाबरत के साथ-साथ नज़म की पाबन्दी और बाहम मरबूत रहने की ताकीद फ़रमायी गयी है।

“और अल्लाह का तक्रवा इख़्तियार किये रखो
ताकि तुम फ़लाह पाओ।”

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٥٠﴾

यह आखरी और अहमतरीन चीज़ है। यह सब-कुछ करोगे तो फ़लाह मिलेगी। ऐसे ही घर बैठे तुम फौज़ व फ़लाह से हमकिनार नहीं हो सकोगे।

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم

आयत 199

“और बेशक अहले किताब में वह भी हैं जो ईमान रखते हैं अल्लाह पर”

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ

“और उस पर भी ईमान रखते हैं जो तुम पर नाज़िल किया गया और उस पर भी जो उनकी तरफ नाज़िल किया गया”

وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ

“अल्लाह से डरते रहते हैं”

خُشِعِينَ لِلَّهِ

उनके दिलों में अल्लाह का खौफ़ है, वह आजिज़ी और तवाज़े इख्तियार करते हैं।

“वह अल्लाह की आयात को हकीर सी कीमत पर फ़रोख्त नहीं करते।”

لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا

“ऐसे ही लोगों का अज़्र उनके रब के पास महफूज़ है।”

أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

“यक़ीनन अल्लाह जल्द हिसाब चुकाने वाला है।”

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ⑩

वह हिसाब लेने में देर नहीं लगाता। आखरी आयत फिर बहुत जामेअ है:

आयत 200

“ऐ अहले ईमान! सब्र करो और सब्र में अपने दुश्मनों से बढ़ जाओ”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَاصْبِرُوا

मुसाबरत बाबे मुफ़ाअला से है और इसमें मुक्राबला होता है। एक तो है सब्र करना, साबित क़दम रहना, और एक है मुसाबरत यानि सब्र व इस्तक्रामत में दुश्मन से बढ़ जाना। एक सब्र वह भी तो कर रहे हैं। तुम्हें आज चरका लगा है तो उन्हें एक साल पहले ऐसा ही चरका लगा था और 70 मारे गये थे। वह एक साल के अन्दर फिर चढ़ाई करके आ गये, तो तुम अपना दिल ग़मगीन

रस्सी की तरह आपस में इस तरह बटी हुई और गुथी हुई हैं कि वह लड़ियाँ मुसलसल नहीं बल्कि कटवाँ नज़र आती हैं। अगर आप चार मुख्तलिफ़ रंगों की लड़ियों को आपस में बट कर रस्सी की शकल दे दें तो उनमें से कोई सा रंग भी मुसलसल नज़र नहीं आयेगा, बल्कि बारी-बारी चारों रंग नज़र आते रहेंगे। अब अगर आप उस रस्सी को खोल देंगे तो हर एक लड़ी अलग हो जायेगी और चारों रंग अलग-अलग नज़र आयेंगे। सूरतुल बकररह के निस्फ़े सानी के मज़ामीन के बारे में मैंने बताया था कि यह गोया चार लड़ियाँ हैं, जिनमें दो का ताल्लुक़ शरीअत से है और दो का जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह से। शरीअत की दो लड़ियों में से एक इबादात की और दूसरी मामलात की है, जबकि जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की लड़ियों में से एक जिहाद बिल माल यानि इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह और दूसरी जिहाद बिल नफ़्स की आखरी शकल यानि क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह है।

यहाँ सूरतुन्निसा में भी आप देखेंगे कि तीन लड़ियाँ इसी तरह आपस में गुथी हुई हैं और इनके रंग कटवाँ नज़र आते हैं, लेकिन अगर आप इन सबको अलैहदा-अलैहदा कर लें तो इनमें से हर एक अपनी जगह एक अलग मज़मून बन जायेगा। यह तीन लड़ियाँ ख़िताब के ऐतबार से हैं। चुनाँचे एक लड़ी तो वह है जिसमें ख़िताब अहले ईमान से है, और सूरतुल बकररह की तरह इसके ज़ेल में वही चार चीज़ें आ रही हैं: क़िताल, इन्फ़ाक़, अहकामे शरीअत और इबादात। दूसरी लड़ी में ख़िताब अहले क़िताब से है और इसमें नसारा और यहूद दोनों शामिल हैं। पहली दो सूरतों में यहूद व नसारा का मामला अलैहदा-अलैहदा था, जबकि इस सूरत में अहले क़िताब के ज़ेल में यह दोनों मिले-जुले हैं। तीसरी लड़ी इस सूरह मुबारका का वह सबसे बड़ा हिस्सा है जो मुनाफ़िक़ीन से ख़िताब पर मुशतमिल है, लेकिन अक्सर व बेशतर लोग वहाँ बात समझ नहीं पाते। इसलिये कि सीगा-ए-ख़िताब वहाँ भी “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا” होता है। वाज़ेह रहे कि पूरे क़ुरान में कहीं भी “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا” के अल्फ़ाज़ नहीं आये। सीगा-ए-ख़िताब “يَا أَيُّهَا الْكُفْرُونَ” भी है, “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا” भी है और “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا” भी, लेकिन “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا” कहीं नहीं है। इसलिये कि मुनाफ़िक़ भी क़ानूनन तो मुस्लमान ही होते थे। तो असल में यह पहचानने के लिये बड़ी गहरी नज़र की ज़रूरत है कि किसी मक़ाम पर “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا” के अल्फ़ाज़ में रुए सुखन मोमिनीन सादिक़ीन की तरफ़ है या मुनाफ़िक़ीन की तरफ़। अगर

सूरतुन्निसा

तम्हीदी कलिमात

कुरान मजीद में मक्की और मदनी सूरतों के जो ग्रुप हैं उनमें से पहला ग्रुप पाँच सूरतों पर मुश्तमिल है। इस ग्रुप में मक्की सूरत सिर्फ़ सूरतुल फ़ातिहा है, जो हुज्म में बहुत छोटी मगर मायने व मफ़हूम और अज़मत व फ़ज़ीलत में बहुत बड़ी है। इसके बाद चार सूरतें मदनी हैं: अल् बक्ररह, अन्निसा, आले इमरान और अल् मायदा। यह चार सूरतें दो-दो सूरतों के दो जोड़ों की शक़ल में हैं। पहला जोड़ा सूरतुल बक्ररह और सूरह आले इमरान का है, और इन्हें खुद रसूल अल्लाह ﷺ ने एक मुश्तरक नाम दिया है “अज़्ज़हरावैन”। इन दो सूरतों में जो मुनास्बतें और मुशाबहतें हैं वह वह तर्जुमे के दौरान तफ़सील के साथ हमारे सामने आती रही हैं। इनमें निस्बते ज़ौजियत किस ऐतबार से है और यह एक-दूसरे की तकमील किस पहलु से करती हैं, यह बात भी सामने आ चुकी है।

अब दो सूरतें सूरतुन्निसा और सूरतुल मायदा जोड़े की शक़ल में आ रही हैं। इन दो जोड़ों में एक नुमाया फ़र्क़ (contrast) यह नज़र आयेगा कि साबक़ा (पिछली) दो सूरतों में पहले हुरूफ़े मुक़त्तात हैं और फिर दोनों में कुराने मजीद कुतबे समाविया की अज़मत का बयान है, जबकि इन दोनों सूरतों में इस तरह की कोई तम्हीदी गुफ़्तुगू नहीं है, बल्कि बराहे रास्त ख़िताब हो रहा है। अलबत्ता निस्बते ज़ौजियत के ऐतबार से इनमें यह फ़र्क़ है कि सूरतुन्निसा के आगाज़ में सीगा-ए-ख़िताब “يَا أَيُّهَا النَّاسُ” (ऐ लोगों) है, यानि ख़िताब आम है, और सूरतुल मायदा का आगाज़ होता है “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا” के सीगे से, यानि वहाँ ख़िताब ख़ास तौर पर इंसानों में से उन लोगों से है जो ईमान के दावेदार हैं। बाक़ी जिस तरह सूरतुल बक्ररह और आले इमरान निस्फ़ैन में मुन्क़सिम हैं इस तरह का मामला इन दोनों सूरतों का नहीं है।

अपने असलूब के ऐतबार से यह दोनों सूरतें सूरतुल बक्ररह के निस्फ़े सानी के मुशाबेह हैं। यानि चंद मज़ामीन की लड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन एक

हकीकत में ईमान से तही दामन होता है, चाहे वह शऊरी तौर पर मुनाफ़िक़ हो चाहे ग़ैर शऊरी तौर पर।

सूरतुन्निसा और सूरतुल मायदा के माबैन एक फ़र्क़ नोट कर लीजिये। इंसानी तमद्दुन में सबसे बुनियादी चीज़ मआशरा है, और मआशरे में बुनियादी अहमियत औरत और मर्द के ताल्लुक़ को हासिल है। दूसरे यह कि मआशरे में कुछ कमज़ोर तबक़ात होते हैं, जिनके हुकूक़ का लिहाज़ करना ज़रूरी है। यह मज़मून आपको सूरतुन्निसा में मिलेगा। आइली क़वानीन सूरतुल बकररह में तफ़सील से आ चुके हैं। एक मर्द और एक औरत के दरमियान अज़द्व़ाज का जो रिश्ता जुड़ता है जिससे फिर खानदान वजूद में आता है, जो मआशरे की बुनियादी इकाई (unit) और उसकी जड़ और बुनियाद है, इससे मुताल्लिक़ तफ़सीली हिदायात सूरतुल बकररह में आ चुकी हैं। सूरह आले इमरान इस ऐतबार से मुनफ़रिद है कि उसमें शरीअत के अहक़ाम नहीं हैं, सिवाये उस एक हुक़म के जो सूद के बारे में आया है (आयत:130): {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ الَّتِي كُنْتُمْ كَسَبْتُمْهَا حَرَامًا وَلَا حَلَالًا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُضْطَعِفِينَ} लेकिन अब यहाँ सूरतुन्निसा में तमद्दुन की मआशरती सतह पर मज़ीद हिदायात दी जा रही हैं। खास तौर पर उस मआशरे के जो दबे हुए और पिसे हुए तबक़ात थे उनकी हुर्रियत व आज़ादी, उनके बेहतर मक़ाम और उनके हुकूक़ की तरफ़ मुतवज्जा किया जा रहा है।

मआशरे में जिन्स (sex) का मामला भी बहुत अहम है। किसी मआशरे में अगर जिन्सी मामलात पर क़दग़नें (control) ना हों और वह जिन्सी फ़साद का शिकार हो जाये तो वहाँ तबाही फैल जायेगी। इस ज़िमन में इब्तदाई अहक़ाम इस सूरत में आये हैं कि एक इस्लामी मआशरे में जिन्सी नज़म व ज़ब्त (sex-discipline) कैसे क़ायम किया जाये और जिन्सी बेराहरवी से कैसे निबटा जाये। तो इस तरीक़े से तमद्दुन की बुनियादी मंज़िल पर गुफ़्तुगू हो रही है। सूरतुल मायदा में तमद्दुन की बुलन्दतरीन मंज़िल रियासत ज़ेरे बहस आयेगी और आला सतह पर अदालती निज़ाम के लिये हिदायात दी जाएँगी कि चोरी, डाका वगैरह का सद्दे बाब कैसे किया जायेगा। इस ज़िमन में हुदूद व ताज़ीरात (सज़ाएँ) भी बयान की जाएँगी। बाक़ी सूरतुन्निसा की तरह सूरतुल मायदा में भी अहले किताब से फ़ैसलाकुन ख़िताब है।

मैंने आगाज़ में अर्ज़ किया था कि पहले गुप की इन चार मदनी सूरतों में दो मज़मून मुतावाज़ी चलते हैं। पहला मज़मून शरीअते इस्लामी का है और

यह फ़र्क़ ना किया जाये तो बाज़ मक़ामात पर बड़ी गलतफ़हमी हो जाती है। मसलन सूरह अत्तौबा का यह मक़ाम मुलाहिज़ा कीजिये: (आयत:38) {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفَلْتُمُ إِلَى الْأَرْضِ ۗ} “ऐ अहले ईमान! तुम्हें क्या हो जाता है जब तुम्हें कहा जाता है कि निकलो अल्लाह की राह में तो तुम ज़मीन में धँसे जाते हो?” इस अन्दाज़े तखातब से एक आम सूए ज़न पैदा हो सकता है कि शायद यह आम मुसलमानों का हाल था। हालाँकि इस तर्ज़े अमल का मुज़ाहिरा मुसलमानों की तरफ़ से नहीं बल्कि मुनाफ़िक़ीन की तरफ़ से होता था और वहाँ यह आम मुसलमानों का नहीं, मुनाफ़िक़ीन का मसला था। चुनाँचे रुए सुखन मुनाफ़िक़ीन ही की तरफ़ है। मोमिनीन सादिक़ीन तो हर वक़्त खुले दिल से माल व जान की कुर्बानी के लिये आमादा रहते थे। गोया:

*वापस नहीं फेरा कोई फ़रमान जूनून का
तन्हा नहीं लौटी कभी आवाज़ जरस की!*

तो असल में देखना यह होता है कि किस आयत में रुए सुखन किसकी तरफ़ है।

मुनाफ़िक़ीन से ख़िताब के ऐतबार से यह सूरह मुबारका अहमतरीन है। सूरतुल बकररह में तो कहीं लफ़ज़ निफ़ाक़ आया ही नहीं। यह हिकमते खुदावन्दी है कि इस मर्ज़ को पहले छुपा कर रखा और इसकी सिर्फ़ अलामात बयान कर दीं कि जो कोई भी अपने अन्दर इन अलामात को देखे वह मुतनब्बा (सावधान) हो जाये और अपने इलाज की तरफ़ मुतवज्जा हो जाये। लेकिन जो लोग इस तरह मुतवज्जा नहीं होते तो मालूम हुआ कि उनको अब ज़रा नुमाया करना ज़रूरी है और बात ज़रा उरिया अंदाज़ से करनी पड़ेगी। चुनाँचे सूरह आले इमरान में एक-दो जगह निफ़ाक़ का लफ़ज़ आ गया। लेकिन अब यहाँ सूरतुन्निसा में सबसे बड़ा हिस्सा मुनाफ़िक़ीन से ख़िताब पर मुशतमिल है। मेरा तजज़िया यह है कि इस सूरत की 176 आयात में से 55 आयात में रुए सुखन मोमिनीन सादिक़ीन की तरफ़ है, सिर्फ़ 37 आयात में अहले किताब यानि यहूद व नसारा से मुशतरक तौर पर ख़िताब है, जबकि 84 आयात में ख़िताब मुनाफ़िक़ीन से है। लेकिन याद रहे कि जहाँ भी उनसे बात होगी “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا” के हवाले से होगी। इसलिये कि ईमान के दावेदार तो वह भी थे। मुनाफ़िक़ वही तो होता है जो ईमान का दावा करता है मगर

كَثُرَتْ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ④ وَإِذَا حَصَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ
فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ⑤ وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ
خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ⑥ إِنَّ
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا

⑥

आयत 1

“ऐ लोगों अपने उस रब का तक्रवा इख्तियार
करो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया”
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ
نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

देखिये मआशरती मसाइल के ज़िमन में गुफ्तुगू इस बुनियादी बात से शुरू की
गयी है कि अपने खालिक व मालिक का तक्रवा इख्तियार करो।

“और उसी से उसका जोड़ा बनाया”

وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا

नोट कीजिये की यहाँ यह अल्फ़ाज़ नहीं हैं कि “उसने तुम्हें एक आदम से पैदा
किया और उसी (आदम) से उसका जोड़ा बनाया”, बल्कि “نَفْسٍ وَاحِدَةٍ” (एक
जान) का लफज़ है। गोया इससे यह भी मुराद हो सकती है कि ऐन आदम
(अलै०) ही से उनका जोड़ा बनाया गया हो, जैसा की बाज़ रिवायात से भी
इशारा मिलता है, और यह भी मुराद हो सकती है कि आदम की नौअ से
उनका जोड़ा बनाया गया, जैसा की बाज़ मुफ़स्सिरिन का ख्याल है। इसलिये
कि नौअ एक है, जिन्से दो हैं। इन्सान (Human Beings) नौअ (Species)
एक है, लेकिन उसके अन्दर ही से जो जिन्सी तफ़रीक (Sexual
differentiation) हुई है, उसके हवाले से उसका जोड़ा बनाया है।

“और उन दोनों से फैला दिये (ज़मीन में)
कसीर तादाद में मर्द और औरतों।”

وَبَكَ مِنْهُمَا رَجُلًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

“مِنْهُمَا” से मुराद यक्रीनन आदम व हव्वा हैं। यानि अगर आप इस तमद्दुने
इंसानी का सुराग लगाने के लिये पीछे से पीछे जाएँगे तो आगाज़ में एक
इंसानी जोड़ा (आदम व हव्वा) पाएँगे। इस रिश्ते से पूरी नौअ इंसानी इस

सूरतुल बकरह में अहकामे शरीअत का इब्तदाई ख़ाका दे दिया गया है, जबकि शरीअत के तकमीली अहकाम सूरतुल मायदा में हैं। इन सूरतों में दूसरा मज़मून अहले किताब से ख़िताब है और वह भी तदरीजन आगे बढ़ते हुए सूरतुल मायदा में अपनी तकमीली सूरत को पहुँचता है। चुनाँचे अहले किताब से आखरी और फ़ैसलाकुन बातें सूरतुल मायदा में मिलती हैं। इन तम्हीदी कलिमात के बाद अब हम इस सूरह मुबारका का मुताअला शुरू करते हैं।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

आयात 1 से 10 तक

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا رَوْحَهَا
 وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَّالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ
 كَانَ عَلَيْكُم رَقِيْبًا ۝ ۱ ۗ وَاتُوا الْيَتٰمٰى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا الْاَحْبٰبَ بِالظَّيْبِ وَلَا
 تَاْكُلُوْا اَمْوَالَهُمْ اِلٰى اَمْوَالِكُمْ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا ۝ ۲ ۗ وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَقْسُطُوْا فِى
 الْيَتٰمٰى فَاَنْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنْى وَثَلٰثَ وَّرُبْعَ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا
 فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَلَّا تَعْوَلُوْا ۝ ۳ ۗ وَاتُوا النِّسَاءَ صٰدِقِيْنَ
 نِحْلَةً ۗ فَاِنْ طَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَّرِيْتًا ۝ ۴ ۗ وَلَا تُؤْتُوْا
 الشُّفَهٰآءَ اَمْوَالِكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَمًا وَّارْزُقُوْهُم فِیْهَا وَاكْسُوْهُم وَقُوْلُوْا
 لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۝ ۵ ۗ وَابْتَلُوْا الْيَتٰمٰى حَتّٰى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۗ فَاِنْ اَنْتُمْ مِّنْهُمْ
 رُّسَدًا فَاذْفَعُوْا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَاْكُلُوْهَا اِسْرَافًا وَّوَبٰرًا اِنَّ يَكْبُرُوْا ۗ وَمَنْ كَانَ
 عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۗ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ
 اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهَدُوْا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ۝ ۶ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبُوْنَ ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ

यह तक्रवा की रूह है। अगर हर वक़्त यह ख्याल रहे कि कोई मुझे देख रहा है, मेरा हर अमल उसकी निगाह में है, कोई अमल उससे छुपा हुआ नहीं है तो इन्सान का दिल अल्लाह के तक्रवे से मामूर हो जायेगा। अगर यह इस्तेहज़ार (ध्यान) रहे कि चाहे मैंने सब दरवाज़े और खिड़कियाँ बंद कर दीं और परदे गिरा दिये हैं लेकिन एक आँख से मैं नहीं छुप सकता तो यही तक्रवा है। और अगर तक्रवा होगा तो फिर अल्लाह के हर हुक़म की पाबन्दी की जायेगी।

यह हिक़मते नबवी है कि इस आयत को नबी अकरम صلی اللہ علیہ وسلم ने खुल्वा-ए-निकाह में शामिल फ़रमाया। निकाह का मौक़ा वह होता है कि एक मर्द और एक औरत के दरमियान रिश्ता-ए-अज़द्वज कायम हो रहा है। यानि आदम का एक बेटा और हव्वा की एक बेटी फिर उसी रिश्ते में मुन्सलिक हो रहे हैं जिसमें आदम और हव्वा थे। जिस तरह उन दोनों से नस्ल फैली है उसी तरह अब इन दोनों से नस्ल आगे बढ़ेगी। लेकिन इस पूरे मआशरती मामले में, खानदानी मामलात में, आइली मामलात में अल्लाह का तक्रवा इन्तहाई अहम है। जैसे हमने सूरतुल बक्ररह में देखा कि बार-बार { **وَاتَّقُوا اللَّهَ** } की ताकीद फ़रमायी गयी। इसलिये कि अगर तक्रवा नहीं होगा तो फिर खाली क़ानून मौअस्सर नहीं होगा। क़ानून को तो तख़्ता-ए-मशक़ भी बनाया जा सकता है कि बज़ाहिर क़ानून का तक्राज़ा पूरा हो रहा हो लेकिन उसकी रूह बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाये। सूरतुल बक्ररह में इसी तर्ज़े अमल के बारे में फ़रमाया गया कि: { **وَلَا تَتَّخِذُوا آلِي اللَّهِ حُزُوًا** } (आयत:231) “और अल्लाह की आयात को मज़ाक़ ना बना लो।”

आयत 2

“और यतीमों के माल उनके हवाले कर दो”

وَأُو۟لِيَ الْأَمْوَالِ

मआशरे के दबे हुए तबक़ात में से यतीम एक अहम तबक़ा था। दौरै जाहिलियत में उनके कोई हुकूक़ नहीं थे और उनके माल हड़प कर लिये जाते थे। वह बहुत कमज़ोर थे।

“और (अपने) बुरे माल को (उनके) अच्छे माल से ना बदलो”

وَلَا تَتَّبِعُوا الْاِحْبَابَ بِالطَّيِّبِ

सतह पर जाकर रिश्ता-ए-अखुवत में मुन्सलिक (बंधन) हो जाती है। एक तो सगे बहन-भाई हैं। दादा-दादी पर जाकर cousins का हल्का बन जाता है। इससे ऊपर परदादा-परदादी पर जाकर एक और वसीअ हल्का बन जाता है। इसी तरह चलते जाइये तो मालूम होगा कि पूरी नौए इंसानी बिलआखिर एक जोड़े (आदम व हव्वा) की औलाद है।

“और तक्रवा इख्तियार करो उस अल्लाह का وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
जिसका तुम एक-दूसरे को वास्ता देते हो,
और रहमी रिश्तों का लिहाज़ रखो।”

तक्रवा की ताकीद मुलाहिज़ा कीजिये कि एक ही आयत में दूसरी मर्तबा फिर तक्रवा का हुक्म है। फ़रमाया कि उस अल्लाह का तक्रवा इख्तियार करो जिसका तुम एक-दूसरे को वास्ता देते हो। आपको मालूम है कि फ़कीर भी माँगता है तो अल्लाह के नाम पर माँगता है, अल्लाह के वास्ते माँगता है, और अक्सर व बेशतर जो तमद्दुनी मामलात होते हैं उनमें भी अल्लाह का वास्ता दिया जाता है। घरेलू झगड़ों को जब निबटाया जाता है तो आखिरकार कहना पड़ता है कि अल्लाह का नाम मानो और अपनी इस ज़िद से बाज़ आ जाओ! तो जहाँ आखरी अपील अल्लाह ही के हवाले से करनी है तो अगर उसका तक्रवा इख्तियार करो तो यह झगड़े होंगे ही नहीं। उसने इस मआशरे के मुख्तलिफ़ तबक़ात के हुक्क़ मुअय्यन कर दिये हैं, मसलन मर्द और औरत के हुक्क़, रब्बुल माल और आमिल के हुक्क़, फ़र्द और इज्तमाइयत के हुक्क़ वगैरह। अगर अल्लाह के अहक़ाम की पैरवी की जाये और उसके आयद करदा हुक्क़ व फ़राइज़ की पाबन्दी की जाये तो झगड़ा नहीं होगा।

मज़ीद फ़रमाया की रहमी रिश्तों का लिहाज़ रखो! जैसा की अभी बताया गया कि रहमी रिश्तों का अब्वलीन दायरा बहन-भाई हैं, जो अपने वालिदैन की औलाद हैं। फिर दादा-दादी पर जाकर एक बड़ी तादाद पर मुश्तमिल दूसरा दायरा वजूद में आता है। यह रहमी रिश्ते हैं। इन्हीं रहमी रिश्तों को फैलाते जाइये तो कुल बनी आदम और कुल बिनाते हव्वा सब एक ही नस्ल से हैं, एक ही बाप और एक ही माँ की औलाद हैं।

“यक्कीनन अल्लाह तुम पर निगरान है।”

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ①

हों उनसे निकाह करो। अगर ज़रूरत हो तो दो-दो, तीन-तीन, चार-चार की हद तक निकाह कर सकते हो, इसकी तुम्हें इजाज़त है। लेकिन तुम यतीम बच्चियों के वली बन कर उनकी शादियाँ कहीं और करो ताकि तुम उनके हुक्क के पासवान बन कर खड़े हो सको। वरना अगर तुमने उनको अपने घरों में डाल लिया तो कौन होगा जो उनके हुक्क के बारे में तुमसे बाज़पुर्स कर सके? मुन्करीन सुन्नत और मुन्करीन हदीस ने इस आयत की मुख्तलिफ़ ताबीरात की हैं, जो यहाँ बयान नहीं की जा सकतीं। इसका सही मफ़हूम यही है जो सलफ़ से चला आ रहा है और जो हज़रत आयशा सिद्दीका (रज़ि०) से मरवी है। मज़ीद बराँ तादादे अज़द्वज के बारे में यही एक आयत कुरान मज़ीद में है। इस आयत की रू से तादादे अज़द्वज को महदूद किया गया है और चार से ज़्यादा बीवियाँ रखने को ममनूअ (prohibited) कर दिया गया है।

“लेकिन अगर तुम्हें अन्देशा हो कि उनके दरमियान अद्ल ना कर सकोगे तो फिर एक ही पर बस करो”

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

यह जो हमने इजाज़त दी है कि दो-दो, तीन-तीन, चार-चार औरतों से निकाह कर लो, इसकी शर्त लाज़िम यह है कि बीवियों के दरमियान अद्ल करो। अगर तम्हें अन्देशा हो कि इस शर्त को पूरा नहीं कर सकोगे और उनमें बराबरी ना कर सकोगे तो फिर एक ही शादी करो, इससे ज़्यादा नहीं। बीवियों के माबैन अद्ल व इन्साफ़ में हर उस चीज़ का ऐतबार होगा जो शुमार में आ सकती है। मसलन हर बीवी के पास जो वक्त गुज़ारा जाये उसमें मसावात होनी चाहिये। नान-नफ़का, ज़ेवरात, कपड़े और दीगर माल व असबाब, गर्ज़ यह कि तमाम माद्दी चीज़ें जो देखी-भाली जा सकती हैं उनमें इन्साफ़ और अद्ल लाज़िम है। अलबत्ता दिली मैलान और रुज़ान जिस पर इन्सान को क़ाबू नहीं होता, उसमें गिरफ़्त नहीं है।

“या वह औरतें जो तुम्हारी मिल्के यमीन हों।”

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

यानि वह औरतें जो जंगों में गिरफ़्तार होकर आईं और हुक्मत की तरफ़ से लोगों में तकसीम कर दी जायें। वह एक अलैहदा मामला है और उनकी तादाद पर कोई तहदीद नहीं है।

ऐसा हरगिज़ ना हो कि यतीमों के माल में से अच्छा-अच्छा ले लिया और अपना रद्दी माल उसमें शामिल कर दिया।

“और उनके माल अपने मालों में शामिल करके हड़प ना करो।”

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ

“यक़ीनन यह बहुत बड़ा गुना है।”

إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿١٠﴾

यतीमों के बाज़ सरपरस्त जो तक़वा और खौफ़-ए-ख़ुदा से तही दामन होते हैं, अब्बल तो उनका माल हड़प कर जाते हैं, और अगर ऐसा ना भी करें तो उनका अच्छा माल ख़ुर्द-बर्द (गबन) करके अपना रद्दी और बेकार माल उसमें शामिल कर देते हैं और इस तरह तादाद पूरी कर देते हैं। फिर ऐसा भी होता है कि उनके माल को अपने माल के साथ मिला लेते हैं ताकि उसे बाआसानी हड़प कर सकें। उनको ऐसे सब हथकण्डों से रोक दिया गया।

आयत 3

“और अगर तुम्हें अन्देशा हो कि तुम यतीम बच्चियों के बारे में इन्साफ़ नहीं कर सकोगे”

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ

“तो (उन्हें अपने निकाह में ना लाओ बल्कि) जो औरतें तुम्हें पसंद हों उनसे निकाह कर लो दो-दो, तीन-तीन, चार-चार तक।”

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَأُولَىٰ وَرُبْعَ

इस आयत में “यतामा” से मुराद यतीम बच्चियाँ और ख़्वातीन हैं। यतीम लड़के तो उम्र की एक ख़ास हद को पहुँचने के बाद अपनी आज़ाद मर्ज़ी से ज़िन्दगी गुज़ार लेते थे, लेकिन यतीम लड़कियों का मामला यह होता था कि उनके वली और सरपरस्त उनके साथ निकाह भी कर लेते थे। इस तरह यतीम लड़कियों के माल भी उनके क़ब्ज़े में आ जाते थे, और यतीम लड़कियों के पीछे उनके हुकूक की निगहदाशत करने वाला भी कोई नहीं होता था। अगर माँ-बाप होते तो ज़ाहिर है कि वह बच्ची के हुकूक के बारे में भी कोई बात करते। लिहाज़ा उनका कोई परसाने हाल नहीं होता था। चुनाँचे फ़रमाया गया कि अगर तुम्हें अन्देशा हो कि तुम उनके बारे में इन्साफ़ नहीं कर सकोगे तो फिर तुम उन यतीम बच्चियों से निकाह मत करो, बल्कि दूसरी औरतें जो तुम्हें पसंद

कि ऐसे माल के बेजा इस्तेमाल की मआशरती सतह पर रोकथाम होनी चाहिये। यह तसव्वुर नाक़्ाबिले कुबूल है कि मेरा माल है, मैं जैसे चाहूँ खर्च करूँ! चुनाँचे इस माल को “**أَمْوَالُكُمْ**” कहा गया कि यह असल में मआशरे की मुशतरिक बहबूद (कल्याण) के लिये है। अगरचे इन्फ़रादी मिल्कियत है, लेकिन फिर भी इसे मआशरे की मुशतरिक बहबूद में खर्च होना चाहिये।

“हाँ उन्हें उसमें से खिलाते और पहनाते रहो”

وَأَزْرُقُوهُمْ فِيهَا وَأَكْسُوهُمْ

“और उनसे बात किया करो अच्छे अंदाज़ में।”

وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ⑤

इसी उसूल के तहत बिरतानवी दौर के हिन्दुस्तान में Court of wards मुक़्रर कर दिये जाते थे। अगर कोई बड़ा जागीरदार या नवाब फ़ौत हो जाता और यह अन्देशा महसूस होता कि उसका बेटा आवारा है और वह सब कुछ उड़ा देगा, ख़त्म कर देगा तो हुकूमत उस मीरास को अपनी हिफ़ाज़त में ले लेती और वुरसा के लिये उसमें से सालाना वज़ीफ़ा मुक़्रर कर देती। बाक़ी सब माल व असबाब जमा रहता था ताकि यह उनकी आइन्दा नस्ल के काम आ सके।

आयत 6

“और यतीमों की जाँच-परख करते रहो यहाँ तक कि वह निकाह की उम्र को पहुँच जायें।”

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

“फिर अगर तुम उनके अन्दर सूझ-बूझ पाओ”

فَإِنِ انْتَمْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا

तुम महसूस करो कि अब यह बाशऊर हो गये हैं, समझदार हो गये हैं।

“तो उनके अमवाल उनके हवाले कर दो।”

فَادْفَعُوْا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

“और तुम उसे हड़प ना कर जाओ इसराफ़ और जल्दीबाज़ी करके (इस डर से) कि वह बड़े हो जाएँगे।”

وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ

“यह इससे करीबतर है कि तुम एक ही तरफ़ को ना झुक पड़ो।”

ذٰلِكَ اَدْنٰى اِلَّا تَعُوْا ۝

कि बस एक ही बीवी की तरफ़ मैलान है और, जैसा कि आगे आयेगा, मुअल्लक होकर रह गयी हैं कि ना वह शौहर वालियाँ हैं और ना आज़ाद हैं कि कहीं और निकाह कर लें।

आयत 4

“और औरतों को उनके महर खुशदिली के साथ दिया करो।”

وَاُوۡاِىِّسَاۡءَ صَدَقٰتِهِنَّۙ بِخَيْرٍ ۝

औरतों के महर तावान समझ कर ना दिया करो, बल्कि फ़र्ज़ जानते हुए अदा किया करो। *صَدَاقُ* की जमा है, जबकि *صَدَقَةٌ* की जमा *صَدَقَاتُ* आती है।

“फिर अगर वह खुद अपनी रज़ामंदी से उसमें से कोई चीज़ तुम्हें छोड़ दें”

فَاِنْ طَبِنَ لَكُمْ عَنِ شَيْءٍ مِّنْهُۙ فَمِثْلُهَا ۝

तुमने जो महर मुक़रर किया था वह उन्हें अदा कर दिया, अब वह तुम्हें उसमें से कोई चीज़ हदिया कर रही हैं, तोहफ़ा दे रही हैं तो कोई हर्ज नहीं।

“तो तुम उसको खाओ मज़े से खुशगवारी से।”

فَكُلُوْهُۙ هَنِيْٓءًا مَّرِيْنًا ۝

तुम उसे बेखटके इस्तेमाल में ला सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यह हो उनकी मज़ी से, ज़बरदस्ती और ज़बर करके ना ले लिया जाये।

आयत 5

“और मत पकड़ा दो नासमझों को अपने वह माल जिनको अल्लाह ने तुम्हारे गुज़रान का ज़रिया बनाया है”

وَلَا تُؤۡتُوا۟ السُّفَهَاۗءَ اٰمۡوَالِكُمۡ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا ۝

मआशरे में एक तबक़ा ऐसा भी होता है जो नादानों और नासमझ लोगों (*सुफ़हा*) पर मुशतमिल होता है। इनमें बच्चे भी शामिल हैं जो अभी सन शऊर को नहीं पहुँचे। ऐसे बच्चे अगर यतीम हो जायें तो वह विरासत में मिलने वाले माल को अलल्लो-तलल्लो में उड़ा सकते हैं। लिहाज़ा यहाँ हिदायत की गयी है

ने”

وَالْأَقْرَبُونَ

“और औरतों का भी हिस्सा है उसमें से जो तरका है वालिदैन और रिश्तेदारों का”

وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ

وَالْأَقْرَبُونَ

यहाँ अब पहली मरतबा औरतों को विरासत का हक़ दिया जा रहा है, वरना कबूल अज़ इस्लाम अरब मआशरे में औरत का कोई हक़ विरासत नहीं था।

“चाहे वह विरासत थोड़ी हो या ज़्यादा हो।”

مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ

अल्लाह तआला का क़ानून इस पर हर सूरत में पूरी तरह नाफ़िज़ होना चाहिये।

“यह हिस्सा है (अल्लाह की तरफ़ से) फ़ज़्र किया गया।”

نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ④

आगे आप देखेंगे कि इस क़ानूने विरासत की किस तरह बार-बार ताकीद आ रही है। साथ ही आप यह भी देखते रहें कि हमारे मआशरे के अन्दर अल्लाह तआला के इस हुक़म की किस तरह धज़ियाँ बिखरती हैं। ख़ास तौर पर हमारे शिमाली इलाक़े में वैसे तो नमाज़ रोज़े का बहुत अहतमाम होता है, लेकिन वहाँ के लोग बेटियों को विरासत में हिस्सा देने को किसी सूरत तैयार नहीं होते, बल्कि अपने रिवाज़ की पैरवी करते हैं। शरीअत की कुछ चीज़ें बहुत अहम हैं और कुरान में उनका हुक़म इन्तहाई ताकीद के साथ आता है।

आयत 8

“और जब हाज़िर हो तक्रसीम के वक़्त कराबतदार और यतीम और मोहताज”

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

وَالْمَسْكِينُ

जब विरासत की तक्रसीम हो रही हो तो अब अगर वहाँ कुछ कराबतदार, कुछ यतीम और कुछ मोहताज भी आ जायें।

“तो उन्हें भी कुछ दे दिला दो उसमें से और उनसे माकूल अंदाज़ में बात करो।”

فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ⑤

ऐसा ना हो कि तुम यतीमों का माल ज़रूरत से ज़्यादा और जल्दबाज़ी में खर्च करने लगो, इस ख्याल से कि बच्चे जवान हो जाएँगे तो यह माल उनके हवाले करना है, लिहाज़ा इससे पहले-पहले हम इसमें से जितना हड़प कर सकें कर जायें।

“और जो कोई गनी हो उसको चाहिये कि वह परहेज़ करे।”

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ

यतीम का वली अगर खुद गनी है, अल्लाह ने उसको दे रखा है, उसके पास कशाइश है तो उसे यतीम के माल में से कुछ भी लेने का हक़ नहीं है। फिर उसे यतीम के माल से बचते रहना चाहिये।

“और जो कोई मोहताज हो तो खाये दस्तूर के मुताबिक़ा।”

وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ

अगर कोई खुद तंगदस्त है, मोहताज है और वह यतीम की निगहदाशत भी कर रहा है, उसका कुछ वक़्त भी उस पर सर्फ़ हो रहा है तो मारुफ़ तरीक़े से अगर वह यतीम के माल में से कुछ खा भी ले तो कुछ हर्ज नहीं है। इस्लाम की तालीम बड़ी फ़ितरी है, इसमें ग़ैरफ़ितरी बन्दिशें नहीं हैं जिन पर अमल करना नामुमकिन हो जाये।

“फिर जब तुम उनके माल उनके हवाले करो तो इस पर गवाह ठहरा लो।”

فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ

उनका माल व मताअ गवाहों की मौजूदगी में उनके हवाले किया जाये कि उनकी यह-यह चीज़ें आज तक मेरी तहवील में थीं, अब मैंने इनके हवाले कर दीं।

“और अल्लाह काफ़ी है हिसाब लेने के लिये।”

وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ①

यह दुनिया का मामला है कि इसके लिये लिखत-पढत और शहादत है। बाक़ी असल हिसाब तो तुम्हें अल्लाह के यहाँ जाकर देना है।

आयत 7

“मर्दों के लिये भी हिस्सा है उसमें से जो तरका छोड़ा हो वालिदैन ने और रिश्तेदारों

لِلَّذِينَ جَاءَ تَحْتِ يَدَيْكَ مِنَ الْوَالِدِينَ

जामेअ हैं, जिनमें उस मआशरे के पसमान्दा तबक्रात में से एक-एक का ख्याल करके निहायत बारीक बीनी और हिकमत के साथ अहकाम दिये गये हैं।

आयात 11 से 14 तक

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا بُوَيْهَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ إِن تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ⑩ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُم مِّمَّا تَرَكَتُم إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُم مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَةَ أَخٍ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ⑪ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ⑫ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ⑬

सूरतुन्निसा का दूसरा रुकूअ बड़ा मुख्तसर है और इसमें सिर्फ़ चार आयात हैं, लेकिन मानवी तौर पर इनमें एक क्रयामत मुज़मर है। यह कुरान हकीम का ऐजाज़ है कि चार आयतों के अन्दर इस्लाम का पूरा कानून विरासत बयान कर दिया गया है जिस पर पूरी-पूरी जिल्दें लिखी गयी हैं। गोया जामिअत की इन्तहा है।

वह देख रहे हैं कि इस वक़्त विरासत तक़सीम हो रही है और वह बिल्कुल मोहताज़ हैं, तो उनके अहसासे महरूमियत का जो भी मदावा हो सकता है करो, और उनसे बड़े अच्छे अंदाज़ में बात करो। उन्हें झिड़को नहीं कि हमारी विरासत तक़सीम हो रही है और यहाँ तुम कौन आ गये हो?

आयत 9

“और डरते रहना चाहिये उन लोगों को कि अगर उन्होंने भी छोड़े होते अपने पीछे ना तवाँ (कमज़ोर) बच्चे तो उनके बारे में उन्हें कैसे-कैसे अन्देशे होते।”

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً
ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

“तो उन्हें चाहिये कि अल्लाह का तक़वा इख़्तियार करें”

فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

उन्हें यह खयाल करना चाहिये कि यह यतीम जो इस वक़्त आ गये हैं यह भी किसी के बच्चे हैं, जिनके सर पर बाप का साया नहीं रहा। लिहाज़ा वह उनके सर पर शफ़क्कत का हाथ रखें।

“और सीधी-सीधी (हक़ पर मत्री) बात करें।”

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ①

आयत 10

“यक़ीनन वह लोग जो यतीमों का माल हड़प करते हैं नाहक़”

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتِيمِ ظُلْمًا

“वह तो अपने पेटों में आग ही भर रहे हैं।”

إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا

“और वह अनक़रीब भड़कती आग में दाख़िल होंगे।”

وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ②

अन्दर की आग तो वह खुद अपने पेटों में डाल रहे हैं और वह खुद भी समूचे दोज़ख़ की भड़कती आग में डाल दिये जाएँगे। गोया एक आग उनके अन्दर होगी और एक वसीअ व अरीज़ आग उनके बाहर होगी। यह दस आयतें बड़ी

“फिर अगर मर्यत के बहन-भाई हों तो उसकी माँ का छठा हिस्सा है”

فَإِنْ كَانَ لَهَا إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ

अगर मरने वाला बेऔलाद हो लेकिन उसके बहन-भाई हों तो इस सूरत में माँ का हिस्सा मज़ीद कम होकर एक तिहाई के बजाये छठा हिस्सा रह जायेगा और बाक़ी बाप को मिलेगा, लेकिन बहन-भाइयों को कुछ ना मिलेगा। वह बाप की तरफ़ से विरासत के हक़दार होंगे। लेकिन साथ ही फ़रमा दिया:

“बाद उस वसीयत की तक़सीम के जो वह कर जाये या बाद अदाये क़र्ज़ के।”

مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

विरासत की तक़सीम से पहले दो काम कर लेने ज़रूरी हैं। एक यह कि अगर उस शख्स के ज़िम्मे कोई क़र्ज़ है तो वह अदा किया जाये। और दूसरे यह कि अगर उसने कोई वसीयत की है तो उसको पूरा किया जाये। फिर विरासत तक़सीम होगी।

“तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे, तुम नहीं जानते कि उनमें से कौन तुम्हारे लिये ज़्यादा नाफ़ेअ है।”

أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا

“यह अल्लाह की तरफ़ से मुक़रर किया हुआ फ़रीज़ा है।”

فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ

तुम अपनी अक़लों को छोड़ो और अल्लाह की तरफ़ से मुक़रर करदा हिस्सों के मुताबिक़ विरासत तक़सीम करो। कोई आदमी यह समझे कि मेरे बूढे वालिदैन हैं, मेरी विरासत में ख्वाह मा ख्वाह उनके लिये हिस्सा क्यों रख दिया गया है? यह तो खा पी चुके, ज़िन्दगी गुज़र चुके, विरासत तो अब मेरी औलाद ही को मिलनी चाहिये, तो यह सोच बिल्कुल ग़लत है। तुम्हें बस अल्लाह का हुक्म मानना है।

“यक़ीनन अल्लाह तआला इल्म व हिकमत वाला है।”

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ⑩

उसका कोई हुक्म इल्म और हिकमत से खाली नहीं है।

आयत 11

“अल्लाह तआला तुम्हें वसीयत करता है तुम्हारी औलाद के बारे में”

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ

“कि लड़के के लिये हिस्सा है दो लड़कियों के बराबर”

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

“फिर अगर लड़कियाँ ही हों (दो या) दो से ज्यादा तो उनके लिये तरके का दो तिहाई है।”

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

“और अगर एक ही लड़की है तो उसके लिये आधा है।”

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

ज़ाहिर है अगर एक ही बेटा है तो वह पूरे तरके का वारिस हो जायेगा। लिहाज़ा जब बेटा का हिस्सा बेटे से आधा है तो अगर एक ही बेटा है तो उसे आधी विरासत मिलेगी, आधी दूसरे लोगों को जायेगी। वह एक अलैहदा मामला है।

“और मय्यत के वालिदैन में से हर एक के लिये छठा हिस्सा है जो उसने छोड़ा अगर मय्यत के औलाद हो।”

وَلِأَبْوَائِهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ

अगर कोई शख्स फ़ौत हो जाये और उसके वालिदैन या दोनों में से कोई एक ज़िन्दा हो तो उसकी विरासत में से उनका भी मुअय्यन हिस्सा है। अगर वफ़ात पाने वल शख्स साहिबे औलाद है तो उसके वालिदैन में से हर एक के लिये विरासत में छठा हिस्सा है। यानि मय्यत के तरके में से एक तिहाई वालिदैन को चला जायेगा और दो तिहाई औलाद में तक्रसीम होगा।

“और अगर उसके औलाद ना हो और उसके वारिस माँ-बाप ही हों तो उसकी माँ का एक तिहाई है।”

فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

अगर कोई शख्स लावलद फ़ौत हो जाये तो उसके तरके में से उसकी माँ को एक तिहाई और बाप को दो तिहाई मिलेगा। यानि बाप का हिस्सा माँ से दो गुना हो जायेगा।

ऐसी ही”

“कलाला” वह मर्द या औरत है जिसके ना तो वालिदैन ज़िन्दा हों और ना उसकी कोई औलाद हो।

“और उसका एक भाई या एक बहन हो तो उनमें से हर एक के लिये छठा हिस्सा है।”

وَلَا أَحْ أَوْ أَحْتْ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
السُّدُسُ

“और अगर वह इससे ज़्यादा हों तो वह सब एक तिहाई में शरीक होंगे”

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي
الثُّلْثِ

मुफ़स्सिरीन का इज्माअ है कि यहाँ कलाला की मीरास के हुक्म में भाई और बहनों से मुराद अख्याफ़ी (माँ शरीक) भाई और बहन हैं। रहे ऐनी और अलाती भाई-बहन तो उनका हुक्म इसी सूरत के आखिर में इरशाद हुआ है। अरबों में दरअसल तीन क्रिस्म के बहन-भाई होते हैं। एक “ऐनी” जिनका बाप भी मुश्तरिक हो और माँ भी, जिन्हें हमारे यहाँ हक्कीकी कहते हैं। दूसरे “अलाती” बहन-भाई, जिनका बाप एक और माँयें जुदा हों। अहले अरब के यहाँ यह भी हक्कीकी बहन-भाई होते हैं और इनका हुक्म वही है जो “ऐनी” बहन-भाइयों का है। वह इन्हें “सौतेल” नहीं समझते। उनके यहाँ सौतेला वह कहलाता है जो एक माँ से हो लेकिन उसका बाप दूसरा हो। यह “अख्याफ़ी” बहन-भाई कहलाते हैं। एक शख्स की औलाद थी, वह फ़ौत हो गया। उसके बाद उसकी बीवी ने दूसरी शादी कर ली। तो अब उस दूसरे खाविन्द से जो औलाद है वह पहले खाविन्द की औलाद के अख्याफ़ी बहन-भाई हैं। तो कलाला की मीरास के हुक्म में यहाँ अख्याफ़ी भाई-बहन मुराद हैं।

“उस वसीयत की तामील के बाद जो की गयी या अदाये क़र्ज़ के बाद”

مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُؤْصَى بِهَا أَوْ دِينٍ

यह दो शर्तें हर सूरत बाक़ी रहेंगी। मरने वाले की ज़िम्मे अगर कोई क़र्ज़ है तो पहले वह अदा किया जायेगा, फिर उसकी वसीयत की तामील की जायेगी, उसके बाद मीरास वारिसों में तक़सीम की जायेगी।

“बग़ैर किसी को ज़रर पहुँचाये।”

غَيْرَ مُضَارٍّ

आयत 12

“और तुम्हारा हिस्सा तुम्हारी बीवियों के तरके में से आधा है अगर उनके कोई औलाद ना हो।”

وَلَكُمْ يَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ
يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ

बीवी फ़ौत हो गयी है और उसके कोई औलाद नहीं है तो जो वह छोड़ गयी है उसमें से निस्फ़ शौहर का हो जायेगा। बाक़ी जो निस्फ़ है वह मरहूमा के वालिदैन और बहन-भाइयों में हस्बे क़ायदा तक्रसीम होगा।

“और अगर उनके औलाद है तो तो तुम्हारे लिये चौथाई है उसमें से जो उन्होंने छोड़ा”

فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعَ مِمَّا تَرَكَنَّ

“बाद उस वसीयत की तामील के जो वह कर जायें या बाद अदाये क़र्ज़ के।”

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُؤْتَيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

अगर मरने वाली ने औलाद छोड़ी है तो मौजूदा शौहर को मरहूमा के माल से अदाये देन व इन्फ़ाज़े वसीयत के बाद कुल माल का चौथाई हिस्सा मिलेगा और बाक़ी तीन चौथाई दूसरे वुरसा में तक्रसीम होगा।

“और उनके लिये चौथाई है तुम्हारे तरके का अगर तुम्हारे औलाद नहीं है।”

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ

“और अगर तुम्हारे औलाद है तो उनके लिये आठवाँ हिस्सा है तुम्हारे तरके में से”

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ

“उस वसीयत की तामील के बाद जो तुमने की हो या क़र्ज़ अदा करने के बाद।”

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُؤْتُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

अगर मरने वाले ने कोई औलाद नहीं छोड़ी तो अदाये देन व इन्फ़ाज़े वसीयत के बाद उसकी बीवी को उसके तरके का चौथाई मिलेगा, और अगर उसने कोई औलाद छोड़ी है तो इस सूरत में बाद अदाये देन व वसीयत के बीवी को आठवाँ हिस्सा मिलेगा। अगर बीवी एक से ज़्यादा हैं तो भी मज़क़ूरा हिस्सा सब बीवियों में तक्रसीम हो जायेगा।

“और अगर कोई शख्स जिसकी विरासत तक्रसीम हो रही है कलाला हो, या औरत हो

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ

हमेशा रहेगा।”

“और उसके लिये अहानत अमेज़ अज़ाब होगा।”

وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٣﴾

आयात 15 से 22 तक

وَالَّذِينَ يَأْتِيَنِ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاَسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَ اَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَاَنْ شَهِدُوا
 فَاَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتّٰى يَتَوَقَّفَهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ﴿١٤﴾
 وَالَّذِينَ يَأْتِيْنَهَا مِنْكُمْ فَاذُوْهُمَا فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا اِنَّ اللهَ كَانَ تَوَّابًا
 رَّحِيْمًا ﴿١٥﴾ اِمَّا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ
 فَاُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَاَنَّ اللهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٦﴾ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ
 يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ حَتّٰى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالِ اِنِّىْ تُوْبْتُ وَلَا الَّذِيْنَ
 يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كَفَّارٌ اُولٰٓئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَا يَجْلُ
 لَكُمْ اَنْ تَرْتُوْا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضَلُوْهُنَّ لِتَذَهَبُوْا بِبَعْضِ مَا اتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّا اَنْ
 يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِيْنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَى اَنْ
 تَكْرَهُوا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ﴿١٨﴾ وَاِنْ اَرَدْتُمْ اِسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ
 زَوْجٍ ۗ وَاَنْتُمْ اِحْدَاهُنَّ فِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا اَتَاْخُذُوْنَهُ بِهَتَاٰتَا وَاِمَّا
 مُّبِيْنًا ﴿١٩﴾ وَكَيْفَ تَاْخُذُوْنَهُ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلَى بَعْضٍ وَاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا
 عَلِيْظًا ﴿٢٠﴾ وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اِنَّهٗ كَانَ
 فَاِحِشَةً وَّ مَقْفًا وَّ سَاءَ سَبِيْلًا ﴿٢١﴾

अब इस्लामी मआशरे की तहरीर के लिये अहकाम दिये जा रहे हैं। मुस्लमान जब तक मक्का में थे तो वहाँ कुफ़्फ़ार का गलबा था। अब मदीना में अल्लाह तआला ने मुसलमानों को वह हैसियत दी है कि अपने मामलात को

यह सारा काम ऐसे होना चाहिये कि किसी को ज़रर (नुक़सान) पहुँचाने की नीयत ना हो।

“यह ताकीद है अल्लाह की तरफ़ से।”

وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ

“और अल्लाह तआला सब कुछ जानने वाला कमाले हिल्म वाला है।”

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٣﴾

उसके हुक्म और बुर्दबारी पर धोखा ना खाओ कि वह तुम्हें पकड़ नहीं रहा है। “ना जा उसके तहम्मूल पर कि है बेढब गिरफ्त उसकी!” उसकी पकड़ जब आयेगी तो उससे बचना मुमकिन नहीं होगा: {إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ} (अल बुरूज:12) “यक्रीनन तुम्हारे रब की पकड़ बड़ी सख्त है।”

आयत 13

“यह अल्लाह की मुकरर की हुई हुदूद हैं।”

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

“और जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा वह दाख़िल करेगा उसे उन बायात में जिसके दामन में नदियाँ बहती होंगी”

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

“उनमें वह हमेशा-हमेश रहेंगे।”

خَالِدِينَ فِيهَا

“और यही है बहुत बड़ी कामयाबी।”

وَذَلِكَ الْقَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٤﴾

आयत 14

“और जो कोई नाफ़रमानी करेगा अल्लाह और उसके रसूल की और तजावुज़ करेगा उसकी हुदूद से”

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ

“वह दाख़िल करेगा उसको आग में जिसमें वह

يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا

मुताल्लिक यह हिदायत फ़रमायी गयी कि उन्हें ता हुक्म सानी घरों के अन्दर महबूस (कैदी) रखा जाये।

आयत 16

“और जो दोनों तुम में से इस (बदकारी) का इरतकाब करें तो उन दोनों को ईज़ा (तकलीफ़) पहुँचाओ।”

وَالَّذِينَ يَأْتِيهِمْ مِنْكُمْ فَأَذُوهُمْ

अगर बदकारी का इरतकाब करने वाले मर्द व औरत दोनों मुसलमानों में से ही हों तो दोनों को अज़ियत दी जाये। यानि उनकी तौहीन व तज़लील की जाये और मारा-पीटा जाये।

“फिर अगर वह तौबा कर लें और इस्लाह कर लें तो उनको छोड़ दो।”

فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ

“यक़ीनन अल्लाह तआला बहुत तौबा कुबूल फ़रमाने वाला और रहम फ़रमाने वाला है।”

إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ⑩

वाज़ेह रहे कि यह बिल्कुल इब्तदाई अहकाम हैं। इसी लिये इनकी वज़ाहत में तफ़सीरों में बहुत से अक़वाल मिल जाएँगे। इसलिये कि जब हुदूद नाफ़िज़ हो गई तो यह उबूरी और आरज़ी अहकाम मनसूख़ करार पाये। जैसा की सूरतुन्निसा में क़ानूने विरासत नाज़िल होने के बाद सूरतुल बकररह में वारिद शुदा वसीयत का हुक्म साक़ित हो गया।

आयत 17

“अल्लाह के ज़िम्मे है तौबा कुबूल करना ऐसे लोगों की जो कोई बुरी हरकत कर बैठते हैं जहालत और नादानी में”

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الشُّوْءَ
بِجَهَالَةٍ

“फिर जल्दी ही तौबा कर लेते हैं”

ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ

एक साहिबे ईमान पर कभी ऐसा वक़्त भी आ सकता है कि खारजी असरात इतने शदीद हो जायें या नफ़्स के अन्दर का हैजान उसे जज़्बात से मग़लूब कर

सँवारना शुरू करें। चुनाँचे एक-एक करके उन मआशरती मामलात और समाजी मसाइल को ज़ेरे बहस लाया जा रहा है। इस्लामी मआशरे में इफ़्फ़त व अस्मत को बुनियादी अहमियत हासिल होती है। लिहाज़ा अगर मआशरे में जिन्सी बेराहरवी मौजूद है तो उसकी रोकथाम कैसे हो? उसके लिये इब्तदाई अहकाम यहाँ आ रहे हैं। इस ज़िंमन में तकमीली अहकाम सूरह अल नूर में आएँगे। मआशरती मामलात के ज़िंमन में अहकाम पहले सूरतुन्निसा, फिर सूरतुल अहज़ाब, फिर सूरह अल नूर और फिर सूरतुल मायदा में बतदरीज आये हैं। यह अल्लाह तआला की हिक्मत का तक्राज़ा है कि सूरतुल अहज़ाब और सूरह अल नूर को मुसहफ़ में काफ़ी आगे रखा गया है और यहाँ पर सूरतुन्निसा के बाद सूरतुल मायदा आ गयी है।

आयत 15

“और तुम्हारी औरतों में से जो किसी बेहयाई का इरतकाब करें”

وَالَّتِي يَأْتِيَنِ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ

“तो उन पर अपने में से चार गवाह लाओ।”

فَأَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ

“पस अगर वह गवाही दे दें तो उन औरतों को घरों में बंद कर दो”

فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ

“यहाँ तक कि मौत उनको ले जाये”

حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ

इसी हालत में उनकी ज़िन्दगी का ख़ात्मा हो जाये।

“या अल्लाह उनके लिये कोई और रास्ता निकाल दे।”

أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ⑤

बदकारी के मुताल्लिक़ यह इब्तदाई हुक़म था। बाद में सूरह अल नूर में हुक़म आ गया कि बदकारी करने वाले मर्द व औरत दोनों को सौ-सौ कोड़े लगाये जायें। मालूम होता है कि यहाँ ऐसी लड़कियों या औरतों का तज़क़िरा है जो मुसलमानों में से थीं मगर उनका बदकारी का मामला किसी ग़ैर मुस्लिम मर्द से हो गया जो इस्लामी मआशरे के दबाव में नहीं है। ऐसी औरतों के

यह भी अरब जाहिलियत की एक मकरूह रस्म थी जिसमें औरतों के तबके पर शदीद जुल्म होता था। होता यूँ था कि एक शख्स फ़ौत हुआ है, उसकी चार-पाँच बीवियाँ हैं, तो उसका बड़ा बेटा वारिस बन गया है। अब उसकी हक़ीक़ी माँ तो एक ही है, बाक़ी सौतेली माँयें हैं, तो वह उनको विरासत में ले लेता था कि यह मेरे क़ब्ज़े में रहेंगी, बल्कि उनसे शादियाँ भी कर लेते थे या बग़ैर निकाह अपने घरों में डाले रखते थे, या फिर यह कि इख़्तियार अपने हाथ में रख कर उनकी शादियाँ कहीं और करते थे तो महर खुद ले लेते थे। चुनाँचे फ़रमाया कि ऐ अहले ईमान, तुम्हारे लिये जायज़ नहीं है कि तुम औरतों के ज़बरदस्ती वारिस बन बैठो! जिस औरत का शौहर फ़ौत हो गया वह आज़ाद है। इद्दत गुज़ार कर जहाँ चाहे जाये और जिससे चाहे निकाह कर ले।

“और ना यह जायज़ है कि तुम उन्हें रोके रखो ताकि उनसे वापस ले लो उसका कुछ हिस्सा जो कुछ तुमने उनको दिया है”

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا
آتَيْنَهُنَّ

निकाह के वक़्त तो बड़े चाव थे, बड़े लाड़ उठाये जा रहे थे और क्या-क्या दे दिया था, और अब वह सब वापस हथियाने के लिये तरह-तरह के हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, उन्हें तंग किया जा रहा है, ज़हनी तौर पर तकलीफ़ पहुँचाई जा रही है।

“हाँ अगर वह सरीह बदकारी की मुरतकिब हुई हों (तो तुम्हें उनको तंग करने का हक़ है)।”

إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِعَاقِبَةٍ مُّبِينَةٍ

अगर किसी से सरीह हरामकारी का फ़अल सरज़द हो गया और उस पर उसे कोई सज़ा दी जाये (जैसा कि ऊपर आ चुका है فَادُّوهُنَّ) इसकी तो इजाज़त है। इसके बग़ैर किसी पर ज़्यादती करना जायज़ नहीं है। ख़ास तौर पर अगर नीयत यह हो कि मैं इससे अपना महर वापस ले लूँ, यह इन्तहाई कमीनगी है।

“और औरतों के साथ अच्छे तरीक़े पर मआशरत इख़्तियार करो।”

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

दे और वह कोई गुनाह का काम कर गुजरे। लेकिन इसके बाद उसे जैसे ही होश आयेगा उस पर शदीद नदामत तारी हो जायेगी और वह अल्लाह के हुजूर तौबा करेगा। ऐसे शख्स के बारे में फ़रमाया गया है कि उसकी तौबा कुबूल करना अल्लाह के ज़िम्मे है।

“तो यही हैं जिनकी तौबा अल्लाह कुबूल फ़रमायेगा।”

فَأُولَٰئِكَ يُتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

“और अल्लाह तआला बाख़बर है और हकीम व दाना है।”

وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ⑤

आयत 18

“और ऐसे लोगों का कोई हक़ नहीं है तौबा का जो बुरे काम किये चले जाते हैं।”

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ

मुसलसल हरामखोरियाँ करते रहते हैं, ज़िन्दगी भर ऐश उड़ाते रहते हैं।

“यहाँ तक कि जब उनमें से किसी की मौत का वक़्त आ जाता है तो उस वक़्त वह कहता है कि अब मैं तौबा करता हूँ”

حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ
الْئِنَّ

“और ना उन लोगों की तौबा है जो कुफ़्र की हालत में ही मर जाते हैं।”

وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ

उनकी तौबा का कोई सवाल ही नहीं।

“ऐसे लोगों के लिये तो हमने दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है।”

أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ⑥

आयत 19

“ऐ अहले ईमान! तुम्हारे लिये जायज़ नहीं कि तुम औरतों को ज़बरदस्ती विरासत में ले लो।”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا
النِّسَاءَ كَرْهًا

“क्या तुम उसे वापस लोगे बोहतान लगा कर और सरीह गुनाह के मुरतकिब होकर?”

﴿تَأْخُذُونََهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾

आयत 21

“और तुम उसे कैसे वापस ले सकते हो जबकि तुम एक-दूसरे के साथ सोहबत कर चुके हो?”

﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ

कुछ अक्रल के नाखुन लो, कुछ शऊर और शराफ़त का सबूत दो। तुम उनसे वह माल किस तरह वापस लेना चाहते हो जबकि तुम्हारे माबैन दुनिया का इन्तहाई करीबी ताल्लुक़ कायम हो चुका है।

“और वह तुमसे मज़बूत क़ौल व क़रार ले चुकी हैं।”

﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾

यह क़ौल व क़रार निकाह के वक़्त होता है जब मर्द औरत के महर व नफ़का की पूरी ज़िम्मेदारी लेता है।

आयत 22

“और जिन औरतों से तुम्हारे बाप निकाह कर चुके हों उनसे तुम निकाह मत करो”

﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾

जैसा कि पहले ज़िक्र हुआ, अय्यामे जाहिलियत में सौतेली माँओं को निकाह करके या बग़ैर निकाह के घर में डाल लिया जाता था। ऐसे निकाह को उस मआशरे में भी “निकाहे मक़त” कहा जाता था। यानि यह बहुत ही बुरा निकाह है। ज़ाहिर है फ़ितरते इंसानी तो ऐसे ताल्लुक़ से इबा करती है, मगर उनके यहाँ यह रिवाज था। कुरान मजीद ने इस मक़ाम पर इसका सख़्ती से सद्दे बाब किया है।

“सिवाये इसके जो हो चुका।”

﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾

“यक़्रीनन यह बड़ी बेहयाई की बात है और अल्लाह तआला के ग़ज़ब को भड़काने वाली

﴿إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا﴾

उनके साथ भले तरीके पर, खुश अस्लूबी से, नेकी और रास्ती के साथ गुज़र-बसर करो।

“अगर वह तुम्हें नापसन्द हों तो बर्इद नहीं कि एक चीज़ तुम्हें नापसन्द हो और उसमें अल्लाह ने तुम्हारे लिये बहुत कुछ बेहतरी रख दी हो।”

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝

अगर तुम्हें किसी वजह से अपनी औरतें नापसन्द हो गयी हों तो हो सकता है कि किसी शय को तुम नापसन्द करो, दर हालाँकि अल्लाह ने उसी में तुम्हारे लिये खैरे कसीर रख दिया हो। एक औरत किसी एक ऐतबार से आपके दिल से उतार गयी है, तबीयत का मैलान नहीं रहा है, लेकिन पता नहीं उसमें और कौन-कौन सी खूबियाँ हैं और वह किस-किस ऐतबार से आपके लिये खैर का ज़रिया बनती है। तो इस मामले को अल्लाह के हवाले करो, और उनके हुक्क अदा करते हुए, उनके साथ खुश अस्लूबी से गुज़र-बसर करो। अलबत्ता अगर मामला ऐसा हो गया है कि साथ रहना मुमकिन नहीं है तो तलाक़ का रास्ता खुला है, शरीअते इस्लामी ने इसमें कोई तंगी नहीं रखी है। यह मसीहियत की तरह का कोई गैर माकूल निज़ाम नहीं है कि तलाक़ हो ही नहीं सकती।

आयत 20

“और अगर तुम्हारा इरादा एक बीवी की जगह दूसरी बीवी ले आने का हो”

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ

अगर तुमने फ़ैसला कर ही लिया हो कि एक बीवी की जगह दूसरी बीवी लानी है।

“और उनमें से किसी एक को तुमने ढेरों माल दिया हो”

وَأْتَيْتُمُوهُنَّ إِحْدَاهُنَّ وَقِنَظَرًا

“तो उसमें से कोई भी शय वापस ना लो।”

فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

औरतों को तुमने जो महर दिया था वह उनका है, अब उसमें से कुछ वापस नहीं ले सकते।

आयत 23

“हराम कर दी गयीं तुम पर तुम्हारी माँएँ
और तुम्हारी बेटियाँ और तुम्हारी बहनें”

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ
وَأَخَوَاتُكُمْ

“और तुम्हारी फूफियाँ और तुम्हारी खालाएँ”

وَعَمَلَاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ

“और तुम्हारी भतीजियाँ और भन्जियाँ”

وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

“और तुम्हारी वह माँएँ जिन्होंने तुम्हें दूध
पिलाया है”

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ

“और तुम्हारी दूध शरीक बहनें”

وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ

“और तुम्हारी बीवियों की माँएँ”

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ

जिनको हम सास या खुशदामन कहते हैं।

“और तुम्हारी रबीबाएँ जो तुम्हारी गोदों में
पली-बढ़ी हों”

وَرَبَائِبِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ

“तुम्हारी उन बीवियों से जिनके साथ तुमने
मुक्कारबत की हो”

مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ

“और अगर तुमने उन बीवियों से मुक्कारबत
ना की हो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं”

فَإِنَّ لَكُمْ تَكْوِينًا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ

“रबीबा” बीवी की उस लड़की को कहा जाता है जो उसके साबिक शौहर से हो। अगर मौजूदा शौहर उस बीवी से ताल्लुक ज़नो शो क़ायम होने के बाद उसको तलाक़ दे दे तो रबीबा को अपने निकाह में नहीं ला सकता, यह उसके लिये हराम है। लेकिन अगर उस बीवी के साथ ताल्लुक ज़नो शो क़ायम नहीं हुआ और उसे तलाक़ दे दी तो फिर रबीबा के साथ निकाह हो सकता है। चुनाँचे फ़रमाया कि अगर तुमने उन बीवियों के साथ मुक्कारबत ना की हो तो

है।”

“और बहुत ही बुरा रास्ता है।”

وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٦٧﴾

अगली आयत में मुहर्रामाते अब्दिया का बयान है कि किन रिश्तों में निकाह का मामला नहीं हो सकता। यानि एक मर्द अपनी किन-किन रिश्तेदार ख्वातीन से शादी नहीं कर सकता।

आयात 23 से 25 तक

حَرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ وَعَمَّاتِكُمْ وَخَالَاتِكُمْ وَبَنَاتِ الْأَخِ وَبَنَاتِ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّيِّئِ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّائِبُكُمُ اللَّيِّئِ فِي جُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّيِّئِ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَضْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٦٨﴾ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا رَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٦٩﴾ وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمَنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيْمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّهُنَّ بِنَافِحَةٍ لِّعَالِهِنَّ يُصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧٥﴾

“إحصان” के मायने किसी शय को अपनी हिफ़ाज़त में लेने के भी और किसी के हिफ़ाज़त में होने के भी। चुनाँचे “مُحْصَنَاتٌ” वह औरतें हैं जो एक ख़ानदान के क़िले के अंदर महफूज़ हैं और शौहर वालियाँ हैं। नेज़ यह लफ़्ज़ लौंडियों के मुक़ाबले आज़ाद ख़ानदानी शरीफ़ ज़ादियों के लिये भी इस्तेमाल होता है।

“सिवाय उसके कि जो तुम्हारी मिल्के यमीन
बन जायें।”

إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

यानि जंग के नतीजे में तुम्हारे यहाँ कनीज़ें बन कर आ जायें। यह औरतें अगरचे मुशरिकों की बीवियाँ हैं लेकिन वह लौंडियों की हैसियत से आपके लिये जायज़ होंगी।

“यह तुम पर अल्लाह का लिखा हुआ फ़रीज़ा
है।”

كَيْتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ

यह अल्लाह का क़ानून है जिसकी पाबंदी तुम पर लाज़िम कर दी गई है।

“इनके सिवा जो औरतें हैं वह तुम्हारे लिये
हलाल हैं।”

وَأَحَلَّ لَكُمْ مِمَّا وَّرَاءَ ذَلِكَ

आपने देखा कि कितनी थोड़ी सी तादाद में मुहर्रमात हैं, जिनसे निकाह हराम करार दे दिया गया है, बाकी कसीर तादाद हलाल है। यानि मुबाहात का दायरा बहुत वसीअ है जबकि मुहर्रमात का दायरा बहुत महदूद है।

“कि तुम अपने माल के ज़रिये उनके तालिब
बनो”

أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ

यानि उनके महर अदा करके उनके साथ निकाह करो।

“बशर्ते कि हिसारे निकाह में उनको महफूज़
करो, ना कि आज़ाद शहवतरानी करने लगो।”

فُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ

यानि नीयत घर बसाने की हो, सिर्फ़ मस्ती निकालने की नहीं। इसको महज़ एक खेल और मशग़ला ना बना लो।

“बस जो भी तुमने उनसे तमत्तो (भोग-
विलास) किया हो तो उसके बदले उनके महर
अदा करो, जो मुकर्रर हुए थे।”

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
فَرِيضَةً

फिर (उन्हें छोड़ कर उनकी लड़कियों से निकाह कर लेने में) तुम पर कोई गुनाह नहीं।

“और तुम्हारे उन बेटों की बीवियाँ जो तुम्हारी सख्त से हों”

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

जिनको हम बहुएँ कहते हैं। अपने सुल्बी बेटे की बीवी से निकाह हराम है। अलबत्ता मुँह बोले बेटे की मुतल्लका बीवी से निकाह में कोई हर्ज नहीं।

“और यह (भी तुम पर हराम कर दिया गया है) कि तुम बयक वक़्त दो बहनों को एक निकाह में जमा करो”

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

“सिवाय इसके कि जो गुज़र चुका।”

إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

“यकीनन अल्लाह गफ़ूर और रहीम है।”

إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

जो पहले हो गया सो हो गया। अब गड़े मुर्दे तो उखाड़े नहीं जा सकते। लेकिन आइन्दा के लिये यह मुहरमाते अब्दिया हैं। इसमें रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ने इज़ाफ़ा किया है कि जिस तरह दो बहनों को बयक वक़्त निकाह में नहीं रख सकते इसी तरह खाला भांजी को और फूफी भतीजी को भी बयक वक़्त निकाह में नहीं रख सकते। यह मुहरमाते अब्दिया हैं कि जिनके साथ किसी हाल में, किसी वक़्त शादी नहीं हो सकती। अब वह मुहरमात बयान हो रहे हैं जो आरज़ी हैं।

आयत 24

“और वो औरतें (भी तुम पर हराम हैं) जो किसी और के निकाह में हों”

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ

चूँकि वह किसी और के निकाह में हैं इसलिये आप पर हराम हैं। एक औरत को अगर उसका शौहर तलाक़ दे दे तो आप उससे निकाह कर सकते हैं। चुनाँचे यह हुरमत अब्दी नौइयत की नहीं है। “مُحْصَنَاتُ” उन औरतों को कहा जाता है जो किसी की कैद निकाह में हों। “حصن” क़िले को कहते हैं और

इजाज़त से”

किसी लौंडी का मालिक उससे जिन्सी ताल्लुक़ कायम कर सकता है। लेकिन जब एक शख्स उसकी इजाज़त से उसकी लौंडी से निकाह कर ले तो अब लौंडी के मालिक का यह ताल्लुक़ मुन्क़ता हो जायेगा। अब वह लौंडी इस ऐतबार से उसके काम में नहीं आ सकती, बल्कि अब वह एक मुसलमान की मन्कूहा हो जायेगी। इसी लिये उस निकाह के लिये “بِإِذْنِ أَهْلِهَا” की हिदायत फ़रमाई गई है। वाज़ेह रहे की उस वक़्त के मआशरे में बिल् फ़अल यह शक़्लें मौजूद थीं। यह नहीं कहा जा रहा कि यह शक़्लें पैदा करो। गुलाम और लौंडियों का मामला उस वक़्त के बैनुल अक़वामी हालात और असीराने जंग के मसले के एक हल के तौर पर पहले से मौजूद था। हमें यह देखना है कि जिस मआशरे में कुरान ने इस्लाह का अमल शुरू किया उसमें फ़िल वाक़ेअ क्या सूरते हाल थी और उसमें किस-किस ऐतबार से तदरीजन बेहतरी पैदा की गई।

“और उन्हें उनके महर अदा करो मारूफ़ तरीक़े पर”

وَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“उनको हिसारे निकाह में लाकर, ना कि आज़ाद शहवतरानी करने वालियाँ हों”

مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسْلِفَاتٍ

उनसे निकाह का ताल्लुक़ होगा, जिसमें नीयत घर में बसाने की होनी चाहिये, महज़ मस्ती निकालने की और शहवतरानी की नीयत ना हो। यह हिसारे निकाह में महफूज़ होकर रहें, आज़ाद शहवतरानी ना करती फिरें।

“और ना ही चोरी-छिपे आशनाइयाँ करें।”

وَلَا مَتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ

किसी की लौंडी से किसी का निकाह हो तो खुल्लम-खुल्ला हो। मालूम हो कि फ़लाँ की लौंडी अब फ़लाँ के निकाह में है। जैसे हज़रत सुमय्या रज़ि० से हज़रत यासिर रज़ि० ने निकाह किया था। हज़रत सुमय्या रज़ि० अबु जहल के चचा की लौंडी थीं, जो एक शरीफ़ इंसान था। हज़रत यासिर जब यमन से आकर मक्का में आबाद हुए तो उन्होंने अबु जहल के चचा से इजाज़त लेकर उनकी लौंडी सुमय्या रज़ि० से शादी कर ली। उनसे हज़रत अम्मार रज़ि० पैदा हुए। यह तीन अफ़राद का एक कुन्वा था। यासिर, अम्मार बिन यासिर

“अलबत्ता इसका तुम पर कोई गुनाह नहीं है कि महर मुक़रर होने के बाद बाहमी रज़ामंदी से कोई कमी पेशी कर लो।”

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ
الْفَرِيضَةِ

“यक़ीनन अल्लाह तआला अलीम और हकीम है।”

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٥﴾

आयत 25

“और जो कोई तुममें से इतनी मुक़दरत ना रखता हो कि ख़ानदानी मुसलमान औरतों से शादी कर सकें”

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحِ
الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

“तो वह तुम्हारी उन लौंडियों में से किसी के साथ निक्काह कर ले जो तुम्हारे क़ब्ज़े में हों और मोमिना हों।”

فَمَنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ
الْمُؤْمِنَاتِ

यहाँ “مُحْصَنَاتِ” दूसरे मायने में आया है, यानि शरीफ़ ज़ादियाँ, आज़ाद मुसलमान औरतें। और ज़ाहिर है आज़ाद मुसलमान औरतों का तो महर अदा करना पड़ेगा। इस हवाले से अगर कोई बेचारा मुफ़लिस है, एक ख़ानदानी औरत का महर अदा नहीं कर सकता तो वह क्या करे? ऐसे लोगों को हिदायत की जा रही है कि वह मआशरे में मौजूद मुसलमान लौंडियों से निकाह कर लें।

“अल्लाह तुम्हारे ईमानों का हाल ख़ूब जानता है।”

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأِيمَانِكُمْ

यह अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन मोमिन है और कौन नहीं है। मुराद यह है कि जो भी क़ानूनी ऐतबार से मुसलमान है दुनिया में वह मोमिन समझा जायेगा।

“तुम सब एक-दूसरे ही में से हो।”

بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ

“सो उनसे निकाह कर लो उनके मालिकों की

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِأَدْنِ أَهْلِيهِنَّ

आयात 26 से 28 तक

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَيِّبَنَّكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
 ⑤ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ⑥
 ⑥ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ⑦

इन तीन आयात में अहकामे शरीअत के ज़िमान में फ़लसफ़ा व हिकमत का बयान हो रहा है। अहकामे शरीअत को इंसान अपने ऊपर बोझ समझने लगता है। उसे जब हुक्म दिया जाता है कि यह करो और यह मत करो तो आदमी की तबियत नागवारी महसूस करती है। यही वजह है कि ईसाईयों ने शरीअत का तौक़ अपने गले से उतार फेंका है। 1970 ईस्वी में क्रिसमस के मौक़े पर मैं लंदन में था। वहाँ मैंने एक ईसाई दानिशवर की तक़रीर सुनी थी, जिसने कहा था कि शरीअत लानत है। ख़्वाह मख़्वाह एक इंसान को यह बावर कराया जाता है कि यह हलाल है, यह हराम है। जब वह हराम से रुक नहीं सकता तो उसका दिल मैला हो जाता है। वह अपने आपको ख़ताकार समझने लगता है और मुजरिम ज़मीर (guilty conscience) हो जाता है। इस अहसास के तहत वह मन्फ़ी नफ़िसयात का शिकार हो जाता है। उनके नज़दीक इस सारी ख़राबी का सबब यह है कि आपने हराम और हलाल का फ़लसफ़ा छोड़ा। अगर सब काम हलाल समझ लिये जाएँ तो कोई हराम काम करते हुए ज़मीर पर कोई बोझ नहीं होगा। दुनिया में ऐसे-ऐसे फ़लसफ़े भी मौजूद हैं। लेकिन अल्लाह तआला के नज़दीक फ़लसफ़ा-ए-अहकाम यह है:

आयात 26

“अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे लिये अपने अहकाम वाज़ेह कर दे”

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَيِّبَنَّكُمْ

“और तुम्हें हिदायत बख़्शे उन रास्तों की जो तुमसे पहले के लोगों के थे”

وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

और अम्मार की वालिदा सुमय्या रज़ि०। अबु जहल का शरीफुल नफ्स चचा जब फ़ौत हो गया तो अबु जहल को इस कुन्बे पर इख्तियार हासिल हो गया और उसने इस ख़ानदान को बदतरनीन ईज़ाएँ दी।

“पस जब वह क़ैदे निकाह में आ जाएँ तो फिर अगर वह बेहयाई का काम करें”

فَادَا أُخْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ

“तो उन पर उस सज़ा की वनिस्वत आधी सज़ा है जो आज़ाद औरतों के लिये है।”

فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ

लौंडियाँ अगर क़ैदे निकाह में आने के बाद बदचलनी की मुरतकिब हों तो बदकारी की जो सज़ा आज़ाद औरतों को दी जायेगी उन्हें उसकी निस्फ़ सज़ा दी जायेगी। वाज़ेह रहे कि यह इब्तदाई अहकामात हैं। अभी तक ना तो सौ कोड़ों की सज़ा का हुक्म आया था और ना रजम का। चुनाँचे “أُوْهُمَا” के हुक्म की तामील में बदकारी की जो सज़ा अभी आज़ाद ख़ानदानी औरतों को दी जाती थी एक मन्कूहा लौंडी को उससे निस्फ़ सज़ा देने का हुक्म दिया गया। इसलिये कि एक शरीफ़ ख़ानदान की औरत जिसे हर तरह का तहफ़फ़ुज़ हासिल हो उसका मामला और है और एक बेचारी गरीब लौंडी का मामला और है।

“यह इज़ाज़त तुममें से उनके लिये है जिनको गुनाह में पड़ने का अंदेशा हो।”

ذَلِكَ لِئِنْ حَشِيتِ الْعَنَتَ مِنْكُمْ

मुसलमान लौंडियों से निकाह कर लेने की इज़ाज़त तुममें से उन लोगों के लिये है जो अपनी शहवत और जिन्सी ज़ब्बे को रोक ना सकते हों और उन्हें फ़ितने में मुब्तला हो जाने और गुनाहों में मुलव्विस हो जाने का अंदेशा हो।

“और अगर तुम सब्र करो तो यह तुम्हारे हक़ में बेहतर है।”

وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ

चूँकि आमतौर पर उस मआशरे में जो बांदियाँ थीं वह बुलन्द किरदार नहीं थीं, लिहाज़ा फ़रमाया कि बेहतर यह है कि तुम उनसे निकाह करने से बचो और तअफ़फ़ु (संयम) इख्तियार करो।

“और अल्लाह ग़फ़ूर और रहीम है।”

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٠﴾

होगा, झगड़े होंगे, बद्गुमानियाँ होंगी। अल्लाह तआला इस सबकी रोकथाम चाहता है, वह तुम्हारे लिये आसानी चाहता है।

“और इंसान कमज़ोर पैदा किया गया है।”

وَحَلِقِ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا ⑤

उसके अंदर कमज़ोरी के पहलु भी मौजूद हैं। जहाँ एक बहुत ऊँचा पहलु है कि उसमें रूहे रब्बानी फूँकी गई है, वहाँ उसके अंदर नफ़्स भी तो है, जिसमें ज़ौफ़ के पहलु मौजूद हैं।

आयात 29 से 35 तक

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
 تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ⑤ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
 عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ⑥ إِنْ تَجِدُوا
 كِبَارًا مَّا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ⑦ وَلَا
 تَتَمَتَّعُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كُتِبَتْ لَهُ وَاللِّسَاءِ
 نَصِيبٌ مِّمَّا كُتِبَتْ لَهُمْ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ⑧ وَلِكُلِّ
 جَعَلْنَا مَوَالِيَّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَأَوْهَهُمْ
 نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ⑨ الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ مِمَّا
 فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَمِمَّا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالطَّالِحَاتُ قِنْدَتُ حِفْظَتْ
 لِلْغَيْبِ مِمَّا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّيِّئَاتُ فَاعْتَدْنَ فَاعْتَدْنَ لِنُفُوسِهِنَّ فَاعْتَدْنَ وَهُنَّ فِي الْمَصَاحِجِ
 وَاصِرٌ بُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ⑩
 وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا
 إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا ⑪

पहले गुज़रे हुए लोगों में नेकोकार भी थे और बदकार भी। अल्लाह तआला चाहता है कि तुम अम्बिया व सुल्हा और नेकोकारों का रास्ता इख़्तियार करो {وَإِطِئُوا الَّذِينَ أُنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ} और तुम दूसरे रास्तों से बच सको।

“और तुम पर नज़रे इनायत फ़रमाये।”

وَيُؤْتِبْ عَلَيْكُمْ

“और अल्लाह सब कुछ जानने वाला कमाले हिकमत वाला है।”

وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ ﴿٣١﴾

आयत 27

“अल्लाह तो यह चाहता है कि तुम पर रहमत के साथ तवज्जो फ़रमाये।”

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُؤْتِبْ عَلَيْكُمْ

“और वह लोग जो शहवात की पैरवी करते हैं वह चाहते हैं कि तुम राहे हक़ से भटक कर दूर निकल जाओ।”

وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهْوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴿٣٢﴾

वह चाहते हैं कि तुम्हारा रुझान सिराते मुस्तक़ीम के बजाय ग़लत रास्तों की तरफ़ हो जाये और उधर ही तुम भटकते चले जाओ। आज भी औरत की आज़ादी (Women Lib) की बुनियाद पर और हुकूके निसवाँ के नाम पर दुनिया में जो तहरीकें बरपा हैं यह दरहक़ीक़त अल्लाह तआला की आयद करदा हुदूद व कुयूद को तोड़ कर जिन्सी बेराहरवी फैलाने की एक अज़ीम साज़िश है जो दुनिया में चल रही है।

आयत 28

“अल्लाह चाहता है कि तुम पर से बोझ को हल्का करे।”

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ

तुम यह ना समझो कि अल्लाह तुम पर बोझ डाल रहा है। अल्लाह तो तुम पर तख़फ़ीफ़ चाहता है, तुमसे बोझ को हल्का करना चाहता है। अगर तुम इन चीज़ों पर अमल नहीं करोगे तो मआशरे में गंदगियाँ फैलेंगी, फ़साद बरपा

खाने और क़त्ल नफ़्स दोनों को ह़राम करार देकर इन दोनों हुरमतों को एक साथ जमा कर दिया गया है।

“*يَكْفُرُكَرَن اَللّٰه تآلآ تۇم ٱر بۇه ت مەهربان هئ*”

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

आयत 30

“और जो कोई भी यह काम करेगा ताअदी और जुल्म के साथ”

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا

यानि यह दोनों काम--- बातिल तरीक़े से एक-दूसरे का माल खाना और क़त्ले नफ़्स।

“तो हम जल्द उसको झोंक देंगे आग में।”

فَسَوْفَ نُصَلِّيُكَ تَارًا

“और यह चीज़ अल्लाह पर बहुत आसान है।”

وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝

यह मत समझना कि अल्लाह तआला नौए इंसानी के बहुत बड़े हिस्से को जहन्नम में कैसे झोंक देगा? यह अल्लाह के लिये कोई मुश्किल नहीं है।

अगली दो आयत में इंसानी तमद्दुन के दो बहुत अहम मसाइल बयान हो रहे हैं, जो बड़े गहरे और फ़लसफ़ियाना अहमियत के शामिल हैं। पहला मसला गुनाहों के बारे में है, जिनमें कबाइर और सग़ाइर की तक़सीम है। बड़े गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क और कुफ़्र है। फिर यह कि जो फ़राइज़ हैं उनका तर्क करना और जो ह़राम चीज़ें हैं उनका इरत्काब कबाइर में शामिल होगा। एक हैं छोटी-छोटी कोताहियाँ जो इंसान से अक्सर हो जाती हैं, मसलन आदाब में या अहकाम की जुज़ायात (विवरण) में कोई कोताही हो गई, या बग़ैर किसी इरादे के कहीं किसी को ऐसी बात कह बैठे कि जो ग़ीबत के हुक्म में आ गई, वग़ैरह-वग़ैरह। इस ज़िमन में सेहतमंदाना रवैय्या यह है कि कबाइर से पूरे अहतमाम के साथ बचा जाये कि इससे इंसान बिल्कुल पाक हो जाये। फ़राइज़ की पूरी अदायगी हो, मुहर्ररमात से मुताल्लिक़ इज्तनाब (बचाव) हो, और यह जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं इनके बारे में ना तो एक-दूसरे पर ज़्यादा गिरफ़्त और नकीर की जाये और ना ही खुद ज़्यादा दिल गिरफ़ता

आयत 29

“ऐ अहले ईमान, अपने माल आपस में बातिल तरीके पर हड़प ना करो”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“सिवाय इसके कि तिजारत हो तुम्हारी बाहमी रज़ामंदी से।”

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۝

तिजारत और लेन-देन की बुनियाद जब हकीकी बाहमी रज़ामंदी पर हो तो उससे होने वाला मुनाफ़ा जायज़ और हलाल है। फ़र्ज़ कीजिये कि आपकी जूतों की दुकान है। आपने ग्राहक को एक जूता दिखाया और उसके दाम दो सौ रुपये बताये। उसने जूता पसंद किया और दो सौ रुपये में ख़रीद लिया। यह बाहमी रज़ामंदी से सौदा है जो सीधे-साधे और सही तरीके पर हो गया। ज़ाहिर बात है कि इसमें से कुछ ना कुछ नफ़ा तो आपने कमाया है। आपने इसके लिये मेहनत की है, कहीं से ख़रीद कर लाये हैं, उसे स्टोर में महफूज़ किया है, दुकान का किराया दिया है, लिहाज़ा यह मुनाफ़ा आपका हक़ है और ग्राहक को इसमें तायल नहीं होगा। लेकिन अगर आपने यही जूता झूठ बोल कर या झूठी क़सम खाकर फ़रोख़्त किया कि मैंने तो ख़ुद इतने का लिया है तो इस तरह आपने अपनी सारी मेहनत भी ज़ाया की और आपने हराम कमा लिया। इसी तरह मामलात और लेन-देन के वह तमाम तरीके जिनकी बुनियाद झूठ और धोखाधड़ी पर हो नाजायज़ और हराम हैं।

“और ना अपने आपको क़त्ल करो।”

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

यानि एक-दूसरे को क़त्ल ना करो। तमद्दुन की बुनियाद दो चीज़ों पर है, एहतारामे जान और एहतारामे माल। मेरे लिये आपका माल और आपकी जान मोहतरम है, मैं उसे कोई गज़द (चोट) ना पहुँचाऊँ, और आपके लिये मेरा माल और मेरी जान मोहतरम है, इसे आप गज़द ना पहुँचाए। अगर हमारे माबैन यह शरीफ़ाना मुआहिदा (Gentleman's agreement) कायम रहे तब तो हम एक मआशरे और एक मुल्क में रह सकते हैं, जहाँ इत्मिनान, अमन व सुकून और चैन होगा। और जहाँ यह दोनों एहताराम ख़त्म हो गए, जान का और माल का, तो ज़ाहिर बात है कि फिर वहाँ अमन व सुकून, चैन और इत्मिनान कहाँ से आएगा? इस आयत में बातिल तरीके से एक-दूसरे का माल

मुतफ़किर भी ना हो। इस मामले में बाहमी निस्वत व तनासब (अनुपात) पेशे नज़र रहनी चाहिये। फ़रमाया:

आयत 31

“अगर तुम इज्तनाब करते रहोगे उन बड़े-बड़े गुनाहों से जिनसे तुम्हें रोका जा रहा है”

إِنْ تَجْنِبُوا كِبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ

“तो हम तुम्हारी छोटी बुराईयों को तुमसे दूर कर देंगे।”

نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ

हम तुम्हें इनसे पाक साफ़ करते रहेंगे। तुम जो भी नेक काम करोगे उनके हवाले से तुम्हारी सख्खियात खुद ब खुद धुलती रहेगी।

“और तुम्हें दाखिल करेंगे बहुत बाइज़्जत जगह पर।”

وَنُدْخِلْكُمْ مَدْخَلًا كَرِيمًا ①

यह मज़मून सूरह अल शौरा में भी आया है और फिर सूरह अल् नज्म में भी। वाज़ेह रहे कि कुरान हकीम में अहम मज़ामीन कम से कम दो मर्तबा ज़रूर आते हैं और यह मज़मून कुरान में तीन बार आया है।

दूसरा मसला इंसानी मआशरे में फ़ज़ीलत का है। ज़ाहिर है कि अल्लाह तआला ने तमाम इंसानों को एक जैसा तो नहीं बनाया है। किसी को खूबसूरत बना दिया तो किसी को बदसूरत। कोई सही सालिम है तो कोई नाक़िसुल आज़ा है। किसी का क्रद ऊँचा है तो कोई ठिगने क्रद का है और लोग उस पर हँसते हैं। किसी को मर्द बना दिया, किसी को औरत। अब कोई औरत अंदर ही अंदर कुढती रहे कि मुझे अल्लाह ने औरत क्यों बनाया तो इसका हासिल क्या होगा? इसी तरह कोई बदसूरत इंसान है या ठिगना है या किसी और ऐतबार से कमतर है और वह दूसरे शख्स को देखता है कि वह तो बड़ा अच्छा है, तो अब उस पर कुढने के बजाय यह होना चाहिये कि अल्लाह तआला ने उसे जो कुछ दिया है उस पर सब्र और शुक्र करे। अल्लाह का फ़ज़ल किसी और पहलु से भी हो सकता है। लिहाज़ा वह इरादा करे कि मैं नेकी और ख़ैर के कामों में आगे बढ़ जाऊँ, मैं इल्म में आगे बढ़ जाऊँ। इस तरह इंसान दूसरी चीज़ों से इन चीज़ों की तलाफ़ी करले जो उसे मयस्सर नहीं है, बजाय इसके कि एक मन्फ़ी नफ़िसयात परवान चढ़ती चली जाये। इस तरह इंसान अहसासे कमतर की का

हुआ जाये, बल्कि इनके बारे में तवक्करो रखी जाये कि अल्लाह तआला माफ़ फ़रमा देगा। इनके बारे में इस्तग़फ़ार भी किया जाये और यही सगाइर हैं जो नेकियों के ज़रिये से खुद ब खुद भी ख़त्म होते रहते हैं। जैसे हदीस में आता है कि आज़ा-ए-वुजू धोते हुए इन आज़ा के गुनाह धुल जाते हैं। रसूल अल्लाह ﷺ का इर्शाद है कि जो शख्स वुजू करता है तो जब वह कुल्ली करता है और नाक में पानी डालता है तो उसके मुँह और नाक से उसके गुनाह निकल जाते हैं। जब वह चेहरा धोता है तो उसके चेहरे और उसकी आँखों से उसके गुनाह निकल जाते हैं। जब वह हाथ धोता है तो उसके हाथों से गुनाह निकल जाते हैं, यहाँ तक कि उसके हाथों के नाखूनों के नीचे से भी गुनाह धुल जाते हैं। जब वह सर का मसह करता है तो उसके सर और कानों से गुनाह झड़ जाते हैं। फिर जब वह पाँव धोता है तो उसके पाँवों से गुनाह निकल जाते हैं, यहाँ तक कि उसके पाँवों के नाखूनों के नीचे से भी गुनाह निकल जाते हैं। फिर उसका मस्जिद की तरफ़ चलना और नमाज़ पढ़ना उसकी नेकियों में इज़ाफ़ा बनता है।⁽¹⁾

यह सगीरा गुनाह हैं जो नेकियों के असर से माफ़ होते रहते हैं, अज़रुए अल्फ़ाज़े कुरानी: { إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ } (हूद:114) “यक्रीनन नेकियाँ बुराईयों को दूर कर देती हैं।” इन बुराईयों से मुराद कबाइर नहीं, सगाइर हैं। कबाइर तौबा के बग़ैर माफ़ नहीं होते (इल्ला माशा अल्लाह) उनके लिये तौबा करनी होगी। और जो अकबरुल कबाइर यानि शिर्क है उसके बारे में तो इस सूरात (आयत 48 और 116) में दो मर्तबा यह अल्फ़ाज़ आये हैं: { إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونِ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ } “बिला शुबह अल्लाह तआला यह बात तो कभी माफ़ नहीं करेगा कि उसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाये, और इसके मा-सिवा जिस क्रदर गुनाह हैं वह जिसके लिये चाहेगा माफ़ कर देगा।” लेकिन हमारे यहाँ जो मज़हब का मस्ख़शुदा (perverted) तसव्वुर मौजूद है उससे एक ऐसा मज़हबी मिज़ाज वुजूद में आता है कि जो कबाइर हैं वह तो हो रहे हैं, सूदख़ोरी हो रही है, हरामख़ोरी हो रही है, मगर छोटी-छोटी बातों पर नकीर हो रही है। सारी गिरफ़्त इन बातों पर हो रही है कि तुम्हारी दाढ़ी क्यों शरई नहीं है, और तुम्हारा पाहुँचा टखनों से नीचे क्यों है? कुरान मजीद में इस मामले को तीन जगह नक़ल किया गया है कि छोटी-छोटी चीजों के बारे में दरगुज़र से भी काम लो और यह कि बहुत ज़्यादा

उनकी खाक को भी नहीं पहुँच सकेंगे। चुनाँचे आदमी का तर्जें अमल तस्लीम व रज़ा का होना चाहिये कि जो भी अल्लाह ने मुझे बना दिया और जो कुछ मुझे अता फ़रमाया उस हवाले से मुझे बेहतर से बेहतर करना है। मेरा “शकिला” तो अल्लाह की तरफ़ से आ गया है, जिससे मैं तजावुज़ नहीं कर सकता: { قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ } (बनी इस्राईल:84) और हम सूरतुल बक्ररह में पढ़ चुके हैं कि { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } (आयत:286) लिहाज़ा मेरी वुसअत जो है वह अल्लाह ने बना दी है।

सूरह निसा की ज़ेरे मुताअला आयत से बाज़ लोग यह मतलब निकालने की कोशिश करते हैं कि औरतें भी माल कमा सकती हैं। यह बात समझ लीजिये कि कुरान मजीद में सिर्फ़ एक मक़ाम पर “कसब” का लफ़ज़ मआशी जद्दो-जहद और मआशी कमाई के लिये आया है: { اَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ } (अल् बक्ररह:267)। बाक़ी पूरे कुरान में “कसब” जहाँ भी आया है आमाल के लिये आया है। कसब-ए-हसनात नेकियाँ कमाना है और कसब-ए-सय्यिआत बदियाँ कमाना। आप इस आयत के अल्फ़ाज़ पर दोबारा ग़ौर कीजिये:

{ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ } “मर्दों के लिये हिस्सा है उसमें से जो उन्होंने कमाया, और औरतों के लिये हिस्सा है उसमें से जो उन्होंने कमाया।” तो क्या एक औरत की तनख़्वाह अगर दस हज़ार है तो उसे उसमें से पाँच हज़ार मिलेंगे? नहीं, बल्कि उसे पूरी तनख़्वाह मिलेगी। लिहाज़ा इस आयत में “कसब” का इल्लाक़ दुनयवी कमाई पर नहीं किया जा सकता। एक ख़ातून कोई काम करती है या कहीं मुलाज़मत करती है तो अगर उसमें कोई हराम पहलु नहीं है, शरीफ़ाना ज़ॉब है, और वह सतर-ए-हिजाब के आदाब भी मल्हूज़ रखती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन ज़ाहिर है कि जो भी कमाई होगी वह पूरी उसकी होगी, उसमें उसका हिस्सा तो नहीं होगा। अलबत्ता यह अस्लूब ज़जा-ए-आमाल के लिये आता है कि उन्हें उनकी कमाई में से हिस्सा मिलेगा। इसलिये कि आमाल के मुख़्तलिफ़ मरातिब होते हैं। अल्लाह तआला के यहाँ यह देखा जाता है कि इस अमल में खुलूसे नीयत कितना था और आदाब कितने मल्हूज़ रखे गये। हम सूरतुल बक्ररह में हज के ज़िक़्र में भी पढ़ चुके हैं कि: { اُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا } (आयत:202) यानि जो उन्होंने कमाया होगा उसमें से उन्हें हिस्सा मिलेगा। इस तरह यहाँ पर भी इकतसाब से मुराद अच्छे या बुरे आमाल कमाना है। यानि अख़लाकी सतह पर

शिकार हो जाता है और अंदर ही अंदर कुढते रहने से तरह-तरह की ज़हनी बीमारियाँ पैदा होती है। ज़हनी उलझनों, महरूमियों और नाकामियों के अहसासात के तहत इंसान अपना ज़हनी तवाज़ुन तक खो बैठता है। चुनाँचे देखिये इस ज़िंमन में किस क्रदर उम्दा तालीम दी जा रही है:

आयत 32

“और तमन्ना ना किया करो उस शय की जिसके ज़रिये से अल्लाह ने तुममें से बाज़ को बाज़ पर फ़ज़ीलत दे दी है।”

وَلَا تَتَّبِعُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ

अल्लाह तआला ने बाज़ लोगों को उनकी ख़ल्की सिफ़ात के ऐतबार से दूसरों पर फ़ज़ीलत दी है। आदमी की यह ज़हनियत कि जहाँ किसी दूसरे को अपने मुक्काबले में किसी हैसियत से बड़ा हुआ देखे बेचैन हो जाये, उसके अंदर हसद, रक्काबत (विरोध) और अदावत (शत्रुता) के जज़्बात पैदा कर देती है। इस आयत में इसी ज़हनियत से बचने की हिदायत फ़रमाई जा रही है। फ़ज़ीलत का एक पहलु यह भी है कि अल्लाह तआला ने किसी को मर्द बनाया, किसी को औरत। यह चीज़ भी ख़ल्की है और किसी औरत की मर्द बनने या किसी मर्द की औरत बनने की तमन्ना नरी (बिल्कुल) हिमाक़त है। अलबत्ता दुनिया में क्रिस्मत आज़माई और जद्दो-जहद के मौक़े सबके लिये मौजूद हैं। चुनाँचे पहली बात यह बताई जा रही है:

“मर्दों के लिये हिस्सा है उसमें से जो वह कमाएँगे।”

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا

“और औरतों के लिये हिस्सा है उसमें से जो वह कमाएँगी।”

وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ

यानि जहाँ तक नेकियों, ख़ैरात और हसनात का मामला है, या सय्यिआत व मुन्करात का मामला है, मर्द व ज़न मे बिल्कुल मुसावात है। मर्द ने जो नेकी कमाई वह उसके लिये है और औरत ने जो नेकी कमाई वह उसके लिये है। मुसाबक़त का यह मैदान दोनों के लिये खुला है। औरत नेकी में मर्द से आगे निकल सकती है। करोड़ों मर्द होंगे जो क़यामत के दिन हज़रत ख़दीजा, हज़रत आयशा और हज़रत फ़ातिमा रज़ि० के मक्क़ाम पर रश्क करेंगे और

तो उसी क्रायदे के मुताबिक वरसा में तक्रसीम होनी चाहिये जो हमने मुकरर कर दिया है। जिन लोगों के साथ तुम्हारे दोस्ती और भाईचारे के अहद व पैमाने हैं, या जो मुँह बोले भाई या बेटे हैं उनका विरासत में कोई हिस्सा नहीं है, अलबत्ता अपनी ज़िन्दगी में उनके साथ जो भलाई करना चाहो कर सकते हो, उन्हें जो कुछ देना चाहो दे सकते हो, अपनी विरासत में से भी कुछ वसीयत करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन जो कानूने विरासत तय हो गया है उसमें किसी तरमीम व तब्दीली की गुँजाईश नहीं। विरासत में हक़दार कोई और नहीं होगा सिवाय उसके जिसको अल्लाह ने मुकरर कर दिया है।

“यक्रानन अल्लाह तआला हर चीज़ पर गवाह है।”

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٦٠﴾

अब आ रही है असल में वह काँटदार आयत जो औरतों के हलक़ से बहुत मुश्किल से उतरती है, काँटा बन कर अटक जाती है। अब तक इस ज़िमन में जो बाते आईं वह दरअसल उसकी तम्हीद की हैसियत रखती हैं। पहली तम्हीद सूरतुल बक्ररह में आ चुकी है: {وَالَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَاللِّرِّجَالِ عَلَيْهِنَ كَرِهَةٌ} (आयत:228) “औरतों के लिये इसी तरह हुकूक हैं जिस तरह उन पर जिम्मेदारियाँ हैं दस्तूर के मुताबिक, अलबत्ता मर्दों के लिये उन पर एक दर्जा फ़ौक़ियत है।” यह कह कर बात छोड़ दी गई। इसके बाद अभी हमने पढा: {وَلَا تَتَّبِعُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ} यह हिदायत औरतों के लिये मज़ीद ज़हनी तैयारी की गर्ज़ से दी गई। और अब दो टूक अंदाज़ में इर्शाद हो रहा है:

आयत 34

“मर्द औरतों पर हाकिम हैं”

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

यह तर्जुमा मैं ज़ोर देकर कर रहा हूँ। इसलिये कि यहाँ ‘عَلَى’ के सिला के साथ आ रहा है। ‘قَامَ’ के साथ आयेगा तो मायने होंगे “किसी शय को क्रायम करना।” इसी सूरह मुबारका में आगे चल कर यह अल्फ़ाज़ आएंगे: {كُونُوا قَوْمِينَ بِالْقِسْطِ} अदल को क्रायम करने वाले बन कर खड़े हो जाओ!” जबकि ‘عَلَى’ का मफ़हूम है कि किसी के ऊपर मुसल्लत होना। यानि हाकिम और मुन्तज़िम होना। चुनाँचे आयत ज़ेरे मुताअला से यह वाज़ेह हिदायत मिलती

और इंसानी इज़्ज़त व तकरीम के लिहाज़ से औरत और मर्द बराबर है, लेकिन मआशरती जिम्मेदारियों के हवाले से अल्लाह तआला ने जो तकसीम कर रखी है उसके ऐतबार से फ़र्क़ है। अब अगर औरत इस फ़र्क़ को कुबूल करने पर तैयार ना हो, मुफ़ाहमत पर रज़ामन्द ना हो, और वह इस पर कुढ़ती रहे और मर्द के बिल्कुल बराबर होने की कोशिश करे तो ज़ाहिर है कि मआशरे में फ़साद और बिगाड़ पैदा हो जायेगा।

“और अल्लाह से उसका फ़ज़ल तलब करो।”

وَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ

यानि जो फ़ज़ीलत अल्लाह ने दूसरों को दे रखी है उसकी तमन्ना ना करो, अलबत्ता उससे फ़ज़ल की दुआ करो कि ऐ अल्लाह! तूने इस मामले में मुझे कमतर रखा है, तू मुझे दूसरे मामलात के अंदर हिम्मत दे कि मैं तरक्की करूँ। अल्लाह तआला जिस पहलु से मुनासिब समझेगा अपना फ़ज़ल तुम्हें अता फ़रमा देगा। वह बहुत से लोगों को किसी और पहलु से नुमाया कर देता है।

“यक़ीनन अल्लाह तआला हर शय का इल्म रखता है।”

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ①

आयत 33

“और हर एक के लिये हमने वारिस मुकरर कर दिये हैं जो भी वालिदैन और रिश्तेदार ह्योडेँ।”

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبُونَ

क़ानूने विरासत की अहमियत को देखिये कि अब आख़िर में एक मर्तबा फिर इसका ज़िक्र फ़रमाया।

“और जिनके साथ तुम्हारे अहद व पैमान हों तो उनको उनका हिस्सा दो।”

وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُمْ
نَصِيْبَهُمْ

एक नया मसला यह पैदा हो गया था कि जिन लोगों के साथ दोस्ती और भाईचारा है या मुआख़ात का रिश्ता है (मदीना मुनव्वरा में रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ने एक अंसारी और एक मुहाजिर को भाई-भाई बना दिया था) तो क्या उनका विरासत में भी हिस्सा है? इस आयत में फ़रमाया गया है कि विरासत

“पस जो नेक बीवियाँ हैं वह इताअत शआर
होती हैं”

فَالطَّلِحْتُ فَبِنْتُ

मर्द को क़व्वामियत के मन्सब पर फ़ाइज़ करने के बाद अब नेक बीवियों का रवैय्या बताया जा रहा है। यूँ समझिये कि कुरान के नज़दीक एक ख़ातूने ख़ाना की जो बेहतरीन रविश होनी चाहिये वह यहाँ तीन अल्फ़ाज़ में बयान कर दी गई है: {فَالطَّلِحْتُ فَبِنْتُ حِفْظُكَ لِلْغَيْبِ}

“ग़ैब में हिफ़ाज़त करने वालीयाँ”

حِفْظُكَ لِلْغَيْبِ

वह मर्दों की ग़ैरमौजूदगी में उनके अमवाल और हुकूक की हिफ़ाज़त करती हैं। ज़ाहिर है मर्द का माल तो घर में ही होता है, वह काम पर चला गया तो अब वह बीवी की हिफ़ाज़त में है। इसी तरह बीवी की अस्मत दरहक़ीकत मर्द की इज़ज़त है। वह उसकी ग़ैरमौजूदगी में उसकी इज़ज़त की हिफ़ाज़त करती है। इसी तरह मर्द के राज़ होते हैं, जिनकी सबसे ज़्यादा बढ़ कर राज़दान बीवी होती है। तो यह हिफ़ाज़त तीन ऐतबारात से है, शौहर के माल की, शौहर की इज़ज़त व नामूस की, और शौहर के राज़ों की।

“अल्लाह की हिफ़ाज़त से।”

بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

असल हिफ़ाज़त व निगरानी तो अल्लाह की है, लेकिन इंसान को अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी पड़ती है। जैसे राज़िक़ तो अल्लाह है, लेकिन इंसान को काम करके रिज़क़ कमाना पड़ता है।

“और वह ख्वातीन जिनके बारे में तुम्हें
शरक़शी का अदेशा हो”

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ

अगर किसी औरत के रवैये से ज़ाहिर हो रहा है कि यह शरक़शी, सरताबी, ज़िद और हठधर्मी की रविश पर चल रही पड़ी है, शौहर की बात नहीं मान रही बल्कि हर सूरत पर अपनी बात मनवाने पर मसर (ज़िदी) है और इस तरह घर की फ़िज़ा ख़राब की हुई है तो यह नशूज़ है। अगर औरत अपनी इस हैसियत को ज़हनन तस्लीम ना करे कि वह शौहर के ताबेअ है तो ज़ाहिर बात है कि मज़ाहमत (friction) होगी और उसके नतीजे में घर के अंदर एक फ़साद पैदा होगा। ऐसी सूरते हाल में मर्द को क़व्वाम होने की हैसियत से

है कि घर के इदारे में हाकिम होने की हैसियत मर्द को हासिल है, सरबराहे खानदान मर्द है, औरत नहीं है। औरत को बहरहाल उसके साथ एक वज़ीर की हैसियत से काम करना है। यूँ तो हर इंसान यह चाहता है कि मेरी बात मानी जाये। घर के अंदर मर्द भी यह चाहता है और औरत भी। लेकिन आख़िरकार किसकी बात चलेगी? या तो दोनों बाहमी रज़ामंदी से किसी मसले पर मुत्तफ़िक़ हो जायें, बीवी अपने शौहर को दलील से, अपील से, जिस तरह हो सके क्रायल करले तो मामला ठीक हो गया। लेकिन अगर मामला तय नहीं हो रहा तो अब किसकी राय फ़ैसलाकुन होगी? मर्द की! औरत की राय जब मुस्तरद (रद्द) होगी तो उसे इससे एक सदमा तो पहुँचेगा। इसी सदमे का असर कम करने के लिये अल्लाह तआला ने औरत में निस्थान का माद्दा ज़्यादा रख दिया है, जो एक safety valve का काम देता है। यही वज़ह है कि क़ानूने शहादत में एक मर्द की जगह दो औरतों का निसाब रखा गया है “ताकि उनमें से कोई एक भूल जाए तो दूसरी याद करा दे।” इस पर हम सूरतुल बक्ररह (आयत:282) में भी गुफ़्तगू कर चुके हैं। बहरहाल अल्लाह तआला ने घर के इदारे का सरबराह मर्द को बनाया है। अब यह दूसरी बात है कि मर्द अपनी इस हैसियत का ग़लत इस्तेमाल करता है, औरत पर जुल्म करता है और उसके हुक्क अदा नहीं करता तो अल्लाह के यहाँ बड़ी सख़्त पकड़ होगी। आपको एक इख़्तियार दिया गया है और आप उसका ग़लत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको जुल्म का ज़रिया बना रहे हैं तो इसकी सज़ा अल्लाह तआला के यहाँ मिल जायेगी।

“बसबव उस फ़ज़ीलत के जो अल्लाह ने बाज़ को बाज़ पर दी है”

بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

मर्द को बाज़ सिफ़ात में औरत पर नुमाया तफ़व्वुक़ (सर्वोच्चता) हासिल है, जिनकी बिना पर क़व्वामियत की ज़िम्मेदारी उस पर डाली गई है।

“और बसबव इसके कि जो वह ख़र्च करते हैं अपने माला”

وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

इस्लाम के मआशरती निज़ाम में किफ़ालती ज़िम्मेदारी तमामतर मर्द के ऊपर है। शादी के आगाज़ ही से मर्द अपना माल ख़र्च करता है। शादी अगरचे मर्द की भी ज़रूरत है और औरत की भी, लेकिन मर्द महर देता है, औरत महर वसूल करती है। फिर घर में औरत का नान नफ़्का मर्द के ज़िम्मे है।

इफतराक़ (विभाजन) का अंदेशा हो”

अब अगर कोई तदबीर नतीजाखेज़ ना हो और उन दोनों के माबैन ज़िद्दम-ज़िद्दा की कैफ़ियत पैदा हो चुकी हो कि औरत भी अकड़ गई है, मर्द भी अकड़ा हुआ है, और अब उनका साथ चलना मुश्किल नज़र आता हो तो इस्लाहे अहवाल के लिये एक दूसरी तदबीर इख़्तियार करने की हिदायत फ़रमाई गई है।

“तो एक हक़म मर्द के ख़ानदान से मुक़र्रर करो
और एक हक़म औरत के ख़ानदान से।”

فَاتَّبِعُوا أَحْكَامًا مِنْ أَهْلِهِمْ وَأَحْكَامًا مِنْ أَهْلِهِمْ

“अगर वह दोनों इस्लाह चाहेंगे तो अल्लाह
तआला उनके दरमियान मुवाफ़क़त
(समझौता) पैदा कर देगा।”

إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا

“إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا” में मुराद ज़वजैन भी हो सकते हैं और हक़मैन भी। यानि एक तो यह कि अगर वाक़िअतन शौहर और बीवी मुवाफ़क़त चाहते हैं तो अल्लाह उनके दरमियान साज़गारी पैदा फ़रमा देगा। बाज़ अवक़ात ऐसा होता है कि शौहर और बीवी दोनों की ख़्वाहिश होती है कि मामला दुरुस्त हो जाये, लेकिन कोई नफ़िसयाती गिरह ऐसी बंध जाती है जिसे खोलना उनके बस में नहीं होता। अब अगर दोनों के ख़ानदानों में से एक एक सालिस आ जायेगा और वह दोनों मिल बैठ कर ख़ैर-ख़्वाही के ज़बे से इस्लाहे अहवाल की कोशिश करेंगे तो इस ग़िरह को खोल सकेगें। यह दोनों अस्वाबे इख़्तलाफ़ की तहक़ीक़ करेंगे, मियाँ-बीवी दोनों के गिले-शिकवे और वज़ाहतें सुनेंगे और दोनों को समझा-बुझा कर तस्फ़ीह (समझौते) की कोई सूरत निकालेंगे। “إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا” में मुराद हक़मैन भी हो सकते हैं कि अगर वह इस्लाह की पूरी कोशिश करेंगे तो अल्लाह तआला उनके माबैन मुवाफ़क़त पैदा फ़रमा देगा। लेकिन मेरा रुझान पहली राय की तरफ़ ज़्यादा है कि इससे मुराद मियाँ-बीवी हैं।

“यक़ीनन अल्लाह तआला सब कुछ जानता है
और वा ख़बर है।”

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٢٠﴾

बाज़ तादीबी (अनुशासनात्मक) इख्तियारात दिये गये हैं, जिनके तीन मराहिल हैं:

“पस उनको नसीहत करो”

فَعِظُوهُنَّ

पहला मरहला समझाने-बुझाने का है, जिसमें डाँट-डपट भी शामिल है।

“और उनको उनके बिस्तरों में तन्हा छोड़ दो”

وَأَهْرُؤُهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

अगर नसीहत व मलामत से काम ना चले तो दूसरा मरहला यह है कि उनसे अपने बिस्तर अलैहदा कर लो और उनके साथ ताल्लुक़ ज़नो-शो कुछ अरसे के लिये मुन्क़तअ कर लो।

“और उनको मारो।”

وَاضْرِبُوهُنَّ

अगर अब भी वह अपनी रविश ना बदलें तो मर्द को जिस्मानी सज़ा देने का भी इख्तियार है। इस ज़िमन में आँहुज़ूर عليه وسلم ने हिदायत फ़रमाई है कि चेहरे पर ना मारा जाये और कोई ऐसी मार ना हो जिसका मुस्तक़िल निशान जिस्म पर पड़े। मज़कूरा बाला तादीबी हिदायात अल्लाह के कलाम के अंदर बयान फ़रमाई गई हैं और इन्हें बयान करने में हमारे लिये कोई शिज़क नहीं होनी चाहिये। मआशरती ज़िन्दगी को दुरुस्त रखने के लिये इनकी ज़रूरत पेश आये तो इन्हें इख्तियार करना होगा।

“फिर अगर वह तुम्हारी इताअत करें तो उनके खिलाफ़ (ख्वाह मा ख्वाह ज़्यादती की) राह मत तलाश करो।”

فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

अगर औरत सरकशी व सरताबी की रविश छोड़ कर इताअत की राह पर आ जाये तो पिछली कदूरतें (नफ़रतें) भुला देनी चाहिये उससे इन्तक़ाम लेने के बहाने तलाश नहीं करनी चाहिये।

“यक़ीनन अल्लाह तआला बहुत बुलंद है, बहुत बड़ा है।”

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٥﴾

आयत 35

“और अगर तुमको मियाँ-बीबी के दरमियान

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا

रहा है कि शरीअत के अंदर जो चीज़ें अहमतर हैं और जिन्हें मआशरती सतह पर मुक़द्दम रखना चाहिये वह बयान की जा रही हैं। फ़रमाया:

आयत 36

“और अल्लाह ही की बंदगी करो और किसी चीज़ को भी उसके साथ शरीक ना ठहराओ”

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

सबसे पहला हक़ अल्लाह का है कि उसी की बंदगी और परस्तिश करो, और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ।

“और वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो।”

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

कुरान हकीम में ऐसे चार मक़ामात हैं जहाँ अल्लाह के हक़ के फ़ौरन बाद वालिदैन के हक़ का तज़क़िरा है। यह भी हमारे ख़ानदानी निज़ाम के लिये बहुत अहम बुनियाद है कि वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक हो, उनका अदब व अहताराम हो, उनकी ख़िदमत की जाये, उनके सामने आवाज़ पस्त रखी जाये। यह बात सूरह बनी इस्राईल में बड़ी तफ़सील से आयेगी। हमारे मआशरे में ख़ानदान के इस्तेहक़ाम (स्थिरता) की यह एक बहुत अहम बुनियाद है।

“और क़राबतदारों, यतीमों और मोहताजों के साथ”

وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ

“और क़राबतदार हमसाये और अजनबी हमसाये के साथ”

وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ

पहले आमतौर पर मुहल्ले ऐसे ही होते थे कि एक क़बीला एक ही जगह रह रहा है, रिश्तेदारी भी है और हमसायगी भी। लेकिन कोई अजनबी हमसाया भी हो सकता है। जैसे आज-कल शहरों में हमसाये अजनबी होते हैं।

“और हमनशीन साथी और मुसाफ़िर के साथ”

وَالصَّاحِبِ بِالْجَنُبِ وَابْنِ السَّبِيلِ

एक हमसायगी आरज़ी नौइयत की भी होती है। मसलन आप बस में बैठे हुए हैं, आपके बराबर बैठा हुआ शख्स आपका हमसाया है। नेज़ जो लोग किसी भी ऐतबार से आपके साथी हैं, आपके पास बैठने वाले हैं, वह सब आपके हुस्ने सुलूक के मुस्तहक़ हैं।

आयात 36 से 43 तक

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ
وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ
عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٣٧﴾ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا
بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿٣٨﴾ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ
آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿٣٩﴾ إِنَّ اللَّهَ
لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٤٠﴾
فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴿٤١﴾ يَوْمَ مِثْقَاتُ
الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ﴿٤٢﴾
يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنْبًا
إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ
مِنَ الْعَابِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا
بُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

इससे कबल सूरतुल बकरह आयत 83 में बनी इस्राईल से लिये जाने वाले मीसाक़ का ज़िक्र आया था। इस मीसाक़ में जो बातें मज़कूर थीं वह गोया उम्मेहाते शरीअत या दीन की बुनियादें हैं। इर्शाद हुआ: “और याद करो जब हमने बनी इस्राईल से अहद लिया था कि तुम नहीं इबादत करोगे किसी की सिवाये अल्लाह के, और वालिदैन के साथ नेक सुलूक करोगे और क़राबत-दारों, यतीमों और मोहताजों के साथ भी, और लोगों से अच्छी बात कहो, और नमाज़ कायम रखो और ज़कात अदा करो।” अब यह दूसरा मक़ाम आ

के लिये”

“और वह हकीकत में ईमान नहीं रखते ना अल्लाह पर ना यौमे आखिर पर।”

“(ऐसे लोग गोया शैतान के साथी हैं) और जिसका साथी शैतान हो जाये तो वह बहुत ही बुरा साथी है।”

وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ

وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانَ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا

۞

आयत 39

“इन लोगों पर क्या आफत आ जाती अगर यह अल्लाह और यौमे आखिर पर (सदके दिल से) ईमान ले आते”

“और खर्च करते (खुले दिल के साथ) उसमें से जो अल्लाह ने उन्हें दिया है।”

“और अल्लाह तआला इनसे अच्छी तरह वाकिफ है।”

وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ

وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ۞

आयत 40

“यक्रीनन अल्लाह किसी पर ज़र्रे के हमवज़न (बराबर) भी जुल्म नहीं करेगा।”

“अगर एक नेकी होगी तो उसको कई गुना बढ़ाएगा”

“और ख़ास अपने ख़जाना-ए-फ़ज़ल से मज़ीद बहुत बड़ा अजर देगा।”

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

وَإِنْ تَكْ حَسَنَةٌ يُّضَعِفْهَا

وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۞

इस सूरह मुबारका की अगली आयत बड़ी अहम है। यह उस शहादत अलनास से मुताल्लिक है जो मज़मून सूरतुल बकरह (आयत:143) में आया था कि ऐ

“और वह लौंडी गुलाम जो तुम्हारे मिलके यमीन हैं (उनके साथ भी नेक सुलूक करो)।”

وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

“अल्लाह बिल्कुल पसंद नहीं करता उन लोगों को जो शेखीखोर और अकड़ने वाले हों।”

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٧﴾

आयत 37

“जो खुद भी बुख्ल (कंजूसी) करते हैं और दूसरे लोगों को भी बुख्ल का मशवरा देते हैं”

الَّذِينَ يَبَخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ

जिनमें यह शेखीखोरी और अकड़ होती है फिर वह बखील (कंजूस) भी होते हैं। इसलिये की गुरूर व तकब्बुर आमतौर पर दौलत की बिना (बुनियाद) पर होता है। उन्हें मालूम है कि हमारे पास जो दौलत है अगर यह खर्च हो गई तो हमारा वह मक़ाम नहीं रहेगा, लोगों की नज़रों में हमारी इज़ज़त नहीं रहेगी। लिहाज़ा वह अपना माल खर्च करने में कंजूसी से काम लेते हैं। इस पर उन्हें यह अंदेशा भी होता है कि लोग हमें मलामत करेंगे कि तुम बड़े बखील हो, चुनाँचे वह खुद लोगों को इस तरह के मशवरे देने लगते हैं कि बाबा इस तरह खुला खर्च ना किया करो, तुम ख्वाह माख्वाह पैसे उड़ाते हो, अक़ल के नाखुन लो, कुछ ना कुछ बचा कर रखा करो, वक़्त पर काम आयेगा। इस तरह वह लोगों को भी बुख्ल का ही मशवरा देते हैं।

“और वह छुपाते हैं उसको जो अल्लाह ने उन्हें अपने फ़ज़ल में से दिया है।”

وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

अपनी दौलत को छुपा-छुपा कर रखते हैं। उन्हें यह अंदेशा लाहक़ रहता है कि दौलत ज़ाहिर होगी तो कोई साइल सवाल कर बैठेगा। लिहाज़ा खुद ही मिस्कीन सूरत बनाये रखते हैं कि कोई उनके सामने दस्ते सवाल दराज़ ना करे।

“और ऐसे नाशुक्रों के लिये हमने बड़ा अहानत आमेज़ आज़ाब तैयार कर रखा है।”

وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٣٨﴾

आयत 38

“और वह लोग (भी अल्लाह को नापसंद हैं) जो अपने माल खर्च करते हैं लोगों को दिखाने

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ

मैंने तेरा दीन इनके सुपुर्द किया था, अब इसे दुनिया में फैलाना इनका काम था, लेकिन इन्होंने खुद दीन को छोड़ दिया। सूरतुल फुरकान में अल्फ़ाज़ आये हैं: { وَقَالَ الرَّسُولُ يَرَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا } (आयत:30) “और रसूल صلی اللہ علیہ وسلم कहेंगे कि परवरदिगार, मेरी क्रौम ने इस कुरान को तर्क कर दिया था।” सूरतुन्निसा की आयत ज़ेरे मुताअला के बारे में एक वाक़िया भी है। एक मर्तबा रसूल صلی اللہ علیہ وسلم ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ि० से इर्शाद फ़रमाया कि मुझे कुरान सुनाओ! उन्होंने अर्ज़ किया हुज़ूर आपको सुनाऊँ? आप صلی اللہ علیہ وسلم पर तो नाज़िल हुआ है। फ़रमाया: हाँ, लेकिन मुझे किसी दूसरे से सुन कर कुछ और हज़ (आनंद) हासिल होता है। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ि० ने सूरतुन्निसा पढनी शुरू की। हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم भी सुन रहे थे, बाक़ी और सहाबा रज़ि० भी होंगे और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ि० गर्दन झुकाए पढते जा रहे थे। जब इस आयत पर पहुँचे { فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا } तो हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم ने फ़रमाया حَسْبُكَ حَسْبُكَ (बस करो, बस करो!) अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ि० ने सर उठा कर देखा तो हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم की आँखों में आँसू रवाँ थे। इस वजह से कि मुझे अपनी क्रौम के खिलाफ़ गवाही देनी होगी।

आयत 42

“उस दिन तमन्ना करेंगे वह लोग जिन्होंने कुफ़र किया था और रसूल की नाफ़रमानी की थी कि काश उनके समेत ज़मीन बराबर कर दी जाये।”

يَوْمَئِذٍ يَدْعُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَعْصُوا الرَّسُولَ
لَوْ تَسْأَلُهُمُ الْأَرْضُ

यानि किसी तरह ज़मीन फट जाये और हम इसमें दफ़न हो जायें, हमें नसयम मन्सिया कर दिया जाये।

“और वह अल्लाह से कोई बात भी छुपा नहीं सकेगें।”

وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ۝

आयत 43

“ऐ अहले ईमान, नमाज़ के करीब ना जाओ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ

मुसलमानों! तुम्हें अब शोहदा अलन्नास बनाया गया है, जैसे कि नबी صلی اللہ علیہ وسلم ने तुम पर शहादत दी है। नबी अकरम صلی اللہ علیہ وسلم क़यामत के दिन खड़े होकर कहेंगे कि ऐ अल्लाह मेरे पास जो दीन आया था मैंने इन्हें पहुँचा दिया था, अब यह अपने तर्ज़े अमल के खुद ज़िम्मेदार हैं। यही बात क़यामत के दिन खड़े होकर तुम्हें कहनी है कि ऐ अल्लाह हमने अपने ज़माने के लोगों तक तेरा दीन पहुँचा दिया था, अब इसके बाद अपने तर्ज़े अमल के यह खुद जवाबदेह हैं। ऐसा ना हो कि उल्टा वह हमारे ऊपर मुक़दमा करें कि ऐ अल्लाह इन बदबख्तों ने हमें तेरा दीन नहीं पहुँचाया, यह ख़जाने के साँप बन कर बैठे रहे। यह तो शहादत का एक रुख़ है, लेकिन जिनके काँधों पर यह ज़िम्मेदारी डाल दी गई हो, वाक़्या यह है कि उसके लिये तो यह एक बहुत भारी बोझ है। यहाँ इसका नुक़शा खींचा जा रहा है कि क़यामत के दिन क्या होगा।

आयत 41

“तो उस दिन क्या सूरते हाल होगी जब हम हर उम्मत में से एक गवाह खड़ा करेंगे”

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ

यानि उस नबी और रसूल को गवाह बना कर खड़ा करेंगे जिसने उस उम्मत को दावत पहुँचाई होगी।

“और (ऐ नबी) आपको लाएँगे हम इन पर गवाह बना कर।”

وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ۝۴۱

यानि आप صلی اللہ علیہ وسلم को खड़े होकर कहना पड़ेगा कि ऐ अल्लाह! मैंने इन तक तेरा पैग़ाम पहुँचा दिया था। हमारी अदालती इस्तलाह में इसे इस्तग़ाशा का गवाह (prosecution witness) कहा जाता है। गोया अदालत-ए-ख़ुदावंदी में नबी अकरम صلی اللہ علیہ وسلم इस्तग़ाशा के गवाह की हैसियत से पेश होकर कहेंगे कि ऐ अल्लाह, तेरा पैग़ाम जो मुझ तक पहुँचा था मैंने इन्हें पहुँचा दिया था, अब यह खुद ज़िम्मेदार और जवाबदेह हैं। चुनाँचे अपनी ही क़ौम के ख़िलाफ़ गवाही आ गई ना? यहाँ अल्फ़ाज़ नोट कर लीजिये: عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا और عَلَى هَمेशा मुख़ालफ़त के लिये आता है। हम तो हाथ पर हाथ धरे शफ़ाअत की उम्मीद में हैं और यहाँ हमारे ख़िलाफ़ मुक़दमा क़ायम होने चला है। अल्लाह के रसूल صلی اللہ علیہ وسلم दरबारे ख़ुदावंदी में हमारे ख़िलाफ़ गवाही देंगे कि ऐ अल्लाह!

ना जाना चाहिये, इल्ला यह कि किसी काम के लिये मस्जिद में से गुज़रना हो, जबकि बाज़ ने इससे मुराद सफ़र लिया है।

“और अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो”

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرَضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ

आदमी को तेज़ बुखार है या कोई और तकलीफ़ है जिसमें गुस्ल करना मज़र (ख़तरनाक) साबित हो सकता है तो तयम्मूम की इजाज़त है। इसी तरह कोई शख्स सफ़र में है और उसे पानी दस्तयाब नहीं है तो वह तयम्मूम कर ले।

“या तुममें से कोई क़ज़ा-ए-हाजत (शौच) के बाद आया हो”

أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ

“या तुमने औरतों के साथ मुबाशरत की हो”

أَوِ الْمُسْتَمْسَاءِ

“फिर तुम पानी ना पाओ”

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً

“तो पाक मिट्टी का क़सद करो”

فَتَيَبَّنُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

यानि वो तमाम सूरतें जिनमें गुस्ल या वुजू बाज़िब है, इनमें अगर बीमारी गुस्ल से मना हो, हालते सफ़र में नहाना मुमकिन ना हो, क़ज़ा-ए-हाजत या औरतों से मुबाशरत के बाद पानी दस्तयाब ना हो तो पाक मिट्टी से तयम्मूम कर लिया जाये।

“और इससे अपने चेहरों और हाथों पर मसह कर लो।”

فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ

“यक़ीनन अल्लाह तआला बहुत माफ़ करने वाला, बख़्शने वाला है।”

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ﴿٣٧﴾

हज़रत आयशा रज़ि० से लैलतुलक़द्र की जो दुआ मरवी है उसमें यही लफ़ज़ आया है: ((اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُورٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي)) “ऐ अल्लाह, तू माफ़ फ़रमाने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, पस तू मुझे माफ़ फ़रमा दे!”

सूरतुन्निसा की इन तैंतालीस आयात में वही सूरतुल बकररह का अंदाज़ है कि शरीअत के अहकाम मुख्तलिफ़ गोशों में, मुख्तलिफ़ पहलुओं से बयान हुए। इबादात के ज़िंमन में तयम्मूम का ज़िक्र आ गया, विरासत का क़ानून पूरी

इस हाल में कि तुम नशे की हालत में हो”

سُكْرَى

“यहाँ तक कि तुम्हें मालूम हो जो कुछ तुम कह रहे हो”

حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

सूरतुल बकररह (आयत:219) में शराब और जुए के बारे में महज़ इज़हारे नाराज़गी फ़रमाया था कि { وَإِنَّهُمْ أَكْذِبُونَ } “उनके गुनाह का पहलु नफ़े के पहलु से बड़ा है।” अब अगले क़दम के तौर पर शराब के अंदर जो ख़बासत, शनाअत और बुराई का पहलु है उसे एक मर्बता और उजागर किया गया कि नशे की हालत में नमाज़ के क़रीब ना जाया करो। जब तक नशा उतर ना जाये और तुम्हें मालूम हो कि तुम क्या कह रहे हो उस वक़्त तक नमाज़ ना पढा करो। चूँकि शराब की हुरमत का हुक्म अभी नहीं आया था लिहाज़ा बाज़ अवक़ात लोग नशे की हालत ही में नमाज़ पढने खड़े हो जाते और कुछ का कुछ पढ जाते। ऐसे अवक़ात भी बयान हुए हैं कि किसी ने नशे मे नमाज़ पढाई और “أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ” के बजाय “أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ” पढ दिया। इस पर ख़ास तौर पर यह आयत नाज़िल हुई। { حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ } के अल्फ़ाज़ क़ाबिले ग़ौर हैं कि जब तक कि तुम शऊर के साथ समझ ना रहे हो कि तुम क्या कह रहे हो! इसमें एक इशारा इधर भी हो गया कि बे समझ नमाज़ ना पढा करो! यानि एक तो मदहोशी की वजह से समझ में नहीं आ रहा और ग़लत-सलत पढ रहे हैं तो इससे रोका जा रहा है, और एक समझ ही नहीं कि नमाज़ में क्या पढ रहे हैं। कुरान कह रहा है कि तुम्हें मालूम होना चाहिये कि तुम कह क्या रहे हो। अब जिन्हें कुरान मजीद के मायने नहीं आते, नमाज़ के मायने नहीं आते, उन्हें क्या पता कि वह नमाज़ में क्या कह रहे हैं!

“और इसी तरह जनाबत की हालत में भी (नमाज़ के क़रीब ना जाओ) जब तक गुस्ल ना कर लो, इल्ला यह कि रास्ते से गुज़रते हुए।”

وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا

अगर तुमने अपनी बीवियों से मुबाशरत (संभोग) की हो या अहतलाम वग़ैरह की शक़्ल हो गई हो तब भी तुम नमाज़ के क़रीब मत जाओ जब तक कि गुस्ल न कर लो। “إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ” के बारे में बहुत से क़ौल हैं। बाज़ फ़ुक़हा और मुफ़स्सिरीन ने इसका यह मफ़हूम समझा है कि हालते जनाबत में मस्जिद में

الْعَذَابُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥١﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ
وَوُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴿٥٢﴾

आयत 44

“क्या तुमने देखा नहीं उन लोगों को जिन्हें **الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ** किताब में से एक हिस्सा दिया गया था”

वह “अल किताब” एक हकीकत है जिसमें से एक हिस्सा तौरात और एक हिस्सा इन्जील के नाम से नाज़िल हुआ और फिर वह किताब हर ऐतबार से कामिल होकर कुरान की शकल में नाज़िल हुई।

“वह गुमराही खरीदते हैं और चाहते हैं कि **يَسْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضَلُّوا** तुम भी गुमराह हो जाओ।”

السَّبِيلِ ﴿٥٣﴾

मुशरिकीने मक्का भी यही कुछ किया करते थे कि लोग लहव व लअब (खेल-तमाशे) में मशगूल रहें और कुरान ना सुनें। उन्होंने ईरान से रुस्तम व असफंदयार के क्रिस्से मँगवा कर दास्तान गोई का सिलसिला शुरू किया और गाने-बजाने वाली लौंडियों और आलाते मौसीक्री का इन्तेज़ाम किया ताकि लोग इन्हीं चीजों में मशगूल रहें और हुज़ूर **عليه وسلم** की बात कोई ना सुने। इसी तरह मदीना में यहूद का भी यही मामला था कि वह खुद भी गुमराहकुन मशागुल इख्तियार करते और दूसरों को भी उसमें मशगूल करने की कोशिश करते। हमारे ज़माने में इस क्रिस्म के मशागुल की बहुत सी सूरतें हैं। हमारे यहाँ जब क्रिकेट मैच हो रहे होते हैं और टीवी पर दिखाये जाते हैं तो पूरी क्रौम का यह हाल होता है गोया कि दुनिया की अहमतरिन शय क्रिकेट ही है। इसी तरह दुनिया में दूसरे खेल-तमाशे देखे जाते हैं कि दुनिया उनके पीछे पागल हो जाती है। शैतान को और क्या चाहिये? वह तो यही चाहता है ना कि लोगों की हक्काइक की तरफ़ निगाह ही ना हो। किसी को यह सोचने की ज़रूरत ही महसूस ना हो कि ज़िन्दगी किस लिये है? जीना काहे के लिये है? मौत है तो उसके बाद क्या होना है? इंसान या तो हैवानी सतह पर ज़िन्दगी गुज़ारे दे कि उसे हलाल व हराम की तमीज़ ही ना रहे कि वह क्या कमा रहा है और क्या खा रहा है, और या फिर इस तरह के लहव व लअब के अंदर

तफ़सील से बयान हो गया और मआशरे में जिन्सी बेराहरवी की रोकथाम के लिये अहकाम आ गये, ताकि एक पाकीज़ा और सालेह मआशरा वुजूद में आये जहाँ एक मुस्तहकम ख़ानदानी निज़ाम हो। अब यहाँ एक मुख़्तसर सा ख़िताब अहले किताब के बारे में आ रहा है।

आयात 44 से 57 तक

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتُرُونَ الضَّلَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضَلُّوا السَّبِيلَ ﴿٤٤﴾ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴿٤٥﴾ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمِعْ غَيْرَ مُسْمِعٍ وَرَاعِنَا لَيْئًا بِالْأَسْتِثْمِ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمِعْ وَانظُرْ نَأَلَّكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٤٦﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّن قَبْلِ أَن نَّطْبِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٤٧﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزُتُونَ أَنفُسَهُمْ بِاللَّهِ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٤٩﴾ أُنظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٠﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجَنَّةِ وَالطَّاعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ﴿٥١﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿٥٢﴾ أَمْرٌ لَهُم نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ﴿٥٣﴾ أَمْرٌ يُحْسَدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا أَنَّهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ﴿٥٤﴾ فَمِنْهُمْ مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴿٥٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا

“और (कहते हैं) राइना अपनी ज़बानों को मोड़ कर”

وَرَاعِنَا لِبَا بِالسِّنْتِهِمْ

राइना का मफ़हूम तो है “हमारी रियायत कीजिये” लेकिन वह इसे खींच कर राईना बना देते। यानि ऐ हमारे चरवाहे!

“और दीन में तअन करने के लिये।”

وَطَعْنًا فِي الدِّينِ

यहूद अपनी ज़बानों को तोड़-मरोड़ कर ऐसे कलिमात कहते और फिर दीन में यह ऐब लगाते कि अगर यह शख्स वाकई नबी होता तो हमारा फ़रेब इस पर ज़ाहिर हो जाता। चुनाँचे अल्लाह तआला ने उनके फ़रेब को ज़ाहिर कर दिया।

“और अगर वह यह कहते कि हमने सुना और इताअत कुबूल की, और आप हमारी बात सुन लीजिये, और ज़रा हमें मोहलत दीजिये, तो यह उनके हक़ में कहीं बेहतर होता और बहुत दुरुस्त और सीधी बात होती”

وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ
وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمًا

“लेकिन अल्लाह ने तो उनके कुफ़्र की वजह से उन पर लानत कर दी है”

وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ

“तो अब वह ईमान लाने वाले नहीं हैं मगर शाज़ ही कोई।”

فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

आयत 47

“ऐ वह लोगो जिनको किताब दी गई थी! ईमान लाओ उस पर जो हमने नाज़िल किया है”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا

यहूद की शरारतों पर लानत व मलामत के साथ ही उन्हें कुरान करीम पर ईमान की दावत भी दी जा रही है।

“जो उसकी तस्दीक करते हुए आया है जो तुम्हारे पास है”

مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ

ज़िन्दगी गुज़ार दे। इन चीज़ों के फ़रोग के लिये बड़े मुस्तहकम निज़ाम हैं और इन खिलाड़ियों वग़ैरह के लिये बहुत बड़े-बड़े ईनामात होते हैं। फ़रमाया: यह चाहते हैं कि तुम्हें भी सीधे रास्ते से भटका दें, राहे हक़ से मुनहरिफ़ कर दें।

आयत 45

“अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों से ख़ूब वाकिफ़ है।”

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَائِكُمْ

“और अल्लाह काफ़ी है तुम्हारे वली और पुश्तपनाह होने की हैसियत से और काफ़ी है तुम्हारे मददगार होने के ऐतबार से।”

وَكَفٰى بِاللّٰهِ وٰلِيًّا وَكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا ﴿٤٥﴾

आयत 46

“इन यहूदियों में से कुछ लोग हैं जो कलाम को उसके असल मक़ाम व महल (जगह) से फेरते हैं।”

مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا بِحُرْفُوْنَ الْكَلِمَةِ عَنْ مَوَاضِعِهِ

“वह कहते हैं हमने सुना और हमने नहीं माना”

وَيَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا

यहूद अपनी ज़बानों को तोड़-मरोड़ कर अल्फ़ाज़ को कुछ का कुछ बना देते। रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم की ख़िदमत में हाज़िर होते तो अहकामे इलाही सुन कर कहते سَمِعْنَا وَاطَعْنَا। बज़ाहिर वह अहले ईमान की तरह سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا (हमने सुना और हमने कुबूल किया) कह रहे होते लेकिन ज़बान को मरोड़ कर हकीकत में سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا कहते।

“और (कहते हैं) सुनिये, ना सुना जाये।”

وَاَسْمِعْ غَيْرَ مُسْمِعٍ

वह हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم की मजलिस में आप صلی اللہ علیہ وسلم को मुखातिब करके कहते ज़रा हमारी बात सुनिये! साथ ही चुपके से कह देते कि आपसे सुना ना जाये, हमें आपको सुनाना मतलूब नहीं है। इस तरह वह शाने रिसालत में गुस्ताख़ी के मुरतकिब होते।

अल्लाह तआला तो वाहिद व यक्ता है। उसकी ज्ञात व सिफ़ात में किसी और को शरीक करना बहुत बड़ा झूठ, इफ़तरा और बोहतान है, और अज़ीम-तरीन गुनाह है।

आयत 49

“क्या तुमने देखा नहीं उन लोगों को जो अपने आपको बड़ा पाकीज़ा ठहराते हैं?”

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزُكُّونَ أَنْفُسَهُمْ

यहाँ यहूद के उसी फ़लसफ़े की तरफ़ इशारा है कि वह अपने आपको बहुत पाकबाज़ और आला व अरफ़ा समझते हैं। उनका दावा है कि “We are the chosen people of the Lord”। सूरतुल मायदा में उनका यह क़ौल नक़ल हुआ है: { ائْتِنُوا اللَّهَ وَأَجِبُوا } (आयत:18) यानि हम तो अल्लाह के बेटों की तरह हैं बल्कि उसके बहुत ही चहेते और लाडले हैं। उनके नज़दीक दूसरे तमाम लोग Gentiles और Goyems हैं, जो देखने में इंसान नज़र आते हैं, हक़ीकत में हैवान हैं। उनको तो जिस तरह चाहो लूट कर खा जाओ, जिस तरह चाहो उनको धोखा दो, उनका इस्तहसाल (शोषण) करो, हम पर कोई गिरफ्त नहीं है। सूरह आले इमरान (आयत:75) में हम उनका क़ौल पढ़ चुके हैं: { لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيّينَ سَبِيلٌ } “इन उम्मियों के मामले में हम पर कोई गिरफ्त नहीं है।” हमसे इनके बारे में कोई मुहासबा और कोई मुआख़जा नहीं होगा। जैसे आपने घोड़े को तांगे में जोत लिया या हिरन का शिकार करके खा लिया तो आपसे इस पर कौन मुआख़जा करेगा?

“बल्कि अल्लाह तआला ही है जो पाक करता है जिसको चाहता है”

بَلِ اللَّهُ يَرِيّ مَنْ يَشَاءُ

“और उन पर ज़रा भी जुल्म नहीं किया जायेगा।”

وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۝

उनको अगर पाकीज़गी नहीं मिलती तो इसका सबब उनके अपने करतूत हैं, अल्लाह तआला की तरफ़ से तो उन पर ज़रा भी जुल्म नहीं किया जाता। फ़तील दरअसल उस धागे को कहते हैं जो ख़जूर के अंदर गुठली के साथ लगा हुआ होता है। नुज़ूले क़ुरान के ज़माने में जो छोटी से छोटी चीज़ें लोगों के

“इससे क़ब्ल कि हम चेहरों को मिटा डालें,
फिर उनको उनकी पीठों की तरफ़ मोड़ दें”

مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْظِيسَ وُجُوهُهَا فَتُرَدِّدْهَا عَلَى
أَذْبَارِهَا

यानि चेहरे इस तरह मसख़ कर दिये जायें कि बिल्कुल सपाट हो जायें, उन पर कोई निशान बाक़ी ना रहे और फिर उन्हें पुश्त की तरफ़ मोड़ दिया जाये कि चेहरा पीछे और गुद्दी सामने।

“या हम उन पर भी इसी तरह लानत कर दें
जिस तरह हमने अपने अस्थाबे सब्त पर
लानत की थी।”

أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعْنَا أَصْحَابَ السَّبْتِ

अस्थाबे सब्त के वाक़िये की तफ़सील सूरतुल आराफ़ में आयेगी, लेकिन इज्मालन यह वाक़िया सूरतुल बकररह में आ चुका है।

“और अल्लाह का हुक्म तो नाफ़िज़ (लागू)
होकर रहना है।”

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ②

आयत 48

“यक़ीनन अल्लाह इस बात को हरगिज़ नहीं
बख़्शेगा कि उसके साथ शिर्क किया जाये”

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ

“इससे कमतर जो कुछ है वह जिसके लिये
चाहेगा बख़्श देगा।”

وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

गोया यह भी खुला लाइसेंस नहीं है कि आप समझ लें कि बाक़ी सब गुनाह तो माफ़ हो ही जायेंगे। इसकी उम्मीद दिलाई गई है कि अल्लाह तआला बाक़ी तमाम गुनाहों को बग़ैर तौबा के भी माफ़ कर सकता है, लेकिन शिर्क के माफ़ होने का कोई इम्कान नहीं।

“और जो अल्लाह तआला के साथ शिर्क करता
है उसने तो बहुत बड़े गुनाह का इफ़तरा
(बोहतान) किया।”

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ③

आयत 52

“यह वह लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत फ़रमा दी है।”

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ

“और जिस पर अल्लाह लानत कर दे फिर तुम उसके लिये कोई मददगार नहीं पाओगे।”

وَمَنْ يُلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿٥٢﴾

आयत 53

“क्या इनका कोई हिस्सा है इक़तदार में?”

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمَلِكِ

इन्होंने यह जो तक्रसीम कर ली है कि दुनिया में यह सब कुछ हमारे लिये है, बाक़ी तमाम इंसान Gentiles और Goyems हैं, तो इंसानों में यह तक्रसीम और तफ़रीक़ का इख़्तियार इन्हें किसने दिया है? क्या इनका अल्लाह की हुकूमत में कोई हिस्सा है? ज़मीन व आसमान की बादशाही तो अल्लाह की है, मालिकुल मुल्क अल्लाह है। तो क्या इनको उसके पास से कोई इख़्तियार मिला हुआ है?

“अगर ऐसा कहीं होता तो यह दूसरे लोगों को तिल के बराबर भी कोई शय देने को तैयार ना होते।”

فَإِذَا لَئِيْمُونَ النَّاسِ نَفِيْرًا ﴿٥٣﴾

आयत 54

“क्या यह हसद कर रहे हैं लोगों से उस पर कि जो अल्लाह ने उनको अपने फ़ज़ल में से अता कर दिया है?”

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

दरअसल यह सब उस हसद का नतीजा है जो यह मुसलमानों से रखते हैं कि अल्लाह ने इन उम्मियों में अपना आख़री नबी भेज दिया और इन्हें अपनी आख़री किताब अता फ़रमा दी जिन्हें यह हक़ीर समझते थे। अब यह इस हसद की आग में जल रहे हैं।

मुशाहिदे में आती थीं ज़ाहिर है कि वहीं से किसी चीज़ के छोटा होने के लिये मिसाल पेश की जा सकती थी।

आयत 50

“देखो ये लोग अल्लाह पर कैसे झूठ बाँध रहे हैं?”

أَنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ

“और सरीह गुनाह होने के लिये तो यही काफ़ी है।”

وَكَفَىٰ بِهٖ إِثْمًا مُّبِينًا ۝

यानि इनकी गिरफ्त के लिये और इनको अज़ाब देने के लिये यही एक बात काफ़ी है जो इन्होंने गढ़ी है।

आयत 51

“क्या तुमने देखा नहीं उन लोगों को जिन्हें किताब में से एक हिस्सा दिया गया था”

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ

“वह ईमान लाते हैं बुतों पर और शैतान पर”

يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ

“और कहते हैं उन लोगों के मुताल्लिक जिन्होंने कुफ़्र किया (यानि मुशरिकीन) कि इन अहले ईमान से ज़्यादा हिदायत पर तो यह हैं।”

وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِن

الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ۝

यहूद अपनी ज़िद और हठधर्मी में इस हद तक पहुँच गये थे। उन्हें ख़ूब मालूम था कि मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ और उनके साथी रज़ि० ईमान बिल् अल्लाह और ईमान बिल् आखिरत में उनसे मुशाबेह थे, फिर वह हज़रत मूसा अलै० पर भी ईमान रखते थे और तौरात को अल्लाह की किताब मानते थे। लेकिन अहले ईमान के साथ ज़िद्दम-ज़िद्दा और अदावत में वह इस हद तक आगे बढ़ गये कि मुशरिकीने मक्का से मिल कर उनके बुतों की ताज़ीम की और कहा कि यह मुशरिक मुसलमानों से ज़्यादा हिदायत याफ़ता हैं और इनका दीन मुसलमानों के दीन से बेहतर है।

“ताकि वह अज़ाब का मज़ा चखते रहें।”

لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ

यह भी एक बहुत बड़ी हकीकत है जिसे मेडिकल साइंस ने दरयाफ्त किया है कि दर्द का अहसास इंसान की खाल (skin) ही में है। इसके नीचे गोशत व अज़लात (मांसपेशियों) वगैरह में दर्द का अहसास नहीं है। किसी को चुटकी काटी जाये, काँटा चुभे, चोट लगे या कोई हिस्सा जल जाये तो तकलीफ़ और दर्द का सारा अहसास जिल्द ही में होता है। चुनाँचे इन जहन्नमियों के बारे में फ़रमाया गया कि जब भी इनकी खाल आतिशे जहन्नम से जल जायेगी तो इसकी जगह नई खाल दे दी जायेगी ताकि उनकी तकलीफ़ और सोज़श (सूजन) मुसलसल रहे, जलन का अहसास बरकरार रहे, इसमें कमी ना हो।

“यक्रीनन अल्लाह ज़बरदस्त है, कमाले हिकमत वाला है।”

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٧﴾

आयत 57

“और वह लोग जो ईमान लाये और उन्होंने नेक अमल किये”

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

यहाँ भी वही फ़ौरी तक्राबुल (simultaneous contrast) है कि अहले जहन्नम के तज़किरे के फ़ौरन बाद अहले जन्नत का तज़किरा है।

“अनक़रीब उन्हें हम दाख़िल करेंगे उन बागात में जिनके दामन में नदियाँ बहती होंगी”

سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

“वह रहेंगे उनमें हमेशा-हमेशा।”

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا

“उनके लिये उसमें होंगी बड़ी पाक-बाज़ बीवियाँ”

لَهُمْ فِيهَا زَوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ

“और हम उन्हें दाख़िल करेंगे घनी छावों में।”

وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴿٥٨﴾

“तो हमने आले इब्राहीम अलै० को किताब और हिकमत अता फ़रमाई और उन्हें बहुत बड़ी हुकूमतें भी दीं।”

فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَآتَيْنَهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ﴿٥٧﴾

यानि तुम्हें भी अगर तौरात और इंजील मिली थी तो इब्राहीम अलै० की नस्ल होने के नाते से मिली थी, तो यह जो इस्माईल अलै० की नस्ल है यह भी तो इब्राहीम अलै० ही की नस्ल है। यहाँ बनी इस्राईल को किताब और हिकमत अलैहदा-अलैहदा मिली। तौरात किताब थी और इंजील हिकमत थी, जबकि यहाँ किताब और हिकमत अल्लाह तआला ने एक ही जगह पर कुरान में ब-तमाम व कमाल जमा कर दी हैं। मज़ीद बर्राँ जैसे उनको मुल्के अज़्मीम दिया था, अब हम इन मुसलमानों को उससे बड़ा मुल्क देंगे। यह मज़मून सूरतुन्नूर में आयेगा: { لَيْسْتَخْلَفُهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ } (आयत:55) “हम लाज़िमन अहले ईमान को दुनिया में हुकूमत और ख़िलाफ़त अता करेंगे जैसे इनसे पहलों को अता की थी।”

आयत 55

“पस इनमें से वह भी हैं जो इस पर ईमान ले आये हैं और वह भी हैं जो इससे रुक गये हैं।”

فَرِحْنَا بِمَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ

“और ऐसे लोगों के लिये तो जहन्नम की भड़कती हुई आग ही काफ़ी है।”

وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴿٥٥﴾

आयत 56

“यक्कीनन जो लोग हमारी आयात का कुफ़्र करेंगे एक वक़्त आयेगा कि हम उन्हें आग में झोंक देंगे।”

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ
نَارًا ۙ

“और जब भी उनकी खालें जल जाएँगी हम उनको दूसरी खालें में बदल देंगे”

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا
غَيْرَهَا

التَّيْبِينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴿٥٨﴾ ذَلِكَ الْفَضْلُ
 مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا ﴿٥٩﴾

यह दो आयात (58, 59) कुरान मजीद की निहायत अहम आयात हैं, जिनमें इस्लाम का सारा सियासी, क़ानूनी और दस्तूरी निज़ाम मौजूद है। फ़रमाया:

आयत 58

“अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें अहले
 अमानत के सुपुर्द करो”

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ
 أَهْلِهَا

“और जब लोगों के दरमियान फ़ैसला करो तो
 अदल के साथ फ़ैसला करो।”

أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
 بِالْعَدْلِ

पहली बात तो यह है कि आप जो भी सियासी निज़ाम बनाते हैं उसमें मनासिब (पद) होते हैं, जिनकी ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं और इख्तियारात भी। लिहाज़ा इन मनासिब के इन्तखाब में आपकी राय की हैसियत अमानत की है। आप अपनी राय देख-भाल कर दें कि कौन इसका अहल है। अगर आपने ज़ात बिरादरी, रिश्तेदारी वग़ैरह की बिना पर या मफ़ादात के लालच में या किसी की धौंस की वजह से किसी के हक़ में राय दी तो यह सरीह ख़यानत है। हक़ राय वही एक अमानत है और उस अमानत का इस्तेमाल सही-सही होना चाहिये। आम मायने में भी अमानत की हिफ़ाज़त ज़रूरी है और जो भी अमानत किसी ने रखवाई है उसे वापस लौटाना आपकी शरई ज़िम्मेदारी है। लेकिन यहाँ यह बात इज्तमाई ज़िन्दगी के अहम उसूलों की हैसियत से आ रही है। दूसरी बात यह है कि जब लोगों के दरमियान फ़ैसला करो तो अदल के साथ फ़ैसला करो। गोया पहली हिदायत सियासी निज़ाम से मुताल्लिक है कि अमीरुल मोमिनीन या सरबराहे रियासत का इन्तखाब अहलियत (क्षमता) की बुनियाद पर होगा, जबकि दूसरी हिदायत अदलिया (Judiciary) के इस्तहकाम के बारे में है कि वहाँ बिना इम्तियाज़ हर एक को अदल व इंसाफ़ मयस्सर आये।

उन्हें ऐसी गहरी और ठंडी छाँव में रखा जायेगा जो धूप की हदत (warming) और तमाज़त (शदीद गर्मी) से बिल्कुल महफूज़ होगी।

यहाँ वह हिस्सा खत्म हुआ जिसमें अहले किताब की तरफ़ रुए सुखन था। अब फिर मुसलमानों से खिताब है।

आयात 58 से 70 तक

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا نُزِّلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا إِلَى الظَّالِمِينَ الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ صَلًّا بِعِيدِهَا ﴿٦٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ﴿٦٢﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿٦٣﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿٦٤﴾ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَنْبِيهُنَّ ﴿٦٦﴾ وَإِذْ آلُ تَيْنُتٍ مِنْ لَدُنَّا أُجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٧﴾ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٦٨﴾ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ

“أَطِيعُوا” का लफ़्ज़ आया है, जबकि तीसरे के लिये नहीं है। एक अस्लूब यह भी हो सकता था कि “أَطِيعُوا” एक मर्तबा आ जाता और इसका इतलाक़ तीनों पर हो जाता: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ” इस तरह तीनों बराबर हो जाते। दूसरा अस्लूब यह हो सकता था कि “أَطِيعُوا” तीसरी मर्तबा भी आता: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ”। लेकिन कुरान ने जो अस्लूब इख़्तियार किया है कि “أَطِيعُوا” दो के साथ है, तीसरे के साथ नहीं है, इससे ऊलुल अम्र की इताअत का मरतबा (status) मर्तईन (निर्धारित) हो जाता है। एक तो “مِنْكُمْ” की शर्त से वाज़ेह हो गया कि ऊलुल अम्र तुम ही में से होने चाहिये, यानि मुसलमान हों। ग़ैर मुस्लिम की हुकूमत को ज़हनन तस्लीम करना अल्लाह से बग़ावत है। वह कम से कम मुसलमान तो हों। फिर यह कि मुत्ज़क्किर बाला अस्लूब से वाज़ेह हो गया कि उनकी इताअत मुल्लक़, दायम और ग़ैर मशरूत नहीं। अल्लाह और रसूल عليه وسلم की इताअत मुल्लक़, दायम, ग़ैर मशरूत और ग़ैर महदूद है, लेकिन साहिबे अम्र की इताअत अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के ताबेअ होगी। वह जो हुकूम भी लाये उसे बताना होगा कि मैं किताब व सुन्नत से कैसे इसका इसतन्बात (अनुमान) कर रहा हूँ। गोया उसे कम से कम यह साबित करना होगा कि यह हुकूम किताब व सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं है। एक मुसलमान रियासत में क़ानून साज़ी इसी बुनियाद पर हो सकती है। दौरे जदीद में क़ानून साज़ इदारा कोई भी हो, कांग्रेस हो, पार्लियामेंट हो या मजलिस मिल्ली हो, वह क़ानून साज़ी करेगी, लेकिन एक शर्त के साथ कि यह क़ानून साज़ी कुरान व सुन्नत से मुतसादिम (विरोध) ना हो।

“फिर अगर तुम्हारे दरमियान किसी मामले में इख़्तलाफ़े राय हो जाये”

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

ऐसी सूरत पैदा हो जाये कि उलुल अम्र कहे कि मैं तो इसे ऐन इस्लाम के मुताबिक़ समझता हूँ, लेकिन आप कहे कि नहीं, यह बात ख़िलाफ़े इस्लाम है, तो अब कहाँ जायें? फ़रमाया:

“तो उसे लौटा दो अल्लाह और रसूल की तरफ़”

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

“यक्रीनन यह बहुत ही अच्छी नसीहतें हैं जो अल्लाह तुम्हें कर रहा है।”

إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ

“यक्रीनन अल्लाह तआला सब कुछ सुनने वाला देखने वाला है।”

إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٩﴾

अगली आयत में तीसरी हिदायत मुक़न्नाह (Legislature) के बारे में आ रही है कि इस्लामी रियासत की दस्तूरी बुनियाद क्या होगी। जदीद रियासत के तीन सुतून इन्तज़ामिया (Executive), अदलिया (Judiciary), और मुक़न्नाह (Legislature) गिने जाते हैं। पहली आयत में इन्तज़ामिया और अदलिया के ज़िक्र के बाद अब दूसरी आयत में मुक़न्नाह का ज़िक्र है कि क़ानून साज़ी के उसूल क्या होंगे। फ़रमाया:

आयत 59

“ऐ अहल ईमान! इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

यानि कोई क़ानून अल्लाह और उसके रसूल की मन्शा के ख़िलाफ़ नहीं बनाया जा सकता। उसूली तौर पर यह बात पाकिस्तान के दस्तूर में भी तस्लीम की गई है।

“No Legislation will be done repugnant to the Quran and the Sunnah.”

लेकिन इसकी तन्फ़ीज़ व तामील की कोई ज़मानत मौजूद नहीं है, लिहाज़ा इस वक़्त हमारा दस्तूर मुनाफ़क़त का पुलंदा है। इस आयत की रू से अल्लाह के अहक़ाम और अल्लाह के रसूल ﷺ के अहक़ाम क़ानून साज़ी के दो मुस्तक़िल ज़राय (sources) हैं। इस तरह यहाँ मुन्करीने सुन्नत की नफ़ी होती है जो मुअख़र अल ज़िक्र का इंकार करते हैं। इसके साथ ही फ़रमाया:

“और अपने में से ऊलुल अम्र की भी (इताअत करो)”

وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

यहाँ बहुत अजीब अस्लूब है कि तीन हस्तियों की इताअत का हुक़म दिया गया है: अल्लाह की, रसूल की और ऊलुल अम्र की, लेकिन पहले दो के लिये

आप صلی اللہ علیہ وسلم पर नाज़िल किया गया और उस पर भी जो आपसे पहले नाज़िल किया गया”

लेकिन उनका तर्ज़े अमल यह है कि:

“वह चाहते हैं कि अपने मुक़दमात के फ़ैसले तागूत से करवाएँ”

يُرِيدُونَ أَنْ يُتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ

यहाँ वाज़ेह तौर पर “तागूत” से मुराद वह हाकिम या वह इदारे हैं जो अल्लाह और उसके रसूल صلی اللہ علیہ وسلم के अहकाम के मुताबिक़ फ़ैसला नहीं करता। पिछली आयत में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत का हुक़्म दिया गया था। गोया जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत पर कारबंद हो गया वह तागूत से ख़ारिज हो गया और जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत को कुबूल नहीं करता वह तागूत है, इसलिये कि वह अपनी हद से तजावुज़ कर गया। चुनाँचे ग़ैर मुस्लिम हाकिम या मुन्सिफ़ जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम का पाबंद नहीं वह तागूत है।

“हालाँकि उन्हें हुक़्म दिया गया है कि तागूत का कुफ़्र करें।”

وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ

मुनाफ़िक़ीने मदीना की आम रविश यह थी जिस मुक़दमे में उन्हें अंदेशा होता कि फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ होगा उसे नबी अकरम صلی اللہ علیہ وسلم की ख़िदमत में लाने के बजाय यहूदी आलिमों के पास ले जाते। वह जानते थे कि हज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم के पास जायेंगे तो हक़ और इंसाफ़ की बात होगी। एक यहूदी और एक मुसलमान जो मुनाफ़िक़ था, उनका आपस में झगडा हो गया। यहूदी कहने लगा कि चलो मुहम्मद (صلی اللہ علیہ وسلم) के पास चलते हैं। इसलिये कि उसे यक़ीन था कि मैं हक़ पर हूँ। लेकिन वह मुनाफ़िक़ कहने लगा कि काअब बिन अशरफ़ के पास चलते हैं जो एक यहूदी आलिम था। बहरहाल वह यहूदी उस मुनाफ़िक़ को रसूल صلی اللہ علیہ وسلم के पास ले आया। आप صلی اللہ علیہ وسلم ने दोनों की दलीलें सुनने के बाद फ़ैसला यहूदी के हक़ में कर दिया। वहाँ से बाहर निकले तो मुनाफ़िक़ ने कहा कि चलो अब हज़रत उमर रज़ि० के पास चलते हैं, वह जो फ़ैसला कर दें वह मुझे मंज़ूर होगा। वह दोनों हज़रत उमर रज़ि० के पास आये। मुनाफ़िक़ को यह उम्मीद थी कि हज़रत उमर रज़ि० मेरा ज़्यादा लिहाज़ करेंगे, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। जब यहूदी ने यह बताया कि इस मुक़दमे का फ़ैसला रसूल

यानि अब जो भी अपनी बात साबित करना चाहता है उसे अल्लाह और उसके रसूल से यानि कुरान व सुन्नत से दलील लानी पड़ेगी। मेरी पसंद, मेरा ख्याल, मेरा नज़रिया वाला इस्तदलाल क़ाबिले कुबूल नहीं होगा। इस्तदलाल की बुनियाद अल्लाह और उसके रसूल की मर्ज़ी होगी। यह बात माननी पड़ेगी कि अभी यहाँ एक ख़ला है। वह ख़ला यह है कि यह फ़ैसला कौन करेगा कि फ़रीक़ैन में से किसकी राय सही है। और आज के रियासती निज़ाम में आकर वह ख़ला पुर हो चुका है कि यह अदलिया (Judiciary) का काम है। रसूल अल्लाह ﷺ के ज़माने में जब अरब में इस्लामी रियासत कायम हुई तो इस तरह अलैहदा-अलैहदा रियासती इदारे अभी पूरी तरह वुजूद में नहीं आये थे और इनकी अलग-अलग शिनाख्त नहीं थी कि यह मुक़न्नाह (Legislature) है, यह अदलिया (Judiciary) है और यह इन्तज़ामिया (Executive) है। हज़रत अबु बकर रज़ि० के ज़माने में तो कोई क़ाज़ी थे ही नहीं। सबसे पहले हज़रत उमर रज़ि० ने शोबा-ए-क़ज़ा शुरू किया। तो रफ़्ता-रफ़्ता यह रियासती इदारे परवान चढ़े। जदीद दौर में इन तनाज़ात के हल का इदारा अदलिया है। वहाँ हर शख्स जाये और अपनी दलील पेश करे। उल्मा जायें, क़ानूनदान जायें और सब जाकर दलीलें दें। वहाँ से फ़ैसला हो जायेगा कि यह बात वाक़िअतन कुरान व सुन्नत से मुतसादिम है या नहीं।

“अगर तुम वाक़िअतन अल्लाह पर और यौमे
आखिर पर ईमान रखते हो।”

إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

“यही तरीक़ा बेहतर भी है और नताइज के
ऐतबार से भी बहुत मुफ़ीद है।”

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

आगे फिर मुनाफ़िक़ीन का तज़क़िरा शुरू हो रहा है। याद रहे कि मैंने आगाज़ में अर्ज़ किया था कि इस सूरह मुबारका का सबसे बड़ा हिस्सा मुनाफ़िक़ीन से ख़िताब और उनके तज़क़िरे पर मुशतमिल है।

आयत 60

“क्या तुमने ग़ौर नहीं किया उन लोगों की
तरफ़ जिनका दावा तो यह है कि वह ईमान
ले आये हैं उस पर भी जो (ऐ नबी ﷺ)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا
أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ

वह चीखते-चिल्लाते आये कि उमर ने हमारा आदमी मार डाला, हमें उसका क्रिसास दिलाया जाये।

“फिर वह आपके पास आये अल्लाह की कसमें खाते हुए”

ثُمَّ جَاءُوكَ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ

“कि हम तो सिर्फ़ भलाई और मुवाफ़क़त (अनुकूलन) चाहते थे।”

إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ﴿١٦﴾

हम तो उमर रज़ि० के पास महज़ इसलिये गये थे कि कोई मसालिहत और राज़ीनामा हो जाये।

आयत 63

“यह वह लोग हैं कि जो कुछ इनके दिलों में है अल्लाह उसे जानता है।”

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ

“तो (ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم!) आप इनसे चश्मपोशी कीजिये”

فَاعْرِضْ عَنْهُمْ

“और इनको ज़रा नसीहत कीजिये”

وَعَظُهُمْ

“और इनसे खुद इनके बारे में ऐसी बात कहिये जो उनके दिलों में उतर जाये।”

وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿١٧﴾

यह आयात नाज़िल होने के बाद रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ने हज़रत उमर रज़ि० को बरी करार दिया कि अल्लाह की तरफ़ से उनकी बराअत आ गई है, और उसी दिन से उनका लक़ब “फ़ारूक़” करार पाया, यानि हक़ और बातिल में फ़र्क़ कर देने वाला।

अब एक बात नोट कर लीजिये कि इस सूरह मुबारका में मुनाफ़क़त जो ज़ेरे बहस आई है वह तीन उन्वानात के तहत है। मुनाफ़िक़ों पर तीन चीजें बहुत भारी थीं, जिनमें से अब्वलीन रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم की इताअत थी। और यह बड़ी नफ़िसयाती बात है। एक इंसान के लिये दूसरे इंसान की इताअत बड़ा मुशिकल काम है। हम जो रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم की इताअत करते हैं तो रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم हमारे लिये एक इदारे (institution) की हैसियत

अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم मेरे हक़ में कर चुके हैं तो हज़रत उमर रज़ि० ने आव देखा ना ताव, तलवार ली और उस मुनाफ़िक़ की गर्दन उड़ा दी कि जो मुहम्मद रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم के फ़ैसले पर राज़ी नहीं है और उसके बाद मुझसे फ़ैसला करवाना चाहता है उसके हक़ में मेरा यह फ़ैसला है! इस पर उस मुनाफ़िक़ के खानदान वालों ने बड़ा बवाल मचाया वह चीखते-चिल्लाते हुए रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم की ख़िदमत में हाज़िर हुए और हज़रत उमर रज़ि० पर क़त्ल का दावा किया। उनका कहना था कि मक़तूल हज़रत उमर रज़ि० के पास यहूदी को लेकर इस वजह से गया था कि वह इस मामले में बाहम मसालिहत करा दें, उसके पेशे नज़र रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم के फ़ैसले से इंकार नहीं था। इस पर यह आयात नाज़िल हुई जिनमें असल हक़ीक़त ज़ाहिर फ़रमा दी गई।

“और शैतान चाहता है कि उन्हें बहुत दूर की गुमराही में डाल दे।”

وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٥٠﴾

आयत 61

“और जब उनसे कहा जाता है कि आओ उस चीज़ की तरफ़ जो अल्लाह ने नाज़िल फ़रमाई है और आओ रसूल की तरफ़”

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ

अपने मुक़दमात के फ़ैसले अल्लाह के रसूल صلی اللہ علیہ وسلم ले कराओ।

“तो (ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم!) आप देखते हैं कि यह मुनाफ़िक़ आपके पास आने से कन्नी कतराते हैं।”

رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿٥١﴾

يَصُدُّ के बारे में मैं अज़्र कर चुका हूँ कि यह रुकने के मायने में भी आता है और रोकने के भी मायने में भी।

आयत 62

“फिर उस वक़्त क्या हुआ जब उन पर कोई मुसीबत आ गयी उनके अपने हाथों के करतूतों की वजह से”

فَكَيفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ

हाज़िर हो जाते”

“और अल्लाह से इस्तग़फ़ार करते और रसूल भी उनके लिये इस्तग़फ़ार करते”

فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُولُ

“तो वह यक़ीनन अल्लाह को बड़ा तौबा कुबूल फ़रमाने वाला और रहम करने वाला पाते।”

لَوْ جَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿٣١﴾

आयत 65

“पस नहीं, आपके रब की क़सम! यह हरगिज़ मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि यह आपको हक़म (chief) ना मानें उन तमाम मामलात में जो उनके माबैन पैदा हो जायें”

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

इसमें उन्हें कोई इख़्तियार (choice) हासिल नहीं है। उनके माबैन जो भी नज़ाआत (विवाद) और इख़्तलाफ़ात हों उनमें अगर यह आपको हक़म नहीं मानते तो आपके रब की क़सम यह मोमिन नहीं हैं। कलामे इलाही का दो टूक और पुरजलाल अंदाज़ मुलाहिज़ा कीजिये।

“फिर जो कुछ आप फ़ैसला कर दें उस पर अपने दिलों में भी कोई तंगी महसूस ना करें”

ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ

अगर आप صلی اللہ علیہ وسلم का फ़ैसला कुबूल भी कर लिया, लेकिन दिल की तंगी और कदूरत के साथ किया तब भी यह मोमिन नहीं हैं।

“और सरे तस्लीम ख़म करें, जैसे कि सरे तस्लीम ख़म करने का हक़ है।”

وَيُسَلِّمُوا نَسْلِيًّا ﴿٣٢﴾

वाज़ेह रहे कि यह हुक़म सिर्फ़ रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم की ज़िन्दगी तक महदूद नहीं था, बल्कि यह क़यामत तक के लिये है।

आयत 66

“और अगर हमने उन पर यह फ़र्ज़ कर दिया होता कि क़त्ल करो अपने आपको”

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ

रखते हैं, रसूल صلی اللہ علیہ وسلم शख्सन हमारे सामने मौजूद नहीं है। जबकि उनके सामने रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم शख्सन मौजूद थे। वह देखते थे कि उनके भी दो हाथ हैं, दो पाँव हैं, दो आँखें हैं, लिहाज़ा बज़ाहिर अपने जैसे एक इंसान की इताअत उन पर बहुत शाक़ थी। जैसा कि जमातों में होता है कि अमीर की इताअत बहुत शाक़ गुज़रती है, यह बड़ा मुश्किल काम है। अमीर की राय पर चलने के लिये अपनी राय को पीछे डालना पड़ता है। जो सादिकुल ईमान मुसलमान थे उन्हें तो यह यक़ीन था कि यह मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह जिन्हें हम देख रहे हैं, हक़ीक़त में मुहम्मद रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم हैं और हम उनकी इसी हैसियत में उन पर ईमान लाये हैं। लेकिन जिनके दिलों में यह यक़ीन नहीं था या कमज़ोर था उनके लिये हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم की शख़्सी इताअत बड़ी भारी और बड़ी कठिन थी। यही वजह है कि बाज़ मौक़े पर वह कहते थे कि यह जो कुछ कह रहे हैं अपने पास से कह रहे हैं। क्यों नहीं कोई सूरत नाज़िल हो जाती? क्यों नहीं कोई आयत नाज़िल हो जाती? और सूरह मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم इसी अंदाज़ में नाज़िल हो हुई है। वह यह कहते थे कि मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم ने खुद अपनी तरफ़ से इक़दाम कर दिया है। इस पर अल्लाह ने कहा कि लो फिर हम क़िताल की आयत नाज़िल कर देते हैं। दूसरी चीज़ जो उन पर कठिन थी वह है क़िताल, यानि अल्लाह की राह में जंग के लिये निकलना। उनका हाल यह था कि "मरहले सख़्त हैं और जान अज़ीज़!" तीसरी कठिन चीज़ हिजरत थी। इसका इतलाक़ मुनाफ़िक़ीने मदीना पर नहीं होता था बल्कि मक्का और इर्द-गिर्द के जो मुनाफ़िक़ थे उन पर होता था। उनका ज़िक़ भी आगे आयेगा। ज़ाहिर है घर-बार और ख़ानदान वालों को छोड़ कर निकल जाना कोई आसान काम नहीं है। अब सबसे पहले इताअते रसूल صلی اللہ علیہ وسلم की अहमियत बयान की जा रही है:

आयत 64

"हमने नहीं भेजा किसी रसूल को मगर इसलिये कि उसकी इताअत की जाये अल्लाह के हुक्म से।"

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ
اللَّهِ

"और अगर वह, जबकि उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया था, आपकी ख़िदमत में

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ

की परस्तिश की थी उनको मुर्तद होने की जो सज़ा दी गई थी उसके लिये यही अल्फ़ाज़ आये थे: { فَأَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ } “पस क़त्ल करो अपने आपको।” इससे मुराद यह है कि तुम अपने-अपने क़बीले के उन लोगों को क़त्ल करो जिन्होंने कुफ़्र व शिर्क का इरतकाब किया है। मुनाफ़िक़ीन का मामला यह था कि उनकी हिमायत में अक्सरो बेशतर उनके ख़ानदान वाले, रिश्तेदार, उनके घराने वाले उनके साथ शामिल हो जाते थे। तो यहाँ शायद यह बताया जा रहा है कि बजाय इसके कि तुम उनकी हिमायत करो, तुम्हारा तर्ज़े अमल इसके बिल्कुल बरअक्स होना चाहिये, कि तुम अपने अंदर से खुद देखो कि कौन मुनाफ़िक़ हैं जो असल में आस्तीन के साँप हैं। अगरचे अल्लाह तआला ने तुम्हें यह हुक्म नहीं दिया, मगर वह यह हुक्म भी दे सकता था कि हर घराना अपने यहाँ के मुनाफ़िक़ीन को खुद क़त्ल करे। यह तो हज़रत उमर रज़ि० ने अपनी ग़ैरते ईमानी की वजह से उस मुनाफ़िक़ को क़त्ल किया था, जबकि उस मुनाफ़िक़ के ख़ानदान के लोग हज़रत उमर रज़ि० पर क़त्ल का दावा कर रहे थे। अगर अल्लाह तआला यह हुक्म देता तो यह भी तुम्हें करना चाहिये था, लेकिन यह अल्लाह के इल्म में है कि तुममें से बहुत कम लोग होते जो इस हुक्म की तामील करते। और अगर वह यह कर गुज़रते तो यह उनके हक़ में बेहतर होता है और उनके सबाते क़ल्बी (स्थिर दिल) और सबाते ईमानी (स्थिर ईमान) का बाइस होता। इस सूरत में अल्लाह तआला उन्हें ख़ास अपने पास से अजरे अज़ीम अता फ़रमाता और उन्हें सिराते मुस्तक़ीम की हिदायत अता फ़रमाता।

अब जो आयत आ रही है यह इताअते रसूल عليه وسلم के मौजू पर कुरान हकीम की अज़ीम तरीन आयत है। फ़रमाया:

आयत 69

“और जो कोई इताअत करेगा अल्लाह की और रसूल عليه وسلم की तो यह वह लोग होंगे जिन्हें मर्डयत (साथ) हासिल होगी उनकी जिन पर अल्लाह का ईनाम हुआ”

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

“यानि अम्बिया किराम, सिद्दीक़ीन, शोहदा

مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصّٰلِحِينَ وَالشُّهَدَاءِ

“या निकलो अपने घरों से”

أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ

“तो यह इसकी तामील ना करते सिवाय इनमें से चंद एक को”

مَا فَعَلُوا إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ

“और अगर यह लोग वह करते जिसकी इनको नसीहत की जा रही है”

وَأُولَئِكَ هُمُ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ

इसका तर्जुमा इस तरह भी किया गया है: “और अगर यह लोग वह करते जिसकी इन्हें हिदायत की जाती” यानि अपने आपको क़त्ल करना और अपने घरों से निकल खड़े होना।

“तो यही इनके लिये बेहतर होता और इन्हें दीन पर साबित क़दम रखने वाला होता”

لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيثًا ⑩

आयत 67

“और इस सूरात में हम इन्हें अपने पास से बहुत बड़ा अजर देते”

وَإِذَا لَا تَأْتِيَنَّهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرٌ عَظِيمًا ⑪

आयत 68

“और इन्हें हिदायत फ़रमा देते सीधी राह की तरफ़ा”

وَأَلْهَدِيَنَّهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ⑫

अक्सर मुफ़स्सरीन ने इस आयत के अल्फ़ाज़ को इनके ज़ाहिरी मायने पर महमूल किया (समझा) है। यानि अगर अल्लाह तआला हुक्म दे कि अपने आपको क़त्ल करो, खुदकुशी करो, तो हमें यह करना होगा। अगर अल्लाह तआला हुक्म दे कि अपने घरों से निकल जाओ तो निकलना होगा। अल्लाह तआला हमारा ख़ालिक व मालिक है। उसकी तरफ़ से दिया गया हर हुक्म वाजिबुल तामील है। अलबत्ता { اِنْ اَنْفُسَكُمْ } के अल्फ़ाज़ में एक मज़ीद इशारा भी मालूम होता है। सूरतुल बक्ररह (आयत:54) में हम तारीख़ बनी इस्राईल के हवाले से पढ़ आये हैं कि बनी इस्राईल में से जिन लोगों ने बछड़े

यानि कौन किस इस्तअदाद (क्षमता) का हामिल है और किस क़दर व मन्ज़िलत का मुस्तहिक़ है, अल्लाह ख़ूब जानता है। हकीक़त जानने के लिये बस अल्लाह ही का इल्म काफ़ी है।

आयात 71 से 76 तक

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انفِرُوا جَمِيعًا ﴿٧١﴾ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لِيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ﴿٧٢﴾ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يُلَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧٣﴾ فَلْيَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٧٤﴾ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلِهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٧٦﴾

अब ज़िक्र आ रहा है क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह का। यह दूसरी चीज़ थी जो मुनाफ़िक़ीन पर बहुत भारी थी। माही ऐतबार से यह बड़ा सख़्त इम्तिहान था। इताअते रसूल ﷺ ज़्यादातर एक नफ़िसयाती मरहला था, एक नफ़िसयाती उलझन थी, लेकिन अपना माल ख़र्च करना और अपनी जान को ख़तरे में डालना एक ख़ालिस महसूस माही शय थी।

आयात 71

“ऐ अहले ईमान, अपने तहफ़ुज़ का सामान (और अपने हथियार) संभालो”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ

और सालेहीन।”

وَالصَّالِحِينَ

“और क्या ही अच्छे हैं यह लोग रफ़ाक़त के लिये।”

وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴿١٦﴾

यानि अल्लाह और उसके रसूल صلی اللہ علیہ وسلم की इताअत करने वालों का शुमार उन लोगों के जुमरे में होगा जिन पर अल्लाह ने ईनाम फ़रमाया है। सूरह फ़ातिहा में हमने यह अल्फ़ाज़ पढ़े थे: { إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ } आयत ज़ेरे मुताअला “أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ” की तफ़सीर है। इन मरातिब को ज़रा समझ लीजिये। सालेह मुसलमान गोया baseline पर है। वह एक नेक नीयत मुसलमान है जिसके दिल में खुलूस के साथ ईमान है। वह अल्लाह और रसूल صلی اللہ علیہ وسلم के अहकाम पर अमल कर रहा है, मुहर्रमात से बचा हुआ है। वह इससे ऊपर उठेगा तो एक ऊँचा दर्जा शोहदा का है, इससे बुलंदतर दर्जा सिद्दीक़ीन का है और बुलंद तरीन दर्जा अम्बिया का है। इस बुलंद तरीन दर्जे पर तो कोई नहीं पहुँच सकता, इसलिये की वह कोई कस्बी चीज़ नहीं है, वह तो एक वहबी चीज़ थी, जिसका दरवाज़ा भी बंद हो चुका है। अलबत्ता मर्तबा सालेहात से बुलंदतर दर्जे अभी मौजूद हैं कि इंसान अपनी हिम्मत, मेहनत और कोशिश से शहादत और सिद्दीक़ियत के मरातिब पर फ़ाइज़ हो सकता है। यह मज़मून इन्शा अल्लाह सूरतुल हदीद में पूरी वज़ाहत के साथ बयान होगा।

आयत 70

“यह फ़ज़ल है अल्लाह की तरफ़ से”

ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ

यह अल्लाह तआला का बड़ा फ़ज़ल है उन पर कि जिन्हें आख़िरत में अम्बिया किराम, सिद्दीक़ीन अज़ाम, शोहदा और सालेहीन की मईयत हासिल हो जाये। इसके लिये दुआ करनी चाहिये: وَ تَوْفَّنَا مَعَ الْأَكْبَرِ। ऐ अल्लाह हमें मौत दीजियो अपने वफ़ादार नेकोकार बंदों के साथ!

“और अल्लाह काफ़ी है हर शय के जानने के लिये।”

وَكَلْفِي بِاللَّهِ عَلِيمًا ﴿١٧﴾

“तो उस वक़्त वह फिर (हसरत के साथ) कहेगा, जैसे तुम्हारे और उसके दरमियान मोहब्बत का कोई ताल्लुक़ था ही नहीं”

لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ

ऐ काश कि मैं भी इनके साथ गया होता तो यह बड़ी कामयाबी मुझे भी हासिल हो जाती।”

⊕ يَلَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا

यह मुनाफ़िक़ीन का किरदार था जिसका यहाँ नक़शा खींच दिया गया है।

आयत 74

“पस अल्लाह की राह में क़िताल करना चाहिये उन लोगों को जो दुनिया की ज़िन्दगी को आख़िरत के एवज़ फ़रोख़्त करने के लिये तैयार हैं।”

فَلْيَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ

जो लोग यह तय कर चुके हों कि हमने दुनिया की ज़िन्दगी के बदले में आख़िरत कुबूल की, उनके लिये तो क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये। अगर उन्होंने वाक़ई यह सौदा अल्लाह से किया है तो फिर उन्हें अल्लाह की राह में जंग के लिये निकलना चाहिये।

“और जो कोई भी अल्लाह की राह में क़िताल करेगा, तो ख़्वाह वह मारा जाये या ग़ालिब हो”

وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ

अल्लाह की राह में क़िताल करने वाले के लिये दो ही इस्कानात हैं, एक यह कि वह क़ल्ल होकर मर्तबा-ए-शहादत पर फ़ाइज़ हो जाये और दूसरे यह कि वह दुश्मन पर ग़ालिब रहे और फ़तहमंद होकर वापस आये।

“हम उसे (दोनों हालतों में) बहुत बड़ा अजर अता फ़रमायेंगे।”

فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

अगली आयत में ख़ासतौर पर उन मुसलमानों की नुसरत व हिमायत के लिये क़िताल के लिये तरगीब दिलाई जा रही है जो मुख्तलिफ़ इलाकों में फँसे हुए थे। उनमें कमज़ोर भी थे, बीमार और बूढ़े भी थे, ख्वातीन और बच्चे भी थे।

“और (जिहाद) के लिये) निकलो, ख्वाह टुकड़ियों की सूरत में ख्वाह फ़ौज की शकल में।”

فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ اَنْفِرُوا جَمِيعًا ④

यानि जैसा मौका हो उसके मुताबिक अलग-अलग दस्तों की शकल में या इकट्ठे फ़ौज की सूरत में निकलो। रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم मौके की मुनास्बत से कभी छोटे-छोटे गुप भेजते थे। जैसे ग़जवा-ए-बद्र से क़बूल आप صلی اللہ علیہ وسلم ने आठ मुहिमें रवाना फ़रमाई, जबकि ग़जवा-ए-बद्र और ग़जवा-ए-ओहद में आप صلی اللہ علیہ وسلم पूरी फ़ौज लेकर निकले।

“और तुममें से कुछ लोग ऐसे हैं जो देर लगा देते हैं”

وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيَبْتَئِنَّ

हुकम हो गया है कि जिहाद के लिये निकलना है, फ़लाँ वक्त कूच होगा, लेकिन वह तैयारी में ढील बरत रहे हैं और फिर बहाना बना देंगे कि बस हम तो तैयारी कर ही रहे थे अब निकलने ही वाले थे। और वह मुन्तज़िर रहते हैं कि जंग का फ़ैसला हो जाये तो उस वक़्त हम कहेंगे कि हम बस निकलने ही वाले थे कि यह फ़ैसला हमको पहुँच गया।

“फ़िर अगर तुम्हें कोई मुसीबत पेश आ जाये”

فَإِنْ أَصَابَكُمْ مُصِيبَةٌ

अगर जंग के लिये निकलने वाले मुसलमानों को कोई तकलीफ़ पेश आ जाये, कोई ग़ज़न्द पहुँच जाये, वक़्ती तौर पर कोई हज़ीमत (हार) हो जाये।

“तो वह कहेगा कि मुझ पर तो अल्लाह ने बड़ा ईनाम किया कि मैं उनके साथ शरीक नहीं हुआ।”

قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ

شَهِيدًا ⑤

आयत 73

“और अगर तुम्हें कोई फ़ज़ल पहुँच जाये अल्लाह की तरफ़ से”

وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ

यानि तुम्हें फ़तह हो जाये और तुम कामरानी के साथ माले ग़नीमत लेकर वापस आओ।

अहले ईमान का फ़र्ज़ यह है कि पहले अपने घर को दुरुस्त करो, पहले अपने मुल्क के अंदर इस्लाम क़ायम करो लिहाज़ा जिहाद करना है तो यहाँ करो, जानें देनी है तो यहाँ दो। यहाँ पर तागूत की हुकूमत है, ग़ैरुल्लाह की हुकूमत है, कुरान के सिवा कोई और क़ानून चल रहा है, जबकि अल्लाह तआला का (सूरतुल मायदा, आयत 44, 45 व 47 में) यह फ़रमान है:

“और जो लोग अल्लाह के नाज़िल करदा क़ानून के मुताबिक़ फ़ैसले नहीं करते वही तो काफ़िर हैं, वही तो ज़ालिम हैं, वही तो फ़ासिक़ हैं।”

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْكٰفِرُونَ ﴿٣٧﴾... فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
﴿٣٨﴾... فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿٣٩﴾

चुनाँचे काफ़िर, ज़ालिम और फ़ासिक़ तो हम खुद हैं। हमें पहले अपने घर की हालत दुरुस्त करनी होगी। इसके बाद एक जामियत क़ायम होगी। हमारी हुकूमत तो उन लोगों से दोस्तियाँ करती फिरती है जिनके ख़िलाफ़ यहाँ जिहाद का नारा बुलंद हो रहा है, जिसमें जाने दी जा रहीं हैं। तो यह आयत अपनी जगह है। हर चीज़ को उसके सयाक़ व सबाक़ (सन्दर्भ) के अंदर रखनी चाहिये।

आयत 76

“जो लोग ईमान वाले हैं वह क़िताल करते हैं अल्लाह की राह में”

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“और जो लोग काफ़िर हैं वह तागूत की राह में क़िताल कर रहे हैं”

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ
الطَّٰغُوتِ

जंग तो वह भी कर रहे हैं, जानें वह भी दे रहे हैं। अबु जहल भी तो लश्कर लेकर आया था। उनकी सारी जद्दो-जहद तागूत की राह में है।

“तो तुम जंग करो शैतान के साथियों से”

فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطٰنِ

तुम शैतान के हिमायतियों से, हिज़बुल शैतान से क़िताल करो।

“यक़ीनन शैतान की चाल बड़ी कमज़ोर है।”

إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٥٠﴾

यह लोग ईमान तो ले आये थे लेकिन हिजरत के क़ाबिल नहीं थे। यह अपने-अपने इलाक़ों में और अपने-अपने क़बीलों में थे और वहाँ उन पर जुल्म हो रहा था, उन्हें सताया जा रहा था, उन्हें तशद्दुद व ताज़ीब का निशाना बनाया जा रहा था। तो ख़ासतौर से उनकी मदद के लिये निकलना उनकी जान छुड़ाना और उनको बचा कर ले आना, ग़ैरते ईमानी का बहुत ही शदीद तक्राज़ा है, बल्कि यह ग़ैरते इंसानी का भी तक्राज़ा है। चुनाँचे फ़रमाया:

आयत 75

“और तुम्हें क्या हो गया है कि तुम क़िताल नहीं करते अल्लाह की राह में”

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“और उन बेवस मर्दों, औरतों और बच्चों की ख़ातिर जो मग़लूब बना दिये गये हैं”

وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ

“जो हुआ कर रहे हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमें निकाल इस बस्ती से जिसके रहने वाले लोग ज़ालिम हैं”

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا

“और हमारे लिये अपने पास से कोई हिमायती बना दे और हमारे लिये ख़ास अपने फ़ज़ल से कोई मददगार भेज दे।”

وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

उनकी यह आह व बका तुम्हें आमदा पैकार क्यों नहीं कर रही? उन पर जुल्म हो रहा है, उन पर सितम ढाये जा रहे हैं और तुम्हारा हाल यह है कि तुम अपने घरों से निकलने को तैयार नहीं हो? बाज़ लोग इस आयत का इन्तबाक़ उन मुख्तलिफ़ क्रिस्म के सियासी जिहादों पर भी कर देते हैं जो कि आज-कल हमारे यहाँ जारी हैं और उन पर “जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह” का लेबल लगाया जा रहा है। लेकिन यह बात बिल्कुल ही क़यास मअल फ़ारुक़ है। वाज़ेह रहे कि यह ख़िताब उन अहले ईमान से हो रहा है जिनके यहाँ इस्लाम क़ायम हो चुका था। हम अपने मुल्क में इस्लाम क़ायम कर नहीं सकते। यहाँ पर दीन के ग़ल्बे व इक़ामत की कोई जद्दो-जहद नहीं कर रहे। हमारे यहाँ कुफ़्र का निज़ाम चल रहा है। इसके मुखातिब अहले ईमान हैं, और

مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿٧٧﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْزِيَكُمْ
إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴿٧٨﴾

आयत 77

“तुमने देखा नहीं उन लोगों को जिनसे कहा गया था कि अपने हाथ रोके रखो और नमाज़ कायम करो और ज़कात दो?”

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

मक्का मुकर्रमा में बारह बरस तक मुसलमानों को यही हुक्म था कि अपने हाथ बंधे रखो। उस दौर में मुसलमानों पर जुल्मो सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, उन्हें बहुत बुरी तरह सताया जा रहा था, तशद्दुत व ताज़ीब की नई तारीख़ रक़म की जा रही थी। इस पर मुसलमान का खून खौलता था और बहुत से मुसलमान यह चाहते थे कि हमें इजाज़त दी जाये तो हम अपने भाईयों पर होने वाले इस जुल्म व सितम का बदला लें, आख़िर हम नामर्द नहीं हैं, बेग़ैरत नहीं हैं, बुज़दिल नहीं हैं। लेकिन उन्हें हाथ उठाने की इजाज़त नहीं थी। यह मन्हेजे इन्क़लाबे नबवी صلی اللہ علیہ وسلم का “सब्रे महज़” का मरहला था उस वक़्त हुक्म यह था कि अपने हाथ रोके रखो।

नग़मा है बुलबुल शौरीदा तेरा ख़ाम अभी
अपने सीने में इसे और ज़रा थाम अभी

एक वक़्त आयेगा कि तुम्हारे हाथ खोल दिये जायेंगे।

यहाँ सवाल पैदा होता है कि { أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ } फ़अल मजहूल है। यह कहा किसने था? मक्की कुरान में तो “كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ” का हुक्म मौजूद नहीं है। यह हुक्म था मुहम्मद रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم का। हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم ने अहले ईमान को हाथ उठाने से रोका था। यह आयत सूरतुन्निसा में नाज़िल हो रही है जो मदनी है। कि उस वक़्त भी वह रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم का हुक्म था, जिसको अल्लाह ने अपना हुक्म करार दिया। गोया यह अल्लाह ही की तरफ़ से था। वहिये जली तो यह कुरान है। इसके अलावा नबी अकरम صلی اللہ علیہ وسلم पर वहिये ख़फ़ी भी नाज़िल होती थी। तो यह भी हो सकता है कि अल्लाह ने मक्की दौर में वहिये ख़फ़ी के ज़रिये रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم को यह हुक्म दिया हो

शैतान की चाल बज़ाहिर बड़ी ज़ोरदार बड़ी बारौब दिखाई देती है, लेकिन जब मर्दे मोमिन उसके मुक्काबिल खड़े हो जायें तो फिर मालूम हो जाता है कि बड़ी बोदी और फुसफुसी चाल है।

आयात 77 से 87 तक

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٧﴾ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يُودِرِكُمْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشِيدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٧٨﴾ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٧٩﴾ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿٨٠﴾ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبْهِتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٨١﴾ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسُكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفِكَ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿٨٤﴾ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا ﴿٨٥﴾ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ

आयत 78

“तुम जहाँ कहीं भी होगे मौत तुमको पा लेगी”

إِنَّ مَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ

ज़ाहिर है जिहाद से जी चुराने का असल सबब मौत का ख़ौफ़ था। चुनाँचे उनके दिलों के अंदर जो ख़ौफ़ था उसे ज़ाहिर किया जा रहा है। उन पर वाज़ेह किया जा रहा है कि मौत से कोई मफ़र (शरण) नहीं, तुम जहाँ कहीं भी होगे मौत तुम्हें पा लेगी।

“ख़्वाह तुम बड़े मज़बूत क़िलों के अंदर ही हो।”

وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ

अगरचे तुम बहुत मज़बूत (fortified) क़िलों के अंदर अपने आप को महसूर (क़ैद) कर लो। फिर भी मौत से नहीं बच सकते।

“और अगर उन्हें कोई भलाई पहुँचती है तो कहते हैं यह अल्लाह की तरफ़ से है।”

وَإِنْ تُصِيبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ

اللَّهِ

मुनाफ़िक़ीन का एक तर्ज़े अमल यह भी था कि अगर मुसलमानों को कोई कामयाबी हासिल हो जाती, फ़तह नसीब हो जाती, कोई और भलाई पहुँच जाती, हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم की तदबीर के अच्छे नतीजे निकल आते तो उसे हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم की तरफ़ मन्सूब नहीं करते थे, बल्कि कहते थे कि यह अल्लाह का फ़ज़ल व करम हुआ है, यह सब अल्लाह की तरफ़ से है।

“और अगर उन्हें कोई तकलीफ़ पहुँच जाये तो कहते हैं कि (ऐ मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم) यह आपकी वजह से है।”

وَإِنْ تُصِيبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ

عِنْدِكَ

आप صلی اللہ علیہ وسلم ने यह गलत इक़दाम (अंदाज़ा) किया तो उसके नतीजे में हम पर यह मुसीबत आ गई। यह आपका फ़ैसला था कि खुले मैदान में जाकर जंग करेंगे, हमने तो आपको मशवरा दिया था कि मदीने के महसूर होकर जंग करें।

“कह दीजिये सब कुछ अल्लाह ही की तरफ़ से है।”

قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ

जो यहाँ नक़ल हुआ है और यह भी हो सकता है कि यह हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم का अपना इज्तेहाद हो जिसे अल्लाह ने बरकरार रखा हो, उसे कुबूल (own) किया हो।

अब यह बात यहाँ महज़ूफ़ है कि उस वक़्त तो कुछ लोग बड़ जोश व जज़्बे से और बड़े ज़ोर-शोर से कहते थे कि हमें इजाज़त होनी चाहिये कि हम जंग करें, लेकिन अब क्या हाल हुआ:

“तो उनमें से एक फ़रीक़ का हाल यह है कि वह लोगों से इस तरह डर रहे हैं जैसे अल्लाह से डरना चाहिये, बल्कि उससे भी ज़्यादा डर रहे हैं।”

فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً

ज़ाहिर बात है कि यह मक्के के मुहाजरीन नहीं थे, बल्कि यह हाल मुनाफ़िक़ीने मदीना का था, लेकिन फ़र्क़ व तफ़ावुत वाज़ेह करने के लिये मक्की दौर की कैफ़ियत से तक्राबुल किया गया कि असल ईमान तो वह था, और यह जो सूरते हाल है यह कमज़ोरी-ए-ईमान और निफ़ाक़ की अलामत है।

“और वह कहते हैं परवरदिगार! तूने हम पर जंग क्यों फ़र्ज़ कर दी?”

وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ

“क्यों ना अभी हमें कुछ और मोहलत दी?”

لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ

इस हुक़म को कुछ देर के लिये मज़ीद मुअख़र क्यों ना किया?

“(ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم!) कह दीजिये दुनिया का साज़ो सामान बहुत थोड़ा है।”

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ

“और आख़िरत बहुत बेहतर है उसके लिये जो तक्रवा की रविश इख़्तियार करे”

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ

“और तुम पर एक धागे के बराबर भी जुल्म नहीं होगा।”

وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۝

तुम्हारी हक़ तल्फ़ी क़तअन नहीं होगी और तुम्हारे जो भी आमाल हैं, इन्फ़ाक़ है, क़िताल है, अल्लाह की राह में ईसार (त्याग) है, उसका तुम्हें भरपूर अजर व सवाब दे दिया जायेगा।

आ जाये तो वह आपकी तरफ से है! यानि क्या बात यह कह रहे हैं! जबकि अल्लाह ने तो आपको रसूल बना कर भेजा है। इसकी यह दो ताबीरें हैं। मेरे नज़दीक पहली ताबीर राजेह है।

“और अल्लाह तआला काफ़ी है गवाह के तौर पर।”

وَ كَفَىٰ بِاللّٰهِ شَهِيدًا ۝۳

आयत 80

“जिसने इताअत की रसूल की उसने इताअत की अल्लाह की।”

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

यह टुकड़ा बहुत अहम है। इसलिये कि यह दो टूक अंदाज़ में वाज़ेह कर रहा है कि रसूल صلی اللہ علیہ وسلم की इताअत दरहक़ीक़त अल्लाह की इताअत है। इसकी मज़ीद वज़ाहत के लिये यह हदीस मुलाहिज़ा कीजिये। हज़रत अबु हु़रैरा रज़ि० से रिवायत है कि रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ने इर्शाद फ़रमाया:

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ. وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي. وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي

“जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की और जिसने मेरी नाफ़रमानी की उसने अल्लाह की नाफ़रमानी की। और जिसने मेरे (मुक़र्रर करदा) अमीर की इताअत की उसने मेरी इताअत की और जिसने मेरे (मुक़र्रर करदा) अमीर की नाफ़रमानी की उसने मेरी नाफ़रमानी की।”

रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم की सारी जद्दो-जहद जमाअती नज़्म के तहत हो रही थी। जिहाद व क़िताल के लिये फ़ौज तैयार होती तो इसमें ऊपर से नीचे तक समअ व इताअत की एक ज़ंजीर बनती चली जाती। रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم कमांडर एंड चीफ़ थे, आप صلی اللہ علیہ وسلم लश्कर के मैमना, मैसरह, क़ल्ब और अक़ब वगैरह पर, हरावल दस्ते पर अलग-अलग कमांडर मुक़र्रर फ़रमाते। उन अमीरों (कमांडरों) के बारे में आप صلی اللہ علیہ وسلم ने फ़रमाया कि जिसने मेरे मुक़र्रर करदा अमीर की इताअत की उसने मेरी इताअत की, और जिसने मेरे मुक़र्रर करदा अमीर की नाफ़रमानी की उसने मेरी नाफ़रमानी की।

यह सब चीजें, ख़ैर हो, शर हो, तकलीफ़ हो, आसानी हो, मुश्किल हो, जो भी सूरतें हैं सब अल्लाह की तरफ़ से हैं।

“तो इन लोगों को क्या हो गया है कि यह कोई बात भी नहीं समझते!”

فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ

حَدِيثًا ④

आयत 79

“(ऐ मुसलमान!) तुझे जो भलाई भी पहुँचती है वह अल्लाह की तरफ़ से पहुँचती है, और जो मुसीबत तुझ पर आती है वह खुद तेरे नफ़्स की तरफ़ से है।”

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ

इस आयत के बारे में मुफ़स्सिरीन ने मुख्तलिफ़ अक़वाल नक़ल किये हैं। मेरे नज़दीक राजेह (सबसे सही) क़ौल यह है कि यहाँ तहवीले ख़िताब है। पहली आयत में ख़िताब उन मुसलमानों को जिनकी तरफ़ से कमज़ोरी या निफ़ाक़ का इज़हार हो रहा था, लेकिन इस आयत में बहैसियते मज्मुई ख़िताब है कि देखो ऐ मुसलमानों! जो भी कोई ख़ैर तुम्हें मिलता है उस पर तुम्हें यही कहना चाहिये कि यह अल्लाह की तरफ़ से है और कोई शर पहुँच जाये तो उसे अपने कसब (कमाई) व अमल का नतीजा समझना चाहिये। अगरचे हमारा ईमान है कि ख़ैर भी अल्लाह की तरफ़ से है और शर भी। “ईमाने मुफ़स्सल” में अल्फ़ाज़ आते हैं: “وَالْقَدْرِ حَيْرٌ وَمَشْرَبٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى” लेकिन एक मुसलमान के लिये सही तर्ज़े अमल यह है कि ख़ैर मिले तो उसे अल्लाह का फ़ज़ल समझे। और अगर कोई ख़राबी हो जाये तो समझे कि यह मेरी किसी ग़लती के सबब हुई है, मुझसे कोई कोताही हुई है, जिस पर अल्लाह तआला ने कोई तादीब (correction) फ़रमानी चाही है।

“और (ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم) हमने आपको तो लोगों के लिये रसूल बना कर भेजा है।”

وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا

इस मक़ाम के बारे में एक क़ौल यह भी है कि दरमियानी टुकड़े में भी ख़िताब तो रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ही से है, लेकिन इस्तजाब के अंदाज़ में कि अच्छा! जो कुछ उन्हें ख़ैर मिल जाये वह तो अल्लाह की तरफ़ से है और जो कोई बुराई

अरसे तक चश्मपोशी की गई और फिर ग़ज़वा-ए-तबूक के बाद रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ने उन पर गिरफ्त शुरू की। फिर वह वक़्त आ गया कि अब तक उनकी शरारतों पर जो पर्दे पड़े रहे थे वह पर्दे उठा दिये गये।

“और आप अल्लाह पर तवक्कुल कीजिये।”

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

“और अल्लाह काफ़ी है भरोसे के लिये।”

وَكَفَى بِاللَّهِ وَكَيْلًا ⑩

आप صلی اللہ علیہ وسلم को सहारे के लिये अल्लाह काफ़ी है। उनकी सारी रेशादवानियाँ, यह मशवरे, यह साज़िशें, सब पादर हवा हो जायेंगी, आप फ़िक्र ना कीजिये।

आयत 82

“क्या यह कुरान पर तदब्बुर नहीं करते?”

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ

यह कुरान पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं, लेकिन इस पर ग़ौरो फ़िक्र नहीं करते। नमाज़ें तो वह पढ़ते थे। उस वक़्त जो भी मुनाफ़िक्र था उसे नमाज़ तो पढ़नी पड़ती थी, वरना उसको मुसलमान ना माना जाता। आज तो मुसलमान माने जाने के लिये नमाज़ ज़रूरी नहीं है, उस वक़्त तो ज़रूरी थी। बल्कि रईसुल मुनाफ़िक्रीन अब्दुल्लाह बिन उबई तो पहली सफ़ में होता था और जुमे के रोज़ तो खासतौर पर खुल्बे से पहले खड़े होकर ऐलान करता था कि लोगों इनकी बात तवज्जोह से सुनो, यह अल्लाह के रसूल हैं। गोया अपनी चौधराहट के इज़हार के लिये यह अंदाज़ इख़्तियार करता। तो वह नमाज़े पढ़ते थे, कुरान सुनते थे, लेकिन कुरान पर तदब्बुर नहीं करते थे। कुरान उनके सिरों के ऊपर से गुज़र रहा था। या उनके एक कान से दाख़िल होकर दूसरे कान से निकल जाता था।

“अगर यह अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता तो इसमें वह बहुत से तज़ादात (इख़्तिलाफ़) पाते।”

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ

اِخْتِلَافًا كَثِيرًا ⑪

इस पर ग़ौर करो, यह बहुत मरबूत (वर्णन किया हुआ) कलाम है। इसका पूरा फ़लसफ़ा मन्तक़ी तौर पर बहुत मरबूत है, इसके अंदर कहीं कोई तज़ाद नहीं है।

“और जिसने रूगरदानी की तो हमने आपको وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۝
उन पर निगरान बना कर नहीं भेजा है।”

ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم! हमने आपको इन पर दरोगा मुकर्रर नहीं किया। अपने तर्जें अमल के यह खुद ज़िम्मेदार और जवाबदेह हैं और अल्लाह तआला के हुज़ूर पेश होकर यह उसके मुहासबे का खुद सामना कर लेंगे।

आयत 81

“और कहते हैं कि सरे तस्तीम ख़म है” وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ

इन मुनाफ़िकों का यह हाल है कि आपके सामने तो कहते हैं कि हम मुतीअ फ़रमान हैं, आप صلی اللہ علیہ وسلم ने जो फ़रमाया कुबूल है, हम उस पर अमल करेंगे।

“फिर जब आपके पास से हटते हैं तो उनमें से فَإِذَا بَرَأُوا مِنَٰ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ
एक गिरोह आपस में ऐसे मशवरे करता है जो عَيَرَ الدِّينَ تَقْوُلُ
उनको अपने क़ौल के ख़िलाफ़ है।”

जाकर ऐसे मशवरे आपस में शुरू कर देता है जो ख़िलाफ़ है इसके जो वह वहाँ कह कर गये हैं। सामने वह हो गई बाद में जाकर जो है रेशादवानी, साज़िश।

“और अल्लाह लिख रहा है जो भी वह मशवरे وَاللّٰهُ يَكْتُبُ مَا يَبْئُتُونَ
करते हैं”

“तो (ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم) आप इनसे चश्मपोशी فَاعْرِضْ عَنْهُمْ
कीजिये”

आप इनकी परवाह ना कीजिये, यह आपको कोई नुक़सान नहीं पहुँचा सकेंगे। अभी इनके ख़िलाफ़ इक़दाम करना ख़िलाफ़े मस्लहत है। जैसे एक दौर में फ़रमाया गया: { فَاغْفُورًا وَاَصْفُورًا } (अल् बक्ररह:109) यानि इन यहूदियों को ज़रा नज़रअंदाज़ कीजिये, अभी इनकी शरारतों पर तकफ़ीर ना कीजिये, जो कुछ यह कह रहे हैं उस पर सन्न कीजिये, इसलिये कि मस्लहत का तक्काज़ा है कि अभी यह महाज़ ना खोला जाये। इसी तरह यहाँ मुनाफ़िक़ीन के बारे में कहा गया कि अभी इनसे ऐराज़ कीजिये। चुनाँचे उनकी रेशादवानियों से कुछ

आयत 84

“पस (ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم) आप जंग करे अल्लाह की राह में!”

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

क्रिताल के ज़िम्न में यह कुरान मजीद की ग़ालिबन सख़्त तरीन आयत है, लेकिन इसमें सख़्ती लफ़्ज़ी नहीं, मायनवी है।

“आप पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं है सिवाय अपनी ज़ात के”

لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ

“अलबत्ता अहले ईमान को आप इसके लिये उकसाएँ।”

وَ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ

आप صلی اللہ علیہ وسلم अहले ईमान को क्रिताल फ़ी सबीलिल्लाह के लिये जिस क़दर तरगीब व तशवीक़ दे सकते हैं दीजिये। उन्हें इसके लिये जोश दिलायें, उभारिये। लेकिन अगर कोई और नहीं निकलता तो अकेले निकलिये जैसे हज़रत अबु बकर रज़ि० का क़ौल भी नक़ल हुआ है जब उनसे कहा गया कि मानीने ज़कात (ज़कात ना देने वालों) के बारे में नर्मी कीजिये तो आप रज़ि० ने फ़रमाया था कि अगर कोई मेरा साथ नहीं देगा तो मैं अकेला जाऊँगा, अज़मियत का यह आलम है! तो ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم आपको तो यह काम करना है, आपका तो यह फ़र्ज़े मन्सबी है। आपको हमने भेजा ही इसलिये है कि रूए अरज़ी पर अल्लाह के दीन को ग़ालिब कर दें।

“बईद (दूर) नहीं कि अल्लाह तआला जल्द ही इन काफ़िरों की कुव्वत को रोक दे।”

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفِكَ بِأَسْ الذِّينَ كَفَرُوا

कुफ़्रार व मुशरिकीन की जंगी तैयारियाँ हो रही हैं, बड़ी चलत-फिरत हो रही है, यह तो कुछ अरसे की बात है वह वक़्त बस आया चाहता है कि उनमें दम नहीं रहेगा कि आपका मुक़ाबला करें। और वह वक़्त जल्द ही आ गया कि मुशरिकीन की कमर टूट गई। सूरतुन्निसा की यह आयत चार हिजरी में नाज़िल हुई और पाँच हिजरी में ग़ज़वा-ए-अहज़ाब पेश आया। जिसके बाद मुहम्मद रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ने अहले ईमान से फ़रमाया कि ((لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا ولكنكم تغزونهم)) “इस साल के बाद कुरैश तुम पर हमलावर होने की जुर्रत नहीं करेंगे, बल्कि अब तुम उन पर हमलावर होगे।”

आयत 83

“और जब उनके पास कोई खबर पहुँचती है अमन की या खतरे की तो वह उसे फैला देते हैं।”

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ
أَذَاعُوا بِهِ

मुनाफ़िकों की एक रविश यह भी थी कि ज्यों ही कोई इत्मिनान बख़्श या खतरनाक खबर सुन पाते उसे लेकर फैला देते। कहीं से खबर आ गई कि फ़लाँ कबीला चढ़ाई करने की तैयारी कर रहा, उसकी तरफ़ से हमले का अंदेशा है तो वह फ़ौरन उसे आम कर देते, ताकि लोगों में ख़ौफ़ व हरास (गिरावट) पैदा हो जाये। “إِدَاعَةٌ” का लफ़्ज़ आज-कल नश्रियाति (broadcasting) इदारों के लिये इस्तेमाल होता है और “مِدْيَاعٌ” रेडियो सेट को कहा जाता है।

“और अगर वह उसको रसूल صلی اللہ علیہ وسلم और अपने ऊलुल अम्र के सामने पेश करते”

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ
مِنْهُمْ

“तो यह बात उनमें से उन लोगों के इल्म में आ जाती जो बात की तह तक पहुँचने वाले हैं।”

لَعَلَّهُمَّ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَ مِنْهُمْ

अगर यह लोग ऐसी खबरों को रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم तक या ज़िम्मेदार असहाब तक पहुँचाते, मसलन औस के सरदार साद बिन उबादाह रज़ि० और खज़रज के सरदार साद बिन मुआज़ रज़ि०, तो यह उनकी तहक़ीक़ कर लेते कि बात किस हद तक दुरुस्त है और इसका क्या नतीजा निकल सकता है और फिर जायज़ा लेते कि हमें इस ज़िम्मन में क्या क़दम उठाना चाहिये। लेकिन उनकी रविश यह थी कि महज़ सनसनी फैलाने और सरासेमगी (डर) पैदा करने के लिये ऐसी खबरें लोगों में आम कर देते।

“और अगर अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत तुम्हारे शामिले हाल ना होती”

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ

“तो तुम सबके सब शैतान की पैरवी करते, सिवाय चंद एक के।”

لَاتَّبِعُكُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

करने चाहियें, ताकि उसकी गुलु खलासी हो सके। इस आयत की रू से नेकी, भलाई, खैर और अद्ल व इंसाफ़ की खातिर अगर किसी की सिफ़ारिश की जाये तो अल्लाह तआला इसका अजर व सवाब अता फ़रमायेगा।

“और जो कोई सिफ़ारिश करेगा बुराई की तो उसे उसमें से हिस्सा मिलेगा।”

وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَبِيئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ
مِنْهَا

किसी ने किसी कि झूठी और ग़लत सिफ़ारिश की, हक्काइक़ को तोड़ा-मरोड़ा तो वह भी उसके जुर्म में शरीक हो गया और वह उस जुर्म की सज़ा में भी हिस्सेदार होगा।

“और अल्लाह तआला हर शय पर कुव्वत रखने वाला है।”

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝

आयत 86

“और जब तुम्हें सलामती की कोई दुआ दी जाये तो तुम भी सलामती की उससे बेहतर दुआ दो या उसी को लौटा दो।”

وَإِذَا حُيِّئْتُمْ بِهِ بِحَبِئَةٍ فَحْيُوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ
رُدُّوهَا

हर मआशरे में कुछ ऐसे दुआइया कलिमात राइज होते हैं जो मआशरे के अफ़राद बाहमी मुलाक़ात के वक़्त इस्तेमाल करते हैं। जैसे मग़रिबी मआशरे में गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग वगैरह। अरबों के यहाँ सबाह अल् खैर व मसाअ अल् खैर के अलावा सबसे ज़्यादा रिवाज “हय्याका अल्लाह” कहने का था। यानि अल्लाह तुम्हारी ज़िन्दगी बढ़ाये। जैसे हमारे यहाँ सरायकी इलाक़े में कहा जाता है “हयाती होवे”। दराज़ी-ए-उम्र की इस दुआ को तहिय्या कहा जाता है। सलाम और उसके हम मायने दूसरे दुआइया कलिमात भी सब इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। अरब में जब इस्लामी मआशरा वुजूद में आया तो दीगर दुआइया कलिमात भी बाक़ी रहे, अलबत्ता “अस्सलामु अलैकुम” को एक ख़ास इस्लामी शआर (सिद्धांत) की हैसियत हासिल हो गई। इस आयत में हिदायत की जा रही है कि जब तुम्हें कोई सलामती की दुआ दे तो उसके जवाब का आला तरीक़ा यह है कि उससे बेहतर तरीक़े पर जवाब दो। “अस्सलामु अलैकुम” के जवाब में “वालैकुम अस्सलाम” के साथ “वा

ग़ज़वा-ए-अहज़ाब के फ़ौरन बाद सूरह सफ़ नाज़िल हुई। जिस (आयत:13) में अहले ईमान को फ़तह व नुसरत की बशारत दी गई। { وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِيرٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ } इससे अगले साल 6 हिजरी में आप ﷺ ने उमरे का सफ़र किया, जिसके नतीजे में सुलह हुदैबिया हो गयी, जिसे अल्लाह तआला ने फ़तह मुबीन करार दिया { إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا }। इसके बाद सातवें साल अल्लाह तआला ने फ़तह ख़ैबर अता फ़रमा दी और आठवें साल में मक्का फ़तह हो गया। इसी तरह एक के बाद एक, सारे बंद दरवाज़े खुलते चले गये।

“और यक़ीनन अल्लाह तआला बहुत शदीद है
कुव्वत में भी और सज़ा देने में भी।”

وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا ﴿٥٧﴾

मुनाफ़िक़ीन से ख़िताब के बाद अब फिर कुछ तमद्दुनी आदाब का ज़िक्र हो रहा है। मुनाफ़िक़ीन से ख़िताब में दो बातों को नुमाया किया गया। एक इताअते रसूल ﷺ जो उन पर बहुत शाक़ (मुश्किल) गुज़रती थी और एक क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह जो उनके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान बन जाता था। अब फिर अहले ईमान से ख़िताब आ रहा है।

आयत 85

“जो कोई सिफ़ारिश करेगा भलाई की उसे
उसमें से हिस्सा मिलेगा।”

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَهُ نَصِيبٌ

مِنْهَا

इंसानी मआशरे के अंदर किसी के लिये सिफ़ारिश करना भी बाज़ अवकात ज़रूरी हो जाता है। कोई शख्स है, उसकी कोई अहतियाज (ज़रूरत) है, आप जानते हैं कि सही आदमी है, बहरुपिया नहीं है। दूसरे शख्स को आप जानते हैं कि वह इसकी मदद कर सकता है तो आपको दूसरे शख्स के पास जाकर उसके हक़ में सिफ़ारिश करनी चाहिये कि मैं इसको जानता हूँ, यह वाक़िअतन ज़रूरतमंद है। इस तरह उसकी ज़रूरत पूरी हो जायेगी और इस नेकी के सवाब में आप भी हिस्सेदार होंगे। इसी तरह किसी पर कोई मुक़दमा क़ायम हो गया है और आपके इल्म में उसकी बेगुनाही के बारे में हक़ाइक़ और शवाहिद हैं तो आपको अदालत में पेश होकर यह हक़ाइक़ और शवाहिद पेश

था लेकिन हिजरते मदीना का तो हुकम था। लिहाज़ा अब उन लोगों का ज़िक्र है जो इस बिना पर मुनाफ़िक़ करार पाये कि वह हिजरत नहीं कर रहे हैं।

आयात 88 से 91 तक

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ وَاللَّهُ أَرَكْسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتَرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ
 أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿٨٨﴾ وَذُؤَالُو تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا
 فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يَهَابُوا بِهَا جُرُوفًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا
 فَخُذُواهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وِلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٨٩﴾ إِلَّا
 الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مَبِئَاتٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ
 أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنْ
 اعْتَرَفُوا بِكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوَا أَلَيْكُمُ السَّلَامُ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا
 ﴿٩٠﴾ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوا بَكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلًّا رُدُّوْا إِلَىٰ الْفِتْنَةِ
 أَرِكْسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَرِفُوا بِكُمْ وَيُقَاتِلُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ وَيَكْفُوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُواهُمْ
 وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿٩١﴾

आयत 88

“पस तुम्हें क्या हो गया है कि तुम मुनाफ़िक़ों
 के बारे में दो ग़िरोह हो रहे हो?”

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ

बात आगे वाज़ेह हो जायेगी कि यह किन मुनाफ़िक़ीन का तज़क़िरा है, जिनके बारे में मुसलमानों के दरमियान दो राय पाई जाती थीं। अहले ईमान में से बाज़ का ख़्याल था कि उनके साथ नर्मी होनी चाहिये, आख़िर यह ईमान तो लाये थे ना, अब नहीं हिजरत कर सके। जबकि कुछ लोग अल्लाह के हुकम के मामले में उनसे सख़्त रवैया इख़्तियार करने के हक़ में थे। चुनाँचे इश्ाद हुआ कि ऐ मुसलमानों! तुम्हें क्या हो गया है कि तुम उनके बारे में दो ग़िरोहों में तक्रसीम हो गये हो?

रहमतुल्लाही वा बरकातुहू” का इजाफा करके उसे लौटाएँ। अगर यह नहीं हो तो कम से कम उसी के अल्फ़ाज़ उसकी तरफ़ लौटा दो।

“यक़ीनन अल्लाह तआला हर चीज़ का
हिसाब करने वाला है।”

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿١٥﴾

यह छोटी-छोटी नेकियाँ जो हैं इंसानी ज़िन्दगी में इनकी बहुत अहमियत है। इन मआशरती आदाब से मआशरती ज़िन्दगी के अंदर हुस्न पैदा होता है, आपस में मुहब्बत व मवद्दत (स्नेह) पैदा होती है।

आयत 87

“अल्लाह वह है जिसके सिवा कोई मअबूद
नहीं।”

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

“वह तुम्हें लाज़िमन जमा करेगा क़यामत के
दिन, जिसके आने में कोई शक नहीं।”

لَيَجْعَلَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ

“और अल्लाह से बड़ कर अपनी बात में सच्चा
कौन होगा?”

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴿٨٧﴾

मुनाफ़िक़ीन पर जो तीन चीज़ें बहुत शाक़ थीं, अब उनमें से तीसरी चीज़ का तज़क़िरा आ रहा है, यानि हिज़रत। एक तो वह लोग थे जो बीमार थे, बूढ़े थे, सफ़र के क़ाबिल नहीं थे, या औरतें और बच्चे थे, उनका मामला तो पहले ज़िक़्र हो चुका कि उनके लिये तुम्हें क़िताल करना चाहिये ताकि उन्हें ज़ालिमों के चंगुल से छुड़ओ। एक वह लोग थे जो दायरा-ए-इस्लाम में दाख़िल होने का ऐलान तो कर चुके थे लेकिन अपने काफ़िर क़बीलों और अपनी बस्तियों के अंदर आराम से रह रहे थे और हिज़रत नहीं कर रहे थे, जबकि हिज़रत अब फ़र्ज़ कर दी गई थी। यह भी समझ लीजिये कि हिज़रत फ़र्ज़ क्यों कर दी गई? इसलिये कि जब मुहम्मद रसूल अल्लाह صلى الله عليه وسلم की दावत और तहरीक इस मरहले में दाख़िल हो गई कि अब बातिल के ख़िलाफ़ इक़दाम करना है, तो अब अहले ईमान की जितनी भी दस्तयाब ताक़त थी उसे एक मरकज़ पर मुजतमअ (जमा) करना ज़रूरी था, मक्की दौर में जो पहली हिज़रत हुई थी यानि हिज़रते हब्शा वह इख़्तियारी थी। इसकी सिर्फ़ इजाज़त थी, हुक्म नहीं

यानि अगर वह हिजरत नहीं करते जो उन पर फ़र्ज़ कर दी गई है तो फिर वह काफ़िरों के हुक्म में है, चाहे वह कलमा पढ़ते हों। तुम उन्हें जहाँ भी पाओ पकड़ो और क़त्ल करो।

“और उनमें से किसी को भी अपना साथी और मददगार मत बनाओ।”

وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وِلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٥٥﴾

आयत 90

“सिवाय उनके जिनका ताल्लुक किसी ऐसी क्रौम से हो जिसके साथ तुम्हारा कोई मुआहिदा है”

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ

यानि इस हुक्म से सिर्फ़ वह मुनाफ़िक़ीन मुस्तसना हैं जो किसी ऐसे क़बीले से ताल्लुक रखते हों जिसके साथ तुम्हारा सुलह का मुआहिदा है। उस मुआहिदे से उन्हें भी तहफ़ुज़ हासिल हो जायेगा।

“या वह लोग जो तुम्हारे पास इस हाल में आये कि दिल बरदाश्ता हों”

أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ

“इस बात से कि तुमसे लड़ें या अपनी क्रौम से लड़ें।”

أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ

यानि उनमें इतनी जुरत नहीं रही कि वह तुम्हारे साथ होकर अपनी क्रौम के खिलाफ़ लड़ें या अपनी क्रौम के साथ होकर तुम्हारे खिलाफ़ लड़ें। इंसानी मआशरे में हर सतह के लोग हर दौर में रहे हैं और हर दौर में रहेंगे। लिहाज़ा वाज़ेह किया जा रहा है कि इन्क़लाबी जद्दो-जहद के दौरान हर तरह के हालात आयेंगे और हर तरह के लोगों से वास्ता पड़ेगा। इस तरह के कम हिम्मत लोग कहते थे भई हमारे लिये लड़ना-भिड़ना मुश्किल है, ना तो हम अपनी क्रौम के साथ होकर मुसलमानों से लड़ेंगे और ना मुसलमानों के साथ होकर अपनी क्रौम से लड़ेंगे, उनके बारे में भी फ़रमाया कि उनकी भी जान बख़्शी करो। चुनाँचे हिज़रत ना करने वाले मुनाफ़िक़ीन के बारे में जो यह हुक्म दिया गया कि { فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ } “पस उनको पकड़ो और क़त्ल करो जहाँ कहीं भी पाओ” इससे दो इस्तसना बयान कर दिये गये।

“और अल्लाह ने तो उनको उनकी करतूतों के सबब उलट दिया है।”

وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْاۙ

उनका हिजरत ना करना दरहक्रीकत इस बात का सबूत है कि वह उल्टे फेर दिए गये हैं। यानि उनका ईमान सलब हो चुका है। हाँ कोई मजबूरी होती, उज़्र (बहाना) होता तो बात थी।

“क्या तुम चाहते हो कि उनको हिदायत दे दो जिनको अल्लाह ने गुमराह कर दिया है?”

اَتْرِيْدُوْنَ اَنْ يَّهْتَدُوْاۙ وَمَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ

जिनकी गुमराही पर अल्लाह की तरफ़ से मुहर तस्दीक़ सब्त हो चुकी है।

“और जिसको अल्लाह रास्ते से हटा दे उसके लिये तुम कोई रास्ता ना पाओगो।”

وَمَنْ يُضِلِّ اللّٰهُ فَلَنْ يَّجِدَ لَهُ سَبِيْلًا ۝۱۱

जिसकी गुमराही पर अल्लाह की तरफ़ से आखरी मुहर तस्दीक़ सब्त हो चुकी हो उसके लिये फिर कौन सा रास्ता बाक़ी रह जाता है।

आयत 89

“यह तो चाहते हैं कि तुम भी कुफ़्र करो जिस तरह इन्होंने कुफ़्र किया है ताकि तुम सब बराबर हो जाओ।”

وَدُوْاۙ لَوۡ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْاۙ فَتَكُوْنُوْنَ سَوَآءٍ

यह लोग जो उनके बारे में नमी की बातें कर रहे हैं यह चाहते हैं कि जैसे उन्होंने कुफ़्र किया है तुम भी करो, ताकि तुम और वह सब यक्साँ (एक जैसे) हो जायें। दुम कटी बिल्ली चाहती है कि सब बिल्लियों की दुम कट जायें।

“तो अब उनमें से किसी को दोस्त ना बनाओ जब तक कि वह हिजरत ना करें अल्लाह की राह में।”

فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَاٰلِيَّآءَ حَتّٰى يَّهَاجَرُوْاۙ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ

यह गोया अब उनके ईमान का लिट्मस टेस्ट है। अगर वह हिजरत नहीं करते तो इसका मतलब यह होगा कि वह मोमिन नहीं मुनाफ़िक़ हैं।

“और अगर वह पीठ मोड़ लें (हिजरत ना करें) तो उनको पकड़ो और क़त्ल करो जहाँ कहीं भी पाओ।”

فَاِنْ تَوَلَّوْاۙ فَاُخِذُوْهُمْ وَاَقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ

जब भी आजमाइश का वक़्त आता है तो उसमें वो औंधे मुँह गिरते हैं। जब देखते हैं कि अपनी क्रौम का पलड़ा भारी है तो मुसलमानों के खिलाफ़ जंग करने के लिये तैयार हो जाते हैं कि अब तो हमारी फ़तह होने वाली है और हमें माले ग़नीमत में से हिस्सा मिल जायेगा।

“पस अगर यह तुमसे किनाराकश ना रहें,
तुम्हारे सामने सुलह व सलामती पेश ना करें
और अपने हाथ ना रोकें”

فَإِنْ لَمْ يَغْتَرِ لَوْكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ
وَيُكْفُوا إِلَيْدِيهِمْ

“तो इनको पकड़ो और क़त्ल करो जहाँ कहीं
भी पाओ”

فُجِدُوا لَهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ

“यह वह लोग हैं जिनके खिलाफ़ हमने तुम्हें
सनद (और कुव्वत) अता कर दी है।”

وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا

①

ऐसे लोगों के मामले में हमने तुम्हें खुला इख़्तियार दे दिया है कि तुम इनके खिलाफ़ इक़दाम कर सकते हो।

आयात 92 से 96 तक

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ
مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً
مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ④ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَدِّيًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خُلْدًا
فِيهَا وَعَظْبُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَعْنَةُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ⑤ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا
ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَىٰ إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا
تَبَتَّغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَعْلَمٌ كَثِيرٌ ⑥ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ
اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ⑦ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ

“अगर अल्लाह चाहता तो उनको तुम पर मुसल्लत कर देता और वह तुमसे लड़ते।”

وَأَوْشَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوا كُمْ

यह भी तो हो सकता था कि अल्लाह उन्हें तुम्हारे खिलाफ हिम्मत अता कर देता और वह तुम्हारे खिलाफ क़िताल करते।

“पस अगर यह लोग तुमसे किनाराकश रहें और तुमसे जंग ना करें”

فَإِنْ اغْتَرَّوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوا كُمْ

“और तुम्हारी तरफ़ सुलह व आशती (शांति) का हाथ बढ़ाएँ।”

وَالْقَوَا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ

“तो अल्लाह ने तुम्हें भी ऐसे लोगों के खिलाफ़ इक़दाम करने की इजाज़त नहीं दी।”

فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۝

तो इस बात को समझ लीजिये कि जो मुनाफ़िक़ हिजरत नहीं कर रहे, उनके लिये क़ायदा यह है कि अब उनके खिलाफ़ इक़दाम होगा, उन्हें जहाँ भी पकड़ो और क़त्ल करो, वह हरबी काफ़िरो के हुक्म में हैं। इल्ला यह कि (1) उनके क़बीले से तुम्हारा सुलह का मआहिदा है तो वह उनको तहफ़फ़ुज़ फ़राहम कर जायेगा। (2) वह आकर अगर यह कह दें कि हम बिल्कुल ग़ैर जानिबदार (neutral) हो जाते हैं, हममें जंग की हिम्मत नहीं है, हम ना आपके साथ होकर अपनी क़ौम से लड़ सकते हैं और ना ही आपके खिलाफ़ अपनी क़ौम की मदद करेंगे, तब ही उन्हें छोड़ दो। इसके बाद अब मुनाफ़िक़ीन के एक तीसरे गिरोह की निशानदेही की जा रही है।

आयत 91

“तुम पाओगे एक और क़िस्म के लोगों को भी जो चाहते हैं कि तुमसे भी अमन में रहें और अपनी क़ौम से भी अमन में रहें।”

سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوا كُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ

“लेकिन जब भी फ़ितने की तरफ़ मोड़े जाते हैं तो उसके अंदर औंधे हो जाते हैं।”

كَلِمًا رُّدًّا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكَسُوا فِيهَا

“और जो शख्स किसी मोमिन को क़त्ल कर दे ग़लती से तो (उसके ज़िम्में है) एक मुसलमान गुलाम की ग़र्दन का आज़ाद कराना”

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ
مُّؤْمِنَةٍ

“और खून बहा मक़तूल के घरवालों को अदा करना, इल्ला यह कि वह माफ़ कर दें।”

وَدِيَّةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا

यानि क़त्ले ख़ता के बदले में क़ातिल को क़त्ल नहीं किया जायेगा बल्कि दीयत यानि खून बहा अदा किया जायेगा, यह मक़तूल के वारिसों का हक़ है। और गुनाह के कफ़ारे के तौर पर एक मुसलमान गुलाम को आज़ाद करना होगा, यह अल्लाह का हक़ है।

“और अगर वह (मक़तूल) किसी ऐसे क़बीले से था जिससे तुम्हारी दुश्मनी है और था वह मुसलमान”

فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

“तो फिर सिर्फ़ एक मुसलमान गुलाम को आज़ाद करना होगा।”

فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ

क्योंकि काफ़िर क़बीले का आदमी था और अगर उसकी दीयत दी जायेगी तो वह उसके घर वालों को मिलेगी जो कि काफ़िर हैं, लिहाज़ा यहाँ दीयत माफ़ हो गई, लेकिन एक गुलाम को आज़ाद करना जो अल्लाह का हक़ था, वह बरकरार रहेगा।

“और अगर वह (मक़तूल) हो किसी ऐसी क़ौम से जिसके साथ तुम्हारा मुआहिदा है”

وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ

“तो फिर दीयत भी देनी होगी उसके घर वालों को और एक मोमिन गुलाम भी आज़ाद करना होगा।”

فَدِيَّةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ

गोया यह दो हक़ अलग-अलग हैं। एक तो दीयत है जो मक़तूल के वुरसा का हक़ है, इसमें यहाँ रियायत नहीं हो सकती, अलबत्ता जो हक़ अल्लाह का अपना है यानि गुनाह के असरात को ज़ाइल करने के लिये एक मोमिन गुलाम का आज़ाद करना, तो इसमें अल्लाह ने नर्मी कर दी, जिसका ज़िक्र आगे आ रहा है।

الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ
 اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى
 وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٥٦﴾ دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً
 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٧﴾

अब एक और मआशरती मसला आ रहा है। उस वक़्त दरअसल पूरे अरब के अंदर एक भट्टी दहक रही थी, जगह-जगह जंगें लड़ी जा रही थीं, मैदान लग रहे थे, मअरके (आक्रमण) हो रहे थे। तारीख और सीरत की किताबों में तो सिर्फ़ बड़े-बड़े मअरकों और गज़वात का ज़िक्र हुआ है मगर हकीकत में उस वक़्त पूरा मआशरा हालते जंग में था। एक चौमुखी जंग थी जो मुसलसल जारी थी। इन आयात से उस वक़्त के अरब मआशरे की असल सूरते हाल और उस क़बाइली मआशरे के मसाइल की बहुत कुछ अक्लासी होती है। इस तरह के माहौल में फ़र्ज़ करें, एक शख्स ने किसी दूसरे को क़त्ल कर दिया। क़ातिल और मक़तूल दोनों मुसलमान हैं। क़ातिल कहता है कि मैंने अम्दन (जानबूझ कर) ऐसा नहीं किया, मैंने तो शिकार की ग़र्ज़ से तीर चलाया था मगर इत्तेफ़ाक़ से निशाना चूक गया और उसको जा लगा। तो अब यह मुसलमान को मुसलमान को क़त्ल करना दो तरह का हो सकता है, क़त्ले अम्द या क़त्ले ख़ता। यहाँ इस बारे में वज़ाहत फ़रमाई गई है।

आयत 92

“किसी मोमिन के लिये यह रवा नहीं कि वह एक मोमिन को क़त्ल करे मगर ख़ता के तौर पर।” وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِمًا إِلَّا خَطَاً

ख़ता के तौर पर क़त्ल क्या है? निशाना चूक गया और किसी को जा लगा या सड़क पर हादसा हो गया, कोई शख्स गाड़ी के नीचे आकर मर गया। आप तो उसे मारना नहीं चाहते थे, बस यह सब कुछ आपसे इत्तेफ़ाकी तौर पर हो गया। चुनाँचे सऊदी अरब में हादसों के ज़रिये होने वाली मौतों के फ़ैसले इसी क़ानूने क़त्ले ख़ता के तहत होते हैं। वह क़ानून क्या है:

कुछ अभी कुफ़्र पर कायम थे और कोई ज़रिया तमीज़ भी उनमें नहीं था, जगह-जगह मअरके भी हो रहे थे। अब फ़र्ज़ करें किसी इलाक़े में लड़ाई हो रही है, मुसलमान मुजाहिद समझा कि सामने से काफ़िर आ रहा है, मगर जब वह उसे क़त्ल करने के लिये बढ़ा तो उसने आगे से कलमा पढ़ कर दावा किया कि वह मुसलमान है। इस सूरते हाल में मुमकिन है समझा जाये कि उसने जान बचाने के लिये बहाना किया है। इस बारे में हुक्म दिया जा रहा है:

आयत 94

“ऐ अहले ईमान, जब तुम अल्लाह की राह में निकलो तो तहक़ीक़ कर लिया करो”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا خَرَجْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا

“और जो शख्स भी तुम्हारे सामने सलाम पेश करे (या इस्लाम पेश करे) उसको यह मत कहो कि तुम मोमिन नहीं हो।”

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَىٰ إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا

तुम उसकी बातिनी कैफ़ियत मालूम नहीं कर सकते। ईमान का ताल्लुक चूँकि दिल से है और दिल का हाल सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं जान सकता, लिहाज़ा दुनिया में तमाम मामलात का ऐतबार ज़बानी इस्लाम (इक्रार बिल् लिसान) पर ही होगा। अगर कोई शख्स कलमा पढ़ रहा है और अपने इस्लाम का इज़हार कर रहा है तो आपको उसके अल्फ़ाज़ का ऐतबार करना होगा। इस आयत के पसमंज़र के तौर पर रिवायात में एक वाक़िये का ज़िक्र मिलता है जो हज़रत उसामा रज़ि० के साथ पेश आया था। किसी सरीये में हज़रत उसामा रज़ि० का एक काफ़िर से दू-बर-दू मुकाबला हुआ। जब वह काफ़िर बिल्कुल ज़ेर हो गया और उसको यक़ीन हो गया कि बचने का कोई रास्ता नहीं तो उसने कलमा पढ़ दिया: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ। अब ऐसी सूरते हाल में जो कोई भी होता यही समझता कि उसने जान बचाने के लिये बहाना किया है। हज़रत उसामा रज़ि० ने भी यही समझते हुए उस पर नेज़े का वार किया और उसे क़त्ल कर दिया। लेकिन दिल में एक खलिश रही। बाद में उन्होंने रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم से इसका ज़िक्र किया तो आप صلی اللہ علیہ وسلم ने फ़रमाया: ((أَفَلَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ فَتَبَيَّنُوا)) “उसने ला इलाहा इल्ललाह कह दिया

“फिर जो यह (गुलाम आज़ाद) ना कर सके तो रोज़े रखे दो महीनों के मुतावातिर। यह अल्लाह की तरफ़ से तौबा (कुबूल करने का ज़रिया) है, और यकीनन अल्लाह तो अलीम व हकीम है।”

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامًا شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٢﴾

अब आगे क़त्ले अम्द के मुताल्लिक़ तफ़सीलात का ज़िक्र है।

आयत 93

“और जो कोई क़त्ल करेगा किसी मोमिन को जानबूझ कर तो उसका बदला जहन्नम है जिसमें वह हमेशा रहेगा”

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَدِّيًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ
خَالِدًا فِيهَا

“और अल्लाह का ग़ज़ब उस पर होगा, और अल्लाह ने उस पर लानत फ़रमाई है और उसके लिये बहुत बड़ा अज़ाब तैयार कर रखा है।”

وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا
عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

जैसा कि आगाज़े सूरत में ज़िक्र हुआ था कि हुरमते जान और हुरमते माल के तसव्वुर पर मआशरे की बुनियाद कायम है। लिहाज़ा एक मुसलमान का क़त्ल कर देना अल्लाह के यहाँ एक बहुत संजीदा मामला है। यही वजह है कि सूरह मायदा (आयत:32) में क़त्ले नाहक़ को पूरी नौए इंसानी के क़त्ल के मुतरादिफ़ करार दिया गया है। इसलिये कि क़ातिल ने हुरमते जान को पामाल करके शजरे तमद्दुन की गोया जड़ काट दी, और उसका यह फ़अल (काम) ऐसे ही है जैसे उसने पूरी इंसानी नस्ल को मौत के घाट उतार दिया। इससे अंदाज़ा कीजिये कि हमारे यहाँ ईमान व इस्लाम कितना कुछ है और इंसानी जान की क़द्र व क़ीमत क्या है। आज हमारे मआशरे में क़त्ले अम्द के वाक़िआत रोज़मर्रा का मामूल बन चुके हैं और इंसानी जान मच्छर-मक्खी की जान की तरह अरज़ा (सस्ती) हो चुकी है।

अब अगली आयत को समझने के लिये अरब के उन मख़सूस हालात को नज़र में रखें जिनमें मुसलमान और ग़ैर मुस्लिम एक-दूसरे के साथ रहते थे, मुख़तलिफ़ इलाकों में कुछ लोग दायरा-ए-इस्लाम में दाख़िल हो चुके थे और

जिहाद में मसरूफ़ है। दावत व तब्लीग़ भी जिहाद है, अपने नफ़्स के खिलाफ़ इताअते इलाही भी जिहाद है। अज़रूए हदीसे नबवी: ((الْبُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ)) बल्कि रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم से पूछा गया: "أَتَى الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟" "सबसे अफ़ज़ल जिहाद कौनसा है?" तो आपने फ़रमाया: ((أَنْ تُجَاهِدَ نَفْسَكَ وَهَوَاكَ فِي ذَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)) "यह कि तुम अपने नफ़्स और अपनी ख़्वाहिशात के खिलाफ़ जिहाद करो उन्हें अल्लाह का मुतीअ बनाने के लिये।" चुनाँचे जिहाद की बहुत सी मंजिलें हैं, जिनमें से आख़री मंजिल क़िताल है। ताहम जिहाद और क़िताल के अल्फ़ाज़ क़ुरान में एक-दूसरे की जगह पर भी इस्तेमाल हुए हैं। क़ुरान में अल्फ़ाज़ के तीन ऐसे जोड़े हैं जिनमें से हर लफ़ज़ अपने जोड़े के दूसरे लफ़ज़ की जगह अक्सर इस्तेमाल हुआ है। उनमें से एक जोड़ा तो यही है, यानि जिहाद और क़िताल के अल्फ़ाज़, जबकि दूसरे दो जोड़े हैं "मोमिन व मुस्लिम" और "नबी व रसूल।"

आयत 95

"बराबर नहीं हैं अहले ईमान में से बैठे रहने वाले बग़ैर उज़र के और वह लोग जो अल्लाह की राह में जिहाद (क़िताल) के लिये निकलते हैं अपनी जानों और मालों के साथ।"

لَا يَسْتَوِي الْقُعْدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ
أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ

"अल्लाह ने फ़ज़ीलत दी है उन मुजाहिदों को जो अपनी जानों और मालों से जिहाद करने वाले हैं, बैठे रहने वालों पर, एक बहुत बड़े दर्जे की।"

فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
عَلَى الْقُعْدِينَ دَرَجَةً

دَرَجَةً की तन्कीर तफ़्ख़िम के लिये है, यानि बहुत बड़ा दर्जा। यहाँ क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह के लिये निकलने की बात हो रही है कि जो किसी माकूल उज़र के बग़ैर क़िताल के लिये नहीं निकलता वह उसके बराबर हरग़िज़ नहीं हो सकता जो क़िताल कर रहा है। अगर कोई अंधा है, देखने से माज़ूर है या कोई लँगड़ा है, चल नहीं सकता, ऐसे माज़ूर क्रिस्म के लोग अगर क़िताल के लिये ना निकलें तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन ऐसे लोग जिनको कोई ऐसा उज़र नहीं है, फिर भी वह बैठे रहें, यहाँ उन्हीं लोगों का ज़िक्र हो रहा है कि वह दर्जे में

और तुमने फिर भी उसे क़त्ल कर दिया?” हज़रत उसामा रज़ि० ने जवाब दिया: “या रसूल अल्लाह! उसने तो हथियार के ख़ौफ़ से कलमा पढ़ा था।” आप ﷺ ने फ़रमाया: ((أَفَلَا شَفَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَفْأَلَهَا أَمْ لَا)) “तुमने उसका दिल चीर कर क्यों ना जान लिया कि उसने कलमा दिल से पढ़ा था या नहीं?” हज़रत उसामा रज़ि० कहते हैं कि आप ﷺ ने यह बात मुझसे बार-बार फ़रमाई, यहाँ तक कि मैं ख़्वाहिश करने लगा कि काश मैं आज ही मुसलमान हुआ होता! बाज़ रिवायात में आया है कि आप ﷺ ने इर्शाद फ़रमाया कि ऐ उसामा उस दिन क्या जवाब दोगे जब वह कलमा-ए-शहादत तुम्हारे ख़िलाफ़ मुद्दई होकर आयेगा?

“तुम दुनिया का सामान चाहते हो”

تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

कि ऐसे शख्स को काफ़िर करार दें, क़त्ल करें और माले ग़नीमत ले लें।

“अल्लाह के यहाँ बड़ी ग़नीमतें हैं।”

فَعِنْدَ اللَّهِ مَعَالِمٌ كَثِيرَةٌ

तुम्हारे लिये बड़ी-बड़ी ममलकतों के अम्वाले ग़नीमत आने वाले हैं। इन छोटी-छोटी चीजों के लिये हुदूदुल्लाह से तजावुज़ ना करो।

“तुम खुद भी तो पहले ऐसे ही थे, तो अल्लाह ने तुम पर अहसान फ़रमाया है”

كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ

आख़िर एक दौर तुम पर भी ऐसा ही गुज़रा है। तुम सब भी तो नौ मुस्लिम ही हो और एक वक़्त में तुममें से हर शख्स काफ़िर या मुशरिक ही तो था! फिर अल्लाह ही ने तुम लोगों पर अहसान फ़रमाया कि तुम्हें कलमा-ए-शहादत अता किया और रसूल अल्लाह ﷺ की दावत व तब्लीग़ से बहराहमंद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। लिहाज़ा अल्लाह का अहसान मानों और इस तरीक़े से लोगों के मामले में इतनी सख़्त रविश इख़्तियार ना करो।

“तो (देखो) तहक़ीक़ कर लिया करो। और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उससे अच्छी तरह बा ख़बर है।”

فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝

अगली आयत मुबारका में जिहाद का लफ़्ज़ बा-मायने क़िताल आया है। जहाँ तक जिहाद की असल रूह का ताल्लुक़ है तो एक मोमिन गोया हर वक़्त

आयत 96

“(उनके लिये) उसकी तरफ से बुलंद दरजात भी होंगे और मग़फ़िरत व रहमत भी। और यक़ीनन अल्लाह तआला बख़्शाने वाला, बहुत रहम करने वाला है।”

دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً كَثِيرَةً وَكَانَ اللَّهُ
عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٩٦﴾

आयत 97 से 100 तक

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمِينَ أَلْفَيْهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا غَفُورًا ﴿٩٩﴾ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٠﴾

अब उन लोगों का ज़िक्र आ रहा है जो हिजरत करने में पसोपेश (टाल-मटोली) कर रहे थे, इस सिलसिले में उन्हें कोई उज़र भी मानेअ (रुकावट) नहीं था, मगर फिर भी वह अपने क़बीले या मक्का शहर में अपने घरों में आराम से बैठे थे।

आयत 97

“यक़ीनन वह लोग कि जिनको फ़रिश्ते इस हाल में क़ब्ज़ करेगे कि वह अपनी जानों पर जुल्म कर रहे थे”

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمِينَ أَلْفَيْهِمْ

मुजाहिदीन के बराबर हरगिज़ नहीं हो सकते। और यह भी नोट कर लीजिये कि यह ऐसे क़िताल की बात हो रही है जिसकी हैसियत इख़्तियारी (optional) हो, लाज़िमी करार ना दिया गया हो। जब इस्लामी रियासत की तरफ़ से क़िताल के लिये नफ़ीरे आम हो जाये तो माज़ूरों के सिवा सबके लिये निकलना लाज़िम हो जाता है। और यह भी याद रहे कि क़िताल के लिये पहली दफ़ा नफ़ीरे आम ग़ज़वा-ए-तबूक (सन् 9 हिजरी) में हुई थी। इससे पहले क़िताल के बारे में सिर्फ़ तरगीब (persuasion) थी कि निकलो अल्लाह की राह में, हुक़्म नहीं था। लिहाज़ा कोई जवाब तलबी भी नहीं थी। कोई चला गया, कोई नहीं गया, कोई गिरफ्त नहीं थी। लेकिन ग़ज़वा-ए-तबूक के लिये नफ़ीरे आम हुई थी, बाक़ायदा एक हुक़्म था, लिहाज़ा जो लोग नहीं निकले उनसे वज़हें तलब की गईं, उनका मुआख़जा किया गया और उनको सज़ाएँ भी दी गयीं। तो यहाँ चूँकि इख़्तियारी क़िताल की बात हो रही है इसलिये यह नहीं कहा जा रहा कि उनको पकड़ो और सज़ा दो, बल्कि यह बताया जा रहा है कि क़िताल करने वाले मुजाहिदीन अल्लाह की नज़र में बहुत अफ़ज़ल हैं। इससे पहले ऐसे क़िताल के लिये इसी सूरत (आयत:84) में { وَحَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ } का हुक़्म है, यानि मोमिनों को क़िताल पर उकसाइये, तरगीब दीजिये, आमादा कीजिये। लेकिन यहाँ वाज़ेह अंदाज़ में बताया जा रहा है कि क़िताल करने वाले और ना करने वाले बराबर नहीं हो सकते।

“अगरचे) सबके लिये अल्लाह की तरफ़ से अच्छा वादा है।”

وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ

चूँकि अभी क़िताल फ़र्ज़ नहीं था, नफ़ीरे आम नहीं थी, सबका निकलना लाज़िम नहीं किया गया था, इसलिये फ़रमाया गया कि तमाम मोमिनों को उनके आमाल के मुताबिक़ अच्छा अज़र दिया जायेगा। क़िताल के लिये ना निकलने वालों ने अगर इतनी हिम्मत नहीं की और वह कमतर मक़ाम पर क़ानेअ (संतुष्ट) हो गये हैं तो ठीक है, अल्लाह तआला की तरफ़ से इस सिलसिले में उन पर कोई गिरफ्त नहीं होगी।

“लेकिन फ़ज़ीलत दी है अल्लाह तआला ने मुजाहिदों को बैठे रहने वालों पर एक अज़े अज़ीम की (सूरत में)।”

وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا

عَظِيمًا ﴿٩٥﴾

आयत 99

“बईद नहीं कि ऐसे लोगों को अल्लाह तआला माफ़ फ़रमा दे, और अल्लाह वाक़िअतन बख़्शने वाला और माफ़ फ़रमाने वाला है।”

فَأُولَٰئِكَ عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ۝

ऐसे बेबस और लाचार मर्दों, बच्चों और औरतों के लिये इसी सूरह (आयत:75) में हुक्म हुआ था कि उनके लिये क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह करो और उन्हें जाकर छुड़ाओ। लेकिन जो लोग हिजरत के इस वाज़ेह हुक्म के बाद भी बग़ैर उज़्र के बैठे रहे हैं उनके बारे में मुसलमानों को बताया गया है कि वह मुनाफ़िक़ हैं, उनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, जब तक कि वह हिजरत ना करें। बल्कि क़िताल के मामले में वह बिल्कुल कुफ़्फ़ार के बराबर हैं।

आयत 100

“और जो कोई हिजरत करेगा अल्लाह की राह में”

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“वह पायेगा ज़मीन में बड़े ठिकाने और बड़ी वुसअत।”

يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْتَمًا كَثِيرًا ۖ وَسَعَةً

जैसे सूरह अन्कबूत में फ़रमाया: {يُجَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإَيُّي فَاعْبُدُونِ} (आयत:56) “ऐ मेरे वह बन्दों जो ईमान लाये हो, मेरी ज़मीन बहुत कुशादा है, बस तुम लोग मेरी ही बंदगी करो!” अगर यहाँ अपने वतन में अल्लाह की बंदगी नहीं कर सकते हो तो कहीं और चले जाओ।

“और जो कोई अपने घर से निकल खड़ा हुआ हिजरत के लिये अल्लाह और उसके रसूल صلی اللہ علیہ وسلم की तरफ़, फिर उसे मौत ने आ लिया”

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ

“तो उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे साबित हो गया।”

فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ

यानि जिस किसी ने भी हिजरत की, फ़ी सबीलिल्लाह, दौलत के लिये या हुसूले दुनिया के लिये नहीं, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल صلی اللہ علیہ وسلم की

यानि उन्होंने हिजरत नहीं की थी, इस सिलसिले में रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم की इताअत नहीं की थी। आखिर मौत तो आनी है, लिहाज़ा फ़रिश्ते जब उनकी रूहें क़ब्ज़ करेंगे तो उनके साथ इस तरह का मकालमा करेंगे:

“वह उनसे कहेंगे यह तुम किस हाल में थे।”

قَالُوا فِيْم كُنْتُمْ

तुमने ईमान का दावा तो किया था, लेकिन जब रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ने हिजरत का हुक्म दिया तो हिजरत क्यों नहीं की? तुम्हें क्या हो गया था?

“वह कहेंगे हम मजबूर और कमज़ोर बना दिये गये थे इस ज़मीन में।”

قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ

“वह (फ़रिश्ते) कहेंगे क्या अल्लाह की ज़मीन कुशादा नहीं थी कि तुम उसमें हिजरत करते?”

قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُتْهَا جُرُؤًا فِيهَا

“तो यह वह लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है, और वह बहुत बुरी जगह है ठहरने की।”

فَأُولَئِكَ مَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

④

आयत 98

“सिवाय उन मर्दों, औरतों और बच्चों के जिनको वाक्रिअतन दबा लिया गया हो”

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ

जिन लोगों को कमज़ोर समझ कर दबा लिया गया हो, वाक्रिअतन ज़ंजीरों में जकड़ कर घरों में बंद कर दिया गया हो, उनका मामला और है। या फिर कोई औरत है जिसके लिये तन्हा सफ़र करना मुमकिन नहीं। वैसे तो ऐसी औरतें भी थी जिन्होंने तन्हा हिजरतें कीं, लेकिन हर एक के लिये तो ऐसा मुमकिन नहीं था।

“ना तो वह कोई तदबीर कर सकते हैं और ना वह रास्ता जानते हैं।”

لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا

⑤

فَيَهِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أذىٌ مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرَضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ۝ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ۝ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

इस रुकूअ में फिर शरीअत के कुछ अहकाम और इबादात की कुछ तफ़ासील हैं। गोआ ख़िताब का रुख़ अब फिर अहले ईमान की तरफ़ है।

आयत 101

“और (ऐ मुसलमानों!) जब तुम ज़मीन में सफ़र करो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं अगर तुम नमाज़ को कुछ कम कर लिया करो”

وَإِذَا صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ

“अगर तुम्हें अंदेशा हो कि काफ़िर तुम्हें नुक़सान पहुँचाएंगे।”

إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا

“यक़ीनन यह काफ़िर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं।”

إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا أَعْدَاؤُكُمْ مُبِينًا ۝

यह तो है हालते सफ़र में क़सरे सलाह (नमाज़) का हुक़म। लेकिन जंग की हालत में क़सर यानि सलातुल ख़ौफ़ का तरीक़ा अगली आयत में मज़कूर है। हालते जंग में जब पूरे लश्कर का एक साथ नमाज़ पढ़ना मुमकिन ना रहे तो गिरोहों की शक़ल में नमाज़ अदा करने की इजाज़त है। लेकिन ऐसी सूरत में जब हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم खुद भी लश्कर में मौजूद होते तो कोई एक गिरोह ही आप صلی اللہ علیہ وسلم के साथ नमाज़ पढ़ सकता था, जबकि दूसरे गिरोह के लोगों को लाज़िमन महरूमि का अहसास होता। लिहाज़ा इस मसले के हल के लिये सलातुल ख़ौफ़ अदा करने की बहुत उम्दा तदबीर बताई गयी।

रज़ाजोई के लिये, वह असल हिजरत है। हदीस में इसकी मज़ीद वज़ाहत मिलती है:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِنِيَّاتٍ وَإِنَّمَا الْكَلِمَاتُ بِمَا نَوَى، مَن كَانَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَن كَانَ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَبْتَغِيهَا أَوْ مَاهَا جَرَ إِلَيْهِ

“आमाल का दारोमदार नीयतों पर ही है और विलाशुबह हर इंसान के लिये वही कुछ है जिसकी उसने नीयत की। पस जिसने हिजरत की अल्लाह और उसके रसूल صلی اللہ علیہ وسلم की तरफ़ तो वाकई उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल صلی اللہ علیہ وسلم की तरफ़ है, और जिसने हिजरत की दुनिया कमाने के लिये या किसी औरत से शादी रचाने के लिये तो उसकी हिजरत उसी चीज़ की तरफ़ शुमार होगी जिसका उसने क़सद (इरादा) किया।”

चुनाँचे जिसने अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ हिजरत की, खुलूसे नीयत के साथ घर से निकल खड़ा हुआ और रास्ते ही में फ़ौत हो गया, मदीना मुनव्वरा नहीं पहुँच सका, हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم के क़दमों तक उसकी रसाई नहीं हो सकी, वह अपना मक़सूद हासिल नहीं कर सका, तो फिर भी वह कामयाब व कामरान है। अल्लाह तआला उसकी नीयत के मुताबिक़ उसे हिजरत का अजर ज़रूर अता फ़रमायेगा।

“और यक़ीनन अल्लाह बख़्शने वाला, रहम फ़रमाने वाला है।”

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

आयात 101 से 104 तक

وَإِذَا حَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنَّ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكُفْرِينَ كَانُوا أَلْكُمُ عَدُوًّا مُّبِينًا ۝ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ

टूट पड़ें।”

“और तुम पर कोई गुनाह नहीं है कि अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ हो बारिश की वजह से या तुम बीमार हो जाओ और (ऐसी सूरतों में) तुम अपना अस्लाह उतार कर रख दो।”

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرَضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَكُمْ

“अलबत्ता अपना बचाव ज़रूर कर लिया करो।”

وَحُدُوا حِذْرَكُمْ

अगर तलवार, नेज़ा वगैरह जिस्म से बंधे हुए हों और इस हालत में नमाज़ पढ़ना मुश्किल हो तो यह असला वगैरह खोल कर अलैहदा रख देने में कोई हर्ज नहीं, बशर्ते कि जंग के हालात इजाज़त देते हों, लेकिन ढाल वगैरह अपने पास ज़रूर मौजूद रहे ताकि अचानक कोई हमला हो तो इंसान अपने आपको उस फ़ौरी हमले से बचा सके और अपने हथियार संभाल सके।

“यक्रीनन अल्लाह ने काफ़िरों के लिये बहुत ज़िल्लत आमेज़ अज़ाब तैयार कर रखा है।”

إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۝

आयत 103

“फिर जब तुम (इस तरीके से) नमाज़ अदा कर लो।”

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ

“तो फिर ज़िक्र करो अल्लाह का खड़े हुए, बैठे हुए और लेटे हुए।”

فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ

चलते-फिरते, उठते-बैठते, सवारी पर, पैदल चलते हुए हर हालत में अल्लाह का ज़िक्र जारी रहना चाहिये। यह ज़िक्रे कसीर सिर्फ़ नमाज़ के साथ मज़सूस नहीं बल्कि हर वक़्त और हर हालत में इसका अहतमाम होना चाहिये। जैसे सूरह अल् जुमा (आयत:10) में हुकम दिया गया है:

{ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ }

“फिर जब नमाज़ पूरी हो जाए तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो, और अल्लाह को कसरत से याद करो ताकि तुम फ़लाह पा

आयत 102

“और (ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم) जब आप صلی اللہ علیہ وسلم उनके दरमियान मौजूद हों और (हालते जंग में) उन्हें नमाज़ पढ़ाने खड़े हों”

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ

“तो उनमें से एक गिरोह को खड़ा होना चाहिये आप صلی اللہ علیہ وسلم के साथ, और वह अपना अस्लाह लिये हुए हों।”

فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا
أَسْلِحَتَهُمْ

“फिर जब वह सज्दा कर चुकें तो तुम्हारे पीछे हो जाएँ”

فَإِذَا سَجَدُوا فَأَنْبِئُوا مِنْ وَّرَائِكُمْ

“और आए दूसरा गिरोह जिन्होंने अभी नमाज़ नहीं पढ़ी और वह आप صلی اللہ علیہ وسلم के साथ नमाज़ पढ़ें”

وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا
مَعَكَ

यह हुक्म सलातुल खौफ़ के बारे में है। इसकी अमली सूरत यह थी कि हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم ने एक रकअत नमाज़ पढ़ा दी और उसके बाद आप صلی اللہ علیہ وسلم बैठे रहे, दूसरी रकअत के लिये खड़े नहीं हुए, जबकि मुक़तदियों ने दूसरी रकअत खुद अदा कर ली। दो रकअतें पूरी करके वह महाज़ पर वापस चले गये तो दूसरे गिरोह के लोग जो अब तक नमाज़ में शरीक नहीं हुए थे, नमाज़ के लिए हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم के पीछे आकर खड़े हो गए। अब हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم ने दूसरी रकअत इस गिरोह के लोगों की मौजूदगी में पढ़ाई। इसके बाद हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم ने सलाम फेर दिया, लेकिन मुक़तदियों ने अपनी दूसरी रकअत इन्फ़रादी तौर पर अदा कर ली। इस तरीके से लश्कर में से कोई शख्स भी हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم की इमामत के शर्फ़ और सआदत से महरूम ना रहा।

“और उनको भी चाहिये कि वह अपनी हिफ़ाज़त का सामान और अपना अस्लाह अपने साथ रखें।”

وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ

“यह काफ़िर लोग तो इसी ताक में रहते हैं कि तुम जैसे ही अपने अस्लाह और साज़ो सामान से ज़रा गाफ़िल हो, तो वह तुम पर एक दम

وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ
وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً
وَاجِدَةً

تَالْمُؤْنِ

यह बड़ा प्यारा अंदाज़ है कि इस कशमकश में अगर तुम लोग नुक़सान उठा रहे हो तो क्या हुआ? तुम्हारे दुश्मन भी तो वैसे ही नुक़सान से दो-चार हो रहे हैं, उन्हें भी तो तकालीफ़ पहुँच रही है, वह भी तो ज़ख़म पर ज़ख़म खा रहे हैं, उनके लोग भी तो मर रहे हैं।

“और तुम अल्लाह से ऐसी उम्मीदें रखते हो
जैसी उम्मीदें वह नहीं रखते।”

وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ

तुम्हें तो जन्नत की उम्मीद है, अल्लाह तआला से मग़फ़िरत की उम्मीद है, जबकि उन्हें ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। लिहाज़ा इस ऐतबार से तुम्हें तो उनसे कहीं बढ़ कर पुरजोश होना चाहिये। सूरह आले इमरान की आख़री आयत में भी अहले ईमान को मुख़ातिब करके फ़रमाया गया है (आयत:200):

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا} “ऐ ईमान वालो, सब्र से काम लो और सब्र में अपने दुश्मनों से बढ़ जाओ और मरबूत (एक साथ) रहो।” तो आप लोगों को सब्र व इस्तकामत में उनसे बहुत आगे होना चाहिये, क्योंकि तुम्हारा सहारा तो अल्लाह है: {وَاصِرٌ وَمَا صَدْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ} (अल् नहल:127) “आप सब्र कीजिये, और आपका सब्र तो बस अल्लाह ही की तौफ़ीक़ से है।” तुम्हारे दुश्मनों के तो मनगढ़त क़िस्म के खुदा हैं। उनके देवताओं और देवियों की खुद उनके दिलों में कोई हक़ीक़ी क़द्र व क़ीमत नहीं है, फिर भी वह अपने बातिल मअबूदों के लिये अपनी जान जोख़िम में डाल रहे हैं तो ऐ मुसलमानों! तुम्हें तो उनसे कई गुना ज़्यादा कुर्बानियों के लिये हर वक़्त तैयार रहना चाहिये।

“और यक़ीनन अल्लाह अलीम भी है और
हकीम भी।”

وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

यह चंद आयतें तो थीं अहले ईमान से ख़िताब में। इसके बाद अगले रकूअ में फिर मुनाफ़िक़ीन का ज़िक़्र आ रहा है।

जाओ।” चुनाँचे नमाज़ के बाद भी और कारोबारी ज़िन्दगी की मसरूफ़ियात के दौरान भी ज़िक्रे कसीर ज़ारी रखो। हर हाल में अल्लाह को याद करते रहो, उसके ज़िक्र में मशगूल रहो। दुआ-ए-मासूरह और दुआ-ए-मसनून का अहतमाम करो, अपनी ज़बानों, ज़हनों और दिलों को उसके ज़िक्र से तरोताज़ा रखो।

“फिर जब तुम्हें अमन हासिल हो जाए तो फिर नमाज़ को क़ायम करो (तमाम आदाब व शराइत के साथ)।”

فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

यानि नमाज़ की यह शक़ल (सलातुल ख़ौफ़) सिर्फ़ इज़तरारी (emergency) हालत में होगी, मगर जब ख़ौफ़ जाता रहे और हालते अमन बहाल हो जाए तो नमाज़ को शरीअत के अहकाम और आदाब के ऐन मुताबिक़ अदा करना ज़रूरी है।

“यक़ीनन नमाज़ अहले ईमान पर फ़र्ज़ की गई है वक़्त की पाबंदी के साथ।”

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا

مَوْقُوتًا ﴿١٠٧﴾

यानि नमाज़ की फ़र्ज़ियत बाक़ायदा उसके अवक़ात के साथ है। नमाज़ के अवक़ात के ज़िमन में एक हदीस में तफ़सील मज़कूर है कि हज़रत जिब्रील अलै० ने दो दिन रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم को नमाज़ पढाई। एक दिन पाँचो नमाज़ें अब्वल वक़्त में जबकि दूसरे दिन तमाम नमाज़ें आख़िर वक़्त में पढाई और बताया कि नमाज़ों के अवक़ात इन हदों के माबैन (बीच) हैं।

आयत 104

“और उस दुश्मन गिरोह का पीछा करने में कमज़ोरी ना दिखाओ।”

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِعَاءِ الْقَوْمِ

हक़ व बातिल की जंग अब फ़ैसलाकुन मरहले में दाख़िल हो रही हैं। इस आख़री मरहले में आकर थक ना जाना और दुश्मन का पीछा करने में सुस्त मत पड़ जाना, हिम्मत ना हार देना।

“अगर तुम्हें तकलीफ़ पहुँचती है तो तुम्हारी तरह उन्हें भी तो तकलीफ़ पहुँचती है।”

إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا

यानि एक तो अल्लाह ने अपने रसूल صلی اللہ علیہ وسلم को किताब दी है, क़ानून दिया है, इसके साथ आप صلی اللہ علیہ وسلم को बसीरते ख़ास दी है। मसलन अदालत में एक जज बैठा है, उसके सामने क़ानून की किताब है, मुकदमें से मुताल्लिक़ मुतलक़ा रिकार्ड है, शहादतें हैं, अब उसकी अपनी अक़ल (sixth sense) और कुव्वते फ़ैसला भी होती है, जिसको बरूएकार (इस्तेमाल) लाकर वह फ़ैसला करता है। यही वह चीज़ है जिसके बारे में अल्लाह तआला फ़रमाते हैं कि जैसा हम आप صلی اللہ علیہ وسلم को दिखाते हैं उसके मुताबिक़ आप صلی اللہ علیہ وسلم फ़ैसला करें।

“और आप صلی اللہ علیہ وسلم ख़्यानत करने वालों की तरफ़ से झगड़ने वाले ना बने।” وَلَا تَكُنْ لِلْغَائِبِينَ حَصِيْبًا ۝

यानि आप صلی اللہ علیہ وسلم उनकी तरफ़ से वकालत ना फ़रमायें। एक शख्स जो कहने को तो मुसलमान है लेकिन है ख़ाइन, आप صلی اللہ علیہ وسلم को उसकी तरफ़दारी नहीं करनी चाहिये। इसके पसमंज़र में दरअसल एक वाक़्या है। एक मुनाफ़िक़ ने किसी मुसलमान के घर में चोरी के लिये नक़ब (सेंध) लगाई और वहाँ से आटे का एक थैला और कुछ अस्लाह चुरा लिया। आटे के थैले में सुराख़ था, जब वहाँ से वह अपने घर की तरफ़ चला तो सुराख़ में से आटा थोड़ा-थोड़ा गिरता गया। इस तरह उसके रास्ते और घर की निशानदेही होती गई, मगर उसे ख़बर नहीं थी कि आटे की लकीर उसका राज़ फ़ाश कर रहीं है। घर पहुँच कर उसे ख़्याल आया कि मुमकिन है मुझ पर शक़ हो जाये, चुनाँचे उसने उसी वक़्त जाकर वह सामान एक यहूदी के यहाँ अमानतन रखवा दिया, लेकिन आटे का निशान वहाँ भी पहुँच गया अगले रोज़ जब तलाश शुरू हुई तो आटे की लकीर के ज़रिये लोग खोज लगाते हुए उसके मकान पर पहुँच गये, लेकिन पूछने पर उसने साफ़ इन्कार कर दिया। तलाशी ली गई, मगर कोई चीज़ बरामद ना हुई। जब लोगों ने देखा कि आटे के निशानात मज़ीद आगे जा रहे हैं तो वह खोज लगाते हुए यहूदी के घर पहुँचे, उसके यहाँ से सामान भी बरामद हो गया। यहूदी ने हक़ीक़त बयान कर दी यह सामान रात को फ़लाँ शख्स ने उसके पास अमानतन रखवाया था। मुनाफ़िक़ की क़ौम के लोगों ने कहा कि यहूदी झूठ बोलता है, वही चोर है। जब कोई फ़ैसला ना हो सका तो यह झगड़ा हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم के सामने लाया गया। मुनाफ़िक़ के क़बीले वालों ने क़समें खा-खा कर ख़ूब वकालत की कि हमारा यह आदमी तो बहुत नेक है, इस पर ख़वाह मख़वाह का झूठा इल्ज़ाम लग रहा है। यहाँ तक कि हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم

आयात 105 से 115 तक

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ
 لِلْخَافِيْنَ حَصِيْمًا ۝ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوْرًا رَحِيْمًا ۝ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ
 الدِّينِ يُخْتَالُوْنَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَآئِنًا أَثِيْمًا ۝ يَسْتَحْفُوْنَ مِنَ
 النَّاسِ وَلَا يَسْتَحْفُوْنَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُوْنَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ
 وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا ۝ هَآأَنْتُمْ هُوَآءِ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَوَةِ الدُّنْيَا فَمَنْ
 يُجَادِلِ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَمْ مَن يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۝ وَمَن يَعْْمَلْ سُوءًا
 أَوْ يُظَلِّمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوْرًا رَحِيْمًا ۝ وَمَن يَكْسِبِ إِثْمًا فَإِنَّمَا
 يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝ وَمَن يَكْسِبِ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ
 بَرِيْمًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِيْنًا ۝ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ
 طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضَلُّوْكَ وَمَا يُضَلُّوْنَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ
 اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا
 ۝ لَا خَيْرَ فِي كَثِيْرٍ مِّن نَّجُوْبِهِمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوْفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ
 النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ أَجْرًا عَظِيْمًا ۝ وَمَن
 يُشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهِ مَا
 تَوَلَّىٰ وَنُضَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا ۝

आयात 105

“(ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم) यकीनन हमने आप صلی اللہ علیہ وسلم पर किताब नाज़िल की है हक़ के साथ ताकि आप صلی اللہ علیہ وسلم लोगों के माबैन फैसला करें उसके मुताबिक़ जो अल्लाह ने आपको दिखाया है”

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ
 النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ

यह लोग इंसानों से अपनी हरकतों को छुपा सकते हैं मगर अल्लाह तआला से नहीं छुपा सकते।

“और वह तो उनके साथ होता है जब वह रातों को छुप कर उसकी मर्ज़ी के खिलाफ़ मशवरे करते हैं।”

وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ

यह मुनाफ़िकों के बारे में फ़रमाया जा रहा है कि जब वह मुसलमानों और रसूल صلی اللہ علیہ وسلم के खिलाफ़ चोरी-छुपे साज़िशें कर रहे होते हैं तो अल्लाह तआला उनके साथ मौजूद होता है। अगर अल्लाह पर उनका ईमान हो तो उन्हें मालूम हो कि अल्लाह हमारी बातें सुन रहा है। यह मुसलमानों से डरते हैं, उनसे अपनी बातों को खुफ़िया रखते हैं, मगर इन बबदबख्तों को यह ख़्याल नहीं आता कि अल्लाह तआला तो हर वक़्त हमारे पास मौजूद है, उससे तो कुछ नहीं छुप सकता।

“और जो कुछ वह कर रहे हैं अल्लाह तआला उसका अहाता किये हुए हैं।”

وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ۝

यानि उसकी पकड़ से कहीं बाहर नहीं निकल सकते।

आयत 109

“यह तुम लोग हो जिन्होंने दुनिया की ज़िन्दगी में इन (मुजरिमों) की तरफ़ से झगडा कर लिया।”

هَاتُكُمْ هَؤُلَاءِ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

“मगर कयामत के दिन अल्लाह से इनके बारे में कौन झगडा करेगा?”

الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“या कौन होगा जो (वहाँ) उनका वकील बन सकेगा?”

أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۝

यह ख़िताब है उस मुनाफ़िक चोर के क़बीले के लोगों से कि ऐ लोगों! तुमने दुनिया की ज़िन्दगी में तो मुजरिमों की तरफ़ से ख़ूब वकालत कर ली, यहाँ तक कि हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم को भी क़ायल करने के हद तक तुम पहुँच गये। मगर यहाँ तुम उन्हें छुडा भी लेते और बिल फ़र्ज़ हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم को भी क़ायल कर लेते तो

का दिल भी उस शख्स के बारे में कुछ पसीजने लगा। इस पर यह आयत नाज़िल हुई कि आप ख्यानत करने वाले के हिमायती ना बनें, उसकी तरफ़ से वकालत ना करें, उसका सहारा ना बनें, उसको मदद ना पहुँचायें। यहाँ **خَصِيًّا** के मायने हैं झगड़ा करने वाला, बहस करने वाला। **لِلْخَائِبِينَ** का मतलब है “खाइन लोगों के हक़ में” लेकिन अगर **عَلَى الْخَائِبِينَ** होता तो इसका मतलब होता “खाइन लोगों के खिलाफ़।”

आयत 106

“और अल्लाह से अस्तग़फ़ार करें, यक़ीनन **وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رّٰحِيْمًا** **○** अल्लाह तआला बख़्शने वाला बहुत रहम करने वाला है।”

यानि उस मुनाफ़िक़ के हक़ में आप **صلی اللہ علیہ وسلم** की तबीयत में जो नर्मी पैदा हो गई थी उस पर अल्लाह से अस्तग़फ़ार कीजिये, मग़फ़िरत तलब कीजिये।

आयत 107

“और आप **صلی اللہ علیہ وسلم** मत झगड़िये उन लोगों की तरफ़ से जो अपनी जानों के साथ ख्यानत करते हैं।” **وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الدّٰیْنِ یُجَادِلُوْنَ اَنْفُسَهُمْ**

इस हुक़म के हवाले से ज़रा मसला-ए-शफ़ाअत पर भी ग़ौर करें। हम यह उम्मीद लगाये बैठे हैं कि हुज़ूर **صلی اللہ علیہ وسلم** हमारी तरफ़ से शफ़ाअत करेंगे, चाहे हमने बेईमानियाँ की हैं, हरामखोरियाँ की हैं, शरीअत की धज्जियाँ बिखेरी हैं। लेकिन यहाँ आप **صلی اللہ علیہ وسلم** को दो टूक अंदाज़ में ख़ाइन लोगों की वकालत से मना किया जा रहा है।

“यक़ीनन अल्लाह तआला को बिल्कुल पसंद नहीं है ख्यानत में बहुत बड़े हुए और गुनहगार लोग।” **اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوّٰآ اٰثِمًا** **○**

आयत 108

“यह लोगों से तो छुपते हैं मगर अल्लाह से नहीं छुप सकते” **یَسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا یَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ**

ववाल अपनी ही जान पर लेता है। और
अल्लाह अलीम और हकीम है।”

وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١٠﴾

आयत 112

“और जो कोई किसी गलती या गुनाह का इरतकाब करता है, फिर उसका इल्ज़ाम किसी बेगुनाह पर लगा देता है”

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا

“तो उसने अपने सर एक बहुत बड़ा बोहतान और बहुत सरीह गुनाह का बोझ ले लिया।”

فَقَدْ اخْتَبَلَ بِهِتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿١١١﴾

किसी ने कोई गुनाह कमाया, कोई खता की, कोई ग़लती की, कोई जुर्म किया, फिर उसकी तोहमत किसी बेकसूर शख्स पर लगा दी तो बहुत बड़े बोहतान और खुल्म-खुल्ला गुनाह का भार समेट लिया। मज़कूरा मामले में यहूदी तो बेकसूर था, जो लोग उसको सजा दिलवाने में तुल गए तो उनका यह फ़अल के जुमरे (category) में आ गया। किसी बेगुनाह पर इस तरह का बोहतान लगाना अल्लाह के नज़दीक बहुत संजीदा मामला है।

इसके बाद उस यहूदी और मुनाफ़िक़ के मुक़दमे के कुछ मज़ीद पहलुओं के बारे में हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم से ख़िताब हो रहा है।

आयत 113

“और (ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم) अगर अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत आप صلی اللہ علیہ وسلم के शामिले हाल ना होती तो उन (मुनाफ़िक़ों) का एक गिरोह तो इस पर तुल गया था कि आपको गुमराह कर दें।”

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَيَّبْتَ
كَلِيفَةً مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ

वह लोग तो इस पर कमरबस्ता थे कि आप صلی اللہ علیہ وسلم को ग़लतफ़हमी में मुब्तला करके आप صلی اللہ علیہ وسلم से ग़लत फ़ैसला करवाएँ, अदालते मुहम्मदी صلی اللہ علیہ وسلم से जुल्म पर मन्त्री फ़ैसला सादर (जारी) हो जाये, गुनाहगार छूट जाए और जो असल मुजरिम नहीं था, बिल्कुल बेगुनाह था, उसे पकड़ लिया जाए।

क्यामत के दिन उन्हें अल्लाह की पकड़ से कौन छुड़ाता? इस ज़िमान में हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم की एक हद्दीस का मफ़हूम इस तरह है कि मेरे सामने कोई मुक़दमा पेश होता है, उसमें एक फ़रीक़ ज़्यादा चर्प ज़बान होता है, वह अपनी बात बेहतर तौर पर पेश करता है और मेरे यहाँ से अपने हक़ में गलत तौर पर फ़ैसला ले जाता है। (फ़र्ज़ कीजिये किसी ज़मीन के टुकड़े के बारे में कोई तनाज़ा [विवाद] था और एक शख्स गलत तौर पर बात साबित करके अपने हक़ में फ़ैसला ले गया) लेकिन उसे मालूम होना चाहिये कि इस तरह वह ज़मीन का टुकड़ा नहीं बल्कि जहन्नम का टुकड़ा लेकर गया है। यानि खुद रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم जो भी फ़ैसला करते थे शहादतों के ऐतबार से करते थे, हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم के लिये अल्लाह की तरफ़ से हर वक़्त और हर मरहले पर तो वही नाज़िल नहीं होती थी, जहाँ अल्लाह तआला चाहता वहाँ आप صلی اللہ علیہ وسلم को मुतन्बा (note) फ़रमा देता था। इसलिये आइंदा के लिये अल्लाह तआला ने तम्बीह फ़रमा दी कि अगर कुछ लोग इस दुनिया में झूठ, फ़रेब और गलत फ़ैसले के ज़रिये कोई मफ़ाद हासिल कर भी लेते हैं तो उन्हें यह बात नहीं भूलनी चाहिये कि एक दिन उसकी अदालत में भी पेश होना है जहाँ झूठ और गलत बयानी से काम नहीं चलेगा, वहाँ उनके हक़ में अल्लाह से कौन झगड़ेगा?

आयत 110

“और जो कोई बुरी हरकत करे या अपनी जान पर कोई जुल्म कर बैठे और फिर अल्लाह से इस्तग़फ़ार करे तो वह अल्लाह को पायेगा बख़्शने वाला, बहुत रहम करने वाला।”

وَمَنْ يَعْْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

इस सिलसिले में सीधी रविश यही है कि गलती या ख़ता हो गई है तो उसका ऐतराफ़ कर लो, उस जुर्म की जो दुनियवी सज़ा है वह भुगत लो और अल्लाह से इस्तग़फ़ार करो। इस तरह आख़िरत की सज़ा से छुटकारा मिल जायेगा।

आयत 111

“जो कोई भी गुनाह कमाता है तो वह उसका

وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ

आपको उसकी मदद करनी चाहिये, वगैरह। फिर मारुफ़ और भलाई के उमूर (कामों) में खुफ़िया सलाह मशवरे अगर किये जाएँ तो इसमें भी हर्ज नहीं। इसी तरह किसी ग़लतफ़हमी या झगड़े की सूरत में फ़रीक़ैन में सुलह सफ़ाई कराने की ग़र्ज़ से भी खुफ़िया मुज़ाकरात किसी साज़िश के जुमरे में नहीं आते। मसलन दो भाई झगड़ पड़े हैं, अब आप एक की बात अलैहदगी में सुने और दूसरे के पास जाकर उस बात को बेहतर अंदाज़ में पेश करें कि आपको मुग़ालता हुआ है, उन्होंने यह बात यूँ नहीं, यूँ कही थी। इस तरह की अलैहदा-अलैहदा गुफ़्तगू जो नेक नीयती से की जा रही हो, यह यक़ीनन नेकी और भलाई की बात है, जो बाइसे अज़्रो सवाब है।

“और जो शख्स इस तरह (की शरगोशी) करेगा अल्लाह तआला की रज़ाजोई के लिये तो अनक़रीब हम उसे देंगे बहुत बड़ा अजरा।”

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ①

आयत 115

“और जो रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم की मुख़ालफ़त पर तुल गया, इसके बाद कि उस पर हिदायत वाज़ेह हो चुकी”

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ

यानि जो कोई खुफ़िया साज़िशों और चोरी-छुपे की लगाई-बुझाई के ज़रिये लोगों को अल्लाह के रसूल صلی اللہ علیہ وسلم के ख़िलाफ़ भड़काता है कि देखो जी यह अपने लोगों को नवाज़ रहे हैं। जैसा कि ग़ज़वा-ए-हुनैन में हुआ था कि आप صلی اللہ علیہ وسلم ने मक्का मुकर्रमा के उन मुसलमानों को जो फ़तह मक्का के बाद मुसलमान हुए थे, माले ग़नीमत में से उनकी दिलजोई के लिये (जिसे कुरान में तालीफ़े कुलूब कहा गया है) ज़रा ज़्यादा माल दे दिया तो उस पर बाज़ लोगों ने शोर मचा दिया कि देख लिया, जब कड़ा वक़्त था, मुश्किल वक़्त था तो उसे हम झेलते रहे, अब यह अच्छा वक़्त आया है तो आपको रिश्तेदार याद आ गये हैं। ज़ाहिर है मक्के वाले हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم के रिश्तेदार थे, कुरैश का क़बीला हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم का अपना क़बीला था। तो तरह-तरह की बातें जो आज के दौर में भी होती हैं वैसी ही बातें हमेशा होती रहीं हैं। यह इंसान की फ़ितरत है जो हमेशा एक सी रही है, इसमें कोई तगय्युर (परिवर्तन) व तबद्दुल (बदलाव) नहीं हुआ।

“और हकीकत में वह नहीं गुमराह करते मगर अपने आपको और (ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم) वह आप صلی اللہ علیہ وسلم को कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचा सकते।”

وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوكَ مِنْ شَيْءٍ

हम ऐसे मौके पर बरवक्त आप صلی اللہ علیہ وسلم को मुत्तलाअ करते रहेंगे।

“और अल्लाह ने आप صلی اللہ علیہ وسلم पर किताब नाज़िल की है और हिकमत भी, और आप صلی اللہ علیہ وسلم को वह कुछ सिखाया है जो आप صلی اللہ علیہ وسلم नहीं जानते थे।”

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ

“और यक़ीनन अल्लाह का फ़ज़ल है आप صلی اللہ علیہ وسلم पर बहुत बड़ा।”

وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١﴾

आयत 114

“उन (मुनाफ़िक़ीन) की सरगोशियों में से अक्सर में कोई भलाई नहीं होती।”

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ

मुनाफ़िक़ीन की मन्फ़ी सरगर्मियों का ज़िक्र है। अलैहदा बैठ कर सरगोशियाँ करना, दूसरों को देख कर मुस्कुराना और साथ इशारे भी करना ताकि देखने वाले के दिल में ख़ल्लान (शक) पैदा हो कि मेरे बारे में बात हो रही है, आज भी हमारी मजलिसों में यह सब कुछ होता है। यह सारे मामले ज्यों के त्यों इंसानी मआशरे के अंदर वैसे ही आज भी मौजूद हैं। मगर अल्लाह का फ़रमान है कि इस अंदाज़ की खुफ़िया सरगोशियों का ज़्यादा हिस्सा ऐसा होता है जिसमें कोई ख़ैर नहीं होती।

“इल्ला यह कि कोई तल्कीन करे सद्का व ख़ैरात की, या नेकी की या लोगों के मामलात को दुरुस्त करने की।”

إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ

ख़ैर वाली सरगोशी यह हो सकती है कि ख़ामोशी से किसी को अलैहदगी में ले जाकर उसको सद्का व ख़ैरात की तल्कीन की जाये कि भाई देखो आपको अल्लाह ने ग़नी किया है, फ़लाँ शख्स मोहताज है, मैं उसको जानता हूँ,

وَيُمْنِيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۝ أُولَئِكَ مَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَلَا يَجِدُونَ
عَنْهَا مَخِيصًا ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ۝ لَيْسَ
بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ۝ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ
مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ۝ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ۝

आयत 116

“अल्लाह हरगिज़ नहीं बख़्शेगा इस बात को कि उसके साथ शिर्क किया जाये, और बख़्श देगा इसके सिवा जिसके लिये चाहेगा।”

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونِ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

गोया यह भी कोई फ्री लाइसेंस नहीं है। याद रहे कि यह आयत इस सूरह मुबारका में दूसरी बार आ रही है।

“और जो शिर्क करता है अल्लाह के साथ वह तो फिर गुमराह हो गया और गुमराही में भी बहुत दूर निकल गया।”

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ۝

आयत 117

“नहीं पुकारते यह लोग अल्लाह के सिवा मगर देवियों को, और वह नहीं पुकारते किसी को सिवाये सरकश शैतान के।”

إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ۝

यहाँ पहली मर्तबा मुशरिकीने मक्का की बात भी हो रही है। मुशरिकीने मक्का ने अपने देवियों के मुअन्नस (female) नाम रखे हुए थे, जैसे लात, मनात,

“और वह अहले ईमान के रास्ते के सिवा कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करें”

وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ

“तो हम भी उसको उसी तरफ़ फेर देते हैं जिस तरफ़ उसने खुद रुख इख्तियार कर लिया हो और हम उसे पहुँचाएँगे जहन्नम में”

نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ

“और वह बहुत बुरी जगह है लौटने की।”

وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٦﴾

यह आयत इस ऐतबार से बड़ी अहम है कि इमाम शाफ़ई रहि० के नज़दीक इज्मा-ए-उम्मत की सनद इस आयत में है। यह बात तो बहुत वाज़ेह है कि इस्लामी क़वानीन के लिये बुनियादी माख़ज़ (source) कुरान है, फिर हदीस व सुन्नत है। इस तरह इज्तिहाद का मामला भी समझ में आता है, मगर इज्मा किसी चीज़ का नाम है? इसका ज़िक्र कुरान में कहाँ है? इमाम शाफ़ई रहि० फ़रमाते हैं कि मैंने इज्मा की दलील कुरान से तलाश करने की कोशिश की और कुरान को शुरू से आख़िर तक तीन सौ मर्तबा पढ़ा मगर मुझे इज्मा की कोई दलील नहीं मिली। फिर बिल्आख़िर तीन सौ एक मर्तबा पढ़ने पर मेरी नज़र जाकर इस आयत पर जम गई: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ}। गोया अहले ईमान का जो रास्ता है, जिस पर इज्मा हो गया हो अहले ईमान का, वह खुद अपनी जगह बहुत बड़ी सनद है। इसलिये कि रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم का इर्शाद है: ((إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ)) “मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी।”

आयात 116 से 126 तक

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١١٦﴾ إِنَّ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا آتَانَا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ﴿١١٧﴾ لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا يُخَذِّنُ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴿١١٨﴾ وَلَا ضَلَّتْهُمْ وَلَا مَيَّيْنَتْهُمْ وَلَا مَرَّئَهُمْ فَلْيَبْتِكُنْ إِذَانَ الْإِنْعَامِ وَلَا مَرَّئَهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُبِينًا ﴿١١٩﴾ يَعِدُهُمْ

“और मैं उन्हें हुक्म दूँगा तो (उसकी तामील में) वह अल्लाह की तख़लीक़ में तब्दीली करेगे।”

وَلَا مَرْتَبَهُمْ فَلْيَعْبِرْنَ خَلْقَ اللَّهِ

जैसे आज जो कुछ आप देख रहे हैं कि मर्दों में औरतों के से अंदाज़ अपनाये जा रहे हैं और औरतों में मर्दों के से तौर-तरीक़े इख़्तियार किये जा रहे हैं। लेकिन साइंस के मैदान में, ख़ास तौर पर Genetics में जो कुछ आज हो रहा है वह तो बहुत ही नाज़ुक सूरते हाल है। साइंसी तरक्की के सबब इंसान आज इस मक़ाम पर पहुँच गया है कि वह अपना इख़्तियार इस्तेमाल करके जीनियामी तब्दीलियों के ज़रिये से अल्लाह की तख़लीक़ में तगय्युर व तबद्दुल कर रहा है।

“और जिस किसी ने भी अल्लाह को छोड़ कर शैतान को अपना दोस्त बना लिया तो वह बहुत खुले ख़सारे (और तबाही) में पड़ गया।”

وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِينًا ﴿١٠﴾

आयत 120

“वह (शैतान) उनसे वादे भी करता है और उन्हें उम्मीदें भी दिलाता है, और नहीं वादा करता उनसे शैतान मगर धोखे का।”

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١١﴾

शैतान उनको वादों के बहलावे देता है और आरज़ुओं में फँसाता है, सबज़ बाग़ दिखाता है, मगर शैतान के दावे सरासर फ़रेब हैं।

आयत 121

“यह वह लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है, और वहाँ से वह फ़रार की कोई सूरत नहीं पाएँगे।”

أُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُجِدُونَ عَنْهَا مَخْرَجًا ﴿١٢﴾

वहाँ से भागने का उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ़ अहले ईमान की शान क्या होगी, अगली आयत में इसकी तफ़सील है। दो गिरोहों या दो

उज्जा वगैरह। लेकिन असल में ना लात का कोई वुजूद है और ना ही मनात की कुछ हकीकत है। अलबत्ता शैतान ज़रूर मौजूद है जो उनकी पुकार सुन रहा है।

आयत 118

“अल्लाह ने उस पर लानत फ़रमा दी है।”

لَعْنَةُ اللَّهِ

“और उसने कहा (ऐ अल्लाह) मैं तेरे बंदो में *وَقَالَ لَا اتَّخَذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا* से एक मुकर्रर हिस्सा तो लेकर ही छोड़ूँगा।”

118

उन लोगों को मैं अपने साथ जहन्नम में पहुँचा कर रहूँगा। गोया:

“हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे!”

आयत 119

“और मैं लाज़िमन उनको बहकाऊँगा और उनको बड़ी-बड़ी उम्मीदें दिलाऊँगा”

وَأَضَلَّتْهُمْ وَلَا مَنِيئَتْهُمْ

उनके दिलों में बड़ी उम्मीदों के चिराग़ रोशन करूँगा कि यह बहुत ताबनाक (bright) केरियर हैं, लगे रहो इस काम में, इसमें बड़ा फ़ायदा है, नाजायज़ है तो ख़ैर है, अल्लाह बख़्श ही देगा। हम तो अल्लाह के प्यारे रसूल صلی اللہ علیہ وسلم के उम्मती हैं, हमें ख़ौफ़ किस बात का है? जिस तरह यहूदियों को यह ज़अम (दावा) हो गया था कि हम तो अल्लाह के बेटे हैं, हम उसके बड़े चहेते हैं, वगैरह। उनको मैं इस तरह की लंबी-लंबी उम्मीदों और लंबे-लंबे मन्सूबों में उलझा दूँगा। इसी को ‘तौले अमल’ कहते हैं।

“और मैं उन्हें हुक्म दूँगा तो (उसकी तामील में) वह चौपायों के कान चीर देंगे”

وَلَا مَرَّتْهُمْ فَلَيَيبِتْ لَنْ أَذَانَ الْأَنْعَامِ

इसकी तफ़सील सूरतुल अनआम में आयेगी कि फ़लाँ बुत या फ़लाँ देवी के नाम पर किसी जानवर के कान चीर कर उसे आज़ाद कर दिया गया है, अब इसको कोई छेड़ नहीं सकता, इसका गोशत नहीं खाया जा सकता, इस पर सवारी नहीं हो सकती।

अगरचे अल्लाह के यहाँ इस क़ानून में नमी का एक पहलु मौजूद है, लेकिन अपनी जगह यह बहुत सख्त अल्फ़ाज़ हैं। बाज़ अवक़ात बदी की जगह पर नेकी उसके मन्फ़ी असरात को धो देती है, लेकिन इस आयत के रू से बुराई का हिसाब तो होकर रहना है। मतलब यह है कि इंसान से जिस बदी का इरत्काब होता है वह उसके बारे में जवाबदेह है, उसका अहतसाब होकर रहेगा। अगर किसी की नेकी ने उसकी बदी को छुपा भी लिया, किसी ने ग़लती की और फिर सिद्क़े दिल से तौबा कर ली तो इसके सबब उसकी बदी के असरात जाते रहे, लेकिन मामला account for ज़रूर होगा। तौबा को दिखाया जायेगा, कि क्या तौबा वाक्रिअतन सच्ची थी? तौबा करने वाला अपने किये पर नादिम (शर्मिंदा) हुआ था? वाक्रई उसने आदते बद को छोड़ दिया था? या सिर्फ़ ज़बान से “أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ” की ग़रदान हो रही थी और साथ नाफ़रमानी और हरामखोरी भी ज्यों की त्यों चल रही थी। तो अहतसाब के कटहरे में हर शख्स और हर मामले को लाया जायेगा और खरा-खोटा देख कर फ़ैसला किया जायेगा। फिर जो मुजरिम पाया गया, उसे उसके किये की सज़ा ज़रूर मिलेगी।

“और वह नहीं पायेगा अपने लिये अल्लाह के मुक़ाबले में कोई हिमायती और ना कोई मददगार।”

وَلَا يَجِدُ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٠٩﴾

आयत 124

“और जो कोई नेक अमल करेगा, ख़्वाह वह मर्द हो या औरत और हो वह साहिबे ईमान”

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ
وَهُوَ مُؤْمِنٌ

“तो यह वह लोग हैं जो जन्नत में दाखिल होंगे और उनकी तिल के बराबर भी कोई हक़ तल्फ़ी नहीं की जायेगी।”

فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَبِيًّا ﴿١١٠﴾

आयत 125

“और उससे बेहतर दीन किसका होगा जिसने अपना चेहरा (सिर) अल्लाह के सामने झुका

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ

पहलुओं के दरमियान फ़ौरी तक्राबुल (simultaneous contrast) का यह अंदाज़ कुरान में हमें जगह-जगह नज़र आता है।

आयत 122

“और जो लोग ईमान लाएँ और नेक अमल करें उन्हें हम अनक़रीब दाख़िल करेंगे ऐसे बाग़ात में जिनके नीचे नहरें बहती होंगी”

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

“उनमें वह हमेशा-हमेश रहेंगे।”

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا

“अल्लाह का यह वादा सच्चा है, और कौन है जो अल्लाह से बड़ कर अपनी बात में सच्चा हो सकता है?”

وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا ۖ وَمَنْ أَضْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ۗ

आयत 123

“(ऐ मुसलमानों!) ना तुम्हारी ख़्वाहिशात पर (मौक़फ़ है) और ना अहले किताब की ख़्वाहिशात पर।”

لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ

तंबीह आ गई कि तुम्हारे अंदर भी बिना जवाज़ और बे बुनियाद ख़्वाहिशात पैदा हो जाएँगी। यहूद व नसारा की तरह तुम लोग भी बड़ी दिल खुशकुन आरज़ुओं में (wishful thinkings) के आदी हो जाओगे, शफ़ाअत की उम्मीद पर तुम भी हरामख़ोरियाँ करोगे, अल्लाह की नाफ़रमानियाँ जैसी कुछ उन्होंने की थीं तुम भी करोगे। लेकिन जान लो कि अल्लाह का क़ानून अटल है, बदलेगा नहीं। तुम्हारी ख़्वाहिशात से, तुम्हारी आरज़ुओं से और तुम्हारी तमन्नाओं से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे अहले किताब की ख़्वाहिशात से कुछ नहीं हुआ। बल्कि:

“जो कोई बुरा काम करेगा उसकी सज़ा उसको मिल कर रहेगी”

مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ

عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٣٣﴾ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿٣٤﴾
 وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ
 وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ
 غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿٣٥﴾ وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٣٦﴾ إِنَّ يَسْأَلُ
 يُدْهِبِكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ﴿٣٧﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدُ
 ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٣٨﴾

अब जो आयात आ रही हैं इनमें खिताब मुसलमानों ही से है लेकिन इनकी हैसियत “इस्तदराक (समझाने)” की है और इनका ताल्लुक इस सूरात की इब्तदाई आयतों के साथ है। सूरातुन्निसा के आगाज़ में ख्वातीन के मसलों के बारे में कुछ अहकाम नाज़िल हुए थे, जिनमें यतीम बच्चियों से निकाह के बारे में भी मामलात ज़ेरे बहस आये थे और कुछ तलाक़ वग़ैरह के मसले थे। इसमें कुछ निकात (points) लोगों के लिये वज़ाहत तलब थे, लिहाज़ा ऐसे निकात के बारे में मुसलमानों की तरफ़ से कुछ सवाल किये गये और हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم से कुछ वज़ाहतें तलब की गईं। जवाब में अल्लाह तआला ने यह वज़ाहतें नाज़िल की हैं और उस सवाल का हवाला देकर बात शुरू की गई है जिसका जवाब दिया जाना मक़सूद है।

आयत 127

“(ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم) यह लोग आप صلی اللہ علیہ وسلم से औरतों के मामले में फ़तवा पूछते हैं।”

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ

“कह दीजिये कि अल्लाह तुम्हें फ़तवा देता है (वज़ाहत करता है) उनके बारे में”

قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ

“और जो तुम्हें (पहले से) सुनाया जा रहा है किताब में यतीम लड़कियों के बारे में”

وَمَا يُثَلِّ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمِّي النِّسَاءِ

दिया, और (उसके बाद) अहसान (के दर्जे) तक पहुँच गया”

مُحْسِنٌ

अल्लाह की बंदगी में खूबसूरती लाकर, खुलूस और लिल्लाहियत के साथ, पूरे दीन का इत्तेबाअ करके, तفریق بین الدین से बच कर और total submission के ज़रिये से उसने अहसान के दर्जे तक रसाई हासिल कर ली।

“और उसने पैरवी की दीने इब्राहीम अलै० की यक़्स् होकर (या पैरवी की उस इब्राहीम अलै० के दीन की, जो यक़्स् था)।”

وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا

“और अल्लाह ने तो इब्राहीम को अपना दोस्त बना लिया था”

وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ۝

आयत 126

“और अल्लाह ही के लिये है जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है, और अल्लाह तआला हर शय का अहाता किये हुए हैं।”

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ۝

आयत 127 से 134 तक

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمِّي النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْعَبُونَ أَن تَنْكِحُوْهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُوْمُوْا لِلْيَتِيْمِ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيْمًا ۝ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْرًا أَوْ إِعْرَاصًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرًا ۝ وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا أَن تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمِيْلِ فَتَدْرُوْهَا كَالْمَعْلَاقَةِ ۝ وَإِن تَصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ

आयत 128

“और अगर किसी औरत को अंदेशा हो अपने शौहर से ज़्यादाती या बेरुखी का”

وَإِنْ أَهْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ
إِعْرَاضًا

एक “नुशूज़” तो वह था जिसका तज़क़िरा इसी सूरेत की आयत 34 में औरत के लिये हुआ था: {وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ} “और जिन औरतों से तुम्हें शरकशी का अंदेशा हो।” यानि वह औरतें, वह बीवियाँ जो ख़ाविंदों से सरकशी करती हैं, उनके अहकाम नहीं मानती, उनकी इताअत नहीं करती, अपनी ज़िद पर अड़ी रहती हैं, उनके बारे में हुक्म था कि उनके साथ कैसा मामला किया जाये। अब यहाँ ज़िक्र है उस “नुशूज़” का जिसका इज़हार ख़ाविंद की तरफ़ से हो सकता है। यानि यह भी तो हो सकता है कि ख़ाविंद अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा हो, उसके हुक्क अदा करने में पहलु तही कर रहा हो, अपनी “क्वामियत” के हक़ को ग़लत तरीक़े से इस्तेमाल कर रहा हो, बेजा रौब डालता हो, धौंस देता हो, या बिना वजह सताता हो, तंग करता हो और तंग करके महर माफ़ करवाना चाहता हो, या फिर बीवी के वालिदैन अच्छे खाते-पीते हों तो हो सकता है उसे ब्लैकमेल करके उसके वालिदैन से दौलत हथियाना चाहता हो। यह सारी ख़बासतें हमारे मआशरे में मौजूद हैं और औरतें बेचारी जुल्म व सितम की इस चक्की में पिसती रहती हैं। आयत ज़ेरे नज़र में इस मसले की वज़ाहत की गई है कि अगर किसी औरत को अपने शौहर से अंदेशा हो जाये कि वह ज़्यादाती करेगा, या अगर शौहर ज़्यादाती कर रहा हो और वह बीवी के हुक्क अदा ना कर रहा हो, या उसकी तरफ़ मैलान ही ना रखता हो, कोई नई शादी रचा ली हो और अब सारी तवज्जोह नई दुल्हन की तरफ़ हो।

“तो उन दोनों पर कोई इज़्लाम नहीं होगा कि वह आपस में सुलह कर लें।”

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا

यहाँ सुलह से मुराद यह है कि सारे मामले बाहम तय करके औरत खुला ले ले। लेकिन खुला लेने में, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं जबकि औरत को महर छोड़ना पड़ेगा, और अगर लिया था तो कुछ वापस करना पड़ेगा।

“और सुलह बहरहाल बेहतर है। अलबत्ता इंसानी नफ़्स पर लालच मुसल्लत रहता है।”

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ

यह इसी सूरत की आयत 3 की तरफ़ इशारा है। आयत ज़ेरे नज़र के साथ मिल कर उस आयत की तशरीह भी बिल्कुल वाज़ेह हो गई है और साबित हो गया कि वहाँ जो फ़रमाया गया था { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ } तो उससे असल मुराद “يَتِيمِي النِّسَاءِ” था। यानि अगर तुम्हें अंदेशा हो कि यतीम लड़कियों से शादी करोगे तो उनके साथ इंसाफ़ नहीं कर सकोगे (इसलिये कि उनकी तरफ़ से कोई नहीं जो उनके हुक्क का पासदार हो और तुमसे बाज़पुरस कर सके) तो फिर उनसे शादी मत करो, बल्कि दूसरी औरतों से शादी कर लो। अगर एक से ज़्यादा निकाह करना चाहते हो तो अपनी पसंद की दूसरी औरतों से, दो-दो, तीन-तीन, या चार-चार से कर लो { فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِيًّا وَتِلْكَ وَرِجَالٌ } मगर ऐसी बेसहारा यतीम लड़कियों से निकाह ना करो क्योंकि:

“जिनको तुम देते नहीं हो जो अल्लाह ने उनके लिये लिख दिया है और चाहते हो कि उनसे निकाह भी करो”

الَّتِي لَا تُوْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ
أَنْ تَنْكِحُوْنَ

यतीम समझ कर महर दिये बग़ैर उनसे निकाह करने के ख़्वाहिशमंद रहते हो।

“और (इसी तरह) वह बच्चे जो कमज़ोर हैं (जिन पर जुल्म होता है)”

وَالْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ

“और यह (हमने तुम्हें इतने तफ़सीलली अहकाम दिये हैं) कि यतीमों के मामले में इंसाफ़ पर कारबंद रहो”

وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ

“और जो भलाई भी तुम करोगे अल्लाह उससे वाक्रिफ़ है।”

وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

②

वह तुम्हारी नीयतों को जानता है। उसने शरीअत के अहकाम नाज़िल कर दिये हैं, बुनियादी हिदायात तुम्हें दे दी गई हैं। अब इज़ाफ़ी चीज़ तो बस यही है कि तुम्हारी नीयत साफ़ होनी चाहिये। क्योंकि { وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ } (अल् बकरह:220) अल्लाह जानता है कि कौन हक़ीक़त में शरारती है और किसकी नीयत सही है।

इसलिये फ़रमाया कि मुकम्मल इंसाफ़ करना तुम्हारे बस में नहीं। इससे मुराद दरअसल क़ल्बी मैलान है। एक हृदीस में भी इसकी वज़ाहत मिलती है कि नबी अकरम صلی اللہ علیہ وسلم फ़रमाया करते थे कि ऐ अल्लाह मैंने ज़ाहिरी चीज़ों में पूरा-पूरा अद्ल किया है, बाक़ी जहाँ तक मेरे दिल के मैलान का ताल्लुक है तो मुझे उम्मीद है कि इस बारे में तू मुझसे मुवाख़ज़ा नहीं करेगा। इसी लिये यहाँ फ़रमाया गया कि तुम चाहो भी तो अद्ल नहीं कर सकते।

“तो ऐसा ना हो कि तुम एक ही तरफ़ पूरे के पूरे झुक जाओ कि दूसरी बीवी को मुअल्लक़ करके छोड़ दो।”

فَلَا تَمِيلُوا أَكْلَ الْبَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ

दूसरी बीवी इस तरह मुअल्लक़ होकर ना रह जाये कि अब वह ना शौहर वाली है और ना आज़ाद है। उससे ख़ाविंद का गोया कोई ताल्लुक ही नहीं रहा।

“और अगर तुम इस्लाह कर लो और तक्रवा की रविश इख़्तियार करो तो अल्लाह तआला भी ग़फ़ी और रहीम है।”

وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

अब अगली आयत में तलाक़ के मामले में एक अहम नुक्ता बयान हो रहा है। तलाक़ यक़ीनन एक निहायत संजीदा मसला है, इसलिये रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ने फ़रमाया: ((أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الْكَلَّافُ)) “हलाल चीज़ों में अल्लाह तआला के नज़दीक सबसे ज़्यादा नापंसदीदा चीज़ तलाक़ है।” लेकिन हमारे मआशरे में इसको बसा अवक़ात कुफ़ तक पहुँचा दिया जाता है। लड़ाईयाँ हो रही हैं, मुक़दमात चल रहे हैं, मिज़ाजों में मुवाफ़क़त (मेल-जोल) नहीं है, एक-दूसरे को कोस रहे हैं, दिन-रात का झगडा है, लेकिन तलाक़ नहीं देनी। यह तर्ज़ अमल निहायत अहमक़ाना है और शरीअत की मंशा के बिल्कुल ख़िलाफ़ भी। इस आयत में आप देखेंगे कि एक तरह से तलाक़ की तरगीब दी गई है।

आयत 130

“और अगर वह (मियाँ-बीवी) दोनो अलैहदा हो जाएँगे तो अल्लाह उनको अपनी कुशादगी से ग़नी कर देगा।”

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ

मर्द चाहेगा कि मेरा पूरा महर वापस किया जाये जबकि औरत चाहेगी कि मुझे कुछ भी वापस ना करना पड़े। यह मज़ामीन सूरतुल बकरह में बयान हो चुके हैं।

“और अगर तुम अहसान करो और तक्रवा इख्तियार करो तो जान लो कि अल्लाह तुम्हारे तमाम आमाल से बाख़बर है।”

وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝

तुम मर्द हो, मर्दानगी का सबूत दो, इस मामले में अपने अंदर नर्मी पैदा करो, बीवी का हक़ फ़राख़ दिली से अदा करो।

आयत 129

“और तुम्हारे लिये मुमकिन ही नहीं कि तुम औरतों के दरमियान पूरा-पूरा इंसाफ़ कर सको, चाहे तुम इसके लिये कितने ही हरीस हो”

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

सूरह के आज़ाज़ (आयत 3) में फ़रमाया गया था: { فَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ } यानि अगर तुम्हें अंदेशा हो कि तुम अपनी बीवियों में (अगर एक से ज़्यादा हैं) अदल नहीं कर सकोगे तो फिर एक पर ही इकतफ़ा (सन्तुष्टि) करो, दूसरी शादी मत करो। अगर तुम्हें कुल्ली तौर पर इत्मिनान है, अपने ऊपर ऐतमाद है कि तुम अदल कर सकते हो तब दूसरी शादी करो, वरना नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि कुछ चीज़ें तो गिनती और नाप-तौल की होती हैं, उनमें तो अदल करना मुमकिन है, लेकिन जो क़ल्बी मैलान है यह तो इंसान के इख्तियार में नहीं है। हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم ने अपनी तमाम अज़वाज के लिये हर चीज़ गिन-गिन कर तय की हुई थी। शब बसरी (रात गुज़ारने) के लिये सबकी बारियाँ मुक़र्रर थीं। दिन में भी आप صلی اللہ علیہ وسلم हर घर में चक्कर लगाते थे। अस्त्र और मग़रिब के दरमियान थोड़ी-थोड़ी देर हर ज़ौजा मोहतरमा के पास ठहरते थे। अगर कहीं ज़्यादा देर हो जाती तो गोया ख़लबली मच जाती थी कि आज वहाँ ज़्यादा देर क्यों ठहर गये? यह चीज़े इंसानी मआशरे में साथ-साथ चलती हैं। हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم की अज़वाजे मुतहहरात रज़ि० का आपस का मामला बहुत अच्छा था, लेकिन सोकनापे (सोकनों) के असरात कुछ ना कुछ तो होते हैं, यह औरत की फ़ितरत है, जो उसके इख्तियार में नहीं है। तो

अल्लाह के खजाने बड़े वसीअ हैं और उसका हर हुक्म हिकमत पर मब्री होता है।

आयत 131

“और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है।”

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

“और (देखो मुसलमानों!) तुमसे पहले जिन लोगों को किताब दी गई थी उन्हें भी हमने वसीयत की थी और अब तुम्हें भी यही वसीयत है कि अल्लाह का तक्रवा इख्तियार करो।”

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاَيًّاكُمْ اَنْ اتَّقُوْا اللّٰهَ

अहकामे शरीअत की तामील के सिलसिले में असल जज़्बा-ए-मुहरका तक्रवा है। तक्रवा के बग़ैर शरीअत भी मज़ाक बन जायेगी। रसूल अल्लाह ﷺ के एक ख़ुत्बे के यह अल्फ़ाज़ बहुत मशहूर हैं और जुमे के ख़ुत्बों में भी अक्सर इन्हें शामिल किया जाता है: ((أَوْصِيَكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللّٰهِ)) “मुसलमानों! मैं तुम्हें भी और अपने नफ़्स को भी अल्लाह का तक्रवा इख्तियार करने की वसीयत करता हूँ।” कुरान हकीम में जा-बजा (जगह-जगह) अल्लाह तआला का तक्रवा इख्तियार करने की हिदायत की गई है। सूरह तहरीम (आयत:6) में इर्शाद है: {يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاٰهْلِيْكُمْ نَارًا} “ऐ ईमान वालो, बचाओ अपने आपको और अपने अहलो अयाल (घर वालों) को आग से।” यहाँ भी तक्रवा का हुक्म इन्तहाई ताकीद (ज़ोर) के साथ दिया जा रहा है।

“और अगर तुम ना मानोगे तो (याद रखो कि) जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है वह अल्लाह ही का है, और अल्लाह तआला तो खुद ग़नी है, अपनी ज़ात में खुद सतूदह (प्रशंसनीय) सिफ़ात हैं।”

وَ اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا

आयत 132

“और आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है वह अल्लाह ही का है, और अल्लाह काफ़ी है कारसाज़ होने के ऐतबार से।”

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللّٰهِ وَكِیْلًا

हो सकता है कि उस औरत को भी कोई बेहतर रिश्ता मिल जाये जो उसके साथ मिज़ाजी मुवाफ़क़त रखने वाला हो और उस शौहर को भी अल्लाह तआला कोई बेहतर बीवी दे दे। मियाँ-बीवी का हर वक़्त लड़ते रहना, दंगा-फ़साद करना और अदमे मुवाफ़क़त के बावजूद तलाक़ का इख़्तियार (option) इस्तेमाल ना करना, यह सोच हमारे यहाँ हिन्दु मआशरत और ईसाईयत के असरात की वजह से पैदा हुई है। हिन्दुमत की तरह ईसाईयत में भी तलाक़ हराम है। दरअसल इंजील में तो शरीअत और क़ानून है ही नहीं, सिर्फ़ अख़्लाकी तालीमात हैं। चुनाँचे जिस तरह नबी अकरम صلی اللہ علیہ وسلم ने फ़रमाया: ((الْبَعْضُ الْحَلَالُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ)) ऐसी ही कोई बात हज़रत मसीह अलै० ने भी फ़रमाई थी कि कोई शख्स बिना वजह अपनी बीवी को तलाक़ ना दे कि मआशरे में इसके मन्फ़ी असरात मुरत्तब होने का अंदेशा है। तलाक़ शुदा औरत की दूसरी शादी ना होने की सूरत में उसके आवारा हो जाने का इम्कान है और अगर ऐसा हुआ तो उसका बवाल उसे बिना वजह तलाक़ देने वाले के सर जायेगा। लेकिन यह महज़ अख़्लाकी तालीम थी, कोई क़ानूनी शिक़ (article) नहीं थी। ईसाईयत का क़ानून तो वही है जो तौरात के अंदर है और हज़रत मसीह अलै० फ़रमा गये हैं कि यह ना समझो कि मैं क़ानून को ख़त्म करने आया हूँ, बल्कि हज़रत मूसा अलै० की शरीअत तुम पर बदस्तूर नाफ़िज़ रहेगी। क़ानून बहरहाल क़ानून है, अख़्लाकी हिदायात को क़ानून का दर्जा तो नहीं दिया जा सकता। लेकिन ईसाईयत में इस तरह की अख़्लाकी तालीमात को क़ानून बना दिया गया, जिसकी वजह से बिलाजवाज़ पेचीदगियाँ पैदा हुई। चुनाँचे उनके यहाँ कोई शख्स अपनी बीवी को उस वक़्त तक तलाक़ नहीं दे सकता जब तक उस पर बद्कारि का जुर्म साबित ना करे। लिहाज़ा वह तलाक़ देने के लिये तरह-तरह के तरीके इस्तेमाल करके बीवी को पहले बद्कार बना देते हैं, फिर उसका सबूत फ़राहम करते हैं, तब जाकर उससे जान छुड़ाते हैं। तो शरीअत के दुरुस्त और आसान रास्ते अगर छोड़ दिये जाएँ तो फिर इसी तरह ग़लत और मुश्किल रास्ते इख़्तियार करने पड़ते हैं। यही वजह है कि इस आयत में अदमे मुवाफ़क़त की सूरत में तलाक़ के बारे में एक तरह की तरगीब नज़र आती है।

“और अल्लाह बड़ी वुसअत रखने वाला,
हिकमत वाला है।”

وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿٥٠﴾

दुनियावी चीज़ों की ख्वाहिश करके गोया समुन्दर से क्रतरा हासिल करने पर एकतफ़ा कर रहा है। बक़ौल अल्लामा इक़बाल:

तू ही नादान चंद कलियों पर क़नाअत कर गया
वरना गुलशन में इलाज-ए-तंगी-ए-दामाँ भी है!

लिहाज़ा अल्लाह से दुनिया भी माँगो और आख़िरत भी। और इस तरह माँगो जिस तरह उसने माँगने का तरीक़ा बताया है: (सूरतुल बक्ररह, आयत:201)

{رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} तुम लोग अल्लाह के साथ अपने मामलात को दुरुस्त करो, उसके साथ अपना ताल्लुक़ खुलूस व इख़लास की बुनियाद पर इस्तवार (stable) करो, उसकी तरफ़ से जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको अदा करो, फिर अल्लाह तआला यक़ीनन दुनिया में भी नवाज़ेगा और आख़िरत में भी।

“और अल्लाह तआला सब कुछ सुनने वाला
और देखने वाला है।”

وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٢٠١﴾

आयात 135 से 141 तक

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ
وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن
يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾ إِنَّ
الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَرَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرْ لَهُمْ
وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿١٣٧﴾ بَشِيرِ الْمُتَّقِينَ بِأَن لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣٨﴾ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ
الْكُفْرَيْنَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا
﴿١٣٩﴾ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَن إِذَا سَمِعْتُمُ آيَةَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيَسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا
تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخْرُجُوا فِي حَدِيثِ غَيْرَةٍ ۗ إِنَّكُمْ إِذَا مِن لَّهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ

अगर मियाँ-बीवी में वाकई निबाह नहीं हो रहा तो बेशक वह अलैहदगी इख्तियार कर लें, दोनों का कारसाज़ अल्लाह है। औरत भी यह समझे कि मेरा शौहर मुझ पर जो जुल्म कर रहा है और साथ इंसाफ़ नहीं कर रहा है, इस सूरत में अगर मैं इससे ताल्लुक मुन्क़तअ कर लूँगी तो अल्लाह कारसाज़ है, वह मेरे लिये कोई रास्ता पैदा कर देगा। और इसी तरह की सोच मर्द की भी होनी चाहिये। इसके बरअक्स यह सोच इन्तहाई अहमक़ाना और ख़िलाफ़े शरीअत है कि हर सूरत में औरत से निबाह करना है, चाहे अल्लाह से बगावत ही क्यों ना हो जाये। लिहाज़ा हर चीज़ को उसके मक़ाम पर रखना चाहिये।

आयत 133

“ऐ लोगों! वह चाहे तो तुम सबको ले जाये
और दूसरे लोगों को ले आये।”

إِنْ يَشَاءُ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ
بِآخَرِينَ

अल्लाह के मुक़ाबले में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। उसके सामने तुम सब नफ़से वाहिद की तरह हो, जब चाहे अल्लाह तआला सबको नस्यम-मन्सिया (नेस्तोनाबूद) कर दे और नये लोगों को पैदा कर दे।

“और यक़ीनन अल्लाह तआला इस पर क़ादिर
है।”

وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ۝

आयत 134

“जो कोई भी दुनिया का सवाब चाहता है तो
अल्लाह के पास है सवाब दुनिया का भी और
आख़िरत का भी।”

مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

जो शख्स अपनी सारी भाग-दौड़ और दिन-रात की मेहनत दुनिया कमाने, दौलत और जायदाद बढ़ाने, ओहदों में तरक्की पाने और माद्री तौर पर फलने-फूलने में लगा रहा है, दूसरी तरफ़ अल्लाह के अहक़ाम और हुक्क़ को नज़रअंदाज़ कर रहा है, उसे मालूम होना चाहिये कि अल्लाह तआला के पास तो पास दुनिया के ख़ज़ाने भी हैं और आख़िरत के भी। और यह कि वह सिर्फ़

किस तरह खत्म होगा? सरमायादार गरीबों का खून चूस-चूस कर रोज़-ब-रोज़ मोटे होते जा रहे हैं। यह निज़ाम एक ऐसी चक्की है जो आटा पीस-पीस कर एक ही तरफ़ डालती जा है रही है, जबकि दूसरी तरफ़ महरूमि ही महरूमि है। यहाँ दौलत का तक़सीम का निज़ाम ही ग़लत है, एक तरफ़ वसाइल की रेल-पेल है तो दूसरी तरफ़ भूख ही भूख। एक तरफ़ अमीर अमीरतर हो रहे हैं दूसरी तरफ़ गरीब गरीबतर, और गुरबत तो ऐसी लानत है जो इंसान को कुफ़्र तक पहुँचा देती है, अज़रुए हदीसे नबवी صلی اللہ علیہ وسلم:

((كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا)) लिहाज़ा सबसे पहले वह निज़ाम कायम करने की ज़रूरत है जिसमें अद्ल हो, इंसाफ़ हो, जिसमें ज़मानत दी गई हो कि हर शहरी की बुनियादी ज़रूरतों की कफ़ालत होगी। कफ़ालते आम्मा की यह ज़मानत निज़ामे ख़िलाफ़त में दी जाती है। जब निज़ाम दुरुस्त हो जाए तो फिर हुदूद व ताज़ीरात का निफ़ाज़ हो। फिर जो कोई चोरी करे उसका हाथ काटा जाए। लेकिन मौजूदा हालात में अगर इस्लामी क़वानीन नाफ़िज़ होंगे तो उनका फ़ायदा उल्टा लुटेरों और हरामख़ोरों को होगा, ब्लैक मार्केटिंग करने वाले उनसे मुस्तफ़ीद होंगे। जिन्होंने हरामख़ोरी से दौलत जमा कर रखी है, वह ख़ूब पाँव फैला कर सोएंगे। चोर का हाथ कटेगा तो उन्हें चोरी का डर रहेगा ना डाके का। तो असल काम निज़ाम का बदलना है। इसका यह मतलब नहीं कि (मआज़ अल्लाह) शरीअत नाफ़िज़ ना की जाये, बल्कि मक़सद यह है कि शरीअत नाफ़िज़ करने से पहले निज़ाम (system) को बदला जाए, दीन का निज़ाम कायम किया जाए और फिर इस निज़ाम को कायम रखने के लिये, इसको मुस्तहक़म और मज़बूत करने के लिये, इसे मुस्तक़िल तौर पर चलाने के लिये क़ानून नाफ़िज़ किया जाए। क्योंकि क़ानून ही किसी निज़ाम के इस्तहक़ाम (स्थिरता) का ज़रिया बनता है क़ानून के सही निफ़ाज़ से ही कोई निज़ाम मज़बूत होता है।

यही मज़मून आगे चल कर सूरतुल मायदा (आयत:8) में भी आयेगा, लेकिन वहाँ इसकी तरतीब बदल गई है। वहाँ तरतीब इस तरह है: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ } इस तरतीब के बदलने में एक इशारा यह भी है कि अल्लाह और अद्ल व क़िस्त गोया मुतरादिफ़ (बराबर) अल्फ़ाज़ हैं। एक जगह हुक़म है “गवाह बन जाओ अल्लाह के” और दूसरी जगह फ़रमाया: “गवाह बन जाओ क़िस्त के।” एक जगह फ़रमाया: “खड़े हो जाओ क़िस्त (अद्ल व इंसाफ़) के लिये” जबकि दूसरी जगह इर्शाद हुआ है कि “खड़े

الْمُنْفِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٨﴾ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْحٌ
 مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ
 عَلَيْكُمْ وَمَنْعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ
 لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٩﴾

आयत 135

“ऐ अहले ईमान, खडे हो जाओ पूरी कुव्वत के साथ अद्ल को क्रायम करने के लिये अल्लाह के गवाह बन कर”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ
 شُهَدَاءَ لِلَّهِ

यह आयत कुरान करीम की अज़ीम तरीन आयतों में से है। सूरह आले इमरान (आयत18) में हम पढ़ आये हैं: { شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَابِلًا بِالْقِسْطِ } “अल्लाह गवाह है कि उसके सिवा कोई मअबूद नहीं, और सारे फ़रिशते और अहले इल्म भी इस पर गवाह हैं, वह अद्ल का क्रायम करने वाला है।” अल्लाह तआला इस ज़मीन पर अद्ल क्रायम करना चाहता है, इसके लिये वह अपने दीन का ग़लबा चाहता है, और इस अज़ीम काम के लिये उसके कारिन्दे और सिपाही अहले ईमान ही हैं। उन्हीं के ज़रिये से अल्लाह तआला इस दुनिया में अद्ल क्रायम करेगा। लेकिन अहले ईमान को इस अज़ीम मक़सद के लिये कोशिश करनी होगी, जानों का नज़राना पेश करना होगा, ईसार करना होगा, कुर्बानियाँ देनी होंगी, तब जाकर कहीं दीन ग़ालिब होगा। अल्लाह तआला के यहाँ यह बहुत ही अहम मामला है। मआशरे में अद्ल व क्रिस्त के क्रायम की अहमियत का अंदाज़ा इससे लगाएँ कि इसके लिये जद्दो-जहद करने वालों को “अल्लाह के गवाह” कहा गया है। अद्ले इज्तमाई (Social Justice) पर इस्लाम ने जितना ज़ोर दिया है बदक्रिस्मती से आज हमारा मज़हबी तबक़ा उतना ही उससे बेपरवाह है। आज के मुस्लिम मआशरों में सिरे से शऊर ही नहीं की अद्ले इज्तमाई की भी कोई अहमियत इस्लाम में है। इस्लामी क़ानूने और हुदूद व ताज़ीरात के निफ़ाज़ की अहमियत तो सब जानते हैं, लेकिन बातिल निज़ाम की नाइंसाफ़ियाँ, यह जागीरदाराना जुल्म व सितम और ग़रीबों का इस्तहसाल (exploitation)

का सही मफ़हूम आज की ज़बान में होगा **chewing your words**. यानि इस तरीक़े से ज़बान को हरकत देना कि बात कहना भी चाहते हैं लेकिन कह भी नहीं पा रहे हैं, हक़ बात ज़बान से निकालना नहीं चाहते, ग़लत बात निकल नहीं रही है। या फिर वैसे ही हक़ बात कहने वाली सूरते हाल का सामना करने से कन्नी कतरा रहे हैं, मौक़े से ही बच निकलना चाहते हैं। लेकिन याद रखो कि ऐसी किसी कोशिश से इंसानो को तो धोखा दिया जा सकता है मगर अल्लाह तो तुम्हारी हर सोच, हर नीयत और हर हरकत से बाख़बर है।

इसके बाद जो मज़मून आ रहा है वह शायद इस सूरह मुबारका का अहमतरिन मज़मून है।

आयत 136

“ऐ ईमान वालो! ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके रसूल صلی اللہ علیہ وسلم पर और उस किताब पर जो उसने नाज़िल फ़रमाई अपने रसूल صلی اللہ علیہ وسلم पर और उस किताब पर जो उसने पहले नाज़िल फ़रमाई।”

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ
وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰی رَسُوْلِهِ وَالْكِتٰبِ
الَّذِيْ اَنْزَلْنَا مِنْ قَبْلُ

ईमान वालों से यह कहना कि ईमान लाओ बज़ाहिर अजीब मालूम होता है। “ऐ ईमान वालो, ईमान लाओ!” क्या मायने हुए इसके? इसका मतलब है कि इकरार बिल् लिसान वाला ईमान तो तुम्हें मौरूसी तौर पर हासिल हो चुका है। मुसलमान माँ-बाप के घर पैदा हो गए तो विरासत में ईमान भी मिल गया, या यह कि जब पूरा क़बीला इस्लाम ले आया तो उसमें पक्के मुसलमानों के साथ कुछ कच्चे मुसलमान भी शामिल हो गए। उन्होंने भी कहा: ईस तरह ईमान एक दर्जे (इकरार बिल् लिसान) में तो हासिल हो गया। यह ईमान का क़ानूनी दर्जा है। पीछे इसी सूरत (आयत:94) में हम पढ़ आए हैं कि अगर कोई शख्स रास्ते में मिले और वह अपना इस्लाम ज़ाहिर करे तो तुम उसको यह नहीं कह सकते हो कि तुम मोमिन नहीं हो, क्योंकि जिसने ज़बान से कलमा-ए-शहादत अदा कर लिया तो क़ानूनी तौर पर वह मोमिन है। लेकिन क्या हक़ीक़ी ईमान यही है? नहीं, बल्कि हक़ीक़ी ईमान है यक़ीने क़ल्बी। इसलिये फ़रमाया: “ऐ ईमान वालो!

हो जाओ अल्लाह के लिये।" मालूम हुआ कि अल्लाह और क्रिस्त के अल्फ़ाज़ जो एक दूसरे की जगह आये हैं, आपस में मुतरादिफ़ हैं।

"*ख्वाह यह (इंसाफ़ की बात और शहादत) तुम्हारे अपने खिलाफ़ हो या तुम्हारे वालिदैन के या तुम्हारे क़राबतदारों के।*"

وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ

एक मोमिन का ताल्लुक अद्ल व इंसाफ़ और क्रिस्त के साथ होना चाहिये, रिश्तेदारी के साथ नहीं। यहाँ पर हर्फ़े जार के बदलने से मायने में होने वाली तब्दीली मद्देनज़र रहे। *शहादे* का मतलब है लोगों पर गवाही, उनके खिलाफ़ गवाही, जबकि *शहादे* का मतलब है अल्लाह के लिये गवाही, लिहाज़ा *शुहदा* के मायने हैं अल्लाह के गवाह।

"*चाहे वह शख्स ग़नी है या फ़क़ीर, अल्लाह ही दोनों का पुश्तपनाह है।*"

إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِهِمَا

अल्लाह हर किसी का कफ़ील है, तुम किसी के कफ़ील नहीं हो। तुम्हें तो फ़ैसला करना है जो अद्ल व इन्साफ़ पर मब्री होना चाहिये, तुम्हें किसी की जानिबदारी नहीं करनी, ना माँ-बाप की, ना भाई की ना खुद अपनी। एक चोर दरवाज़ा यह भी होता है कि इसका हक़ तो नहीं बनता, लेकिन यह ग़रीब है, लिहाज़ा इसके हक़ में फ़ैसला कर दिया जाये। फ़रमाया कि फ़रीके मामला ख्वाह मालदार हो या ग़रीब, तुम्हें उसकी जानिबदारी नहीं करनी। यह हुक्म हमें वाज़ेह तौर पर हमारा फ़र्ज़ याद दिलाता है कि हम सब अल्लाह के गवाह बन कर खड़े हो जाएँ। हर हक़ बात जो अल्लाह की तरफ़ से हो उसके अलम्बरदार बन जाएँ और उस हक़ को कायम करने के लिये तन, मन और धन की कुर्बानी देने के लिये अपनी कमर कस लें।

"तो तुम ख्वाहिशात की पैरवी ना करो, मबादा कि तुम अद्ल से हट जाओ। अगर तुम ज़बानों को मरोड़ोगे या ऐराज़ करोगे तो (याद रखो कि) अल्लाह तआला तुम्हारे हर अमल से पूरी तरह बाख़बर है।"

فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْبُدُوا ۗ وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تَعْرُضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝

यानि अगर तुमने लगी-लपटी बात कही या हक़गोई से पहलु तही की तो जान रखो कि जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह को उसकी पूरी-पूरी ख़बर है "तल्लो"

किया, फिर ईमान लाये, फिर कुफ़्र किया,
फिर कुफ़्र में बढ़ते चले गये”

ثُمَّ أَرَادُوا كُفْرًا

यहाँ कुफ़्र से मुराद कुफ़्रे हकीकती, कुफ़्रे मायनवी, कुफ़्रे बातिनी यानि निफ़ाक़ है, क़ानूनी कुफ़्र नहीं। क्योंकि मुनाफ़िक़ीन के यहाँ कुफ़्र व ईमान के दरमियान जो भी कशमकश और खींचा-तानी हो रही थी, वह अंदर ही अंदर हो रही थी, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर तो उन लोगों ने इस्लाम का इंकार नहीं किया था।

“तो अल्लाह ना उनकी मज़फ़िरत करने वाला
है और ना वह उन्हें राहे रास्त दिखाएगा।”

لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ

سَبِيلًا ۝

वाज़ेह रहे कि मुनाफ़क़त का मामला ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में कोई मुनाफ़िक़ हो गया हो। मुनाफ़िक़ीन में एक तो शऊरी मुनाफ़िक़ थे, जो बाक़ायदा एक फ़ैसला करके अपनी हिक़मते अमली इख़्तियार करते थे, जैसे हम सूरह आले इमरान में उनकी पॉलिसी के बारे में पढ़ आए हैं कि सुबह ईमान का ऐलान करेंगे, शाम को फिर क़ाफ़िर हो जाएँगे, मुर्तद हो जाएँगे। तो मालूम हुआ कि ईमान उन्हें नसीब हुआ ही नहीं और उन्हें भी मालूम था कि वह मोमिन नहीं हैं। वह दिल से जानते थे कि हम ईमान लाये ही नहीं हैं, हम तो धोखा दे रहे हैं यह शऊरी मुनाफ़क़त है।

दूसरी तरफ़ कुछ लोग ग़ैर शऊरी मुनाफ़िक़ थे। यह वह लोग थे जिन्होंने इस्लाम तो कुबूल किया था, उनके दिल में धोखा देने की नीयत भी नहीं थी, लेकिन उन्हें असल सूरते हाल का अंदाज़ा नहीं था। वह समझते थे कि यह फूलों की सेज है, लेकिन उनकी तवक्कुआत के बिल्कुल बरअक्स वह निकला काँटो वाला बिस्तर। अब उन्हें क़दम-क़दम पर रुकावट महसूस हो रही है, इरादे में पुख़्तगी नहीं है, ईमान में गहराई नहीं है, लिहाज़ा उनका मामला “हरचे बाद़ा बाद” वाला नहीं है। ऐसे लोगों का हाल हम सूरतुल बक्ररह के आगाज़ (आयत:20) में पढ़ आए हैं कि कुछ रोशनी हुई तो ज़रा चल पड़े, अँधेरा हुआ तो खड़े के खड़े रह गए। कुछ हिम्मत की, दो चार क़दम चले, फिर हालात ना मुवाफ़िक़ देख कर ठिठक गये, पीछे हट गये। नतीजा यह होता था कि लोग उनको मलामत करते कि यह तुम क्या करते हो? तो अब उन्होंने यह किया कि झूठे बहाने बनाने लगे, और फिर इससे भी बढ़ कर झूठी क़समें

ईमान लाओ अल्लाह पर.....” इस नुक्ते को समझने के लिये हम इस आयत का तर्जुमा इस तरह करेंगे कि “ऐ अहले ईमान! ईमान लाओ अल्लाह पर जैसा कि ईमान लाने का हक़ है, मानो रसूल ﷺ को जैसा कि मानने का हक़ है.....” और यह हक़ उसी वक़्त अदा होगा जब अल्लाह और उसके रसूल ﷺ पर ईमान दिल में धर कर गया हो। जैसे सहाबा किराम रज़ि० के बारे में सूरतुल हुजरात (आयत:7) में फ़रमाया गया: { وَلَئِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ } “अल्लाह ने ईमान को तुम्हारे नज़दीक महबूब बना दिया है और उसे तुम्हारे दिलों में मुज़य्यन कर दिया है।” आगे चल कर इसी सूरह में कुछ लोगों के बारे में फ़रमाया: { قَالِبِ الْأَعْرَابِ آمَنَّا قُلْ لَمْ نُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قَوْلُوا اسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ } (आयत:14) “यह बददु लोग दावा कर रहे हैं कि हम ईमान ले आये हैं। ऐ नबी (ﷺ) इनसे कह दीजिये कि तुम हरगिज़ ईमान नहीं लाये हो, हाँ यूँ कह सकते हो कि हम मुसलमान हो गए हैं, लेकिन अभी तक ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ।” चुनाँचे असल ईमान वह है जो दिल में दाखिल हो जाए। यह दर्जा तस्दीक बिल् क़ल्ब का है। याद रहे कि आयत ज़ेरे मुताअला में दरअसल रूए सुखन मुनाफ़िक़ीन की तरफ़ है। वह ज़बानी ईमान तो लाए थे लेकिन वह ईमान असल ईमान नहीं था, उसमें दिल की तस्दीक शामिल नहीं थी (अरबी ज़बान से वाक़फ़ियत रखने वाले हज़रात यह नुक्ता भी नोट करें कि कुरान के लिये इस आयत में लफ़ज़ नज़ज़ला और तौरात के लिए अन्ज़ला इस्तेमाल हुआ है।)

“और जो कोई कुफ़्र (इन्कार) करेगा अल्लाह का, उसके फ़रिशतों का, उसकी किताबों का, उसके रसूलों का और क़यामत के दिन का, तो वह गुमराह हो गया और गुमराही में बहुत दूर निकल गया।”

وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ
وَالْيَوْمِ الْأَخِيرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ۝

यह तमाम आयात बहुत अहम हैं और मफ़हूम के लिहाज़ से इनमें बड़ी गहराई है।

आयत 137

“बेशक वह लोग जो ईमान लाये, फिर कुफ़्र

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا

आज़माईशें आएँगी, यह अल्लाह का अटल फैसला है: (सूरतुल बकररह, आयत:155) {وَلْتَبْلُوْا نَفْسَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْمُؤْتَفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمْرِثِ} यहाँ तो अलल ऐलान बताया जा रहा है: (सूरह आले इमरान, आयत:186) {لَتَبْلُوْنَ فِيْ أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَنْكُرُوا عَلَى كَيْدِكُمْ} यहाँ तो माल व जान का नुकसान उठाना पड़ेगा, हर तरह की तलख व नाज़ेबा बातें सुननी पड़ेंगी, कड़वे घूँट भी हलक़ से उतारने पड़ेंगे, क़दम-क़दम पर ख़तरात का सामना करना पड़ेगा।

दर रहे मंजिले लैला कि ख़तर हास्त बसे
शर्ते अब्वल क़दम ई अस्त कि मजनूँ बाशी।

आयत 139

“जो अहले ईमान को छोड़ कर कुफ़्फ़ार को अपना दोस्त बनाते हैं”

الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكُفْرَيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ
الْمُؤْمِنِينَ

इन मुनाफ़िक़ीन का तरीक़ा यह भी था कि वह कुफ़्फ़ार के साथ भी दोस्ती रखते थे और अपनी अक़ल से इस पॉलिसी पर अमल पैरा थे कि: Don't keep all your eggs in one basket. उनका ख़याल था कि आज अगर हम सब ताल्लुक़, दोस्तियाँ छोड़ कर, एकसू होकर मुसलमानों के साथ हो गए तो कल का क्या पता? क्या मालूम कल हालात बदल जाएँ, हालात का पलड़ा कुफ़्फ़ार की तरफ़ झुक जाये। तो ऐसे मुश्किल वक़्त में फिर यही लोग काम आएँगे, इसलिये वह उनसे दोस्तियाँ रखते थे।

“क्या वह उनके कुर्ब से इज़्ज़त चाहते हैं?”

يَتَتَّعُونَ عَنْدَهُمُ الْعِزَّةَ

क्या यह लोग इज़्ज़त की तलब में उनके पास जाते हैं? क्या उनकी महफ़िलों में जगह पाकर वह मुअज़्ज़ज़ बनना चाहते हैं? जैसे आज अमेरिका जाना और सदरे अमेरिका से मिलना गोया बहुत बड़ा ऐज़ाज़ है, जिसे पाने के लिये करोड़ों रुपये ख़र्च होते हैं। चंद मिनट की ऐसी मुलाक़ात के लिये किस-किस अंदाज़ से lobbying होती है, ख़्वाह उससे कुछ भी हासिल ना हो और उनकी पॉलिसियाँ ज्यों कि त्यों चलती रहें।

खानी शुरू कर दीं, कि खुदा की कसम यह मजबूरी थी, इसलिये मैं रुक गया था, ऐसा तो नहीं कि मैं जिहाद में जाना नहीं चाहता था। मेरी बीबी मर रही थी, उसे छोड़ कर मैं कैसे जा सकता था? वगैरह वगैरह। इस तरह की झूठी कसमें खाना ऐसे मुनाफ़िक़ीन का आख़री दर्जे का हरबा होता है। तो ईमान और कुफ़्र का यह मामला उनके यहाँ यूँ ही चलता रहता है, अगरचे ऊपर ईमान बिल् लिसान का पर्दा मौजूद रहता है। जब कोई शख्स ईमान ले आया और उसने इरतदाद (स्वधर्म त्याग) का ऐलान भी नहीं किया तो क़ानूनी तौर पर तो वह मुसलमान ही रहता है, लेकिन जहाँ तक ईमान बिल् क़ल्ब का ताल्लुक है तो वह “مُنْبَدِّئِينَ بَيْنَ ذَلِكَ” की कैफ़ियत में होता है और उसके अंदर हर वक़्त तज़बज़ुब और अहतज़ाज़ (oscillation) की कैफ़ियत रहती है कि अभी ईमान की तरफ़ आया, फिर कुफ़्र की तरफ़ गया, फिर ईमान की तरफ़ आया, फिर कुफ़्र की तरफ़ गया। इसकी मिसाल बैनही (बिल्कुल) उस शख्स की सी है जो दरिया या तालाब के गहरे पानी में डूबते हुए कभी नीचे जा रहा है, फिर हाथ-पैर मारता है तो एक लम्हे के लिये फिर ऊपर आ जाता है मगर ऊपर ठहर नहीं सकता और फ़ौरन नीचे चला जाता है। बिल्आख़िर नीचे जाकर ऊपर नहीं आता और डूब जाता है। बिल्कुल यही नक़शा है जो इस आयत में पेश किया जा रहा है। अगली आयत में खोल कर बयान कर दिया गया है कि यह किन लोगों का तज़क़िरा है।

आयत 138

“(ऐ नबी عليه وسلم) इन मुनाफ़िक़ों को बशारत दे दीजिये कि इनके लिये दर्दनाक अज़ाब है।”

بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

यानि वाज़ेह तौर पर फ़रमा दिया गया कि यह लोग मुनाफ़िक़ हैं और इनको अज़ाब की बशारत भी दे दी गई। यह अज़ाब की बशारत देना तंज़िया अंदाज़ है।

यहाँ पर कुबूले हक़ के दावेदारों को यह हकीक़त अच्छी तरह समझ लेनी चाहिये कि जो लोग दायरा-ए-इस्लाम में दाख़िल होते हैं, अल्लाह को अपना रख मानते हैं, उनके लिये यहाँ फूलों की सेज नहीं है, इसलिये जो शख्स इस गिरोह में शामिल होना चाहता है उसे चाहिये कि एकसू होकर आये, दिल में तहफ़्फ़ुज़ात (reservations) रख कर ना आये। यहाँ तो क़दम-क़दम पर

“यक्रीनन अल्लाह तआला जमा करने वाला है मुनाफ़िकों को भी और काफ़िरों को भी जहन्नम में सबके सब।”

إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ
جَمِيعًا ﴿١٠﴾

आयत 141

“वो लोग जो तुम्हारे लिये इन्तेज़ार की हालत में हैं।”

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُّونَ بِكُمْ

मुनाफ़िक तुम्हारे मामले में गर्दिशे ज़माना के मुन्तज़िर हैं। देखना चाहते हैं कि हालात का ऊँट किस करवट बैठता है। यह लोग “तेल देखो, तेल की धार देखो” की पॉलिसी अपनाये हुए हैं और नतीजे के इन्तेज़ार में हैं कि आख़री फ़तह किसकी होती है। इसलिये कि उनका तयशुदा मन्सूबा है कि दोनों तरफ़ कुछ ना कुछ ताल्लुकात रखो, ताकि वक़्त जैसा भी आये, जो भी सूरते हाल हो, हम उसके मुताबिक़ अपने बचाव की कुछ सूरत बना सकें।

“तो अगर तुम लोगों को अल्लाह की तरफ़ से कोई फ़तह हासिल हो जाये तो यह कहेंगे कि क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे?”

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ
مَعَكُمْ

अगर अल्लाह तआला की मदद से मुसलमान फ़तह हासिल कर लेते हैं तो वह आ जाँएँगे बाते बनाते हुए कि हम भी तो आपके साथ थे, मुसलमान थे, माले ग़नीमत में से हमारा भी हिस्सा निकालिये।

“और अगर कोई हिस्सा पहुँच जावा काफ़िरों को।”

وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ

कभी वक़ती तौर पर कुफ़्रार को फ़तह हासिल हो जाये, जंग में उनका पलड़ा भारी हो जाये।

“तो वह कहेंगे (अपने काफ़िर साथियों से) क्या हमने तुम्हारा घेराव नहीं कर लिया था? और हमने बचाया नहीं तुमको मुसलमानों से?”

قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ

“हाँलाकि इज़्जत तो कुल की कुल अल्लाह के इख्तियार में है।”

فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۝

लेकिन वह अल्लाह को छोड़ कर कहाँ इज़्जत ढूँढ रहे हैं?

आयत 140

“और यह बात वह तुम पर नाज़िल कर चुका है किताब में”

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ

“कि जब तुम सुनो कि अल्लाह की आयात के साथ कुफ़्र किया जा रहा है और उनका मज़ाक उड़ाया जा रहा है”

أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا

“तो उनके साथ मत बैठो यहाँ तक कि वह किसी और बात में लग जाएँ”

فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۝

यह सूरतुल अनआम की आयत 68 का हवाला है जिसमें मुसलमानों को हुक्म दिया गया था कि जब तुम्हारे सामने काफ़िर लोग अल्लाह की आयात का इस्तहज़ाअ (मज़ाक) कर रहे हों, कुरान का मज़ाक उड़ा रहे हों तो तुम वहाँ बैठो नहीं, वहाँ से उठ जाओ। यह मक्की आयत है। चूँकि उस वक़्त मुसलमानों में इतना ज़ोर नहीं था कि कुफ़्रार को ऐसी हरकतों से ज़बरदस्ती मना कर सकते इसलिये उनको बताया गया कि ऐसी महफ़िलों में तुम लोग मत बैठो। अगर किसी महफ़िल में ऐसी कोई बात हो जाए तो अहतजाजन वहाँ से उठ कर चले जाओ। ऐसा ना हो कि ऐसे बातों से तुम्हारी ग़ैरते ईमानी में भी कुछ कमी आ जाए या तुम्हारी ईमानी हिस्स कुन्द (कुंठित) पड़ जाए। हाँ जब वह लोग दूसरी बातों में मशगूल हो जाएँ तो फिर दोबारा उनके पास जाने में कोई हर्ज नहीं। दरअसल यहाँ ग़ैर मुस्लिमों से ताल्लुक मुन्क़तअ करना मक़सूद नहीं क्योंकि उनको तब्लीग़ करने के लिये उनके पास जाना भी ज़रूरी है।

“वरना तुम उन्हीं के मानिंद हो जाओगे।”

إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلَهُمْ

अगर इस हालत में तुम भी उन्हीं के साथ बैठे रहोगे तो फिर तुम भी उन जैसे हो जाओगे।

ظَلِمٌ ۙ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿١٣٩﴾ إِنَّ تَبِيدُوا خَيْرًا أَوْ تَخْفَوْهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ
 اللَّهُ كَانَ عَفْوًا قَدِيرًا ﴿١٤٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ
 اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ
 سَبِيلًا ﴿١٤١﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ حَقًّا ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٤٢﴾ وَالَّذِينَ
 آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمُ
 أَجُورَهُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٤٣﴾

आयत 142

“यक्रीनन मुनाफ़िक़ कोशिश कर रहे हैं
 अल्लाह को धोखा देने की”

إِنَّ الْمُنٰفِقِينَ يُخٰدِعُونَ اللَّهَ

यह मज़मून सूरतुल बक्ररह के दूसरे रुकूअ में भी आ चुका है। बाब مُحَمَّدٌ وَآلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ का मसदर है। इस बाब में किसी के मुक्काबले में कोशिश के मायने शामिल होते हैं। इसी सूरत में दो फ़रीक़ों में मुक्काबला होता है और पता नहीं होता कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लिहाज़ा इसका सही तर्जुमा होगा कि “वह धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं” इसके जवाब में अल्लाह की तरफ़ से फ़रमाया गया है:

“और वह उनको धोखा देकर रहेगा।”

وَهُوَ خٰدِعُهُمْ

عَدُوٌّ سَلٰسِي مُجْرَد से इस्मुल फ़ाइल है और यह निहायत ज़ोरदार ताकीद के लिये आता है, इसलिये तर्जुमे में ताकीदी अल्फ़ाज़ आएँगे। यहाँ मुनाफ़िक़ीन के लिये धोखे वाला पहलु यह है कि अल्लाह ने उनको जो ढील दी हुई है उससे वह समझ रहे हैं कि हम कामयाब हो रहे हैं, हमारे ऊपर अभी तक कोई आँच नहीं आई, कोई पकड़ नहीं हुई, कोई गिरफ़्त नहीं हुई, हम दोनों तरफ़ से बचे हुए हैं। इस हवाले से वह अपनी इस ढील की वजह से बढ़ते चले जा रहे हैं। और दरहकीकत यही धोखा है जो अल्लाह की तरफ़ से उनको दिया जा रहा है। यानि अल्लाह ने उनको धोखे में डाल रखा है।

यानि हमने तो आपको मुसलमानों से बचाने का मन्सूबा बनाया हुआ था, हम तो आपके लिये आड़ बने हुए थे। आप समझते हैं कि हम मुसलमानों के साथ होकर जंग करने आये थे? नहीं, हम तो इसलिये आये थे कि वक़्त आने पर मुसलमानों के हमलों से आपको बचा सकें।

“तो अल्लाह ही फ़ैसला करेगा तुम्हारे माबैन क़यामत के दिन।”

فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“और अल्लाह अहले ईमान के मुक़ाबले में काफ़िरों को राहयाब नहीं करेगा।”

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
سَبِيلًا ۝

जैसा कि इससे पहले बताया जा चुका है कि सुरतुन्निसा का बड़ा हिस्सा मुनाफ़िक़ीन से ख़िताब पर मुश्तमिल है, अगरचे उनसे बराहे रास्त ख़िताब में يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا के अल्फ़ाज़ कहीं इस्तेमाल नहीं हुए, बल्कि يَأَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا के अल्फ़ाज़ से ही मुख़ातिब किया गया है। क्योंकि वह भी ईमान के दावेदार थे, ईमान के मुद्दई थे, क़ानूनी तौर पर मुसलमान थे। यह एक तवील मज़मून है जो आइंदा आयाते मुबारका में अंजाम पज़ीर (concluded) हो रहा है।

आयात 142 से 152 तक

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَآءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ۝ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتْرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ۝ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ۝ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۝ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَدَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَأَمْتَمْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ۝ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ

आयत 143

“यह उसके माबैन मुज़बज़ब (होकर रह गये)
हैं।”

مُدْبِدِّينَ بَيْنَ ذَلِكَ

कुफ़्र और ईमान के दरमियान डवाँडोल हैं, किसी तरफ़ भी यकसू नहीं हो रहे। इसी लिये कुरान में हज़रत इब्राहीम अलै० के तज़किरे के साथ हनीफ़ का लफ़्ज़ बार-बार आता है। दीन के बारे में अल्लाह की तरफ़ से तरगीब यही है कि यकसू हो जाओ। दुनिया में अगर इंसान कुफ़्र पर भी यकसू होगा तो कम से कम उसकी दुनिया तो बन जायेगी, लेकिन अगर दुनिया और आख़िरत दोनों बनाने हैं तो फिर ईमान के साथ यकसू होना ज़रूरी है। लेकिन जो लोग बीच में रहेंगे, इधर के ना उधर के, उनके लिये तो {حَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ} के मिस्दाक़ दुनिया और आख़िरत दोनों का घाटा और नुक़सान होगा।

“ना तो यह इनकी जानिब हैं और ना ही
उनकी जानिब हैं।”

لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ

ना अहले ईमान के साथ मुख़्लिस हैं और ना अहले कुफ़्र के साथ। ना इनके साथ यकसू हैं और ना उनके साथ।

“और जिसे अल्लाह ही ने गुमराह कर दिया
हो तो उसके लिये तुम कोई रास्ता ना
पाओगे।”

وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ۝

यानि जिसकी गुमराही पर अल्लाह की तरफ़ से मोहर तस्दीक़ सब्त हो चुकी हो, उसके राहे रास्त पर आने का कोई इम्कान बाक़ी नहीं रहता।

आयत 144

“ऐ अहले ईमान, मत बनाओ काफ़िरों को
अपना दिली दोस्त मुसलमानों को छोड़ कर।”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكُفْرِينَ

أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

यह मज़मून पहले आयत 139 में भी आ चुका है। यह भी निफ़ाक़ की एक अलामत है कि अहले ईमान को छोड़ कर काफ़िरों के साथ दोस्तियों की पींगें बढ़ाई जायें, उनको अपना हिमायती, मददगार और राज़दार बनाया जाये।

“और जब वह खड़े होते हैं नमाज़ के लिये तो खड़े होते हैं बड़ी कसलमंदी (थकावट) के साथ”

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالًا

यह मुनाफ़िक़ीन जब नमाज़ के लिये खड़े होते हैं तो साफ़ नज़र आता है कि तबीयत में बशाशत नहीं है, आमादगी नहीं है। लेकिन चूँकि अपने आपको मुसलमान ज़ाहिर करना भी ज़रूरी है लिहाज़ा मजबूरन खड़े हो जाते हैं। قَامَ फ़अल है और इसके मायने हैं खड़े होना, जबकि قَائِمٌ इससे इस्मुल फ़ाइल है। मुख़्तलिफ़ ज़बानों में आम तौर पर verb के बाद prepositions की तब्दीली से मायने और मफ़हूम बदल जाते हैं। मसलन अँग्रेज़ी में to give एक खास मसदर है। अगर to give up हो तो मायने यक्सर (radically) बदल जाएँगे। फिर यह to give in हो तो बिल्कुल ही उल्टी बात हो जायेगी। इसी तरह अरबी में भी हरूफ़े जार के तब्दील होने से मायने बदल जाते हैं। लिहाज़ा अगर قَامَ عَلَى हो, जैसे {الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ} में है तो इसके मायने होंगे हाकिम होना, सरबराह होना, किसी के हुक़म का नाफ़िज़ होना। लेकिन अगर قَامَ إِلَى हो (जैसे आयत ज़ेरे नज़र में है) तो इसका मतलब होगा किसी शय के लिये खड़े होना, किसी शय की तरफ़ खड़े होना, कोई काम करने के लिये उठना, कोई काम करने का इरादा करना। इससे पहले हम قَامَ “بِ” के साथ भी पढ़ चुके हैं: قَائِمًا بِالْقِسْطِ ओर قَوْمِينَ بِالْقِسْطِ। यहाँ इसके मायने हैं किसी शय को क़ायम करना। तो आपने मुलाहिज़ा किया कि हरूफ़े जार (prepositions) की तब्दीली से किसी फ़अल के अंदर किस तरह इज़ाफ़ी मायने पैदा हो जाते हैं।

“महज़ लोगों को दिखाने के लिये”

يُرْآؤُونَ النَّاسَ

“और अल्लाह का ज़िक्र नहीं करते मगर बहुत कमा”

وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

यानि ज़िक्रे इलाही जो नमाज़ का असल मक़सद है {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} (ताहा:14) वह उन्हें नसीब नहीं होता। मगर मुमकिन है इस बेध्यानी में किसी वक़्त कोई आयत बिजली के कड़के की तरह कड़क कर उनके शऊर में कुछ ना कुछ असरात पैदा कर दे।

ना बढ़ायें, शैतान के एजेंटों से दोस्तियाँ ना करें, और अपने आपको दीन इस्लाम के साथ वाबस्ता कर लें कि हरचे बाद बाद, अब तो हम इस्लाम की इस कश्ती पर सवार हो गये हैं, अगर यह तैरती है तो हम तैरेंगे, और अगर खुदा ना खास्ता इसके मुकद्दर में कोई हादसा है तो हम भी उस हादसे में शामिल होंगे।

“और अपनी इताअत को अल्लाह के लिये खालिस कर लें”

وَاخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ

यह ना हो कि ज़िन्दगी के कुछ हिस्से में इताअत अल्लाह की हो रही है, कुछ हिस्से में किसी और की हो रही है कि क्या करें जी! यह मामला तो रिवाज का है, बिरादरी को छोड़ तो नहीं सकते ना! मालूम हुआ आपने अपनी इताअत के अलैहदा-अलैहदा हिस्से कर लिये हैं और फिर उनमें इंतखाब करते हैं कि यह हिस्सा तो बिरादरी की इताअत में जायेगा और यह हिस्सा अल्लाह की इताअत के लिये होगा। इताअत जब तक कुल की कुल अल्लाह के लिये ना हो, अल्लाह के यहाँ क़ाबिले कुबूल नहीं है। सूरतुल बक्ररह (आयत:193) में हमने पढ़ा था: {وَقْتُلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ} यहाँ पर दीन पूरे का पूरा अल्लाह के लिये हो जाने का मतलब यह है कि इज्तमाई सतह पर दीन अल्लाह के लिये हो जाये, यानि इस्लामी रियासत क़ायम हो जाये, पूरा इस्लामी निज़ाम क़ायम हो जाये, शरीअते इस्लामी का निफ़ाज़ अमल में आ जाये। और अगर यह नहीं है तो कम से कम एक शख्स इन्फ़रादी सतह पर तो अपनी इताअत अल्लाह के लिये ख़ालिस कर ले। यह गोया इन्फ़रादी तौहीदी अमली है।

“तो फिर यह लोग अहले ईमान में शामिल हो जाएँगे, और अल्लाह अहले ईमान को अनक़रीब बहुत बडा अज़र अता फ़रमाएगा।”

فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ
الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

यानि अभी तौबा का दरवाज़ा खुला है, सच्ची तौबा करने के बाद उनको माफ़ी मिल सकती है। अभी उनके लिये point of no return नहीं आया है।

आयत 147

“(ऐ मुनाफ़िक़ों ज़रा सोचो!) अल्लाह तुम्हें अज़ाब देकर क्या करेगा?”

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَدَابِكُمْ

“क्या तुम चाहते हो कि तुम अपने खिलाफ़ अल्लाह के हाथ में एक सरीह हुज्जत दे दो?”

أَتْرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِينًا ۝

इस तरह तुम लोग खुद ही अपने खिलाफ़ एक हुज्जत फ़राहम कर रहे हो। जब अल्लाह तआला आख़िरत में तुम्हारा मुहासबा करेगा, तब इस सवाल का क्या जवाब दोगे कि तुम्हारी दोस्तियाँ काफ़िरों के साथ क्यों थी? इस तरह तुम्हारा यह फ़अल तुम्हारे अपने खिलाफ़ हुज्जते क़ातअ (transverse) बन जायेगा।

अब जो आयत आ रही है वह एक ऐतबार से मुनाफ़िक़ीन के हक़ में कुराने हकीम की सख़्त तरीन आयत है। अगरचे बाज़ दूसरे ऐतबारात से, बल्कि एक ख़ास लतीफ़ पहलु से एक आयत इससे भी सख़्त तर है जो सूरह तौबा में आयेगी। दरअसल तवील सूरतों में से सुरतुन्निसा और सूरतुत्तौबा दो ऐसी सूरतें हैं जिनमें निफ़ाक़ का मज़मून बहुत ज़्यादा तफ़सील के साथ आया है।

आयत 145

“यक़ीनन मुनाफ़िक़ीन आग के सबसे निचले तबक़े में होंगे, और तुम ना पाओगे उनके लिये कोई मददगार।”

إِنَّ الْمُنٰفِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ۝

अगली आयत में उन लोगों के लिये एक रिआयत का ऐलान है। मुनाफ़क़त का पर्दा कुल्ली तौर पर तो सूरह तौबा में चाक होगा। यानि उनके लिये आख़री अहक़ाम सन् 9 हिजरी में आये थे, जबकि अभी सन् 4 हिजरी के दौर की बातें हो रही हैं। तो अभी उनके लिये रिआयत रखी गई है कि तौबा का दरवाज़ा अभी खुला है। फ़रमाया:

आयत 146

“सिवाय उन लोगों के जो तौबा करें और इस्लाह कर लें और अल्लाह से चिमट जायें”

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ

अल्लाह का दामन मज़बूती से थाम लें, ईमान के साथ यक़सू हो जायें। “كُونُوا رَبَّابِينَ” के मिस्दाक़ अल्लाह वाले बन जायें। शैतान से मोहब्बत की पींगें

जिसका दिल दुखा है, जिसके साथ ज़्यादती हुई है, ना सिर्फ़ यह कि उसके जवाब में उसकी ज़बान से निकलने वाले कलिमात पर गिरफ्त नहीं, बल्कि मज़लूम की दुआ को भी कुबूलियत की सनद अता होती है। किसी फ़ारसी शायर ने इस मज़मून को इस तरह अदा किया है:

बतरस अज़ आहे मज़लूमा की हंगामे दुआ कर दन
इजाबत अज़ दरे हक्र बहरे इस्तक्रबाल मी आयद

कि मज़लूम की आहों से डरो कि उसकी ज़बान से निकलने वाली फ़रियाद ऐसी दुआ बन जाती है जिसकी कुबूलियत खुद अल्लाह तआला की तरफ़ से उसका इस्तक्रबाल करने के लिये अर्श से आती है।

“और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला
है।”

وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿٥٠﴾

उसे सब मालूम है कि जिसके दिल से यह आवाज़ निकली है वह कितना दुखी है। उसके अहसासात कितने मजरूह (आहत) हुए हैं।

आयत 149

“अगर तुम भलाई को ज़ाहिर करो या उसे
छुपाओ”

إِنْ تَبْلُغُوا خَيْرًا أَوْ تَخْفُوا

जहाँ तक तो खैर का मामला है तुम उसे बुलन्द आवाज़ से कहो, ज़ाहिर करो या छुपाओ बराबर की बात है। अल्लाह तआला के लिये खैर तो हर हाल में खैर ही है, अयाँ (ज़ाहिर) हो या खुफ़िया।

“या तुम बुराई को माफ़ कर दिया करो तो
यक़ीनन अल्लाह भी माफ़ फ़रमाने वाला,
कुदरत रखने वाला है।”

أَوْ تَغْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا قَدِيرًا ﴿٥١﴾

अपने साथ होने वाली ज़्यादती को माफ़ कर देना यक़ीनन नेकी का एक ऊँचा दर्जा है। इसलिये यहाँ तरगीब के अंदाज़ में मज़लूम से भी कहा जा रहा है कि अगरचे तुम्हें छूट है, तुम्हारी बदगोई की भी तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, लेकिन ज़्यादती की तलाफ़ी का इससे आला और बुलन्दतर दर्जा भी है, तुम उस बुलन्द दर्जे को हासिल क्यों नहीं करते? वह यह कि तुम अपने साथ होने वाली ज़्यादती को माफ़ कर दो। इसके साथ अल्लाह की कुदरत का ज़िक्र भी

अल्लाह तआला मआज़ अल्लाह कोई इज़ा पसंद (sadist) हस्ती नहीं है कि उसे लोगों को दुख पहुँचा कर खुशी होती हो। इस तरह के रवैये तो perverted क्रिस्म के इंसानों के होते हैं, जिनकी शख्सियतें मसख़ हो चुकी होती हैं, जो दूसरों को तकलीफ़ में देखते हैं तो खुश होते हैं, दूसरों को तकलीफ़ और कोफ़्त पहुँचा कर उन्हें राहत हासिल होती है। लेकिन अल्लाह तो ऐसा नहीं है। इसलिये फ़रमाया कि अल्लाह तुम्हें अज़ाब देकर तुमसे क्या लेगा?

“अगर तुम शुक्र और ईमान की रविश इख़्तियार करो।”

إِنْ شَكَرْتُمْ وَأَمَّنْتُمْ

“और अल्लाह बहुत ही क़दरदानी फ़रमाने वाला और हर शय का इल्म रखने वाला है।”

وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ۝

जो बंदा उसके लिये काम करे, मेहनत करे, अल्लाह तआला उसकी क़द्र फ़रमाता है। और जो कोई जो कुछ भी करता है सब उसके इल्म में होता है। इंसान का कोई अमल ऐसा नहीं है जो अल्लाह के यहाँ unaccounted रह जाये, और उसे उसका अजर ना मिल सके।

अब इस सूरत के आख़री हिस्से में फ़लसफ़ा-ए-दीन के बहुत अहम बुनियादी निकात की कुछ तफ़सील आयेगी। इस ज़िमन में पहली बात तो तमद्दुनी और मआशरती मामलात ही से मुताल्लिक़ है। मआशरे के अंदर किसी बुरी बात का चर्चा करना बिलफ़अल कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन इसमें एक इस्तसना रखा गया है, और वह है मज़लूम का मामला। अगर मज़लूम की ज़बान से जुल्म के रद्दे अमल के तौर पर कुछ नाज़ेबा कलिमात, जले-कटे अल्फ़ाज़ भी निकल जायें तो अल्लाह तआला उन्हें माफ़ कर देगा।

आयत 148

“अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है कि किसी बुरी बात को बुलन्द आवाज़ से कहा जाये, सिवाय उसके जिस पर जुल्म हुआ है।”

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ

तफ़रीक़ कर दें अल्लाह और उसके रसूलों के माबैन”

अकबर के “दीन-ए-इलाही” का बुनियादी फ़लसफ़ा भी यही था कि बस दीन तो अल्लाह ही का है, रसूल صلی اللہ علیہ وسلم की निस्बत ज़रूरी नहीं, क्योंकि जब दीन की निस्बत रसूल के साथ हो जाती है तो फिर दीन रसूल के साथ मंसूब हो जाता है कि यह दीने मूसा (अलै०) है, यह दीने ईसा (अलै०) है, यह दीने मुहम्मदी صلی اللہ علیہ وسلم है। अगर रसूलों का यह तफ़रीकी अन्सर (differentiating factor) दरमियान से निकाल दिया जाये तो मज़ाहिब के इख़्तलाफ़ात का ख़ात्मा हो जायेगा। अल्लाह तो सबका मुश्तरिक़ (common) है, चुनाँचे जो दीन उसी के साथ मंसूब होगा वह दीने इलाही होगा।

“और वह कहते हैं कि हम कुछ को मानेंगे और कुछ को नहीं मानेंगे” وَيَقُولُونَ نُوْمُنُ بِبَعْضٍ وَنُكْفِرُ بِبَعْضٍ

यानि अल्लाह को मानेंगे, रसूलों का मानना ज़रूरी नहीं है। अल्लाह की किताब को मानेंगे, रसूल صلی اللہ علیہ وسلم की सुन्नत का मानना कोई ज़रूरी नहीं है, वगैरह-वगैरह।

“और वह चाहते हैं कि इसके बैन-बैन एक रास्ता निकाल लें” وَيُرِيدُونَ أَنْ يُتَّخَذَ وَابِعَيْنِ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝

अल्लाह को एक तरफ़ कर दें और रसूल को एक तरफ़।

आयत 151

“यही लोग हकीकत में पक्के काफ़िर हैं, और हमने इन काफ़िरों के लिये बड़ा अहानत आमज़ अज़ाब तैयार कर रखा है।”

أُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ حَقًّا ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۝

आयत 152

“और जो लोग ईमान रखते हैं अल्लाह और उसके रसूलों पर और उन्होंने उनमें से किसी के माबैन कोई तफ़रीक़ नहीं की”

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِۦٓ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اٰحَدٍ مِّنْهُمْ

हुआ है कि इन्सान तो बसा अवकात बदला लेने की ताकत ना होने के बाइस माफ़ करने पर मजबूर भी हो जाता है, जबकि अल्लाह तआला क़ादिरे मुतलक़ है, क़दीर है, वह तो जब चाहे, जैसे चाहे (there & then) ख़ताकार को फ़ौरन सज़ा देकर हिसाब चुका सकता है। लेकिन इतनी कुदरत के बावजूद भी वह माफ़ फ़रमा देता है।

आइन्दा आयात में फिर वहदत अल अदयान जैसे अहम मज़मून का तज़क़िरा होने जा रहा है और इस सिलसिले में यहाँ तमाम ग़लत नज़रियात की जड़ काटी जा रही है। इससे पहले भी यह बात ज़ेरे बहस आ चुकी है कि फ़लसफ़ा-ए-वहदत-ए-अदयान का एक हिस्सा सही है। वह यह कि असल (origin) सब अदयान की एक है। लेकिन अगर कोई यह कहे कि मुख्तलिफ़ अदयान की मौजूदा शक़्लों में भी एक रंगी और हम आहंगी है तो इससे बड़ी हिमाक़त, जहालत, ज़लालत और गुमराही कोई नहीं।

यहाँ पर अब कांटे की बात बताई जा रही है कि दीन में जिस चीज़ की वजह से बुनियादी खराबी पैदा होती है वह असल में क्या है। वह ग़लती या खराबी है अल्लाह और रसूलों में तफ़रीक़! एक तफ़रीक़ तो वह है जो रसूलों के दरमियान की जाती है, और दूसरी तफ़रीक़ अल्लाह और रसूल صلی اللہ علیہ وسلم को अलैहदा-अलैहदा कर देने की शक़्ल में सामने आती है, और यह सबसे बड़ी जहालत है। फ़ितना इन्कारे हदीस और इन्कारे सुन्नत इसी जहालत व गुमराही का शाख़साना (नतीजा) है। यह लोग अपने आप को अहले कुरान समझते हैं और उनका नज़रिया यह है कि रसूल صلی اللہ علیہ وسلم का काम कुरान पहुँचा देना था, सो उन्होंने पहुँचा दिया, अब असल मामला हमारे और अल्लाह के दरमियान है। अल्लाह की किताब अरबी ज़बान में है, हम इसको खुद समझेंगे और इस पर अमल करेंगे। रसूल صلی اللہ علیہ وسلم ने अपने ज़माने में मुसलमानों को जो इसकी तशरीह समझायी थी और उस ज़माने के लोगों ने उसे कुबूल किया था, वह उस ज़माने के लिये थी। गोया रसूल صلی اللہ علیہ وسلم की तशरीह कोई दाइमी चीज़ नहीं, दाइमी शय सिर्फ़ कुरान है। इस तरह उन्होंने अल्लाह और रसूल صلی اللہ علیہ وسلم को जुदा कर दिया। यहाँ उसी गुमराही का ज़िक़्र आ रहा है।

आयत 150

“यक़ीनन वह लोग जो कुफ़्र करते हैं अल्लाह और उसके रसूलों का और वह चाहते हैं कि

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ
أَنْ يُقْرِئُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ

بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٥٣﴾

आयत 153

“(ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم!) अहले किताब आप صلی اللہ علیہ وسلم से यह मुतालबा कर रहे हैं कि आप उन पर एक किताब आसमान से उतार लायें”

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا
مِّنَ السَّمَاءِ

यानि जैसे तौरात उतरी थी, वैसे ही तहरीरी शकल में एक किताब आसमान से उतरनी चाहिये। आप صلی اللہ علیہ وسلم तो कहते हैं मुझ पर वही आती है, लेकिन कहाँ लिखी हुई है वह वही? कौन लाया है? हमें तो पता नहीं। मूसा (अलै०) को तो उनकी किताब लिखी हुई मिली थी और वह पत्थर की तख्तियों की सूरत में उसे लेकर आये थे। आप صلی اللہ علیہ وسلم पर भी इसी तरह की किताब नाज़िल हो तो हम मानें।

“(यह तअज्जुब की बात नहीं) इन्होंने मूसा (अलै०) से इससे भी बढ कर मुतालबे किये थे”

فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ

ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم आप फ़िक्र ना करें, इनकी परवाह ना करें। इन्होंने, इनके आबा व अजदाद ने हज़रत मूसा (अलै०) से इससे भी बड़े-बड़े मुतालबात किये थे।

“उन्होंने तो (उनसे यह भी) कहा था कि हमें दिखाओ अल्लाह को ऐलानिया”

فَقَالُوا إِنَّا اللَّهُ جَهْرَةً

कि हम खुद अपनी आँखों से उसे देखना चाहते हैं, जब देखेंगे तब मानेंगे।

“तो उनको आ पकड़ा था कड़क ने उनके इस गुनाह की पादाश में।”

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّعِقَةُ بظُلْمِهِمْ ۖ

“फिर उन्होंने बछड़े को मअबूद बना लिया इसके बाद कि उनके पास बहुत वाज़ेह निशानियाँ आ चुकी थीं”

فَمَا أَتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ
الْبَيِّنَاتُ

ना अल्लाह को रसूल से जुदा किया और ना रसूल को रसूल से जुदा किया। और वह कहते हैं कि हम सबको मानते हैं: لَا نَفَرُّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ (अल बक्ररह:285)। हम उन रसूलों को भी मानते हैं जिनके नाम कुरान मजीद में आ गये हैं, और यह भी मानते हैं कि उनके अलावा भी अल्लाह की तरफ़ से वेशुमार नबी और रसूल आये हैं।

“यह वह लोग हैं कि जिन्हें अल्लाह उनके अज़्र अता फ़रमायेगा, और अल्लाह तआला गफ़ूर और रहीम है।”

أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمُ أَجْرَهُمُ وَكَانَ اللَّهُ
عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٠﴾

आयत 153 से 162 तक

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُلْقِيَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الضُّعْفَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَأَتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿٥١﴾ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيثَاقًا عَلِيمًا ﴿٥٢﴾ فِيمَا نَقَضِهِمْ مِّيثَاقَهُمْ وَكُفِّرِهِمْ بِآيَةِ اللَّهِ وَفْتَلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بَعِيرٍ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٣﴾ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ﴿٥٤﴾ وَإِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿٥٥﴾ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٦﴾ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿٥٧﴾ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿٥٨﴾ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٥٩﴾ لَكِنَّ الرُّسُلَونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ

लेकिन यह “لَعْنُهُمْ” इतनी वाज़ेह बात थी कि इसको कहने की ज़रूरत महसूस नहीं की गयी, बल्कि उनके जराइम की फ़ेहरिस्त बयान कर दी गयी।

“और उनके अल्लाह की आयात के इन्कार और अम्बिया को नाहक़ क़त्ल करने (के सबब)”

وَكُفِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتِّلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ

“और उनके इस तरह कहने (की पादाश) में कि हमारे दिल तो गिलाफ़ों में बंद हैं। बल्कि (हक़ीक़त यह है कि) अल्लाह ने उन (के दिलों) पर मोहर कर दी है उनके कुफ़्र के बाइस, पस अब वह ईमान नहीं लायेंगे मगर बहुत ही शज़ा।”

وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٥﴾

आयत 156

“और बसबब उनके कुफ़्र के और उन बातों के जो उन्होंने मरयम के ख़िलाफ़ कीं एक बहुत बड़े बोहतान के तौर पर।”

وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ﴿٥٦﴾

हज़रत मरयम सलामुन अलैहा पर यहूदियों ने बोहतान लगाया कि उन्होंने (माज़ अल्लाह) ज़िना किया है और मसीह (अलै०) दरअसल युसुफ़ नज्जार का बेटा है। उनकी रिवायात के मुताबिक़ युसुफ़ नज्जार के साथ हज़रत मरयम की निस्वत हो चुकी थी, लेकिन अभी रुख़सती नहीं हुई थी कि उनके माबैन ताल्लुक़ कायम हो गया, जिसके नतीजे में यह बेटा पैदा हो गया। इस तरह उन्होंने हज़रत मसीह (अलै०) को वलदुज्ज़िना करार दिया। यह है वह इतनी बड़ी बात जो यहूदी कहते हैं और आज भी इस गुमराहकुन नज़रिये पर मन्त्री “Son of Man” जैसी फ़िल्में बना कर अमेरिका में चलाते हैं, जिनमें ईसाईयों को बताया जाता है कि जिस मसीह को तुम लोग Son of God कहते हो वह हक़ीक़त में Son of Man है।

आयत 157

“और बसबब उनके यह कहने के कि हमने क़त्ल किया मसीह ईसा इब्ने मरयम को, अल्लाह के रसूल को!”

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ

उन लोगों की नाहंजारी का अंदाज़ा करें कि नौ-नौ मौअज्ज़े हज़रत मूसा (अलै०) के हाथों देखने के बाद भी उन्होंने बछड़े की परस्तिश शुरू कर दी।

“तो हमने इन तमाम चीज़ों से भी दरगुज़र किया, और हमने मूसा (अलै०) को अता किया बड़ा वाज़ेह गलबा।”

فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَأَتَيْنَا مُوسَى سُلْطٰنًا
مُّبَيِّنًا ۝

फ़िरऔन और उसके लाव-लशकर को उनकी आँखों के सामने गर्क कर दिया।

आयत 154

“और हमने उनके सरों पर मुअल्लक कर दिया था तूर पहाड़ को जबकि उनसे अहद लिया जा रहा था और हमने उनसे कहा कि दरवाज़े में दाख़िल हों झुक कर”

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِثْقَالِ ذَرَّةٍ
وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا

यानि जब अरीहा (Jericho) शहर तुम्हारे हाथों फ़तह हो जाये और उसमें दाख़िल होने का मरहला आये तो अपने सरों को झुका कर आजिज़ी के साथ दाख़िल होना।

“और हमने उनसे (यह भी) कहा था कि सब्त (हफ़्ते के दिन के क़ानून) में हद से तजावुज़ ना करना”

وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ

“और हमने उनसे (इन तमाम बातों के बारे में) बड़े गाढ़े क़ौल व क़रार लिये थे।”

وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا عَلِيًّا ۝

आयत 155

“तो उन्होंने जो अपने इस मीसाक़ को तोड़ डाला इसके सबब”

فَمَا نَقْضِهِمْ مِّيثَاقَهُمْ

अब उनके जराइम (जुर्मों) की फ़ेहरिस्त आ रही है, और यूँ समझिये कि मुब्तदा ही की तक़रार हो रही है और इसमें जो असल ख़बर है वह गोया महज़ूफ़ है। गोया बात यूँ बनेगी: فَمَا نَقْضِهِمْ مِّيثَاقَهُمْ لَعْنُهُمْ कि उन्होंने जो अपने मीसाक़ को तोड़ा और तोड़ते रहे, हमारे साथ उन्होंने जो भी वादे किये थे, जब उनका पास (guard) उन्होंने ना किया तो हमने उन पर लानत कर दी।

हज़रत मसीह अलै० हरगिज़ क़ल्ल नहीं हुए और ना ही आप अलै० को सलैब पर चढ़ाया गया।

आयत 158

“बल्कि अल्लाह ने उसे उठा लिया अपनी तरफ़, और अल्लाह तआला ज़बरदस्त है कमाले हिकमत वाला।”

بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٥٨﴾

इस वाक्ये की तफ़सील इन्जील बरनबास में मौजूद है।

आयत 159

“और नहीं होगा अहले किताब में से कोई भी मगर उस पर ईमान लाकर रहेगा उसकी मौत से क़ब्ला।”

وَأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنُوا بِهِ قَبْلَ
مَوْتِهِ

यानि हज़रत मसीह अलै० फ़ौत नहीं हुए, ज़िन्दा हैं, उन्हें आसमान पर उठा लिया गया था और वह दोबारा ज़मीन पर आएंगे, और जब आएंगे तो अहले किताब में से कोई शख्स नहीं रहेगा कि जो उन पर ईमान ना ले आये।

“और क़यामत के दिन वही उनके ख़िलाफ़ गवाह (बन कर खड़ा) होगा।”

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿١٥٩﴾

यह गवाही वाला मामला वही है जिसकी तफ़सील हम आयत 41 में पढ़ आये हैं: { فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا } कि हर नबी को अपनी उम्मत के ख़िलाफ़ गवाही देनी है। लिहाज़ा हज़रत मसीह अलै० अपनी उम्मत के ख़िलाफ़ गवाही देंगे।

आयत 160

“तो बसबब उन यूहूदी बन जाने वालों की ज़ालिमाना रविश के हमने उन पर वह पाकीज़ा चीज़ें भी हराम कर दीं जो असलन उनके लिये हलाल थीं”

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ
طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ

यानि अल्लाह के रसूल को क़त्ल कर दिया! यहाँ यह “رَسُولَ اللَّهِ” के अल्फ़ाज़ उनके नहीं हैं, बल्कि यह अल्लाह की तरफ़ से हैं इस्तेजाबिया निशान (sign of exclamation) के साथ, कि अच्छा उनका दावा यह है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल को क़त्ल किया है! जबकि रसूल तो क़त्ल हो ही नहीं सकता। अल्लाह का तो फ़ैसला है, एक तयशुदा अम्र है, अल्लाह की तरफ़ से लिखा हुआ है कि मैं और मेरे रसूल ग़ालिब आकर रहेंगे { كَتَبَ اللَّهُ لَأَعْلَيْنَاكَ وَأُرْسِلُ } (अल मुजादला:21) तो उनकी यह जुरात कि वह समझते हैं कि उन्होंने अल्लाह के रसूल को क़त्ल किया है!

“हालाँकि ना तो उन्होंने उसे क़त्ल किया और ना ही उसे सूली दी, बल्कि उसकी शबीहा (image) बना दी गयी उनके लिये।”

وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ

मामला उनके लिये मुशतबा (संदिग्ध) कर दिया गया और एक शख्स की हज़रत मसीह अलै० जैसी सूरत बना दी गयी, उनके साथ मुशाबिहत कर दी गयी। चुनाँचे उन्होंने जिसको मसीह समझ कर सूली पर चढ़ाया, वह मसीह अलै० नहीं था, उनकी जगह कोई और था। इन्जील बरनबास से मालूम होता है कि उस शख्स का नाम “यहूदा इस्केरियोट” (Judas Iscariot) था और वह आप (अलै०) के हवारियों में से था, वैसे उसकी नीयत कुछ और थी, उसमें बदनीयती बहरहाल नहीं थी (तफ़सील का यहाँ मौक़ा नहीं है) लेकिन चूँकि उसने आप (अलै०) को गिरफ़्तार कराया था, चुनाँचे इस गुस्ताखी की पादाश में अल्लाह तआला ने उसकी शक़ल हज़रत मसीह (अलै०) जैसी बना दी और हज़रत मसीह (अलै०) की जगह वह पकड़ा गया और सूली चढ़ा दिया गया।

“और जो लोग उसके बारे में इख़्तिलाफ़ में पड़े हुए हैं वह यक्कीनन शुक्क व शुबहात में हैं।”

وَإِنَّ الَّذِينَ اِخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ

उन्हें खुद पता नहीं कि क्या हुआ? कैसे हुआ?

“उनके पास इस ज़िंमन में कोई इल्म नहीं है सिवाय इसके कि गुमान की पैरवी कर रहे हैं, और यह बात यक्कीनी है कि उन्होंने उसे क़त्ल नहीं किया।”

مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا

قَتَلُوهُ يَقِينًا ۝

“और बसबब उनके लोगों के माल नाहक हड़प करने के।”

وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ

“और उनमें से जो काफ़िर हैं उनके लिये हमने बहुत दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है।”

وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

आयत 162

“अलबत्ता जो लोग उनमें से पुख्ता इल्म वाले हैं और अहले ईमान हैं”

لَكِنَّ الرِّسْخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ

यानि यहूद में से अहले इल्म लोग जैसे अब्दुल्लाह बिन सलाम (अलै०) और ऐसे ही रास्तबाज़ लोग जिन्होंने तौरात के इल्म की बिना पर नबी आखिरुज्ज़मान صلی اللہ علیہ وسلم की तस्दीक की और आप صلی اللہ علیہ وسلم पर ईमान लाये।

“वह ईमान रखते हैं उस पर जो (ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم) आप صلی اللہ علیہ وسلم पर नाज़िल किया गया और उस पर भी जो आप صلی اللہ علیہ وسلم से पहले नाज़िल किया गया”

يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ

“और वह नमाज़ कायम करने वाले हैं, ज़कात अदा करने वाले हैं, और ईमान रखने वाले हैं अल्लाह पर भी और यौमे आख़िरत पर भी”

وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

“यह वह लोग हैं जिन्हें हम ज़रूर अज़े अज़ीम अता फ़रमाएंगे।”

أُولَئِكَ سَنُوْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

इन आयत में अभी भी थोड़ी सी गुंजाइश रखी जा रही है कि अहले किताब में से कोई ऐसा अन्सर (तत्व) अगर अब भी मौजूद हो जो हक़ की तरफ़ माइल हो, अब भी अगर कोई सलीमुल फ़ितरत फ़र्द कहीं कोने खुदरे में पड़ा हो, अगर इस कान में हीरे का कोई टुकड़ा कहीं अभी तक पड़ा रह गया हो, तो वह भी निकल आये इससे पहले कि आखरी दरवाज़ा भी बंद कर दिया जाये। तो अभी आखरी दरवाज़ा ना तो मुनाफ़िक़ीन पर बंद किया गया है और ना इन अहले किताब पर, बल्कि لَكِنَّ الرِّسْخُونَ فِي الْعِلْمِ फ़रमा कर एक दफ़ा

अल्लाह तआला की एक सुन्नत यह भी है कि कोई क्रौम अगर किसी मामले में हद से गुज़रती है तो सज़ा के तौर पर उसे हलाल चीज़ों से भी महरूम कर दिया जाता है। यहाँ पर यही उसूल बयान हो रहा है। मसलन अगर याकूब अलै० ने ऊँट का गोशत खाना छोड़ दिया था तो अल्लाह तआला ने तौरात में इसकी सराहत नहीं की कि यह हराम नहीं है, यह तो महज़ तुम्हारे नबी (अलै०) का बिल्कुल ज़ाती क्रिस्म का फ़ैसला है, बल्कि अल्लाह ने कहा कि ठीक है, इनकी यही सज़ा है कि इन पर तंगी रहे और इस तरह इनके करतूतों की सज़ा के तौर पर हलाल चीज़ें भी उन पर हराम कर दीं।

“और बसबब इसके कि यह बकसरत अल्लाह के रास्ते से (खुद रुकते हैं और दूसरों को भी) रोकते हैं।”

وَبَصَلِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۝

यह लोग अल्लाह के रास्ते से खुद भी रुकते हैं और दूसरे लोगों को भी रोकते हैं। तो इस वजह से अल्लाह तआला ने इनको सज़ा दी और इन पर बाज़ हलाल चीज़ें भी हराम कर दीं।

आयत 161

“और बसबब उनके सूद खाने के जबकि इससे उन्हें मना किया गया था”

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ

शरीअते मूसवी में सूद हराम था, आज भी हराम है, लेकिन उन्होंने इस हुक्म का अपना एक मनपसंद मफ़हूम निकाल लिया, जिसके मुताबिक़ यहूदियों का आपस में सूद का लेन-देन तो हराम है, कोई यहूदी दूसरे यहूदी से सूदी लेन-देन नहीं कर सकता, लेकिन गैर यहूदी से सूद लेना जायज़ है, क्योंकि वह उनके नज़दीक Gentiles और Goyems हैं, इन्सान नुमा हैवान हैं, जिनसे फ़ायदा उठाना और उनका इस्तेहसाल करना उनका हक़ है। हम सूरह आले इमरान (आयत:75) में यहूद का यह क़ौल पढ़ चुके हैं: { لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّينَ سَبِيلٌ } कि इन उम्मियीन के बारे में हम पर कोई गिरफ़्त है ही नहीं, कोई ज़िम्मेदारी है ही नहीं। हम जैसे चाहें लूट-मार करें, जिस तरह चाहें इन्हें धोखा दें, हम पर कोई मुआख़ज़ा नहीं। लिहाज़ा सूद खाने में उनके यहाँ अमूमी तौर पर कोई क़बाहत नहीं है।

“और हमने इब्राहीम (अलै०), इस्माइल (अलै०), इस्हाक़ (अलै०), याक़ूब (अलै०) और उनकी औलाद की तरफ़ भी वही की”

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ

“और ईसा (अलै०), अय्यूब (अलै०), युनुस (अलै०), हारुन (अलै०) और सुलेमान (अलै०) की तरफ़ (भी वही की)। और दाऊद (अलै०) को तो हमने ज़बूर (जैसी किताब) अता फ़रमायी।”

وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ
وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿١٦٤﴾

आयत 164

“और (भेजे) वह रसूल जिनका हम इससे पहले आप صلی اللہ علیہ وسلم के सामने तज़क़िरा कर चुके हैं और ऐसे रसूल (भी) जिनके हालात हमने आप صلی اللہ علیہ وسلم के सामने बयान नहीं किये”

وَرَسُولًا قَدْ قَضَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ
وَرَسُولًا لَمْ نَقْضُصْهُمْ عَلَيْكَ

पूरी दुनिया की तारीख़ बयान करना तो कुरान मजीद का मक़सद नहीं है कि तमाम अम्बिया व रसूल (अलै०) की मुकम्मल फ़ेहरिस्त दे दी जाती। यह तो किताबे हिदायत है, तारीख़ की किताब नहीं है।

“और मूसा अलै० से तो कलाम किया अल्लाह ने जैसा कि कलाम किया जाता है।”

وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿١٦٥﴾

यह ख़ास हज़रत मूसा अलै० की इम्तियाज़ी शान बयान हुई है। लेकिन यह मुकलमा “مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ” था, यानि परदे के पीछे से, अलबत्ता था दू-बर-दू कलाम। अब इसके बाद वह आयत आ रही है जिसमें नबुवत का असासी मक़सद (basic purpose) बयान हुआ है कि यह तमाम रसूल (अलै०) किस लिये भेजे गये थे।

आयत 165

“यह रसूल अलै० (भेजे गये) बशारत देने वाले और ख़बरदार करने वाले बना कर”

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ

फिर सिलाये आम दे दी गयी है कि अहले किताब में से अब भी अगर कुछ लोग माइल बाहक़ हैं तो वह सुतवज्ज हो जायें।

आयत 163 से 169 तक

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ
وَسُلَيْمَانَ وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿١٦٣﴾ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا
لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۗ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿١٦٤﴾ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا
يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾ لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ
بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ ۗ وَالْمَلَكُ يَشْهَدُونَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿١٦٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ
كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلًّا بَعِيدًا ﴿١٦٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا
لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿١٦٨﴾ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا
أَبَدًا ۗ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٦٩﴾

इस रुकूअ के शुरू में अम्बिया और रसूलों के नामों का एक ख़ूबसूरत गुलदस्ता नज़र आता है। कुरान पाक में सुतअद्दिद (कई) ऐसे मक्कामात हैं जहाँ ऐसे गुलदस्ते ख़ूबसूरती से सजाये गये हैं। यहाँ आपको पे-बा-पे अम्बिया और रसूलों के नाम मिलेंगे और फिर उनमें से बाज़ की इज़ाफ़ी शानों का ज़िक्र भी मिलेगा। इसके बाद फ़लसफ़ा-ए-कुरान के ऐतबार से एक बहुत अहम आयत भी आयेगी, जिसमें नबुवत का बुनियादी मक़सद और असासी फ़लसफ़ा बयान किया गया है।

आयत 163

“(ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم) हमने आप صلی اللہ علیہ وسلم की जानिब भी वही की है जैसे हमने नूह (अलै०) और उनके बाद बहुत से अम्बिया पर वही की थी।”

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ
وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ

{فَاللَّهُمَّ اجْعَلْهَا نُجُورًا وَتَقْوَاهَا} {وَتَنْفِيسٍ وَمَا سَوَّاهَا} (अ११शम१शः:7-8) फिर इन्सान के अन्दर अल्लाह तआला की तरफ़ से रूह फूँकी गयी है। इन तमाम सलाहियतों और अहलियतों (skills) की बिना पर जवाबदेही (accountability) का जवाज़ बरहक़ है। कोई नबी आता या ना आता, अल्लाह की यह हुज्जत तमाम इंसानों पर बहरहाल क़ायम है।

इसके बावजूद भी अल्लाह तआला ने इत्मा मे हुज्जत करने के लिये अपने नबी और रसूल भेजे। यह इज़ाफ़ी शय है कि अल्लाह ने तुम्ही में से कुछ लोगों को चुना, जो बड़े ही आला किरदार के लोग थे। तुम जानते थे कि यह हमारे यहाँ के बेहतरीन लोग हैं, इनके दामने किरदार पर कोई दाग़-धब्बा नहीं है, इनकी सीरत व अख़लाक़ खुली किताब की मानिन्द तुम्हारे सामने थे। इनके पास अल्लाह ने अपनी वही भेजी और वाज़ेह तौर पर बता दिया कि इन्सान को क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस तरह उसने तुम्हारे लिये इस इम्तिहान को आसान कर दिया, ताकि अब किसी के पास कोई उज़्र (बहाना) बाक़ी ना रह जाये, कोई यह दलील पेश ना कर सके कि मुझे तो इल्म ही नहीं था। परवरदिगार! मैं तो बेदीन माहौल में पैदा हो गया था, वहाँ सबके सब इसी रंग में रंगे हुए थे। परवरदिगार! मैं तो अपनी दो वक्त्र की रोटी के धंधे में ही ऐसा मसरूफ़ रहा कि मुझे कभी होश ही नहीं आया कि दीन व ईमान और अल्लाह व आख़िरत के बारे में सोचता। लेकिन जब रसूल (अलै०) आ जाते हैं और रसूलों के आ जाने के बाद हक़ खुल कर सामने आ जाता है, हक़ व बातिल के दरमियान इम्तियाज़ बिल्कुल वाज़ेह तौर पर क़ायम हो जाता है तो फिर कोई उज़्र बाक़ी नहीं रहता। लोगों के पास अल्लाह के सामने मुहासबे के मुक़ाबले में पेश करने के लिये कोई हुज्जत बाक़ी नहीं रहती। तो यह है इत्मा मे हुज्जत का फ़लसफ़ा और तरीक़ा अल्लाह की तरफ़ से।

रसूल (अलै०) इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? किसी को ज़बरदस्ती तो हिदायत पर नहीं ला सकते। हाँ जिनके अन्दर अहसास जाग जायेगा वह रसूल (अलै०) की तालीमात की तरफ़ मुतवज्जह होंगे, उनसे फ़ायदा उठाएँगे, सीधे रास्ते पर चलेंगे। उनके लिये अल्लाह के रसूल “मुबशिशर” होंगे, अल्लाह के फ़ज़ल और जन्नत की नेअमतों की बशारत देने वाले: {فَرُوحٌ وَرِيحَانٌ ۗ وَجَنَّاتٌ نَّعِيمٍ} (अल वाक़िया:89)। और जो लोग इसके बाद भी ग़लत रास्तों पर चलते रहेंगे, तअस्सुब में, ज़िद और हठधर्मी में, मफ़ादात के लालच में, अपनी चौधराहटें क़ायम रखने के लालच में, उनके लिये रसूल

“ताकि ना रह जाये लोगों के पास अल्लाह के मुक़ाबले में कोई हुज्जत (दलील) रसूलों के आने के बाद।”

لَيْلًا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

यहाँ पर एक तरफ़ لِلنَّاسِ का “ن” नोट कीजिये और दूसरी तरफ़ عَلَى का “ع”। यह दोनों हुरूफ़ मुतज़ाद (विपरीत) मायने पैदा कर रहे हैं। لِلنَّاسِ के मायने हैं लोगों के हक्क में हुज्जत, जबकि عَلَى के मायने हैं अल्लाह के खिलाफ़ हुज्जत।

“और अल्लाह ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है।”

وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦﴾

अब आप आख़िरत के अहतसाब के फ़लसफ़े को समझिये। क़यामत के दिन हर किसी का इम्तिहान होगा और इम्तिहान से फिर नतीजे निकलेंगे, कोई पास होगा और कोई फ़ेल। लेकिन इम्तिहान से पहले कुछ पढ़ाया जाना भी ज़रूरी है, किसी को जाँचने से पहले उसे कुछ दिया भी जाता है। चुनाँचे हमें देखना है कि क़यामत के इम्तिहान के लिये हमें क्या पढ़ाया गया है? इस आख़री जाँच पड़ताल से पहले हमें क्या कुछ दिया गया है? कुरान मजीद के बुनियादी फ़लसफ़े के मुताबिक़ अल्लाह तआला ने इन्सान को समझ, बसर और अक़ल तीन बड़ी चीज़ें दी हैं। फिर अल्लाह तआला ने इन्सान के अन्दर रूह भी वदीयत की है और नफ़से इंसानी में खैर और शर का इल्म भी रखा है। इन बातों की बिना पर इन्सान वही-ए-इलाही की रहनुमाई के बग़ैर भी अल्लाह के हुज़ूर जवाबदेह (accountable) है कि जब तुम्हारी फ़ितरत में नेकी और बदी की तमीज़ रख दी गयी थी तो तुम बदी की तरफ़ क्यों गये? तो गोया अगर कोई नबी या रसूल ना भी आता, कोई किताब नाज़िल ना भी होती, तब भी अल्लाह तआला की तरफ़ से मुहासबा नाहक़ नहीं था। इसलिये कि वह बुनियादी चीज़ें जो इम्तिहान और अहतसाब के लिये ज़रूरी थीं वह अल्लाह तआला इन्सान को दे चुका था। अलबत्ता अल्लाह तआला की सुन्नत यह रही है कि वह फिर भी इंसानों पर इत्मा मे हुज्जत करता है। अब हमने यह देखना है कि हुज्जत क्या है? बुनियादी हुज्जत तो अक़ल है जो अल्लाह ने हमें दे रखी है: { إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عِنْدَهُ مُسْمُوعًا } (बनी इसराइल:36) इंसानी नफ़स के अन्दर नेकी और बदी की तमीज़ भी वदीयत कर दी गयी है:

नाज़िल किया है (ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم) आप صلی اللہ علیہ وسلم की तरफ़ वह उसने नाज़िल किया है अपने इल्म से, और फ़रिश्ते भी इस पर गवाह हैं, अगरचे अल्लाह (अकेला ही) गवाह होने के ऐतबार से काफ़ी है।”

وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيدًا ﴿١٦٧﴾

आयत 167

“बिलाशुबा जिन लोगों ने कुफ़ किया और अल्लाह के रास्ते से रोका (खुद को भी और दूसरों को भी) तो यक़ीनन वह गुमराही में बहुत दूर निकल गये हैं।”

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوا عَنۡ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوْا ضَلًّاۙ اَبْعَدًا ﴿١٦٧﴾

अब आखरी रसूल صلی اللہ علیہ وسلم के आने के बाद भी जो लोग कुफ़ पर अड़े रहे, अल्लाह के रास्ते से रुके रहे और दूसरों को भी रोकते रहे, वह राहे हक़ से बहक गये, भटक गये, और अपने भटकने में, बहकने में, गुमराही में बहुत दूर निकल गये हैं।

आयत 168

“यक़ीनन वह लोग जिन्होंने कुफ़ किया और जुल्म (शिक) के मुरतकिब हुए अल्लाह उन्हें हरगिज़ बख़्शने वाला नहीं है, और ना उन्हें किसी रास्ते की हिदायत देगा।”

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا لَمۡ يَكُنۡ اللّٰهُ لِيَغْفِرۡ لَہُمۡ وَلَا لِيُهۡدِيۡہُمۡ طَرِيْقًا ﴿١٦٨﴾

आयत 169

“सिवाय जहन्नम के रास्ते के जिसमें वह हमेशा-हमेश रहेंगे, और यह अल्लाह पर बहुत आसान है।”

اِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْہَاۗ اَبَدًا وَّكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿١٦٩﴾

अब ज़रा इस आयत का तक्काबुल कीजिये (इस ही सूरह की) आयत 147 के साथ {...مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَدٰٓيْكُمْ...} “अल्लाह तुम्हें अज़ाब देकर क्या करेगा....?”

(अलै०) “नज़ीर” होंगे। उनको ख़बरदार करेंगे कि अब तुम्हारे लिये बदतरीन अंजाम के तौर पर जहन्नम तैयार है। तो रसूलों (अलै०) की बेअसत का बुनियादी मक़सद यही है, यानि तब्शीर और इन्ज़ार।

इस सारी वज़ाहत के बाद अब दोबारा आयत के अल्फ़ाज़ को सामने रखिये: {رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ} “रसूल भेजे गये बशारत देने वाले और ख़बरदार करने वाले बना करा” यह तब्शीर और इन्ज़ार किस लिये?

{لِيَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ} “ताकि बाक़ी ना रह जाये लोगों के पास अल्लाह के मुक़ाबले में कोई हुज़त, कोई उज़्र, कोई बहाना, रसूलों के आने के बाद।” {وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا} “और अल्लाह ज़बरदस्त है हकीम है।” वह अज़ीज़ है,

ग़ालिब है, ज़बरदस्त है, बग़ैर रसूलों के भी मुहासबा कर सकता है, उसका इख़्तियार मुतलक़ है। लेकिन साथ ही साथ वह हकीम भी है, उसने मुहासबा-ए-उखरवी के लिये यह मन्नी बर हिकमत निज़ाम बनाया है। इस ज़िम्न में एक बात और नोट कर लीजिये कि रिसालत का एक तकमीली मक़सद भी है जो मुहम्मद रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم पर कामिल हुआ, और वह है रुए अर्ज़ी पर अल्लाह के दीन को ग़ालिब करना। आप صلی اللہ علیہ وسلم ने दावत का आगाज़ इसी तब्शीर और इन्ज़ार ही से फ़रमाया, जैसा कि सूरतुल अहज़ाब में इरशाद है:

{وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرًا جَاهِلِيًّا} {يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا} (आयत 45-46) बहैसियते रसूल صلی اللہ علیہ وسلم यह आप صلی اللہ علیہ وسلم की रिसालत के बुनियादी मक़सद का इज़हार है, लेकिन इससे बुलन्दतर दर्जे में आपकी रिसालत की तकमीली हैसियत का इज़हार सूरतुत्तौबा:33, सूरह फ़तह:28 और सूरतुस्सफ़:9 में एक

जैसे अल्फ़ाज़ में हुआ है: {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ} “वही है (अल्लाह) जिसने भेजा अपने रसूल (मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم) को अल् हुदा (कुरान हकीम) और दीने हक़ देकर ताकि वह उसे ग़ालिब कर दे पूरे दीन पर।” तमाम अम्बिया व रुसुल (अलै०) में यह आप صلی اللہ علیہ وسلم की इम्तियाज़ी शान है। मेरी किताब “नबी अकरम صلی اللہ علیہ وسلم का मक़सदे बेअसत” में इस मौज़ू पर तफ़सील से बहस की गयी है।

आयत 166

“लेकिन अल्लाह गवाह है कि जो कुछ उसने

لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ

مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧٠﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ
وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ﴿١٧١﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ
فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا ﴿١٧٢﴾

अब अगली आयात एक तरह से इस सूत्र का “हफ़े आखिर” हैं।

आयत 170

“ऐ लोगो! तुम्हारे पास आ चुका है रसूल
صلی اللہ علیہ وسلم हक़ के साथ, तो अब तुम ईमान ले
आओ, यही तुम्हारे लिये बेहतर है।”

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ
رَبِّكُمْ فَأَمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ

बल्कि आखरी अल्फ़ाज़ का सही तर तर्जुमा यह होगा कि “ईमान ले आओ,
इसी में तुम्हारी खैरियत है।” इस आयत के एक-एक लफ़्ज़ में बहुत ज़ोर और
जलाल है और अब बात बिल्कुल दो टूक अंदाज़ और हत्मी तौर पर की जा
रही है। यानि अब तुम यह नहीं कह सकते कि अल्लाह की तरफ़ से कोई
रहनुमाई नहीं की गयी, हमें कुछ पता नहीं था, हम पर बात वाज़ेह नहीं हुई
थी। हमारे आखरी नबी صلی اللہ علیہ وسلم के आ जाने के बाद तुम्हारा यह बहाना अब
ख़त्म हो गया।

“और अगर तुम लोग कुफ़्र पर अड़े रहोगे तो
(अल्लाह का क्या बिगाड़ लोगे?) आसमानों
और ज़मीन में जो कुछ है वह अल्लाह ही का
है, और अल्लाह अलीम भी है, हकीम भी।”

وَأَنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧١﴾

आगे अहले किताब से जो ख़िताब है उसके मुख़ातिब ख़ास तौर पर ईसाई हैं,
जो हज़रत मसीह (अलै०) की अक़ीदत व मोहब्बत में हद से गुज़र गये थे।

आयत 171

“ऐ अहले किताब, अपने दीन में गुलु
(मुबालगा) ना करो, और अल्लाह की तरफ़
कोई शय मंसूब ना करो सिवाय उसके जो हक़
हो।”

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا
عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ

यक्रीनन अल्लाह ईज़ा पसंद (sadist) नहीं है, उसे लोगों को अज़ाब देकर खुशी नहीं होगी। लेकिन यह उसका ज़ाब्ता और क़ानून है, इसी पर उसने दुनिया बनाई है, और अपने इसी ज़ाब्ते और क़ानून के ऐन मुताबिक़ वह मुस्तहक़ीन (लाभार्थियों) को जज़ा व सज़ा देगा। यह उस पर कोई भारी गुज़रने वाली बात नहीं है कि वह अपनी ही मख़लूक़ को सज़ा दे। बाज़ मलंग क्रिस्म के सूफ़ी इस तरह की बातें भी करते हैं कि अल्लाह बड़ा रहीम है, क्या वह अपनी ही मख़लूक़ को जहन्नम में झोंक देगा? यह तो ऐसे ही डरावे के लिये, लोगों को राहे रास्त पर लाने के लिये अज़ाब और सज़ा की बातें की गयी हैं। जैसे बाप बच्चों को डाँटता है मैं तेरी हड्डियाँ तोड़ दूँगा, माँ कहती है मैं तेरा क़ीमा कर दूँगी। तो क्या वह सचमुच अपने बच्चों का क़ीमा कर देगी? लिहाज़ा यह तो सिर्फ़ डरावा है, हकीक़त में ऐसा नहीं होगा, वगैरह-वगैरह। इस तरह के ख्यालात व नज़रियात गुमराहकुन हैं। माँ के लिये तो अपने बच्चे को बड़े से बड़े कुसूर पर भी आग में डालना मुमकिन नहीं है, मगर अल्लाह तआला ने फ़रमाया है: {وَكَانَ ذَلِكِ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا} अल्लाह के लिये यह बहुत आसान है, बहुत हल्की बात है।

आयत 170 से 175 तक

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧٠﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ إِنَّهُمْ إِنْ هُمْ إِلَّا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكُفَى بِاللَّهِ وَكَيْلًا ﴿١٧١﴾ لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿١٧٢﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۗ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ

“पस ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूलों पर, और तसलीस (तीन खुदाओं) का दावा मत करो।”

فَأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً

“बाज़ आ जाओ, इसी में तुम्हारी बेहतरी (खैरियत) है।”

إِنْتَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

यह मत कहो कि उलूहियत तीन में है। एक में तीन और तीन में एक का अक्रीदा मत गढ़ो।

“जान लो कि अल्लाह तो बस एक ही है इलाहे वाहिद है, वह इससे पाक है कि उसका कोई बेटा हो।”

إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ

“आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब कुछ उसी का है, और अल्लाह काफ़ी है बतौर कारसाज़।”

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا

आयत 172

“मसीह (अलै०) को तो इसमें हरगिज़ कोई आर (घृणा) नहीं है कि वह बने अल्लाह का बंदा और ना ही मलाइका-ए-मुकर्रबीन को इसमें कोई आर है (कि उन्हें अल्लाह का बंदा समझा जाये)।”

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ
وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ

मसीह अलै० को तो अल्लाह का बंदा होने में अपनी शान महसूस होगी। जैसे हम भी हुज़ूर عليه وسلم के बारे में कहते हैं: **أَوْ تَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ** तो अबदियत की शान तो बहुत बुलन्द व बाला है, रिसालत से भी आला और अरफ़ा। (यह एक अलैहदा मज़मून है, जिसकी तफ़सील का यह मौक़ा नहीं है।) चुनाँचे हज़रत मसीह अलै० के लिये यह कोई आर की बात नहीं है कि वह अल्लाह के बन्दे हैं।

“और जो कोई भी आर समझेगा उसकी बन्दगी में और तकब्बुर करेगा तो अल्लाह उन

وَمَنْ يَسْتَنْكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ

तुम आपस के मामलात में तो झूठ बोलते ही हो, मगर अल्लाह के बारे में झूठ गढ़ना, झूठ बोल कर अल्लाह पर उसे थोपना कि अल्लाह का यह हुकम है, अल्लाह ने यूँ कहा है, यह तो वही बात हुई: बाज़ी-बाज़ी बारीशे बाबा हम बाज़ी!

“देखो मसीह ईसा (अलै०) इन्ने मरयम तो बस
अल्लाह के रसूल (अलै०) थे”

إِنَّمَا الْمَسِيحُ عَيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ

वह अल्लाह की तरफ़ से भेजे गये एक रसूल (अलै०) थे और बस! उलूहियत (divinity) में उनका कोई हिस्सा नहीं है, वह खुदा के बेटे नहीं हैं।

“और वह उसका एक कलमा थे, जो उसने
इल्का किया मरयम (अलै०) पर और एक रूह
थे उसकी तरफ़ से”

وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ

यानि हज़रत मरयम (अलै०) के रहम में जो हमल हुआ था वह अल्लाह के कलमा-ए-कुन के तुफ़ैल हुआ। बच्चे की पैदाइश के तबई अमल में एक हिस्सा बाप का होता है और एक माँ का। अब हज़रत मसीह (अलै०) की विलादत में माँ का हिस्सा तो पूरा मौजूद है। हज़रत मरयम (अलै०) को हमल हुआ, नौ महीने आप (अलै०) रहम में रहे, लेकिन यहाँ बाप वाला हिस्सा बिल्कुल नहीं है और बाप के बग़ैर ही आप (अलै०) की पैदाइश मुमकिन हुई। ऐसे मामलात में जहाँ अल्लाह की मशीयत से एक लगे-बंधे तबई अमल में से अगर कोई कड़ी अपनी जगह से हटाई जाती है तो वहाँ पर अल्लाह का मखसूस अम्र कलमा-ए-कुन की सूरत में किफ़ायत करता है। यहाँ पर अल्लाह के “कलमे” का यही मफ़हम है।

जहाँ तक हज़रत मसीह (अलै०) “رُوحٌ مِنْهُ” करार देने का ताल्लुक है तो अगरचे सब इंसानों की रूह अल्लाह ही की तरफ़ से है, लेकिन तमाम रूहें एक जैसी नहीं होतीं। बाज़ रूहों के बड़े-बड़े ऊँचे मरातिब होते हैं। ज़रा तसव्वुर करें रूहे मुहम्मदी صلی اللہ علیہ وسلم की शान और अज़मत क्या होगी! रूहे मुहम्मदी صلی اللہ علیہ وسلم को आम तौर पर हमारे उलमा “नूरे मुहम्मदी صلی اللہ علیہ وسلم” कहते हैं। इसलिये कि रूह एक नूरानी शय है। मलाइका भी नूर से पैदा हुए हैं और इंसानी अरवाह भी नूर से पैदा हुई हैं। लेकिन सब इंसानों की अरवाह बराबर नहीं हैं। हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم की रूह की अपनी एक शान है। इसी तरह हज़रत ईसा (अलै०) की रूह की अपनी एक शान है।

यहाँ चूँकि नूर के साथ-साथ लफ़्ज़ इन्ज़ाल आया है इसलिये इससे मुराद लाज़िमन कुरान मजीद ही है।

आयत 175

“पस जो लोग अल्लाह पर ईमान लाएँगे और उसके साथ चिमट जाएँगे”

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَعَاصَبُوهُ

यकसू हो जाएँगे, ख़ालिस अल्लाह वाले बन जाएँगे, मुज़बज़ब नहीं रहेंगे कि कभी इधर कभी उधर, बल्कि पूरी तरह से यकसू होकर अल्लाह के दामन से वाबस्ता हो जाएँगे।

“तो उन्हें वह दाख़िल करेगा अपनी रहमत और अपने फ़ज़ल में, और उन्हें हिदायत देगा अपनी तरफ़ सिराते मुस्तक़ीम की।”

فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٧٥﴾

يَأْتِيهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ यानि अपनी तरफ़ हिदायत देगा। उन्हें सीधे रास्ते (सिराते मुस्तक़ीम) पर चलने की तौफ़ीक़ बख़्शेगा और सहज-सहज, रफ़ता-रफ़ता उन्हें अपने ख़ास फ़ज़ल व करम और ज़वारे रहमत में ले आयेगा।

आयत 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتْهَا أُتْمَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حِظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

इस आखरी में फिर एक इस्तफ़ता (formal legal) है। आयत 12 में क़ानूने विरासत के ज़िमन में एक लफ़्ज़ आया था ۞, यानि वह मर्द या औरत जिसके ना तो वालिदैन ज़िन्दा हों और ना उसकी कोई औलाद हो। उसके बारे में बताया गया था कि अगर उसके बहन-भाई हों तो उसकी विरासत का हुक़म यह है। लेकिन वह हुक़म लोगों पर वाज़ेह नहीं हो सका था।

सबको अपने पास जमा कर लेगा।”

فَسَيَحْشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا ۝

आयत 173

“पस जो लोग ईमान लाये होंगे और उन्होंने नेक अमल किये होंगे तो उनको तो उनका पूरा-पूरा अज्र भी देगा और उन्हें मज़ीद भी देगा अपने ख़ास फ़ज़ल में से।”

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
فَيُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ

ऐसे लोगों को उनके अज्र के अलावा बोनस भी मिलेगा। जैसे आप किसी काम करने वाले को अच्छा काम करने पर उजरत के अलावा ईनाम (tip) भी देते हैं। अल्लाह तआला अपने ख़ज़ाना-ए-फ़ज़ल से उन्हें उनके मुक़रर अज्र से बढ़ कर नवाज़ेगा।

“और जिन्होंने (अबदियत के अन्दर) आर महसूस की थी और तकबुर किया था तो उनको वह दर्दनाक अज़ाब देगा”

وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا
فَيُعَذِّبُهُمُ عَذَابًا أَلِيمًا

“और वह नहीं पाएँगे अपने लिये अल्लाह के मुक़ाबले में कोई हिमायती और ना कोई मददगार।”

وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا
نَصِيرًا ۝

आयत 174

“ऐ लोगो! आ चुकी है तुम्हारे पास एक बुरहान तुम्हारे रब की तरफ़ से”

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ كُفْرَهُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ

यह कुरान मज़ीद और रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم दोनों की तरफ़ इशारा है। कुरान और मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم मिल कर बुरहान होंगे। तआरुफ़े कुरान के दौरान ज़िक्र हो चुका है कि किताब और रसूल صلی اللہ علیہ وسلم मिल कर बय्यिना बनते हैं, जैसा कि सूरतुल बय्यिना (आयात 1 से 3) में इरशाद हुआ है। आयत ज़ेरे मुताअला में उसी बय्यिना को बुरहान कहा गया है।

“और हमने तुम्हारी तरफ़ रोशन नूर नाज़िल कर दिया है।”

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ۝

ज़माने के अरब मआशरे में तादादे अज़वाज के आम रिवाज की वजह से ऐसे मसाइल मामूलात का हिस्सा थे। बाक़ी ऐनी या अलाती बहन-भाइयों (जिनके माँ और बाप एक ही हों या माँएं अलग-अलग हों और बाप एक ही हो) का वही आम क़ानून होगा जो बेटे और बेटी का है। जिस निस्बत से बेटे और बेटी में विरासत तक़सीम होती है ऐसे ही उन बहन-भाइयों में होगी।

“अल्लाह वाज़ेह किये देता है तुम्हारे लिये يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
मबादा कि तुम गुमराह हो जाओ, और عَلِيمٌ ۝
अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखने वाला है।”

तआरुफ़े क़ुरान के दौरान मैंने बताया था कि क़ुरान हकीम की एक तक़सीम सात अहज़ाब या मंज़िलों की है। इस ऐतबार से सूरतुन्निसा पर पहली मंज़िल ख़त्म हो गयी है।

فالحمد لله على ذلك!

लिहाज़ा यहाँ उस हुक्म की मज़ीद वज़ाहत की गयी है। आयत 12 के हुक्म को सिर्फ़ अख्याफ़ी बहन-भाइयों के साथ मख़सूस मान लेने के बाद इस तौज़ीही हुक्म में कलाला की विरासत का हर पहलु वाज़ेह हो जाता है।

आयत 176

“(ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم) यह आप صلی اللہ علیہ وسلم से फ़तवा माँग रहे हैं। कहो कि अल्लाह तुम्हें कलाला के बारे में फ़तवा दे रहा है।”

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ

“अगर कोई शख्स फ़ौत हो गया और उसकी कोई औलाद नहीं (और ना माँ-बाप हैं) और उसकी सिर्फ़ एक बहन है तो उसके लिये उसके तरके में से निस्फ़ है।”

إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا مِنْ مَتْرَكِهِ مَا تَرَكَ

ऐसी सूरत में उसकी बहन ऐसे ही है जैसे एक बेटी हो तो उसे तरके में से आधा हिस्सा मिलेगा।

“और वह मर्द (भाई) उस (बहन) का मुकम्मल वारिस होगा अगर उस (बहन) की कोई औलाद नहीं।”

وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ

यानि अगर कलाला औरत थी जिसकी कोई औलाद नहीं, कोई वालिदैन नहीं तो उसका वारिस उसका भाई बन जायेगा, उसकी पूरी विरासत उसके भाई को चली जायेगी।

“फिर अगर दो (या दो से ज़्यादा) बहनें हो तो वह तरके में से दो तिहाई की हक़दार होंगी।”

فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَالْحُلَّةُ مِنْهُمَا تَرَكَ

“और अगर कई बहन-भाई हों तो एक मर्द के लिये दो औरतों के बराबर हिस्सा होगा।”

وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

यानि भाई को बहन से दोगुना मिलेगा। अलबत्ता यह बात अहम है कि आयत 12 में जो हुक्म दिया गया था वह अख्याफ़ी बहन-भाइयों के बारे में था। यानि ऐसे बहन-भाई जिनकी माँ एक हो और बाप अलैहदा-अलैहदा हों। उस

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

आयात 1 से 5 तक

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ
 غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ① يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا
 سَعَايِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
 يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
 قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
 تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ② حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
 الْمَيْتَةُ وَالِدَامُ وَالْحِمُّ الْحَنْزِيرُ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ
 وَالْمُهْتَرِذِيَّةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ۚ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن
 تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا
 تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ
 لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
 ③ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ
 مُكَلَّبِينَ تَعْلَمُونَ نَهْنِ ۚ مَا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ
 عَلَيْهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ④ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ
 الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّلْ لَكُمْ ۚ وَطَعَامُكُمْ حَلَّلْ لَهُمْ ۚ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ
 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ
 غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَحْدَانٍ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي
 الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ⑤

सूरतुल मायदा

तम्हीदी कलिमात

सूरतुल मायदा से कुरान मजीद की दूसरी मंज़िल का आगाज़ होता है, लेकिन कुरान हकीम के मक्की और मदनी सूरतों के जो ग्रुप्स हैं, उनके ऐतबार से पहला ग्रुप अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि सूरतुल मायदा इस ग्रुप की आखरी सूरत है। इन ग्रुप्स की तफ़्सील क़ब्ल अज़ बयान हो चुकी है। उनमें से पहला ग्रुप एक मक्की सूरत (अल् फ़ातिहा) और चार मदनी सूरतों (अल् बक्ररह, आले इमरान, अन्निसा और अल् मायदा) पर मुश्तमिल है। मज़ामीन की मुनास्बत के ऐतबार से सूरतुल मायदा का “जोड़ा” सूरतुन्निसा के साथ बनता है। इन दोनों सूरतों का अस्लूब भी काफ़ी हद तक आपस में मिलता-जुलता है, अलबत्ता यहाँ ज़्यादा ज़ोर अहले किताब पर है। इस ग्रुप की मदनी सूरतों (अल् बक्ररह, आले इमरान, अन्निसा और अल् मायदा) के बुनियादी मौज़ूआत दो हैं, यानि अहले किताब पर इत्मामे हुज्जत और अहकामे शरीअते इस्लामी। इन सूरतों में इन दोनों मौज़ूआत का एक तसल्लुल है जो तदरीजन नज़र आता है। लिहाज़ा शरीअते इस्लामी का जो इब्तदाई ख़ाका हमें सूरतुल बक्ररह में मिलता है और फिर सूरह आले इमरान और सूरतुन्निसा में इसके खद्दो-खाल मज़ीद वाज़ेह हुए हैं, यहाँ सूरतुल मायदा में आकर यह तकमीली रंग इख़्तियार करता नज़र आता है। यही वजह है कि मआशरे की बुलन्दतरीन (हुकूमती) सतह के अहकाम भी हमें इस सूरत में मिलते हैं। इसी तरह अहले किताब से जिस ख़िताब की इब्तदा सूरतुल बक्ररह में हुई थी, यहाँ आकर वह भी फ़ैसलाकुन मरहले में दाख़िल हो चुका है।

सूरतुन्निसा का आगाज़ “يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ” से हुआ था, जबकि सूरतुल मायदा का आगाज़ “يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا” के अल्फ़ाज़ से हो रहा है।

“नाजायज़ करते हुए शिकार को जबकि तुम
हालत अहराम में हो।”

غَيْبٍ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ

यानि अगर तुमने हज या उमरे के लिये अहराम बाँधा हुआ है तो तुम इस
हालत में इन हलाल जानवरों का भी शिकार नहीं कर सकते।

“बेशक अल्लाह हुक्म देता है जो चाहता है।”

إِنَّ اللَّهَ يُحْكُمُ مَا يُرِيدُ ①

यह अल्लाह का इख्तियार है, वह जो चाहता है फ़ैसला करता है, जो चाहता
है हुक्म देता है।

आयत 2

“ऐ अहले ईमान! मत बेहुरमती करो अल्लाह
के शआइर (ritual) की और ना हुरमत वाले
महीने की”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا
الشَّهْرَ الْحَرَامَ

यानि अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक़ हलाल
मत कर लिया करो।

“और ना हदी के जानवरों की (बेहुरमती
करो)”

وَلَا الْهَدْيَ

यानि कुरबानी के वह जानवर जो हज या उमरे पर जाते हुए लोग साथ लेकर
जाते थे। अरबों के यहाँ रिवाज था कि वह हज या उमरे पर जाते वक़्त
कुरबानी के जानवर साथ लेकर जाते थे। यहाँ उन जानवरों की बेहुरमती की
मुमानिअत (prohibition) बयान हो रही है।

“और ना (उन जानवरों की बेहुरमती होने
पाये) जिनकी गर्दनों में पट्टे डाल दिये गये हों”

وَلَا الْفُلَايِدَ

यह पट्टे (क़लादे) अलामत के तौर पर डाल दिये जाते थे कि यह कुरबानी के
जानवर हैं और काबे की तरफ़ जा रहे हैं।

“और ना आज़मीने बैतुल हराम (की इज़ज़त व
अहतराम में फ़र्क़ आये)”

وَلَا آفَئِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ

आयत 1

“ऐ अहले ईमान! अपने अहदों पैमान (क़ौल व क़रार) को पूरा किया करो।”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

उक़द गिरह को कहते हैं जिसमें मज़बूती से बंधने का मफ़हूम शामिल है। लिहाज़ा “عُقُود” से मुराद वह मुआहिदे हैं जो बाक़ायदा तय पा गये हों। मुआहिदों और क़ौल व क़रार की अहमियत यूँ समझ लीजिये कि हमारी पूरी की पूरी समाजी व मआशरती ज़िन्दगी कायम ही मुआहिदों पर है। मआशरती ज़िन्दगी का बुनियादी यूनिट एक खानदान है, जिसकी बुनियाद एक मुआहिदे पर रखी जाती है। शादी क्या है? मर्द और औरत के दरमियान एक साथ ज़िन्दगी गुज़ारने का मुआहिदा है। इस मुआहिदे से इंसानी मआशरे की बुलन्द व बाला इमारत की बुनियादी ईंट रखी जाती है। इस मुआहिदे के मुताबिक़ फ़रीक़ेन के कुछ हुकूक हैं और कुछ फ़राइज़। एक तरफ़ बीवी के हुकूक और उसके फ़राइज़ हैं और दूसरी तरफ़ शौहर के हुकूक और उसके फ़राइज़। बड़े-बड़े कारोबार भी मुआहिदों की शक़ल में होते हैं। आजिर और मुस्ताजिर (Employer & Employee) का ताल्लुक़ भी एक मुआहिदे की बुनियाद पर कायम होता है। इसी तरह कारोबारे हुकूमत, हुकूमती इदारों में ओहदे और मनासिब (posts), छोटे-बड़े अहलकारों (कर्मियों) की ज़िम्मेदारियाँ, उनकी मराआत (विचारों) और इख़्तियारात का मामला है। गोया तमाम मआशरती, मआशी और सियासी मामलात कुरान हकीम के एक हुक़म पर अमल करने से दुरुस्त सिम्त पर चल सकते हैं, और वह हुक़म है “أَوْفُوا بِالْعُقُودِ”।

“तुम्हारे लिये हलाल कर दिये गये हैं मवेशी क़िस्म के तमाम हैवानात, सिवाय इनके जो तुम्हें पढ कर सुनाये जा रहे हैं”

أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ

जिनका हुक़म आगे चल कर तुम्हें बताया जायेगा, यानि खंज़ीर, मुरदार वगैरह हराम हैं। बाक़ी जो मवेशी क़िस्म के जानवर हैं, वहूश नहीं (मसलन शेर, चीता वगैरह वहशी हैं) वह हलाल हैं, जैसे हिरन, नील गाय और इस तरह के जानवर जो आम तौर पर गोशत ख़ौर नहीं हैं बल्कि सब्ज़े पर उनका गुज़ारा है, उनका गोशत तुम्हारे लिये हलाल कर दिया गया है। अलबत्ता इस्तसनाई सूरतों की तफ़रील बाद में तुम्हें बता दी जायेगी।

“और गुनाह और जुल्म व ज्यादती के कामों में तआवुन मत करो”

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“और अल्लाह का तक़वा इख़्तियार करो, यक़ीनन अल्लाह तआला सज़ा देने में बहुत सख्त है।”

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ①

देखिये यह अंदाज़ बिल्कुल वही है जो सूरतुन्निसा का था, वही मआशरती मामलात और उनके बारे में बुनियादी उसूल बयान हो रहे हैं। अब आ रहे हैं वह इस्तसनाई अहकाम जिनका ज़िक्र आगाज़े सूरत में हुआ था कि “إِلَّا مَا يُؤْتَىٰ عَلَيْكُمْ”। खाने-पीने के लिये जो चीज़ें हराम करार दी गयी हैं उनका ज़िक्र यहाँ आखरी मरतबा आ रहा है और वह भी बहुत वज़ाहत के साथ।

आयत 3

“हराम किया गया तुम पर मुरदार”

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ

वह जानवर जो खुद अपनी मौत मर गया हो वह हराम है।

“और खून और खंज़ीर का गोश्त”

وَالدَّمُ وَحَلْمُ الْخِزْيِيرِ

“और जिस पर पुकारा गया अल्लाह के सिवा किसी और का नाम”

وَمَا أَهْلَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ

यानि वह जानवर जो अल्लाह के अलावा किसी और के लिये नामज़द है, और गैरुल्लाह का तक्ररुब हासिल करने के लिये उसको ज़िबह किया जा रहा है।

“और वह जानवर जो गला घुटने से मर गया हो”

وَالْمُنْخَرِقَةُ

“और चोट लगने से जिस जानवर की मौत वाक़ेअ हो गयी हो”

وَالْمَوْقُودَةُ

“और जो जानवर किसी ऊँची जगह से गिर कर मर गया हो”

وَالْمَتَرِيئَةُ

यानि वह लोग जो बैतुल हराम की तरफ़ चल पड़े हों, हज या उमरे का क़सद करके सफ़र कर रहे हों, अब उनकी भी अल्लाह के घर के साथ एक निस्बत हो गयी है, वह अल्लाह के घर के मुसाफ़िर हैं, जैसा कि अहले अरब हुज्जाजे किराम को कहते हैं: "مَرْحَبًا بِضُيُوفِ الرَّحْمَنِ" "मरहबा उन लोगों को जो रहमान के मेहमान हैं।" यानि तमाम हुज्जाजे किराम असल में अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह उन तमाम ज़ायरीने काबा का मेज़बान है। तो अल्लाह के उन तमाम मेहमानों की हतके इज़ज़त (अपमान) और बेहुरमती से मना कर दिया गया।

"वह तलबगार हैं अपने रब के फ़ज़ल और उसकी खुशनुदी के।"

يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا

यह सबके सब अल्लाह तआला के फ़ज़ल और उसकी खुशनुदी की तलाश में निकले हुए हैं, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश में मकाने मोहतरम (काबे) की तरफ़ जा रहे हैं।

"हाँ जब तुम हलाल हो जाओ (अहराम खोल दो) तो फिर तुम शिकार करो।"

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا

हलाल हो जाना एक इस्तलाह है, यानि अहराम खोल देना, हालते अहराम से बाहर आ जाना। अब तुम्हें शिकार की आज्ञादी है, इस पर पाबन्दी सिर्फ़ अहराम की हालत में थी।

"और तुम्हें अमादा ना कर दे किसी क़ौम की दुश्मनी"

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ

"कि उन्होंने रोके रखा तुम्हें मस्जिदे हराम से"

أَن صَدُّوكُم مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

"कि (तुम भी उन पर) ज़्यादती करने लगो।"

أَن تَعْتَدُوا

यानि जैसे अहले मक्का ने तुम लोगों को छः-सात बरस तक हज व उमरे से रोके रखा, अब कहीं उसके जवाब में तुम लोग भी उन पर ज़्यादती ना करना।

"और तुम नेकी और तक़वा के कामों में तआवुन करो"

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

“अब यह काफ़िर लोग तुम्हारे दीन से मायूस हो चुके हैं”

الْيَوْمَ يَيْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ

यानि यह लोग अब यह हकीकत जान चुके हैं कि अल्लाह का दीन ग़ालिब हुआ चाहता है और उसका रास्ता रोकना इनके बस की बात नहीं है। जैसा कि पहले बयान हो चुका है, सूरतुल मायदा नुज़ूल के ऐतबार से आख़री सूरतों में से है। यह उस दौर की बात है जब अरब में इस्लाम के ग़लबे के आसार साफ़ नज़र आना शुरू हो गये थे।

“तो उनसे मत डरो और मुझ ही से डरो।”

فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي

“आज के दिन मैंने तुम्हारे लिये तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया है”

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

“और तुम पर इत्माम फ़रमा दिया है अपनी नेअमत का”

وَأَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

“और तुम्हारे लिये मैंने पसंद कर लिया है इस्लाम को बहैसियत दीन का।”

وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا

मेरे यहाँ पसंदीदा और मक़बूल दीन हमेशा-हमेश के लिये सिर्फ़ इस्लाम है।

“लेकिन जो शख्स भूख में मुज़तर (बेहाल) हो जाये (और कोई हुराम शय खा ले)”

فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ

शदीद फ़ाक़े की कैफ़ियत हो, भूख से जान निकल रही हो तो उन हुराम करदा चीज़ों में से जान बचाने के बक़द्र खा सकता है।

“(बशर्ते कि) उसका गुनाह की तरफ़ कोई रज़ान ना हो”

غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِأَيِّمٍ

नीयत में कोई फ़तूर ना हो, बल्कि हकीकत में जान पर बनी हो और दिल में नाफ़रमानी का कोई ख्याल ना हो।

“तो अल्लाह तआला बख़्शने वाला मेहरबान है।”

فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“और जो जानवर किसी दूसरे जानवर के सींग मारने से हलाक हो गया हो”

وَالطَّيْبَةَ

“और जिसे खाया हो किसी दरिन्दे ने”

وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ

यानि “الْبَيْئَةَ” की यह पाँच क्रिस्में हैं। कोई जानवर इनमें से किसी सबब से मर गया, ज़िबह होने की नौबत नहीं आयी, उसके जिस्म से खून निकलने का इम्कान ना रहा, बल्कि खून उसके जिस्म के अन्दर ही जम गया और उसके गोशत का हिस्सा बन गया तो वह मुरदार के हुक्म में होगा।

“मगर यह कि जिसे तुम (ज़िन्दा पाकर) ज़िबह कर लो”

إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

यानि मज़कूरा बाला अक्रसाम में से जो जानवर अभी मरा ना हो और उसे ज़िबह कर लिया जाये तो उसे खाया जा सकता है। मसलन शेर ने हिरन का शिकार किया, लेकिन इससे पहले कि वह हिरन मरता शेर ने किसी सबब से उसे छोड़ दिया। इस हालत में अगर उसे ज़िबह कर लिया गया और उसमें से खून भी निकला तो वह हलाल जाना जायेगा। जहाँ-जहाँ शेर का मुँह लगा हो वह हिस्सा काट कर फेंक दिया जाये तो बाक़ी गोशत खाना जायज़ है।

“और वह जानवर जो किसी स्थान पर ज़िबह किया गया हो”

وَمَا دُجِحَ عَلَى النَّصْبِ

यानि किसी ख़ास आस्ताने पर, ख्वाह वह किसी वली अल्लाह का मज़ार हो या देवता, देवी का कोई स्थान हो, ऐसी जगहों पर जाकर ज़िबह किया गया जानवर भी हुराम है।

“और यह कि जुए के तीरों के ज़रिये से तक्रसीम करो।”

وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ

यह भी जुए की एक क्रिस्म थी। अरबों के यहाँ रिवाज़ था कि कुर्बानी के बाद गोशत के ढेर लगा देते थे और तीरों के ज़रिये गोशत पर जुआ खेलते थे।

“यह तमाम गुनाह के काम हैं।”

ذِكْرُكُمْ فِشَقُ

सबको साफ़ किया जा रहा है और आज तुम्हारे लिये तमाम साफ़-सुथरी और पाकीज़ा चीज़ों के हलाल होने का ऐलान किया जा रहा है।

“और अहले किताब का खाना तुम्हारे लिये हलाल है।” وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَّكُمْ

लेकिन यह सिर्फ़ उस सूरत में है कि वह खाना असलन हलाल हो, क्योंकि अगर एक ईसाई सुबर खा रहा होगा तो वह हमारे लिये हलाल नहीं होगा। इस खाने में उनका ज़बीहा भी शामिल है, दो बुनियादी शराइत के साथ: एक यह कि जानवर हलाल हो और दूसरे यह कि उसे अल्लाह का नाम लेकर ज़िबह किया गया हो।

“इसी तरह तुम्हारा खाना भी उनके लिये हलाल है।” وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ

“और (तुम्हारे लिये हलाल हैं) अहले ईमान में से खानदानी औरतें” وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ

“और खानदानी औरतें उन लोगों की जिनको तुमसे पहले किताब दी गयी थी” وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

यानि मुस्लमान मर्द ईसाई या यहूदी औरत से शादी कर सकता है।

“जबकि तुम उन्हें अदा कर दो उनके महर” إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

“क़ैदे निकाह में लाकर उनके मुहाफ़िज़ बनते हुए” مُحْصِنِينَ

नीयत यह हो कि तुमने उनको अपने घरों में बसाना है, मुस्तक़िल तौर पर एक खानदान की बुनियाद रखनी है।

“ना कि आज़ाद शहवत रानी के लिये” غَيْرِ مُسْلِفِينَ

“और ना ही चोरी-छुपे आशनाई करने के लिये।” وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ

आयत 4

“(ऐ नबी ﷺ!) यह लोग आपसे पूछते हैं कि उनके लिये क्या-क्या हलाल है?”

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ

“आप (ﷺ) इन्हें) बतायें कि तुम्हारे लिये सब पाकीज़ा चीज़ें हलाल कर दी गयी हैं”

قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ

“और यह जो तुम सधाते हो शिकारी जानवरों को, फिर छोड़ते हो इनको शिकार के लिये, इन्हें तुमने सिखाया है उसमें से जो अल्लाह ने तुम्हें सिखाया है”

وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ
مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ

“तो तुम उनके उस शिकार में से खाओ जो वह तुम्हारे लिये रोके रखे”

فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ

“और उस पर अल्लाह का नाम ले लो।”

وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ

“और अल्लाह का तक्रवा इख्तियार करो।”

وَاتَّقُوا اللَّهَ

“यक्रीनन अल्लाह बहुत जल्द हिसाब चुकाने वाला है।”

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ⑤

उसे हिसाब लेने में देर नहीं लगती।

आयत 5

“आज तुम्हारे लिये तमाम पाकीज़ा चीज़ें हलाल कर दी गयी हैं।”

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ

यह वही “... الْيَوْمَ أَمْكُنْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ...” वाला अंदाज़ है। यानि इससे पहले अगर मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के अहकाम की वजह से, यहूद की शरीअत या हज़रत याकूब अलै० की ज़ाती पसंद व नापसंद की बिना पर अगर कोई रुकावटें पैदा हो गयी थीं या मआशरे में राइज मुशरिकाना रसूमात व अवहाम (अंधविश्वास) की वजह से तुम्हारे ज़हनों में कुछ उलझनें थीं तो आज उन

“तो जिस शख्स ने ईमान के साथ कुफ़र किया
उसके तमाम आमाल ज़ाया हो गये”

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ

इसमें इशारा अहले किताब की तरफ़ भी हो सकता है कि जब तक मुहम्मद
रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم तशरीफ़ नहीं लाये थे तब तक वह अहले ईमान थे लेकिन
अब अगर वह नबी आखिरुज़्ज़मान صلی اللہ علیہ وسلم पर ईमान नहीं ला रहे तो गोया वह
कुफ़र कर रहे हैं। इसका दूसरा मफ़हूम यह है कि कोई शख्स ईमान का मुद्दई
होकर काफ़िराना हरकतें करे तो उसके तमाम आमाल ज़ाया हो जाएँगे।

“और आखिरत में वह होगा ख़सारा उठाने
वालों में”

وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ۝

आयात 6 से 11 तक

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ
مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ
عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ①
وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّتِي وَثَقَكُمْ بِهَا إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ② يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ
شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ الْقَوْمِ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا وَإِغْدِلُوا ۝ هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ③ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ④ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
الْجَحِيمِ ⑤ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ كُرُوا نِعْمَتِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا
إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ⑥

बल्कि मारुफ़ तरीके से अलल ऐलान निकाह करके तुम उन्हें अपने घरों में आबाद करो और उनके मुहाफ़िज़ बनो। इस ज़िमन में बाज़ अशकालात (अशकालात) का रफ़ा (दूर) करना ज़रूरी है। जहाँ तक शरीअते इस्लामी का हुक़म है तो शरीअत रसूल अल्लाह ﷺ पर मुकम्मल हो चुकी है, अब इसमें तगय्युर व तबद्दुल मुमकिन नहीं। इस लिहाज़ से यह क़ानून अपनी जगह क़ायम है और क़ायम रहेगा। यह तो है इसका जवाज़, अलबत्ता अगर आज इसके खिलाफ़ किसी को कोई मसलहत नज़र आती है तो वह अपनी जगह दुरुस्त हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद क़ानून को बदला नहीं जा सकता। अलबत्ता अगर एक ख़ालिस इस्लामी रियासत हो तो हालात की संगीनी के पेशे नज़र कुछ अरसे के लिये किसी ऐसी इजाज़त या हुक़म को मौकूफ़ (pause) किया जा सकता है। जैसे हज़रत उमर रज़ि० ने एक मरतबा अपने ज़माने में क़हत के सबब क़तअ यद (हाथ काटने) की सज़ा को मौकूफ़ कर दिया था। इस तरह किसी क़ानून में इस्लामी हुकूमत के किसी आरज़ी इन्तेज़ामी हुक़म (executive order) के ज़रिये से कोई आरज़ी तब्दीली की जा सकती है। मज़ीद बराँ इस इजाज़त के पस मंज़र में जो फ़लसफ़ा और हिकमत है उसकी असल रूह को समझना भी ज़रूरी है। यह इजाज़त सिर्फ़ मुस्लमान मर्द को दी गयी है कि वह ईसाई या यहूदी औरतों से शादी कर सकते हैं, मुस्लमान औरत ईसाई या यहूदी मर्द से शादी नहीं कर सकती। इसकी वजह यह है कि आम तौर पर मर्द औरत पर ग़ालिब होता है, लिहाज़ा इम्काने ग़ालिब है कि वह अपनी बीवी को इस्लाम की तरफ़ रागिब कर लेगा। दूसरे यह कि उस ज़माने में यह बात मुसल्लमा (मान्य) थी कि औलाद मर्द की है, और मर्द के ग़ालिब और फ़आल होने का मतलब था कि ऐसे मियाँ-बीवी की औलाद ईसाई या यहूदी नहीं बल्कि मुस्लमान होगी। उस वक़्त वैसे भी मुसलमानों का ग़लबा था और यहूदी और ईसाई उनके ताबेअ हो चुके थे। आज-कल हालात यक्सर तब्दील हो चुके हैं। आज ईसाई और यहूदी ग़ालिब हैं, जबकि मुस्लमान इन्तहाई मग़लूब। दूसरी तरफ़ बैनुल अक़वामी सियासत में औरतों का ग़लबा है। लिहाज़ा मौजूदा हालात में मसलहत का तक्राज़ा यही है कि ऐसी शादियाँ ना हों, लेकिन बहरहाल इनको हराम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके जवाज़ का वाज़ेह हुक़म मौजूद है। हाँ अगर कोई इस्लामी रियासत कहीं क़ायम हो जाये तो वह आरज़ी तौर पर (जब तक हालात में कोई तब्दीली ना आ जाये) इस इजाज़त को मन्सूख कर सकती है।

“या तुम में से कोई किसी नशेबी जगह
(शौचालय) से होकर आये”

أَوْ جَاءَ أَحَدًا مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِبِ

यह इस्तआरा है क़ज़ाये हाजत के लिये। आम तौर पर लोग क़ज़ाये हाजत के लिये नशेबी जगहों पर जाते थे।

“या तुमने औरतों से मुक़ारबत की हो”

أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ

“और तुम्हें पानी दस्तयाब ना हो”

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً

“तो इरादा कर लो पाक मिट्टी का”

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

यानि पाक मिट्टी से तयम्मूम कर लिया करो।

“तो उससे अपने चेहरे और हाथों को मल लो।”

فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ

“अल्लाह यह नहीं चाहता कि तुम पर कोई तंगी करे”

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

“बल्कि वह चाहता है कि तुम्हें पाक कर दे”

وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ

“और तुम पर अपनी नेअमत का इत्माअ फ़रमाये ताकि तुम शुक्रगुज़ार बन सको।”

وَلِيُيَسِّرَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥﴾

आयत 7

“और अल्लाह ने तुम्हें जो अपनी नेअमत अता की है उसको याद रखो और उस मुआहिदे को भी जो उसने तुमसे बाँध लिया है (या जिसमें उसने तुम्हें बाँध लिया है)”

وَادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الّذِي
وَأَتَقَمُّوهُ

एक मीसाक़ वह था जो बनी इसराइल से लिया गया था, अब एक मीसाक़ यह है जो अहले ईमान से हो रहा है। चूँकि यह सूरत शुरू हुई थी **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا**

आयत 6

“ऐ अहले ईमान! जब तुम खड़े हो नमाज़ के लिये”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ

यानि नमाज़ पढ़ने का क्रसद किया करो।

“तो धो लिया करो अपने चेहरे और दोनों हाथ भी कोहनियों तक”

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

“और अपने सरों पर मसह कर लिया करो”

وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ

“और (धो लिया करो) अपने दोनों पाँव भी टखनों तक।”

وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

यहाँ पर वाज़ेह रहे कि **أَرْجُلَكُمْ** और **أَرْجُلِكُمْ** दोनों किरातें मुस्तनद (authentic) हैं, लिहाज़ा अहले तशय्य (शिया) इसको मुस्तक़लन **أَرْجُلِكُمْ** पढ़ते हैं और उनके नज़दीक इसमें पाँव पर मसह का हुक़म है। चुनाँचे वह { **وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ** } का तर्ज़ुमा इस तरह करते हैं: “और मसह कर लिया करो अपने सरों पर भी और अपने पाँव पर भी।” लेकिन अहले सुन्नत के नज़दीक यह **أَرْجُلَكُمْ** है और **إِلَى الْكَعْبَيْنِ** के इज़ाफ़े से यहाँ पाँव को धोने का हुक़म बिल्कुल वाज़ेह हो गया है। अगर सिर्फ़ मसह करना मतलूब होता तो इसमें कोई हद बयान करने की ज़रूरत नहीं थी। लिहाज़ा **إِلَى الْكَعْبَيْنِ** की शर्त से यह टुकड़ा { **فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ** } के बिल्कुल मसावी (बराबर) हो गया है। जैसे हाथों का धोना है कोहनियों तक, ऐसे ही पाँव का धोना है टखनों तक। इस हुक़म में वुजू के फ़राइज़ बयान हुए हैं।

“और अगर तुम हालते जनाबत में हो तो फिर तुम और ज़्यादा पाकी हासिल करो।”

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

यानि पूरे जिस्म का गुस्ल करो। जनाबत की हालत में नमाज़ पढ़ना या कुरान को हाथ लगाना जायज़ नहीं।

“और अगर तुम बीमार हो या सफ़र पर हो”

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرَضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ

दूसरा अहम नुक्ता इस आयत से हमारे सामने यह आ रहा है कि मआशरे में अद्ल कायम करने का हुक्म है। इन्सान फ़ितरतन इन्साफ़ पसंद है। इन्साफ़ आम इन्सान की नफ़िसयात और उसकी फ़ितरत का तक्काज़ा है। आज पूरी नौए इंसानी इन्साफ़ की तलाश में सरगर्दा (हैरान व परेशान) है। इन्साफ़ ही के लिये इन्सान ने बादशाहत से निजात हासिल की और जम्हूरियत को अपनाया ताकि इन्सान पर इन्सान की हाकिमियत ख़त्म हो, इन्साफ़ मयस्सर आये, मगर जम्हूरियत की मंज़िल सराब (भ्रम) साबित हुई और एक दफ़ा इन्सान फिर सरमाया दाराना निज़ाम (capitalism) की लानत में गिरफ़्तार हो गया। अब सरमायेदार उसके आक्रा और डिक्टेटर बन गये। इस लानत से निजात के लिये उसने कम्युनिज़्म (communism) का दरवाज़ा खटखटाया मगर यहाँ भी मताअलक्का पार्टी की आमरियत (one party dictatorship) उसकी मुन्तज़िर थी। गोया “रुस्त अज़ यक बंद ता उफ़ताद दर बन्दे दिगर” यानि एक मुसीबत से निजात पायी थी कि दूसरी आफ़त में गिरफ़्तार हो गये। अब इन्सान अद्ल और इन्साफ़ हासिल करने के लिये कहाँ जाये? क्या करे? यहाँ पर एक रोशनी तो इन्सान को अपनी फ़ितरत के अन्दर से मिलती है कि उसकी फ़ितरत इन्साफ़ का तक्काज़ा करती है और अपनी फ़ितरत के इस तक्काज़े को पूरा करने के लिये वह अद्ल कायम करने के लिये खड़ा हो जाये, मगर इससे ऊपर भी एक मंज़िल है और वह यह है कि “अल् अद्ल” अल्लाह की ज़ात है जिसका दिया हुआ निज़ाम ही आदिलाना निज़ाम है। हम उसके बन्दे हैं, उसके वफ़ादार हैं, लिहाज़ा उसके निज़ाम को कायम करना हमारे ज़िम्मे है, हम पर फ़र्ज़ है। चुनाँचे {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ} में उसी बुलन्दतर मंज़िल का ज़िक्र है। यह सिर्फ़ फ़ितरते इन्सानी ही का तक्काज़ा नहीं बल्कि तुम्हारी अबदियत का तक्काज़ा भी है। अल्लाह तआला के साथ वफ़ादारी के रिश्ते का तक्काज़ा है कि पूरी कुव्वत के साथ, अपने तमामतर वसाइल के साथ, जो भी असबाब व ज़राय मयस्सर हों उन सबको जमा करके खड़े हो जाओ अल्लाह के लिये! यानि अल्लाह के दीन के गवाह बन कर खड़े हो जाओ। और उस दीन में जो तसव्वुर है अद्ल, इन्साफ़ और क्रिस्त का उस अद्ल व इन्साफ़ और क्रिस्त को कायम करने के लिये खड़े हो जाओ। यह है इस हुक्म का तक्काज़ा।

अब देखिये, वहाँ (सूरतुन्निसा आयत 135 में) क्या था: “ऐ ईमान वालो! इन्साफ़ के अलम्बरदार और अल्लाह वास्ते के गवाह बन जाओ।”

से, यानि अहले ईमान से खिताब है, लिहाज़ा इस मीसाक़ में भी अहले ईमान ही मुख़ातिब हैं।

“जब तुमने कहा था हमने सुना और इताअत कुबूल की।”

إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

सूरतुल बकररह की आखरी आयत से पहले वाली आयत में अहले ईमान का यह इकरार मौजूद है {سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ} अब जो मुस्लमान भी कहता है वह गोया एक मीसाक़ और एक बहुत मज़बूत मुआहिदे के अन्दर अल्लाह तआला के साथ बंध जाता है। यानि अब उसे अल्लाह की शरीअत की पाबन्दी करनी है।

“और अल्लाह का तक्रवा इख़्तियार करो, यक़ीनन अल्लाह तआला सीने के राज़ों से भी वाकिफ़ है।”

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ②

आयत 8

“ऐ लोगो जो ईमान लाये हो, अल्लाह की खातिर रास्ती पर कायम रहने वाले और इन्साफ़ की गवाही देने वाले बन जाओ”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ

यहाँ पर सूरतुन्निसा की आयत 135 का हवाला ज़रूरी है। सूरतुन्निसा की आयत 135 और ज़ेरे मुताअला आयत में एक ही मज़मून बयान हुआ है, फ़र्क़ सिर्फ़ यह है कि तरतीब अक्सी है (दोनों सूरतों की निस्बते ज़ौजियत मद्देनज़र रहे)। वहाँ अल्फ़ाज़ आये हैं: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ} और यहाँ अल्फ़ाज़ हैं: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ}। एक हकीक़त तो मैंने उस वक़्त बयान कर दी थी कि इससे यह मालूम हुआ कि गोया “अल्लाह” और “क्रिस्त” मुतरादिफ़ हैं। एक जगह फ़रमाया: “क्रिस्त के लिये खड़े हो जाओ” और दूसरी जगह फ़रमाया: “अल्लाह के लिये खड़े हो जाओ।” इसी तरह एक जगह “अल्लाह के गवाह बन जाओ” और दूसरी जगह “क्रिस्त के गवाह बन जाओ” फ़रमाया। तो गोया “अल्लाह” और “क्रिस्त” एक-दूसरे के मुतरादिफ़ के तौर पर आये हैं।

तुम्हारा कोई अमल और कोई क़ौल उसके इल्म से ख़ारिज नहीं, लिहाज़ा हर वक़्त चौकस रहो, चौकन्ने रहो। (आयत ज़ेरे नज़र और सूरतुन्निसा की आयत 135 के मायने व मफ़हूम का बाहमी रब्त और अल्फ़ाज़ की अक्सी और reciprocal तरतीब का हुस्न लायक़-ए-तवज्जोह है।)

आयत 9

“अल्लाह का वादा है उन लोगों से जो ईमान लाये और नेक अमल करते रहे कि उनके लिये मग़फ़िरत भी है और अज़े अज़ीम भी।”

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ①

आयत 10

“और जिन्होंने इन्कार किया और हमारी आयत को झुठलाया वही लोग जहन्नम वाले हैं।”

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ②

आयत 11

“ऐ अहले ईमान! ज़रा याद करो अल्लाह के उस ईनाम को जो उसने तुम पर किया जब इरादा किया था एक क़ौम ने कि तुम्हारे ख़िलाफ़ अपने हाथ बढायें”

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا الذُّكُورَ وَإِنَعَمَتِ اللَّهُ
عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ
أَيْدِيَهُمْ

“तो अल्लाह ने उनके हाथों को रोक दिया तुमसे।”

فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ

यह गज़वा-ए-अहज़ाब के बाद के हालात पर तबसिरा है। इस गज़वे के बाद अभी कुफ़्रार में से बहुत से लोग पेच व ताब खा रहे थे और बईद नहीं था कि वह दो बार मुहिम जोई करते, लेकिन अल्लाह तआला ने ऐसे हालात पैदा कर दिये और उनके दिलों में ऐसा रौब डाल दिया कि वह दोबारा लश्कर कशी की जुरत ना कर सके। इस सूरते हाल का ज़िक़्र अल्लाह तआला यहाँ पर अपने ईनाम के तौर पर कर रहे हैं कि जब कुफ़्रार ने इरादा किया था कि

{وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} “अगरचे इसकी (तुम्हारे इन्साफ़ और तुम्हारी गवाही की) ज़द खुद तुम्हारी अपनी ज़ात पर या तुम्हारे वालिदैन या रिश्तेदारों पर ही क्यों ना पड़ती हो।”

इन्साफ़ से रोकने वाले अवामिल में से एक अहम आमिल मुस्बते ताल्लुक़ यानि मोहब्बत है। अपनी ज़ात से मोहब्बत, वालिदैन और रिश्तेदारों वगैरह की मोहब्बत इन्सान को सोचने पर मजबूर कर देती है कि मैं अपने ख़िलाफ़ कैसे फ़तवा दे दूँ? अपने ही वालिदैन के ख़िलाफ़ क्योंकर फ़ैसला सुना दूँ? सच्ची गवाही देकर अपने अज़ीज़ रिश्तेदार को कैसे फ़ाँसी चढ़ा दूँ? लिहाज़ा “.....وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ” फ़रमा कर इस नौइयत की तमाम अस्बियतों की जड़ काट दी गयी कि बात अगर हक़ की है, इन्साफ़ की है तो फिर ख्वाह वह तुम्हारे अपने ख़िलाफ़ ही क्यों ना जा रही हो, तुम्हारे वालिदैन पर ही उसकी ज़द क्यों ना पड़ रही हो, तुम्हारे अज़ीज़ रिश्तेदार ही उसकी काट के शिकार क्यों ना हो रहे हों, उसका इज़हार बगैर किसी मसलहत के डंके की चोट पर करना है।

इस सिलसिले में दूसरा आमिल मनफ़ी ताल्लुक़ है, यानि किसी फ़र्द या गिरोह की दुश्मनी, जिसकी वजह से इन्सान हक़ बात कहने से पहलुतही कर जाता है। वह सोचता है कि बात तो हक़ की है मगर है तो वह मेरा दुश्मन, लिहाज़ा अपने दुश्मन के हक़ में आखिर कैसे फ़ैसला दे दूँ? आयत ज़ेरे नज़र में इस आमिल को बयान करते हुए दुश्मनी की बिना पर भी कतमाने हक़ (हक़ छुपाने) से मना कर दिया गया:

“और किसी क़ौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर अमादा ना कर दे कि तुम अद्ल से मुन्हरिफ़ (बागी) हो जाओ।”

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ۤأَلَّا تَعْدِلُوۥٓاۙ

“अद्ल से काम लो”

إِعْدِلُوۥٓاۙ

“यही क़रीबतर है तक्रवे के”

هُوَ ٱقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

“और अल्लाह का तक्रवा इख्तियार करो। जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह यक़ीनन उससे बाख़बर है।”

وَٱتَّقُوا ٱللّهَ إِنَّ ٱللّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ①

ابْنِ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ
 وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۗ وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يُخْلِقُ مَا
 يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٢﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ
 وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يُعَذِّبُ لِمَنْ يَشَاءُ
 وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿٤٣﴾
 يَا هَلْ الْكِنْبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا
 جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ۗ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٤﴾

अब यहाँ से बनी इसराइल की तारीख के चंद वाक़िआत आ रहे हैं।

आयत 12

“और अल्लाह तआला ने बनी इसराइल से भी
 मीसाक़ लिया था।”

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ

यानि ऐ मुसलमानों! जिस तरह आज तुमसे यह मीसाक़ लिया गया है और
 अल्लाह ने तुम्हें शरीअत के मीसाक़ में बाँध लिया है, बिल्कुल इस तरह का
 मीसाक़ अल्लाह तआला ने तुमसे पहले बनी इसराइल से भी लिया था।

“और उनमें हमने मुक़रर किये थे बारह
 नक़ीब।”

وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا

बनी इसराइल के बारह क़बीले थे, हर क़बीले में से हज़रत मूसा अलै० ने एक
 नक़ीब मुक़रर किया। नबी अकरम صلی اللہ علیہ وسلم ने भी अन्सार में बारह नक़ीब
 फ़रमाये थे, नौ ख़जरज में से और तीन औस से।

“और अल्लाह ने (उनसे) फ़रमाया था कि मैं
 तुम्हारे साथ हूँ।”

وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ

मेरी मदद, मेरी ताइद, मेरी नुसरत तुम्हारे साथ शामिले हाल रहेगी।

“अगर तुमने नमाज़ को क़ायम रखा और

لَيْنِ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ

तुम पर दस्तदराज़ी करें, तुम्हारे ऊपर ज़्यादती करने के लिये, तुम पर फ़ौज कशी के लिये इक़दाम करें।

इसमें ख़ास तौर पर इशारा सुलह हुदैबिया की तरफ़ है। उस वक़्त भी कुरैश लड़ाई के लिये बेताब हो रहे थे, उनके नौजवानों का खून खौल रहा था, लेकिन बिलआखिर उन्हें इस हकीकत का इदराक (अहसास) हो गया कि अब हम मुसलमानों का मुक़ाबला नहीं कर सकते। गोया अल्लाह तआला ने उनके दिलों में रौब डाल दिया और उनके हाथों को मुसलमानों के ख़िलाफ़ उठने से रोक दिया।

“और तुम अल्लाह का तक्रवा इख़्तियार करो, وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
और अहले ईमान को तो अल्लाह ही पर
तवक्कुल करना चाहियो” ⑩

आयात 12 से 19 तक

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمْ مَوَاهِبَهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ⑫ فِيمَا نَقَضْتُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعْنَتُهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ⑬ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ⑭ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ⑮ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَبُخِّرْهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ⑯ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ

“और उनके दिलों को सख्त कर दिया।”

وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً

जैसे सूरतुल बक्ररह में फ़रमाया: { كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً } (आयत:74) “फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गये उसके बाद, पत्थरों की तरह बल्कि पत्थरों से भी बढ़ कर सख्ता।” यहाँ पर वही बात दोहराई गयी है।

“वह कलाम को उसके असल मक़ाम से हटाते थे”

يُحْرِفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ

“और जो कुछ उनको दिया गया था नसीहत के तौर पर उसके अक्सर हिस्से को वह भूल गये।”

وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ

और उन्होंने उससे फ़ायदा उठाना छोड़ दिया।

“और (ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم) आप हमेशा उनकी तरफ़ से ख़्यानत की इत्तलाअ पाते रहेंगे”

وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ

रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم जैसे ही मदीने पहुँचे थे तो आप صلی اللہ علیہ وسلم ने उस नयी जगह पर अपनी पोज़ीशन मज़बूत करने के लिये पहले छः महीनों में जो तीन काम किये उनमें से एक यह भी था कि यहूद के तीनों क़बीलों से मदीना के मुशतरका दिफ़ा के मुआहिदे कर लिये कि अगर मदीने पर हमला होगा तो सब मिल कर इसका दिफ़ा करेंगे, लेकिन बाद में उनमें से हर क़बीले ने एक-एक करके ग़दारी की। चुनाँचे नबी अकरम صلی اللہ علیہ وسلم से फ़रमाया जा रहा है कि उनकी तरफ़ से मुसलसल ख़्यानतें होती रहेंगी, लिहाज़ा आपको उनकी तरफ़ से होशियार रहना चाहिये और उनका तोड़ करने के लिये पहले से तैयार रहना चाहिये।

“सिवाय उनमें से चंद एक के”

إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ

उनमें से बहुत थोड़े लोग इससे मुस्तशाना (मुक्त) हैं।

“लिहाज़ा (अभी) आप صلی اللہ علیہ وسلم उन्हें माफ़ करते रहें और दरगुज़र से काम लें।”

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ

“यक्रीनन अल्लाह तआला अहसान करने

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

ज़कात अदा करते रहे”

“और मेरे रसूलों पर ईमान लाते रहे”

وَأَمَنْتُمْ بِرُسُلِي

“और उन (रसूलों) की तुम मदद करते रहे”

وَعَزَّزْتُمُوهُمْ

यह जिन रसूलों का जिक्र है वह पे-दर-पे बनी इसराइल में आते रहे। हज़रत मूसा अलै० के बाद तो रिसालत का यह सिलसिला एक तार की मानिन्द था जो छः सौ बरस तक टूटा ही नहीं। फिर ज़रा सा वक्फ़ा छः सौ बरस का आया और फिर उसके बाद नबी आखिरुज़्ज़मान صلی اللہ علیہ وسلم तशरीफ़ लाये।

“और अल्लाह को कर्ज़े हसना देते रहे”

وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

यानि अल्लाह के दीन के लिये माल खर्च करते रहे।

“तो मैं लाज़िमन दूर कर दूँगा तुमसे तुम्हारी बुराइयाँ”

لَا كَفِّرُنَا عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ

“और मैं लाज़िमन दाखिल कर दूँगा तुम्हें उन बागात में जिनके दामन में नदियाँ बहती होंगी।”

وَلَا دَخَلْنَاكُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

“तो जिसने कुफ़्र किया इसके बाद तुम में से तो वह सीधे रास्ते से भटक कर रह गया।”

فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ

السَّبِيلِ ⑩

आयत 13

“पस उनके अपने इस अहद को तोड़ने के बाइस हमने उन पर लानत फ़रमायी”

فَمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعْنَتُهُمْ

मैंने सूरतुन्निसा आयत 155 में “لَعْنَتُهُمْ” महज़ूफ़ करार दिया था, लेकिन यहाँ पर यह वाज़ेह होकर आ गया है कि हमने उनके इस मीसाक़ को तोड़ने की पादाश में उन पर लानत फ़रमायी।

बाहमी चप्पलिश तो कोई पोशीदा राज़ नहीं, जिसकी हल्की सी झलक आज भी हमें आयरलैंड में नज़र आती है।

“और अनक़रीब अल्लाह तआला जितला देगा ⑤ وَسَوْفَ يُدَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ⑥
उन्हें जो कुछ वह करते रहे थे।”

अब फिर वही अंदाज़ है जो सूरतुन्निसा के आखिर में था।

आयत 15

“ऐ अहले किताब, आ गया है तुम्हारे पास हमारा रसूल”

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا

“जो ज़ाहिर कर रहा है तुम पर वह बहुत सी बातें जिनको तुम छुपा रहे थे किताब में से”

يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ

“और बहुत सी बातों से तो दरगुज़र भी कर रहा है।”

وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ

“आ चुका है तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ़ से एक नूर भी और एक रोशन किताब भी।”

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ⑦

यहाँ नूर से मुराद नबी अकरम صلی اللہ علیہ وسلم की शख्सियत भी हो सकती है। सूरतुन्निसा आयत 174 में जो फ़रमाया गया: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا} “और नाज़िल कर दिया है हमने तुम्हारी तरफ़ एक रोशन नूर” वहाँ नूर से मुराद कुरान है, इसलिये कि हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم के लिये फ़अल وَأَنْزَلْنَا दुरुस्त नहीं। लेकिन यहाँ ज़्यादा अहतमाल (सम्भावना) यही है कि नूर से मुराद रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم की ज़ाते मुबारका है, यानि आप صلی اللہ علیہ وسلم की रूहे पुरनूर, क्योंकि आप صلی اللہ علیہ وسلم की रूह और रूहानियत आप صلی اللہ علیہ وسلم के पूरे वजूद पर ग़ालिब थी, छायाई हुई थी। इस लिहाज़ से आप صلی اللہ علیہ وسلم को नूरे मुजस्सम भी कहा जा सकता है। गोया आप صلی اللہ علیہ وسلم को इस्तआरतन “नूर” कहा गया है। एक अहतमाल यह भी है कि यहाँ नूर भी कुरान पाक ही को कहा गया हो और “वाव” इसमें वावे तफ़सीरी हो। इस सूरत में मफ़हूम यूँ होगा: “आ गया है तुम्हारे पास नूर यानि किताबे मुबीना।”

वालों को पसंद फ़रमाता है।”

आयत 14

“और जिन लोगों ने कहा हम नसारा हैं, हमने उनसे भी मीसाक़ लिया”

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرَىٰ أَخَذْنَا
مِيثَاقَهُمْ

“तो वह भी भूल गये बड़ा हिस्सा उसका जिसकी उनको नसीहत की गयी थी।”

فَنَسُوا حَظًّا فَمَا بُدُوا

वह उस नसीहत से फ़ायदा उठाना भूल गये।

“तो हमने डाल दी उनके दरमियान दुश्मनी और बुग़ज़ क़यामत के दिन तक।”

فَأَعْرَبْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى
يَوْمِ الْقِيَامَةِ

यहाँ एक अहम नुक्ता तो यह है कि ईसाईयों और यहूदियों के दरमियान पूरे उन्नीस सौ बरस शदीद दुश्मनी रही है। मौजूदा दौर में सूरते हाल आरज़ी तौर पर कुछ तब्दील हो गयी है। ईसाई जिन्हें अल्लाह का बेटा बल्कि खुदा समझते हैं, यहूदियों ने उन्हें वलदुज्जिना करार दिया और काफ़िर व मुर्तद कहते हुए वाजिबुल क़त्ल ठहराया। यह बुनियादी इख़लाफ़ दोनों मज़ाहिब के पैरोकारों में इस क़द्र अहम और शदीद है कि इसकी मौजूदगी में दोनों में इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक़ मुमकिन ही नहीं। लेकिन आयत ज़ेरे नज़र में बुनियादी तौर पर ईसाईयों की आपस की दुश्मनी और उनका बाहम बुग़ज़ व अनाद (विरोध) मुराद है। उनके मुख़लिफ़ फ़िरक़ों के दरमियान नज़रियाती इख़लाफ़ात उनकी दिली कदुरतों और नफ़रतों से बढ़ कर बारहा (बार-बार) बाहमी जंग व जदल (झगड़े) की शक़ल में नमूदार होते रहे हैं। मज़हबी बुनियादों पर ईसाई फ़िरक़ों की आपस की खाना जंगियों की मिसाल पूरी इंसानी तारीख़ में नहीं मिलती। मज़हब के नाम पर ईसाईयों की ख़ूरज़ी और क़त्ल व शारतगरी की इब्रत आमोज़ और रोंगटे खड़े कर देने वाली तफ़सीलात “Blood on the Cross” नामी ज़खीम किताब में मिलती हैं, जो लन्दन से शाय़ा हुई है। ख़ास तौर पर प्रोटेस्टेंट्स (Protestants) और कैथोलिक्स (Catholics) की

इन्ने मरयम को और उसकी माँ को”

“और जो ज़मीन में हैं उन सबको”

وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

अगर अल्लाह इन सबको हलाक करना चाहे तो कौन है जो उसका हाथ रोक लेगा?

“और अल्लाह ही के लिये है बादशाही आसमानों और ज़मीन की और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है (सबकी)।”

وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

“वह पैदा करता है जो कुछ चाहता है।”

يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ

“और अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है।”

وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ④

वह जो चाहता है, जैसे चाहता है, तखलीक़ फ़रमाता है। उसने आदम, ईसा और याहया (अलै०) को तखलीक़ फ़रमाया। यह अल्लाह तआला के ऐजाज़े तखलीक़ की मुख्तलिफ़ मिसालें हैं।

आयत 18

“यहूदी और नसरानी कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे हैं और उसके बड़े चहेते हैं।”

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ

وَإِحْبَآؤُهُ

यानि बेटों की मानिन्द हैं, बड़े लाड़ले और प्यारे हैं।

“(तो इनसे) कहिये कि फिर वह तुम्हें अज़ाब क्यों देता रहा है तुम्हारे गुनाहों की पादाश में?”

قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ

अगर तुम अल्लाह की औलाद हो, उसके बड़े चहेते हो, तो क्या इसी लिये बख्तनसर (Nebukadnezar) के हाथों उसने तुम्हें पिटवाया, तुम्हारे छः लाख अफ़राद क़त्ल करवा दिये, छः लाख कैदी बने, तुम्हारा हैकले अब्वल भी शहीद कर दिया गया। फिर आशूरियों ने तुम्हारी सल्तनत इसराइल को रौंद डाला। फिर यूनानियों के हाथों तुम्हारा इस्तहसाल (शोषण) हुआ। फिर

आयत 16

“इसके ज़रिये से अल्लाह तआला रहनुमाई फ़रमाता है उनकी जो उसकी रज़ा के तालिब हैं, सलामती के रास्तों की तरफ़”

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ
السَّلَامِ

“और निकलता है उन्हें अन्धेरो से रोशनी की तरफ़ अपने हुक्म से और उनकी रहनुमाई फ़रमाता है सीधे रास्ते की तरफ़ा”

وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ
وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ⑩

आयत 17

“यक्रीनन कुफ़्र किया उन्होंने जिन्होंने कहा कि अल्लाह ही मसीह इब्ने मरयम है।”

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ
ابْنُ مَرْيَمَ

हज़रत ईसा अलै० के बारे में ईसाईयों के यहाँ जो अक्रीदे रहे हैं उनमें से एक यह है कि अल्लाह ही मसीह अलै० है। इस अक्रीदे की बुनियाद इस नज़रिये पर क़ायम है कि खुदा खुद ही इन्सानी शक़ल में ज़हूर कर लेता है। इस अक्रीदे को God Incarnate कहा जाता है, यानि अवतार का अक्रीदा जो हिन्दुओं में भी है। जैसे राम चन्द्र जी, कृष्ण जी महाराज उनके यहाँ खुदा के अवतार माने जाते हैं। चुनाँचे ईसाईयों का फ़िरक़ा Jacobites ख़ास तौर पर God Incarnate के अक्रीदे का सख़्ती से क़ायल रहा है, कि असल में अल्लाह ही ने हज़रत मसीह अलै० की शक़ल में दुनिया में ज़हूर फ़रमाया। जैसे हमारे यहाँ भी बाज़ लोग नबी अकरम عليه وسلم की मोहब्बत व अक्रीदत और अज़मत के इज़हार में गुलु से काम लेकर हद से तजावुज़ करते हुए यहाँ तक कह जाते हैं:

वही जो मुस्तवी-ए-अर्श था खुदा होकर
उतर पड़ा वह मदीने में मुस्तफ़ा होकर

ईसाईयों के इसी अक्रीदे का इब्ताल (खंडन) इस आयत में किया गया है।

“तो उनसे पूछिये कौन है जिसे इख़्तियार हो अल्लाह के मुक़ाबले कुछ भी”

قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا

“अगर वह हलाक करना चाहे मसीह अलै०

إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ

“तो (सुन लो!) आ गया है तुम्हारे पास
बशारत देने वाला और खबरदार करने
वाला।”

فَقَدْ جَاءَكُمْ بِشِيرٍ وَنَذِيرٍ

“और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है।”

وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٩﴾

सूरतुन्निसा (आयत:165) में यही बात इस अंदाज़ से बयान हो चुकी है:
{رُسُلًا مُّبْتَلِينَ وَمُنذِرِينَ لِيَلْمَ الْكَافِرِينَ لَئِنْ لَمْ يَكُونُوا لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا}

आयात 20 से 26 तक

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَوْمَ يَوْمِ أَدْرَأْتُمْ إِيَّاهُ اللَّهُ نِعْمَةً اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ
وَجَعَلَكُمْ مِلْؤُكَاءَ وَاتَّكُم مَّا لَمْ يُوْت أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٠﴾ يَوْمَ ادْخُلُوا
الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ
﴿٢١﴾ قَالُوا يَمُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ ﴿٢٢﴾ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن
يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دُخِلُونَ ﴿٢٣﴾ قَالَ رَجُلَيْنِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ اللَّهَ عَلَيْهِمَا
ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَانْكُمْ غَلْبُونَ ﴿٢٤﴾ وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ ﴿٢٥﴾ قَالُوا يَمُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا فَادْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ
فَقَاتِلَا إِنَّا هَهُنَا فُعْدُونَ ﴿٢٦﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرِقْ بَيْنَنَا
وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٧﴾ قَالَ فَإِنَّهَا مُرَمَّةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي
الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٨﴾

अब हज़रत मूसा अलै० का वह वाक़िया आ रहा है जब आप अलै० मिस्र
से अपनी क्रौम को लेकर निकले, सहाराए सीना में रहे, आप अलै० को कोहे
तूर पर बुलाया गया और तौरात दी गयी। इसके बाद उन्हें हुकम हुआ कि
फ़लस्तीन में दाख़िल हो जाओ और वहाँ पर आबाद मुशरिक और काफ़िर
क्रौम (जो फ़लस्तई कहलाते थे) के साथ जंग करो और उन्हें वहाँ से निकालो,

रोमियों ने तुम्हारे ऊपर जुल्म व बरबरियत के पहाड़ तोड़े और रोमन जनरल टाइटस (Titus) ने तुम्हारा दूसरा हैकल भी मस्मार कर दिया। क्या ऐसे ही लाडले होते हैं अल्लाह के? क्या अल्लाह इतना ही लाचार और आजिज़ है कि अपने लाडलों को ज़िल्लत व खवारी और जुल्म व सितम से बचा नहीं सकता?

“(नहीं) बल्कि तुम भी इन्सान हो जैसे दूसरे इन्सान उसने पैदा किये हैं।”

بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقُ

“वह जिसे चाहता है बख़्श देता है और जिसे चाहता है सज़ा देता है।”

يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ

“और अल्लाह ही के लिये है आसमानों और ज़मीन और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है, सबकी बादशाही।”

وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

“और उसी की तरफ़ लौट कर जाना है।”

وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٩﴾

आयत 19

“ऐ अहले किताब! तुम्हारे पास आ चुका है हमारा रसूल।”

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا

“जो तुम्हारे लिये (दीन को) वाज़ेह कर रहा है, रसूलों के एक वक्फ़े के बाद।”

يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فِتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ

हज़रत ईसा अलै० और मुहम्मद रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم के दरमियान छः सौ बरस ऐसे गुज़रे हैं कि उस दौरान दुनिया में कोई नबी, कोई रसूल नहीं रहा। इस वक्फ़े को इस्तलाह में ‘फ़ितरत’ कहा जाता है। फिर हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم की वेअसत हुई और फिर इसके बाद ता क़यामे क़यामत रिसालत का दरवाज़ा बंद हो गया।

“मबादा तुम कहो कि हमारे पास तो आया ही नहीं था कोई बशारत देने वाला और ना कोई ख़बरदार करने वाला।”

أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ

साथियों में ईसार व कुर्बानी, जुरात व बहादुरी और बुलन्द हिम्मती नज़र आती है, जिसकी वाज़ेह मिसाल गज़वा-ए-बद्र के मौक़े पर हज़रत मिक़दाद रज़ि० का यह क़ौल है:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَا نَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى (فَأَذْهَبْ أَدَّتْ وَرَبُّكَ فَقَاتِلْ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ) وَلَكِنْ أَمْضِ وَنَحْنُ مَعَكَ، فَكَأَنَّهُ سَرَّيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

“या रसूल अल्लाह! हम आप صلی اللہ علیہ وسلم से बनी इसराइल की तरह यह नहीं कहेंगे कि तुम और तुम्हारा रब जाकर क़िताल करो हम तो यहाँ बैठे हैं। बल्कि (हम कहेंगे) आप صلی اللہ علیہ وسلم क़दम बढाइये, हम आप صلی اللہ علیہ وسلم के साथ हैं! इस पर गोया रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم की परेशानी का इज़ाला हो गया।”

आयत 20

“और याद करो जब कहा मूसा अलै० ने अपनी क़ौम से”

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ

“ऐ मेरी क़ौम के लोगो! अल्लाह के उस इनाम को याद करो जो तुम पर हुआ है”

إِذْ كُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

“जब उसने तुम्हारे अन्दर नबी उठाये”

إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ

यानि खुद मैं नबी हूँ, मेरे भाई हारुन नबी हैं। हज़रत युसुफ़, हज़रत याक़ूब, हज़रत इस्हाक़ और हज़रत इब्राहीम अलै० सब नबी थे।

“और तुम्हें बादशाह बनाया”

وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا

अगरचे उस वक़्त तक उनकी बादशाहत तो कायम नहीं हुई थी मगर हो सकता है कि यह पेशनगोई हो कि आइन्दा तुम्हें अल्लाह तआला ज़मीन की सल्तनत और ख़िलाफ़त अता करने वाला है। चुनाँचे हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलै० के ज़माने में बनी इसराइल की अज़ीमुश्शान सल्तनत कायम हुई। एक राय यह भी है कि यहाँ हज़रत युसुफ़ अलै० के इक़तदार (power) की तरफ़ इशारा है, वह अगरचे मिस्र के बादशाह तो नहीं थे

क्योंकि यह अर्जे मुकद्दस तुम्हारे लिये अल्लाह की तरफ से मौऊद (promised) है। इसलिये कि उनके जद्दे अमजद हज़रत इब्राहीम अलै० और हज़रत इस्हाक़ और हज़रत याक़ूब अलै० का ताल्लुक़ इस ख़ित्ते से था। फिर हज़रत याक़ूब अलै० के ज़माने में हज़रत युसुफ़ अलै० की वसातत (ज़रिये) से बनी इसराइल मिस्र में मुन्तक़िल (move) हुए तो उन्हें हुक्म हुआ कि अब जाओ, अपने असल घर (अर्जे फ़लस्तीन) को दोबारा हासिल करो। लेकिन जब जंग का मौक़ा आया तो पूरी क्रौम ने कोरा जवाब दे दिया कि हम जंग करने के लिये तैयार नहीं हैं। इस पर हज़रत मूसा अलै० के मिज़ाज में जो तल्खी पैदा हुई और तबीयत के अन्दर बेज़ारी की जो कैफ़ियत पैदा हुई, उसकी शिद्दत यहाँ नज़र आती है। आम तौर पर समझा जाता है कि रसूल अपनी उम्मत के हक़ में सरापा शफ़क्क़त होता है, लेकिन हक़ीक़त यह है कि नबी का मामला भी अल्लाह तआला की मानिन्द है। जैसे अल्लाह रऊफ़ भी है, वदूद भी, लेकिन साथ ही वह अज़ीज़ुन जुनतिक़ाम भी है (अल्लाह की यह दोनों शानें एक साथ हैं) इसी तरह रसूल का मामला है कि रसूल शफ़ीक़ और रहीम होने के साथ-साथ गय्यूर भी होता है। नबी के दिल में दीन की गैरत अपने पैरोकारों से कहीं बढ़ कर होती है। लिहाज़ा क्रौम के मनफ़ी रद्दे अमल पर नबी की बेज़ारी लाज़मी है।

यहाँ पर एक बहुत अहम नुक्ता समझने का यह है कि बनी इसराइल को पे-दर-पे मौअज्ज़ात के ज़हूर ने तसाहिल पसंद बना दिया था। प्यास लगी तो चट्टान पर मूसा अलै० की एक ही ज़र्ब से बारह चश्मे फूट पड़े, भूख महसूस हुई तो मन्न व सलवा नाज़िल हो गया, धूप ने सताया तो अब्र का सायबान साथ-साथ चल पड़ा, समुन्दर रास्ते में आया तो असा की ज़र्ब से रास्ता बन गया। ऐसा महसूस होता है कि इस लाइ-प्यार की वजह से वह बिगड़ गये, आराम तलब हो गये, मुश्किल की हर घड़ी में उन्हें मौअज्ज़े के ज़हूर की आदत सी पड़ गयी और जंग के मौक़े पर दुश्मन का सामना करने से इन्कार कर दिया, बावजूद यह कि उनके कम से कम एक लाख अफ़राद तो ऐसे थे जो जंग की सलाहियत रखते थे। यही हिक़मत है कि मुहम्मद रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم की पूरी ज़िन्दगी में इस क्रिस्म का कोई मौअज्ज़ा नज़र नहीं आता, बल्कि यह नक़शा नज़र आता है कि मुसलमानों! तुम्हें जो कुछ करना है अपनी जान देकर, ईसार व कुर्बानी से, मेहनत व मशक्क़त से, भूख झेल कर, फ़ाके बर्दाश्त करके करना है। चुनाँचे बनी इसराइल के बरअक्स रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم के

“और अल्लाह ने भी उन दोनों पर ईनाम किया था”

أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا

यह दो अशखास (शख्स) हज़रत मूसा अलै० के शागिर्द और करीबी हवारी थे। एक तो यूशा बिन नून थे, जो हज़रत मूसा अलै० के बाद उनके जानशीन भी हुए और गुमाने ग़ालिब है कि वह नबी भी थे, जबकि दूसरे शख्स कालिब बिन युफ़न्ना थे। इन दोनों ने अपनी क्रौम के लोगों को समझाना चाहा कि हिम्मत करो:

“तुम उनके मुक्काबले में दरवाज़े के अन्दर घुस जाओ।”

ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ

तुम लोग एक दफ़ा दरवाज़े में घुस कर उनका सामना तो करो।

“और जब तुम उसमें दाख़िल होगे तो लाज़िमन तुम ग़ालिब हो जाओगे।”

فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ عَلَيْهِمْ

“और अल्लाह पर तवक्कुल करो अगर तुम मोमिन हो।”

وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

आयत 24

“उन्होंने कहा ऐ मूसा हम तो हरगिज़ इस शहर में दाख़िल नहीं होंगे

قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنَنظُرُكَ

“जब तक कि वह इसमें मौजूद हैं”

مَا دَامُوا فِيهَا

“बस तुम और तुम्हारा रब दोनों जाओ और जाकर क़िताल करो”

فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا

गोया वह यह भी कह रहे थे कि साथ अपनी यह लठिया भी लेते जाओ, जिसने बड़े-बड़े कारनामे दिखाये हैं, इसकी मदद से उन जब्बारों को शिकस्त दे दो।

“हम तो यहाँ बैठे हैं।”

إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ ﴿٢٥﴾

हम तो यहाँ टिके हुए हैं, यहाँ से नहीं हिलेंगे, ज़मीन जनबद, ना जनबद गुल मुहम्मद!

लेकिन बादशाहों के भी मखदूम व ममदूह थे और बनी इसराइल को मिस्र में पीरज़ादों का सा इज़्ज़त व अहताराम हासिल हो गया था।

“और तुम्हें वह कुछ दिया जो तमाम जहान वालों में से किसी को नहीं दिया।”

وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ⑩

आयत 21

“(तो) ऐ मेरी क़ौम के लोगो! अब दाख़िल हो जाओ इस अर्ज़े मुक़द्दस (फ़लस्तीन) में जो अल्लाह ने तुम्हारे लिये लिख दी है”

يَقُومُوا دِخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ
اللَّهُ لَكُمْ

अल्लाह का फ़ैसला है कि वह ज़मीन तुम्हें मिलेगी।

“और अपनी पीठों के बल वापस ना फिरना”

وَلَا تَوَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ

“(और अगर ऐसा करोगे) तो नाकाम व नामुराद पलटोगे।”

فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ ⑪

आयत 22

“उन्होंने कहा ऐ मूसा! इसमें तो बड़े ज़ोर आवर लोग हैं”

قَالُوا يَمْوَسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ ⑫

हम फ़लस्तीन में कैसे दाख़िल हो जायें? यहाँ तो जो लोग आबाद हैं वह बड़े ताक़तवर, गिराँ डेल और ज़बरदस्त हैं। हम उनका मुक़ाबला कैसे कर सकते हैं?

“और हम उस (सरज़मीन) में दाख़िल नहीं होंगे जब तक वह वहाँ से निकल ना जायें।”

وَإِنَّا لَنَنذِرُهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا ⑬

“हाँ अगर वह वहाँ से निकाल जायें तो फिर हम दाख़िल हो जाएँगे।”

فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دِخْلُونَ ⑭

आयत 23

“कहा दो अश़्खास ने जो (अल्लाह का) ख़ौफ़ रखने वालों में से थे”

قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ

रहेगी इन पर चालीस साल तक।”

यह हमारी तरफ से इनकी बुज़दिली की सज़ा है। अगर यह बुज़दिली ना दिखाते तो अर्जे फ़लस्तीन अभी इनको अता कर दी जाती, मगर अब यह चालीस साल तक इन पर हराम रहेगी।

“यह भटकते फिरेंगे ज़मीन में।”

يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ

इस सहराये सीना में यह चालीस साल तक मारे-मारे फिरते रहेंगे।

“तो (ऐ मूसा अलै०) आप अफ़सोस ना करें
इस फ़ासिक क़ौम पर।”

فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٦٠﴾

अब आप इन नाफ़रमानों का ग़म ना खाइये। अब जो कुछ इन पर बीतेगी उस पर आप अलै० को तरस नहीं खाना चाहिये। आप बहरहाल इनकी तरफ़ रसूल बना कर भेजे गये हैं, जब तक ज़िन्दगी है आपको इनके साथ रहना है।

अल्लाह तआला के फ़ैसले के मुताबिक़ बनी इसराइल चालीस बरस तक सहराये सीना में भटकते फिरे। इस दौरान में वह सब लोग मर-खप गये जो जवानी की उम्र में मिस्र से निकले थे और सहरा में एक नयी नस्ल परवान चढ़ी जो खू-ए-गुलामी से मुबर्रा थी। हज़रत मूसा और हारुन अलै० दोनों का इन्तेक़ाल हो गया और इसके बाद हज़रत यूशा बिन नून के अहदे ख़िलाफ़त में बनी इसराइल इस क़ाबिल हुए कि फ़लस्तीन फ़तह कर सकें।

अब ज़रा इस पसमंज़र में सूरतुन्निसा में नाज़िल होने वाले हुक्म को भी याद करें। यहाँ तो हज़रत मूसा अ० का क़ौल नक़ल हुआ है: {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِلا نَفْسِي وَآخِي} लेकिन वहाँ (सूरतुन्निसा, आयत:84 में) हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم से फ़रमाया गया था: {فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ لَا تُكَلِّفُ إِلا نَفْسَكَ وَحَرْضَ الْمُؤْمِنِينَ} (ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم) आप अल्लाह की राह में क़िताल कीजिये, आप صلی اللہ علیہ وسلم अपने सिवा किसी के ज़िम्मेदार नहीं हैं, अलबत्ता अहले ईमान को भी तरगीब दें। आप صلی اللہ علیہ وسلم पर किसी और की ज़िम्मेदारी नहीं है सिवाय अपनी जान के, अलबत्ता आप صلی اللہ علیہ وسلم अहले ईमान को जिस क़दर तरगीब (प्रोत्साहन) व तशवीक़ (प्रेरणा) दिला सकते हैं दिलायें, उनके ज़ब्बाते ईमानी को जिस-जिस अंदाज़ से अपील करना मुमकिन है करें, और बस इससे ज़्यादा आप صلی اللہ علیہ وسلم पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं।

यह मक्कामे इबरत है, तौरात (Book of Exsodus) से मालूम होता है कि मिस्र से हज़रत मूसा अलै० के साथ लगभग छः लाख अफ़राद निकले थे। उनमें से औरतें, बच्चे और बूढ़े निकाल दें तो एक लाख अफ़राद तो जंग के काबिल होंगे। मज़ीद मोहतात अंदाज़ा लगायें तो पचास हज़ार जंगजू तो दस्तयाब हो सकते थे, मगर उस क्रौम की पस्त हिम्मती और नज़रियाती कमज़ोरी मुलाहिज़ा हो कि छः लाख के हुज़ूम में से सिर्फ़ दो अशखास ने अल्लाह के इस हुक्म पर लब्बैक कहा। فاعتبروا يا أولي الابصار!

अब नबी की बेज़ारी मुलाहिज़ा फ़रमायें। वही हज़रत मूसा अलै० जिन्होंने अपने हम क्रौम इसराइली की मुदाफ़अत (बचाव) करते हुए एक मुक्का रसीद करके क़िब्ती की जान निकाल दी थी {فَوَكَّرَهُ مُوسَى فَقَطَى عَلَيْهِ} (अल् क़सस:15) अब अपनी क्रौम से किस क्रदर बेज़ारी का इज़हार कर रहे हैं।

आयत 25

“मूसा अलै० ने अर्ज़ किया परवरदिगार, मुझे तो इख़्तियार नहीं है सिवाय अपनी जान के और अपने भाई (हारुन अलै० की जान) के”

قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي

वाक़ी यह पूरी क्रौम इन्कार कर रही है। मेरा किसी पर कुछ ज़ोर नहीं है।

“तो अब तफ़रीक़ कर दे, हमारे और इन नाफ़रमान लोगों के दरमियान।”

فَأَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ⑤

हज़रत मूसा अलै० क्रौम के रवैय्ये से इस दर्जा आज़रदा खातिर हुए कि क्रौम से अलैहदगी की तमन्ना करने लगे कि मैं अब इन नाहंजारों के साथ नहीं रहना चाहता। इन्होंने तेरी अता करदा क्या कुछ नेअमतें बरती हैं और मेरे हाथों से क्या-क्या मौअज्जे यह लोग देख चुके हैं, इसके बावजूद इनका यह हाल है तो मुझे इनसे अलैहदा कर दे। अल्लाह तआला ने उनकी यह दरख्वास्त कुबूल नहीं की लेकिन इसका तज़क़िरा भी नहीं किया।

आयत 26

“फ़रमाया अब यह (अर्जे मुक़दस) हराम

قَالَ فَإِنَّهَا حُرْمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً

साथ।”

“जबकि उन दोनों ने कुर्बानी पेश की”

إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا

“तो उनमें से एक की कुर्बानी कुबूल कर ली गयी, जबकि दूसरे की कुबूल नहीं की गयी।” فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ

आदम अलै० के यह दो बेटे हाबील और काबील थे। हाबील भेड़-बकरियाँ चराता था और काबील काशतकार था। उन दोनों ने अल्लाह के हुज़ूर कुर्बानी दी। हाबील ने कुछ जानवर पेश किये, जबकि काबील ने अनाज नज़र किया। हाबील की कुर्बानी कुबूल हो गयी मगर काबील की कुबूल नहीं हुई। उस ज़माने में कुर्बानी की कुबूलियत की अलामत यह होती थी कि आसमान से एक शोला नीचे उतरता था और वह कुर्बानी की चीज़ को जला कर भस्म कर देता था। इसका मतलब यह था कि अल्लाह ने कुर्बानी को कुबूल फ़रमा लिया।

“उसने कहा मैं तुम्हें क़त्ल करके रहूँगा।”

قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ

काबील ने, जिसकी कुर्बानी कुबूल नहीं हुई थी, हसद की आग में जल कर अपने भाई हाबील से कहा कि मैं तुम्हें ज़िन्दा नहीं छोड़ूँगा।

“उसने जवाब दिया कि अल्लाह तो परहेज़गारों ही से कुबूल करता है।”

قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ①

हाबील ने कहा भाई जान, इसमें मेरा क्या कुसूर है? यह तो अल्लाह तआला का क़ायदा है कि वह सिर्फ़ अपने मुत्तक़ी बन्दों की कुर्बानी कुबूल करता है।

आयत 28

“अगर आप अपना हाथ चलाएँगे मुझ पर मुझे क़त्ल करने के लिये”

لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي

“(तब भी) मैं अपना हाथ नहीं चलाऊँगा आपको क़त्ल करने के लिये”

مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَنَّكَ

यानि अगर ऐसा हुआ तो यह एक तरफ़ा क़त्ल ही होगा।

अब पाँचवें रकूअ में कल्ले नाहक़, मुल्क में फ़साद फैलाने और चोरी-डाके जैसे जराइम के बारे में इस्लामी नुक्ता-ए-नज़र और फिर उनकी सज़ाओं का जिक़्र होगा।

आयात 27 से 34 तक

وَآتَلَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ
 مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ
 يَدَكَ لَيَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسٍ يَدِي إِلَيْكَ لَأَقْتُلَنَّكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾
 إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾
 فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الخَاسِرِينَ ﴿٣٠﴾ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا
 يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِثُ سُوءَ عَذَابٍ أَجْرًا قَالَ يَؤَيَّلُ لِي أَجْرًا بَل لَّئِن لَّمْ
 كُنْتُ مِنَ الْغُرَابِ فَأُوْرِثُ سُوءَ عَذَابٍ أَجْرًا فَأَصْبَحَ مِنَ التَّوَّابِينَ ﴿٣١﴾ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ
 كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا
 قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا
 بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنْ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ
 يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ
 أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي
 الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا
 عَلَيْهِمْ فَاغْلَبُوا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٤﴾

आयत 27

“और (ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم) इनको पढ़ कर सुनाइये
 आदम अलै० के दो बेटों का क्रिस्सा हक़ के

وَآتَلَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِي آدَمَ بِالْحَقِّ

“मुझे तो अल्लाह का खौफ है जो तमाम जहानों का परवरदिगार है।”

إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ⑩

आयत 29

“मैं चाहता हूँ कि मेरा और अपना गुनाह तुम्ही अपने सर लो”

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبِؤَ أَيُّمِي وَإِئْتِيكَ

“तो फिर तुम हो जाओगे जहन्नम वालों में से।”

فَتَكُونُ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ

अगर आप इस इन्तहा तक पहुँच जाएँगे कि मुझे कत्ल कर ही देंगे तो आप अपने गुनाहों के साथ-साथ मेरी खताओं का बोझ भी अपने सर उठा लेंगे। एक बेगुनाह इन्सान को कत्ल करने वाला गोया मकतूल के तमाम गुनाहों का बोझ भी अपने सर उठा लेता है। यानि अगर आप मुझे नाहक कत्ल करेंगे तो मेरे गुनाहों का ववाल भी आपके सर होगा और मेरे लिये तो यह कोई घाटे का सौदा नहीं है। अलबत्ता इस जुर्म की वजह से आप जहन्नमी हो जाएँगे।

“और यही बदला है ज़ालिमों का।”

وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ⑪

आयत 30

“बिलआखिर उसके नफ्स ने आमादा कर ही लिया उसे अपने भाई के कत्ल पर”

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ

इन अल्फ़ाज़ के बैनल सुतूर (between the lines) उसके ज़मीर की कशमकश का मुकम्मल नक़शा मौजूद है। एक तरफ अल्लाह का खौफ़, नेकी का जज़्बा, खून का रिश्ता और दूसरी तरफ़ शैतानी तरगीब, हसद की आग और नफ्सानी ख्वाहिश की उकसाहट। और फिर बिलआखिर इस अन्दरूनी कशमकश में उसका नफ्स जीत ही गया।

“तो उसने उसे कत्ल कर दिया और हो गया तबाह होने वालों में से।”

فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الخَاسِرِينَ ⑫

खुले आम सौदे कर रहे हों, ईमान फ़रोश मौजूद हों, जजों को ख़रीदा जा सकता हो और ऐसे निज़ाम के तहत शरई क़वानीन का निफ़ाज़ कर दिया जाये तो फिर इससे जो नतीजे निकलेंगे उनसे शरीअत उल्टा बदनाम होगी। लिहाज़ा रियासत में हुकूमती निज़ाम और मरवज्जा (प्रचलित) क़वानीन दोनों का दुरुस्त होना लाज़मी है। अगर ऐसा होगा तो यह दोनों एक-दूसरे को मज़बूत व मुस्तहक़म करेंगे और इसी सूरत में मतलूबा नताइज की तवक्को की जा सकती है।

आयत 33

“यही है सज़ा उन लोगों की जो लड़ाई करते हैं अल्लाह और उसके रसूल से”

إِمَّا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

यानि इस्लामी रियासत की अमलदारी को चैलेंज करते हैं।

“और ज़मीन में फ़साद फैलाते फिरते हैं”

وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا

“कि उन्हें (इबरतनाक तौर पर) क़त्ल किया जाये”

أَنْ يُقْتَلُوا

वाज़ेह रहे कि यहाँ फ़अल يُقْتَلُوا इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि يُقْتَلُوا है कि उनके टुकड़े किये जायें।

“या उन्हें सूली चढ़ाया जाये”

أَوْ يُصَلَّبُوا

“या उनके हाथ और पाँव मुखालिफ़ सिम्तों में काट दिये जायें”

أَوْ تَقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ

यानि एक तरफ़ का हाथ और दूसरी तरफ़ का एक पाँव काटा जाये।

“या उन्हें मुल्क बदर कर दिया जाये।”

أَوْ يُنْفَوْنَ مِنَ الْأَرْضِ

“यह तो उनके लिये दुनिया की ज़िन्दगी में रुसवाई है”

ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا

यानि अगर किसी ने क़त्ल किया है और वह उसके क्रिसास में क़त्ल किया जाये तो यह क़त्ल नाहक़ नहीं है।

“या बग़ैर ज़मीन में फ़साद फ़ैलाने (के जुर्म की सज़ा) के”

أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ

अगर कोई शख्स मुल्क में फ़साद फ़ैलाने का मुजरिम है और उसे इस जुर्म की सज़ा के तौर पर क़त्ल कर दिया जाये तो उसका क़त्ल भी क़त्ले नाहक़ नहीं। लेकिन इन सूरतों के अलावा अगर किसी ने किसी बेक़सूर इन्सान को क़त्ल कर दिया।

“गोया उसने तमाम इंसानों को क़त्ल कर दिया।”

فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

उसका यह फ़अल ऐसा ही है जैसे उसने पूरी नौए इंसानी को तहे तेग कर दिया। इसलिये कि उसने क़त्ले नाहक़ से तमद्दुन व मआशरत की जड़ काट डाली। जान व माल का अहताराम ही तो तमद्दुन की जड़ और बुनियाद है।

“और जिसने उस (किसी एक इन्सान) की जान बचायी तो गोया उसने पूरी नौए इंसानी को ज़िन्दा कर दिया।”

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

“और उनके पास हमारे रसूल आये थे वाज़ेह निशानियाँ लेकर”

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ

“लेकिन इसके बावजूद उनमें से बहुत से लोग ज़मीन में ज़्यादतियाँ करते फिर रहे हैं।”

ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ

لَمُشْرِقُونَ ﴿٧﴾

अब “आयते मुहारबा” आ रही है जो इस्लामी क़वानीन के लिहाज़ से बहुत अहम आयत है। मुहारबा यह है कि इस्लामी रियासत में कोई गिरोह फ़ितना व फ़साद मचा रहा है, दहशतगर्दी कर रहा है, खूरेज़ी और क़त्लो गारत कर रहा है, राहज़नी और डाकाज़नी कर रहा है, गैंग रेप हो रहे हैं। इस आयत में ऐसे लोगों की सज़ा बयान हुई है। लेकिन वाज़ेह रहे कि यह इस्लामी रियासत की बात हो रही है, जहाँ इस्लामी क़ानून नाफ़िज़ हो, जहाँ इस्लाम का पूरा निज़ाम कायम हो। वरना अगर निज़ाम ऐसा हो कि झूठी गवाहियाँ देने वाले

الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمْعُونَ
 لِلْكَذِبِ سَمْعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ
 إِنْ أُوْتِينَاهُمْ هَذَا فَخُدُّوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتُوهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ
 مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ
 وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣١﴾ سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّخْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ
 فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَصْرِوْكَ شَيْئًا وَإِنْ
 حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٣٢﴾ وَ كَيْفَ يُحْكُمُونَكَ
 وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ
 ﴿٣٣﴾

आयत 35

“ऐ अहले ईमान, अल्लाह का तक्रवा इख्तियार करो और उसकी जनाब में उसका कुर्ब तलाश करो”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ
 الْوَسِيلَةَ

यहाँ लफज़ “वसीला” कबीले गौर है और इस लफज़ ने काफ़ी लोगों को परेशान भी किया है। लफज़ “वसीला” उर्दू में तो “ज़रिया” के मायने में आता है, यानि किसी तक पहुँचे का कोई ज़रिया बना लेना, सिफ़ारिश के लिये किसी को वसीला बना लेना। लेकिन अरबी ज़बान में “वसीले” के मायने हैं “कुर्ब”। बाज़ अल्फ़ाज़ ऐसे हैं जिनका अरबी में मफ़हूम कुछ और है जबकि उर्दू में कुछ और है। जैसे लफज़ “ज़लील” है, अरबी में इसके मायने “कमज़ोर” जबकि उर्दू में “कमीने” के हैं। जैसा की हम पढ़ आये हैं: {وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ} (आले इमरान:123) यानि “ऐ मुसलमानों! याद करो अल्लाह ने तुम्हारी मदद की थी बद्र में जबकि तुम बहुत कमज़ोर थे।” अब अगर यहाँ ज़लील का तर्जुमा उर्दू वाला कर दिया जाये तो हमारे ईमान के लाले पड़ जाएँगे। इसी तरह अरबी में “जहल” के मायने ज़बाती होना है, अनपढ़ होना नहीं। एक पढ़ा लिखा शख्स भी जाहिल यानि ज़बाती, अक्खड़ मिज़ाज हो सकता है लेकिन

“और आखिरत में उनके लिये (मज़ीद) बहुत बड़ा अज़ाब है।”

وَأَلْهَمُوا فِي الْآخِرَةِ عَذَابَ عَظِيمٍ ﴿٦٠﴾

आयत 34

“सिवाय उनके जो तौबा कर लें इससे पहले कि तुम उन पर क़ाबू पाओ।”

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ

यानि पकड़े जाने से पहले ऐसे लोग अगर तौबा कर लें तो उनके लिये रिआयत की गुंजाइश है, लेकिन जब पकड़ लिये गये तो तौबा का दरवाज़ा बंद हो गया।

“पस जान लो कि अल्लाह तआला मगफ़िरत फ़रमाने वाला, मेहरबान है।”

فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦١﴾

हज़रत अली रज़ि० ने ख्वारिज के साथ यही मामला किया था कि अगर तुम अपने ग़लत अक़ीदे को अपने तक रखो तो तुम्हें कुछ नहीं कहा जायेगा, लेकिन अगर तुम खूरेज़ी करोगे, क़त्लो गारत करोगे तो फिर तुम्हारे साथ रिआयत नहीं की जा सकती।

आयात 35 से 43 तक

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَ أَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُونَ بِهٖ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٦﴾ يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوكَ مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٧﴾ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً مِّمَّا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٩﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٠﴾ يَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ

है और आखरी दर्जे में वज़ाहत कर दी गयी है कि अगर बिलफ़र्ज़ उनके पास इतनी दौलत मौजूद भी हो तब भी अल्लाह के यहाँ उनका फिदया कुबूल नहीं होगा।

“और उनके लिये दर्दनाक अज़ाब है।”

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥٠﴾

आयत 37

“वह चाहेंगे कि आग से किसी तरह निकल जायें लेकिन निकल नहीं पाएँगे”

يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ
بُخْرِجِينَ مِنْهَا

“और उनके लिये होगा क़ायम रहने वाला अज़ाब।”

وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٥١﴾

यानि उनको मुसलसल दाइम और क़ायम रहने वाला अज़ाब दिया जायेगा।

आयत 38

“और चोर ख्वाह मर्द हो या औरत, उन दोनों के हाथ काट दो”

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

यानि चोर का एक हाथ काट दो।

“यह बदला है उनके करतूत का”

جَزَاءُ مَا كَسَبَا

“और इबरतनाक सज़ा है अल्लाह की तरफ़ से।”

نَكَالًا مِنَ اللَّهِ

देखिये कुरान खुद अपनी हिफ़ाज़त किस तरह करता है और क्यों चैलेंज करता है कि इस कलाम पर बातिल हमलावर नहीं हो सकता किसी भी जानिब से (हा मीम सज़दा:42)। ज़रा मुलाहिज़ा कीजिये इस आयत के ज़िम्न में गुलाम अहमद परवेज़ साहब कहते हैं कि यहाँ चोर का हाथ काटने का मतलब है कि ऐसा निज़ाम वज़अ किया जाये जिसमें किसी को चोरी की ज़रूरत ही ना पड़े। यह तो हम भी चाहते हैं कि ऐसा निज़ाम हो, रियासत की तरफ़ से किफ़ालते

उर्दू में जाहिल आलिम का मुतज़ाद (विपरीत) है, यानि जो अनपढ़ हो। इसी तरह का मामला लफ़्ज़ “वसीले” का है। इसका असल मफ़हूम “कुर्ब” है और यहाँ भी यही मुराद लिया जायेगा। यहाँ इरशाद हुआ है:

“ऐ ईमान वालो, अल्लाह का तक्रवा इख़्तियार करो और (आगे बढ़ कर) उसका कुर्ब तलाश करो”

तक्रवा के मायने हैं अल्लाह के ग़ज़ब से, अल्लाह की नाराज़गी से और अल्लाह के अहकाम तोड़ने से बचना। यह एक मनफ़ी मुहर्रिक (इशारा) है, जबकि कुर्बे इलाही की तलब एक मुस्बत मुहर्रिक है कि अल्लाह के नज़दीक से नज़दीकतर होते चलो जाओ। लेकिन उसके कुर्ब का ज़रिया क्या होगा?

“और उसकी राह में जिहाद करो ताकि तुम وَ جَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٥﴾
फ़लाह पाओ।”

इससे बात बिल्कुल वाज़ेह हो गयी कि तक्रूरब इलल्लाह के लिये जिहाद करो। तक्रवा शर्ते लाज़िम है। यानि पहले जो हराम चीज़ें हैं उनसे अपने आप को बचाओ, जिन चीज़ों से रोक दिया गया है उनसे रुक जाओ और अल्लाह की नाफ़रमानी से बाज़ आ जाओ। और फिर उसका तक्रूरब हासिल करना चाहते हो तो उसकी राह में जद्दो-जहद करो।

आयत 36

“यक़ीनन वह लोग जिन्होंने कुफ़्र किया, अगर उनके पास वह सारी दौलत हो जो कि ज़मीन में है कुल की कुल और उसके साथ उतनी ही और भी हो”

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْوَالُونَ لَهُمْ مَافِي الْأَرْضِ
جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ

“(और वह चाहें) कि वह उसके ज़रिये से फ़िदया देकर छूट सकें क़यामत के दिन के अज़ाब से”

يُفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“तो उनसे हरगिज़ कुबूल नहीं की जायेगी।”

مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ

यह हुक्म गोया “तालीक़ बिलमहाल” है कि ना ऐसा मुमकिन है और ना ऐसा होगा। लेकिन बात की सख्ती वाज़ेह करने के लिये यह अंदाज़ा अपनाया गया

के बाद और इस्लाह कर ली तो अल्लाह जरूर कुबूल करता है उसकी तौबा को।”

يُتُوبُ عَلَيْهِ

“यक्रीनन अल्लाह गफूर है, रहीम है।”

إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ⑤

लेकिन इस तौबा से जुर्म की सज़ा दुनिया में खत्म नहीं होगी। यह जुर्म है दुनिया (क़ानून) का और गुनाह है अल्लाह का। जुर्म की सज़ा दुनिया में मिलेगी, गुनाह की सज़ा अल्लाह ने देनी है, अगर तौबा कर ली तो अल्लाह तआला माफ़ फ़रमा देगा और अगर तौबा नहीं की तो उसकी सज़ा भी मिलेगी।

आयत 40

“क्या तुम नहीं जानते हो कि अल्लाह ही के लिये है आसमानों और ज़मीन की बादशाही?”

أَلَمْ تَعْلَمِ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ

“वह सज़ा देगा जिसको चाहेगा और बख़्श देगा जिसको चाहेगा।”

يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ

“और अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है।”

وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑥

अब यहाँ फिर ज़िक्र आ रहा है उन लोगों का जो दोगली पालिसी पर कारबंद थे, लेकिन सूरतुल बक्ररह की तरह यहाँ भी रुए सुखन क़तईयत (accuracy) के साथ वाज़ेह नहीं किया गया। लिहाज़ा इसका इन्तबाक़ (अनुपालन) मुनाफ़िक़ीन पर भी होगा और अहले किताब पर भी। मुनाफ़िक़ अहले किताब में से भी थे, जिनका मीलान इस्लाम की तरफ़ भी था और चाहते भी थे कि मुसलमानों में शामिल रहें लेकिन वह अपने साथियों को भी छोड़ने पर तैयार नहीं थे। तो यह लोग जो “مُذَبِّذِينَ بَيْنَ ذَلِكِ” की मिसाल थे, यह दोनों तरफ़ के लोग थे।

आयत 41

“ऐ नबी (صلی اللہ علیہ وسلم) यह लोग आपके लिये बाइसे

يَأْتِيهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ

आम्मा की सहूलत मौजूद हो ताकि कोई शख्स मजबूरन चोरी ना करे, लेकिन "فَأَقْظُوا أَيِّدِيَهُمَا" के अल्फ़ाज़ से जो मतलब परवेज़ साहब ने निकाला है वह बिल्कुल ग़लत है। और अगर फ़र्ज़ कर लें कि ऐसा ही है तो फिर {جَزَاءٌ بِمَا كَسَبْتُمْ} (यह बदला है उनकी अपनी कमाई का) की क्या तावील होगी? यानि जो कमाई उन्होंने की है उसका बदला यह है कि एक अच्छा निज़ाम कायम कर दिया जाये? इसके बाद फिर {نَكَالًا مِنَ اللَّهِ} के अल्फ़ाज़ मज़ीद आये हैं। "نَكَالٌ" कहते हैं इबरतनाक सज़ा को। तो क्या ऐसे निज़ाम का कायम करना अल्लाह की तरफ़ से इबरतनाक सज़ा होगी? अपने देखा कुरान के मायने व मफ़हूम की हिफ़ाज़त के लिये भी अल्फ़ाज़ के कैसे-कैसे पहरे बिठाये गये हैं!

दरअसल हुदूद व ताज़ीरात के फ़लसफ़े को समझना बहुत ज़रूरी है और इसके लिये लफ़्ज़ "نَكَالٌ" बहुत अहम है। कुरान में ताज़ीरात और हुदूद के सिलसिले में यह अल्फ़ाज़ अक्सर इस्तेमाल हुआ है। यानि अगर सज़ा होगी तो इबरतनाक होगी। इस्लाम में शहादत का क़ानून बहुत सख्त रखा गया है। ज़रा सा शुबह हो तो उसका फ़ायदा मुल्ज़िम को दिया जाता है। इस लिहाज़ से सज़ा का निफ़ाज़ आसान नहीं। लेकिन अगर तमाम मराहिल तय करके जुर्म पूरी तरह साबित हो जाये तो फिर सज़ा ऐसी दी जाये कि एक को सज़ा मिले और लाखों की आँखें खुल जायें ताकि आइन्दा किसी को जुर्म करने की हिम्मत ना हो। यह फ़लसफ़ा है इस्लामी सज़ाओं का। यह दरहक़ीक़त एक तस्दीद (deterrence) है जिसके सबब मआशरे से बुराई का इस्तेसाल (विनाश) करना मुमकिन है। आज अमेरिका जैसे (नाम-निहाद) मज़हब मआशरे में भी आये दिन इन्तहाई घिनौने जराइम हो रहे हैं। इसकी वजह यह है कि अहतसाब और सज़ा का निज़ाम दुरुस्त नहीं। लोग जुर्म करते हैं, सज़ा होती है, जेल जाते हैं, कुछ दिन वहाँ गुज़ारने के बाद, वापस आते हैं, फिर जुर्म करते हैं, फिर जेल चले जाते हैं। जेल क्या है? सरकारी मेहमानदारी है। यही वजह है कि ऐसे मआशरों में जराइम रोज़-ब-रोज़ बढ़ते जा रहे हैं।

"और अल्लाह ज़बरदस्त है, हिक्मत वाला है।"

وَاللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

आयत 39

"तो जिसने भी तौबा कर ली अपने इस जुल्म

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّٰهَ

“वह कहते हैं अगर तुम्हें यही (फ़ैसला) मिल जाये तो कुबूल कर लेना”

يَقُولُونَ إِنْ أُوتِينَا هَذَا فَخُذُوهُ

“और अगर यह (फ़ैसला) ना मिले तो कब्रि कतरा जाना।”

وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا

अहले किताब के सरदारों को अगर किसी मुक़दमे का फ़ैसला मतलूब होता तो अपने लोगों को रसूल अल्लाह ﷺ के पास भेजते और पहले से उन्हें बता देते कि अगर फ़ैसला इस तरह हो तो तुम कुबूल कर लेना, वरना रद्द कर देना। वाज़ेह रहे कि मदीना मुनव्वरा में इस्लामी रियासत और पूरे तौर पर एक हमागीर इस्लामी हुकूमत दरअसल फ़तह मक्का के बाद कायम हुई और यह सूरते हाल इससे पहले की थी। वरना किसी रियासत में दोहरा अदालती निज़ाम नहीं हो सकता। यही वजह थी कि यह लोग जब चाहते अपने फ़ैसलों के लिये हुज़ूर ﷺ के पास आ जाते और जब चाहते किसी और के पास चले जाते थे। गोया बयक वक़्त दो मुतवाज़ी निज़ाम चल रहे थे। इसी लिये तो वह लोग यह कहने कि जसारत (हिम्मत) करते थे कि यह फ़ैसला हो तो कुबूल कर लेना, वरना नहीं।

“और जिसको अल्लाह ही ने फ़ितने में डालने का इरादा कर लिया हो तो तुम उसके लिये अल्लाह के मुक़ाबले में कुछ भी इख़्तियार नहीं रखते।”

وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا

“यह वह लोग हैं कि जिनके दिलों को अल्लाह ने पाक करना चाहा ही नहीं।”

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ

“उनके लिये दुनिया में भी रुसवाई है”

لَهُمْ فِي الدُّنْيَا حِزْبٌ

“और आख़िरत में भी उनके लिये बहुत बड़ा अज़ाब है।”

وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ①

आयत 42

“यह खूब सुनने वाले हैं झूठ को”

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ

रन्ज ना हों जो कुफ़र की राह में बहुत भाग-
दौड़ कर रहे हैं”

فِي الْكُفْرِ

“इन लोगों में से जो अपने मुँह से तो कहते हैं
कि हम ईमान रखते हैं, मगर उनके दिल
ईमान नहीं लाये हैं।”

مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ
قُلُوبُهُمْ

आप صلی اللہ علیہ وسلم इन लोगों की सरगरमियों और भाग-दौड़ से ग़मगीन और रंजीदा
खातिर ना हों।

“और इसी तरह के लोग यहूदियों में से भी
हैं।”

وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا

“यह बड़े ही गौर से सुनते हैं झूठ को”

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ

“और यह सुनते हैं कुछ और लोगों की खातिर
जो आपके पास नहीं आते”

سَمْعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُواكَ

यानि एक तो यह लोग अपने “शयातीन” की झूठी बातें बड़ी तवज्जो से सुनते
हैं, जैसे: { وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ۗ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ ۗ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَعْتِرُونَ }
सूरतुल बक्ररह आयत:14 में फ़रमाया। फिर यह लोग उनकी तरफ़ से जासूस
बन कर मुसलमानों के यहाँ आते हैं कि यहाँ से सुन कर उनको रिपोर्ट दे सकें
कि आज मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم ने यह कहा, आज आप صلی اللہ علیہ وسلم की मजलिस में फलाँ
मामला हुआ। { سَمْعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ } का तर्जुमा दोनों तरह से हो सकता है: “दूसरी
क्रौम के लोगों की बातों को बड़ी तवज्जो से सुनते हैं” या “सुनते हैं दूसरी क्रौम
के लोगों के लिये” यानि उन्हें रिपोर्ट करने के लिये उनके जासूस की हैसियत
से। उनके जो लीडर और शयातीन हैं, वह आप صلی اللہ علیہ وسلم के पास खुद नहीं आते
और यह जो बैन-बैन के लोग हैं यह आप صلی اللہ علیہ وسلم के पास आते हैं और उनके
ज़रिये से जासूसी का यह सारा मामला चल रहा है।

“वह कलाम को फेर देते हैं उसकी जगह से
उसका मौक़ा व महल (जगह) मुअय्यन हो
जाने के बाद।”

يُخْرِفُونَ الْكَلِمَةَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهَا

आयत 43

“और (ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم) यह लोग आप صلی اللہ علیہ وسلم को कैसे हाकिम बनाते हैं”

وَكَيْفَ يُحْكُمُونَكَ

“जबकि इनके पास तौरात मौजूद है”

وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ

“जिसमें अल्लाह का हुक्म मौजूद है”

فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ

यहाँ अल्लाह तआला ने यहूद की बदनीयती को बिल्कुल बेनक्राब कर दिया है कि अगर उनकी नीयत दुरुस्त हो तो तौरात से रहनुमाई हासिल कर लें।

“फिर भी वह उससे रूगरदानी करते हैं।”

ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ

“और हकीकत में यह लोग मोमिन नहीं हैं।”

وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٣﴾

असल बात यह है कि यह ईमान से तही दस्त हैं, इनके दिल ईमान से खाली हैं। यह है इनका असल रोग।

आयत 44 से 50 तक

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يُحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا
وَالرَّبِّيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا
تَخْشَوُا النَّاسَ وَاحْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يُحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ ﴿٤٤﴾ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ
بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ
تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارٌ لَّهُ وَمَنْ لَمْ يُحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾
وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَآتَيْنَاهُ
الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً
لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٦﴾ وَلِيُحْكَمْ أَهْلَ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يُحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ

“खूब खाने वाले हैं हराम को।”

أَكْلُونَ لِلسُّحْتِ

“फिर अगर यह आप صلی اللہ علیہ وسلم के पास (अपना कोई मुक़दमा लेकर) आयें”

فَإِنْ جَاءُواكَ

“तो आप صلی اللہ علیہ وسلم (को इख्तियार है) ख्वाह उनके दरमियान फ़ैसला कर दें या उनसे ऐराज़ करें।”

فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ

आप صلی اللہ علیہ وسلم को यह इख्तियार दिया जाता है कि आप चाहें तो उनका मुक़दमा सुनें और फ़ैसला कर दें और चाहें तो मुक़दमा लेने ही से इन्कार कर दें, क्योंकि उनकी नीयत दुरुस्त नहीं होती और वह आप صلی اللہ علیہ وسلم का फ़ैसला लेने में संजीदा नहीं होते। लिहाज़ा ऐसे लोगों पर अपना वक़्त ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह अन्देशा भी था कि वह प्रोपोगंडा करेंगे कि देखो जी हम तो गये थे मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم के पास मुक़दमा लेकर, यह कैसे नबी हैं कि मुक़दमे का फ़ैसला करने को ही तैयार नहीं! इस ज़िमन में भी अल्लाह तआला की तरफ़ से हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم को इत्मिनान दिलाया जा रहा है कि आप صلی اللہ علیہ وسلم इसकी परवाह ना करें।

“और अगर आप صلی اللہ علیہ وسلم उनसे ऐराज़ करेंगे तो वह आप صلی اللہ علیہ وسلم को कोई ज़र (तुक़सान) नहीं पहुँचा सकेंगे।”

وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا

यानि उनके मुखालफ़ाना प्रोपोगंडे से क़तअन फ़िक्रमन्द होने की ज़रूरत नहीं है।

“और अगर आप صلی اللہ علیہ وسلم फ़ैसला करें तो उनके दरमियान इन्साफ़ के ऐन मुताबिक़ फ़ैसला करें।”

وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ

“यक़ीनन अल्लाह तआला इन्साफ़ करने वालों को पसंद करता है।”

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ①

आयत 44

“यक्रानन हमने ही नाज़िल फ़रमायी थी तौरात”

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ

“उसमें हिदायत भी थी और नूर भी था।”

فِيهَا هُدًى وَنُورٌ

“उसके मुताबिक़ फ़ैसले करते थे अम्बिया”

يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ

“जो कि सब फ़रमाबरदार थे (अल्लाह के)”

الَّذِينَ آسَأَلُوا

ज़ाहिर है कि तमाम अम्बिया किराम अलै० खुद भी अल्लाह तआला के फ़रमाबरदार थे।

“(और वह फ़ैसले करते थे) यहूदियों के लिये”

لِلَّذِينَ هَادُوا

यानि अम्बिया किराम अ० यहूदियों के तमाम फ़ैसले तौरात (शरीअते मूसवी) के मुताबिक़ करते थे, जैसा की हदीस में है ((كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ)) यानि बनी इसराइल की सियासत और हुकूमत के मामलात, इंतेज़ाम व अन्सराम (प्रबंध) अम्बिया के हाथ में होता था। इसलिये वही उनके माबैन नज़ाआत (झगड़ों) के फ़ैसले करते थे।

“और दरवेश और उलमा”

وَالرَّبِّيُّونَ وَالْأَحْبَارُ

उनके यहाँ अल्लाह वाले सूफ़िया और उलमा व फ़ुक़हा भी तौरात ही के मुताबिक़ फ़ैसले करते थे।

“बसबब इसके कि वह किताबुल्लाह के निगरान बनाये गये थे”

بِمَا اسْتَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ

उन्हें ज़िम्मेदारी दी गयी थी कि उन्हें किताबुल्लाह की हिफ़ाज़त करनी है।

“और वह उस पर गवाह थे।”

وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ

“(तो उनसे कह दिया गया था कि) तुम लोगों से मत डरो और मुझसे डरो”

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاحْشَوْنِي

اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٢٤﴾ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
 مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّبًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا
 جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاوِلُونَ ﴿٢٥﴾ سَاءَ مَا يَحْكُمُ أُمَّةٌ
 وَاحِدَةٌ وَلَكِن لِّيُبَلِّغَ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا
 فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٢٦﴾ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ
 أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا
 أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٢٧﴾
 أَحْكُمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوفُونَ ﴿٢٨﴾

सूरतुल मायदा का यह सातवाँ रूकूअ हुस्ने इत्तेफ़ाक़ से सात ही आयात पर मुशतमिल है। इसमें बहुत सख्त तहदीद (प्रतिबन्ध), तम्बीह (चेतावनी) और धमकी है उन लोगों के लिये जो किसी आसमानी शरीअत पर ईमान के दावेदार हों और फिर उसके बजाये किसी और क़ानून के मुताबिक़ अपनी ज़िन्दगी गुज़ार रहे हों। कुरान हकीम की तवील सूरतों में कहीं-कहीं तीन-तीन आयतों के छोटे-छोटे ग्रुप मिलते हैं जो मायने व मफ़हूम के लिहाज़ से बहुत जामेअ होते हैं, जैसा कि सूरह आले इमरान की आयत 102, 103 और 104 हैं। अभी सूरतुल मायदा में भी तीन आयात पर मुशतमिल निहायत जामेअ अहकामात का हामिल एक मक़ाम आयेगा। इसी तरह कहीं-कहीं सात-सात आयात का मजमुआ भी मिलता है। जैसे सूरतुल बकरह के पाँचवें रूकूअ की सात आयात (40 से 46) बनी इसराइल से ख़िताब के ज़िमन में निहायत जामेअ हैं। यह दावत के इब्तदाई अंदाज़ पर मुशतमिल हैं और दावत के बाब में बा-मंज़िला-ए-फ़ातिहा हैं। इसी तरह क़ानूने शरीअत की तन्फीज़, उसकी अहमियत और उससे पहलु तही पर वर्ईद (चेतावनी) के ज़िमन में ज़ेरे मुताअला रूकूअ की सात आयात निहायत ताकीदी और जामेअ हैं, बल्कि यह मक़ाम इस मौजू पर कुरान हकीम का ज़रवा-ए-सनाम (climax) है।

“फिर जो कोई उसको माफ़ कर दे तो यह
उसके लिये (गुनाहों का) कफ़ारा होगा।”

فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ

किसी ने एक शख्स का कान काट दिया, अब वह जवाबन उसका कान काटने का हक़दार है, लेकिन अगर वह क्रिसास नहीं लेता और माफ़ कर देता है तो उसे अपने बहुत से गुनाहों का कफ़ारा बना लेगा। इसका मफ़हूम यह भी हो सकता है कि मुजरिम को जब माफ़ कर दिया जाये तो उसके ज़िम्मे से वह गुनाह धुल गया।

“और जो फ़ैसले नहीं करते अल्लाह की उतारी
हुई शरीअत के मुताबिक़ वही तो ज़ालिम हैं।”

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ ﴿٢٠﴾

और ज़ालिम यहाँ बा-मायने मुशरिक है, क्योंकि अल्लाह तआला ने शिर्क को जुल्मे अज़ीम करार दिया है: { إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ } (लुक़मान:13) अब देखिये, एक क़ानून अल्लाह का है और एक इंसानों का। फिर इंसानों के भी मुख्तलिफ़ क़वानीन हैं, एक Roman Law है, एक पाकिस्तानी क़ानून है, एक रिवाज पर मन्नी क़ानून है। अब देखना यह है कि आप फ़ैसला किस क़ानून के मुताबिक़ कर रहे हैं? अल्लाह के क़ानून के तहत या किसी और क़ानून के मुताबिक़? अगर आपने अल्लाह के क़ानून के साथ-साथ किसी और क़ानून को भी मान लिया या अल्लाह के क़ानून के मुक़ाबले में किसी और क़ानून को तरज़ीह दी तो यह शिर्क है।

आयत 46

“और हमने उनके पीछे उन्हीं के नक्शे क़दम
पर ईसा (अलै०) इब्रे मरयम को भेजा”

وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ

“(वह आये) तस्दीक़ करते हुए उसकी जो
उनके सामने मौजूद था तौरात में से”

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ

“और हमने उन्हें इंजील अता की, उसमें
हिदायत भी थी और नूर भी था”

وَأَتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ

“और मेरी आयात को हकीर सी कीमत पर फ़रोख्त ना करो।”

وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا

यानि अल्लाह का तय करदा क़ानून मौजूद है, उसके मुताबिक़ फ़ैसले करो। लोगों को पसंद हो या नापसंद, इससे तुम्हारा बिल्कुल कोई सरोकार नहीं होना चाहिये। अब आ रही है वह काँटे वाली बात:

“और जो अल्लाह की उतारी हुई शरीअत के मुताबिक़ फ़ैसले नहीं करते वही तो काफ़िर हैं।”

وَمَنْ لَّمْ يَخُكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْكَافِرُونَ ﴿٣٧﴾

बक्रौल अल्लामा इक़बाल:

बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नाउम्मिदी मुझे बता तो सही और काफ़िरी क्या है?

आयत 45

“और हमने लिख दिया था उन पर उस (तौरात) में”

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا

“कि जान के बदले जान”

أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ

“और आँख के बदले आँख”

وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ

“और नाक के बदले नाक”

وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ

“और कान के बदले कान”

وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ

“और दांत के बदले दांत”

وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ

“और इस तरह ज़ख्मों का बदला भी होगा बराबरा।”

وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا

“जो अपने से पहली किताबों की तस्दीक करती है और उन पर निगरान है”

مُصَدِّقَاتِ الْيَابِتِينَ يَدِيهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيَّبَاتٍ عَلَيْهِ

यह किताब तौरात और इंजील की मिस्दाक भी है और मुसद्दक भी। और इसकी हैसियत कसौटी की है। पहली किताबों के अन्दर जो तहरीफात हो गयी थीं अब उनकी तसहीह (correction) इसके ज़रिये से होगी।

“तो (आप صلی اللہ علیہ وسلم) भी फ़ैसला करें इनके दरमियान इस (क़ानून) के मुताबिक़ जो अल्लाह ने नाज़िल फ़रमाया है”

فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

“और मत पैरवी करें उनकी ख्वाहिशात की, इस हक़ को छोड़ कर जो आ चुका है आप (صلی اللہ علیہ وسلم) के पास।”

وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

“तुम में से हर एक के लिये हमने एक शरीअत और एक राहे अमल तय कर दी है।”

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاهٌ

जहाँ तक शरीअत का ताल्लुक़ है सबको मालूम है कि शरीअते मूसवी (अलै०) शरीअते मुहम्मदी صلی اللہ علیہ وسلم से मुख्तलिफ़ थी। मज़ीद बराँ रसूलों के मिन्हाज (तरीक़े कार) में भी फ़र्क़ था। मसलन हज़रत मूसा अलै० के मिन्हाज में हम देखते हैं कि आप (अलै०) एक मुस्लमान उम्मत (बनी इसराइल) के लिये भेजे गये थे। वह उम्मत जोकि दबी हुई थी, पिसी हुई थी, गुलाम थी। उसमें अख़्लाक़ी ख़राबियाँ भी थीं, दीनी ऐतबार से ज़ौफ़ (दोष) भी था, वह आले फ़िरऔन के ज़ुल्म-ओ-सितम का तख़्ता-ए-मशक़ बनी हुई थी। चुनाँचे हज़रत मूसा अलै० के मक़सदे बेअसत में यह बात भी शामिल थी कि एक बिगड़ी हुई मुस्लमान उम्मत को काफ़िरों के तसल्लुत और ग़लबे से निजात दिलायें। इसका एक ख़ास तरीक़े कार अल्लाह तआला की तरफ़ से उन्हें बताया गया। हज़रत ईसा अलै० भी एक मुस्लमान उम्मत के लिये मबऊस किये गये, यानि यहूदियों ही की तरफ़। इस क़ौम में नज़रियाती फ़तूर आ चुका था, उनके मआशरे में अख़्लाक़ी व रूहानी गिरावट इन्तहा को पहुँच चुकी थी। उनके उलमा की तवज्जो भी दीन के सिर्फ़ ज़ाहिरी अहक़ाम और क़ानूनी पहलुओं पर रह गयी थी और वह असल मक़ासिदे दीन को भूल चुके थे। दीन की असल

“और वह (इंजील भी) तस्दीक कर रही थी उसकी जो तौरात में से उसके सामने मौजूद था”

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ

“और वह हिदायत (रहनुमाई) और नसीहत थी तक्रवा वालों के लिये।”

وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٥٦﴾

आयत 47

“और चाहिये कि इंजील के मानने वाले फ़ैसला करें उसके मुताबिक़ जो अल्लाह ने उसमें नाज़िल किया है।”

وَلِيُحْكَمَ أَهْلَ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ

“और जो लोग नहीं फ़ैसला करते अल्लाह के उतारे हुए अहकामात व क़वानीन के मुताबिक़, वही तो फ़ासिक़ हैं।”

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ ﴿٥٧﴾

वही तो सरकश हैं, वही तो नाफ़रमान हैं, वही तो नाहंजार हैं। गौर कीजिये एक रुकूअ में तीन दफ़ा यह अल्फ़ाज़ दोहराये गये हैं:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ ﴿٥٨﴾ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ
هُمُ الظّٰلِمُونَ ﴿٥٩﴾ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿٦٠﴾

इन आयाते कुरानिया को सामने रखिये और मिल्लते इस्लामिया की मौजूदा कैफ़ियत का जायज़ा लीजिये कि दुनिया में कितने मुमालिक हैं जहाँ अल्लाह का क़ानून नाफ़िज़ है? आज हुए ज़मीन पर कोई एक भी मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ शरीअते इस्लामी पूरे तौर पर नाफ़िज़ हो और इस्लाम का मुकम्मल निज़ाम क़ायम हो। अगरचे हम इन्फ़रादी ऐतबार से मुस्लमान हैं लेकिन हमारे निज़ाम काफ़िराना हैं।

आयत 48

“और (अब ऐ नबी ﷺ) हमने आप पर किताब नाज़िल फ़रमायी हक़ के साथ”

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ

यह है कि तमाम अम्बिया अल्लाह ही की तरफ़ से मबऊस थे, और हर एक के लिये जो भी तरीका अल्लाह तआला ने मुनासिब समझा वह उनको अता किया, अलबत्ता हमारे लिये काबिले तकलीद मिन्हाजे नबवी صلی اللہ علیہ وسلم है। अब हम पर फ़र्ज़ है कि इस मन्हजे इन्क़लाबे नबवी صلی اللہ علیہ وسلم का गहरा शऊर हासिल करें, फिर इस रास्ते पर उसी तरह चलें जिस तरह हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم चले। जिस तरह आप صلی اللہ علیہ وسلم ने दीन को क़ायम किया, ग़ालिब किया, एक निज़ाम बरपा किया, फिर उस निज़ाम के तहत अल्लाह का क़ानून नाफ़िज़ किया, उसी तरह हम भी अल्लाह के दीन को क़ायम करने की कोशिश करें।

“तो तुम नेकियों में एक-दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करो।”

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

“अल्लाह ही की तरफ़ तुम सबका लौटना है”

إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا

“तो वह तुम्हें जितला देगा उन चीज़ों के बारे में जिनमें तुम इख़िलाफ़ करते रहे थे।”

فَيَنْتِظِعُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٠﴾

आयत 49

“और फ़ैसले कीजिये उनके माबैन उस (शरीअत) के मुताबिक़ जोकि अल्लाह ने उतारी है”

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

“और उनकी ख्वाहिशात की पैरवी ना कीजिये”

وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

आज हमारा क्या हाल है? हम किन लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं? आज हम अहकामे इलाही को पसे-पुशत डाल कर अपने सियासी पेशवाओं की ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं। वह जो चाहते हैं क़ानून बना देते हैं, जो चाहते हैं फ़ैसला कर देते हैं और पूरी क़ौम उसकी पाबन्द होती है। हम इस जाल से इसी सूरत में निकल सकते हैं कि एक ज़बरदस्त जमात बनायें, ताक़त पैदा करें, एक भरपूर तहरीक उठायें, कुर्बानियाँ दें, जानें लड़ायें ताकि यह मौजूदा निज़ाम तब्दील हो, अल्लाह का दीन क़ायम हो, और फिर उस दीन के

रूह निगाहों से ओझल हो गयी थी। इस सारे बिगाड़ की इस्लाह के लिये हज़रत मसीह अलै० को अल्लाह तआला ने एक ख़ास मन्हज, एक ख़ास तरीक़े कार अता फ़रमाया। मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ को उन लोगों में मबऊस किया गया जो मुशरिक थे, अनपढ़ थे, किसी नबी के नाम से नावाक़िफ़ थे सिवाये हज़रत इब्राहीम अलै० के। उनका अहताराम भी वह अपने जद्दे अमजद के तौर पर करते थे, एक नबी के तौर पर नहीं। कोई शरीअत उनमें मौजूद नहीं थी, कोई किताब उनके पास नहीं थी। गोया “صَلِّ صَلًّا بَعِيدًا” मुजस्सम तस्वीर! आप ﷺ ने अपनी दावत व तब्लीग के ज़रिये उनमें से सहाबा किराम रज़ि० की एक अज़ीम जमात पैदा की, उन्हें हिज़बुल्लाह बनाया, और फिर उस जमात को साथ लेकर आप ﷺ ने कुफ़्र, शिर्क और अइम्मा-ए-कुफ़्र के खिलाफ़ जिहाद व क़िताल किया, और बिलआख़िर अल्लाह के दीन को उस मआशरे में क़ायम कर दिया। यह मिन्हाज हैं मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ का। तो यह मफ़हूम है इस आयत का { لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا } “हमने तुम में से हर एक के लिये एक शरीअत और एक मिन्हाज (तरीक़े कार, मन्हजे अमल) मुक़रर किया है।” इस लिहाज़ से यह आयत बहुत अहम है।

“और अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक ही उम्मत बना देता”

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً

“मगर उसने चाहा कि वह उस चीज़ में तुम्हारी आज़माइश करे जो उसने तुमको अता की”

وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ

यानि अल्लाह की हिकमत इसकी मुतक़ाज़ी हुई (अल्लाह ने चाहा) कि जिसको जो-जो कुछ दिया गया है उसके हवाले से उसको आज़माये। चुनाँचे अब हमारे लिये असल उसवा ना तो हज़रत मूसा अलै० हैं और ना ही हज़रत ईसा अलै०, बल्कि { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } (अहज़ाब:21) के मिस्दाक़ हमारे लिये उसवा हैं तो सिर्फ़ मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ की ज़ाते मुबारका है। हज़रत ईसा अलै० ने अगर शादी नहीं की तो यह हमारे लिये उसवा नहीं है। हमें तो हुज़ूर ﷺ के फ़रमान को पेशे नज़र रखना है, जिन्होंने फ़रमाया: ((فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي)) और फिर फ़रमाया: ((الْبَيْكَا حُ مِنْ سُنَّتِي)) तो वाक़िया

जाहिलियत से मुराद हुज़ूर ﷺ की बेअसत से पहले का दौर है। यानि क्या क़ानूनने इलाही नाज़िल हो जाने के बाद भी यह लोग जाहिलियत के दस्तूर, अपनी रिवायात और अपनी रसुमात पर अमल करना चाहते हैं? जैसा कि हिन्दुस्तान में मुस्लमान ज़मींदार अँगरेज़ की अदालत में खड़े होकर कह देते थे कि हमें अपनी विरासत के मुक़द्दमात में शरीअत का फ़ैसला नहीं चाहिये बल्कि रिवाज का फ़ैसला चाहिये।

“और अल्लाह के हुक़म (और फ़ैसले) से बेहतर किसका हुक़म हो सकता है उन लोगों के लिये जो यक़ीन रखने वाले हैं”

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٦﴾

अल्लाह तआला हमें उस यक़ीन और ईमाने हक़ीक़ी की दौलत से सरफ़राज़ फ़रमाये। (आमीन)

आयात 51 से 56 तक

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٦﴾ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُضْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسْرَوْا فِي أَنْفُسِهِمْ نَدِيمِينَ ﴿٥٧﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهْلَاءَ الَّذِينَ اقْتَسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَبَعَكُم مَّحِطَاتٌ أَغْمَأْتُهُمْ فَاصْبِرُوا حَسِيرِينَ ﴿٥٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكُفْرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٩﴾ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رُكْعُونَ ﴿٦٠﴾ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٦١﴾

मुताबिक हमारे फ़ैसले हों। यहाँ हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم को एक बार फिर से ताकीद की जा रही है कि आप صلی اللہ علیہ وسلم उनकी ख्वाहिशात की पैरवी मत कीजिये और अल्लाह के अहकाम के मुताबिक फ़ैसले कीजिये।

“और उनसे होशियार रहिये, ऐसा ना हो कि यह लोग आपको उनमें से किसी चीज़ से बिचला दें जो अल्लाह ने आप पर नाज़िल की है।”

وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يُفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ

यानि हर तरफ़ से दबाव आयेगा, लेकिन आप صلی اللہ علیہ وسلم को साबित क़दमी से खड़े रहना है उस शरीअत पर जो अल्लाह तआला ने आप صلی اللہ علیہ وسلم पर नाज़िल फ़रमायी है।

“फिर अगर वह रुगरदानी करें”

فَإِنْ تَوَلَّوْا

“तो जान लीजिये कि अल्लाह तआला उन्हें उनके बाज़ गुनाहों की सज़ा देना चाहता है।”

أَمَّا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ

यह दरअसल लरज़ा देने वाला मक़ाम है। अगर हम अपने इस मुल्क के अन्दर इस्लाम को कायम नहीं करते और हमारी सारी कोशिशों के बावजूद दीन नाफ़िज़ नहीं हो रहा तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह के अज़ाब का कोई कोड़ा मुक़द्दर हो चुका है। वाज़ेह अल्फ़ाज़ में फ़रमाया जा रहा है कि अगर वह अल्लाह के अहकामात से मुँह मोड़ें, शरीअत के फ़ैसलों का इन्कार करें तो जान लो कि अल्लाह तआला दरहक़ीक़त उनके गुनाहों की पादाश में उन पर अज़ाब नाज़िल करना चाहता है और {إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ} (अल बुरुज:12) के मिस्दाक़ उन्हें कोई सज़ा देना चाहता है।

“और इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि लोगों में से अक्सर फ़ासिक़ (नाफ़रमान) हैं।”

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٣٥﴾

आयत 50

“तो क्या यह जाहिलियत के फ़ैसले चाहते हैं?”

أَحْكُمْ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْعُونَ

आज हमारे अक्सर मुस्लमान मुमालिक की पोलिसियाँ क्या हैं और इस सिलसिले में कुरान का फ़तवा क्या है, वह आपके सामने है।

आयत 52

“तो तुम देखते हो उन लोगों को जिनके दिलों में रोग है”

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ

“वह उन्हीं के अन्दर घुसने की कोशिश करते रहते हैं”

يُسَارِعُونَ فِيهِمْ

फलाँ मुल्क से दोस्ती का मुआहिदा, फलाँ से मदद की दरख्वास्त, फलाँ से हिमायत की तवक्को, उनकी सारी भाग-दौड़, तगो दो (कोशिशें), खारजा पालिसी “يُسَارِعُونَ فِيهِمْ” की अमली तस्वीर है। इसलिये कि उनके दिलों में रोग यानि निफ़ाक़ है। अगर अल्लाह पर ईमान हो, ऐतमाद और यक़ीन हो, उससे खुलूस और इख़लास का रिश्ता हो तो फिर उसी से नुसरत व हिमायत की उम्मीद हो और {إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ} (सूरह मुहम्मद:7) के वादे पर यक़ीन हो!

“वह कहते हैं हमें अन्देशा है कि हम गर्दिशे ज़माना (और किसी मुसीबत के चक्कर) में ना फँस जायें।”

يَقُولُونَ نَحْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ

यानि हम यहूद व नसारा से इसलिये ताल्लुकात अस्तवार (मज़बूत) कर रहे हैं कि कल फ़लां किसी नागहानी आफ़त से बच सकें।

“तो बहुत मुमकिन है अल्लाह तआला जल्द ही फ़तह ले आये या अपने पास से कोई और फ़ैसला सादिर फ़रमा दे”

فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ

“तो फिर जो कुछ वह अपने दिलों में छुपाये हुए हैं उस पर उन्हें नादिम होना पड़े।”

فَيُضِيعُوا عَلَى مَا أَسْرُؤُوا فِي أَنْفُسِهِمْ نِيدْمِينَ

﴿٥٢﴾

उन्हें मालूम हो जायेगा कि जिनकी दोस्ती का सहारा उन्होंने अपने ज़अम (दावे) में ले रखा था वही उन्हें धोखा दे रहे हैं, जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे!

आयत 51

“ऐ ईमान वालो! यहूद व नसारा को अपना दिली दोस्त (हिमायती और पुश्त पनाह) ना बनाओ।”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ
وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ

“वह आपस में एक-दूसरे के दोस्त हैं।”

بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

उनमें से बाज़, बाज़ के पुश्तपनाह और मददगार हैं। यह दरहक्रीकत एक पेशनगोई थी जो इस दौर में आकर पूरी हुई है। जब कुरान नाज़िल हुआ तो सूरते हाल वह थी जो हम कब्ल अज़ (इस सूरत की आयत 14 में) पढ़ आये हैं: {فَأَعْرَبْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ} “पस हमने उनके माबैन अदावत और बुग़ज़ की आग भड़का दी रोज़े क़ायामत तक के लियो।” चुनाँचे ईसाईयों और यहूदियों के माबैन हमेशा शदीद दुश्मनी रही है और आपस में कश्त व खून होता रहा है, लेकिन ज़ेरे नज़र अल्फ़ाज़ {بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} में जो पेशनगोई थी वह बीसवीं सदी में आकर पूरी हुई है। बाल्फोर्ड डिक्लेरेशन (1917 ई०) के बाद की सूरते हाल में उनका बाहमी गठजोड़ शुरू हुआ, जिसके नतीजे में ब्रितानिया और अमेरिका के ज़ेरे असर इसराइल की हुकूमत कायम हुई, और अब भी अगर वह कायम है तो असल में उन्हीं ईसाई मुल्कों की पुश्तपनाही की वजह से कायम है। ईसाई अब यहूदियों की इसलिये पुश्तपनाही कर रहे हैं कि उनकी सारी मईशत यहूदी बैंकारों के ज़ेरे तसल्लुत है। ईसाईयों की मईशत पर यहूदियों के कब्ज़े की वजह से यहूद व नसारा का यह गठजोड़ इस दर्जा मुस्तहकम हो चुका है कि आज ईसाईयों की पूरी अस्करी (Military) ताक़त यहूदियों की पुश्त पर है।

“और तुम में से जो कोई उनसे दिली दोस्ती रखेगा तो वह उन्हीं में से होगा।”

وَمَنْ يَتَّوَلَّهُمْ فإِنَّهُ مِنْهُمْ

यानि जो कोई उनसे दोस्ती के मुआहिदे करेगा, उनसे नुसरत व हिमायत का तलबगार होगा, हमारी निगाहों में वह यहूदी या नसरानी शुमार होगा।

“यक्रीनन अल्लाह ऐसे ज़ालिमों को हिदायत नहीं देता।”

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ٥١

महबूब रखेंगे”

“वह अहले ईमान के हक़ में बहुत नरम होंगे”

أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“काफ़िरोँ पर बहुत भारी होंगे”

أَعَزَّةٌ عَلَى الْكُفْرِينَ

“अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे”

يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“और किसी मलामत करने वाले की मलामत का कोई खौफ़ नहीं करेंगे।”

وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ

यहाँ पर जो लफ़्ज़ “يُجَاهِدُونَ” आया है उसके मफ़हूम में एक तो क़ानूनी और ज़ाहिरी इरतदाद (apostasy) है। जैसे एक शख्स इस्लाम को छोड़ कर काफ़िर हो जाये, यहूदी या नसरानी हो जाये। यह तो बहुत वाज़ेह क़ानूनी इरतदाद है, लेकिन एक बातिनी इरतदाद भी है, यानि उलटे पाँव फिरने लगना, पसपाई इख़्तियार कर लेना। ऊपर इस्लाम का लिबादा तो ज्यों का त्यों है, लेकिन फ़र्क़ यह वाक़ेअ हो गया है कि पहले ग़लबा-ए-दीन की जद्दो-जहद में लगे हुए थे, मेहनतें कर रहे थे, वक़्त लगा रहे थे, ईसाar (त्याग) कर रहे थे, इन्फ़ाक़ कर रहे थे, भाग-दौड़ कर रहे थे, और अब कोई आज़माइश आयी है तो ठिठक कर खड़े रह गये हैं। जैसे सूरतुल बक़रह (आयत:20) में इरशाद है: { كَلِمًا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ ۗ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا } “जब ज़रा सी रोशनी होती है उन पर तो उसमें कुछ चल लेते हैं और जब उन पर अँधेरा छा जाता है तो खड़े हो जाते हैं।” अब कैफ़ियत यह है कि ना सिर्फ़ खड़े रह गये हैं बल्कि कुछ पीछे हट रहे हैं। ऐसी कैफ़ियत के बारे में फ़रमाया गया कि तुम यह ना समझो कि अल्लाह तुम्हारा मोहताज है, बल्कि तुम अल्लाह के मोहताज हो। तुम्हें अपनी निजात के लिये अपने इस फ़र्ज़ को अदा करना है। अगर तुमने पसपाई इख़्तियार की तो अल्लाह तआला तुम्हें हटायेगा और किसी दूसरी क़ौम को ले आयेगा, किसी और के हाथ में अपने दीन का झंडा थमा देगा।

यहाँ पर मोमिनीन सादिकीन के औसाफ़ के ज़िमन में जो तीन जोड़े आये हैं उन पर ज़रा दोबारा गौर करें:

आयत 53

“और (उस वक्त) अहले ईमान कहेंगे क्या यह वही लोग हैं जो अल्लाह की कसमें खा-खा कर कहते थे कि वह तो तुम्हारे साथ हैं।”

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا
بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ أَنَّهُمْ لَمَعَكُمْ

“उनके तमाम आमाल अकारत (waste) हो जाएँगे और वह ख़सारे वाले बन कर रह जाएँगे।”

حِطَّتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَسِرِينَ ﴿٥٣﴾

अब जो तीन आयतें आ रही हैं इनमें उन अहले ईमान का ज़िक्र है जो पूरे खुलूस व इख़लास के साथ अल्लाह के रास्ते में जद्दो-जहद कर रहे हैं। अल्लाह तआला हम सबको भी तौफ़ीक़ दे कि कमर हिम्मत कस कर अल्लाह के दीन को ग़ालिब करने के लिये उठ खड़े हों। और अल्लाह तआला हमारे दिलों में यह अहसास पैदा फ़रमा दे कि उसकी शरीअत को नाफ़िज़ करना है और अल् काफ़िरून, अज्ज़ालिमून और अल् फ़ासिकून (अल् मायदा:44, 45 और 47) की सफ़ों से बाहर निकलना है। इस तरह की जद्दो-जहद में मेहनत करना पड़ती है, मुश्किलात बर्दाशत करना पड़ती हैं, तकालीफ़ सहना पड़ती हैं। ऐसे हालात में बाज़ अवकात इन्सान के क़दम लड़खड़ाने लगते हैं और अज़म (वादे) व हिम्मत में कुछ कमज़ोरी आने लगती है। ऐसे मौक़े पर इस राह के मुसाफ़िरों की एक ख़ास ज़हनी और नफ़िसयाती कैफ़ियत होती है। इस हवाले से यह तीन आयत निहायत अहम और जामेअ हैं।

आयत 54

“ऐ ईमान वालो! जो कोई भी फिर गया तुम में से अपने दीन से”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ
دِينِهِ

“तो अल्लाह (को कोई परवाह नहीं, वह) अनक़रीब (तुम्हें हटा कर) एक ऐसी क्रौम को ले आयेगा”

فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ

“जिन्हें अल्लाह महबूब रखेगा और वह उसे

يُحِبُّهُمْ وَيُجِبُّونَهُ

यह एक किरदार है जिसको वाज़ेह करने के लिये दो-दो औसाफ़ के यह तीन जोड़े आये हैं। इनको अच्छी तरह ज़हननशीन कर लें और अल्लाह तआला से दुआ माँगे कि वह हमें इस किरदार को अमलन इख़्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाये।

“यह अल्लाह का फ़ज़ल है, जिसको चाहे अता करता है, और अल्लाह बहुत वुसअत रखने वाला, सब कुछ जानने वाला है।”

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٧﴾

अल्लाह के खज़ानों में कमी नहीं है। अगर तुम अपने भाइयों, अज़ीज़ों, दोस्तों, साथियों और रफ़ीक़ों को देखते हो कि उन पर अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल हुआ है, उन्होंने कैसे-कैसे मरहले सर कर लिये हैं, कैसी-कैसी बाज़ियाँ जीत लीं हैं, तो तुम भी अल्लाह से उसका फ़ज़ल तलब करो। अल्लाह तुम्हें भी हिम्मत देगा। इसलिये कि इस दीन के काम में इस क्रिस्म का रश्क़ बहुत पसंदीदा है। जैसे हज़रत उमर रज़ि० को रश्क़ आया हज़रत अबु बक्र सिद्दीक़ रज़ि० पर। जब ग़ज़वा-ए-तबूक के लिये रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ने अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने का हुक्म दिया तो आप (रज़ि०) ने सोचा कि आज तो मैं अबु बक्र रज़ि० से बाज़ी ले जाऊँगा, क्योंकि इत्तेफ़ाक़ से इस वक़्त मेरे पास खासा माल है। चुनाँचे उन्होंने (रज़ि०) ने अपने पूरे माल के दो बराबर हिस्से किये, और पूरा एक हिस्सा यानि आधा माल लाकर हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم के क़दमों में डाल दिया। लेकिन हज़रत अबु बक्र सिद्दीक़ रज़ि० के घर में जो कुछ था वह सब ले आये। यह देख कर हज़रत उमर रज़ि० ने कहा मैंने जान लिया कि अबु बक्र रज़ि० से आगे कोई नहीं बढ़ सकता। तो दीन के मामले में अल्लाह का हुक्म है: {فَاسْتَبِقُوا الْغَيْبَاتِ} (अल् मायदा:48) यानि नेकियों में, ख़ैर में, भलाई में एक-दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में रहो!

अब फिर अहले ईमान को दोस्ताना ताल्लुकात के मैयार के बारे में ख़बरदार किया जा रहा है। अहले ईमान की दिली दोस्ती कुफ़्रार से, यहूद हनूद और नसारा से मुमकिन ही नहीं, इसलिये कि यह ईमान के मनाफ़ी है। अगर दीन की ग़ैरत व हमियत होगी, अल्लाह और उसके रसूल صلی اللہ علیہ وسلم की मोहब्बत दिल में होगी तो उनके दुश्मनों से दिली दोस्ती हो ही नहीं सकती।

(1) "अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा और वह अल्लाह से मोहब्बत करेगा। (اللهم اجعلنا منهم)"

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ

(2) बहुत नरम वह अहले ईमान के हक़ में "काफ़िरों पर बहुत सख़्त होंगे, होंगे

أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكُفْرِينَ

यही मज़मून सूरह फ़तह में दूसरे अंदाज़ से आया है: {أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} (आयत:29) "आपस में बहुत रहीम व शफ़ीक़, कुफ़्कार पर बहुत सख़्त।" बक्रौले इक़बाल:

हो हल्का-ए-यारौ तो बा-रेशम की तरह नर्म
रज़्मे हक़-ओ-बातिल हो तो फ़ौलाद है मोमिन!

(3) "अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे और किसी मलामत करने वाले की मलामत का कोई खौफ़ नहीं करेंगे।"

يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ

उनके रिश्तेदार उनको समझाएँगे, दोस्त अहबाब नसीहतें करेंगे कि क्या हो गया है तुम्हें? दिमाग़ ख़राब हो गया है तुम्हारा? तुम fanatic हो गये हो? तुम्हें औलाद का ख्याल नहीं, अपने मुस्तक़बिल की फ़िक़्र नहीं! मगर यह लोग किसी की कोई परवाह नहीं करेंगे, बस अपनी ही धुन में मगन होंगे। और उनकी कैफ़ियत यह होगी:

वापस नहीं फेरा कोई फ़रमान जूनून का
तन्हा नहीं लौटी कभी आवाज़ जर्स की
खैरियते जाँ, राहते तन, सेहते दामां
सब भूल गयीं मसलहतें अहले हवस की
इस राह में जो सब पे गुज़रती है सो गुज़री
तन्हा पसे ज़िन्दां, कभी रुसवा सरे बाज़ार
कडके हैं बहुत शेख़ सरगोशा-ए-मिम्बर
गरजे हैं बहुत अहले हुक्म बर सरे दरबार
छोडा नहीं गैरों ने कोई नावके दशनाम
छूटी नहीं अपनों से कोई तर्ज़े मलामत
इस इश्क़, ना उस इश्क़ पे नादिम है मगर दिल
हर दाग़ है इस दिल में बजुज़ दागे नदामत!

यह शराइत पहले पूरी की जायें, इन तमाम मैयारात पर पूरा उतरा जाये, अल्लाह तआला के वादे पर ईमान रखा जाये, तो फिर यकीनन हिज़बुल्लाह ही ग़ालिब रहेगी।

आयात 57 से 66 तक

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوْتُوا
الْكِتَابِ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾ وَإِذَا نَادَيْتُمُ
إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هُزُؤًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٥٨﴾ قُلْ يَا هَلْهُنَّ الْكِتَابِ
هَلْ تَنفِقُونَ مَتًّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ
فَسِقُونَ ﴿٥٩﴾ قُلْ هَلْ أُنبِئُكُمْ بِشَرِّ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ
عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ أُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ
عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٦٠﴾ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ
خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴿٦١﴾ وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّخْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٦٢﴾ لَوْ لَا يَنْهَاهُمُ الرَّبُّنِيُّونَ
وَالْأَخْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّخْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٦٣﴾
وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُوبَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلِعِنَّا لَمَّا قَالُوا لَبِئْسَ يَدُ الْمُبْسُوطِينَ
يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا
وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ
أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٦٤﴾ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ
الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دَخَلْنَا فِيهِمْ جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ
أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ
وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَفْعَلُونَ ﴿٦٦﴾

आयत 55

“तुम्हारे वली तो असल में बस अल्लाह,
उसका रसूल (ﷺ) और अहले ईमान हैं”

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا

तुम्हारे दोस्त, पुश्तपनाह, हिमायती, मौतमद (secretary) और राज़दार तो बस अल्लाह, उसका रसूल (ﷺ) और अहले ईमान हैं। और यह अहले ईमान भी पैदाइशी और क़ानूनी मुस्लमान नहीं, बल्कि:

“जो नमाज़ क़ायम रखते हैं और ज़कात देते हैं
झुक कर।”

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ

وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿٥٥﴾

यहाँ “وَهُمْ رَاكِعُونَ” का मतलब “वह रुकूअ करते हैं” सही नहीं है। यह दरहक़ीक़त ज़कात देने की कैफ़ियत है कि वह ज़कात अदा करते हैं फ़रवतनी (विनम्रता) करते हुए। हम सूरतुल बकरह में पढ़ आये हैं कि सबसे बढ़ कर इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह के मुस्तहिक़ कौन लोग हैं: { لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ... } (आयत:273) जो अल्लाह के दीन के लिये हमावक़्त और हमातन मसरूफ़ हैं और उनके पास अब अपनी मआशी जद्दो-जहद के लिये वक़्त नहीं है। लेकिन वह फ़क़ीर तो नहीं कि आपसे झुक कर माँगे, यह तो आपको झुक कर, फ़रवतनी करते हुए उनकी मदद करना होगी। आप उन्हें दें और वह कुबूल कर लें तो आपको उनका ममनूने अहसान होना चाहिये।

आयत 56

“और जो कोई दोस्ती क़ायम करेगा अल्लाह,
उसके रसूल (ﷺ) और ईमान वालों के
साथ”

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا

यूँ समझ लें कि यहाँ यह फ़िक़रा महज़ूफ़ है: “तो वह शामिल हो जायेगा हिज़बुल्लाह (अल्लाह की पार्टी) में।”

“पस सुन लो कि हिज़बुल्लाह ही ग़ालिब रहने
वाली है।”

فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٥٦﴾

“और (उस पर) जो हम पर नाज़िल किया गया”

وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا

“और (उस पर भी) जो पहले नाज़िल किया गया”

وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ

“और हकीकत यह है कि तुम्हारी अक्सरियत नाफ़रमानों पर मुश्तमिल है।”

وَأَنْ أَكْثَرَكُمْ فَسِقُونَ ﴿٥٩﴾

आयत 60

“आप (ﷺ) कहिये क्या मैं तुम्हें बताऊँ कि अल्लाह यहाँ इससे भी बदतर सज़ा पाने वाले कौन हैं?”

قُلْ هَلْ أَنْتُمْ كَمَا بَشَّرْتُمْ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ

“(वह लोग हैं) जिन पर अल्लाह ने लानत की”

مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ

“और जिन पर वह ग़ज़बनाक हुआ”

وَعَضِبَ عَلَيْهِ

“और जिनमें से उसने बन्दर और खंज़ीर बना दिये”

وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ

“और जिन्होंने शैतान की बन्दगी की।”

وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ

“यह सबके सब बहुत बुरे मुक़ाम में हैं और बहुत ज़्यादा भटके हुए हैं सीधे रास्ते से।”

أُولَئِكَ سَاءَ مَكَانًا وَأَصْلُ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ

﴿٦٠﴾

आयत 61

“और जब वह तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आये”

وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا

“ऐ अहले ईमान, उन लोगों को अपना दोस्त ना बनाओ जिन्होंने तुम्हारे दीन को हँसी-मज़ाक और खेल बना रखा है उन लोगों में से जिन्हें किताब दी गयी थी तुमसे पहले और दूसरे काफ़िरों में से भी।”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا
دِينَكُمْ هُزُوءًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارَ أَوْلِيَاءَ

फिर वही बात फ़रमायी गयी कि मुशरिकीन और अहले किताब में से किसी को अपना वली और दोस्त ना बनाओ।

“और अल्लाह का तक्रवा इख्तियार करो अगर तुम मोमिन हो।”

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٥٨﴾

आयत 58

“और जब तुम नमाज़ के लिये पुकारते हो तो यह लोग उसको मज़ाक और खेल बना लेते हैं।”

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هُزُوءًا
وَلَعِبًا

यानि अज़ान की आवाज़ सुन कर उसकी नक़लें उतारते हैं और तमस्खुर करते हैं।

“यह इस वजह से कि यह लोग अक़ल से आरी (खाली) हैं।”

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٥٩﴾

आयत 59

“(ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم) इनसे कहिये कि ऐ किताब वालो”

قُلْ يَا هَلْ الْكِتَابِ

“तुम किस बात का इन्तेक़ाम ले रहे हो हमसे?”

هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا

“सिवाय इसके कि हम ईमान लाये हैं अल्लाह पर”

إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ

आज हमारे यहाँ भी अक्सर व बेशतर पीर अपने मुरीदों को हरामखोरी से मना नहीं करते। उन्हें उसमें से नज़राने मिल जाने चाहियें, अल्लाह-अल्लाह खैर सल्ला। कहाँ से खाया? कैसे खाया? इससे कोई बहस नहीं। हालाँकि अल्लाह वालों का काम तो बुराई से रोकना है, अम्र बिल मारुफ़ और नही अनिल मुन्कर का फ़रीज़ा सरअंजाम देना है।

“बहुत बुरा है वह काम जो वह कर रहे हैं।”

لَيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ①

आयत 64

“और यहूद ने कहा कि अल्लाह का हाथ बंद हो गया।”

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يُدُلُّ اللَّهُ مَعْلُومَةً

उनके इस क़ौल का मतलब यह था कि अल्लाह की रहमत जो हमारे लिये थी वह बंद हो गयी है, नबुवत की रहमत हमारे लिये मुख्तस (allocated) थी और अब यह दस्ते रहमत हमारी तरफ़ से बंद हो गया है। या इसका मफ़हूम यह भी हो सकता है जो मुनाफ़िक़ीन कहा करते थे कि अल्लाह हमसे क़र्ज़े हसना माँगता है तो गोया अल्लाह फ़क़ीर हो गया है (नाउजु बिल्लाह) और हम अग़निया (धनी) हैं। जवाब में फ़रमाया गया:

“उनके हाथ बंध गये हैं” या “बंध जायें उनके हाथ”

عُلَّتْ أَيْدِيهِمْ

“और उन पर लानत है उसके सबब जो उन्होंने कहा”

وَلُعْنُوا إِيحًا قَالُوا

“बल्कि अल्लाह के दोनों हाथ तो खुले हुए हैं”

بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ

“वह जैसे चाहे खर्च करता है।”

يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ

“और यक़ीनन इज़ाफ़ा करेगा उनमें से अक्सर को सरकशी और कुफ़्र में जो कुछ (ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم) नाज़िल किया गया है आप صلی اللہ علیہ وسلم पर आप صلی اللہ علیہ وسلم के रब की तरफ़ से।”

وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ مِنَ

رَبِّكَ طَعْيَانًا وَكُفْرًا

“हालाँकि वह दाखिल भी हुए थे कुफ़्र के साथ
और निकले भी हैं कुफ़्र के साथ।”

وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ

मेरे नज़दीक यह उन लोगों की तरफ़ इशारा है जिनका ज़िक्र सूरह आले इमरान (आयत 72) में आया है, जिन्होंने फ़ैसला किया था कि सुबह को ईमान लाओ और शाम को काफ़िर हो जाओ। उनके बारे में यहाँ फ़रमाया जा रहा है कि वह कुफ़्र के साथ दाखिल हुए थे और कुफ़्र के साथ ही निकले हैं, एक लम्हे के लिये भी उन्हें ईमान की हलावत नसीब नहीं हुई। वह शऊरी तौर पर फ़ैसला कर चुके थे कि रहना तो हमें अपने दीन पर है, लेकिन इस्लाम की जो साख बन गयी है उसको नुक़सान पहुँचाने की खातिर हम यह धोखा और साज़िश कर रहे हैं।

“और अल्लाह ख़ूब जानता है जो वह छुपाये हुए थे।”

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ۝۱۱

आयत 62

“और तुम देखोगे उनमें से अक्सर को कि बहुत भाग-दौड़ करते हैं गुनाह और जुल्म व ज्यादती (के कामों) में”

وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ

“और हराम के माल खाने में।”

وَأَكْلِهِمُ السُّخْتِ

“बहुत ही बुरा अमल है जो वह कर रहे हैं!”

لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝۱۲

आयत 63

“क्यों नहीं मना करते उन्हें उनके दरवेश (सूफ़ी और पीरो सुरशिद) और उलमा व फ़ुक्रहा गुनाह की बात कहने से और हरामखोरी से?”

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّيُّونَ وَالْأَخْبَارُ عَنْ
قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّخْتِ

तक़वा की रविश इख़्तियार करते”

“तो हम उनसे उनकी बुराईयों को दूर कर देते”

لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ

“और हम लाज़िमन उन्हें दाख़िल करते नेअमतों वाले बाग़ों में।”

وَلَا دَخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ⑤

जो आयत आगे आ रही है उस पर गौर कीजिये और उसे खुद पर भी मुन्तबिक्र करके ज़रा सोचिये।

आयत 66

“और अगर इन्होंने क़ायम किया होता तौरात को और इन्ज़ील को और उसको जो कुछ नाज़िल किया गया था इन पर इनके रब की तरफ़ से”

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ

“तो यह खाते अपने ऊपर से भी और अपने क़दमों के नीचे से भी।”

لَا كَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ

यानि हमने इन्हें तौरात इसलिये दी थी कि उसके अहकामात को नाफ़िज़ किया जाये। इसी सूरत के सातवें रुकूअ (आयत 44 से 50) में इसका मुफ़स्सल ज़िक्र हम पढ़ आये हैं कि किस तरह उन्हें हुकम दिया गया था कि अपने फ़ैसले तौरात के अहकामात के मुताबिक्र करो। उससे अगला मरहला उस पूरे निज़ाम के निफ़ाज़ का था जो तौरात ने दिया था। इसी तरह हम पर भी फ़र्ज़ है कि हमने क़ुरान के निज़ाम को क़ायम करना है। उसके बारे में फ़रमाया जा रहा है, कि अगर उन्होंने अल्लाह का वह निज़ाम क़ायम किया होता तो उनके ऊपर से भी उनके रब की तरफ़ से नेअमतों की बारिश होती, और उनके क़दमों के नीचे से भी अल्लाह तआला की नेअमतों के धारे फूटते।

“उनमें कुछ लोग हैं जो दरमियानी (यानि सीधी) राह पर हैं।”

مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ

यानि ज़िद में आकर उन्होंने हक़ व सदाक़त पर मज़ी इस कलाम की मुखालफ़त शुरू कर दी है। मज़ीद बर्राँ अल्लाह तआला की तरफ़ से जैसे-जैसे जो-जो अहसानात भी आप ﷺ पर और आप ﷺ के साथियों पर हो रहे हैं, अल्लाह तआला मुसलमानों को जो ग़नीमतें दे रहा है, दीन को रफ़्ता-रफ़्ता जो ग़लबा हासिल हो रहा है, उसके हसद के नतीजे में उनकी ज़िद और हठधर्मी बढ़ती जा रही है। सुलह हुदैबिया के बाद तो ख़ास तौर पर अरब के अन्दर बहुत तेज़ी के साथ सूरते हाल बदलनी शुरू हो गयी थी। इसके नतीजे में बजाये इसके कि यह लोग समझ जाते कि वाक़ई यह अल्लाह की तरफ़ से हक़ है और एकसू होकर इसका साथ देते, उनके अन्दर की जलन और हसद की आग मज़ीद भड़क उठी।

“और हमने उनके माबैन क्रयामत तक के लिये दुश्मनी और बुग़ज़ डाल दिया है।”

وَالْقِيَامَاتِ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“जब कभी यह आग भड़काते हैं जंग के लिये अल्लाह उसको बुझा देता है”

كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْعَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ

जंग की आग भड़काने के लिये यहूदी अक्सर साज़िशें करते रहते थे। ख़ास तौर पर ग़ज़वा-ए-अहज़ाब तो उन्हीं की साज़िशों के नतीजे में बरपा हुआ था। मदीने के यहूदी क़बाइले अरब के पास जा-जाकर, इधर-उधर वफ़द भेज कर लोगों को जमा करते थे कि आओ तुम बाहर से हमला करो, हम अन्दर से तुम्हारी मदद करेंगे। उनकी इन्हीं साज़िशों के बारे में फ़रमाया जा रहा है कि जब भी वह जंग की आग भड़काते हैं अल्लाह तआला उसे बुझा देता है।

“और (फिर भी) यह ज़मीन में फ़साद मचाने के लिये भाग-दौड़ करते रहते हैं।”

وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا

“और अल्लाह ऐसे मुफ़सिदों को पसंद नहीं करता।”

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ①

आयत 65

“अगर अहले किताब ईमान ले आते और

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا

عَيَّرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ
السَّبِيلِ ﴿٤٧﴾

आयत 67

“ऐ रसूल (ﷺ) पहुँचा दीजिये जो कुछ नाज़िल किया गया है आप (ﷺ) की तरफ़ आप (ﷺ) के रब की जानिब से।”

يَأْتِيهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

“और अगर (बिलफ़र्ज़) आप (ﷺ) ने ऐसा ना किया तो गोया आप (ﷺ) ने उसकी रिसालत का हक़ अदा नहीं किया।”

وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ

अपने मज़मून के ऐतबार से यह बहुत सख्त आयत है। इससे यह भी पता चलता है कि अगर वही में कहीं रसूल अल्लाह (ﷺ) पर तनक़ीद नाज़िल हुई है तो वह भी कुरान में ज्यों की त्यों मौजूद है। ऐसा हरगिज़ नहीं कि ऐसी चीज़ों को छुपा लिया गया हो। तीसवें पारे में सूरतुल अबस की इव्तदाई आयात {عَبَسَ وَتَوَلَّى} {أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى} भी वैसे ही मौजूद हैं जैसे नाज़िल हुई थीं। सूरह आले इमरान में भी हम पढ़ कर आये हैं कि हुज़ूर (ﷺ) को मुख़ातिब करके फ़रमाया गया: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ...} (आयत:128)। इस तरह की आयात अपनी जगह पर मन व अन मौजूद हैं, और यह कुरान के महफूज़ मिनल्लाह होने पर हुज्जत हैं। आयत ज़ेरे नज़र में तम्बीह की जा रही है कि वही-ए-इलाही में से कोई चीज़ किसी वजह से पहुँचने से रह ना जाये। लोगों के खौफ़ से या अपनी किसी मसलहत की वजह से बिलफ़र्ज़ अगर ऐसा हुआ तो गोया आप (ﷺ) फ़रीज़ा-ए-रिसालत की अदायगी में कोताही का सबूत देंगे। “الْعَبْدُ عَبْدٌ وَإِنْ تَرَفَى وَالرَّبُّ رَبٌّ وَإِنْ تَكْرَلْ!”

“और अल्लाह आप (ﷺ) की हिफ़ाज़त करेगा लोगों से।”

وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

आपको लोगों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं।

“यक़ीनन अल्लाह काफ़िरों को राहयाब नहीं

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٤٧﴾

“लेकिन उनमें अक्सरियत उन लोगों की है जो बहुत बुरी हरकतें कर रहे हैं”

وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَحْمِلُونَ ﴿٦٧﴾

उनका अमल और रवैय्या निहायत गलत है।

आयात 67 से 77 तक

يَأْتِيهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٧﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَكِي لِيَدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقُونَ وَالنَّظْرَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٩﴾ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَارْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رَسُولًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿٧٠﴾ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةً فَعَمَّوْا وَصَمُّوْا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمَّوْا وَصَمُّوْا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٧١﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنِي إِسْرَائِيلَ عِبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَزَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٧٢﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثَةٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَدْنُهُمْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ ﴿٧٣﴾ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧٤﴾ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَأَنَّا بِكُلِّنِ الطَّعَامِ أَنْظُرُ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمْ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٧٥﴾ قُلْ اتَّعْبُدُونَ مَنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٧٦﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ

“ऐ अहले कुरान, कुरान को अपना तकिया ना बना लेना, बल्कि इसे पढा करो रात के अवक़ात में भी और दिन के अवक़ात में भी, जैसा कि इसके पढने का हक़ है, और इसे आम करो और खुश अलहानी से पढो और इसमें तदब्बुर करो ताकि तुम फ़लाह पाओ।”

“लेकिन (ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم) जो कुछ आप صلی اللہ علیہ وسلم पर नाज़िल किया गया है आप صلی اللہ علیہ وسلم के रब की तरफ़ से यह उनके अक्सर लोगों की सरकशी और कुफ़्र में यक़ीनन इज़ाफ़ा करेगा।”

وَلَيَبْزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِنْهُمْ مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا

उनकी सरकशी और तुग्यानी में और इज़ाफ़ा होगा, उनकी मुख़ालफ़त और बढ़ती चली जायेगी, हसद की आग में वह मज़ीद जलते चले जाएँगे।

“तो आप صلی اللہ علیہ وسلم उन काफ़ि़रों के बारे में अफ़सोस ना करें।”

فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ

नबी चूँकि अपनी उम्मत के हक़ में निहायत रहीम व शफ़ीक़ होता है लिहाज़ा वह लोगों पर अज़ाब को पसंद नहीं करता और क्रौम पर अज़ाब के तसब्बुर से उसे सदमा होता है। फिर खुसूसन जब वह अपनी बिरादरी भी हो, जैसा कि बनी इस्माइल अलै० थे, तो यह रन्ज व सदमा दो चंद हो जाता है। चुनाँचे जब उनके बारे में सूरह युनुस और सूरह हूद में अज़ाब की ख़बरें आ रही थीं तो आप صلی اللہ علیہ وسلم बहुत फ़िक़मन्द और ग़मगीन हुए और आप صلی اللہ علیہ وسلم के बालों में एकदम सफ़ेदी आ गयी। इस पर हज़रत अबु बक्र सिद्दीक़ रज़ि० ने पूछा, हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم क्या हुआ? आप صلی اللہ علیہ وسلم पर बुढापा तारी हो गया? तो आप صلی اللہ علیہ وسلم ने फ़रमाया: ((شَبَّيْتُ هُوْدًا وَ اٰخْوَانَهَا)) “मुझे सूरह हूद और उसकी बहनों (हम मज़मून सूरतों) ने बूढा कर दिया है।” क्योंकि इन सूरतों का अंदाज़ ऐसा है कि जैसे अब मोहलत ख़त्म हुई चाहती है और अज़ाब का धारा फूटने ही वाला है।

आयत 69

“बेशक वह लोग जो ईमान लाये, और वह लोग जो यहूदी, साबी और नसारा (ईसाई) हुए”

إِنَّ الدِّيْنَ أَمْنًا وَالَّذِيْنَ هَادُوا وَالطَّيْبُوْنَ وَالنَّصْرَى

करता।”

आयत 68

“(ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم) कह दीजिये: ऐ किताब वालों तुम किसी चीज़ पर नहीं हो”

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ

तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, कोई मक़ाम नहीं है, कोई जड़ बुनियाद नहीं है, तुम हमसे हमकलाम होने के मुस्तहिक्क (हक़दार) नहीं हो।

“जब तक तुम क़ायम ना करो तौरात और इन्ज़ील को और जो कुछ नाज़िल किया गया है तुम पर तुम्हारे रब की तरफ़ से।”

حَتَّىٰ تَقِيُمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ

अब अपने लिये इस आयत को आप इस तरह पढ़ लीजिये: { يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيُمُوا الْقُرْآنَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ } “ऐ कुरान के मानने वालो! तुम्हारी कोई हैसियत नहीं..... तुम समझते हो कि हम उम्मते मुस्लिमा हैं, अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के लाडले और प्यारे हैं, अल्लाह के रसूल صلی اللہ علیہ وسلم के उम्मती हैं। लेकिन तुम देख रहे हो कि ज़िल्लत व ख़वारी तुम्हारा मुक़द्दर बनी हुई है, हर तरफ़ से तुम पर यलगार है, इज़ज़त व वक़ार नाम की कोई शय (चीज़) तुम्हारे पास नहीं रही। तुम कितनी ही तादाद में क्यों ना हो, दुनिया में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, और इससे भी ज़्यादा बेतौक़ीरी (बेईज़ज़त होने) के लिये भी तैयार रहो। “तुम्हारी कोई असल नहीं जब तक तुम क़ायम ना करो कुरान को और उसके साथ जो कुछ मज़ीद तुम पर तुम्हारे रब की तरफ़ से नाज़िल हुआ है।” कुरान वही-ए-जली है। इसके अलावा हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم को वही-ए-ख़फ़ी के ज़रिये से भी तो अहकामात मिलते थे और सुन्नत रसूल صلی اللہ علیہ وسلم वही-ए-ख़फ़ी का ज़हूर ही तो है। तो जब तक तुम किताब व सुन्नत का निज़ाम क़ायम नहीं करते, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। यह भी याद रहे कि “या अहलल कुरान” का ख़िताब खुद हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم ने हमें दिया है। मेरे किताबचे “मुसलमानों पर कुरान मज़ीद के हुकूक” में यह हदीस मौजूद है जिसमें हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم से यह अल्फ़ाज़ नक़ल हुए हैं:

يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ لَا تَتَوَسَّدُوا الْقُرْآنَ، وَأَنْتَلُوهُ حَقَّ تَلَاوَتِهِ مِنْ آثَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَفْشُوهُ وَتَغْنَّوْهُ وَتَدَبَّرُوْهُ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

तो हज़रत मूसा अलै० के बाद बनी इसराइल में रसूल सिर्फ़ एक आये हैं यानि हज़रत ईसा अलै०, बाकी सब नबी थे।

“(लेकिन) जब भी कभी उनके पास कोई रसूल लेकर आया वह चीज़ जो उनकी ख्वाहिशाते नफ्स के खिलाफ़ थी”

كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَالٍ بَيِّنَاتٍ أَنفُسُهُمْ

“तो एक गिरोह को उन्होंने झुठलाया और एक गिरोह को क़त्ल करते रहे।”

فَرِيْقًا كَذَّبُوا وَفَرِيْقًا يَقْتُلُوْنَ ۝

आयत 71

“और उन्होंने समझा कि उन पर कोई पकड़ नहीं आयेगी”

وَحَسِبُوا إِلَّا تَكُوْنُ فِتْنَةٌ

कोई अकूबत नहीं होगी, हम पर कोई सरज़निश नहीं होगी।

“तो वह बहरे भी हो गये, अंधे भी हो गये”

فَعَمُوا وَصَمُوا

“फिर अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया”

ثُمَّ تَابَ اللهُ عَلَيْهِمْ

अल्लाह तआला ने भी उन्हें फ़ौरन नहीं पकड़ा। उन्हें तौबा की मोहलत दी, मौक्रा दिया।

“(नतीजा यह हुआ कि) फिर उनमें से अक्सर लोग और ज़्यादा अंधे और बहरे हो गये।”

ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ

बजाये अल्लाह के दामने रहमत में आने के अपनी गुमराही में और बढ़ते चले गये।

“और जो कुछ वह कर रहे हैं अल्लाह उसे देख रहा है।”

وَاللّٰهُ بِصِيْرٍ مَّا يَعْمَلُوْنَ ۝

आयत 72

“यक्रीनन कुफ़र किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि अल्लाह मसीह इब्रे मरयम ही है।”

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ

ابْنُ مَرْيَمَ

इस आयत में तकरीबन वही मज़मून है जो इससे पहले सूरतुल बकरह के आठवें रकूअ (आयत 62) में आ चुका है, जिससे बाज़ लोगों को धोखा होता है कि शायद निजात के लिये ईमान बिल रिसालत की ज़रूरत नहीं है, हालाँकि सूरतुन्निसा (आयत 150, 151 और 152) में अल्लाह और उसके रसूल ﷺ के माबैन तफ़रीक करने वालों के लिये बहुत वाज़ेह अंदाज़ में फ़रमाया गया है: {أُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ حَقًّا} “वही लोग तो पक्के काफ़िर हैं” दूसरी बात यहाँ ज़हन में यह रखिये कि इन तमाम सूरतों में मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ पर ईमान लाने की दावत क्रदम-क्रदम पर है, बार-बार है, लिहाज़ा इससे इस्तगना (स्वतंत्रता) का कोई जवाज़ (कारण) रहता ही नहीं, सिवाय इसके कि किसी की नीयत में फ़साद हो और दिल में कजी पैदा हो चुकी हो।

“(अपने-अपने ज़माने में जिस क़ौम और जिस गिरोह से) जो कोई ईमान लाया अल्लाह पर और यौमे आख़िरत पर और उसने अच्छे अमल किये तो उन पर ना कोई ख़ौफ़ होगा और ना वह ग़म से दो-चार होंगे।”

مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٥﴾

यहाँ वह तमाम लोग मुराद हैं जो अपने-अपने दौर में अल्लाह और आख़िरत पर ईमान व यक़ीन रखते थे और अपने वक़्त के नबी और गुज़िशता अम्बिया पर ईमान रखते थे। जैसे हज़रत मसीह अलै० से माक़ब्ल ज़माने में यहूदी थे, जो किताबुल्लाह तौरात पर यक़ीन रखते थे, हज़रत मूसा अलै० को मानते थे, दूसरे नबियों को मानते थे और नेक अमल करते थे। लेकिन अमल के मामले में असल चीज़ और असल बुनियाद अल्लाह की रज़ाजोई और आख़िरत की जज़ा तलबी है, जिससे कोई अमल, अमले सालेह बनता है।

आयत 70

“हमने बनी इसराइल से अहद लिया और उनकी तरफ़ बहुत से रसूल भेजे।”

لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَرَسُولْنَا
إِلَيْهِمْ رَسُولًا

यहाँ बहुत से रसूल भेजने से मुराद है बहुत से अम्बिया भेजे। जैसा कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, कुरान मजीद में रसूल का लफ़्ज़ नबी की जगह इस्तेमाल हुआ है, अलबत्ता जहाँ तक लफ़्ज़ रसूल के इस्तलाही मफ़हूम का ताल्लुक है

“जबकि हक्रीकतन नहीं है कोई इलाह सिवाय एक ही इलाह के।”

وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدٌ

“और अगर यह बाज़ ना आये उससे जो कुछ यह कह रहे हैं”

وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ

“तो इनमें से जो काफ़िर हैं उन पर बहुत दर्दनाक अज़ाब आकर रहेगा।”

لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ④

आयत 74

“तो क्या यह लोग अल्लाह की जनाब में तौबा और उससे इस्तग़फ़ार नहीं करते?”

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ

“और अल्लाह तो ग़फ़ूर और रहीम है।”

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ⑤

आयत 75

“मसीह इब्रे मरयम और कुछ नहीं सिवाय इसके कि वह एक रसूल थे।”

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ

“उनसे पहले भी बहुत से रसूल गुज़र चुके थे।”

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

यह बिल्कुल वही अल्फ़ाज़ हैं जो सूरह आले इमरान (आयत 144) में मुहम्मद रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم के बारे में आये हैं: { وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ } “मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم इसके सिवा क्या हैं कि अल्लाह के रसूल हैं, और आप صلی اللہ علیہ وسلم से पहले बहुत से रसूल गुज़र चुके हैं।” तो इसी तरह फ़रमाया कि हज़रत ईसा अलै० की हैसियत अल्लाह के एक रसूल की है, जिस तरह उनसे पहले बहुत से रसूल गुज़र चुके हैं।

“और उनकी वालिदा सिद्दीका थीं।”

وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ

यह वही बात है जो इससे पहले इसी सूरत की आयत 17 में आ चुकी है, यानि अल्लाह ही ने मसीह अलै० की शख्सियत का लिबादा ओढ़ लिया है।

“जबकि मसीह अलै० ने तो कहा था कि ऐ बनी इसराइल, बन्दगी और परस्तिश करो अल्लाह की जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है।”

وَقَالَ الْمَسِيحُ بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ

“यक्रीनन जो भी अल्लाह के साथ शिर्क करेगा तो अल्लाह ने उस पर जन्नत को हराम कर दिया है”

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

“और उसका ठिकाना आग है, और ऐसे ज़ालिमों के लिये कोई मददगार नहीं होगा”

وَمَا أُولَئِكَ إِلَّا لَلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۝

अब ईसाईयों के शिर्क की एक दूसरी शकल का ज़िक्र हो रहा है। उनका एक अक्रीदा तो God Incarnate का था। यह उनमें से एक फ़िरके Jacobites का अक्रीदा था कि खुद अल्लाह तआला ही ने ईसा अलै० की शकल में इंसानी रूप धार लिया है। ऊपर इसी अक्रीदे का ज़िक्र हुआ है, लेकिन ईसाईयों के यहाँ एक अक्रीदा “तसलीस” का भी है, और इस अक्रीदे की भी उनके यहाँ दो शकलें हैं। इब्तदा में जो तसलीस थी उसमें अल्लाह, हज़रत मरयम और हज़रत मसीह शामिल थे। यानि “God the Father, God the Mother and God the Son”। दरअसल यह तसलीस मिस्र में फ़राअना के ज़माने से चली आ रही थी। इसी के अन्दर उन्होंने ईसाईयत को ढाल दिया, ताकि मिस्र के लोग आसानी से ईसाईयत कुबूल कर लें। इसके बाद हज़रत मरयम को इस तसलीस में से निकाल दिया गया और Holy Ghost या Holy Spirit (रुहुल कुदुस) को उनकी जगह शामिल कर लिया गया और इस तरह “God the Father, God the Son and God the Holy Ghost” पर मुश्तमिल तसलीस वजूद में आयी।

आयत 73

“यक्रीनन कुफ़्र किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि अल्लाह तीन में का तीसरा है।”

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ

ﷺ के नाम पर करते हैं, अक्रीदत के गुलू की वजह से करते हैं। तो गुलू (मुबालगा) दरहक्रीकत इन्सान को गुमराही की तरफ़ ले जाता है। चुनाँचे इससे मना किया जा रहा है।

“और मत पैरवी करो उन लोगों की बिदाआत की जो तुमसे पहले (खुद भी) गुमराह हुए” وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ

जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है, यह तसलीस मिस्र में ज़माना-ए-क़दीम से मौजूद थी, उसी को उन्होंने इख़्तियार किया।

“और उन्होंने बहुत से दूसरे लोगों को भी गुमराह किया और सीधे रास्ते से भटक गये” وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ

﴿٤٧﴾

आयात 78 से 86 तक

لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿٨٠﴾ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا لَهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿٨١﴾ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي ذَلِكَ بِأَنْ مِنْهُمْ قِيسِيَّةٌ وَرُهَبَاءُ وَأَثَمُهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٨٢﴾ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حِمًّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨٣﴾ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴿٨٤﴾ فَأَنَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا فَجَبَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٥﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٨٦﴾

क़ब्ल अज़ हम सूरतुन्निसा (आयत 69) में पढ़ चुके हैं कि नबियों के बाद सबसे ऊँचा दर्जा सिद्दीक़ीन का है। ख्वातीन को अगरचे नबुवत तो नहीं मिली है लेकिन अम्बिया के बाद जो दूसरा दर्जा है उसमें बहुत चोटी की हैसियतें उन्हें मिली हैं। हमारी उम्मत की सिद्दीक़तुल कुबरा यानि सबसे बड़ी सिद्दीक़ा हज़रत ख़दीजा रज़ि० हैं और सिद्दीक़े अकबर की हैसियत इस उम्मत में हज़रत अबु बक्र रज़ि० को मिली है। हज़रत आयशा रज़ि० भी सिद्दीक़ा हैं। इसी तरह हज़रत मरयम अलै० भी सिद्दीक़ा थीं।

“वह दोनों खाना खाते थे।”

كَانَا يَأْكُلِنِ الطَّعَامَ

दोनों इन्सान थे, बशर थे और सारे बशरी तक्राज़े उनके साथ थे।

“देखो, किस तरह हम उनके लिये अपनी आयत वाज़ेह करते हैं, फिर देखो कि वह कहाँ से उल्टा दिये जाते हैं।”

أَنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٤٥﴾

आयत 76

“आप صلی اللہ علیہ وسلم कहिये क्या तुम पूजते हो अल्लाह के सिवा उन्हें जो तुम्हारे लिये ना किसी नुक़सान का इख़्तियार रखते हैं और ना नफ़े का?”

قُلْ اتَّعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ صَرًّا وَلَا نَفْعًا

“जबकि अल्लाह ही सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है।”

وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٤٦﴾

आयत 77

“कह दीजिये, ऐ अहले किताब, अपने दीन में नाहक़ गुलू ना करो”

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرِ الْحَقِّ

यह तुमने हज़रत ईसा अलै० को मोहब्बत और अक़ीदत की वजह से जो कुछ बना दिया है, वह सरासर मुबालगा है। हज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم की शान में भी मुबालगा आराई अगर लोग करते हैं तो मोहब्बत की वजह से करते हैं, इसके रसूल

“बहुत ही बुरा तर्ज़ अमल था जो उन्होंने इख्तियार किया।”

لَيْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٤٥﴾

आयत 80

“तुम उनमें से अक्सर को देखोगे कि वह काफ़िरों से दोस्ती रखते हैं।”

تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ

खुद काफ़िरों के हिमायती बनते हैं और अपने लिये उनकी हिमायत तलाश करते हैं।

“बहुत ही बुरी कमाई है जो उन्होंने अपने लिये आगे भेजी है।”

لَيْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ

यह उनके जो करतूत हैं वह सब आगे अल्लाह के यहाँ जमा हो रहे हैं और उनका ववाल उन पर आयेगा।

“यह कि अल्लाह तआला का ग़ज़ब होगा उन पर।”

أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

“और वह अज़ाब में हमेशा-हमेश रहेंगे।”

وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿٤٦﴾

आयत 81

“और अगर यह ईमान लाते अल्लाह पर और नबी صلی اللہ علیہ وسلم पर और उस पर जो नबी صلی اللہ علیہ وسلم पर नाज़िल किया गया (यानि कुरान हकीम)”

وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ

“तो फिर इन्होंने इन (काफ़िरों) को अपना वली ना बनाया होता”

مَا اتَّخَذُوا لَهُمْ أَوْلِيَاءَ

“लेकिन इनकी अक्सरियत नाफ़रमानों पर मुशतमिल है।”

وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿٤٧﴾

आयत 82

“तुम लाज़िमन पाओगे अहले ईमान के हक़ में शदीद-तरीन दुश्मन यहूद को और उनको जो मुशरिक हैं।”

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا
الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۗ

आयत 78

“लानत की गयी उन लोगों पर जिन्होंने कुफ़्र किया बनी इसराइल में से, दाऊद अलै० की ज़बान से और ईसा अलै० इब्रे मरयम की ज़बान से भी।”

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى
لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ

बनी इसराइल का जो किरदार रहा है उस पर उनके अम्बिया उनको मुसलसल लअन-तअन करते रहे हैं। Old Testament में हज़रत दाऊद अलै० के हवाले से इसकी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। New Testament (गोस्पल्ज़) में हज़रत मसीह अलै० के तनक़ीदी फ़रमूदात (आलोचनात्मक कथन) बार-बार मिलते हैं, जिनमें अक्सर उनके उलमा, अहबार और सूफ़िया मुख़ातिब हैं कि तुम साँपों के संपोलिये हो। तुम्हारा हाल उन क़ब्रों जैसा है जिनके ऊपर तो सफ़ेदी फिरी हुई है, मगर अन्दर गली-सड़ी हड्डियों के सिवा कुछ भी नहीं है। तुमने अपने ऊपर सिर्फ़ मज़हबी लिबादे ओढ़े हुए हैं, लेकिन तुम्हारे अन्दर ख़्यानत भरी हुई है। तुम मच्छर छानते हो और समूचे ऊँट निगल जाते हो, यानि छोटी-छोटी चीज़ों पर तो ज़ोरदार बहसें होती हैं जबकि बड़े-बड़े गुनाह खुले बन्दों करते हो। यह तो यहूदी क़ौम और उनके उलमा के किरदार की झलक है उनके अपने नबी की ज़बान से, मगर दूसरी तरफ़ यही नक़शा बैन ही आज हमें अपने उलमा-ए-सू में भी नज़र आता है।

“यह इसलिये हुआ कि उन्होंने नाफ़रमानी की, और वह हूद से तजावुज़ कर जाते थे।”

ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾

आयत 79

“यह लोग एक-दूसरे को नहीं रोकते थे उन मुन्किरात से जो वह करते थे।”

كَانُوا إِلَّا يَنْتَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ ۗ

जिस मआशरे से नही अनिल मुन्कर (बुराई से रोकना) ख़त्म हो जायेगा, वह पूरा मआशरा संडास बन जायेगा। यह तो गोया इंतेज़ामे सफ़ाई है। हर शख्स का फ़र्ज़ है कि वह अपने इर्द-गिर्द निगाह रखे, एक-दूसरे को रोकता रहे कि यह काम ग़लत है, यह मत करो! जिस मआशरे से यह तनक़ीद और अहतसाब ख़त्म हो जायेगा, उसके अन्दर लाज़िमन ख़राबी पैदा हो जायेगी।

यानि ईसाईयों में उस वक्त तक उलमाये हक़ भी मौजूद थे और दरवेश राहिब भी जो वाक़ई अल्लाह वाले थे। बहीरा राहिब ईसाई था जिसने हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم को बचपन में पहचाना था। इसी तरह वरक़ा बिन नौफल ने हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم किस सबसे पहले तस्दीक़ की थी और बताया था कि ऐ मुहम्मद (صلی اللہ علیہ وسلم) आप पर वही नामूस नाज़िल हुआ है जो इससे पहले हज़रत मूसा और हज़रत ईसा (अलै०) पर नाज़िल हुआ था। वरक़ा बिन नौफल थे तो अरब के रहने वाले, लेकिन वह हक़ की तलाश में शाम गये और ईसाईयत इख़्तियार की। वह इब्रानी ज़बान में तौरात लिखा करते थे। यह उस दौर के चंद ईसाई उलमा और राहिबों की मिसालें हैं। लेकिन वह “**قَسْبِيسِينَ**” और “**رُهْبَانَ**” अब आपको ईसाईयों में नहीं मिलेंगे, वह दौर ख़त्म हो चुका है। यह उस वक्त की बात है जब कुरान नाज़िल हो रहा था। इसके बाद जो सूरते हाल बदली है और सलेबी जंगों के अन्दर ईसाईयत ने जो वहशत और बरबरियत दिखाई है, और ईसाई उलमा और मज़हबी पेशवाओं ने जिस तरह मुसलमानों के खून से होली खेली है और अपनी क्रौम से इस सिलसिले में जो कारनामे अंजाम दिलवाये हैं वह तारीख़ के चेहरे पर बहुत ही बदनुमा दाग़ है।

आयत 83

“और जब इन्होंने सुनी वह चीज़ जो कि रसूल (صلی اللہ علیہ وسلم) पर नाज़िल की गयी थी”

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ

“तो तुम देखते हो कि हक़ की जो पहचान उन्हें हासिल हुई उसके ज़ेरे असर उनकी आँखों से आँसू रवाँ हो गये।”

تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا
مِنَ الْحَقِّ

यह एक वाक़िये की तरफ़ इशारा है। मक्की दौर में जब सहाबा रज़ि० हिजरत करके हबशा गये थे तो उनके ज़रिये से वहाँ कुछ लोगों ने इस्लाम कुबूल कर लिया था। फिर जब मदीना मुनव्वरा में इस्लाम का गलबा हो गया और अरब में अमन कायम हो गया तो उनका एक वफ़द मदीना आया जो सत्तर (70) अफ़राद पर मुश्तमिल था और उसमें कुछ नव मुस्लिम भी शामिल थे। आयत ज़ेरे नज़र में उस वफ़द के अरकान का ज़िक़्र है कि जब उन्होंने कुरान सुना तो

यह बहुत अहम बात है। मक्का के मुशरिकीन भी मुसलमानों के दुश्मन थे, लेकिन उनकी दुश्मनी कमसे कम खुली दुश्मनी थी, उनका दुश्मन होना बिल्कुल ज़ाहिर व बाहर था, वह सामने से हमला करते थे। लेकिन मुसलमानों से बदतरीन दुश्मनी यहूद की थी, वह आस्तीन के साँप थे और साज़िश अंदाज़ में मुसलमानों को नुक़सान पहुँचाने में मुशरिकीने मक्का से कहीं आगे थे। आज भी यहूद और हिन्दू मुसलमानों की दुश्मनी में सबसे आगे हैं, क्योंकि इस क्रिस्म (बुत परस्ती) का शिर्क तो अब सिर्फ़ हिन्दुस्तान में रह गया है, और कहीं नहीं रहा। हिन्दुस्तान के भी अब यह सिर्फ़ निचले तबक़े में है जबकि आम तौर पर ऊपर के तबक़े में नहीं है। लेकिन बहरहाल अब भी मुसलमानों के खिलाफ़ यहूद और हिन्दू का गठजोड़ है।

“और तुम लाज़िमन पाओगे मवदत (दोस्ती) के ऐतबार से करीब-तरीन अहले ईमान के हक़ में उन लोगों को जिन्होंने कहा कि हम नसारा हैं।”

وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ
قَالُوا إِنَّا كُفْرًا

यह तारीखी हक़ीक़त है और सीरते मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم से साबित है कि जिस तरह की शदीद दुश्मनी उस वक़्त यहूद ने आप صلی اللہ علیہ وسلم से की वैसी नसारा ने नहीं की। हज़रत नजाशी रहि० (शाहे हबशा) ने उस वक़्त के मुस्लमान मुहाजिरों को पनाह दी, मक़ोक़स (शाहे मिस्र) ने भी हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم की ख़िदमत में हदिये भेजे। हरकुल ने भी हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم के नामाये मुबारक का अहताराम किया। वह चाहता भी था कि अगर मेरी पूरी क्रौम मान ले तो हम इस्लाम कुबूल कर लें। नजरान के ईसाईयों का एक वफ़द आप صلی اللہ علیہ وسلم की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, जिसका ज़िक्र सूरह आले इमरान (आयत 61) में हम पढ़ चुके हैं। वह लोग अगरचे मुस्लमान तो नहीं हुए मगर उनका रवैय्या इन्तहाई मोहतात रहा। बहरहाल यह हक़ीक़त है कि हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم के ज़माने में मुसलमानों के खिलाफ़ ईसाईयों की मुखालफ़त में वह शिद्दत ना थी जो यहूदियों की मुखालफ़त में थी।

“यह इसलिये कि उन (ईसाईयों) में आलिम भी मौजूद हैं और दरवेश भी और (इसलिये भी कि) वह तकब्वर नहीं करते।”

ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِيَسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَاَتَمَّهُمْ
لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ۝

हैं जो जहन्नमी हैं”

أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٧٧﴾

आयात 87 से 93 तक

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْزِنُوا طَيِّبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْمُعْتَدِينَ ﴿٧٨﴾ وَكُلُوا إِنَّمَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ
 ﴿٧٩﴾ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ
 فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ
 تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ
 وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٠﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
 آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
 فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٨١﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ
 وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ
 مُنتَهُونَ ﴿٨٢﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحذَرُوا ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا إِنَّمَا
 عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿٨٣﴾ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا
 طَعَمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا
 وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٤﴾

खाने-पीने की चीज़ों में हिल्लत व हु्रमत और तहलील व तहरीम इल्हामी शरीअतों का एक अहम मौजू रहा है। कुरान हकीम में भी बार-बार इन मसाइल पर बहस की गयी है और यह मौजू सूरतुल बकररह से मुसलसल चल रहा है। अरबों के यहाँ नस्ल दर नस्ल राइज मुशरिकाना अवाहम की वजह से बहुत सी चीज़ों के बारे में हिल्लत व हु्रमत के ग़लत तसव्वुरात ज़हनों में पुख्ता हो चुके थे। इस क्रिस्म के ख्यालात ज़हनों, दिलों और

हक़ को पहचान लेने की वजह से उनकी आँखों से आँसुओं की लड़ियाँ जारी हो गयीं।

“(और) वह कह रहे हैं, ऐ हमारे रब हम ईमान ले आये, पस तू हमें लिख ले गवाही देने वालों में से।”

يَقُولُونَ رَبَّنَا أَمَّا فَأَكُفُّنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٧﴾

आयत 84

“और हमें क्या हुआ है कि हम ईमान ना लायें अल्लाह पर और उस हक़ पर जो हम तक पहुँच गया है”

وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ

“और हमें तो बड़ी ख्वाहिश है कि दाखिल करे हमें हमारा रब नेकोकार लोगों के साथ।”

وَتَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ

الضَّالِّحِينَ ﴿٥٨﴾

आयत 85

“तो अल्लाह ने उनके इस क़ौल के बदले उन्हें वह बागात अता किये जिनके दामन में नदियाँ बहती हैं, जिनमें वह हमेशा रहेंगे।”

فَأَنبَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَدَّتْ نَجْرِيٌّ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خُلِدِينَ فِيهَا

“और यही बदला है अहसान की रविश इख्तियार करने वालों का।”

وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٩﴾

जो खुश किस्मत नफूस इस्लाम कुबूल करें, और इस्लाम के बाद ईमान और फिर ईमान से आगे बढ़ कर अहसान के दर्जे तक पहुँच जायें उनका बदला यही है।

आयत 86

“रहे वह लोग जिन्होंने इन्कार किया और झुठला दिया हमारी आयात को, तो वही लोग

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ

बगैर किसी इरादे के खाई जाती हैं, उन पर कोई गिरफ्त नहीं है। जैसे वल्लाह, बिल्लाह वगैरह का तकिया कलाम के तौर पर इस्तेमाल अरबों की खास आदत थी और आज भी है। ज़ाहिर है इसको सुन कर कोई भी यह नहीं समझता कि यह शख्स बाकायदा क्रसम खा रहा है। तो ऐसी सूरत में कोई मुआख़ज़ा नहीं है।

“लेकिन वह (ज़रूर) मुआख़ज़ा करेगा तुमसे उन क्रसमों पर जिनको तुमने पुख़्ता किया है।”

وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ

عقد से बाबे तफ़ईल है। यानि पूरे अहतमाम के साथ एक बात तय की गयी और उस पर किसी ने क्रसम खाई। अब अगर ऐसी क्रसम टूट जाये या उसको तोड़ना मक़सूद हो तो उसका कफ़ारा अदा करना होगा।

“सो उसका कफ़ारा है खाना खिलाना दस मसाकीन को, औसत दर्जे का खाना जैसा तुम अपने घर वालों को खिलाते हो”

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ

“या उनको कपड़े पहनाना”

أَوْ كِسْوَتُهُمْ

“या किसी गुलाम को आज़ाद करना।”

أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

“फिर जो कोई इसकी इस्तताअत ना रखता हो वह तीन दिन के रोज़े रखे।”

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

यानि अगर किसी के पास इन तीनों में से कोई सूरत भी मौजूद ना हो, कोई शख्स खुद फ़कीर और मुफ़लिस हो, उसके पास कुछ ना हो तो वह तीन दिन के रोज़े रख ले।

“यह कफ़ारा है तुम्हारी क्रसमों का जब तुम क्रसम खा (कर तोड़) बैठो।”

ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ

“और अपनी क्रसमों की हिफ़ाज़त किया करो।”

وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ

मिज़ाजों से निकलने में वक़्त लगता है। इसलिये बार-बार इन मसाइल की तरफ़ तवज़ो दिलाई जा रही है।

आयत 87

“ऐ ईमान वालो, ना हराम ठहरा लो उन चीज़ों को जिनको अल्लाह ने तुम्हारे लिये हलाल किया है”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْمِلُوا ظِلْمَ مَا أَحَلَّ
اللَّهُ لَكُمْ

“और हद से तजावुज़ ना करो।”

وَلَا تَعْتَدُوا

बाज़ अवक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ लोग तक़वे के जोश में और बहुत ज़्यादा नेकी कमाने के ज़ब्बे में भी कई हलाल चीज़ों को अपने ऊपर हराम कर बैठते हैं, इसलिये फ़रमाया गया कि हद से तजावुज़ ना करो।

“यक़ीनन अल्लाह हद से तजावुज़ करने वालों को पसंद नहीं करता।”

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾

आयत 88

“और खाओ उन हलाल और पाकीज़ा चीज़ों में से जो अल्लाह ने तुम्हें दी हैं”

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا

यानि वह चीज़ें जो क़ानूनी तौर पर हलाल हों और ज़ाहिरी तौर पर भी साफ़-सुथरी हों।

“और उस अल्लाह का तक़वा इख़्तियार किये रखो जिस पर तुम्हारा ईमान है।”

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

आयत 89

“अल्लाह तआला मुआख़ज़ा नहीं करेगा तुमसे तुम्हारी उन क़समों में जो लगव होती हैं”

لَا يُوَاحِدُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ أَيْمَانِكُمْ

क़समों के सिलसिले में सूरतुल बकरह (आयत 225) में हिदायात गुज़र चुकी हैं, अब यहाँ इस ज़िंमन में आखरी हुक़म आ रहा है। यानि ऐसी क़समें जो

फ़सादात जन्म लेंगे। बाज़ अवक्रात ऐसा भी होता है कि हुकूमती और रियासती सतह के बड़े-बड़े राज़ शराब के नशे में चुरा लिये जाते हैं। तो अल्लाह तआला तुम्हें इन चीज़ों से बचाना चाहता है, जबकि शैतान चाहता है कि तुम्हारे माबैन अदावत और बुग़ज़ पैदा करे। इसी तरह जुए से भी बुग़ज़ व अदावत की कोंपलें फूटती हैं। मसलन एक आदमी जुए में हार जाता है, फिर पे-दर-पे हारता चला जाता है। एक वक़्त आता है कि वह फट पड़ता है और गुस्से में आग बबूला होकर आपे से बहार हो जाता है। इसलिये कि उसे नज़र आ रहा है कि मेरा जो हरीफ़ मुझसे जीत रहा है वह किसी मेहनत की वजह से नहीं जीत रहा। किसी ने मेहनत और कोशिश से कुछ कमाया हो तो उससे दूसरे को जलन महसूस नहीं होती, लेकिन जुए में बेमेहनत की कमाई होती है जिसे मुखालिफ़ फ़रीक़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, और इस तरह इंसानी ताल्लुक्रात में कई मनफ़ी पेचीदगियाँ जन्म लेती हैं।

“और (शैतान यह भी चाहता है कि) तुम्हें وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ
रोके अल्लाह की याद से और नमाज़ से।”

अल्लाह के ज़िक़ और नमाज़ से रोकने वाला मामला भी शराब का तो बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन जुए में भी यँ ही होता है कि आदमी एक बार इसमें लग जाये तो फिर वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। जैसा कि ताश और शतरंज वगैरह भी ऐसे खेल हैं कि इनमें मशगूल होकर इन्सान ज़िक़ और नमाज़ जैसी चीज़ों से बिल्कुल ग़ाफ़िल हो जाता है।

“तो अब बाज़ आते हो या नहीं?”

فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ⑤

यह अंदाज़ बड़ा सख़्त है और इसका एक ख़ास पसमंज़र है। शराब और जुए के बारे में एक वाज़ेह हिदायत क़ब्ल अज़ (सूरतुल बक़रह, आयत:219 में) आ चुकी थी: {فِيهِمَا أَنْتُمْ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا آكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} “इन दोनों के अन्दर बहुत बड़े गुनाह के पहलु हैं, और लोगों के लिये कुछ फ़ायदे भी हैं, अलबत्ता इनका गुनाह का पहलु नफ़े के पहलु से बड़ा है।” तो उसी वक़्त तुम्हें समझ लेना चाहिये था और बाज़ आ जना चाहिये था। उस पहले हुक़म में अल्लाह तआला की मसलहत, मशीयत और शरीअत का रुख तो वाज़ेह हो गया था। फिर अगला क़दम उठाया गया और हुक़म दिया गया: “जब तुम लोग शराब के नशे में हो तो नमाज़ के क़रीब मत जाओ....” (अन्निसा:43)। इससे तो पूरे

यानि जब किसी सही मामले में बिल इरादा क़सम खाई जाये तो उसे पूरा किया जाये, और अगर किसी वजह से क़सम तोड़ने की नौबत आ जाये तो उसे तोड़ने का बाक़ायदा कफ़ारा दिया जायेगा।

“इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिये अपनी आयात को वाज़ेह फ़रमा रहा है ताकि तुम शुक्र करो।”

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٠﴾

अब शराब और जुए के बारे में भी आखरी हुकम आ रहा है।

आयत 90

“ऐ अहले ईमान, यक़ीनन शराब और जुआ, बुत और पांसे, यह सब गंदे काम हैं शैतान के अमल में से, तो इनसे बच कर रहो ताकि तुम फ़लाह पाओ।”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

शराब और जुए के बारे में तो पहले भी हुकम आ चुका है, लेकिन “अَنْصَاب” और “اَزْلَام” का यहाँ इज़ाफ़ा किया गया है। अन्साब से मुराद बुतों के स्थान हैं और अज़्लाम जुए ही की एक किस्म थी जिसमें अहले अरब तीरों के ज़रिये पांसे डालते थे, कुर्रा अंदाज़ी करते थे। इन तमाम कामों को “رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ” करार दे दिया गया।

आयत 91

“शैतान तो यह चाहता है कि तुम्हारे दरमियान दुश्मनी दुश्मनी और बुग़ज़ पैदा कर दे शराब और जुए के ज़रिये से”

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

यह बहुत अहम बात है, क्योंकि शराब के नशे में इन्सान अपना होश और शऊर खो बैठता है। ऐसी हालत में उसको कुछ ख़बर नहीं रहती कि वह मुँह से क्या बकवास कर रहा है और उसके आज्ञा व जवारह (अंगों) से क्या अफ़आल सरज़द हो रहे हैं, लिहाज़ा कुछ नहीं कहा जा सकता कि ऐसी हालत में किसी बात या किसी हरकत से क्या-क्या गुल खिलेंगे, कैसे-कैसे झगड़े और

फ़रमाया गया था: { وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ } “अल्लाह तुम्हारे ईमान को ज़ाया करने वाला नहीं है।” ऐसे ही यहाँ उनकी दिलजोई के लिये फ़रमाया:

आयत 93

“उन लोगों पर जो ईमान लाये और नेक अमल किये कोई गुनाह नहीं है उसमें जो वह (पहले) खा-पी चुके”

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
جُنَاحٌ فِيمَا طَعَمُوا

किसी शय की हुरमत के क़तई हुक्म आने से पहले जो कुछ खाया-पिया गया, उसका कोई गुनाह उन पर नहीं रहेगा। यह कोई हड्डियों में बैठ जाने वाली शय नहीं है, यह तो शरई और अख़लाक़ी क़ानून (Moral Law) का मामला है, तबई क़ानून (Physical Law) का नहीं है। तबई (Physical) तौर पर तो कुछ चीज़ों के असरात वाक़ई दाइमी हो जाते हैं, लेकिन Moral Law का मामला यक्सर मुख्तलिफ़ है। गुनाह तो ओहद पहाड़ के बराबर भी हो तो सच्ची तौबा से बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। अज़रए हदीस नबवी صلی اللہ علیہ وسلم: ((الْثَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ)) “गुनाह से हक़ीक़ी तौबा करने वाला बिल्कुल ऐसे है जैसे उसने कभी वह गुनाह किया ही नहीं था।” सिदक़े दिल से तौबा की जाये तो नामाये आमाल बिल्कुल धुल जाता है। लिहाज़ा ऐसी किसी तशवीश को बिल्कुल अपने क़रीब मत आने दो।

“जब तक वह तक्रवा की रविश इख़्तियार किये रखें और ईमान लायें और नेक अमल करें, फिर मज़ीद तक्रवा इख़्तियार करें और ईमान लायें, फिर और तक्रवा में बढ़ें और दर्जा-ए-अहसान पर फ़ाइज़ हो जायें। और अल्लाह तआला मोहसिनों से मोहब्बत करता है।”

إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ
اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٣﴾

यह दरअसल तीन दर्जे हैं। पहला दर्जा ‘इस्लाम’ है। यानि अल्लाह को मान लिया, रसूल صلی اللہ علیہ وسلم को मान लिया और उसके अहकाम पर चल पड़े। इससे ऊपर का दर्जा ‘ईमान’ है, यानि दिल का कामिल यक़ीन, जो ईमान के दिल में उतर जाने से हासिल होता है। { وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ إِلِيمَانٌ وَرَبُّكُمْ فِي قُلُوبِكُمْ } (अल्

तौर से वाज़ेह हो जना चाहिये था कि दीन का अहमतरिन सुतून नमाज़ है: ((الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ)) और यह शराब नमाज़ से रोक रही है, तो तुम्हें यह छोड़ देनी चाहिये थी। बहरहाल अब आखरी बात अल्लाह तआला की तरफ़ से आ गयी है, तो इसे सुन कर क्या अब भी बाज़ नहीं आओगे?

आयत 92

“और इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल (ﷺ) की और (उनकी नाफ़रमानी से) बचते रहो।”

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا

“फिर अगर तुम पीठ मोड़ लोगे तो जान लो कि हमारे रसूल (ﷺ) पर तो ज़िम्मेदारी है बस साफ़-साफ़ पहुँचा देने की।”

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَبُوا أَلْمَاءَ عَلَى رَسُولِنَا الْبَلِغِ الْمُبِينِ ﴿٩٢﴾

यह अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह का हुक्म पहुँचाना रसूल (ﷺ) के ज़िम्मे था, तो रसूल (ﷺ) ने पहुँचा कर अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर दी, अब मामला अल्लाह का और तुम्हारा होगा। अल्लाह तुमसे निमट लेगा, तुमसे हिसाब ले लेगा।

अब जो अगली आयत आ रही है यह भी कुरान मजीद के फ़लसफ़े और हिकमत के ज़िम्मे में बहुत बुनियादी आयत है। इसका पसमंज़र यह है कि जब शराब के बारे में इतना सख्त अंदाज़ आया कि शराब और जुआ गंदे शैतानी काम हैं, इनसे बाज़ आते हो या नहीं? तो बहुत से मुसलमानों को तशवीश (चिंता) लाहक़ हो गई कि हम जो इतने अरसे तक शराब पीते रहे तो यह गन्दगी तो हमारी हड्डियों में बैठ गयी होगी। आज साइंस की ज़बान में जैसे कोई शख्स कहे कि मेरे जिस्म का तो कोई एक खला (cell) भी ऐसा नहीं होगा जिसमें शराब के असरात ना पहुँचे हों। तो अब हम कैसे पाक होंगे? अब किस तरीक़े से यह गन्दगी हमारे जिस्मों से धुलेगी? उनकी यह तशवीश (चिंता) बजा (ठीक) थी। जैसे तहवीले क़िब्ला के वक़्त तशवीश पैदा हो गई थी कि अगर असल क़िब्ला बैतुल्लाह था और हम बैतुल मक़दस की तरफ़ रुख करके नमाज़ें पढ़ते रहे तो वह नमाज़ें तो ज़ाया हो गईं, और नमाज़ ही तो ईमान है। तो इस पर मोमिनीन की तसल्ली के लिये (सूरतुल बक़रह:143 में)

बजाये इस्लाम से बताया गया है। इसलिये कि जब ईमान दिल में उतर कर यक़ीन की सूरत इख़्तियार कर जाये तो फिर आमाल का ज़िक्र अलग से करने की ज़रूरत नहीं रहती। ईमान के इस मरहले पर आमाल लाज़िमन दुरुस्त हो जायेंगे। फिर ईमान जब दिल में मज़ीद गहरा और पुख़्ता होता है तो आमाल भी मज़ीद दुरुस्त होंगे। यूँ समझिये कि जितना-जितना दरख़्त ऊपर जा रहा है उसी निस्वत से जड़ नीचे गहराई में उतर रही है। ईमान की जड़ ने दिल की ज़मीन में करार पकड़ा तो इस्लाम से ईमान बन गया। जब यह जड़ मज़ीद गहरी हुई तो तीसरी मंज़िल यानि अहसान तक रसाई हो गयी और यहाँ आमाल में मज़ीद निखार पैदा हुआ। चुनाँचे जब हज़रत जिब्राइल अलै० ने अहसान के बारे में पूछा तो आप ﷺ ने फ़रमाया: “अहसान यह है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया कि तुम उसे देख रहे हो....” आप ﷺ का जवाब तीन रिवायतों में तीन मुख्तलिफ़ अल्फ़ाज़ में नक़ल हुआ है:

أَنْ تَعْمَلَ لِلَّهِ كَأَنَّكَ تَرَاهُ... (3) أَنْ تَخْشَى اللَّهَ تَعَالَى كَأَنَّكَ تَرَاهُ... (2) أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ... (1)

अगले अल्फ़ाज़ ((فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ)) तीनों रिवायतों में यक़सां हैं। यानि एक बंदा-ए-मोमिन अल्लाह की बन्दगी, अल्लाह की परस्तिश, अल्लाह के लिये भाग-दौड़, अल्लाह के लिये अमल, अल्लाह के लिये जिहाद ऐसी कैफ़ियत से सरशार (समर्पित) होकर कर रहा हो गोया वह अपनी आँखों से अल्लाह को देख रहा है। तो जब अल्लाह सामने होगा, तो फिर कैसे कुछ हमारे जज़्बाते अबदियत होंगे, कैसी-कैसी हमारी क़ल्बी कैफ़ियात होंगी। इस दुनिया में भी यह कैफ़ियत हासिल हो सकती है, लेकिन यह कैफ़ियत बहुत कम लोगों को हासिल होती है। चुनाँचे अगर यह कैफ़ियत हासिल ना हो सके तो अहसान का एक इससे निचला दर्जा भी है। यानि कम से कम यह बात हर वक़्त मुस्तहज़र रहे कि अल्लाह मुझे देख रहा है। तो यह हैं वह तीन दर्जे जिनका ज़िक्र इस आयत में है।

“तहरीके इस्लामी की अख़्लाकी बुनियादें” मौलाना मौदूदी मरहूम की एक क़ाबिले क़द्र किताब है। इसमें मौलाना ने इस्लाम, ईमान, अहसान और तक्रवा चार मरातिब बयान किये हैं। लेकिन मेरे नज़दीक तक्रवा अलैहदा से कोई मरतबा व मक़ाम नहीं है। तक्रवा वह रूह (Spirit) और वह कुव्वते मोहरका (driving force) है जो इन्सान को नेकी की तरफ़ धकेलती और उभारती है। चुनाँचे आयत ज़ेरे नज़र में तक्रवा की तकरार का मफ़हूम यूँ है कि तक्रवा ने आपको baseline से ऊपर उठाया और अब आपके ईमान और

हुजरात:7) के मिस्दाक ईमान क़ल्ब में उतर जायेगा तो आमाल की कैफ़ियत बदल जायेगी, आमाल में एक नयी शान पैदा हो जायेगी, ज़िन्दगी के अन्दर एक नया रंग आ जायेगा जोकि ख़ालिस अल्लाह का रंग होगा। अज़रुए अल्फ़ाज़े कुरानी: {صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً} (सूरह बकरह:138)। और इससे भी आगे जब ईमान “अय्तुल यक्कीन” का दर्जा हासिल कर ले तो यही दर्जा अहसान है। हदीसे नबवी صلی اللہ علیہ وسلم में इसकी कैफ़ियत यह बयान हुई है: ((أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ)) “यह कि तू अल्लाह की इबादत इस तरह करे गोया कि तू उसे देख रहा है, और अगर तू उसे नहीं देख रहा (यह कैफ़ियत पैदा नहीं हो रही) तो फिर (यह कैफ़ियत तो पैदा होनी चाहिये कि) वह तुझे देखता है।” यानि तुम अल्लाह की बन्दगी करो, अल्लाह के लिये जिहाद करो, उसकी राह में भाग-दौड़ करो, और इसमें तक़्वा की कैफ़ियत ऐसी हो जाये कि जैसे तुम अल्लाह को अपनी आँखों से देख रहे हो।

अहसान की यह तारीफ़ “हदीसे जिब्राइल” में मौजूद है। इस हदीस को उम्मुस सुन्नत कहा गया है, जैसे सूरतुल फ़ातिहा को उम्मुल कुरान का नाम दिया गया है। जिस तरह सूरतुल फ़ातिहा असासुल कुरान है, इसी तरह हदीसे जिब्राइल (अलै०) सुन्नत की असास है। इस हदीस में हमें यह तफ़सील मिलती है कि हज़रत जिब्राइल अलै० इंसानी शक़ल में हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم के पास आये। सहाबा रज़ि० का मजमा था, वहाँ उन्होंने कुछ सवालात किये। हज़रत जिब्राइल अ० ने पहला सवाल इस्लाम के बारे में किया: **يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ!** इसके जवाब में आप صلی اللہ علیہ وسلم ने फ़रमाया: “इस्लाम यह है कि तुम इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई मअबूद नहीं और मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم अल्लाह के रसूल हैं, नमाज़ कायम करो, ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो और बैतुल्लाह का हज करो अगर तुम्हें इसके लिये सफ़र की इस्तताअत हो।” यानि इस्लाम के ज़िमन में आमाल का ज़िक्र आ गया। फिर जिब्राइल अलै० ने कहा कि मुझे ईमान के बारे में बतलाइये! इस पर आप صلی اللہ علیہ وسلم ने फ़रमाया: “यह कि तुम ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके फ़रिशतों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, यौमे आख़िरत पर और तक़दीर की अच्छाई और बुराई पर।” अब यहाँ यह नुक्ता गौरतलब है कि ईमान तो इस्लाम में भी मौजूद है, यानि ज़बानी और क़ानूनी ईमान, लेकिन दूसरे दर्जे में ईमान को इस्लाम से अलैहदा किया गया है और आमाले सालेहा का ताल्लुक़ ईमान के

आयात 94 से 100 तक

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَبِئْسَ مَا كُنُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالَهُ آيِدِيكُمْ وَرِمَاكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٤﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۖ وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُّتَعَدِّيًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكِ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَن عَادَ فَيَنْتَقِمِ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٩٥﴾

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلْيَتِيمِ ۗ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمُّمُ حُرْمًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ۚ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٩٧﴾

إِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٩٨﴾

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٩٩﴾

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْحَبِيبُ وَالظَّالِمُ وَلَوْ أَحْبَبْتَ كَثْرَةَ الْحَبِيبِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠٠﴾

इस सूरह मुबारका के शुरू में हालते अहराम में शिकार करने की मुमानियत (prohibition) आ चुकी है। अब अल्लाह की उस सुन्नत का जिक्र है कि अल्लाह अपने मानने वालों को आजमाता है, सख्त तरीन इस्तिहान लेता है। फ़र्ज़ कीजिये कि हाजियों का एक काफ़िला जा रहा है, सबने अहराम बाँधा हुआ है, इत्तेफ़ाक़ से उनके पास खाने को कुछ भी नहीं। अब एक हिरन अठखेलियाँ करते हुए क़रीब आ रहा है, भूख भी सता रही है, ज़रूरत भी है, चाहे तो ज़रा सा नेज़ा मारें और शिकार कर लें या वैसे ही भाग कर पकड़ लें, लेकिन पकड़ नहीं सकते, शिकार नहीं कर सकते, क्योंकि अहराम में हैं और इस हालत में इजाज़त नहीं है। तो अल्लाह तआला अपने बन्दों को इस तरह आजमाता है।

अमले सालेह में और रंग पैदा हो गया {إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} फिर तक्रवा में मज़ीद इज़ाफ़ा हुआ और तक्रवा ने आपको मज़ीद ऊपर उठाया तो अब वह यक़ीन वाला ईमान पैदा हो गया { تُمْ اتَّقُوا وَآمَنُوا } अब यहाँ अमले सालेह के अलैहदा ज़िक्र की ज़रूरत ही नहीं। जब दिल में ईमान उतर गया तो आमाल खुद-ब-खुद दुरुस्त हो गये। फिर तक्रवा अगर मज़ीद रूबा तरक्की है {تُمْ اتَّقُوا} तो उसके नतीजे में { وَأَحْسَنُوا } का दर्जा आ जायेगा, यानि इन्सान दर्जा-ए-अहसान पर फ़ाइज़ हो जायेगा। (اللهم ربنا اجعلنا منهم.)

ईमान और तक्रवा से आमाल की दुरुस्ती के ज़िम्न में नबी अकरम صلی اللہ علیہ وسلم का यह फ़रमान पेशे नज़र रहना चाहिये:

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ
 “आगाह रहो, यक़ीनन जिस्म के अन्दर एक गोश्त का लोथड़ा है, जब वह दुरुस्त हो तो सारा जिस्म दुरुस्त होता है और जब वह बिगड़ जाये तो सारा जिस्म बिगड़ जाता है। आगाह रहो कि वह दिल है।”

“और अल्लाह ऐसे मोहसिन बन्दों को महबूब रखता है।”

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٠﴾

अल्लाह के जो बन्दे दर्जा-ए-अहसान तक पहुँच जाते हैं वह उसके महबूब बन जाते हैं।

इस सूरह मुबारका (आयत 71) में पहले एक ग़लत रास्ते की निशानदेही की गयी थी: {فَعَبُّوا وَصَمُّوا تُمْ عَمُّوا وَصَمُّوا....} यह गुमराही व ज़लालत के मुख्तलिफ़ मराहिल का ज़िक्र है कि वह अंधे और बहरे हो गये, अल्लाह ने फिर ढील दी तो उस पर वह और भी अंधे और बहरे हो गये, अल्लाह ने मज़ीद ढील दी तो वह और ज़्यादा अंधे और बहरे हो गये। उस रास्ते पर इन्सान क्रदम-ब-क्रदम गुमराही की दलदल में धँसता चला जाता है। मगर एक रास्ता यह है, हिदायत का रास्ता, इस्लाम, ईमान, अहसान और तक्रवा का रास्ता। यहाँ इन्सान को दर्जा-ब-दर्जा तरक्की मिलती चली जाती है।

“जिसका फ़ैसला तुम में से दो आदिल आदमी करेंगे”

يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ

यानि दो मुत्तक्री और मोअतबर अशखास इसकी गवाही देंगे कि यह जानवर उस शिकार किये जाने वाले जानवर के बराबर है।

“यह नज़र की हैसियत से खाना काबा तक पहुँचाया जाये”

هَذَا بِلِغِ الْكَعْبَةِ

यह जानवर हदी के तौर पर खाना काबा की नज़र किया जायेगा।

“या फिर उसका कफ़ारा है कुछ मसाकीन को खाना खिलाना”

أَوْ كَفَّارَةً طَعَامٍ مَسْكِينٍ

इसमें फ़ुक़हा ने लिखा है कि अगर अनाज या रक़म देना हो तो वह सदक़ाये फ़ितर के हिसाब से होगी।

“या उतने ही रोज़े रखना”

أَوْ عَدْلٌ ذَلِكِ صِيَامًا

यह देखना होगा कि जो जानवर शिकार हुआ है उसे कितने आदमी खा सकते थे। उतने आदमियों को खाना खिलाया जाये या उतने दिन के रोज़े रखे जायें।

“ताकि वह अपने किये की सज़ा चखे।”

لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ

“अल्लाह माफ़ कर चुका है जो पहले हो चुका है।”

عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفُ

“लेकिन जो कोई फिर ऐसा करेगा तो अल्लाह उससे इन्तेक़ाम लेगा, और यक़ीनन अल्लाह तआला ज़बरदस्त है, इन्तेक़ाम लेने वाला।”

وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو
اِنْتِقَامٍ ﴿٩٦﴾

आयत 96

“(अलबत्ता) तुम्हारे लिये हलाल कर दिया गया है समुन्दर का शिकार और उसका खाना”

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ

आयत 94

“ऐ अहले ईमान! अल्लाह तुम्हें लाज़िमन आज़माएगा किसी ऐसे शिकार के ज़रिये”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْيَبَلُوكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ
الصَّيْدِ

“जिसको पहुँचते होंगे (आसानी से) तुम्हारे हाथ और नेज़े”

تَتَأَلَّهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ

“ताकि अल्लाह देख ले उन लोगों को जो गैब में होते हुए भी उससे डरते रहते हैं”

لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ

शिकार पहुँच में भी है, उनके हाथों और नेज़ों की ज़द में है, ज़रूरत भी है, चाहे तो शिकार कर लें, लेकिन मजबूर हैं, क्योंकि अहराम बाँधा हुआ है। तो जिसके दिल में ईमान होगा तो वह अपनी भूख को बर्दाश्त करेगा, अल्लाह के हुक्म को नहीं तोड़ेगा।

“अब इसके बाद जिसने ज़्यादाती की तो उसके लिये दर्दनाक अज़ाब है।”

فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٤﴾

आयत 95

“ऐ ईमान वालो! जब तुम अहराम की हालत में हो तो किसी शिकार को क़त्ल मत करो।”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ
حُرْمٌ

“तो जो कोई तुम में से उसे क़त्ल (शिकार) कर बैठे जान-बूझ कर, तो फिर उसका कफ़़ारा होगा उसी तरह का एक चौपाया जैसा कि उसने क़त्ल किया”

وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُّتَعَدِّيًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا
قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ

कफ़़ारे के तौर पर अल्लाह की राह में वैसा ही एक चौपाया सदक़ा किया जायेगा। यानि अगर आपने हिरन मारा तो बकरी या भेड़ दी जायेगी और अगर नील गाय मार दी तो फिर गाय बतौर कफ़़ारा देना होगी। इस तरह जिस क्रिस्म और जिस जसामत का हैवान शिकार किया गया है, उसके बराबर का चौपाया सदक़ा करना होगा।

“यह इसलिये कि तुम अच्छी तरह जान लो कि अल्लाह तआला को आसमानों और ज़मीन की हर शय का इल्म है”

ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ

“और यह कि अल्लाह हर शय का इल्म रखता है।”

وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٤٧﴾

आगे चल कर इन चीज़ों के मुक़ाबले में उन चार चीज़ों का ज़िक्र आयेगा जो अहले अरब के यहाँ बग़ैर किसी सनद के हराम कर ली गयी थीं।

आयत 98

“जान लो कि अल्लाह सज़ा देने में बहुत सख्त है और यह कि अल्लाह ग़फ़ूर और रहीम भी है।”

اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٩٨﴾

यानि उसकी तो दोनों शानें एक साथ जलवागर हैं। अब देखो कि तुम अपने आपको किस शान के साथ मुताल्लिक कर रहे हो और खुद को कैसे सुलूक का मुस्तहिक बना रहे हो? उसकी अक़ूबत का या उसकी रहमत और मग़फ़िरत का?

आयत 99

“रसूल (صلی اللہ علیہ وسلم) पर सिवाय पहुँचा देने के और कोई ज़िम्मेदारी नहीं है।”

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ

“और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम ज़ाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो।”

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٩٩﴾

जब रसूल अल्लाह (صلی اللہ علیہ وسلم) ने पैगाम पहुँचा दिया तो बाक़ी सारी ज़िम्मेदारी तुम्हारी है।

आयत 100

“(ऐ नबी (صلی اللہ علیہ وسلم) कह दीजिये कि नापाक और पाक बराबर नहीं हो सकते, चाहे नापाक शय

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْحَبِيبُ وَالظَّالِمُ وَلَا

समुन्दर और दरिया का शिकार हालते अहराम में भी हलाल है। हाजी लोग अगर कशितयों और बहरी जहाज़ों के ज़रिये से सफ़र कर रहे हों तो वह अहराम की हालत में भी मछली वगैरह का शिकार कर सकते हैं।

“तुम्हारे लिये और मुसाफ़िरों के लिये ज़ादे राह के तौर पर।”

مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ

समुन्दर की खुराक (sea food) तो यूँ समझ लीजिये कि पूरी दुनिया के इंसानों के लिये गिज़ा का एक नया खज़ाना है जो सामने आया है। यह बहुत सी खराबियों और बीमारियों से बचाने वाली भी है। यही वजह है कि दुनिया में यह आज-कल बहुत मक़बूल हो रही है।

“लेकिन खुशकी पर शिकार करना तुम्हारे लिये हराम कर दिया गया है जब तक कि तुम अहराम में हो।”

وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا

“और अल्लाह का तक्रवा इख़्तियार किये रखो जिसकी तरफ़ तुम्हें जमा कर दिया जायेगा।”

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٧﴾

तुम सब उसकी तरफ़ घेराव करके ले जाये जाओगे।

आयत 97

“अल्लाह ने काबे को, जो कि बैतुल हराम है, लोगों के लिये क्रियाम का बाइस बना दिया है”

جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ

“और हरमत वाला महीना, कुबानी के जानवर और वह जानवर भी जिनके गलों में पट्टे डाल दिये गये हों”

وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ

यह सब अल्लाह तआला के शआइर (संस्कार) हैं और उसी के मुअय्यन करदा हैं। सूरत के शुरू में भी इनका ज़िक्र आ चुका है। यहाँ दरअसल तौसीक़ (confirmation) हो रही है कि यह सब चीज़ें ज़माना-ए-जाहिलियत की रिवायात नहीं हैं बल्कि खाना काबा की हरमत और अज़मत की अलामत हैं।

الْأَمِينِ ۝ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَتَّهَمًا اسْتَحَقَّ إِثْمًا فَأْخَرَنِ يَقُومِنِ مَقَامُهَا مِنَ الَّذِينَ
 اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأُولِينَ فَيُقْسِمَنِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتَيْهَا وَمَا
 اعْتَدَيْنَا ۗ إِنَّا إِذَا لَبِينِ الظَّالِمِينَ ۝ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهٍ أَوْ
 يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ آيْمَانِهِمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
 الْفَاسِقِينَ ۝

आयत 101

“ऐ अहले ईमान! उन चीजों के मुताल्लिक
 सवाल ना किया करो जो अगर तुम पर
 ज़ाहिर कर दी जायें तो तुम्हें बुरी लगे।”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءٍ إِن
 تُبَدَّلْكُمْ تَسْؤُكُمْ

यह एक खास किस्म की मज़हबी ज़हनियत का तज़क़िरा है। बाज़ लोग बिला ज़रूरत हर बात को खोदने, कुरेदने और बाल की खाल उतारने के आदी होते हैं। अगर किसी चीज़ के बारे में अल्लाह तआला ने खुद ख़ामोशी इख़्तियार फ़रमायी है तो उस बारे में ख्वाह मा ख्वाह सवाल करना अपनी ज़िम्मेदारी को बढ़ाने वाली बात है। चुनाँचे हज के बारे में जब सूरह आले इमरान (आयत 97) में हुक्म नाज़िल हुआ तो एक साहब ने सवाल किया कि हुज़ूर क्या हर साल हज फ़र्ज़ है? आप صلی اللہ علیہ وسلم ने सवाल सुन लिया लेकिन रुखे मुबारक दूसरी तरफ़ कर लिया। अब वह साहब उधर तशरीफ़ ले आये और फिर अर्ज़ किया, हुज़ूर क्या हज हर साल फ़र्ज़ है? हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم ने फिर ऐराज़ फ़रमाया। जब उन्होंने यही सवाल तीसरी मरतबा किया तो फिर आप صلی اللہ علیہ وسلم नाराज़ हुए और फ़रमाया कि देखो अगर मैं हूँ कह दूँ तो तुम लोगों पर क़यामत तक के लिये हर साल हज फ़र्ज़ हो जायेगा। जिस चीज़ में अल्लाह तआला ने अहतमाल (संभावना) रखा है उसमें तुम्हारी बेहतरी है। जो शख्स हर साल कर सकता हो वह हर साल कर ले, लेकिन फ़र्ज़ियत के साथ हर साल की क़ैद अल्लाह ने नहीं लगायी है। बेजा सवाल करके तुम अपने लिये तंगी पैदा ना करो। जैसे गाय के मामले में बनी इसराइल ने किया था कि उसका रंग कैसा हो? उसकी उम्र क्या हो? और कैसी गाय हो? वगैरह-वगैरह, जितने

की कसरत तुम्हें अच्छी लगे।”

أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْحَبِيبِ

इन्सान तो चाहता है कि उसके पास हर शय की बहुतात हो, लेकिन नाजायज़ और हराम तरीके से कमाया हुआ माल अगरचे कसरत से जमा हो गया हो मगर है तो खबीस और नापाक ही। बेशक उसकी चकाचौंध तुम्हारी आँखों को खीराह (प्रभावित) कर रही हो मगर उसमें तुम्हारे लिये कोई भलाई नहीं है। बक्रौल अल्लामा इक्रवाल:

नज़र को खैर करती है चमक तहज़ीबे हाज़िर की
यह सच्चाई मगर झूठे नगों की रेज़ा कारी है!

“तो अल्लाह का तक़वा इख़्तियार करो ऐ
होशमंदो, ताकि तुम फ़लाह पाओ।”

فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

○

आयात 101 से 108 तक

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَن أَشْيَاءٍ إِن بُدِّلَ لَكُمْ تَسْوُكُمْ وَإِن نَسَأَلُوا عَنْهَا
حِينَ يُنزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدِّلْكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ① قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن
قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ② مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ
وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ③
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ
آبَاءَنَا أُولُو كَانٍ آبَاءُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ④ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
عَلَيْكُمْ أَنفُسُكُمْ لَا يَصُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا
فِي نَبْئِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ⑤ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ
الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنِ دَوَا عَدَلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي
الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُوهُنَّ مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِنُ بِاللَّهِ
إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا نُشْهِرُ بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّيِّنُ

आयत 103

“अल्लाह ने ना तो बहीरा को कुछ चीज़ बनाया है, ना सायबा, ना वसीला और ना हाम को”

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ

इन चीज़ों के तक्कद्दुस की अल्लाह की तरफ़ से कोई सनद नहीं। बहीरा, सायबा, वसीला और हाम के बारे में बहुत से अक़वाल हैं, लेकिन जलीलुल क़द्र ताबई हज़रत सईद बिन मुसैब रहि० ने इन अल्फ़ाज़ की जो तफ़सील बयान की है, वह सही बुखारी (किताब तफ़सीरुल कुरान) में वारिद हुई है। मौलाना तक़ी उस्मानी साहब ने भी उसे अपने हवाशी में नक़ल किया है। बहीरा: ऐसा जानवर जिसका दूध बुतों के नाम कर दिया जाता था और कोई उसे अपने काम में ना लाता था। सायबा: वह जानवर जो बुतों के नाम पर, हमारे ज़माने के सांड की तरह, छोड़ दिया जाता था। वसीला: जो ऊँटनी मुसलसल मादा बच्चों को जन्म देती और दरमियान में कोई नर बच्चा पैदा ना होता, उसे भी बुतों के नाम पर छोड़ दिया जाता था। हाम: नर ऊँट जो एक ख़ास तादाद में जफ़ती (संभोग) कर चुका होता, उसे भी बुतों के नाम पर छोड़ दिया जाता था। इस तरह के जानवरों को बुतों के नाम मंसूब करके आज़ाद छोड़ दिया जाता था कि अब उन्हें कोई हाथ ना लगाये, कोई उनसे इस्तफ़ादा ना करे, कोई उनका गोशत ना ख़ाये ना सदक़ा दे, ना उनसे कोई ख़िदमत ले, बस उनका अहताराम किया जाये। लिहाज़ा वाज़ेह कर दिया गया कि अल्लाह तआला की तरफ़ से ऐसे कोई अहक़ाम नहीं दिये गये, बल्कि फ़रमाया:

“लेकिन यह काफ़िर अल्लाह पर इफ़तरा करते (झूठ ग़ढ़ते) हैं, और उनकी अक्सरियत अक्ल से आरी है।”

وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٣﴾

यह लोग बगैर सोचे समझे अल्लाह के ज़िम्मे झूठी बातें लगाते रहते हैं।

आयत 104

“और जब उन्हें कहा जाता है कि आओ उस चीज़ की तरफ़ जो अल्लाह ने नाज़िल

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ

सवालात करते गये उतनी ही शराइत लागू होती गयीं। इस नौइयत के सारे सवाल इसी ज़िमन में आते हैं।

“और अगर तुम सवाल करोगे, ऐसी चीज़ों के बारे में जबकि अभी कुरान का नुज़ूल जारी है तो तुम्हारे लिये वह ज़ाहिर कर दी जायेंगी।”

وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدَّلُ لَكُمْ

अल्लाह तआला ने अपनी हिकमत के तहत कई चीज़ों को परदे में रखा है, क्योंकि वह समझता है कि इनको ज़ाहिर करने में तुम्हारे लिये तंगी हो जायेगी, बोझ ज़्यादा हो जायेगा, यह तुम पर गिराँ गुज़रेंगी। लेकिन अगर सवाल करोगे तो फिर उनको ज़ाहिर कर दिया जायेगा।

“अल्लाह तआला ने इसमें दरगुज़र से काम लिया है, अल्लाह बख्शने वाला और बुर्दबार है।”

عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

वाज़ चीज़ों के बारे में जो अल्लाह ने तुम पर नरमी की है और तुम्हें तंगी से बचाया है, वह इसलिये है कि वह गफूर और हलीम है। यह किसी निस्वान, भूल या ग़लती की वजह से नहीं हुआ (माज़ अल्लाह!)

आयत 102

“तुमसे पहले एक क़ौम (अहले किताब) ने इस किस्म के सवालात किये थे और फिर वह उनका इन्कार करने वाले बन गये थे।”

قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ

अब यहाँ उन चीज़ों का ज़िक्र आ रहा है जो उनके यहाँ ख्वाह मा ख्वाह बहुत ज़्यादा मुक़द्दस हो गयी थीं। यह गोया अल्लाह तआला के उन चार शआइर के मुक़ाबले की चार चीज़ें हैं जिनका ज़िक्र पीछे आयत 97 में हुआ है:

{جَعَلَ اللَّهُ الْكُفْرَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قَبْلاً لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ} वहाँ इन चार चीज़ों की तौसीक की गयी थी कि वह वाक़िअतन अल्लाह की शरीअत के अजज़ा हैं, उनका अहतराम और उनकी हुरमत को मलहूज़ रखना अहले ईमान पर लाज़िम है। लेकिन यहाँ तवज्जो दिलाई जा रही है कि कुछ चीज़ें तुम्हारे यहाँ ऐसी राइज हैं जो दौरे जाहिलियत के मुशरिकाना अवहाम (अंधविश्वास) की यादगारें हैं। चुनाँचे फ़रमाया:

जाना है, और वह तुम्हें बता देगा जो कुछ तुम करते रहे थे।”

تَعْلُونَ ﴿١٠﴾

यह आयत इस लिहाज़ से बहुत अहम है कि इसका एक ग़लत मतलब और मफ़हूम दौरे सहाबा रज़ि० में ही बाज़ लोगों ने निकाल लिया था। वह यह कि दावत व तब्लीग की कोई ज़िम्मेदारी हम पर नहीं है, हर एक पर अपनी ज़ात की ज़िम्मेदारी है, कोई क्या करता है इससे किसी दूसरे को कुछ गर्ज़ नहीं होनी चाहिये। कुरान जो कह रहा है कि “तुम पर ज़िम्मेदारी सिर्फ़ अपनी जानों की है। अगर तुम हिदायत पर हो तो जो गुमराह हुआ वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा।” लिहाज़ा हर किसी को बस अपना अमल दुरुस्त रखना चाहिये, कोई दूसरा शख्स अगर ग़लत काम करता है तो उसे ख्वाह मा ख्वाह रोकने-टोकने, उसकी नाराज़गी मोल लेने, अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुन्कर की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह की बातें जब हज़रत अबु बक्र सिद्दीक रज़ि० के इल्म में आईं तो आप रज़ि० ने बाक्रायदा एक खुत्वा दिया कि लोगों में देख रहा हूँ कि तुम इस आयत का मतलब ग़लत समझ रहे हो। इसका मतलब तो यह है कि तुम्हारी सारी तब्लीग, कोशिश, अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुन्कर के बावजूद अगर कोई शख्स गुमराह रहता है तो उसका तुम पर कोई वबाल नहीं। सूरतुल बक्ररह (आयत:119) में हम पढ़ चुके हैं: {وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ} “(ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم) आपसे कोई बाज़ पुर्स नहीं होगी जहन्नमियों के बारे में।” यानि हम यह नहीं पूछेंगे कि हमने आप صلی اللہ علیہ وسلم को बशीर व नज़ीर बना कर भेजा था और फिर भी यह लोग जहन्नम में क्यों चले गये? लेकिन जहाँ तक दावत व तब्लीग, नसीहत व मौअज़त (उपदेश), अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुन्कर का ताल्लुक है, यह तो फ़राइज़ में से हैं। इस आयत की रू से यह फ़राइज़ साक़ित (माफ़) नहीं होते। बल्कि इसका दुरुस्त मफ़हूम यह है कि तुम्हारी सारी कोशिश के बावजूद अगर कोई शख्स नहीं मानता तो अब तुम्हारी ज़िम्मेदारी पूरी हो गयी। फ़र्ज़ कीजिये कि किसी का बच्चा आवारा हो गया है, वालिद अपनी इम्कानी हद तक कोशिश किये जा रहा है मगर बच्चा राहे रास्त पर नहीं आ रहा, तो ज़ाहिर बात है कि अगर उसने बच्चे की तरबियत और इस्लाह में कोई कोताही नहीं छोड़ी तो अल्लाह की तरफ़ से उसकी गुमराही का वबाल वालिद पर नहीं आयेगा। लेकिन अपना फ़र्ज़ अदा करना बहरहाल लाज़िम है।

फ़रमायी है और आओ अल्लाह के रसूल की तरफ़”

الرَّسُولِ

इस हुक्म (कि आओ अल्लाह के रसूल की तरफ़) की तर्जुमानी अल्लामा इक़बाल ने क्या ख़ूबसूरत अल्फ़ाज़ में की है:

و مُسْتَفَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسَاً خَبِيْشًا رَا كِي دِيْ هِمَا اُكْسْت
अगर बाव नरसीदी तमाम बू लहबीस्त

“वह कहते हैं हमारे लिये वही काफ़ी है जिस पर हमने अपने आबा व अजदाद को पाया।”

قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَاءَنَا

यानि हमारे आबा व अजदाद जो इतने अरसे से इन चीज़ों पर अमल करते चले आ रहे थे तो क्या वह जाहिल थे? यही बातें आज भी सुनने को मिलती हैं। किसी रस्म के बारे में आप किसी को बतायें कि इसकी दीन में कोई सनद नहीं है और सहाबा रज़ि० के यहाँ इसका कोई वजूद ना था तो उसका जवाब होगा कि हमने तो अपने बाप-दादा को यँ ही करते देखा है।

“खाह उनके आबा व अजदाद ऐसे रहे हों कि ना उन्हें कोई इल्म हासिल हुआ हो ना ही वह हिदायत पर हों (फिर भी)?”

اَوَلَوْ كَانَ اٰبَاؤُهُمْ لَا يَعْزُبُوْنَ شَيْئًا وَّلَا

يُهْتَدُوْنَ ۝

जैसे तुम अल्लाह की मख्लूक हो वैसे ही वह भी मख्लूक थे। जैसे तुम ग़लत काम कर सकते हो और ग़लत आरा (राय) क़ायम कर सकते हो, वैसे ही वह भी ग़लतकार हो सकते थे।

आयत 105

“ऐ लोगो जो ईमान लाये हो, तुम पर ज़िम्मेदारी है सिर्फ़ अपनी जानों की।”

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسُكُمْ

“जो कोई गुमराह हो जाये वह तुम्हें नुक़सान नहीं पहुँचा सकता, जबकि तुम हिदायत पर हो।”

لَا يَضُرُّكُمْ مِّنْ صَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ

“अल्लाह ही की तरफ़ तुम सबको लौट कर

اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ

अगर तुम्हें उनके बारे में कोई शक हो कि कहीं यह वसीयत को बदल ना दें, कहीं उनसे गलती ना हो जाये तो उनसे क्रसम उठवा लो। वह नमाज़ के बाद मस्जिद में हलफ़ की बुनियाद पर शहादत दें, और इस तरह कहें:

“हम इसकी कोई क़ीमत वसूल नहीं करेंगे,
अगरचे कोई क़राबतदार ही क्यों ना हो”

لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَا كَانَ ذَا قُرْبَىٰ

यानि हम इस शहादत से ना तो खुद कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाएँगे, ना किसी के हक़ में कोई नाइंसाफ़ी करेंगे और ना ही किसी रिश्तेदार अज़ीज़ को कोई नाजायज़ फ़ायदा पहुँचाएँगे।

“और ना हम छुपाएँगे अल्लाह की गवाही
को”

وَلَا ذُكِّرْتُمْ سَهَادَةَ اللَّهِ

गौर करें गवाही इतनी अज़ीम शय है कि इसे “سَهَادَةُ اللَّهِ” कहा गया है, यानि अल्लाह की गवाही, अल्लाह की तरफ़ से अमानत।

“अगर हम ऐसा करें तो यक़ीनन हम
गुनाहगारों में शुमार होंगे।”

إِنَّا إِذَا لَبِينُ الْأَثْمِينِ ۝

आयत 107

“फिर अगर मालूम हो जाये कि इन दोनों ने
(झूठ बोल कर) गुनाह कमाया है”

فَإِنْ عُرِيَ عَلَىٰ آثِمِيهَا اسْتَحَقَّ إِثْمًا

हल्फ़िया बयान भी ग़लत दिया है और वसीयत में तरमीम (बदलाव) की है, इसके बावजूद कि नमाज़ के बाद मस्जिद के अन्दर हलफ़ उठा कर बात कर रहे हैं। आख़िर इन्सान हैं और हर मआशरे में हर तरह के इन्सान हर वक़्त मौजूद रहते हैं।

“तो अब दो और लोग उनकी जगह पर खड़े
हों”

فَأَخْرَجَ يَتَّقُونَ مِنْ مَقَامِهَا

“उन लोगों में से जिनकी हक़ तल्फ़ी की है इन
पहले दो लोगों ने”

مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيٰنِ

आयत 106

“ऐ अहले ईमान, तुम्हारे दरमियान शहादत (का निसाब) है जबकि तुम में से किसी को मौत आ जाये और वह वसीयत कर रहा हो, तो तुम में से दो मोअतबर अश्खास (बतौर गवाह) मौजूद हों”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ
أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَلْنِ ذَوَا
عَدْلٍ مِّنْكُمْ

यानि मौत से क़बल वसीयत के वक़्त अपने लोगों में से दो गवाह (मर्द) मुक़रर कर लो। वाज़ेह रहे कि वसीयत कुल तरके के एक तिहाई हिस्से से ज़्यादा की नहीं हो सकती। अगर ज़ायदाद ज़्यादा है तो उसका एक तिहाई हिस्सा भी ख़ासा ज़्यादा हो सकता है।

“या दूसरे दो आदमी तुम्हारे ग़ैरों में से अगर तुम ज़मीन में सफ़र पर (निकले हुए) हो और (हालते सफ़र में) तुम्हें मौत की मुसीबत पेश आ जाये।”

أَوْ أَحْرَانٍ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ صَرَئْتُمْ فِي
الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ

यानि हालते सफ़र में अगर किसी की मौत का वक़्त आ पहुँचे और वह वसीयत करना चाहता हो तो ऐसी सूरत में गवाहान ग़ैर क़ौम, किसी दूसरी बस्ती, किसी दूसरी बिरादरी और दूसरे क़बीले से भी मुक़रर किये जा सकते हैं, मगर आम हालात में अपनी बस्ती, अपने खानदान में रहते हुए कोई शख्स इन्तेक़ाल कर रहा है तो उसे वसीयत के वक़्त अपने लोगों, रिश्तेदारों और क़राबतदारों में से ही दो मोअतबर आदमियों को गवाह बनाना चाहिये।

“तुम उन दोनों गवाहों को नमाज़ के बाद (मस्जिद में) रोक लो”

تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ

यानि जब वसीयत के बारे में मुतालका लोग पूछें और उसमें कुछ शक का अहतमाल हो तो नमाज़ के बाद उन दोनों गवाहों को मस्जिद में रोक लिया जाये।

“फिर वह दोनों अल्लाह की क़सम खायें, अगर तुम्हें शक हो”

فَيَقْسِمَنِ بِاللَّهِ إِنْ اُرْتَبْتُمْ

मुझ पर तोहमत लगा रहा है और पाँचवी मरतबा यह कहे कि मुझ पर अल्लाह का ग़ज़ब टूटे अगर इसका इल्ज़ाम दुरुस्त हो, तो शौहर की गवाही साक्रित हो जायेगी। इस तरह दोनों तरफ़ से अल्लाह तआला ने मामले को मुतवाज़िन किया है।

अब आखरी दो रकूअ इस लिहाज़ से अहम हैं कि इनमें अल्लाह तआला के साथ हज़रत मसीह अलै० के मकालमे (बात-चीत) का नक़शा खींचा गया है, जो क़यामत के दिन होगा। और इसके पसमंज़र में गोया एक पूरी दास्तान है, जो एक नयी शान से सामने सामने आयी है।

आयात 109 से 115 तक

يَوْمَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ
 الْغُيُوبِ ۝ إِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ادْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ
 أَيَّدْنَاكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۖ تَكَلَّمَ النَّاسُ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۖ وَإِذْ عَلَّمْنَاكَ الْكِتَابَ
 وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۚ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا
 فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي ۖ وَإِذْ
 كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا
 إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَىٰ الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا
 وَاشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۝ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ لِيَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ
 أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ قَالُوا نُرِيدُ
 أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطَهِّرَ قُلُوبَنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَّقْتَنَا وَنَكُونُ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ
 ۝ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا
 عَيْدًا لِأَوْلَانَا وَأَخِرْنَا وَإِيَّاهُ مِنْكَ ۖ وَارزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّزُقِينَ ۝ قَالَ اللَّهُ إِنَّي
 مُنْزِلُهَا عَلَيْكُمْ ۖ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ
 الْعَالَمِينَ ۝

अब वह खड़े होकर कहेंगे कि यह लोग हमारा हक़ तल्फ़ कर रहे हैं, इन्होंने वसीयत के अन्दर ख्यानत की है।

“पस वह दोनों अल्लाह की क़सम खायें कि हमारी गवाही ज़्यादा बरहक़ है इन दोनों की गवाही से”

فَيُقْسِمِينَ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ
شَهَادَتِهِمَا

“और हमने कोई ज़्यादती नहीं की है, अगर ऐसा हो तो यक़ीनन हम ज़ालिमों में से होंगे।”

وَمَا اعْتَدَيْنَا إِثْمًا إِذْ آلَيْنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٠﴾

आयत 108

“यह तरीक़ेकार क़रीबतर है कि इससे लोग ठीक-ठीक शहादत पेश करें”

ذَلِكَ أَذَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا

“या (कमसे कम) उन्हें खौफ़ रहे कि हमारी क़समें उनकी क़समों के बाद रद्द कर दी जायेंगी।”

أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدُّ أَيْمَانُهُمْ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ

क्योंकि उन्हें मालूम होगा कि अगर हमने झूठी क़सम खा भी ली, और फिर अगर दूसरा फ़रीक़ भी क़सम खा गया, तो हमारा मंसूबा कामयाब नहीं होगा। लिहाज़ा वाह इसकी हिम्मत नहीं करेंगे।

“और अल्लाह का तक्रवा इख़्तियार करो और सुन रखो।”

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا

“अल्लाह ऐसे नाफ़रमानों को हिदायत नहीं देता।”

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٥١﴾

इस तरह का मामला सूरह अल नूर (आयत 6 से 9) में भी मज़कूर हुआ है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को बदकारी करते हुए देखे और उसके पास कोई और गवाह ना हो तो वह चार मरतबा क़सम खा कर कहे कि मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। तो उस एक शख्स की गवाही चार गवाहों के बराबर हो जायेगी। लेकिन फिर अल्लाह तआला ने इसका जवाब भी बताया है, कि अगर बीवी भी चार मरतबा क़सम खा कर कह दे कि यह झूठ बोल रहा है,

में भी और बड़ी उम्र को पहुँच कर भी।”

तुम शीर खवारगी (शिशु) की उम्र में भी लोगों से गुफ्तुगू करते थे और अधेड़ उम्र को पहुँच कर भी। आगे वही सूरह आले इमरान (आयत 48) वाले अल्फ़ाज़ दोहराये जा रहे हैं।

“और (याद करो मेरे उस अहसान को) जबकि मैंने तुम्हें सिखाई किताब और हिकमत, यानि तौरात और इन्जील।”

وَإِذْ عَلَّمْنَاكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ
وَإِلْإِنْجِيلَ

दरमियान का वाव तफ़सीरिया है, लिहाज़ा “यानि” के मफ़हूम में आयेगा।

“और (याद करो) जब तुम बनाते थे गारे से परिन्दे की एक शकल, मेरे हुक्म से”

وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِأَدْنِي

“फिर तुम उसमें फूँक मारते थे तो वह एक उड़ने वाला परिंदा बन जाता था मेरे हुक्म से”

فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِأَدْنِي

“और तुम अच्छा कर देते थे मादरज़ाद अंधे को और कोठी को मेरे हुक्म से।”

وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِأَدْنِي

“और जब तुम मुर्दों को निकाल खड़ा करते थे मेरे हुक्म से।”

وَإِذْ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِأَدْنِي

“और (याद करो मेरे उस अहसान को भी) जब मैंने बनी इसराइल के हाथ रोक दिये तुमसे”

وَإِذْ كَفَفْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ

उनके हाथ तुम तक नहीं पहुँचने दिये और तुम्हें उनके शर से महफूज़ रखा। यह उसी वाक़िये की तरफ़ इशारा है कि हज़रत मसीह अलै० गिरफ़्तार नहीं हुए, और ऐन उस वक़्त जब पुलिस वाले आप अलै० को गिरफ़्तार करने के लिये बाग़ में दाख़िल हुए तो चार फ़रिश्ते उतरे, जो आप अलै० को लेकर आसमान पर चले गये।

“जबकि तुम आये उनके पास खुले मौज़्जात के साथ तो कहा उन लोगों ने जो उनमें से

إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا

आयत 109

“(उस दिन का तसव्वुर करो) जिस दिन अल्लाह तआला तमाम रसूलों को जमा करेगा और पूछेगा आप लोगों को क्या जवाब मिला था?”

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمْ

आप लोगों की दावत के जवाब में आपकी क्रौमों ने आपके साथ क्या मामला किया था?

“वह कहेंगे कि हमें कुछ मालूम नहीं, तू ही बेहतर जानने वाला है ग़ैब की बातों का।”

قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

④

वह अल्लाह तआला के जनाब में ज़बान खोलने से गुरेज़ करेंगे और कहेंगे कि तू तमाम पोशीदा बातों को जानने वाला है, हर हकीकत तुझ पर मुन्कशिफ़ है।

आयत 110

“जब कहेगा अल्लाह तआला ऐ ईसा अलै० इब्ने मरयम”

إِذْ قَالَ اللَّهُ يُعَيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ

अब रोज़े क़यामत हज़रत ईसा अलै० की ख़ास पेशी का मंज़र है। दुनिया में उनकी परस्तिश की गयी, उनको अल्लाह का बेटा बनाया गया, सालिसु सलासा करार दिया गया। लिहाज़ा अब आँजनाब अलै० को अल्लाह तआला के सामने जो शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, उसका नक़शा खींचा जा रहा है जब अल्लाह उनको मुखातिब करके फ़रमायेगा कि ऐ ईसा अलै० इब्ने मरयम:

“ज़रा मेरे उन ईनामात को याद करो जो तुम पर और तुम्हारी वालिदा पर हुए।”

إِذْ كَرَّمْنَاكِ عَلَىٰ وَالِدَتِكَ

“जबकि मैंने तुम्हारी मदद की रूहल कुदुस से”

إِذْ آتَيْنَاكِ بُرُوحَ الْقُدُسِ

जिब्राइल अलै० के ज़रिये से तुम्हारी ताइद की।

“तुम गुफ्तुगू करते थे लोगों के साथ पिन्वोडे

تَكَلَّمْتُمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا

मोमिनीन को ऐसी दुआएँ नहीं करनी चाहिये। ऐसे मुतालबात आप लोगों को ज़ेब नहीं देते।

आयत 113

“उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हम उस (ख्वान) में से खायें और हमारे दिल बिल्कुल मुत्सईन हो जायें”

قَالُوا أُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطَهِّرَ قُلُوبَنَا

यह इस तरह की बात है जैसी हज़रत इब्राहीम अलै० ने कही थी (अल् बकरह:260): { رَبِّ ارِنِي كَيْفَ تُعْجِي الْمَوْتَى }। इसी तरह का मुशाहिदा वह भी तलब कर रहे थे।

“और हमें मालूम हो जाये कि आप अलै० ने जो कुछ हमसे कहा वह सच है और हम उस पर गवाह बन जायें”

وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونُ عَلَيْهَا مِنَ الشُّهَدَائِينَ ﴿١١٣﴾

ताकि हमें आप अलै० की किसी बात में शक व शुबह की कोई गुंजाइश ना रहे और ऐसा यक्रीने कामिल हो जाये कि फिर हम जब आप अलै० की जानिब से लोगों को तब्लीग करें तो हमारे अपने दिलों में कहीं शक व शुबह का कोई काँटा चुभा हुआ ना रह जाये।

आयत 114

“इस पर ईसा अलै० इब्रे मरयम ने दुआ की: ऐ अल्लाह, ऐ हमारे रब, उतार दे हम पर एक दस्तरख्वान आसमान से”

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ

“जो ईद बन जाये हमारे लिये और हमारे अगलों और पिछलों के लिये, और एक निशानी हो तेरी तरफ़ से।”

تَكُونُ لَنَا عَيْدًا لِأَوْلَادِنَا وَإِحْرَامًا وَإَيَّةَ مِنْكَ

आसमान से, ख़ास तेरे यहाँ से खाने से भरे हुए दस्तरख्वान का नाज़िल होना यक्रीनन हमारे लिये जश्न का मौक़ा होगा, हमारे अगलों-पिछलों के लिये एक यादगार वाक़िया और तेरी तरफ़ से एक ख़ास निशानी होगा।

काफ़िर थे कि यह तो सरीह जादू के सिवा कुछ नहीं है।”

مِنْهُمْ اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝

आयत 111

“और (याद करो मेरे अहसान को) जब मैंने इशारा किया हवारियों को”

وَ اِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيْنَ

“कि ईमान लाओ मुझ पर और मेरे रसूल पर।”

اَنْ اٰمِنُوْا بِيْ وَ بِرَسُوْلِيْ

उनके दिल में डाल दिया, इल्हाम कर दिया, उनकी तरफ वही कर दी। यह वहिये खफ़ी है। ज़ाहिर है हवारियों की तरफ वहिये जली तो नहीं आ सकती थी जो खास्सा-ए-नबुवत है। लेकिन जैसा कि शहद की मक्खी के लिये वही का लफ़्ज़ आया है (अल् नहल:68) या जैसे अल्लाह तआला ने आसमानों को वही की (फुसिलत:12) यह वहिये खफ़ी की मिसालें हैं।

“तो उन्होंने कहा हम ईमान लाये और (ऐ ईसा अलै० आप भी) गवाह रहिये कि हम अल्लाह के फ़रमावरदार हैं।”

قَالُوْا اٰمَنَّا وَ اَشْهَدُ بِاَنَّكَ مُسْلِمُوْنَ ۝

आयत 112

“और (ज़रा याद करो उस वाक़िये को) जब हवारियों ने कहा कि ऐ ईसा इन्ने मरयम”

اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ

“क्या आपके रब को यह कुदरत हासिल है कि हम पर आसमान से एक दस्तरख्वान उतारे?”

هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً
مِّنَ السَّمَآءِ

“(जवाब में ईसा अलै० ने) कहा अल्लाह का तक्रवा इख्तियार करो अगर तुम ईमान रखते हो।”

قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

मौज्जे का ज़हूर दरअसल मुतल्लका क्रौम के खिलाफ़ जाता है। मौज्जे के ज़हूर से पहले तो उम्मीद होती है कि अल्लाह तआला शायद इस क्रौम को कुछ ढील दे दे, शायद कुछ और लोगों को ईमान की तौफ़ीक़ मिल जाये, लेकिन मौज्जे के ज़हूर से मोहलत का वह सिलसिला ख़त्म हो जाता है।

आयात 116 से 120 तक

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ لِلنَّاسِ امْتِحْدُونِ وَأُنزِلَ إِلَيْهِ مِنَ ذُرِّهِ
 اللَّهُ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّقٍ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ
 تَعَلَّمْ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿١١٦﴾ مَا قُلْتُ
 لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اْعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ
 فِيهِمْ فَكَلَّمَا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١١٧﴾ إِنْ
 تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبْدَاكَ وَإِنْ تُغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١١٨﴾ قَالَ اللَّهُ هَذَا
 يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١٩﴾ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ
 وَمَا فِيهِنَّ ۗ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢٠﴾

अब इस पेशी का आखरी मंज़र है और इसका अंदाज़ बहुत सख्त है।

आयत 116

“और जब अल्लाह कहेगा कि ऐ मरयम के बेटे ईसा! क्या तुमने कहा था लोगों से कि मुझे और मेरी माँ दोनों को मअबूद बना लेना, अल्लाह के सिवा?”

“वह (जवाब में) अर्ज़ करेंगे (ऐ अल्लाह) तू पाक है, मेरे लिये कैसे रखा था कि मैं वह बात

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتُ
 لِلنَّاسِ امْتِحْدُونِ وَأُنزِلَ إِلَيْهِ مِنَ ذُرِّهِ

قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ

“और हमें रिज़्क अता फ़रमा और यक़ीनन तू बेहतरीन रिज़्क देने वाला है।”

وَأَرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّزُقِينَ ﴿١٠﴾

आयत 115

“अल्लाह ने इरशाद फ़रमाया (ठीक है) मैं नाज़िल कर दूँगा उसको तुम पर।”

قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ

“लेकिन फिर उसके बाद तुम में से जो कोई कुफ़्र की रविश इख़्तियार करेगा तो फिर उसको मैं अज़ाब भी वह दूँगा जो तमाम ज़हानों में से किसी और को नहीं दूँगा।”

فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ مِنْكُمْ فَإِنِّي أَعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا

أَعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿١١﴾

यानि जब इस तरह की कोई खर्क आदत चीज़ दिखा दी जायेगी, खुला मौज्ज़ा सामने आ जायेगा तो फिर रिआयत नहीं होगी। गुज़िश्ता क्रौमों के साथ ऐसे ही हुआ था। क्रौमे समूद ने हज़रत सालेह अलै० से मुतालबा किया कि अभी इस चट्टान में से एक हामिला ऊँटनी बरामद हो जानी चाहिये। वह ऊँटनी बरामद हो गयी, लेकिन साथ ही रिआयत भी ख़त्म हो गयी। उनसे वाज़ेह तौर पर कह दिया गया कि अब तुम्हारे लिये मोहलत के सिर्फ़ चंद दिन हैं, अगर इन दिनों में ईमान नहीं लाओगे तो नेस्तो नाबूद कर दिये जाओगे। यह बात सूरह शौअरा में बहुत तफ़सील से आयेगी कि ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم यह लोग अब जो निशानियाँ माँग रहे हैं तो हम यह इनकी खैर-ख्वाही में इन्हें नहीं दिखा रहे हैं। अगर इनके कहने पर ऐसी निशानियाँ हम दिखा दें तो फिर इनको मज़ीद रिआयत नहीं दी जायेगी और इनकी मोहलत अभी ख़त्म हो जायेगी। इस क़िस्म के मौज्ज़े देख कर ना कोई पहले ईमान लाया, ना अब यह लोग लायेंगे। इनके अन्दर जो नीयत का फ़साद है वह कहाँ इन्हें मानने देगा? जैसे क्रौमे सालेह अलै० ने नहीं माना, हालाँकि अपनी निगाहों के सामने उन्होंने ऐसा खुला मौज्ज़ा देख लिया था। हज़रत ईसा अलै० के मौज्ज़ों को यहूदियों ने नहीं माना, उल्टा उन्हें जादू करार दे दिया। तो इस क़दर वाज़ेह मौज्ज़ात देख कर भी लोग ईमान नहीं लाये। सिवाय उन जादूगरों के जिनका फिरऔन के दरबार में हज़रत मूसा अलै० से मुक़ाबला हुआ था। ना तो खुद फिरऔन ईमान लाया था ना फिरऔन के दरबारी और ना ही अवामुन्नास। चुनाँचे

आयत 118

“अब अगर तू इन्हें अज़ाब दे तो यह तेरे ही बन्दे हैं।”

إِنْ تَعَذَّبْتَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ

तुझे इन पर पूरा इख्तियार हासिल है, तेरी मख्लूक हैं।

“और अगर तू इन्हें बख्श दे तो तू ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है।”

وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١١٨﴾

यह बेहतरीन अंदाज़ है। माफ़ी की दरख्वास्त भी है, जिसमें बहुत ख़ूबसूरत अंदाज़ में शफ़क़त व राफ़त का इज़हार है, जो नौए इंसानी के लिये अम्बिया की शख़्सियत का खास्सा है। लेकिन इससे आगे बढ़ कर कुछ नहीं कह सकते कि मक़ामे अबदियत यही है। तो ऐ अल्लाह! तेरा ही इख्तियार है और तू अज़ीज़ भी है और हकीम भी। अगर तू इन्हें माफ़ फ़रमाना चाहे तो तुझसे कोई बाज़पुर्स नहीं कर सकता, कोई जवाब तलबी नहीं कर सकता कि तूने कैसे माफ़ कर दिया! अब आ रहा है कि इस पूरी पेशी का ड्राप सीन और आखरी नक़शा क्या होगा।

आयत 119

“अल्लाह फ़रमायेगा यह आज का दिन वह है जिस दिन सच्चाँ को उनकी सच्चाई फायदा पहुँचायेगी।”

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصّٰدِقِينَ صِدْقُهُمْ

उनका सच और सिद्क उनके हक़ में मुफ़ीद होगा।

“उनके लिये बाग़ात हैं जिनके दामन में नदियाँ बहती होंगी, वह उनमें हमेशा-हमेशा रहेंगे।”

لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خٰلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا

“अल्लाह उनसे राज़ी हो गया और वह अल्लाह से राज़ी हो गये। यही है बड़ी कमयाबी।”

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١٩﴾

यह है बाहमी रज़ामंदी का आखरी मक़ाम, अल्लाह उनसे राज़ी और वह अल्लाह से राज़ी।

कहता जिसके कहने का मुझे कोई हक नहीं।”

لِيُحَقِّقَ

“अगर मैंने वह बात कही होती तो वह तेरे इल्म में होती।”

إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ

“तू तो जनता है जो कुछ मेरे जी में है और मैं नहीं जनता जो तेरे जी में है। यक्रीनन तमाम पोशीदा हकीकतों का जानने वाला तो बस तू ही है।”

تَعَلَّمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ⑩

आयत 117

“मैंने उनसे कुछ नहीं कहा मगर वही कुछ जिसका तूने मुझे हुक्म दिया था”

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ

“(और वह यही बात थी) कि बंदगी करो अल्लाह की जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है।”

أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ

“और मैं उन पर निगरान रहा जब तक उनमें मौजूद रहा।”

وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ

उनकी देखभाल करता रहा, निगरानी करता रहा। यहाँ लफ्ज “शहीद” निगरान के मायनों में आया है।

“फिर जब तूने मुझे उठा लिया तो (इसके बाद) तू ही निगरान था उन पर”

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ

वाज़ेह रहे कि यहाँ भी تَوَفَّيْتَنِي मौत के मायनों में नहीं है। इस सिलसिले में सूरह आले इमरान आयत 55 {إِنِّي مُتَوَفِّيكَ} की तशरीह मद्देनज़र रहे।

“और यक्रीनन तू हर चीज़ पर गवाह है।”

وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ⑪

तू हर चीज़ पर निगरान है, हर चीज़ से बाखबर है।

आयत 120

“अल्लाह ही के लिये है आसमानों और ज़मीन
और जो कुछ इनमें है, सबकी बादशाही।”

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ

“और वह हर चीज पर कादिर है।”

وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

यहाँ पर अल्लाह तआला के फ़ज़ल से सुरतल मायदा के इख़तताम के साथ ही मक्की और मदनी सुरतों के ग्रुप्स (groups) में से पहला ग्रुप ख़त्म हो गया है, जिसमें एक मक्की सुरत यानि सुरतल फ़ातिहा और चार मदनी सुरतें हैं। सुरतल फ़ातिहा अगरचे हज़्म में बहत छोटी है लेकिन यह अपनी मायनवी अज़मत के लिहाज़ से पूरे कुरान के हमवज़न है। सूरतुल हिज़्र की आयत 87: {وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمُبٰرَكٰتِ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ} मुफ़स्सिरीन की राय के मुताबिक़ सुरतल फ़ातिहा ही के बारे में है। इस ग्रुप की चार मदनी सुरतें अल बकररह, आले इमरान, अन्निसा और अल मायदा दो-दो के जोड़ों की शक़ल में हैं। इन तमाम सुरतों के मज़ामीन का उम्द एक दफ़ा फिर ज़हन में ताज़ा कर लें। मुकम्मल शरीअते आसमानी, अहले किताब से ख़िताब और रहो-कदा, उन पर इज़्ज़ामात का तज़किरा, उनके ग़लत अक्काइद की नफ़ी, उन्हें ईमान की दावत, उनकी तारीख़ के अहम वाक़िआत की तफ़सीलात, उनका उम्मते मुस्लिमा के मंसब से माज़ल किया जाना, जिस पर वह दो हज़ार बरस से फ़ाइज़ थे और उम्मते मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم का इस मंसब पर फ़ाइज़ किया जाना। यह मौजूआत आखरी दर्जे में इस ग्रुप की सुरतों में मुकम्मल हो गये हैं।

بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔